चतुर्दश माला, खंड 3, अंक 13

बुधवार, 21 जुलाई, 2004
30 आषाढ़, 1926 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)



(खंड 3 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 3, दूसरा सत्र, 2004/1926 (शक)]

अंक 13, बुधवार, 21 जुलाई, 2004/30 आषाढ़, 1926 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 222 से 225	3–67
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 226 से 241	67–94
अतारांकित प्रश्न संख्या 1881 से 2070	94–503
प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य	
महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति	503–505
सभा पटल पर रखे गए पत्र	506–520
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल में अनेक चाय बागानों के कथित रूप से बंद होने के कारण हजारों कर्मकारों के बेरोजगार होने से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम	520–541
श्री बसुदेव आचार्य	520–521, 523–528
श्री कमलनाथ	521–523, 535–541
श्री जोवाकिम बखला	529–530
श्री वरकला राधाकृष्णन	531–532
श्री गुरुदास दासगुप्त	532–533
श्री के. फ्रांसिस जार्ज	533–534
नियम 377 के अधीन मामले	545–554
(एक) हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में रेणुका बांध के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य	545–546
(दो) सिरमौर, शिमला और कुल्लू जिलों की कुछ तहसीलों को जनजातीय क्षेत्र घोषित किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती प्रतिभा सिंह	546
(तीन) तमिलनाडु के पेरियाकुलम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जंगली हाथियों के उत्पात को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री जे.एम. आरून रशीद	547
(चार) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में समुद्री रेत के संग्रहण पर लगाए गए प्रतिबंध की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री मनोरंजन भक्त	547–548
(पांच) गुजरात तथा देश के अन्य भागों में स्वदेशी सोडा एश उद्योग को बचाने के लिए इस पर लगने वाले आयात शुल्क में और कमी किए जाने को रोके जाने की आवश्यकता	
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा	548
(छह) कर्नाटक में फसल बीमा के लंबित दावों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए साधारण बीमा कंपनी को अनुदेश जारी किए जाने की आवश्यकता	
श्री मंजुनाथ कुन्नुर	548–549
(सात) मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच और रतलाम जिलों में हाल ही में स्थापित टेलीफोन एक्सचेंजों का प्रचालन शुरू किए जाने की आवश्यकता	
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	549–550

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(आठ) छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता	
श्री पुन्नूलाल मोहले	550
(नौ) त्रिपुरा राज्य में मेडिकल कालेज की स्थापना के लिए धनराशि स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता	
श्री खगेन दास	550
(दस) उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में गोमती नदी पर नए पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री पारसनाथ यादव	551
(ग्यारह) उत्तर प्रदेश में उन्नाव को कानपुर से जोड़ने के लिए नए पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री ब्रजेश पाठक	551
(बारह) गैर-कोयला मुख्य खनिजों पर रायल्टी बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
श्री भर्तृहरि महताब	551–552
(तेरह) कृषि संबंधी कार्यकलापों और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिले के डान्टन में सरसनका डिघी टैंक से गाद निकाले जाने की आवश्यकता	
श्री प्रबोध पाण्डा	552
(चौदह) महाराष्ट्र में नासिक में रेल लाइन पर उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री देविदास पिंगले	553
(पन्द्रह) मिट्टी और जल में एन्डोसल्फान कीटनाशक की उपस्थिति के कारण केरल के कासरगौड जिले के पडरे गांव के लोगों के सम्मुख आ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता	
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार	553–554
सामान्य बजट, 2004-2005—*सामान्य चर्चा*	
लेखानुदानों की मांगें (सामान्य), 2004-05	
और	
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2001-02	554–605
श्रीमती मनोरमा माधवराज	554–556
श्री सुरेश चन्देल	556–563
श्री पी. चिदम्बरम	563–598
सरकारी विधेयक—*पुर:स्थापित*	
विनियोग (लेखानुदान) संख्यांक 2 विधेयक, 2004	605–608
विचार करने के लिए प्रस्ताव	605
श्री पी. चिदम्बरम	605
श्री तरित बरण तोपदार	606–607
खंड 2 से 4 और 1	607
पारित करने के लिए प्रस्ताव	608
विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2004	608–609
विचार करने के लिए प्रस्ताव	608
श्री पी. चिदम्बरम	608
खंड 2, 3 और 1	609
पारित करने के लिए प्रस्ताव	609
नियम 193 के अधीन चर्चा	
देश में आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मामले	610–611
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	611–612
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	612–616
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	617
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	617–620

लोक सभा

बुधवार, 21 जुलाई, 2004/30 आषाढ़, 1926 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया शांत हो जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइये। आपको व्यवस्था की जानकारी है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसा समाचार-पत्रों में छपा है कि केन्द्र का एक मंत्री लापता है, क्या उसने आपसे तीन दिन की छुट्टी ली है। मैं कहना चाहता हूं कि यहां कोई भी मंत्री छुट्टी पर नहीं होता। यदि वह लापता हो जाए क्योंकि पुलिस उसके पीछे घूम रही है, पुलिस ने आपके कार्यालय से भी जानकारी मांगी है और आपसे कहा है कि आप उनके बारे में बताएं। हम जानना चाहते हैं कि वास्तव में क्या स्थिति है। कोई तो यहां बताए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे जवाब देने दीजिये। मैं जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मुझे यह पता है। क्या मंत्री छुट्टी पर हो सकता है?

[हिन्दी]

365 दिन वह ड्यूटी पर होता है। क्या वह लापता हो सकता है? यह कैसी गवर्नमैंट है? यह सरकार कैसे चल रही है जिसमें एक मंत्री का पता ही नहीं हो और वह लापता हो जाए? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं प्रश्न काल प्रारंभ करता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप प्लीज बैठिये। यदि आप इस तरह बाधित करते रहे तो, मैं उनको भी जवाब नहीं दूंगा। यदि आप अध्यक्षपीठ को बाधित करते हो तो, मैं जवाब नहीं दूंगा।

माननीय सदस्यगण, आपको पता ही है कि छुट्टी लेने की कोई व्यवस्था नहीं है। आपने यह बात खुद ही कही। हालांकि, मैं हैडमास्टर की तरह व्यवहार करता हूं, पर मैं स्कूल का हैडमास्टर नहीं हूं। इसलिये छुट्टी के लिये आवेदन-पत्र देने का प्रश्न ही नहीं है। किसी भी स्थिति में छुट्टी प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है।

दूसरी बात, मैं यहां कार्यवाही हेतु पुलिस की सहायता करने के लिये नहीं बैठा हूं। प्रश्न काल पर लौटते हैं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: क्या पुलिस ने आपसे सहायता मांगी है?

अध्यक्ष महोदय: मैं उसका जवाब नहीं दे रहा हूं। मैं उसका जवाब नहीं दे रहा हूं।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: क्या पुलिस ने आपसे अनुमति मांगी है? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामदास बंडु आठवले (पंढरपुर): पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 222, श्री विजय कृष्ण—उपस्थित नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर): उनको यहां हाजिर किया जाए। वह कहां हैं? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइये, श्री मोदी, यह स्टार चैम्बर नहीं है। आप इस सभा को स्टार चैम्बर में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जहां मैं मंत्री को पकड़ कर उपस्थित कर दूं।

श्री कीर्ति वर्धन सिंह, प्रश्न पूछिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कम से कम एक दिन प्रश्न काल शांतिपूर्वक निपटाने दीजिये।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

लघु उद्योगों हेतु ऋण गारंटी निधि योजना

***222. श्री कीर्ति वर्धन सिंह:**
श्री विजय कृष्ण:

क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों के लिए एक ऋण गारंटी निधि योजना (क्रेडिट गारन्टी फण्ड स्कीम) आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार इस योजना के अंतर्गत कितने लघु उद्योगों को प्रासंगिक गारंटी प्रदान की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस निधि हेतु एक निकाय बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

[हिन्दी]

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। सरकार ने सम्पार्श्विक प्रतिभूति तथा लघु उद्योग सेक्टर को क्रेडिट प्रवाह बाधा की समस्या को कम करने की दृष्टि से 30 अगस्त, 2000 को क्रेडिट गारन्टी फंड स्कीम शुरू की जो पहली जनवरी, 2001 से प्रचलन में आई। इस स्कीम का प्रचालन लघु उद्योगों हेतु ऋण गारंटी फंड न्यास (सी.जी.टी.एस.आई.) द्वारा ऋणदाता संस्थानों के सदस्यों के माध्यम से अर्थात् अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (सार्वजनिक क्षेत्र, निजी या विदेशी बैंकों), चुनिन्दा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लि., तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) या सरकार द्वारा निर्देशित अन्य किसी संस्थानों द्वारा किया जा रहा है। स्कीम नई तथा मौजूदा लघु उद्योग इकाइयों तथा लघु सेवा एवं व्यापार (उद्योग से संबंधित) उद्यमों (एस.एस.एस.बी.ई.) के संबंध में 25 लाख रुपये तक के ऋणों के लिये क्रेडिट के 75% तक गारन्टी कवर प्रदान करती है।

(ग) 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार योजना के अंतर्गत गारंटी कवर के लिए लघु उद्योग इकाईयों/एस एस एस बी ई से प्राप्त 14,014 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया। राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार गारंटी कवर के लिए अनुमोदित प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न अनुबंध में दिया गया है।

(घ) और (ङ) योजना के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार एवं सिडबी से 4:1 के अनुपात में अंशदान के साथ सी जी टी एस आई की कायिक निधि का सृजन किया गया है। जून, 2004 के अन्त तक, 767.44 करोड़ रुपये की कुल राशि का भारत सरकार तथा सिडबी द्वारा संयुक्त रूप से कायिक निधि के लिए योगदान किया गया।

अनुबंध

लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि योजना के अंतर्गत प्रारंभ से गारंटी कवर के लिए अनुमोदित प्रस्तावों का राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या (31 मार्च, 2004 को)
1	2	3
1.	अण्डमान निकोबार आईलैंड	8
2.	आंध्र प्रदेश	507
3.	असम	77
4.	बिहार	811
5.	चंडीगढ़	6
6.	छत्तीसगढ़	136
7.	दमन एवं दीव	4
8.	दिल्ली	48
9.	गोवा	22
10.	गुजरात	124
11.	हरियाणा	127
12.	हिमाचल प्रदेश	266
13.	जम्मू एवं कश्मीर	131
14.	झारखंड	393
15.	कर्नाटक	930
16.	केरल	1922
17.	मध्य प्रदेश	672
18.	महाराष्ट्र	335
19.	मणिपुर	12
20.	मेघालय	3
21.	नागालैंड	8
22.	उड़ीसा	439
23.	पांडिचेरी	8
24.	पंजाब	301
25.	राजस्थान	329
26.	सिक्किम	5
27.	तमिलनाडु	678
28.	त्रिपुरा	1
29.	उत्तर प्रदेश	5204
30.	उत्तरांचल	18
31.	पश्चिम बंगाल	489
	कुल	14014

[अनुवाद]

श्री कीर्ति वर्धन सिंह: अध्यक्ष महोदय, लघु उद्योग की 38 प्रतिशत इकाइयां आज बंद पड़ी हैं। लगभग 35 लाख इकाइयां बंद हैं। अध्ययनों के अनुसार इसका मुख्य कारण इकाइयों के पास धन का अभाव है। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिक वाले क्षेत्र के वित्तपोषण हेतु कुछ मार्गनिर्देश निर्धारित किये हैं। बैंकों द्वारा कुछ वित्तपोषण का 40 प्रतिशत प्राथमिक वाले क्षेत्र के लिये होना चाहिये, जिसमें से 12 प्रतिशत लघु उद्योग इकाइयों के लिये है। लेकिन बैंक इन मार्गनिर्देशों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण धनराशि के अभाव की समस्या और वित्तीय बाधायें हैं। मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार लघु उद्योगों के वित्तपोषण के किसी वैकल्पिक स्रोत पर विचार कर रही है? यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई फैसला लिया गया है?

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि मूल प्रश्न को इन्होंने देखा होगा, जिसके उत्तर में लिखा है कि हमने एक क्रैडिट गारंटी फंड स्कीम चलाई है। यदि कुछ उद्यमियों को पैसा नहीं मिल रहा है उनकी मदद के लिए, रेहन या कोलेटरल सेक्यूरटी जिसे कहते हैं, उसकी व्यवस्था इसमें की गई है। जो हमारे उद्योग कमजोर पड़ रहे हैं या नहीं चल पा रहे हैं, उनके लिए सीधे उप-गवर्नर, रिजर्व बैंक से कहा गया है और सिफारिश की गई है कि वे अपने यहां व्यवस्था करें। उन्हें ऐसे दिशा-निर्देश दिए गए हैं। जो कमजोर उद्यमी हैं, उनकी व्यवस्था के लिए हम रिजर्व बैंक के द्वारा कार्यवाही कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री कीर्ति वर्धन सिंह: महोदय, माननीय मंत्री महोदय के उत्तर के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश पहले से ही हैं। लेकिन स्पष्टत: लघु उद्योगों को बैंकों से जरूरी वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है।

मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि क्या लघु उद्योग क्षेत्र की आवश्यकता के अध्ययन के लिये कोई अध्ययन कराया गया है? गत पांच वर्षों में धन संबंधी औसत आवश्यकता क्या थी और अगले पांच वर्षों में इस क्षेत्र की अनुमानित जरूरत कितनी है ताकि सरकार इस क्षेत्र की मांगों को पूरा करने के लिये तैयारी कर सके?

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसाद: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि इस संदर्भ में योजना आयोग में 10वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकारी दल ने इसका आकलन किया है। उसके आधार पर हम वित्त मंत्रालय से संपर्क साध कर, जो भी सुविधाएं हम उन्हें देना चाहते हैं, उसकी व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री ताराचंद साहू: माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के दृष्टिकोण से, एम्पलायमेंट जनरेट करने के दृष्टिकोण से, लघु उद्योगों का कितना महत्व है, इसे शायद सरकार समझती होगी—ऐसा मैं मानता हूं। मेरा निवेदन और प्रश्न यह है कि जो बैंक सरकार की गाइडलाइन्स को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्रवाई करने जा रही है?

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को यह भी बताना चाहता हूं कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं और गवर्नमेंट ने जो टारगेट दिए हैं, बैंक उन टारगेट और स्कीम्स को फौलो नहीं करते हैं, टारगेट पूरा नहीं करते हैं। इस संबंध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है?

महोदय, जो बैंक विशेष रूप से लघु उद्योगों के टारगेट को पूरा नहीं कर रहे हैं, उनके संबंध में आप क्या कर रहे हैं और *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने अपनी बात कह दी है।

[हिन्दी]

श्री ताराचंद साहू: महोदय, मेरे प्रश्न का 'बी' भाग यह है कि बैंक बड़े उद्योगपतियों को तो फाइनेंस करते हैं मगर जो छोटे उद्योगपति हैं, जो प्रापर एप्रोच नहीं कर सकते हैं, उनके साथ बैंक डुअल पालिसी के तहत काम करते हैं ताकि उन्हें ऋण नहीं मिल सके, इस संबंध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है?

श्री महावीर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो बड़े उद्योगपति हैं, बैंक उनको अधिक पैसा या ऋण देते हैं, इसीलिए हमारी सरकार ने यह क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम चलाई है। जो छोटे उद्योग लगाना चाहते हैं, जो कमजोर हैं, जिनके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, उनकी मदद करने के लिए ही यह स्कीम बनाई गई है। इस आधार पर जो प्रस्ताव आ रहे हैं, उन पर इस योजना के अधीन विचार किया जाएगा। इस वर्ष 31 मार्च तक 14014 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। उन पर विचार कर के, इस स्कीम के द्वारा जो मदद हम छोटे उद्योगों की करना चाहते हैं, वह हम करेंगे।

श्री ताराचंद साहू: अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा है कि बैंकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करेंगे? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रवि प्रकाश वर्मा

...(व्यवधान)

श्री ताराचंद साहू: क्या आप बैंकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय: अवसर का दुरुपयोग न करें। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री रवि प्रकाश वर्मा: महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, जो स्माल स्केल सैक्टर है, वह सबसे ज्यादा एम्पलायमेंट जनरेट करने वाला सैक्टर है और जैसा अभी बताया गया है कि 37 परसेंट छोटे उद्योग कोलैप्स हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, तो क्या सरकार किसी माध्यम से स्माल स्केल इंडस्ट्री सैक्टर को प्रोटैक्शन देना चाहती है?

श्री महावीर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि स्माल स्केल इंडस्ट्री को, लघु उद्योगों को प्रश्रय देने के लिए ही यह स्कीम चलाई गई है। वर्मा जी ने जो प्रश्न पूछा है, वह वर्तमान प्रश्न से नहीं निकलता है। मैं उन्हें कहूंगा कि वे इसके लिए दूसरा नोटिस देकर अलग से पूछें, तो मैं उत्तर दे दूंगा। यह प्रश्न क्रैडिट गारंटी फंड स्कीम से संबंधित है।-जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं जब उसका नोटिस देंगे, तब मैं उसका जवाब दे सकूंगा।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: अध्यक्ष महोदय, खाली फंड की ही बात नहीं है। टैक्नोलोजी माडर्नाइजेशन की भी बात है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न निधियों से संबंधित है और आपका अनुपूरक या तो प्रश्न से या उत्तर से संबंधित होना चाहिए।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): महोदय, मैं अपने अनुपूरक प्रश्न को इसी प्रश्न के साथ जोड़ रहा हूं।

[हिन्दी]

सर, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के अंतर्गत टैक्नौलौजी ट्रांसफर की जो प्राब्लम है उसके लिए फंड्स चाहिए। क्या उसके लिए भी आप प्रोवीजन कर रहे हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जी नहीं। यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसाद: माननीय सदस्य का प्रश्न मूल प्रश्न के अंतर्गत नहीं आता है।

[अनुवाद]

श्री समिक लाहिरी: महोदय, सरकार ने लघु उद्योगों के लिए एक ऋण गारंटी निधि योजना बनाई है। उत्तर से यह प्रतीत होता है कि सभी बैंक—सरकारी क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंक, सभी इस निधि में योगदान करेंगे। क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि निजी बैंकों और विदेशी बैंकों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। क्या मैं जान सकता हूं कि उन्होंने लक्ष्य प्राप्ति के लिए इसका अनुपालन किया है अथवा नहीं? यदि उन्होंने लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है अथवा करने जा रही है?

अध्यक्ष महोदय: वह जानना चाहते हैं कि क्या बैंकों ने अपना योगदान किया है।

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसाद: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस संस्था के जो पात्र बैंक हैं, वे हमारे यहां यह काम कर रहे हैं। यदि किसी दूसरी व्यवस्था के बारे में माननीय सदस्य जानना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि वह मुझे लिखित रूप में दें, मैं इन्हें बता दूंगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप पहले ऐसा बोल चुके हैं।

[अनुवाद]

श्री समिक लाहिरी: महोदय, मेरा प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्हें उत्तर नहीं मिला है। कृपया उन्हें उत्तर भेज दें। यह प्रश्न पूछा जा चुका है।

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे आग्रह एवं निवेदन किया कि जिस प्रकार का इन्होंने ब्यौरा मांगा है, मैंने उसी संदर्भ में कहा कि मैं माननीय सदस्य के लिखित आग्रह पर पूरा ब्यौरा और विवरण भेज दूंगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वह ब्यौरा भेज देंगे। अब चौधरी लाल सिंह बोलेंगे। आप बहुत स्पष्ट वक्ता हैं, कृपया संक्षेप में और मुद्दे पर बात कीजिए।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि लघु उद्योगों के लिए कुछ इंडस्ट्रियल एस्टेट्स इन्होंने बनाए हैं, जैसे हमारे जम्मू-कश्मीर में कठुआ में है, ऐसे ही इनके कई इंडस्ट्रियल एस्टेट हैं, जो छोटे उद्यमियों के केस बना कर फाइनेंस विभाग को भेजते हैं और फाइनेंस विभाग में बैठे टैक्नोक्रेट्स उसकी लम्बी-चौड़ी फाइल बनाते हैं। हम जानना चाहेंगे कि इस प्रोसिजर को ईजी बनाने के लिए क्या सरकार वहीं इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में ही तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। इसके साथ, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो 1857 में बनी किताबें हैं, उन्हीं के आधार पर स्कीमें बनती हैं, क्या आप इसमें कोई चेंज लाएंगे?

श्री महावीर प्रसाद: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि माननीय सदस्य का प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। यदि वह दूसरा नोटिस देंगे तो मैं उस पर विचार करूंगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं सभा को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास कर रहा हूं; मैं आपकी सहायता करने का प्रयास कर रहा हूं।

बहुत सी छोटी औद्योगिक संपदाएं हैं। वह जानना चाहते हैं कि क्या आप उनके लिए अलग से प्रावधान करने का प्रयास कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि आप इस पर विचार कर रहे हैं; मुझे विश्वास है कि आप इस पर विचार कर रहे होंगे।

अब, श्री रामदास आठवले बोलेंगे, विषय से संबंधित प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री रामदास बंडु आठवले: अध्यक्ष महोदय, जब बैंक लोन देती नहीं है, इसीलिए 14,014 लघु उद्योगों के प्रस्ताव आपके पास आए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उनमें से इस साल आप कितने प्रस्तावों को मंजूरी देने वाले हैं? वर्ष 2005 में जब डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट पूरा होगा और बाहर के देशों का सामान यहां आएगा, तब अपने देश के लघु उद्योग काफी संख्या में बंद होने वाले हैं? क्या उसका कुछ सर्वे आपने कराया है? जब बाहर का पूरा सामान इधर आ जाएगा तो अपने देश के कितने लघु उद्योग बंद होने वाले हैं, उन्हें चालू रखने के लिए क्या सरकार के पास कोई प्लान है? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसाद: इस प्रश्न का मूल प्रश्न से संबंध नहीं है।

श्री रामदास बंडु आठवले: मूल प्रश्न से संबंध है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इस प्रश्न का समाधान आप दोनों आपस में मिलकर कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहता: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय लघु उद्योग मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या देश में जिला उद्योग केन्द्र एवं खादी ग्रामोद्योग आयोग यानी केवीआईसी के माध्यम से, चयनित शिक्षा बेरोजगारों या अन्य के लिए कुटीर एवं लघु उद्योगों को अनुदान सहित ऋण दिए जाने के प्रावधान हैं तथा पर, क्या लोन डिसबर्समेंट, ऋण देना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उक्त निकायों या बैंकों पर है? यदि नहीं तो क्या आप उक्त दोनों माध्यमों से चयनित परियोजनाओं पर ऋण एवं अनुदानों के डिसबर्समेंट की समयबद्ध गारंटी सुनिश्चित करना चाहेंगे ताकि देश के बेरोजगारों के लघु उद्यमी बनने के सपनों को अंजाम मिल सके और सरकार को भी ख्याति मिले। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: भविष्य में, प्रश्न काल के दौरान भाषण नहीं दिये जा सकेंगे।

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसाद: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पीएमआरवाई एवं जीआरईपी से संबंधित है, इसलिए इसका विवरण माननीय सदस्य अलग से पूछें तो आपको इसका जवाब मिलेगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो मूल सवाल है, वह स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के क्रेडिट एक्सेस के बारे में है और कामन मिनिमम प्रोग्राम में कहा गया है कि एक्सेस टू क्रेडिट, एक्सेस टू टैक्नोलोजी और एक्सेस टू मार्केट होगा। इन तीनों सवालों पर पिछले कई वर्षों में स्माल स्केल इंडस्ट्रीज बिखर सी कई हैं। इसके लिए एक प्रोमोशनल पैकेज की घोषणा राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में और आपके कामन मिनिमम प्रोग्राम में भी की गई है। हमारे एक सदस्य ने यहां सवाल पूछा कि पिछले कई वर्षों में इनकी क्रेडिट की

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

रिक्वायरमेंट क्या थी और अगले पांच वर्षों में इनकी क्रेडिट की रिक्वायरमेंट कितनी होगी—इस बारे में क्या आपने कोई जांच या आकलन किया है या नहीं? दूसरी बात यह थी कि बैंकों को आप यह कहें चाहे फारेन बैंक हों, चाहे नेशनेलाइज्ड बैंक हों, कि क्रेडिट आपको लघु उद्योगों को देना पड़ेगा और अगर उन्होंने उसकी खानापूर्ति नहीं की तो उसके लिए आपने क्या व्यवस्था की है, उसका क्या ब्यौरा आपके पास है? अभी भी मैं यही सवाल दोहरा रहा हूं कि पिछले पांच वर्षों में लघु उद्योग क्षेत्र में बैंकों को जितना क्रेडिट देना था, वह अगर पूरा नहीं किया है तो कितना पूरा किया, कितना पूरा नहीं किया—इसके लिए आप क्या कर रहे हैं?

श्री महावीर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, इस योजना में 31 मार्च, 2004 तक 207.17 करोड़ रुपये के कुल ऋणों पर गारंटी प्रदान की गई। जो अपने रेफरेंस दिया कि 14014 प्रस्ताव स्वीकृत हुए, इसी आधार पर हमने एक कमेटी से, जिसे हम राष्ट्रीय सलाहकार समिति कहते हैं, एक रिपोर्ट मांगी है कि पिछले तीन वर्ष या पांच वर्ष में उसका ब्यौरा क्या है। उस कमेटी की रिपोर्ट आ रही है। उसके बाद जो हमारा कामन मिनिमम प्रोग्राम बना है, उसके आधार पर इसकी प्रगति की छानबीन की जाएगी। वह रिपोर्ट आने के बाद मैं आपको बता दूंगा।

[अनुवाद]

प्रयोग के बाद स्वत: नष्ट होने वाले सिरिंज का प्रयोग शुरू करना

+

*223. **डा. एम. जगन्नाथ:**
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार टीकाकरण कार्यक्रम के लिए एक बार प्रयोग के बाद स्वत: नष्ट होने वाले सिरिंज (आटो डिस्पोजेबल सिरिंज) का प्रयोग शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उन्नत तकनीक के साथ टनों असीमित प्लास्टिक कचरे के आने की भी सम्भावना है;

(ग) यदि हां, तो भारी मात्रा में इस प्लास्टिक कचरे को निपटाने के लिए सरकार की क्या योजना है;

(घ) क्या सरकार ने इस भारी प्लास्टिक के कचरे से बचने के लिए कोई अन्य सुरक्षित उपाय की खोज की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि 66 प्रतिशत बच्चों में इस्तेमाल की गई सिरिंज को पर्याप्त ढंग से रोगाणु मुक्त न करने के कारण टीकाकरणोपरांत संक्रमण फैल जाता है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (छ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां। भारत सरकार ने व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सुई लगाने के लिए आटो डिस्पोजेबल (ए.डी.) सिरिंजों का प्रयोग आरम्भ करने का निर्णय लिया है।

(ख) से (ङ) व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत उपयोग के लिए प्रस्तावित ए.डी. सिरिंज इस समय इस्तेमाल की जा रही कांच की सिरिंजों और सुइयों का स्थान लेंगी। स्वत: बेकार हो जाने वाली सिरिंजों (ए.डी.) के प्लास्टिक कचरे को फेंका नहीं जाएगा बल्कि उसके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने पर्यावरण संबंधी प्रदूषण मानदण्डों के अनुसार तथा जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबन्धन संबंधी भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के मानदण्डों के अनुसार निपटान करने पर ध्यान दिया जाएगा। सुइयों और सिरिंजों के निपटान के बारे में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के मौजूदा दिशानिर्देश 1 प्रतिशत हाइपोक्लोराइट सालयूशन अथवा अन्य किसी रासायनिक रिएजेंट से रोगाणुमुक्त करके और नष्ट करके/तोड़कर निपटान करने संबंधी हैं जिससे उनके पुन: अनधिकृत उपयोग को रोका जा सके। अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के अनुसार जमीन में गहराई में गाड़ना, आटोक्लेव ट्रीटमेंट, माइक्रोवेव ट्रीटमेंट, पोस्ट ट्रीटमेंट श्रेडिंग, ग्रेविटी सेपरेशन, सिरिंजों को नष्ट करने के बाद निर्माता को प्लास्टिक बेचकर प्लास्टिक की रिसाइक्लिंग आदि इसके विभिन्न विकल्प हैं।

(च) इस प्रश्न के भाग (च) की पुष्टि करने अथवा खंडन करने के लिए कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। यद्यपि ऐसे असुरक्षित तरीकों से सभी मामलों में टीकाकरण के बाद संक्रमण न हो सकते हों, फिर भी ऐसे तरीकों के काफी असुरक्षित होने की गुंजाइश है। और इनकी सिफारिश नहीं की जाती है।

(छ) इस संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनीसेफ और यू.एन.एफ.पी.ए. ने सभी देशों से अपने टीकाकरण कार्यक्रमों में

2003 के अन्त तक प्रयोग के बाद स्वत: नष्ट हो जाने वाली सिरिंजों (ए.डी.) का उपयोग करने की सिफारिश की है। स्वत: नष्ट हो जाने वाली सिरिंजों को आरम्भ करने पर 13-14 जुलाई, 2004 को दिल्ली में हुई राज्य परामर्शदात्री समिति की बैठक के दौरान राज्यों के साथ चर्चा हुई थी जिसमें राज्यों ने सर्वसम्मति से स्वत: नष्ट हो जाने वाली सिरिंजों का समर्थन किया है। उनका कहना है कि स्वत: नष्ट हो जाने वाली सिरिंजों से निश्चय ही इंजेक्शन सुरक्षा और कार्यक्रम की प्रभावकारिता बढ़ेगी। स्वत: नष्ट हो जाने वाली सिरिंजों से न केवल इंजेक्शन सुरक्षा प्राप्त हो सकेगी बल्कि ए एन एम की कार्यकुशलता भी बढ़ेगी क्योंकि वे सिरिंजों को विसंक्रमित करने तथा प्रेसर कुकर, स्टोव आदि ले जाने के बजाए टीकाकरण में अधिक समय लगा सकेंगी।

[अनुवाद]

डा. एम. जगन्नाथ: उत्तर का अवलोकन करने से एक महत्वपूर्ण प्रश्न उजागर होता है कि क्या पूरे देश में पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ऐसी स्वत: नष्ट होने वाली सिरिंजों के निपटान में एकरूपता होनी चाहिए। उत्तर के भाग (ख) से (ङ) में बताया गया है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने पर्यावरणीय प्रदूषण मानदंडों के अनुसार इनका निपटान करके इसका समाधान किया जाएगा। मेरा निवेदन यह है कि जैव-चिकित्सकीय कचरे के निपटान हेतु यदि कोई समान राष्ट्रीय नीति नहीं है तो राज्यों के कुछ अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा खुली हवा में कचरे को जलाने की नीति से अपनाने के दबाव के आगे झुक जाने की संभावना बन जाएगी। जिससे गंभीर पर्यावरणीय प्रदूषण फैलेगा, जिसकी कुछ पर्यावरणीय विशेषज्ञों ने शंका व्यक्त की है और जिसके संबंध में कुछ समाचार-पत्रों में भी रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। अत: मेरा प्रश्न है कि क्या पूरे देश में जैव-चिकित्सकीय कचरा प्रबंधन हेतु कोई समान प्रदूषण नियंत्रण नीति तैयार की जाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, सबसे पहले यह प्रश्न पूछने के लिए मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करना चाहूंगा जिसके पश्चात् मैंने अपने मंत्रालय में अधिकारियों के साथ एक लंबी चर्चा की। अपने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम यह घोषणा करना चाहते हैं कि छ: महीने की अवधि के अन्दर सभी सार्वजनिक प्रतिरक्षण कार्यक्रमों में इन स्वत: नष्ट होने वाले सिरिंजों का प्रयोग आरंभ हो जाएगा। छ: महीने की अवधि के अन्दर केन्द्र सरकार के सभी अस्पतालों में इन सिरिंजों का प्रयोग आरंभ हो जाएगा।

इन सिरिंजों के निपटान के संबंध में इस समय माननीय सदस्य के साथ-साथ मैं भी चिन्तित हूं।

अध्यक्ष महोदय: और अन्य सदस्य भी चिन्तित हैं।

डा. अंबुमणि रामदास: हां महोदय, अन्य माननीय सदस्यों सहित। वर्तमान में सभी राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के सख्त मानदंडों का अनुपालन किया जा रहा है। वर्ष 1998 के जैव-चिकित्सकीय कचरा प्रबंधन को संचालित करने वाले नियम पर आधारित अस्पताल कचरा प्रबंधन से संबधित हमारे पास राष्ट्रीय दिशा-निर्देश हैं। केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री इस विषय पर ध्यान दे रहे हैं।

डा. एम. जगन्नाथ: मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि क्या सरकार कुछ और अनुसंधान और विकास का कार्य करा सकती है ताकि अधिक पर्यावरणीय प्रदूषण पैदा किए बिना उच्च वोल्टेज भट्टियों में प्लास्टिक सिरिंजों को आसानी से जलाया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, यह पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित विषय है और इस पर ध्यान दिया जाएगा।

श्री एस.के. खारवेनथन: मैं मंत्री महोदय को सूचित करना चाहूंगा कि सरकारी अस्पतालों में कुछ डाक्टर अपने निजी नर्सिंग होम में प्रयोग करने के लिए सिरिंज और दवाइयां ले जाते हैं और वे इस्तेमाल की हुई सिरिंजों का प्रयोग गरीब मरीजों के लिए कर रहे हैं। क्या सरकार इस संबंध में उचित कार्यवाही करेगी?

डा. अंबुमणि रामदास: आज तक डाक्टरों द्वारा अपने निजी अस्पतालों में प्रयोग किए जाने के लिए किसी सिरिंजों को ले जो के संबंध में कोई सूचना नहीं है। यदि हमें ऐसी सूचना प्रदान की जाती है तो हम निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे और स्थिति को ठीक करेंगे। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आपके पास कोई ऐसी सूचना उपलब्ध हो तो आप उसे मंत्री महोदय को भेज सकते हैं।

श्रीमती मेनका गांधी: महोदय, निपटान की जाने वाली वस्तुओं में से एक है पारा जो कि टूटे हुए थर्मामीटरों से निकलता है। केवल एक अस्पताल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से प्रतिदिन 50 से अधिक टूटे हुए थर्मामीटर कचरे में फेंके जाते हैं, जिनमें से न तो पारे को निकाला जाता है और न ही उसे विक्रेता को वापस किया जाता है। पारे का सबसे अधिक निपटान दंत चिकित्सकों द्वारा किया जाता है जिनसे प्रतिदिन पारे का टनों कचरा निकल रहा है। इस कचरा शोधन कार्यक्रम के अंतर्गत किसी वस्तु को फेंकने से पहले उसमें से पारे को निकालने के संबंध में सरकार ने कोई मानदंड या आदेश जारी किया है?

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

डा. अंबुमणि रामदास: जी हां महोदय, यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है किन्तु इस संबंध में मैं माननीय सदस्य को सूचित कर दूंगा।

डा. रामचन्द्र डोम: अध्यक्ष महोदय, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार की उन्नत प्रणाली शुरू करने से पहले किसी भी सरकार को कम से कम तीन कारकों पर विचार करना चाहिए। राज्य की अर्थव्यवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा पर्यावरण संबंधी कारक है तथा नई प्रणाली का प्रभावशाली होना तीसरा कारक है।

हमारा पिछला अनुभव यह है कि उन्नत प्रौद्योगिकी सर्वथा पूर्णत: प्रभावी होने की गारंटी नहीं दे सकती है। प्रणाली में कई दोष हैं। कोई भी प्रणाली सुस्पष्ट नहीं है और कोई इसकी गारंटी नहीं दे सकता है। महोदय, इस पृष्ठभूमि में आपके माध्यम से सरकार से मेरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि क्या सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के लिए ए.डी. सिरिंज का प्रयोग शुरू करने की प्रस्तावित योजना विद्यमान प्रणाली के मुकाबले कम लागत वाली पर्यावरण के अनुकूल और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव न डालने वाली है।

मेरे प्रश्न का भाग (ख) यह है कि क्या शीशे के सिरिंज को उबालकर या आटोक्लेव उपचार द्वारा कीटाणु रहित करने की वर्तमान प्रणाली प्रस्तावित प्रणाली से कम वैज्ञानिक कम लागत वाली और पारिस्थितिकी के अनुकूल है।

भाग (ग) *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: भाग (ग) नहीं होना चाहिए। आप को इसे अपने प्रश्न के भाग (ख) के साथ ही जोड़ देना चाहिए था।

डा. रामचन्द्र डोम: महोदय, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस प्रस्तावित योजना को शुरू करने से पहले विशेषज्ञ समिति द्वारा इसकी समीक्षा करवाएगी और प्रयोग में लाई जा रहे शीशे के सिरिंजों की तुलना प्रस्तावित नष्ट की जाने वाली सूइयों के साथ करेगी। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या इस योजना की समीक्षा करेगी या नहीं।

अध्यक्ष महोदय: आपको सभी चिकित्सक सांसदों की बैठक बुलाकर उनके साथ विचार-विमर्श करना चाहिए।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, मैं निश्चित तौर पर उन सभी की बैठक बुलाऊंगा। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 300 करोड़ टीके लगाए जाते हैं और उनमें से 210 करोड़ टीके निजी क्षेत्र में तथा 90 करोड़ टीके सरकारी क्षेत्र में लगाए जाते हैं। सरकारी क्षेत्र में लगभग 28 करोड़ टीके प्रतिरक्षण के लिए ही लगाए जाते हैं। इनमें से 62 करोड़ टीके जो बच जाते हैं, अधिकतर राज्यों में प्रयोग में लाये जाते हैं तथा बहुत कम मात्रा में केन्द्र द्वारा प्रयोग में लाये जाते हैं। इनमें से 75 करोड़ सिरिंज शीशे के होते हैं। यह भारत में प्रयोग किए जाने वाले सिरिंजों का केवल 25 प्रतिशत है। प्लास्टिक सिरिंज प्रयोग करने की एक समस्या पहले से ही है। भारत में प्रयोग किए जाने वाले कुल सिरिंजों में से 75 प्रतिशत प्लास्टिक के सिरिंज होते हैं तथा हमें इससे संबंधित समस्या पहले से ही है। स्वत: नष्ट होने वाले सिरिंजों के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और यू एन एफ पी ए ने सिफारिश की है कि इन्हें सभी प्रतिरक्षण कार्यक्रमों में प्रयोग में लाया जाना चाहिए।

बच्चे, महिला और आम जनता हमारी प्राथमिकता है। स्वत: अप्रयोज्य सिरिंज टीका लगाने की बहुत ही सुरक्षित पद्धति है जिससे असुरक्षित प्रथाओं को भी रोका जा सकता है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर संस्तुत प्रक्रिया है और इसे चरणबद्ध ढंग से शुरू किया जाएगा। इस वर्ष 14 जुलाई को सभी राज्य सरकारों को इस मामले पर बात करने के लिए कहा गया था और सभी इस पर सहमत थे।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको सम्पूर्ण जानकारी जुटाने के लिए बधाई देता हूं।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री जी ने अपने विवरण में बताया है कि राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि प्रयुक्त प्लास्टिक की सिरिंजेस और सुइयों को नष्ट कर दिया जाए, लेकिन उन्हीं संघ शासित क्षेत्रों में और राज्य सरकारों के अधीन कई ऐसे चिकित्सालय और क्लिनिक्स हैं जो आथोराइण्ड हैं, उनके पास इस प्रकार के कोई प्रबंध ही नहीं हैं। वे सुइयों और सिरिंजेज को स्वत: नष्ट करते हैं बल्कि उनको दुबारा प्रयुक्त करते हैं। क्या इस बारे में आप दोबारा निर्देश देंगे अथवा कोई ऐसी विधि अपनाएंगे जिससे प्रयुक्त सिरिंजेस और सुइयां दुबारा काम नहीं आएं, ताकि संक्रमण का खतरा न हो?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, मैं माननीय मंत्री से सहमत हूं। इसे शुरू करने में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। अभी हमारे पास इन सिरिंजों और सुइयों को नष्ट करने के मानदण्ड मौजूद हैं, जैसे एक प्रतिशत हाईपोक्लोराइट सोलूशन या किसी अन्य केमिकल रीएजेन्ट से निस्संक्रमित करना और कंक्रीट की दीवारों

पर तोड़ देना, जमीन में गहरे दबा देना, आटोक्लोव उपचार, माइक्रोवेव उपचार, उपचारोपरान्त नष्ट कर देना। गुरुत्व वियोजन, सिरिंजों को तोड़ने के बाद विनिर्माताओं को सिरिंजों के केवल प्लास्टिक वाले भाग को बेचकर प्लास्टिक को पुन: काम में लाना और इसी तरह की अन्य क्रियाएं हैं। इन व्यावहारिक समस्याओं का समाधान अलग-अलग राज्यों के पर्यावरण संबंधी प्रदूषण नियंत्रण मानदण्डों का कड़ाई से अनुपालन केन्द्र में पर्यावरण मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अधीन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: महोदय, मैं अपने पहले प्रश्न पर बोलने की अनुमति प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद देती हूं।

मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या माननीय मंत्री को आंध्र प्रदेश के उन मामलों की जानकारी है जहां बच्चों का अतिसार की बीमारी को इलाज किया गया था। उन्हें बिना कीटाणुरहित किए गए सिरिंजों से टीका लगाया गया। जिससे उन्हें एच आई वी संक्रमण हो गया। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इन बच्चों के इलाज के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी पहली बार पूछे गए प्रश्न के लिए बधाई देता हूं।

डा. अंबुमणि रामदास: प्रश्न के भाग (क) के संबंध में मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं। भारत सरकार छ: महीनों में सभी प्रतिरक्षण कार्यक्रमों के लिए स्वत: नष्ट होने वाले सिरिंज प्रदान करेगी।

मैं इस बात से सहमत हूं कि इन सिरिंजों के प्रयोग में कुछ असुरक्षित पद्धतियां अपनाई गई इसीलिए इनके स्थान पर स्वत: अप्रयोज्य सिरिंज प्रयोग में लाए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के संबंध में मैं माननीय सदस्य को सूचना दे दूंगा।

धनराशियों की संवितरण प्रणाली

***224. श्री शिवाजी अधलराव पाटील:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न कल्याण योजनाओं हेतु कुल आवंटित धनराशि की मात्र लगभग 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत राशि ही गरीबों तक पहुंच पाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण और ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा संवितरण प्रणाली पर निगरानी रखने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) सरकार को इस प्रकार के किसी भी अध्ययन की जानकारी नहीं है जिससे यह पता चले कि गरीबों के लिए लक्षित किसी केन्द्रीय अथवा केन्द्र प्रायोजित कल्याणकारी योजना हेतु कुल आबंटित धनराशियों में से मात्र 10% से 15% तक की राशियां ही गरीबों तक पहुंच पाती हैं। गरीबों को लक्षित कर जो प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई हैं उनमें सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई), स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) और अंत्योदय अन्न योजना शामिल है। तथापि, सरकार इस बात से अवगत है कि इनमें से कुछ स्कीमों के संवितरण में सुधार की गुंजाइश है। योजना आयोग दसवीं योजना की मध्यावधि समीक्षा के समय संवितरण प्रक्रिया (डिलीवरी मेकेनिज्म) की प्रभावोत्पादकता की समीक्षा करेगा।

(ग) कार्यान्वयन मंत्रालयों के पास आवधिक प्रगति रिपोर्टों, सरकारी अधिकारियों द्वारा निरीक्षण, क्षेत्र-अधिकारी स्कीम, निष्पादन समीक्षा समितियों आदि जैसी क्रियाविधि के माध्यम से एक मानीटरिंग प्रणाली है। इसके अतिरिक्त, नियमित रूप से प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन और विशिष्ट स्कीमों के मूल्यांकन भी किए जाते हैं। इसके अलावा, उपयोगिता प्रमाणपत्रों और लेखा परीक्षा रिपोर्टों के प्राप्त होने पर ही निधियां जारी की जाती हैं। कार्यक्रम मूल्यांकन और समीक्षा आधारित इन स्कीमों का समय-समय पर पुनर्गठन और पुन: अभिकल्पन किया गया है।

श्री शिवाजी अधलराव पाटील: महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि सरकार को किसी भी ऐसे अध्ययन के विषय में जानकारी नहीं है, जिससे यह पता चले कि केन्द्र से आवंटित होने वाली 10 से 15 प्रतिशत निधियां भिन्न-भिन्न कल्याण योजनाओं के अंतर्गत गरीब जनता तक पहुंच रही है या नहीं। किन्तु, मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि दसवीं पंचवर्षीय योजना के एक अध्ययन में यह प्रदर्शित किया गया है कि 10 से 15 प्रतिशत निधियां ही गरीबों तक पहुंचती हैं। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसके लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता, कार्य निष्पादन नहीं होता, कार्य का मूल्यांकन नहीं होता और इसके लिए किसी को उत्तरदायी भी नहीं ठहराया जाता। इसीलिए माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इस बारे में कोई पुनरीक्षा करेंगे, क्या वह परिणाम प्राप्त करने में चूक को दूर करने के लिए किसी की जवाबदेही निर्धारित करेंगे।

श्री एम.वी. राजशेखरन: महोदय, जहां तक कार्यक्रमों की निगरानी का प्रश्न है, उसे सक्रिय किया गया है। गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के लिए हमारे पास कड़ा निगरानी तंत्र है।

मंत्रालय के सभी कार्यक्रमों की निगरानी लगातार आवधिक प्रगति रिपोर्ट से की जा सकती है। यह रिपोर्ट राज्य सरकारों से प्राप्त होती है जिसमें गरीबी उपशमन कार्यक्रम की वित्तीय और वास्तविक प्रगति को दर्शाया जाता है। निगरानी प्रभाग ने आंकड़ा संसाधन प्रणाली को सरल बनाया और मासिक प्रगति रिपोर्ट हर महीने की दस तारीख तक जारी की जाती है। इन रिपोर्टों में तत्संबंधी विभागों, प्रभागों आदि को गरीबी उपशमन संबंधी कार्यक्रमों के कार्यनिष्पादन के बारे में जिला-वार और राज्य-वार ब्यौरा दिया जाता है। उपयोगिता प्रमाण-पत्र और लेखापरीक्षा रिपोर्ट भी समय-समय पर मंगवायी जाती है।

जहां तक विभिन्न कार्यक्रमों के लिए दिशानिर्देश जारी करने का संबंध है, राज्य मुख्यालय में इन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने के लिए तैनात अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि इस कार्यक्रमों का कार्यान्वयन सुचारू रूप से किया जाना सुनिश्चित करने के लिए जिला मुख्यालयों का दौरा करें। उक्त प्रयोजन से वे दौरा भी करते रहते हैं इसीलिये मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि राज्यों को राज्य, जिला और ब्लाक स्तर पर ऐसी सतर्कता और निगरानी समितियों का गठन करने की सलाह दी गयी है। जिसमें संसद सदस्यों, राज्य विधायकों, मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टियों के सदस्यों और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि सम्मिलित हों। अत: निगरानी तंत्र बहुत कड़ा है जो उन कार्यक्रमों का ब्यौरा देता है जिनका कार्यान्वयन होता है। इस प्रकार गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों का प्रतिशत कम किया जा रहा है। यदि माननीय सदस्य इस प्रतिशत का ब्यौरा चाहते हैं तो मैं उनको इसकी जानकारी देने के लिए तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय: यहां नहीं।

श्री शिवाजी अधलराव पाटील: महोदय, माननीय मंत्री जी इस बात से सहमत हैं कि कुछ योजनाओं के कार्यान्वयन प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है। इसलिये मैं यहां कहना चाहता हूं कि राज्य सरकारें केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में संसद सदस्यों को विश्वास में नहीं होती।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में किस प्रकार की खामियों के बारे में पता चला है और इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का विचार है और क्या वह राज्य सरकारों को यह निदेश जारी करना चाहेंगे कि वे विभिन्न कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन करते समय संसद सदस्यों को विश्वास में अवश्य लें।

श्री एम.वी. राजशेखरन: जहां तक केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रमों का संबंध है योजना आयोग समय-समय पर इन कार्यक्रमों की पुनरीक्षा करता है और आवश्यक सुधारात्मक उपाय करता है। महोदय, जहां तक संसद सदस्यों और विधायकों को सम्बद्ध करने का प्रश्न है, मैं यह कहना चाहूंगा कि सभी राज्य सरकारों और राज्य समितियों को यह सलाह दी गयी है कि वे राज्य, जिला और खंड स्तर पर निगरानी के लिए सतर्कता समितियां गठित करें जिसमें संसद सदस्यों और राज्य विधायक को भी शामिल किया जाए और ऐसा निरन्तर किया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया सहयोग कीजिए।

श्री के.एस. राव: महोदय, यह तो पता है कि आमतौर पर सब अपने काम के प्रति वचनबद्ध और समर्पित हैं। परन्तु उनके अतिरिक्त ऐसे और भी लोग हैं जिनकी निष्ठा स्वत: सिद्ध है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार गैर-सरकारी संस्थाओं जिनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है उनकी सेवाओं का लाभ उठायेगी और उन सेवा निवृत्त स्वस्थ लोगों की सेवाओं का भी लाभ उठायेगी। जो ग्रामवासियों के लिए चलने वाले इन कार्यक्रमों के लिये समर्पित भाव से काम करना चाहते हैं।

श्री एम.वी. राजशेखरन: महोदय, जैसा कि मैंने शुरू में कहा समय-समय पर योजना आयोग इनकी पुनरीक्षा करता है। इस आयोग और सरकार ने भी यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि वह गैर सरकारी संस्थानों और अन्य ग्रुपों को इस काम में सम्मिलित करे ताकि उनके दृष्टिकोण को जाना जा सके।

महोदय, जहां तक निगरानी का संबंध है, कार्यक्रमों की पुनरीक्षा चलती रहती है। जो कोई भी कमी होती है योजना आयोग उसकी ओर अवश्य ध्यान देता है।

अध्यक्ष महोदय: सभी दल में सदस्य अपनी बात संक्षेप में ही कहें।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, यहां जो प्रश्न पूछा गया है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछें।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत संक्षेप में कह रहा हूं। क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि

विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं हेतु कुल आबंटित धनराशि का मात्र लगभग दस-पन्द्रह प्रतिशत भाग ही लाभार्थी तक पहुंच पाता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न पहले ही उठाया जा चुका है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह सवाल नहीं है। ऐसी बात बीस साल पहले इस देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कही थी। यह बहुत गंभीर मामला है। इसका मतलब यह है कि प्रधान मंत्री जी यह स्वीकार करते थे कि कल्याण योजनाओं का जो पैसा है वह पात्र व्यक्तियों के पास, यानी 10-15 फीसदी पैसा ही पहुंच पाता है। उसके बारे में यहां जो जवाब दिया गया है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया मुझे भी काम करने दें।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, मेरे साथ आप बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। यहां जो जवाब दिया गया है, सरकार को इस प्रकार के किसी भी अध्ययन की जानकारी नहीं है जिससे यह पता चले कि गरीबों के कल्याण हेतु केन्द्रीय अथवा केन्द्र द्वारा प्रायोजित कल्याण योजनाओं हेतु कुल आवंटित धनराशि में से मात्र 10-15 फीसदी धनराशि ही गरीबों तक पहुंच पाती है। इसका मतलब है कि सरकार यह मानकर चलती है कि कुल धनराशि जो आवंटित होती है, उसका पूरा सदुपयोग हो रहा है, पूरा पैसा लाभार्थी तक पहुंच रहा है। यह बहुत गंभीर मामला है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप गंभीर प्रश्न पूछिए।

श्री रामजीलाल सुमन: मेरा मूल प्रश्न यह है कि इस मुल्क में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए ...*(व्यवधान)* प्रधान मंत्री जी यहां बैठे हैं। सूचना का अधिकार देने वाला विधेयक लोक सभा और राज्य सभा दोनों में पास हुआ, राष्ट्रपति जी ने उस पर हस्ताक्षर भी कर दिए लेकिन इस मुल्क में सूचना के अधिकार को अमली जामा नहीं पहनाया गया। भ्रष्टाचार को दूर करने की दिशा में वह भी एक प्रभावकारी कदम हो सकता है। प्रधानमंत्री जी यहां बैठे हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सूचना के अधिकार को अमल में लाने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाया है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सुमन जी, आप केवल अपनी पहले कही बात को दोहरा रहे हैं। आपने एक महत्वपूर्ण पूरक प्रश्न पूछा है।

श्री एम.वी. राजशेखरन: महोदय, आपके माध्यम से, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि विभिन्न 178 जिलों में पहले ही अर्थात् 1999-2000 में अध्ययन किये जा चुके हैं, और इसके बाद 2002-2003 में भी किये गए। अब यदि सदस्य चाहते हैं, तो मैं उन्हें इसके बारे में जानकारी प्रदान करने को तैयार हूं। मैं यह ब्यौरा उन्हें भेज दूंगा।

अध्यक्ष महोदय: यह ब्यौरा यहां मत दीजिए।

श्री एम.वी. राजशेखरन: इन सभी अध्ययनों से यही स्पष्ट होता है कि माननीय सदस्य ने जो कुछ भी कहा वह औचित्यपूर्ण नहीं है। माननीय सदस्य को लगता है कि 15 से 20 प्रतिशत धनराशि ही गरीबों तक पहुंचती है। किंतु हमारे रिकार्ड से इसकी पुष्टि नहीं होती है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसमें मैं आपकी सहायता करूंगा।

श्री एम.वी. राजशेखरन: जैसाकि मैंने पहले ही कहा है समय-समय पर योजना आयोग निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्त उपलब्धियों की पुनरीक्षा करता रहता है। इसलिये स्पष्ट है कि योजना आयोग इसकी पुनरीक्षा करता रहता है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस पर बार-बार बल देना उचित नहीं है क्योंकि इसमें लगातार निगरानी की आवश्यकता होती है।

श्री एम.वी. राजशेखरन: मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि योजना आयोग की पुनरीक्षा बैठकों में दी गयी जानकारी के अनुसार गरीबी धीरे-धीरे कम होती जा रही है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। आपने उत्तर दिया है। परन्तु हमें इस बात पर जोर नहीं देना चाहिये। इस पर लगातार निगरानी किये जाने की आवश्यकता है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। मैं अपनी टिप्पणियां कर चुका हूं। अब श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील अपना अनुपूरक प्रश्न पूछें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्न के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया सहयोग कीजिये। मैं सभी पक्षों को अवसर देने की कोशिश कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप सभा की कार्यवाही नहीं चला सकते हैं। नहीं, मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। कई माननीय सदस्य हैं जो अपने पूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं। मैं सभी को अवसर देने की कोशिश कर रहा हूं।

श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: महोदय, भारत सरकार अनेक कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रही है। उन्होंने विशेषत: एस.जे.एस.आर.वाई., आई.ए.वाई. और इस तरह की और परियोजनाओं के बारे में बताया है। यह पहले ही पूछा जा चुका है कि क्यों केवल धन का 10 से 15 प्रतिशत भाग ही गरीब व्यक्तियों तक पहुंच रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि गरीबी उन्मूलन दर जो वर्ष 1999 में 36 प्रतिशत थी अब लगभग 28 प्रतिशत है। वह राज्य स्तर से जिला स्तर तक कई सतर्कता और निगरानी समितियों का कार्य देख रहे हैं।

अब मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में किये गये अद्यतन सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत धन गरीब व्यक्तियों तक पहुंच रहा है।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी, क्या आपके पास आंकड़े हैं? यदि हैं, तो कृपया सभा को बताइये।

श्री एम.वी. राजशेखरन: मैं माननीय सदस्य से एक बात पूछना चाहूंगा। जहां तक गरीबी दर का संबंध है, आंकड़ों के अनुसार जो हमने वर्ष 1999-2000 की अवधि हेतु प्राप्त किये हैं, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल और पंजाब में गरीबी स्तर में कमी आई है *...(व्यवधान)*

श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: महोदय, मैं गरीबों तक पहुंचने वाले कुल धन के प्रतिशत के बारे में पूछ रहा हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि इसी प्रकार से हस्तक्षेप और टोका-टाकी होगी तो मुझे अगले प्रश्न पर जाना होगा।

...(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक: महोदय, दिया गया उत्तर उपयुक्त नहीं है। माननीय सदस्य पूर्व में मंत्री थे *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसका अर्थ है आपने मुझे नहीं सुना था। आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैंने पहले ही टिप्पणियां कर दी है जो आपने नहीं की हैं।

...(व्यवधान)

श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: महोदय, अनेक सर्वेक्षण किये गये हैं। मैं नहीं जानता कि क्या माननीय मंत्री इनके बारे में जानते हैं अथवा नहीं। वर्ष 1999 से आज तक सर्वेक्षण किये गये है। एन.डी.ए. सरकार के दौरान वर्ष 1999 में गरीबी उन्मूलन दर लगभग 36 प्रतिशत थी अब 27.8 प्रतिशत है।

अध्यक्ष महोदय: यदि आपके पास पहले से ही उत्तर है तो आप पूरक प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं?

श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: परन्तु महोदय, मैं धन के प्रतिशत के बारे में जानना चाहूंगा *...(व्यवधान)*

श्री एम.वी. राजशेखरन: माननीय सदस्य के आंकड़े वर्ष 1994-95 को इंगित करते हैं। वर्ष 1994-95 के दौरान प्रतिशत-वार गरीबी दर 36 प्रतिशत थी। वर्ष 1999-2000 के दौरान गरीबी दर 26 प्रतिशत थी। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य को कहां से इस प्रकार के आंकड़े मिलते हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री मुर्मू, अपना पूरक प्रश्न पूछें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: अध्यक्ष महोदय, जवाब सही नहीं दिया गया है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे लागू करने के कई तरीके हैं। आप अपनी कार्यवाही कर सकते हैं। उन्होंने इसका उत्तर उनके अनुसार दिया है। यदि आप इससे संतुष्ट नहीं हैं तो आपके पास अन्य विकल्प भी हैं।

...(व्यवधान)

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी (गढ़वाल): महोदय, मैं केवल यह कह रहा हूं कि *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री खंडूडी, आपकी बात को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। श्री मुर्मू द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्न के अतिरिक्त किसी सदस्य की बात को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हेमलाल मुर्मू: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या विगत वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, एस.जी.एस.वाई., टी.पी.डी.एस., अंत्योदय अन्न योजना आदि कल्याणकारी योजनाओं में व्याप्त अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के संबंध में राज्यवार शिकायतें सरकार को मिली हैं? यदि मिली हैं तो उनका क्या ब्यौरा है और उन पर सरकार ने कौन सी कार्रवाई की है?

[अनुवाद]

श्री एम.वी. राजशेखरन: महोदय, जैसा कि मैंने समय-समय पर सभा को पहले ही सूचित कर दिया है कि योजना आयोग को राज्यों और विभिन्न अन्य जिलों से प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं *...(व्यवधान)* महोदय, मुझे यह कहते हुये खेद है कि माननीय सदस्यों में मेरी बात सुनने का धैर्य होना चाहिये। माननीय सदस्य एक विशिष्ट कार्यक्रम के संबंध में पूछ रहे थे *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्यगण की उत्तर सुनने में कोई रुचि नहीं है। यदि आपकी उत्तर सुनने में कोई रुचि नहीं है तो मैं अगला प्रश्न लूंगा। कृपया शांत रहिये। मुझे सभा को संचालित करने दें। यह जरूरी नहीं है कि प्रश्न के उत्तर हमेशा ही आपके अनुसार संतोषजनक हों।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया शांत रहिये अथवा मैं अगले प्रश्न पर जाऊंगा। मुझे आदेश मत दीजिये। आपने अवश्य ही महसूस किया होगा कि आदेश से कार्य नहीं होते हैं।

...(व्यवधान)

श्री एम.वी. राजशेखरन: जैसा कि मैंने पहले ही सभा को सूचित कर दिया है कि विभिन्न निगरानी समितियां अब बना दी गई हैं। यदि कोई शिकायत है तो उन्हें देखा जायेगा। अब हम लगातार कार्य-निष्पादन की समीक्षा कर रहे हैं। यदि कोई शिकायत है तो हम उसे देख रहे हैं। इसके लिये एक तंत्र-प्रणाली स्थापित की गई है।

अध्यक्ष महोदय: यह भारत की संसद है।

श्री रूपचंद पाल: महोदय, यह देखा गया है कि इन गरीबी उन्मूलन योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में गंभीर रूप से लिंग-भेद और जाति-भेद है। महत्वपूर्ण एन.जी.ओ. द्वारा यह रिपोर्ट दी गयी है कि कुछ राज्य 'एक जैसे कार्य के लिये एक समान वेतन' के सिद्धांत का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार द्वारा इस गलतबयानी को जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सकता है ताकि जो राज्य इन भेद-भावों को कर रहे हैं उन्हें ऐसा करने से रोका जा सके?

श्री एम.वी. राजशेखरन: महोदय, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं। वास्तव में यही कारण है कि क्यों निगरानी समिति में हम एन.जी.ओ. और विभिन्न अन्य संगठनों को लाये हैं। हमने पंचायती राज संस्थाओं को भी बनाया है जो लिंग भेद और वहां प्रचलित अन्य प्रकार के भेदों को दूर करने हेतु जिम्मेदार हैं। उनमें समय-समय पर सुधार किया जाता है। यह सब कुछ किया गया है। मुझे एक अन्य सूचना भी देने दीजिये कि 30 प्रतिशत महिलाओं को एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत लक्षित किया गया है और विशेषत: उसका भी 40 प्रतिशत समाज के सबसे कमजोर वर्गों को दिया गया है। इसलिये इसमें सुधार न करने का कोई प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि क्या वे उन तक पहुंच रहे हैं। माननीय सदस्यों को यही जानने की इच्छा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप सभा को आश्वासन दें कि ऐसा हो रहा है।

श्री एम.वी. राजशेखरन: इसकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है। जहां तक इन सब बातों का संबंध है योजना आयोग उपयुक्त कार्यवाही करेगा।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से इस पर आधे घंटे की चर्चा की आवश्यकता है। कोई सदस्य सूचना दे सकता है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी बार-बार एक ही बात को दोहरा रहे हैं कि नियोजन आयोग इसकी समीक्षा करता है। उसी नियोजन आयोग की जो आब्जर्वेशन्स हैं, जो रिपोर्ट है, उसी को उद्धृत करते हुए यह प्रश्न पूछा गया है। उसी रिपोर्ट में दसवें प्लानिंग कमीशन ने यह कहा है कि-

[अनुवाद]

"विशेषकर, असंख्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की यही स्थिति प्रतीत होती है जिनमें यह अनुमान है कि 20 प्रतिशत से लेकर 70 प्रतिशत तक की हेराफेरी होती है।"

[हिन्दी]

अब यह प्लानिंग कमीशन की आब्जर्वेशन्स हैं जिन्हें माननीय मंत्री जी बार-बार कोट कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्लानिंग कमीशन की आब्जर्वेशन्स को माननीय मंत्री जी ने क्या खुद पढ़ा है या नहीं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: धैर्य से मंत्री महोदय की बात सुनें।

श्री एम.वी. राजशेखरन: आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि योजना आयोग द्वारा समय-समय पर इन रिपोर्टों की समीक्षा की जा रही है। मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि मध्यावधि समीक्षा शीघ्र ही आरंभ होने जा रही है। योजना आयोग इन सब बातों की समीक्षा करेगा और समुचित कार्यवाही की जाएगी जिससे कि सभी कार्यक्रमों का उचित रूप से कार्यान्वयन हो और उन लोगों को लाभ मिले जिनके लिए कार्यक्रम बनाए गए हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था कि क्या उन्होंने यह रिपोर्ट पढ़ी है या नहीं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने कहा कि मैं इस मुद्दे पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दूंगा। किसी के कहने के पहले ही मैंने यह सुझाव दिया था। यह एक महत्वपूर्ण मामला है। इस पर सम्पूर्ण चर्चा की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी: अध्यक्ष जी, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आप जब इस विषय पर आधे घंटे की बहस कराएं तो मुझे भी टाइम जरूर दें। माननीय मंत्री जी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे ऐसे ही सहयोग की आवश्यकता है।

श्री आर. प्रभु: अध्यक्ष महोदय, हमें गांवों से प्राप्त होने वाली यही मुख्य शिकायत है। यदि केन्द्रीय सरकार ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलना चाहती है तो वहां लागू की जाने वाली योजनाओं के लिए आबंटित हजारों करोड़ रुपये लोगों तक पहुंचने चाहिए। राजीव गांधी ने पंचायती राज और नगर पालिका प्रणाली को इसीलिए इतना महत्व दिया था। बजट में माननीय वित्त मंत्री ने उल्लेख किया है कि वे पंचायती राज संस्थाओं को निधियां सीधे आबंटित करने का प्रयास करेंगे। परन्तु मैं समझता हूं कि राज्य सरकारें इस पर आपत्ति करेंगी। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक क्या वे एक ऐसा वेबसाइट सृजित करेंगे जिसमें केन्द्र प्रायोजित योजनाओं संबंधी ब्लाक स्तर की जानकारी उपलब्ध हो जिससे कि संसद सदस्य ऐसी योजनाओं की निगरानी कर सकें।

अध्यक्ष महोदय: यह एक बहुत ही अच्छा सुझाव है।

श्री एम.वी. राजशेखरन: जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि मध्यावधि समीक्षा के दौरान इन सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा। मैं एक और जानकारी देना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय: इसकी आवश्यकता नहीं है। आप इसे कार्यान्वित कर रहे हैं या नहीं? यही इन्होंने पूछा है।

श्री एम.वी. राजशेखरन: जी हां। यह एक अच्छा सुझाव है। हम इस पर विचार करेंगे *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे ज्यादा प्रश्न पूछ रहा हूं। आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री बीर सिंह महतो: अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय सम विकास योजना में विधान सभा सदस्यों तथा संसद सदस्यों जैसे जनप्रतिनिधियों की कोई भूमिका नहीं होती है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या राष्ट्रीय सम विकास योजना के दिशानिर्देशों की समीक्षा की जाएगी जिससे कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के विचारों को महत्व दिया जा सके।

श्री एम.वी. राजशेखरन: जब मध्यावधि समीक्षा की जाएगी तो इन सब बातों पर विचार किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब श्री भर्तृहरि महताब प्रश्न पूछेंगे।

श्री भर्तृहरि महताब: अब तक एक नई बी.पी.एल. सूची तैयार कर ली जानी थी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आप चाहते हैं कि मंत्री महोदय कुछ बोलें? वे इस पर विचार नहीं करेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री भर्तृहरि महताब के अनुपूरक प्रश्न के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री भर्तृहरि महताब: प्रश्न निधियों की सुपुर्दगी से संबंधित है ...*(व्यवधान)* मुझे प्रश्न पूछने दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय: श्री रघुनाथ झा, श्री महताब के अनुपूरक प्रश्न के सिवाय कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)**

श्री भर्तृहरि महताब: प्रश्न ग्रामीण विकास संबंधी निधियों की हस्तांतरण प्रणाली से संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक योजनाएं लागू की जा रही हैं। मेरा प्रश्न निर्धनों की पहचान किए जाने से संबंधित है। इसके लिए जो मुख्य सूची तैयार की जा रही है वह है बी.पी.एल. सूची। यह सूची 1997 में तैयार की गई थी। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री को इसकी जानकारी है कि उसके बाद से दिल्ली उच्च न्यायालय में एक मामला लंबित है। इस संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं? जब तक नई बी.पी.एल. सूची तैयार नहीं होती है तब तक आप लाभार्थियों की पहचान नहीं कर पाएंगे। पिछली सूची सात या आठ वर्ष पहले तैयार की गई थी। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार शीघ्र एक नई बी.पी.एल. सूची तैयार करने हेतु उपाय कर रही है?

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, क्या आप इस बारे में कुछ कह सकते हैं?

श्री एम.वी. राजशेखरन: जैसा कि माननीय सदस्य को जानकारी है, बी.पी.एल. सूची ग्राम सभा और पंचायत स्तर पर तैयार की जाती है। माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझावों को मध्यावधि समीक्षा के दौरान ध्यान में रखा जाएगा। यह तो एक बात हुई ...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब: मेरे विचार से योजना आयोग द्वारा एक नया मानदंड निर्धारित किया गया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वे यथासंभव उत्तर दे रहे हैं। कृपया बैठ जाएं।

श्री एम.वी. राजशेखरन: उच्चतम न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी है। इसलिए इस संबंध में चिंता की कोई बात नहीं है।

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: महोदय, न्यूनतम साझा कार्यक्रम में गरीब लोगों को ऊपर उठाने की बात कही गई है और विकास के कार्यक्रम गांवों तक ले जाने की बात कही गई है। विकास के कामों पर 10-15 प्रतिशत पैसे का उपयोग हो पाता है, यानी विकास की अधिकतर राशि लूट और भ्रष्टाचार में खत्म हो जाती है। हम ज्यों-ज्यों लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने की बात कहते हैं, त्यों-त्यों गरीबों की संख्या बढ़ती जाती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार जिला, राज्य और केन्द्रीय स्तर पर कमेटीज बनाकर जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधित्व के साथ वर्तमान व्यवस्था की कोई समीक्षा करना चाहते हैं?

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आपने कहा कि आप इस पर विचार कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपके उत्तर के अनुसार आप इन सभी प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं।

श्री एम.वी. राजशेखरन: जी हां महोदय। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि मध्यावधि समीक्षा के दौरान इन सभी प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

स्वास्थ्य योजनाएं/कार्यक्रम

***225. श्री असादूद्दीन ओवेसी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चल रही केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इसके लिए प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता प्रदान की गयी है;

(ग) क्या ये योजनाएं/कार्यक्रम राज्यों में विभिन्न रोगों पर नियंत्रण पाने में मददगार रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं/कार्यक्रमों को जोर-शोर से क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) देश में चल रहे केन्द्रीय प्रायोजित स्वास्थ्य स्कीमों/कार्यक्रमों का ब्यौरा *अनुबंध-I* में दिया गया है।

(ख) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत प्रदान की गई सहायता का राज्यवार ब्यौरा *अनुबंध-II* में दिया गया है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय प्रायोजित विभिन्न स्वास्थ्य स्कीमों से विभिन्न संचारी और असंचारी रोगों के कारण होने वाली रुग्णता और मौतों में काफी कमी आई है। इसके ब्यौरे *अनुबंध-III* में दिए गए हैं।

(ङ) केन्द्रीय प्रायोजित विभिन्न स्वास्थ्य स्कीमों के कार्यान्वयन में गहन और व्यापक सुधार जारी रहने वाली एक सतत प्रक्रिया है। इस दिशा में किए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न द्विपक्षीय और बहु-पक्षीय अभिकरणों से सहायता प्राप्त करना; विभिन्न रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में मेडिकल कालेजों, जनरल अस्पतालों, गैर-सरकारी संगठनों और प्राइवेट चिकित्सकों को शामिल करना; क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम की संशोधित कार्यनीति के अंतर्गत 1998 की 20 मिलियन जनसंख्या की कवरेज का इस समय बढ़कर 886 मिलियन होगा; केन्द्र द्वारा उत्तर पूर्व और 8 राज्यों के 100 आदिवासी जिलों में मलेरिया नियंत्रण का प्रचालन व्यय वहन करना; कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम को 2003-04 से शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम बनाना; मोतियाबिन्द के आपरेशनों की संख्या जो 1997-98 में 30 लाख थी, 2003-04 में बढ़ाकर 41.82 लाख करना; व्यापक जागरूकता अभियान, अधिक खतरे के आचरण वाले लोगों के लिए लक्षित कार्यकलाप, मां-बाप से बच्चे में संचरण की रोकथाम के लिए सुविधाएं सृजित करना और उच्च व्याप्तता वाले छह राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अप्रैल, 2004 से एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में नि:शुल्क एंटी-रिट्रोवाइरल उपचार आरम्भ करना शामिल है।

अनुबंध I

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों/कार्यक्रमों का ब्यौरा

क्र.सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम
	स्वास्थ्य विभाग
1.	राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (मलेरिया, कालाजार, जापानी मस्तिष्कशोथ, फाइलेरिया, डेंगू)
2.	राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम
3.	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम
4.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम
5.	एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम
6.	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम
7.	राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम
8.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम
9.	औषध-निर्व्यसन कार्यक्रम
10.	राष्ट्रीय आयोडीन अल्पताजन्य विकार नियंत्रण कार्यक्रम
11.	राज्यों को क्षमता निर्माण के लिए सहायता (राष्ट्रीय राजमार्गों पर अस्पतालों में ट्रामा सेंटरों की स्थापना और राज्य मेडिकल कालेजों में नैदानिक सुविधाओं को सुदृढ़ करना)
12.	(1) राज्यों को औषध नियंत्रण के लिए सहायता (2) राज्यों को खाद्य अपमिश्रण निवारण के लिए सहायता
13.	अस्पताली अपशिष्ट प्रबंधन

अनुबंध II

पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत किए गए राज्यवार आबंटनों/जारी की गई धनराशि का ब्यौरा

राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2001-02 आबंटन/जारी धनराशि	2002-03 आबंटन/जारी धनराशि	2003-04 आबंटन/जारी धनराशि
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	226.84	217.85	236.75
2.	आंध्र प्रदेश	794.77	529.21	382.53
3.	अरुणाचल प्रदेश	486.93	280.72	316.17
4.	असम	1983.27	1626.56	2068.28
5.	बिहार	377.44	77.71	100.62
6.	चंडीगढ़	41.06	36.00	34.25
7.	छत्तीसगढ़	826.39	2460.92	1641.41
8.	दादरा एवं नगर हवेली	40.67	34.33	41.27
9.	दमन और दीव	16.08	11.72	15.15
10.	दिल्ली	97.57	97.39	105.24
11.	गोवा	6.08	8.85	9.60
12.	गुजरात	1330.96	754.40	410.47
13.	हरियाणा	18.43	72.30	79.00
14.	हिमाचल प्रदेश	2.20	3.06	3.47
15.	जम्मू और कश्मीर	22.96	11.94	42.31
16.	झारखण्ड	759.92	1159.64	727.57
17.	कर्नाटक	308.24	176.28	258.01
18.	केरल	64.22	12.63	20.73
19.	लक्षद्वीप	6.35	6.10	6.47
20.	मध्य प्रदेश	2238.77	2063.15	961.59
21.	महाराष्ट्र	2239.20	976.91	454.07
22.	मणिपुर	358.91	121.36	106.63

1	2	3	4	5
23.	मेघालय	384.02	167.63	263.66
24.	मिजोरम	433.94	118.51	165.32
25.	नागालैंड	346.91	212.48	292.77
26.	उड़ीसा	1478.23	1953.62	1953.85
27.	पांडिचेरी	13.43	22.61	22.12
28.	पंजाब	49.38	70.79	66.15
29.	राजस्थान	534.04	303.37	1379.07
30.	सिक्किम	0.11	4.37	3.30
31.	तमिलनाडु	303.11	242.30	207.85
32.	त्रिपुरा	542.45	302.79	390.70
33.	उत्तर प्रदेश	548.62	200.48	516.33
34.	उत्तरांचल	23.64	7.84	5.07
35.	पश्चिम बंगाल	589.86	198.67	295.05
	कुल	17495.00	14544.49	13582.83

कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2001-02	2002-03	2003-04
1.	बिहार	855.60	1514.86	2879.64
2.	झारखंड	85.16	115.38	247.77
3.	पश्चिम बंगाल	237.17	332.44	451.31
4.	उत्तर प्रदेश	22.07	37.32	121.28
	कुल	1200.00	2000.00	3700.00

राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2001-02 आबंटन/जारी धनराशि	2002-03 आबंटन/जारी धनराशि	2003-04 आबंटन/जारी धनराशि
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1200.00	2.23	1.84
2.	आंध्र प्रदेश	1.53	1050.00	600.00

1	2	3	4	5
3.	अरुणाचल प्रदेश	119.42	15.00	30.19
4.	असम	212.38	391.77	411.91
5.	बिहार	700.05	697.27	608.38
6.	चंडीगढ़	12.84	9.54	9.00
7.	छत्तीसगढ़	36.54	183.56	333.00
8.	दादरा एवं नगर हवेली	0.04	1.48	1.23
9.	दमन और दीव	0.88	1.48	1.23
10.	दिल्ली	228.75	146.24	138.08
11.	गोवा	15.55	13.78	13.00
12.	गुजरात	810.07	536.22	506.28
13.	हरियाणा	195.23	179.75	619.00
14.	हिमाचल प्रदेश	183.57	64.64	61.03
15.	जम्मू और कश्मीर	73.42	95.28	86.71
16.	झारखण्ड	55.13	233.91	431.00
17.	कर्नाटक	632.73	534.01	497.42
18.	केरल	687.23	337.00	318.17
19.	लक्षद्वीप	3.28	1.06	1.00
20.	मध्य प्रदेश	658.38	592.09	545.77
21.	महाराष्ट्र	1683.61	1025.81	968.53
22.	मणिपुर	100.47	30.77	65.88
23.	मेघालय	19.59	31.74	45.92
24.	मिजोरम	14.17	11.82	22.56
25.	नागालैंड	99.36	25.64	54.90
26.	उड़ीसा	600.00	450.00	515.00
27.	पांडिचेरी	11.67	9.96	9.23
28.	पंजाब	281.74	227.65	206.68
29.	राजस्थान	1072.53	598.74	565.31
30.	सिक्किम	31.82	6.41	13.72

1	2	3	4	5
31.	तमिलनाडु	999.81	658.09	621.34
32.	त्रिपुरा	30.52	33.57	68.49
33.	उत्तर प्रदेश	1402.20	1586.38	1449.76
34.	उत्तरांचल	15.56	67.21	136.00
35.	पश्चिम बंगाल	1109.92	849.90	802.44
	कुल	13299.99	10700.00	10760.00

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2001-02 आबंटन/जारी धनराशि	2002-03 आबंटन/जारी धनराशि	2003-04 आबंटन/जारी धनराशि
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	18.3	20.22	0.50
2.	आंध्र प्रदेश	223.83	179.22	174.80
3.	अरुणाचल प्रदेश	62.09	115.96	72.75
4.	असम	153.85	97.48	93.28
5.	बिहार	663.94	855.85	413.77
6.	चंडीगढ़	5.5	10.13	10.50
7.	छत्तीसगढ़	378.34	354.41	305.60
8.	दादरा एवं नगर हवेली	6	6.00	6.00
9.	दमन और दीव	18.4	14.50	9.50
10.	दिल्ली	48.36	93.42	100.50
11.	गोवा	11.52	8.10	7.53
12.	गुजरात	61.97	99.65	88.21
13.	हरियाणा	61.94	43.89	2.16
14.	हिमाचल प्रदेश	49.69	30.45	36.15
15.	जम्मू और कश्मीर	100.55	96.39	21.90
16.	झारखण्ड	356.23	257.46	147.60

1	2	3	4	5
17.	कर्नाटक	196.05	122.66	70.46
18.	केरल	74.61	69.36	15.00
19.	लक्षद्वीप	6	7.26	5.50
20.	मध्य प्रदेश	395.32	676.61	225.91
21.	महाराष्ट्र	435.99	263.14	83.01
22.	मणिपुर	71.02	101.25	65.50
23.	मेघालय	46.94	46.24	1.99
24.	मिजोरम	60.51	76.50	22.50
25.	नागालैंड	89.22	112.44	83.00
26.	उड़ीसा	540.77	478.63	403.22
27.	पांडिचेरी	2	6.00	0.35
28.	पंजाब	32.3	40.27	25.19
29.	राजस्थान	123.07	52.32	23.42
30.	सिक्किम	34.87	39.36	23.54
31.	तमिलनाडु	413.40	240.63	230.02
32.	त्रिपुरा	46.47	33.60	8.50
33.	उत्तर प्रदेश	1282.5	1508.04	1168.93
34.	उत्तरांचल	129.01	120.01	43.78
35.	पश्चिम बंगाल	574.66	599.55	412.47
	कुल	6774.86	6877.00	4403.04

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2001-02 आबंटन/जारी धनराशि	2002-03 आबंटन/जारी धनराशि	2003-04 आबंटन/जारी धनराशि
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	95.5	89.50	100.00
2.	आंध्र प्रदेश	1875	2090.00	-

1	2	3	4	5
3.	अरुणाचल प्रदेश	214.88	130.50	150.00
4.	असम	653.8	614.50	475.00
5.	बिहार	809.5	600.50	700.00
6.	चंडीगढ़	152.65	156.50	225.00
7.	छत्तीसगढ़	129.5	243.50	250.00
8.	दादरा एवं नगर हवेली	26	17.00	67.00
9.	दमन और दीव	31	36.00	100.00
10.	दिल्ली	334	451.00	500.00
11.	गोवा	99	170.50	200.00
12.	गुजरात	1188.3	1295.19	1477.62
13.	हरियाणा	266	315.00	300.00
14.	हिमाचल प्रदेश	308.5	256.50	270.00
15.	जम्मू और कश्मीर	244.5	295.50	150.00
16.	झारखण्ड	156	193.00	200.00
17.	कर्नाटक	893.15	1025.00	1100.00
18.	केरल	835	855.00	850.00
19.	लक्षद्वीप	29.5	25.50	50.00
20.	मध्य प्रदेश	780.5	521.50	490.00
21.	महाराष्ट्र	1598.65	2293.50	2120.00
22.	मणिपुर	708.15	787.50	1100.00
23.	मेघालय	224.93	90.50	50.00
24.	मिजोरम	246.7	311.50	450.00
25.	नागालैंड	635.5	626.50	675.00
26.	उड़ीसा	565	448.00	500.00
27.	पांडिचेरी	54	74.00	100.00
28.	पंजाब	266.5	403.50	250.00
29.	राजस्थान	409.5	368.50	250.00

1	2	3	4	5
30.	सिक्किम	120.02	64.00	75.00
31.	तमिलनाडु	2072.32	2221.95	2588.38
32.	त्रिपुरा	196.67	71.00	75.00
33.	उत्तर प्रदेश	1465.65	1674.50	700.00
34.	उत्तरांचल	98	162.00	200.00
35.	पश्चिम बंगाल	1059.5	1503.50	1200.00
	कुल	18843.37	20482.14	20163.00

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2001-02 आबंटन/जारी धनराशि	2002-03 आबंटन/जारी धनराशि	2003-04 आबंटन/जारी धनराशि
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	16.80	1.59	–
2.	आंध्र प्रदेश	1063.81	834.82	450.43
3.	अरुणाचल प्रदेश	43.81	16.22	36.04
4.	असम	62.67	35.70	100.09
5.	बिहार	72.50	157.97	258.00
6.	चंडीगढ़	20.15	10.07	19.58
7.	छत्तीसगढ़	302.74	165.23	186.59
8.	दादरा एवं नगर हवेली	16.92	4.16	7.87
9.	दमन और दीव	12.86	4.97	5.71
10.	दिल्ली	22.15	22.30	48.86
11.	गोवा	33.95	10.52	28.09
12.	गुजरात	245.85	231.45	377.45
13.	हरियाणा	104.63	45.36	147.90
14.	हिमाचल प्रदेश	64.03	54.11	98.22
15.	जम्मू और कश्मीर	110.04	66.79	94.50

1	2	3	4	5
16.	झारखण्ड	29.30	118.57	161.29
17.	कर्नाटक	454.43	368.30	651.75
18.	केरल	184.85	153.22	253.61
19.	लक्षद्वीप	5.02	1.56	6.04
20.	मध्य प्रदेश	908.02	667.29	457.16
21.	महाराष्ट्र	1251.09	627.15	523.93
22.	मणिपुर	50.73	20.13	27.84
23.	मेघालय	78.28	25.12	33.39
24.	मिजोरम	35.56	31.72	25.13
25.	नागालैंड	51.10	23.22	15.18
26.	उड़ीसा	468.35	324.80	302.14
27.	पांडिचेरी	15.50	2.04	13.10
28.	पंजाब	65.05	189.25	136.55
29.	राजस्थान	1128.85	526.93	328.01
30.	सिक्किम	6.61	20.56	23.36
31.	तमिलनाडु	1972.99	1653.03	1495.29
32.	त्रिपुरा	397.74	39.88	52.71
33.	उत्तर प्रदेश	2166.92	1063.20	1001.44
34.	उत्तरांचल	175.03	115.02	138.63
35.	पश्चिम बंगाल	180.76	305.12	385.99
	कुल	11819.09	7937.37	7899.21

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम

(लाख रुपए में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2001-02 जारी धनराशि	2002-03 जारी धनराशि	2003-04 जारी धनराशि
1	2	3	4
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00
आंध्र प्रदेश	276.00	154.00	175.00

1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश	45.00	0.00	0.00
असम	0.00	0.00	30.00
बिहार	299.00	77.50	0.00
चंडीगढ़	200.00	0.00	0.00
छत्तीसगढ़	225.00	35.00	75.00
दादरा एवं नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	1406.54	1595.95	77.50
गोवा	0.00	0.00	0.00
गुजरात	375.00	75.00	75.00
हरियाणा	175.00	2.50	75.00
हिमाचल प्रदेश	75.00	0.00	75.00
जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00
झारखण्ड	329.00	0.00	0.00
कर्नाटक	275.00	275.00	75.00
केरल	75.00	78.00	75.00
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	75.00	157.00	75.00
महाराष्ट्र	75.00	80.50	75.00
मणिपुर	0.00	0.00	0.00
मेघालय	0.00	0.00	0.00
मिजोरम	101.00	75.00	72.88
नागालैंड	0.00	0.00	0.00
उड़ीसा	78.00	77.00	0.00

1	2	3	4
पांडिचेरी	75.00	75.00	75.00
पंजाब	0.00	0.00	0.00
राजस्थान	82.50	185.00	75.00
सिक्किम	0.00	0.00	0.00
तमिलनाडु	259.55	412.00	275.00
त्रिपुरा	000	0.00	20.00
उत्तर प्रदेश	551.71	282.50	84.09
उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00
पश्चिम बंगाल	946.70	1077.00	767.00
कुल	6000.00	4713.95	2251.47

नशा मुक्ति कार्यक्रम

(लाख रुपए में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2001-02 जारी धनराशि	2002-03 जारी धनराशि	2003-04 जारी धनराशि
अरुणाचल प्रदेश	–	–	2.00
असम	4.00	8.00	4.00
बिहार	–	–	32.00
मणिपुर	4.00	12.00	6.00
मिजोरम	2.00	4.00	6.00
नागालैंड	12.00	4.00	8.00
सिक्किम	–	–	2.00
तमिलनाडु	24.00	24.00	–
त्रिपुरा	–	2.00	–
उत्तरांचल	–	8.00	–
कुल	46.00	62.00	60.00

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

(लाख रुपए में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2001-02 जारी धनराशि	2002-03 जारी धनराशि	2003-04 जारी धनराशि
आंध्र प्रदेश	33.50	–	–
अरुणाचल प्रदेश	21.00	–	5.27
असम	32.70	–	–
चंडीगढ़	20.70	–	–
दमन एवं दीव	–	1.11	–
दिल्ली	–	–	–
गोवा	–	–	2.28
गुजरात	21.00	–	–
हरियाणा	21.00	–	–
हिमाचल प्रदेश	–	–	–
केरल	41.70	–	0.15
मध्य प्रदेश	–	–	52.40
महाराष्ट्र	22.99	–	77.40
मणिपुर	20.70	–	71.09
मिजोरम	–	–	–
मेघालय	–	–	52.40
नागालैंड	–	–	52.40
उड़ीसा	–	–	26.20
पंजाब	–	–	–
राजस्थान	12.00	–	–
सिक्किम	28.50	–	11.49
त्रिपुरा	28.50	4.04	26.20
तमिलनाडु	55.00	–	52.40
उत्तर प्रदेश	–	–	–
पश्चिम बंगाल	20.70	–	52.40
कुल	379.99	5.15	482.08

राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम

(लाख रुपए में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2001-02 जारी धनराशि	2002-03 जारी धनराशि	2003-04 जारी धनराशि
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	4.70	5.90	7.50
अरुणाचल प्रदेश	4.80	6.30	6.00
असम	4.70	6.70	7.00
बिहार	3.70	5.50	7.50
छत्तीसगढ़	1.80	4.30	6.50
गोवा	3.30	3.70	7.50
गुजरात	4.40	5.30	8.25
हरियाणा	4.00	4.80	7.50
हिमाचल प्रदेश	4.10	4.80	7.50
जम्मू व कश्मीर	4.70	4.40	7.50
झारखंड	1.80	4.20	6.50
कर्नाटक	5.40	5.60	8.25
केरल	3.90	5.40	7.50
मध्य प्रदेश	4.10	5.30	7.50
महाराष्ट्र	5.80	6.00	8.25
मणिपुर	5.00	6.30	6.00
मेघालय	4.90	6.00	6.00
मिजोरम	4.80	6.00	6.00
नागालैंड	4.80	6.20	6.00
उड़ीसा	4.70	5.50	7.50
पंजाब	3.60	4.10	7.00
राजस्थान	4.60	5.10	8.00
सिक्किम	4.80	6.20	7.00
त्रिपुरा	4.80	6.30	6.00

1	2	3	4
तमिलनाडु	4.80	5.30	8.00
उत्तर प्रदेश	5.80	6.00	8.25
उत्तरांचल	1.80	4.20	6.50
पश्चिम बंगाल	4.40	4.60	7.00
दिल्ली	3.80	6.00	6.00
पांडिचेरी	2.20	4.00	4.00
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	3.40	3.50	3.50
चंडीगढ़	4.80	4.75	4.75
दमन एवं दीव	5.00	4.75	3.20
दादरा एवं नगर हवेली	3.40	3.20	4.75
लक्षद्वीप	3.40	3.80	3.80
कुल	146.00	180.00	230.00

राज्यों के क्षमता निर्माण हेतु सहायता

(लाख रुपए में)

राज्य	2001-02 जारी धनराशि	2002-03 जारी धनराशि	2003-04 जारी धनराशि
1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश	116.97	–	–
आंध्र प्रदेश	–	–	300.00
असम	150.00	150.00	–
आंध्र प्रदेश	–	–	–
बिहार	362.71	–	150.00
छत्तीसगढ़	–	109.00	–
गुजरात	150.00	150.00	146.00
गोवा	–	142.00	–
हरियाणा	–	148.76	150.00
हिमाचल प्रदेश	–	147.00	–

1	2	3	4
जम्मू एवं कश्मीर	150.00	–	–
केरल	150.00	292.00	–
कर्नाटक	–	136.50	–
मध्य प्रदेश	–	–	150.00
उड़ीसा	–	–	150.00
पांडिचेरी	–	–	–
राजस्थान	–	–	116.80
मणिपुर	–	149.92	–
मिजोरम	132.60	–	–
नागालैंड	–	144.00	–
सिक्किम	–	–	–
तमिलनाडु	105.00	150.00	443.00
त्रिपुरा	–	–	–
उत्तर प्रदेश	–	–	–
उत्तरांचल	–	300.00	150.00
पश्चिम बंगाल	–	148.85	–
कुल	1317.28	2168.03	1755.80

अस्पताल कचरा प्रबंधन

(लाख रुपए में)

राज्य	2001-02 जारी धनराशि	2002-03 जारी धनराशि	2003-04 जारी धनराशि
1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश	150.00	–	–
असम	110.00	–	–
बिहार	–	–	–
दिल्ली	–	–	–

1	2	3	4
हिमाचल प्रदेश	150.00	–	–
झारखंड	–	–	150.00
उड़ीसा	–	–	147.75
पांडिचेरी	100.00	–	–
राजस्थान	147.75	–	–
महाराष्ट्र	–	–	145.75
मेघालय	107.70	–	–
मिजोरम	55.00	–	–
नागालैंड	134.40	–	–
सिक्किम	136.00	–	–
पश्चिम बंगाल	38.48	–	–
कुल	1127.33	0.00	441.50

अनुबंध-III

मलेरिया: मलेरिया के रोगियों की संख्या वर्ष 1999 में 2.28 मिलियन थी जो वर्ष 2003 में घटकर 1.67 मिलियन रह गई है।

कालाजार: वर्ष 1992 से अर्थात् वर्ष 1990-91 में कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम के शुरू होने के बाद कालाजार के दर्ज रोगियों की संख्या में समग्र रूप से 76 प्रतिशत और इसके कारण होने वाली मौतों में 85 प्रतिशत की कमी आई है।

क्षयरोग: राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम को वर्ष 1997 में संशोधित कर राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू करने के बाद 80 प्रतिशत रोग मुक्ति दर (जिसका अभिप्राय यह है कि जांचे गए और संशोधित उपचार कार्यनीति के तहत इलाज शुरू किए गए प्रति 10 रोगियों में से 8 से अधिक रोगियों का सफलतापूर्वक उपचार किया गया है) प्राप्त हो गई है जबकि लक्ष्य पाजीटिव स्पूटम वाले नए रोगियों में 85 प्रतिशत की रोगमुक्ति दर हासिल करने का था।

कुष्ठ रोग: कुष्ठ रोग की व्याप्तता दर अप्रैल, 2000 में घटकर प्रति 10,000 की जनसंख्या पर 2.4 रह गई है जबकि वर्ष 1991 में यह दर प्रति 10,000 की जनसंख्या पर 25.9 थी। 17 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने पहले ही उन्मूलन स्तर (प्रति 10,000 जनसंख्या पर 1 रोगी) प्राप्त कर लिया है एवं 7 अन्य राज्यों में व्याप्तता दर प्रति 10,000 की जनसंख्या पर 1-2 प्रतिशत है अर्थात् वे उन्मूलन स्तर प्राप्त करने के काफी नजदीक आ गए हैं।

एड्स: एचआईवी/एड्स के बारे में जन जागरूकता पैदा करने से वयस्क लोगों में एचआईवी की व्याप्तता 1 प्रतिशत से अधिक नहीं हुई है।

दृष्टिहीनता: दृष्टिहीनता की व्याप्तता वर्ष 1986 में 1.49 प्रतिशत थी जो वर्ष 2001-02 में घटकर 1.1 प्रतिशत रह गई है। मोतियाबिंद आपरेशन में क्रमश: वृद्धि के कारण मोतियाबिंद से होने वाली दृष्टिहीनता भी 80 प्रतिशत से घटकर 62 प्रतिशत रह गई है।

कैंसर: देश भर की 34 संस्थाओं को विकिरण उपचार उपस्कर की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

आयोडीन की कमी से होने वाले विकार: देश के चुनिंदा जिलों में किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि आयोडीन की कमी मे होने वाले विकारों की व्याप्तता में काफी कमी आई है।

श्री असादुद्दीन ओवेसी: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मानसिक रोग से निपटने हेतु कोई विशेष योजना है। मानसिक रोगियों के उपचार हेतु सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं? क्या मंत्री जी को इस बात का पता है कि एम.ई.टी. इंस्टीट्यूट आफ बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेस के अनुसार भारत में 25 मिलियन से अधिक व्यक्तियों में 25 मिलियन से अधिक व्यक्तियों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता है?

मेरा दूसरा प्रश्न है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए अवसर मिलेगा। कृपया अपने स्थान पर बैठें।

डा. अंबुमणि रामदास: अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम अपने मित्र और माननीय सदस्य को पूरे स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित व्यापक और बड़ा प्रश्न पूछने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। जहां तक मानसिक स्वास्थ्य सेवा पर उनके प्रश्न विशेष का संबंध है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारे पास राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है।

अध्यक्ष महोदय: मुझे उम्मीद है कि मैं आपका मरीज नहीं बनूंगा।

डा. अंबुमणि रामदास: उस कार्यक्रम के तहत हम क्षमता बढ़ाकर राज्य सरकारों के मानसिक चिकित्सालयों की सुविधाओं का उन्नयन कर रहे हैं और इस प्रयोजन हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा निधि उपलब्ध कराई जा रही है।

श्री असादुद्दीन ओवेसी: महोदय, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत क्या ए.आर.टी. उपचार हेतु और राज्यों को शामिल किया जाएगा? क्या यह सही है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ए.आर.टी. की यह कहते हुए आलोचना की है कि इससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि चिकित्सालयों में मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं और चिकित्सालय कर्मियों को उचित प्रशिक्षण नहीं प्राप्त है? आंध्र प्रदेश एच.आई.वी./एड्स रोगियों की संख्या में दूसरे स्थान पर है। क्या माननीय मंत्री इस बीमारी से निपटने हेतु आंध्र प्रदेश को अधिक वित्तीय आवंटन करेंगे?

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, जहां तक एड्स का संबंध है, छः राज्यों में यह ज्यादा फैल रही है वे राज्य हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर और नागालैंड। आज की स्थिति के अनुसार, आठ सरकारी अस्पतालों में ए.आर.टी. उपचार की सुविधा है। छः उपरोक्त राज्यों में तथा दो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हैं।

श्री असादुद्दीन ओवेसी: महोदय, क्या आंध्र प्रदेश में एड्स रोगियों की अधिक संख्या को देखते हुए, मंत्री आंध्र प्रदेश को अधिक धनराशि देंगे?

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, सभी छः राज्यों में जहां एड्स व्यापक रूप से फैला हुआ है वहां एड्स रोगियों के इलाज की व्यवस्था है। आज की स्थिति के अनुसार आठ अस्पताल हैं और इस वर्ष के अंत तक आंध्र प्रदेश सहित 24 अस्पतालों में ए.आर.टी. उपचार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

अध्यक्ष महोदय: आपको हमारी शुभकामनाएं।

श्री जे.एम. आरून रशीद: अध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु में चार बड़े अस्पताल हैं और वे सब चेन्नई शहर में स्थित हैं। ये चार अस्पताल हैं, रोयापेट्टाह अस्पताल, स्टेनले अस्पताल, सरकारी अस्पताल और एक अन्य अस्पताल। इन अस्पतालों में आपरेशन के दौरान रोगियों के निकाले गए अंगों को कूड़ेदान में फैंक दिया जाता है इससे लोगों को परेशानी होती है और भय उत्पन्न होता है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया संक्षेप में बोलें। आपका प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंधित होना चाहिए।

श्री जे.एम. आरून रशीद: महोदय, यह मुख्य प्रश्न से ही जुड़ा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय: हां, वह कैसे?

श्री जे.एम. आरून रशीद: आपरेशन के दौरान अलग किए गए अंगों को कूड़ेदान में फेंके जाने के संबंध में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को क्या उपयुक्त निदेश देगी? चेन्नई शहर में एड्स के रोगियों की संख्या बहुत अधिक है। सरकार इन रोगियों का उपचार किस प्रकार करेगी?

अध्यक्ष महोदय: क्या मंत्री सभी अस्पतालों में किए जा रहे उपचारों का ब्यौरा दे सकते हैं?

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिंता को समझता हूं। मैंने मुख्य प्रश्न के उत्तर के साथ इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। हमने अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। राज्य सरकारों के बहुत ही सख्त और कठोर प्रदूषण नियंत्रण संबंधी मानदंड हैं और वे इस पर ध्यान दे रहे हैं। मेरे सहयोगी माननीय पर्यावरण और वन मंत्री इसकी निगरानी कर रहे हैं।

श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास कुछ अन्य राज्यों की राजधानियों में स्थापित

करने हेतु स्वीकृत किए गए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों की तर्ज पर केरल में एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है, जो हमारे राज्य की एक बहुत पुरानी मांग है।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित किए जाने संबंधी है। इस परियोजना की परिकल्पना गत वर्ष पूर्व सरकार द्वारा की गई थी और अब हम केवल व्यय वित्त समिति की प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चंद्र खंडूड़ी: अध्यक्ष महोदय, छः नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। मैं इस बारे में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप मुझसे प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, व्यय वित्त समिति के परिणाम मिल जाने के पश्चात् और मंत्रिमंडल की स्वीकृति के पश्चात् हम आगे कार्यवाही करेंगे।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि केन्द्र द्वारा प्रायोजित ऐसे कितने कार्यक्रम हैं जिनमें 100 प्रतिशत अनुदान केन्द्र द्वारा दिया जाता है तथा कितने ऐसे कार्यक्रम हैं, जिनमें राज्यांश शामिल है? क्या राज्यांश में समानता है या अलग-अलग है? अगर राज्यांश अलग-अलग है, तो इसे समान करने के लिये सरकार क्या उपाय अपनाएगी? क्या राज्यों की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुये राज्यांश समाप्त कर केन्द्र द्वारा पूर्ण अनुदान दिया जायेगा?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: हमने अपनी सरकार के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर करीब 13 कार्यक्रम लागू किए हैं। मैं माननीय सदस्य को इस संबंध में जानकारी दे दूंगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सड़क दुर्घटनाएं

***226. श्री बीर सिंह महतो:**
श्री राम कृपाल यादव:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व भर में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों में सबसे अधिक भारत में मरते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण करवाया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) क्या देश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु कोई प्रभावी नीति बनायी गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) यद्यपि, भारत में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिक है, किंतु यह विश्व में सर्वाधिक नहीं है। तथापि, जैसी कि योजना आयोग द्वारा गठित सड़क दुर्घटना, चोट निवारण और नियंत्रण संबंधी कार्य समूह की जुलाई, 2001 की रिपोर्ट में टिप्पणी की गई है, विभिन्न देशों के बीच तुलना करना मुश्किल है क्योंकि यातायात और यात्रा परिस्थितियों में सभी विभिन्नताओं के बारे में सूचना अक्सर उपलब्ध नहीं होती है।

(घ) और (ङ) जी हां। देश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राजमार्ग डिजाइन के अलावा सरकार द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं:-

(1) चालक प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना के लिए सहायता।

(2) भारी मोटर वाहन चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण की व्यवस्था।

(3) दृश्य-श्रव्य-पत्र-पत्रिका के माध्यम से सड़क सुरक्षा जागरूकता के संबंध में प्रचार अभियान।

(4) सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के संचालन के लिए स्वैच्छिक संगठन को अनुदान सहायता।

(5) चालकों के प्रशिक्षण में सिमुलेटरों के उपयोग को प्रोत्साहन।

(6) सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए स्वैच्छिक संगठनों/व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना।

(7) स्कूली बच्चों में जागरूकता के लिए सड़क सुरक्षा विषय पर अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन।

(8) परिवहन वाहनों के लिए उपयुक्तता मानकों को कठोर बनाना।

(9) सड़कों को चौड़ा करना/सुधारना आदि।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नए राजमार्गों का निर्माण

***227. डा. सत्यनारायण जटिया:**
श्री धावरचंद गेहलोत:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार को विभिन्न राज्यों से नए राजमार्गों के निर्माण के लिए प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए जा चुके हैं और गत तीन वर्षों के दौरान सी आर एफ के अंतर्गत जारी की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) शेष प्रस्तावों को स्वीकृत न किए जाने के क्या कारण हैं और इन्हें कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) यह मंत्रालय अनिवार्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। पिछली बार राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा 25.2.2004 को की गई थी। दिनांक 25.2.2004 के बाद राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और घोषणा के लिए प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न *विवरण* में दिए गए हैं।

(ख) गत तीन वर्षों में राज्यीय सड़कों के लिए प्राप्त प्रस्ताव, स्वीकृत प्रस्ताव और आबंटित धनराशि के ब्यौरे इस प्रकार हैं-

क्र. सं.	वर्ष	प्राप्त प्रस्ताव		स्वीकृत प्रस्ताव		जारी धनराशि (करोड़ रु.)
		संख्या	धनराशि (करोड़ रु.)	संख्या	धनराशि (करोड़ रु.)	
1.	2001-2002	1218	2665.02	950	1407.66	300.00
2.	2002-2003	806	1975.50	487	679.58	950.28
3.	2003-2004	990	2994.48	761	1426.80	778.94

(ग) शेष प्रस्ताव, पहले से अनुमोदित कार्यों के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा धनराशि के कम उपयोग, निर्माण कार्यों की निरन्तर पारस्परिक प्राथमिकता तथा निर्धारित दिशा-निर्देशों को पूरा न किए जाने जैसे विभिन्न कारणों से अनुमोदित नहीं किए जा सके। इसके अतिरिक्त, अनुमोदन राज्य सरकारों द्वारा धनराशि के उपयोग, निर्माण कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता तथा निर्धारित दिशा-निर्देशों को पूरा करने पर निर्भर करेगा। इसलिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

विवरण

(क) 25.2.2004 के बाद राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य का नाम	सड़क/खंडों के ब्यौरे
1.	सिक्किम	नाथूला से सिलीगुढ़ी तक वैकल्पिक राष्ट्रीय राजमार्ग

(ख) 25.2.2004 के बाद राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य का नाम	सड़क/खंडों के ब्यौरे	लंबाई कि.मी.
1	2	3	4
1.	कर्नाटक	1. मैसूर-मलवेली सड़क	45
		2. बिलीकेरे-हासन-हासपेट-मानवी-रैचूर सड़क	612

1	2	3	4
		3. मैसूर-श्रीरंगपटना-हीरीयूर-गुलबर्ग-बिडार सड़क	743
		4. बंगलौर-मैसूर-मादीकैरे-पुत्तूर सड़क	361
		5. बेलगांव-यारागली-मुदगल-रैचूर-महबूबनगर सड़क	338
		6. धारवाड़-रामनगर सड़क	52
		7. बंटवाल-मुदीगैरे-बैलूर-सीरा-चिंतामणि-श्रीनिवासपुर-मुलावगल-राज्य सीमा	487
		8. जीवरगी-हट्टीगुड्डूर-लिंगासुगुर-सिंधनूर-बेलारी	248
		9. दोदाबल्लापुर-नंदी-विजयपुरा-विमागल-कोलार	82
		उप जोड़	2968
2.	मेघालय	1. नांगस्टोइन-तुरा सड़क	218
		अगिया-मेधीपाड़ा-फुलवाड़ी-अम्पदी-महेन्द्रगंज-पुरखसिया-बेरंगपाड़ा सड़क	224
		उप जोड़	442
3.	उड़ीसा	1. बरहामपुर-रायगढ़-कोरापूत सड़क	313
		उप जोड़	313
4.	राजस्थान	1. मथुरा-भरतपुर सड़क	40
		2. नसीराबाद-देवली सड़क	95
		3. कोटपूतली-सीकर सड़क	125
		4. खैरवारा-डूंगरपुर-बांसवारा-रतलाम सड़क	210
		5. स्वरूपगंज-कोटरा-सोम-खरवडा सड़क	147
		6. फालूदी-नागौर सड़क	140
		7. श्रीडूंगरगढ़-सरदारशहर-पुल्सर-बलारसरा-जसरसार	115
		उप जोड़	872
5.	तमिलनाडु	1. सती (सत्यमंगलम)-अतानी-भवानी सड़क (राज्यीय राजमार्ग संख्या 82)	50.80
		2. अविनाशी-त्रिपुर-पलडम-पोलची-मीनकरई सड़क (राज्यीय राजमार्ग संख्या 19)	99.60
		उप जोड़	152.40
6.	पश्चिम बंगाल	1. पश्चिम बंगाल में गलगलिया और बिहार सीमा से पूर्णिया वाया अररिया और बिहार में गुलाबबाग	102
		उप जोड़	102
		कुल जोड़	4849.40

[अनुवाद]

एड्स के उपचार हेतु सहायता

***228. श्री भर्तृहरि महताब:**
श्रीमती किरण माहेश्वरी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में एच.आई.वी. के रोगियों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधाएं और औषधियां प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी वित्तीय सहायता स्वीकृत/जारी की गयी है;

(ग) क्या जापान और अमरीका ने 'एड्स' के उपचार हेतु सहायता देने की पेशकश की है;

(घ) यदि हां, तो यह सहायता कब तक प्राप्त होने की संभावना है;

(ङ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने विश्व बैंक द्वारा एड्स नियंत्रण कार्यक्रम हेतु मुहैय्या करायी गयी वित्तीय सहायता का दुरुपयोग किया है;

(च) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच करवायी गयी है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (छ) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखितों के लिए नि:शुल्क चिकित्सीय सुविधाएं और दवाइयां प्रदान की जा रही हैं:-

1. वर्ष 1992 से यौन संचारित रोग
2. वर्ष 1999 से स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायकों के लिए पोस्ट एक्सपोजर्स रोग निरोधन
3. वर्ष 2002 से अधिकतर उच्च व्याप्तता-दर वाले राज्यों में माता से बच्चे में एच.आई.वी. संक्रमण के निवारण।
4. अप्रैल, 2004 से उच्च व्यापकता दर वाले छह राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में एच.आई.वी. से ग्रस्त लोगों के लिए एंटी-रिट्रोवायरल उपचार।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम और राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों में परामर्शी प्रक्रिया और सहमति कार्य योजना के बाद राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए धन प्रदान किया जाता है। उपर्युक्त कार्यकलाप इसका एक भाग हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों को जारी (रिलीज) किए गए धन को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

जापान से सहायता की कोई पेशकश (आफर) प्राप्त नहीं हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत में दो परियोजनाओं के लिए सहायता-प्रदान कर रहा है। इसमें से एक तमिलनाडु और पांडिचेरी में यू.एस.एड सहायता प्राप्त एड्स निवारण और नियंत्रण परियोजना है और दूसरी महाराष्ट्र में एवर्ट (ए.वी.ई.आर.टी.) परियोजना है। इन परियोजनाओं को क्रमश: वर्ष 1995 और 2001 से इन राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

सभी राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों को प्रदान किए गए धन के सभी व्ययों को चार्टेड एकाउन्टेंट से लेखा-परीक्षा करवानी अनिवार्य होती है और इसके बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से भी लेखा-परीक्षा करवाई जानी होती है। सभी राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों की लेखा-परीक्षा मार्च, 2003 तक पूरी की जा चुकी है। संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा वर्ष 2003-04 की लेखा परीक्षा की जा रही है। विश्व बैंक सहायता-प्राप्त राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना, चरण-2 के अंतर्गत प्रदान किए जा रहे धन के दुरुपयोग के बारे में भारत सरकार को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना चरण-II के अंतर्गत राज्यों/संघ क्षेत्रों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2001-02 के दौरान जारी धनराशि	वर्ष 2002-03 के दौरान जारी धनराशि	वर्ष 2003-04 के दौरान जारी धनराशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	850.00	1290.00	1075.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	214.88	130.50	150.00

1	2	3	4	5
3.	असम	653.80	614.50	475.00
4.	बिहार	809.50	600.50	700.00
5.	गोवा	99.00	170.50	200.00
6.	गुजरात	450.00	136.00	550.00
7.	हरियाणा	266.00	315.00	300.00
8.	हिमाचल प्रदेश	308.50	236.50	250.00
9.	जम्मू व कश्मीर	244.50	295.50	150.00
10.	कर्नाटक	785.15	975.00	950.00
11.	केरल	368.00	470.00	450.00
12.	मध्य प्रदेश	780.50	521.50	490.00
13.	महाराष्ट्र	550.00	1025.50	1000.00
14.	मणिपुर	708.15	787.50	1100.00
15.	मेघालय	224.93	90.50	50.00
16.	मिजोरम	246.70	311.50	450.00
17.	नागालैंड	635.50	626.50	675.00
18.	उड़ीसा	200.00	148.00	300.00
19.	पंजाब	266.50	403.50	250.00
20.	राजस्थान	317.50	358.50	250.00
21.	सिक्किम	120.02	64.00	75.00
22.	तमिलनाडु	1393.50	1295.50	1150.00
23.	त्रिपुरा	196.67	71.00	75.00
24.	उत्तर प्रदेश	1465.65	1674.50	700.00
25.	पश्चिम बंगाल	1059.50	1503.00	1200.00
26.	एनसीटी दिल्ली	334.00	431.00	500.00
27.	पांडिचेरी	54.00	74.00	100.00
28.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	95.50	89.50	100.00
29.	चंडीगढ़	152.65	156.50	225.00

1	2	3	4	5
30.	दादरा एवं नगर हवेली	26.00	17.00	67.00
31.	दमन व दीव	31.00	36.00	100.00
32.	लक्षद्वीप	29.50	25.50	50.00
33.	एमडीएसीएस, मुंबई	585.65	603.00	520.00
34.	अहमदाबाद एमसी	58.30	129.55	150.00
35.	चेन्नई एमसी	62.45	186.45	300.00
36.	उत्तरांचल	98.00	162.00	200.00
37.	छत्तीसगढ़	129.50	243.50	250.00
38.	झारखंड	156.00	193.00	200.00

राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेस मार्गों पर अपराध और दुर्घटनाएं

***229. श्री निखिल कुमार:**
श्री अधीर चौधरी:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पिछले कुछ महीनों में राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस मार्गों पर अपराध और दुर्घटनाएं बढ़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस मार्गों पर मूलभूत सुविधाओं के अभाव में अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस मार्गों पर सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों पर अपराधों की सूचना, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा केंद्र सरकार को नहीं दी जाती है। तथापि, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा संकलित दुर्घटना आंकड़े प्रतिवर्ष भारत सरकार को भेजे जाते हैं जो वृद्धि का रुख दर्शाते हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस मार्गों पर अपराधों के अनेक कारण हो सकते हैं और इन्हें सीधे मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा नहीं जा सकता। तथापि, सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस मार्गों पर सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:-

1. राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम और राजमार्ग गश्त के अंतर्गत राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों को एंबुलेंस, क्रेन आदि प्रदान करना,
2. विद्यमान मार्गों को चौड़ा करना,
3. विद्यमान मार्गों का सुदृढ़ीकरण,
4. सड़क ज्यामिति का सुधार,
5. पश्च परावर्तक संकेत व्यवस्था, थर्मो प्लास्टिक सड़क चिह्नांकन का विस्तार,
6. भारी मोटर वाहन चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण हेतु धनराशि प्रदान करना, और
7. परिवहन वाहनों के लिए उपयुक्तता मानकों को कठोर बनाना।

पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाना

***230. श्री एन.एन. कृष्णदास:**
श्री इलियास आजमी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपना पासपोर्ट शीघ्र प्राप्त करने में आवेदकों के समक्ष आ रही कठिनाइयों से केन्द्र सरकार अवगत है;

(ख) यदि हां, तो क्या पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पासपोर्ट जारी करने की प्रणाली को सरल और कारगर बनाना एक सतत प्रक्रिया है। पासपोर्ट जारी करने की प्रणाली की समीक्षा हेतु मार्च, 2001 में सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने सितम्बर, 2001 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और जिला पासपोर्ट कोष्ठकों की स्थापना के माध्यम से जिला स्तर पर पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया/तंत्र के विकेन्द्रीकरण और प्रक्रियाओं के सरलीकरण हेतु अनेक सिफारिशें कीं। समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशें कार्यान्वित की जा चुकी हैं।

[हिन्दी]

सरकारी अस्पतालों में एंटिबायोटिक औषधियों की कमी

***231. श्री बच्ची सिंह रावत 'बच्चदा':**
श्री उदय सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में सरकारी अस्पतालों विशेषकर सफदरजंग अस्पताल में एंटिबायोटिक औषधियों की भारी कमी है जैसा कि दिनांक 17 जून, 2004 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के मामले में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या रोगियों को आम दवाइयां भी बाजार से खरीदने के लिए कहा जाता है क्योंकि वे दवाइयां भी उनके पास उपलब्ध नहीं होती हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अस्पतालों में एंटिबायोटिक जैसी अत्यावश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ङ) यह कहना सही नहीं है कि सफदरजंग अस्पताल में अनिवार्य एंटिबायोटिकों की कमी है तथा अस्पताल में रोगियों के उपचार के लिए केवल आगमेन्टिन ही एकमात्र एंटिबायोटिक उपलब्ध है। अस्पताल में मैग्नामाइसिन, आगनेटेक्स, फोर्टम, स्ट्रेप्टोकिनासेज तथा नवीनतम चौथी पीढ़ी के सिफालोस्पोरिन्स एंटिबायोटिकों सहित विभिन्न एंटिबायोटिक और अनिवार्य औषधें उपलब्ध हैं। सफदरजंग अस्पताल, जो विभिन्न विशिष्टता और अति विशिष्टता वाले क्षेत्रों में व्यापक उपचार सुविधाएं प्रदान कर रहा है, में फार्मूलरी तथा वर्तमान नीति के अनुसार रोगियों को अनेक औषधों और एंटिबायोटिकों की आपूर्ति नि:शुल्क की जाती है।

बहिरंग रोगी विभाग के लिए अस्पताल फार्मूलरी में 17 एंटिबायोटिकों सहित करीब 110 औषधें शामिल हैं तथा अंतरंग रोगियों के लिए फार्मूलरी में 796 औषधें शामिल हैं जिनमें से 114 एंटिबायोटिक हैं। एंटिबायोटिकों के प्रभावी बने रहने की अवधि तथा मासिक उपभोग पैटर्न के आधार पर 2-3 महीनों तक की अवधि के लिए अस्पताल की आवश्यकता को पूरा करने हेतु लगभग 50 अनिवार्य तथा बहुधा प्रयोग किए जाने वाले एंटिबायोटिकों को पर्याप्त मात्रा में भंडारित किया जाता है। एंटिबायोटिकों सहित अनिवार्य तथा जीवन रक्षक औषधों की अनुपलब्धता की स्थिति में, इनका प्रापण किया जाता है तथा निर्धन रोगियों को इनकी आपूर्ति नि:शुल्क की जाती है।

डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं इसके संबद्ध अस्पतालों, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, जिपमेर, पाण्डिचेरी, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ जैसे केन्द्र सरकार के सभी अन्य अस्पतालों में भी एंटिबायोटिकों तथा अन्य अनिवार्य औषधों की कमी होने की कोई सूचना नहीं मिली है।

यूरोपीय संघ के सदस्यों का भारत दौरा

***232. श्री शिवराज सिंह चौहान:**
श्री सुकदेव पासवान:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीय संघ के कुछ सदस्यों ने हाल ही में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है और इस बातचीत के विशेषकर कश्मीर मामले में क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या यूरोपीय संघ ने भारत के साथ सामरिक भागीदारी के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) उपर्युक्त दौरे से यूरोपीय संघ के साथ आर्थिक सहयोग में कितनी मजबूती आई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) और (ख) भारत और यूरोपीय संघ के बीच सिविल समाज वार्ता हेतु भारत-यूरोपीय संघ गोल-मेज एक मंच है, जिसकी 7वीं बैठक 17-20 जून, 2004 के बीच श्रीनगर में हुई। चर्चाओं का केन्द्र पर्यटन में संवर्द्धन हेतु सहयोग में वृद्धि और व्यापार व अविच्छिन्न विकास का प्रवर्तन रहा। यूरोपीय संघ को जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में अपनी मूल हित-चिंताओं के प्रति विस्तार कराया गया।

(ग) और (घ) यूरोपीय आयोग के भारत-यूरोपीय संघ संबंधों पर हाल ही के सामरिक नीति के पेपर में व्यापार और आर्थिक संबंधों सहित पारस्परिक हित के अनेक क्षेत्रों में भारत-यूरोपीय संघ संबंधों को समेकित रूप से समृद्ध करने की अपेक्षा की गई है।

(ङ) गोल मेज बैठक में की गई सिफारिशों पर दोनों पक्षों द्वारा सावधानीपूर्वक विचार किया जाएगा ताकि यूरोपीय संघ के साथ आर्थिक सहयोग में संवर्धन हो।

[अनुवाद]

वर्ष 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति

***233. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2020 तक विश्व की चार प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इतने आर्थिक विकास के बावजूद भी उस समय 13 प्रतिशत भारतीय जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रह रही होगी;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(ङ) देश में गरीबी बने रहने के क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा वर्ष 2002 में प्रकाशित ''इंडिया विजन-2020'' संबंधी समिति की रिपोर्ट में परिकल्पना की गई है कि यदि अगले बीस वर्षों तक भारत प्रति वर्ष 8.5 से 9 प्रतिशत की दर से विकास करता है तो यह 2020 में 207 देशों में से चौथा उच्चतम सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) वाला देश बन जाएगा।

(ग) और (घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार, यदि योजना लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जाता है तो वर्ष 2011-12 तक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों का अनुपात घटकर 11 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। तथापि, योजना के प्रथम दो वर्षों के निष्पादन को ध्यान में रखते हुए दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में दसवीं योजना लक्ष्यों की समीक्षा की जानी है।

(ङ) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा कराए गए पारिवारिक उपभोक्ता व्यय संबंधी पिछले वृहत् प्रतिदर्श सर्वेक्षण दौरों (55वां दौर) के आधार पर देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत 1999-2000 में 26.1 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। देश में गरीबी की अवस्थिति बढ़ती रहती है क्योंकि देश के कुछ क्षेत्र और लोगों के कुछ समूह विकास प्रक्रिया का पूरा लाभ उठाने में समर्थ नहीं हैं।

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम में संशोधन

***234. श्री पी. राजेन्द्रन:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उस रिपोर्ट की जानकारी है जिसमें यह बताया गया है कि देश में उत्पादित प्रत्येक चार चिकित्सीय औषधियों में से एक औषधि मिलावटी या नकली या घटिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के सर्वेक्षण सहित उन विभिन्न अध्ययनों पर ध्यान दिया है जिनमें यह बताया गया है कि भारत में 4000 करोड़ रुपए की नकली दवाइयों का व्यापार होता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उपर्युक्त के मद्देनजर औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) 'नकली औषध' शब्द को औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 1982 द्वारा यथासंशोधित औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 17-ख के

अंतर्गत परिभाषित किया गया है। संक्षेप में, किसी औषध को नकली समझा जाएगा यदि इसका विनिर्माण एक ऐसे नाम के अंतर्गत किया गया हो, जो दूसरी औषध से संबंधित हो, यदि यह दूसरी औषध की नकल हो अथवा यदि इसे पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से दूसरी औषध द्वारा प्रतिस्थापित किया गया हो अथवा यदि यह दूसरे विनिर्माता का उत्पाद होने का गलत दावा करती हो।

औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अधीन 'घटिया' अथवा 'जाली' औषधों की परिभाषा नहीं है। किसी औषध को प्रचार माध्यम द्वारा आमतौर से तब 'जाली' अथवा 'नकली' कहा जाता है जब इसकी भौतिक रूप से एक प्रमुख ब्रांड से नकल की गई हो।

ऐसी मीडिया रिपोर्टें आती रही हैं जिनमें देश में नकली औषधों के परिचालन की तथाकथित मात्रा के बारे में भिन्न-भिन्न आंकड़े उद्धृत किए जाते रहे हैं, जिसमें एक तथाकथित विश्व स्वास्थ्य संगठन अध्ययन का इस आशय का एक संदर्भ भी शामिल है कि विश्व की कुल नकली औषधों में से 35 प्रतिशत औषधों का उत्पादन भारत में किया जाता है। तथापि, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में नकली औषधों पर कोई ऐसा सर्वेक्षण करने, जैसा कि मीडिया द्वारा आरोप लगाया गया है, और कोई ऐसी रिपोर्ट जारी करने से इन्कार किया है, कि विश्व की 35 प्रतिशत नकली औषधों का उत्पादन भारत में किया जाता है। तथापि, सरकार ने ऐसी रिपोर्टों को गंभीरता से लिया था और देश में नकली औषधों सहित औषध विनियामक मुद्दों की व्यापक जांच करने के लिए जनवरी, 2003 में डा. आर.ए. माशेलकर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी।

समिति ने नवम्बर, 2003 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में मीडिया रिपोर्टों में उद्धृत किए गए आंकड़ों और तथाकथित विश्व स्वास्थ्य संगठन आंकड़ों की जांच की। माशेलकर समिति ने नोट किया है कि देश में वार्षिक आधार पर जांचे गए औषध नमूनों से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार नकली औषधों की मात्रा 0.24 से 0.47 प्रतिशत तक और अपमिश्रित/गलत ब्रांड की औषधों की मात्रा 8.19 प्रतिशत से 10.64 प्रतिशत तक भिन्न-भिन्न थी। समिति ने पाया कि मीडिया ने देश में नकली औषधों के तथाकथित परिचालन के बारे में अप्रमाणित आंकड़े देकर एक भयप्रद तस्वीर प्रस्तुत करना जारी रखा है।

डा. आर.ए. माशेलकर समिति की सिफारिशों के आधार पर, औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के दाण्डिक उपबंधों में संशोधन करने और नकली अथवा मिलावटी औषधों का विनिर्माण करने वाले और/अथवा उन्हें बेचने वाले अपराधियों के लिए अधिक कड़े दण्डों, जिसमें मृत्युदण्ड की अधिकतम सजा शामिल है, की व्यवस्था करने के लिए दिसम्बर, 2003 में संसद में एक विधान लाया गया था।

इस विधेयक के तहत प्रस्तावित प्रमुख संशोधन इस प्रकार हैं:

1. नकली अथवा अपमिश्रित औषधों जिनसे भारतीय दंड संहिता की धारा 320 के अर्थ दायरे में मौत हो जाती है अथवा गंभीर क्षति हो जाती है से संबंधित दण्डों को मृत्युदण्ड अथवा एक अवधि के कारावास, जो 10 वर्षों से कम नहीं होगा लेकिन जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और एक लाख रुपए अथवा जब्त किए गए सामान के मूल्य के तीन गुना तक के जुर्माने, जो भी अधिक हो, तक बढ़ाना।

2. उत्तरवर्ती अपराधों के लिए दण्ड को 10 वर्षों तक बढ़ाना और जुर्माना लगाना, जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगा।

3. नकली अथवा अपमिश्रित औषधों से संबंधित अपराधों को गैर-जमानती और संज्ञेय बनाया जाना।

4. नकली और अपमिश्रित औषधों के विनिर्माण अथवा बिक्री से जुड़े अपराधों की न्यायिक जांच करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करना।

5. उक्त अधिनियम के तहत अभियोजन प्रारंभ करने के लिए सब-इंस्पेक्टर और उससे ऊपर के पुलिस अधिकारियों अथवा अन्य पदनामित अधिकारियों को शक्तियां देना।

6. इस अधिनियम के तहत छोटे अपराधों को कम्पाउन्ड करने की व्यवस्था करना।

प्रस्तावित संशोधनों से यह कानून नकली अथवा अपमिश्रित औषधों के विनिर्माण अथवा बिक्री में संलग्न अपराधकर्मियों को रोकने में सक्षम होगा। पुलिस जैसी प्रवर्तक (एनफोर्सिंग) एजेन्सी की सहभागिता से दोषियों को दर्ज (बुक) करने हेतु तेजी से जांच करने और ऐसे कार्यालयों में संलग्न असामाजिक तत्वों को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी।

चूंकि पूर्व लोक सभा के भंग हो जाने के साथ ही यह विधेयक अब रद्द (लैप्स) हो गया है, इसलिए औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अधीन नकली और/अथवा अपमिश्रित औषधों के विनिर्माण और/अथवा बिक्री के लिए दण्ड को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक विधेयक पुर:स्थापित करने के लिए अपेक्षित कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की रिपोर्ट

*235. श्री बी. विनोद कुमार:
श्री रामदास बंडु आठवले:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की नवीनतम रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि देश के बड़े राज्यों में जनसंख्या से संबंधित भारी सामाजिक विसंगतियां व्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार ''प्राइम टाइम'' के दौरान इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से परिवार कल्याण और जनसंख्या नियंत्रण के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से संदेश प्रसारित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) जुलाई, 2001 में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा ''जिला-वार संकेतक'' शीर्षक से प्रकाशित प्रकाशन भारत में राज्यों के बीच सामाजिक-जनसांख्यिकीय विषमताएं दर्शाता है। ऐसी विषमताएं विभिन्न कारणों से हैं जिनमें जनसांख्यिकीय, सामाजिक और आर्थिक कारक शामिल हैं। सरकार, पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रमों और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से संसाधनों के आबंटन के जरिए अन्तरराज्यीय विभिन्नताओं को कम करने का प्रयास कर रही है। जनसांख्यिकीय रूप से कमजोर राज्यों—उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तरांचल, झारखंड और छत्तीसगढ़ पर संकेन्द्रित ध्यान देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में एक अधिकार प्राप्त कार्य दल का गठन किया गया है। हाल ही में 5 राज्यों—उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और झारखंड के 150 उच्च जननक्षमता वाले जिलों को केन्द्रित कार्यक्रम के लिए यू पी ए सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम (सी एम पी) के अंतर्गत चुना गया है ताकि इन जिलों में परिवार नियोजन कार्यक्रम में दक्षिणी राज्यों की सफलता को दोहराने का प्रयास किया जा सके।

(घ) जी, हां। परिवार कल्याण और जनसंख्या नियंत्रण संदेशों का रेडियों/टेलिविजन पर नियमित प्रसारण किया जाता है। सरकार का प्रत्येक विशिष्ट कार्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से परिवार कल्याण और जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम के लिए संदेशों का प्रसारण और टेलीकास्ट करने का प्रस्ताव है। उदाहरणार्थ, सरकार ने पोलियो पल्स कार्यक्रम के संदेशों के प्रसारण के लिए प्राइम टाइम का उपयोग किया है। सरकार का विभिन्न कार्यक्रमों के परिणामों में सुधार हेतु परम्परागत किस्म का सामान्य प्रचार-प्रसार करने की बजाए मीडिया का उपयोग बढ़ाने का प्रस्ताव है। सूचना, शिक्षा, संचार का उद्देश्य वंचित जनसंख्या समूहों को सरकार की स्कीमों के बारे में जागरूक बनाकर उनको अधिकार सम्पन्न बनाना और क्षेत्र में उपलब्ध सार्वजनिक और निजी सुविधाओं को सूचीबद्ध करना और इनको सेवा प्रदानगी करने के लिए जिम्मेवार बनाना है। परिवार कल्याण सेवाओं की उपलब्धता पर ध्यान संकेन्द्रित करने के लिए इलेक्ट्रानिक मीडिया के साथ-साथ अन्य मीडिया को भी उपयोग में लाया जायेगा।

(ङ) इस वर्ष के दौरान, सी एम पी कार्यनीति आई ई सी का सारभाग होगा। इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से निम्नलिखित कार्यकलाप शुरू किए जा रहे हैं:-

रेडियो:-

(1) लोकप्रिय कार्यक्रमों में आकाशवाणी के माध्यम से प्राइम टाइम के दौरान प्रजनक और शिशु स्वास्थ्य (आर सी एच) विषयों पर रेडियो तुकबन्दियों का प्रसारण।

(2) नाटक, लोक संगीत, फिल्मी गानों आदि पर आधारित प्रायोजित कार्यक्रमों का प्रसारण।

टेलीविजन:-

(1) प्राइम टाइम के दौरान टी वी स्पाट्स के माध्यम से संदेशों का प्रचार-प्रसार।

(2) बालिका बचाओ, जनसंख्या स्थिरीकरण, विवाह के समय उम्र, सुरक्षित मातृत्व, बच्चों के जन्मों में अंतराल के तरीके, स्तनपान आदि जैसे प्रजनक और शिशु स्वास्थ्य विषयों पर आधारित पत्रिका कार्यक्रम ''कल्याणी'' को उत्तर भारत में दूरदर्शन के नौ क्षेत्रीय केन्द्रों के माध्यम से टेलीकास्ट किया जा रहा है।

(3) सरकार परिवार कल्याण से संबंधित विषयों पर टेली-फिल्मों, टी वी स्पाट्स, समूह चर्चा और फीचर्स को भी टेलीकास्ट कर रही है।

(4) संसाधनों और समय-समय पर उभरने वाली कार्यक्रम प्राथमिकताओं के आधार पर सूचना, शिक्षा और संप्रेषण कार्यकलापों को संकेन्द्रित और पुन: क्रमबद्ध किया जायेगा।

सागरमाला परियोजना का क्रियान्वयन

*236. **श्री लक्ष्मण सेठ:**
श्री लोनाप्पन नम्बाडन:

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सागरमाला परियोजना के क्रियान्वयन के लिए एक विस्तृत योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या केरल सरकार ने उक्त परियोजना के अंतर्गत चुनिन्दा पत्तनों के विकास के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में, विशेषकर केरल में, समुद्रीय परिवहन के विकास के लिए क्या कार्यवाही की गई है तथा क्या रचनात्मक कदम उठाए जाने का विचार है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटों पर पत्तनों की क्षमता के तेजी से विस्तार तथा उनके आधुनिकीकरण हेतु 'सागर माला' परियोजना, तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त, 2003 को उद्घोषित की गई नई पहलों में से एक थी। अंतर्देशीय नौवहन का विकास भी 'सागर माला' का एक अंग होगा। पहले चरण के रूप में, 7500 करोड़ रु. की लगत से, न्हावा सेवा (जवाहरलाल नेहरू पत्तन) और कोच्चि (कोचीन) पत्तनों का एकीकृत विकास शुरू किया जाना था।

(ख) उपर्युक्त उद्घोषणा के अनुसारण में 'सागरमाला' कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई और उपर्युक्त कार्यक्रम के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य-कलापों के लिए वर्ष 2004-05 के अंतरिम बजट में 24.48 करोड़ रु. के परिव्यय का प्रावधान किया गया। उपर्युक्त कार्यक्रम की रूपरेखा, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने के प्रस्ताव से संबंधित प्रक्रिया को अन्तत: पूरा नहीं किया जा सका। उपर्युक्त कार्यक्रम के लिए 24.48 करोड़ रु. के परिव्यय को वर्ष 2004-05 के मुख्य बजट में कायम रखा गया है।

(ग) से (ङ) कुछ अन्य मैरीटाइम राज्यों के साथ-साथ, केरल सरकार ने भी 'सागर माला' कार्यक्रम में शामिल किए जाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए हैं। केरल सरकार ने केरल राज्य में 7 लघु पत्तनों के विकास की परियोजनाओं को शामिल किए जाने के प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। उपर्युक्त 7 लघु पत्तन विजिंजम, अलप्पुजा, एजिक्कल, बेपोर, थंकासेरी, पोन्नानी तथा मुनाम्बम। इसके अतिरिक्त, केरल सरकार ने उपर्युक्त कार्यक्रम में एजिक्कल में पोतों के निर्माण तथा उनकी मरम्मत की सुविधा कायम किए जाने की एक परियोजना को शामिल किया जाना भी प्रस्तावित किया है। फिर भी, भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के अनुसार, महापत्तनों के सिवाय अन्य सभी पत्तनों के निर्माण तथा विकास सहित उनका समग्र उत्तरदायित्व और नियंत्रण, संबंधित राज्य सरकारों का है। अत: केरल में लघु पत्तनों का विकास, केरल सरकार के अधिकारों के क्षेत्र के अंतर्गत ही है।

एनिमेशन हब्स

*237. **श्री सुरेश कुरूप: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश में एनिमेशन हब्स शुरू करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

पत्तनों का विकास

*238. **श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तटीय कार्गो की आवाजाही हेतु बेहतर गोदी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए देश में बड़े और छोटे पत्तनों का विकास करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना हेतु कितना धन आवंटित किया गया है;

(घ) इस परियोजना के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना में किन-किन पत्तनों का विकास किया जाना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ङ) महापत्तनों में तटीय कार्गो को हैंडल करने की पर्याप्त सुविधाएं हैं। फिर भी, नौवहन उद्योग की मांगें ध्यान में रखते हुए, तटीय कार्गो के संचालन के लिए डाकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाने सहित, देश में पत्तनों का विकास एक लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, महापत्तनों तथा अंडमान और लक्षद्वीप बंदरगाह-निर्माण-कार्यों के विकास के लिए 4731.29 करोड़ रु. के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

सरकार ने टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज (टी सी एस) से, ''तटीय नौवहन और लघु पत्तनों का विकास'', विषय का अध्ययन भी करवाया है। टी सी एस द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट, सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर ली गई है।

भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के अनुसार, देश में लघु पत्तनों के विकास की जिम्मेदारी संबंधित राज्य-सरकारों की है।

संयुक्त राष्ट्र और नए खतरों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

***239. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:**
श्री राजेश वर्मा:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में संयुक्त राष्ट्र और नए खतरों पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उन मुद्दों का ब्यौरा क्या है जिन पर उक्त सम्मेलन में चर्चा की गई;

(ग) क्या भारत ने उक्त सम्मेलन में भाग लिया था;

(घ) यदि हां, तो भारत ने किन-किन प्रमुख मुद्दों पर अपनी उच्च प्राथमिकता की वकालत की;

(ङ) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने हमारे दृष्टिकोण का समर्थन किया; और

(च) उक्त सम्मेलन से भारत को क्या लाभ मिलने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) से (च) 1-3 जुलाई, 2004 को नई दिल्ली में स्वतंत्र गैर-सरकारी विशेषज्ञों की समिति ने ''संयुक्त राष्ट्र और नए खतरे: सुरक्षा पर पुनर्विचार'' संबंधी एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। यह सम्मेलन, विश्व द्वारा सामना किए जा रहे खतरों और चुनौतियों तथा संयुक्त राष्ट्र के आवश्यक संशोधन पर ध्यान देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा नियुक्त 16 सदस्यीय उच्च स्तरीय पैनल के विचार विमर्श में सहयोग प्रदान करने के लिए आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में चर्चा किए गए विषयों में शामिल था आतंकवाद के कारण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर मंडराते खतरे, जन विनाश के हथियारों का संग्रहण और आतंकवाद के साथ उनका संबंध तथा सामाजिक-आर्थिक चुनौतियां। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र सहित अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के संशोधन व पुनर्गठन के मुद्दों पर भी चर्चा की गई ताकि सामूहिक रूप से कार्य करके सार्वभौमिक चुनौतियों से प्रभावकारी रूप से निपटा जा सके।

यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत अन्तर-शासकीय बैठक या भारत सरकार द्वारा आयोजित सम्मेलन नहीं था।

इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के उच्च स्तरीय पैनल के कुछ सदस्यों ने भाग लिया। इस सम्मेलन के अन्य सहयोगियों में कुछ अन्तर्राष्ट्रीय सहभागी और भारत के कई अग्रणी अकादमिक तथा विद्वान शामिल थे। इस सम्मेलन का उद्घाटन भारत के माननीय गृह मंत्री ने किया।

भारतीय सहभागियों ने संयुक्त राष्ट्र के संशोधन की आवश्यकता पर बल दिया ताकि संयुक्त राष्ट्र को अधिक समकालीन और संगत बनाया जा सके। इन विचारों का कई प्रतिनिधियों ने समर्थन किया।

इस सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और संशोधन की आवश्यकता संबंधी चालू विचार-विमर्श में एक महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है।

20-सूत्री कार्यक्रम

***240. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में 20-सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा करने/उसमें संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत वे योजनाएं कौन-कौन सी हैं जिनकी उपयोगिता आज की तिथि में समाप्त हो गई हैं; और

(घ) गरीबों के उत्थान हेतु सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आस्कर फर्नांडिस): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) प्रस्ताव विचाराधीन है।

सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर उत्पाद

***241. प्रो. एम. रामदास: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को साफ्टवेयर क्षेत्र के प्रभावशाली विकास की तुलना में स्थिर सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर उत्पादन विकास की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा हार्डवेयर क्षेत्र को साफ्टवेयर क्षेत्र के बराबर लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या हार्डवेयर नीति लागू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो उस नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) भारत में कम्प्यूटर हार्डवेयर का उत्पादन स्थिर नहीं है। वर्ष 2003-04 के दौरान दर्ज की गई वृद्धि 60% है, वर्ष 2002-03 में हुए 4250 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में वर्ष 2003-04 में 6800 करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) हार्डवेयर क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा किए गए मुख्य उपायों का सार संलग्न *विवरण* में दिया गया है।

(घ) और (ङ) सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) में आमतौर पर विनिर्माण उद्योग और विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के विकास को शक्ति प्रदान करने और कायम रखने पर जोर दिया गया है। इस विषय पर नीतिगत बातचीत के प्रयोजन से एक सतत् मंच उपलब्ध कराने के लिए एनसीएमपी में एक राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद की स्थापना करने का भी विचार है।

विवरण

इलेक्ट्रानिकी हार्डवेयर क्षेत्र के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाए

1. सरकार के नए न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) में सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर सहित विनिर्माण उद्योग के विकास को शक्ति प्रदान करने और कायम रखने पर जोर दिया गया है।

2. कंप्यूटर पर 60% की दर से मूल्यह्रास की अनुमति है।

3. सीमा शुल्क की उच्चतम दर 20% पर बनी हुई है। कम से कम 5 करोड़ रुपए के पूंजीनिवेश वाले संयंत्र तथा मशीनरी में परियोजना आयात पर सीमा शुल्क 10% की दर से है। कम्प्यूटरों तथा पेरिफेरलों पर सीमा शुल्क 10% की दर से है। सभी भण्डारण युक्तियों, एकीकृत परिपथों, माइक्रोप्रोसेसरों, डेटा प्रदर्श ट्यूबों तथा रंगीन मानीटरों के विक्षेपण संघटक पुर्जों पर 0% जारी है। सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए 1) में शामिल वस्तुओं पर सीमा शुल्क प्रतिबद्धता के अनुसार है। इलेक्ट्रानिक संघटक पुर्जों अथवा प्रकाशिक तंतु/केबलों के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाली विशिष्ट कच्ची सामग्रियों/उपादानों पर सीमा शुल्क 0% है। इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के विनिर्माण के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले विशिष्ट पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क 0% है। मूलभूत/सेल्यूलर/इंटरनेट, वीसैट, रेडियो पेजिंग तथा सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवाओं के लिए विशिष्ट मूलसंरचनात्मक उपस्कर तथा ऐसे उपस्करों के पुर्जे मूलभूत सीमा शुल्क से छूट प्राप्त हैं। सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदानकर्त्ताओं को इस समय उपलब्ध मोबाइल स्वीचिंग केन्द्रों से सीमा शुल्क की छूट का दायरा बढ़ाकर सार्वत्रिक अभिगम सेवा प्रदानकर्त्ताओं द्वारा आयात पर लागू किया गया है। सेलफोनों पर सीमा शुल्क 5% की दर से जारी है। आसबाब के रूप में लाए गए लैपटाप को सीमा शुल्क से छूट प्राप्त है।

4. कम्प्यूटरों के मूल्यों में कमी लाने के लिए कम्प्यूटरों पर उत्पाद शुल्क को 8% से घटाकर 0% कर दिया गया है। माइक्रोप्रोसेसरों, हार्ड डिस्क ड्राइवों, फ्लापी डिस्क ड्राइवों, सीडी रॉम ड्राइवों पर उत्पाद शुल्क से छूट जारी है। पीसी पर पहले से डाले गए साफ्टवेयर, श्रव्य सीडी, रिकार्ड किए गए वीसीडी तथा डीवीडी, सेल्यूलर फोन, रेडियो ट्रंकिंग टर्मिल, काल करने, चेतावनी देने तथा पेजिंग के लिए सुवाह्य रिसीवर, सेल्यूलर फोन

सहित मोबाइल हैंड सेटों के पुर्जों, संघटक पुर्जों तथा सहायक सामग्रियों को उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त है।

5. निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना (ईपीसीजी) में 5% के सीमा शुल्क के भुगतान पर पूंजीगत वस्तुओं की अनुमति है। इस योजना के अंतर्गत निर्यात की बाध्यता बचत किए गए शुल्क से जुड़ी है और आयात की गई पूंजीगत वस्तुओं पर बचत किए गए शुल्क का 8 गुना है, जिसे 8 वर्षों में पूरा करना है। इस योजना के अंतर्गत 10 वर्ष पुरानी पूंजीगत वस्तुओं के आयात तथा उत्पादन पूर्व और उत्पादन पश्चात् सुविधाओं के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात की अनुमति है। विद्यमान संयंत्र तथा मशीनरी का दर्जा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पुर्जों के आयात की भी अनुमति है।

6. ईएचटीपी/ईओयू इकाइयों द्वारा घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीटीए) में सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आईटीए-1) की वस्तुओं तथा अधिसूचित शून्य शुल्क दूरसंचार/इलेक्ट्रानिक वस्तुओं की आपूर्ति को निर्यात के धनात्मक एनएफईपी के रूप में गिना जाता है।

7. ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/एसईजेड योजनाओं के अंतर्गत सभी प्रकार की इलेक्ट्रानिक इकाइयों के लिए कम्प्यूटरों एवं कम्प्यूटर पेरिफरलों पर मूल्यह्रास 3 वर्ष की अवधि में सम्पूर्ण सीमा के 100% उपलब्ध है।

8. निर्यात के प्रयोजन से बाधा रहित विनिर्माण एवं कारोबार के लिए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की जा रही है। घरेलू शुल्क क्षेत्र से एसईजेड को बिक्री वास्तविक निर्यात माना जा रहा है इसके परिणामस्वरूप देशीय आपूर्तिकर्त्ताओं को शुल्क वापसी/डीईपीबी के लाभ, केन्द्रीय बिक्री कर से छूट तथा सेवा कर से छूट के लाभ प्राप्त हो रहे हैं।

9. सीमा शुल्क की अनुमति स्वमूल्यांकन तथा चुनिंदा जांच पर आधारित होगी। वस्तुओं के समाशोधन के लिए सीमा शुल्क संबंधी दस्तावेज इलेक्ट्रानिक रूप में चौबीसों घंटे प्रस्तुत करने की सुविधा इस समय 9 सीमा शुल्क स्थानों पर उपलब्ध हैं जिसे बढ़ाकर 23 सीमा शुल्क स्थानों तक किया जा रहा है।

10. 10 वर्ष पुरानी पूंजीगत वस्तुओं का मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है।

11. निर्यातोन्मुखी इकाइयों/इलेक्ट्रानिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की इकाइयों को निर्यात लाभ पर आयकर अधिनियम की धारा 10ए तथा 10बी के तहत वर्ष 2010 तक आयकर के भुगतान से छूट दी गई है।

12. लघु उद्योग, अति लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, पूर्वोत्तर राज्यों/सिक्किम/जम्मू एवं कश्मीर स्थित इकाइयों, लैटिन अमेरिका/सीआईएस/उप सहारा अफ्रीका को निर्यात करने वाले निर्यातकर्त्ताओं और आईएसओ 9000 (श्रृंखला) रखने वाली इकाइयों के मामले में 'निर्यात गृह' का दर्जा प्राप्त करने के लिए देहरी सीमा को 15 करोड़ रु. से घटाकर 5 करोड़ रु. कर दिया गया है। यह दर्जा प्राप्त इकाइयां निम्नलिखित नई/विशेष सुविधाएं प्राप्त करने की पात्र हैं:

   * विदेशी मुद्री अर्जनकर्त्ता के विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाते में विदेशी मुद्रा की 100% धारिता।

   * सामान्य प्रत्यावर्तन अवधि को 180 दिन से बढ़ाकर 360 दिन किया जाना।

13. धारा 80-1ए (मूल संरचनात्मक स्थिति) के उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त कराधान अवधि से छूट इंटरनेट सेवा प्रदानकर्त्ताओं (आईएसपी) तथा ब्राडबैन्ड नेटवर्क प्रदानकर्त्ताओं को दी गई है।

14. विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से नए औद्योगिक उपक्रमों अथवा वर्तमान औद्योगिक उपक्रम के बड़े पैमाने पर विस्तार के मामले में 31.3.2002 के बाद खरीदी गई तथा प्रतिष्ठापित मशीनरी अथवा संयंत्र की वास्तविक लागत के लिए 15% की और कटौती की अनुमति दी जा रही है।

15. भारत में उद्योगों को पुनः स्थापित करने को प्रोत्साहित करने के लिए उन मामलों में संयंत्र तथा मशीनरी का आयात किसी लाइसेंस के बिना करने की अनुमति दी जाएगी जहां ऐसे पुनः स्थापन संयंत्रों की मूल्यह्रासित कीमत 50 करोड़ रु. से अधिक हो।

16. अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्यकलापों में और अधिक पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए किसी विश्वविद्यालय, विद्यालय या संस्थान या वैज्ञानिक शोध संघों को वैज्ञानिक, सामाजिक या सांख्यिकीय शोध के प्रयोजन से दी गई रकम पर 150% की भारित कटौती उपलब्ध कराई गई है।

पत्तन न्यासों का पुनर्गठन

1881. श्री परसुराम मांझी: क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास प्रमुख पत्तन न्यासों के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो अब तक किन पत्तन न्यासों का पुनर्गठन किया गया है;

(ग) किस तिथि तक सभी प्रमुख पत्तन न्यासों को पुनर्गठित किए जाने की संभावना है; और

(घ) सभी प्रमुख पत्तन न्यासों में सुधार हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) 12 महापत्तन हैं अर्थात् कोलकाता, मुम्बई, जवाहरलाल नेहरू, चेन्नई, कोचीन, विशाखापत्तनम, काण्डला, मुरगांव, पारादीप, नव मंगलूर, तूतीकोरीन तथा इन्नौर। इन्नौर पत्तन, कंपनी-अधिनियम, 1956 के अनुसार एक निगमित कंपनी है तथा शेष 11 महापत्तन, महापत्तन-न्यास-अधिनियम, 1963 द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। इन 11 पत्तनों के न्यासी बोर्ड हैं, जो महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार गठित किए जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू, तूतीकोरिन तथा नव मंगलूर पत्तनों के न्यासियों के बोर्ड 1.4.2003 से 31.3.2005 तक की अवधि के लिए पुनर्गठित है। कोलकाता, मुम्बई, चेन्नई, कोचीन, विशाखापत्तनम, काण्डला, मुरगांव तथा पारादीप के पत्तनों के न्यासी बोर्ड 1.4.2004 से 31.3.2006 तक की अवधि के लिए पुनर्गठित किए जाने थे। ये बोर्ड, सरकारी न्यासियों से मई तथा जून, 2004 के दौरान पुनर्गठित कर दिए गए। इन बोर्डों में, जिन अन्य न्यासियों के संबंध में, उस समय लागू आदर्श आचार संहिता के कारण सरकारी न्यासियों के साथ-साथ ही अंतिम निर्णय लिया जा सका, उनके संबंध में व्यक्तियों/संगठनों के नामों को अब अंतिम रूप दे दिया गया है। उन कुछ नामों के सिवाय जिनके लिए चुने गये संगठनों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के नाम भेजे जाने हैं, चेन्नई, कोचीन, मुम्बई, विशाखापत्तनम और पारादीप के न्यासियों के बोर्ड से संबंधित अधिसूचनाएं जारी कर दी गई हैं। अन्य पत्तनों के संबंध में अधिसूचना जारी किए जाने का मसला प्रक्रियाधीन है।

(घ) महापत्तन न्यास, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार गठित है। जहां तक उनके काम-काज के संचालन का संबंध है, महापत्तनों के विकास तथा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, सतत चलती रहने वाली प्रक्रिया है। महापत्तनों की कार्यकुशलता तथा क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से समय-समय पर निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाये गये हैं:-

(1) नई बर्थों/टर्मिनलों का निर्माण तथा उन्हें आवश्यक सुविधाओं से सज्जित किया जाना;

(2) विद्यमान बर्थ पर विद्यमान उपकरण को आधुनिकतम उपकरण से बदला जाना;

(3) पहले से और अधिक कार्यकुशलता/उत्पादन परिणाम प्राप्त करने के लिए श्रमिकों का प्रशिक्षण तथा प्रबंधन की पद्धतियों में सुधार;

(4) पहले की अपेक्षा और अधिक कार्यकुशलता लाने के लिए अतिरिक्त निवेश आकर्षित करने तथा आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करने की दृष्टि से पत्तन से संबंधित सुविधाओं के विकास तथा उनके प्रचालन में निजी क्षेत्र को शामिल किया जाना;

(5) पत्तन के काम-काज के संचालन का कम्प्यूटरीकरण तथा इलेक्ट्रोनिक डाटा इन्टरचेंज का आंशिक रूप से लागू किया जाना; तथा

(6) जलयान-यातायात के प्रबंधन की प्रणाली का स्थापित किया जाना।

[हिन्दी]

विदेशों में प्रव्रजन

1882. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ विदेशों में प्रव्रजन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों में प्रव्रजन करने वाले और वहां बसने वाले ऐसे विशेषज्ञों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार प्रव्रजन को रोकने हेतु कोई उपाय कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) कुछ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ विभिन्न कारणों से विदेशों में प्रव्रजन करते हैं जिनमें वित्तीय एवं शैक्षणिक लाभ भी शामिल हैं। परन्तु देश छोड़कर जाने वाले ऐसे विशेषज्ञों का केन्द्रीय रूप से कोई रिकार्ड नहीं रखा जा रहा है।

(घ) और (ङ) सरकार द्वारा प्रव्रजन को कम से कम करने तथा उन्हें विदेशों से वापस अपने देश में बुलाने हेतु आकर्षित करने के लिए समय-समय पर कई उपाय किए गए हैं। इनमें से कुछ उपाय निम्नलिखित हैं:

- विश्वविद्यालयों एवं अकादमिक संस्थानों में उत्कृष्टता/समुन्नत अध्ययन केन्द्रों की स्थापना।
- विज्ञान के नए तथा अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान के अनुशीलन के लिए आवश्यक आधुनिक सुविधाओं के साथ व्यावसायिकों के कोर-समूहों का सृजन।
- उद्यमिता विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित प्रशिक्षण।
- परवर्ती पंचवर्षीय योजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए आबंटन में वृद्धि।
- नए वैज्ञानिकों विभागों/संगठनों की स्थापना।
- वैज्ञानिकों की कार्य स्थिति में सुधार लाने के लिए वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों को और अधिक प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन।
- एसोसिएटशिप/फैलोशिप के माध्यम से मानव शक्ति विकास प्रशिक्षण/पुनर्प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- वैज्ञानिक पूल योजना के अंतर्गत वैज्ञानिकों एवं तकनीकीविदों की अस्थायी नियुक्ति (प्लेसमेंट) के लिए प्रावधान।
- अधिसंख्य पदों का सृजन।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी तथा उभर रहे क्षेत्रों में सहायता के लिए अल्पकालिक तकनीकी दायित्व के लिए विदेशों में बसे हुए भारतीय मूल के प्रतिष्ठित पुरुषों एवं महिलाओं को आमंत्रित करना।
- युवा वैज्ञानिकों के लिए फास्ट ट्रेक योजना।
- अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और संस्थानों के दौरे के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के चुनिंदा क्षेत्रों में युवा वैज्ञानिकों के लिए बेहतर अवसर अध्येतावृत्तियां (बायजकास्ट)
- स्वर्ण जयंती अध्येतावृत्तियां।
- मिशन होप (उच्चतर शिक्षा-उद्यमिता संवर्धन के अवसर) जिसका उद्देश्य आकांक्षाओं को वास्तविक उद्यम में बदलना (सी ए आर ई) है।
- अनुसंधान तथा विकास को कैरियर के रूप में अपनाने के लिए प्रतिभावान युवा वैज्ञानिकों को आकर्षित एवं अभिप्रेरित करने के लिए संपर्क कार्यक्रम।
- वैज्ञानिकों को विदेशों में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी अध्येतावृत्तियां।
- अली फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम जिसका उद्देश्य स्नातकाधीन प्रतिभावान एवं युवा छात्रों को इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी/फार्मेसी/आर्किटेक्चर आदि को कैरियर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करना है।
- आई आई टी में संकाय के विभिन्न स्थायी पदों पर अप्रवासी भारतीय तथा भारतीय मूल के लोगों को नियुक्त करना।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर फलदार वृक्ष लगाना

1883. श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों तरफ फलदार वृक्ष लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान कितने वृक्ष लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) सरकार की नीति राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण की है जिनमें फलदार वृक्ष भी शामिल हैं। वृक्षारोपण के लिए प्रावधान आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं के तौर पर किया जाता है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण एक सतत् प्रक्रिया है। इसलिए चालू वर्ष में कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता।

[अनुवाद]

नेशनल फ्यूल कम्पलेक्स का विस्तार

1884. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2003-04 में हैदराबाद में नेशनल फ्यूल कम्पलेक्स का कार्यनिष्पादन कैसा रहा है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या न्यूक्लियर फ्यूल कम्पलेक्स में अन्य इकाइयों की स्थापना करके इसका विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन से स्थान चुने गए हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन नेशनल फ्यूल कम्पलेक्स नामक कोई संगठन नहीं है। तथापि, वर्ष 2003-04 के दौरान नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र (एन एफ सी), हैदराबाद का कार्य-निष्पादन संतोषजनक था।

(ख) नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र बोर्ड द्वारा विभिन्न उत्पादों के लिए निर्धारित किए गए उत्पादन-लक्ष्य वर्ष 2003-04 के दौरान उससे आगे बढ़ गए थे। नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र ने मैसर्स न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड की मांग पर उनके प्रचालनरत बिजलीघरों के लिए प्राकृतिक और समृद्ध यूरेनियम आक्साइड वाले ईंधन बंडलों की तथा निर्माणाधीन दाबित भारी पानी रिएक्टरों के लिए जर्कोनियम मिश्रधातु के संरचनात्मक संघटकों जैसेकि शीतलक ट्यूबों, कैलेन्ड्रिया ट्यूबों और अभिक्रियाशील तथा शट-आफ उपकरणों की सप्लाई की।

(ग) जी, हां।

(घ) कुछेक मौजूदा संयंत्रों की क्षमता बढ़ाई जा रही है तथा कुछेक नए संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र तमिलनाडु में तूतीकोरिन के समीप पलायकयाल में एक जर्कोनियम आक्साइड तथा स्पंज संयंत्र स्थापित कर रहा है। इस परियोजना से संबंधित कार्य प्रगति पर है।

मोबाइल फोन प्रदाता

1885. श्री सीताराम सिंह: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में मोबाइल फोन सेवा प्रदाता आकर्षक विज्ञापनों के द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी मोबाइल कंपनियों पर निगरानी रखने के लिए कोई नियंत्रक प्राधिकरण है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, प्रशुल्क योजना के संबंध में सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को एक निदेश जारी किया गया है कि वे अपना प्रशुल्क ट्राई द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रकाशि करें ताकि उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रयोग पद्धतियों में वित्तीय प्रभावों सहित प्रशुल्क संबंधी सूचना पारदर्शी और उचित ढंग से उपलब्ध हो सके। इन सेवा प्रदाताओं से अपेक्षा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रशुल्क-परिवर्तनों सहित समस्त प्रशुल्क संबंधी सूचना जन-साधारण को देने से पूर्व वह उनकी अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध हो।

(ग) और (घ) दूरसंचार विभाग दूरसंचार सेवा सेवा प्रदाताओं को सरकार की नीति के अनुसार लाइसेंस प्रदान करता है। दूरसंचार विभाग और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) लाइसेंस धारकों को सौंपे गए दायित्वों की निगरानी करते हैं।

[हिन्दी]

कालाजार का उन्मूलन

1886. श्री सीताराम सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कालाजार जैसी गंभीर बीमारियां फैल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कालाजार से होने वाली मौतों के राज्यवार आंकड़े क्या हैं;

(ग) इस रोग को फैलने से रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इसके उन्मूलन हेतु राज्यवार कितना धन आवंटित किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) और (ख) कालाजार बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में तथा उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में फैला हुआ है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 3 वर्षों के दौरान कालाजार से हुई मौतों की राज्यवार संख्या इस प्रकार है:-

राज्य	वर्ष		
	2001	2002	2003 (अनन्तिम)
बिहार	204	160	187
झारखण्ड	0	0	5
पश्चिम बंगाल	4	5	7
उत्तर प्रदेश	3	1	1
दिल्ली*	2	2	10
कुल	213	168	210

*दिल्ली के अस्पतालों में इलाज के लिए बाहर से आए रोगी

(ग) और (घ) सन् 2010 तक कालाजार को समाप्त करना राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का लक्ष्य है और इस कार्यक्रम को दसवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम में कालाजार समाप्त करने के लिए निम्नलिखित कार्यनीति को लागू करने का प्रस्ताव है:-

1. रोगग्रस्त क्षेत्रों में कीटनाशी अवशिष्टों का घर-घर छिड़काव करके रोगाणु नियंत्रण
2. कालाजार रोगियों का उपचार
3. सामुदायिक सहयोग और क्षमता निर्माण के लिए सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण कार्यकलाप

भारत सरकार कालाजार-रोधी दवाइयां, कीटनाशक और प्रचालन व्यय प्रदान करती है और राज्य सरकारें मौजूदा स्वास्थ्य ढांचे के माध्यम से कार्यक्रम को कार्यान्वित करती हैं। पहली दिसम्बर, 2003 से रोग से प्रभावित राज्यों बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को कालाजार समाप्त करने के लिए शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता (राज्य सरकारों के कर्मचारी घटक को छोड़कर) प्रदान की जाती है।

10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कालाजार को समाप्त करने के लिए 217 करोड़ रुपए का अनन्तिम प्रावधान किया गया है। वर्ष 2002-03 और 2003-04 के लिए राज्यवार आबंटन इस प्रकार हैं:-

(लाख रुपए)

राज्य/वर्ष	नकद	सामग्री	कुल
बिहार			
2002-03	–	102.49	102.49
2003-04	554.67	1798.25	2352.92
पश्चिम बंगाल			
2002-03	–	126.72	126.72
2003-04	125.81	271.19	397.00
झारखंड			
2002-03	–	83.64	83.64
2003-04	53.77	168.97	222.74
उत्तर प्रदेश			
2002-03	–	79.15	79.15
2003-04	26.75	79.59	106.34

[अनुवाद]

ट्रकों की आवाजाही का समय

1887. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगरों में सामान ले जाने वाले ट्रकों की आवाजाही का समय विभिन्न राज्य सरकारों की चैक पोस्टों के कारण बाधित होता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर महानगरों के बीच आवाजाही को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) सरकार ने चार महानगरों अर्थात् दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को जोड़ने वाले चार महानगरों को 4/6 लेन का बनाने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना शुरू की है जिससे यात्रा समय में काफी कमी आएगी। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय की नीति के अनुसार कानून व्यवस्था बनाए रखने या बाढ़, भूचाल आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं जैसी आपात परिस्थितियों को छोड़कर राष्ट्रीय राजमार्गों के मार्गाधिकार क्षेत्र में किसी जांच चौकी की अनुमति नहीं दी जाती है। राज्य सरकारों से इस नीति को कड़ाई से लागू करने और किसी उल्लंघन के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

परिवार कल्याण कार्यक्रमों का कार्य-निष्पादन

1888. श्री निहाल चन्द:
प्रो. रासा सिंह रावत:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) वे राज्य कौन-कौन से हैं जिन्होंने उक्त धनराशि का उपयोग किया है और इसमें कितनी उपलब्धि प्राप्त की गई है;

(ग) उत्तरी भारत के वे राज्य कौन-कौन से हैं जो उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार जनसंख्या नीति का सख्ती से कार्यान्वयन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न स्कीमों के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं अर्थात् आधारभूत ढांचा (नगद में), गर्भनिरोधकों, औषधियों आदि की आपूर्ति (सामग्री में) और विभिन्न कार्यक्रमों अर्थात् प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, टीकाकरण, सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण क्षेत्र परियोजनाएं आदि के कार्यान्वयन के लिए अनुदान। इन स्कीमों के लिए राज्यों को जारी की गई और पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न *विवरण*-I में दिया गया है।

आधारभूत ढांचे के शीर्ष के अंतर्गत जारी की गई धनराशि तथा सामग्री रूप में दी गई सहायता का राज्यों द्वारा शत प्रतिशत उपयोग किया गया है। तथापि, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य परियोजना आदि जैसी अन्य स्कीमों पर राज्यों द्वारा खर्च की गई धनराशि उन्हें जारी की गई धनराशि में से कम है।

(ग) अप्रैल, 1996 से "लक्ष्य मुक्ति नीति (टी.एफ.ए.)", जिसमें सामुदायिक आवश्यकता आकलन नीति के आधार पर विकेन्द्रीकृत सहभागी नियोजन पर बल दिया जाता है, अपनाए जाने से कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में कार्यान्वयन के लिए अपनाए गए उपाय संलग्न *विवरण*-II में दिए गए हैं।

विवरण I

वर्ष 2001-02 से 2003-04 के दौरान सभी कार्यक्रमों के लिए जारी की गई धनराशि और सूचित व्यय का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2001-02		2002-03		2003-04	
		जारी की गई धनराशि	व्यय	जारी की गई धनराशि	व्यय	जारी की गई धनराशि	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	19780.29	19467.99	19821.17	22050.60	23987.95	21519.36

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	728.83	770.59	823.36	677.20	444.21	496.27
3.	असम	14285.54	15663.63	14406.50	14888.40	10894.23	9993.25
4.	बिहार	16446.85	15454.19	22752.90	20337.69	24618.92	20002.51
5.	छत्तीसगढ़	6287.78	5667.60	7103.73	6706.78	8724.34	7883.00
6.	गोवा	398.69	365.15	184.46	211.45	337.24	306.28
7.	गुजरात	19402.60	13531.22	14441.69	14585.30	17352.43	15560.93
8.	हरियाणा	5637.09	5318.99	5682.25	5807.91	8065.68	6577.22
9.	हिमाचल प्रदेश	3095.19	2988.47	3668.73	3600.28	3958.41	3438.21
10.	जम्मू और कश्मीर	3287.08	3281.47	3292.74	3076.15	3138.65	3120.78
11.	झारखण्ड	7867.65	7466.41	8412.91	7828.06	9555.72	8130.49
12.	कर्नाटक	18747.65	19542.13	18713.31	18243.51	14214.52	14154.99
13.	केरल	8609.33	8651.14	8387.82	8864.05	8335.16	7898.01
14.	मध्य प्रदेश	16028.18	14805.75	14494.26	14386.30	19817.30	16874.57
15.	महाराष्ट्र	22321.37	20427.18	24526.30	24221.73	24670.81	21641.89
16.	मणिपुर	2556.62	2723.72	1735.60	1797.07	1172.37	1068.22
17.	मेघालय	1420.82	1358.60	1296.31	1357.33	797.13	696.35
18.	मिजोरम	1684.95	1644.06	1651.72	1337.36	908.77	927.54
19.	नागालैंड	1053.79	1016.70	1239.35	1133.48	835.65	667.08
20.	उड़ीसा	12702.81	10341.49	10085.03	11389.46	10913.87	9221.16
21.	पंजाब	5463.04	5456.73	2857.36	3222.41	5635.24	5465.64
22.	राजस्थान	20068.23	18883.94	19507.77	18959.31	25618.03	22027.68
23.	सिक्किम	841.89	781.17	662.30	637.30	693.26	338.35
24.	तमिलनाडु	16156.90	15002.43	17078.49	18657.72	15817.87	14584.10
25.	त्रिपुरा	2238.87	1868.80	1713.02	1616.27	968.35	678.95
26.	उत्तर प्रदेश	43222.66	44588.82	50900.28	49216.55	60457.61	47805.68
27.	उत्तरांचल	4408.13	4036.13	3378.77	3179.72	3933.24	3200.48
28.	पश्चिम बंगाल	17595.66	17901.94	15949.00	17618.18	19476.64	17049.13
	कुल—सभी राज्य	292338.49	279006.44	294765.13	295607.57	325343.60	281328.12

आंकड़े अनन्तिम

*ये राज्यों/संघ राज्यों द्वारा सूचित व्यय के आंकड़े हैं लेकिन ये आंकड़े या नहीं दर्शाते कि निधियों का किस सीमा तक उपयोग हुआ है।

विवरण II

जी, हां। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का उद्देश्य 2010 तक 2.1 की समग्र प्रजनन दर प्राप्त करना है। देश के आठ राज्य और संघ राज्य क्षेत्र इस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं जबकि 11 अन्य राज्य 2010 तक इसे प्राप्त करने को तैयार हैं। यह चुनौती उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, झारखण्ड, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ राज्यों में है जिन पर विशेष ध्यान देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अधिकार प्राप्त कार्य दल बनाया गया है। हाल ही में साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अंतर्गत इन राज्यों के 150 जिलों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए उनका चयन किया गया है। परिवार कल्याण कार्यक्रम में नागरिक समाज की अधिकाधिक भागीदारी के लिए परिवार कल्याण विभाग में जनसंख्या स्थिरता कोष का पंजीकरण किया गया है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का पहले ही गठन किया जा चुका है। सरकार का उद्देश्य मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा गर्भनिरोधन के लिए गुणवत्ता वाली सेवाओं की पहुंच और उपलब्धता सुनिश्चित करने के व्यापक संदर्भ में जनसंख्या को स्थिर करना है।

स्टेशनरी की खरीद

1889. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **प्रधानमंत्री** स्टेशनरी की खरीद के बारे में 9 दिसम्बर, 2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1112 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्रित और संकलित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ग) इस संबंध में जानकारी सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

पानवाड़ी से होशियारपुर राजमार्ग का उन्नयन

1890. श्री राजनरायन बुधौलिया: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पानवाड़ी से होशियारपुर (उत्तर प्रदेश) राजमार्ग का उन्नयन राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर कितना व्यय किए जाने का अनुमान है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केन्द्रीय भंडार में अनियमितताएं

1891. श्री रघुनाथ झा: क्या **प्रधानमंत्री** 6 मार्च, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 782 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घटिया किस्म के और अनुमोदित आकार से कम आकार के तौलियों की आपूर्ति करने पर आपूर्तिकर्त्ता के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ भेदभाव किया गया था और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में केन्द्रीय भण्डार के अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) आपूर्तिकर्त्ता से, उसके ही खर्चे पर तौलियों की पूरी खेप बदलवाई गई थी।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में अनियमितताएं

1892. श्री मिलिन्द देवरा: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना में ढेर सारी अनियमितताएं पाई गई हैं और केंद्रीय सतर्कता आयोग ने इस पर जांच बैठाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी परियोजनाओं में अनियमितताएं पाई गईं;

(ग) क्या सलाहकारों के द्वारा अनुबंधात्मक उपबंधों का उल्लंघन किया गया और घटिया सामग्री का उपयोग किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या अन्य अनियमितताएं पाई गई हैं और क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) केंद्रीय सतर्कता आयोग के मुख्य तकनीकी जांच संगठन (सी टी ई) ने दिनांक 1.7.2004 तक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के स्वर्णिम चतुर्भुज घटक के तहत केवल 12 परियोजनाओं की गहन जांच की है। सी टी ई की मुख्य टिप्पणी परामर्शदाताओं के चयन और नियुक्ति के तरीके, परामर्शदाताओं द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में खामियों, प्राक्कलनों में अपेक्षाकृत ऊंची दरें पारित किए जाने, परामर्शदाताओं के कार्य निष्पादन, परामर्शदाताओं के मुख्य कार्मिकों को बदलने, कार्य सौंपते समय बाजार दर औचित्य तैयार करने, साधन जुटाने के लिए ब्याज मुक्त अग्रिम के भुगतान, अनधिकृत उप ठेकेदारी की समस्या तथा निर्माण की घटिया गुणता से संबंधित हैं।

सी टी ई की टिप्पणियों के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने (1) सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ढांचों की डिजाइन की जांच हेतु प्रूफ परामर्शदाताओं की नियुक्ति, (2) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में पाई गई खामियों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट परामर्शदाता को जवाबदेह बनाना और ऐसे मामलों पर कार्रवाई करने के लिए संस्थागत तंत्र की स्थापना, (3) मुख्य कार्मिकों को बार-बार बदलने पर परामर्शदाताओं के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की भावी परियोजना से बहिष्कार, (4) सामग्री और कारीगरी की घटिया गुणता, यदि प्रमाणित हो, को स्थिति में लागत की वसूली, (5) साधन जुटाने के लिए चरणों में अग्रिम जारी करना, (6) परियोजनाओं की गुणता जांच के लिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड तथा आंतरिक वित्तीय लेखापरीक्षा के लिए मै. प्राइस वाटरहाउस की नियुक्ति, (7) अनधिकृत उप ठेकेदारी की स्थिति में सिविल कार्य ठेकेदार के विरुद्ध समुचित कार्रवाई जैसे विभिन्न सुधारात्मक उपाय किए हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-6 को चार लेनों वाला बनाया जाना

1893. श्री अनन्त नायक: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 पर उड़ीसा में क्योंझर गढ़ और पल्लाहार में बढ़ती दुर्घटनाओं और यातायात संबंधी भीड़भाड़ की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार के पास इस राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेनों वाला बनाए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) और (ग) उड़ीसा में क्योंझर गढ़ और पल्लाहार के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 पर दुर्घटनाएं मुख्यत: मिश्रित यातायात जिसमें दुपहिया और साइकिलों का अनुपात काफी अधिक है, तेज गति, अधिक भार लदान, चालकों की लापरवाही आदि के कारण होती हैं न कि 4 लेन न बनाए जाने के कारण। फिलहाल राष्ट्रीय राजमार्ग-6 के इस खंड को 4 लेन का बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मुकदमेबाजी में सी.एस.आई.आर. की समस्या

1894. श्री पी. करूणाकरन: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न न्यायालयों में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् अथवा इसकी (सी.एस.आई.आर.) स्थापनाओं के घटक के रूप में बहुत सी कानूनी मुकदमेबाजियों में एक पक्ष के रूप में है;

(ख) यदि हां, तो इस पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और गत पांच वर्षों के दौरान वर्ष-वार, संस्थान-वार व्यय की गई धनराशि किस विशिष्ट लेखा शीर्ष में डाली गई है;

(ग) कानूनी मुकदमों के कारण क्या हैं; और

(घ) कानूनी मुकदमों को कम करने के लिए प्रस्तावित कदम क्या हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न *विवरण* में दिया गया है।

(ग) और (घ) यह मुकदमेबाजी मुख्यतया कार्यालय आदेशों अथवा किसी न्यायालय के आदेश के तहत प्रतीत होने वाली विभिन्न कठिनाईयों के कारण की जाती है। मुकदमेबाजी को न्यूनतम करने हेतु एक अंत:निर्मित (इन-बिल्ट) कार्य-प्रणाली मौजूद है। यह कार्य-प्रणाली स्थानीय शिकायत समितियों, अपील के चैनलों और सीएसआईआर मुख्यालय में कानूनी समिति के रूप में कार्य

करती है। सीएसआईआर के विरुद्ध दायर प्रत्येक मामले के तथ्यों की जांच उस मामले के गुण-दोष के आधार पर की जाती है और निर्णय लिया जाता है कि मामले विशेष को लड़ा जाए अथवा नहीं।

विवरण

प्रयोगशाला/संस्थान-वार विधि व्यय (रुपयों में)

वर्ष

प्रयोगशाला का नाम	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7
सीबीआरआई	12120.00	69690.00	4350.00	916393.00	54571.00	1057124.00
सीबीटी	9175.00	20770.00	31388.00	71290.00	101180.00	233803.00
सीसीएमबी	76021.00	90250.00	23600.00	16330.00	9850.00	216051.00
सीडीआरआई	76250.00	45441.00	34495.00	102430.00	101800.00	360416.00
सीईसीआरआई	169714.00	52450.00	71036.00	74390.00	117633.00	485223.00
सीईईआरआई	17572.00	14835.00	28407.00	38297.00	94912.00	194023.00
सीएफआरआई	17495.00	18793.00	17747.00	51713.00	52213.00	157961.00
सीएफटीआरआई	27130.00	208826.00	10395.00	24380.00	28039.00	298770.00
सीजीसीआरआई	23817.00	10140.00	7858.00	82965.00	36048.00	160828.00
सिमैप	38608.00	63824.00	104182.00	180563.00	141235.00	528412.00
सीएलआरआई	22854.00	63405.00	—	—	24435.00	110694.00
सीएमईआरआई	8725.00	5260.00	1630.00	30821.00	29297.00	75733.00
सीएमआरएस	17445.00	31239.00	19165.00	28226.00	41347.00	137422.00
सीआरआरआई	17610.00	133323.00	12450.00	99950.00	168048.00	431381.00
सीएसआईओ	87125.00	84813.00	46828.00	55304.00	66666.00	340736.00
सीएसआईआर मु.	355468.00	393723.00	813882.00	149839.00	102881.00	1815793.00
सीएसएमसीआरआई	62184.00	24930.00	340.00	71591.00	23617.00	182662.00
आईएचबीटी	17842.00	22610.00	12450.00	17921.00	31027.00	101850.00
आईआईसीबी	—	6038.00	108648.00	80254.00	65022.00	259962.00
आईआईसीटी	37501.00	57826.00	27376.00	48700.00	41492.00	212895.00
आईआईपी	76889.00	148630.00	136840.00	192425.00	67888.00	622672.00

1	2	3	4	5	6	7
इम्टैक	—	12400.00	3690.00	21400.00	64065.00	101555.00
इन्स्डाक*	—	31900.00	8100.00	10950.00	—	50950.00
आईटीआरसी	21550.00	72035.00	86683.00	209223.00	226918.00	616409.00
मद्रास का.	3250.00	0.00	2500.00	20943.00	—	26693.00
एनएएल	195497.00	237912.00	136039.00	92250.00	194799.00	856497.00
एनबीआरआई	49450.00	36050.00	67076.00	18432.00	76087.00	247095.00
एनसीएल	45550.00	88750.00	164739.00	153611.00	147140.00	599790.00
एनईईआरआई	219094.00	43600.00	272530.00	338715.00	50900.00	924839.00
एनजीआरआई	20100.00	13666.00	1733.00	15000.00	—	66099.00
एनआईओ	451423.00	171060.00	76343.00	20555.00	38135.00	757516.00
निस्केयर**	—	—	—	59000.00	320925.00	379925.00
निस्काम*	26400.00	15050.00	18375.00	24000.00	—	83825.00
निस्टैड्स	29784.00	18770.00	10200.00	16500.00	7505.00	82759.00
एनएमएल	14255.00	—	78737.00	83930.00	97684.00	274606.00
एनपीएल	9970.00	85496.00	56560.00	44125.00	84877.00	281028.00
आरआरएल, भो.	—	—	5090.00	2800.00	—	7890.00
आरआरएल, भुवे.	7054.00	12600.00	24766.00	10250.00	68287.00	122957.00
आरआरएल, जम्मू	28585.00	50630.00	21414.00	25664.00	53460.00	179753.00
आरआरएल, जोरहाट	36862.00	—	96550.00	176657.00	67969.00	378038.00
आरआरएल, त्रिवे.	26916.00	75602.00	13760.00	42980.00	116520.00	275778.00
एसईआरसी गा.@	16500.00	6680.00	—	—	—	23180.00
एसईआरसी, चेन्नै	9250.00	0.00	300.00	5000.00	43500.00	60750.00
कुल योग	2383035.00	2539017.00	2676552.00	3725767.00	3057972.00	14382343.00

**निस्केयर का गठन करने के लिए इन्स्डाक* और निस्काम *का दिनांक 30.9.2002 को विलय किया गया

@एसईआरसी, गा. दिनांक 31.03.2001 को बंद हो गई।

एम.बी.बी.एस. के लिए पूर्वोत्तर राज्यों हेतु आरक्षित सीट

1895. श्री नकुल दास राई: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एम.बी.बी.एस. के लिए सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के छात्रों के लिए अखिल भारतीय आधार पर राज्य-वार आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों से सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) अखिल भारतीय आधार पर एम.बी.बी.एस. सीटें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा तैयार की गई और अनुमोदित की गई स्कीम के अनुसार सभी सरकारी मेडिकल/डेंटल कालेजों में एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. सीटों के 15 प्रतिशत के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्री-मेडिकल/प्री-डेंटल प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भरी जाती हैं। ये सीटें पूरी तरह मेरिट के आधार पर भरी जाती हैं और किसी राज्य आदि के लिए सीटों का कोई आरक्षण नहीं होता है।

(ख) से (घ) केन्द्रीय सरकार, मेडिकल/डेंटल कालेजों वाले राज्यों तथा कुछ चिकित्सा संस्थानों के स्वैच्छिक योगदान से एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. सीटों के केन्द्रीय पूल का रख-रखाव करती है। इस प्रकार प्राप्त सीटों को ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जिनके अपने मेडिकल/डेंटल कालेज नहीं हैं, तथा कुछ विभागों को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय बचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए आबंटित किया जाता है। इन राज्यों में उत्तर-पूर्वी राज्य (असम को छोड़कर) और सिक्किम शामिल हैं। इन राज्यों से 2004-05 के दौरान एम.बी.बी.एस. सीटों में वृद्धि करने के लिए प्राप्त अनुरोध इस प्रकार हैं:-

राज्य	वर्ष 2003-04 के लिए आबंटन	वर्ष 2004-05 के लिए मांग
मणिपुर	21	35 सीटें
नागालैण्ड	19	उपयुक्त संख्या में अतिरिक्त सीटें
सिक्किम	7	20 सीटों की पुन: वापसी
त्रिपुरा	23	50 सीटें

अन्य राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय से अतिरिक्त सीटों के आबंटन के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुए हैं।

दाता राज्यों/संस्थाओं द्वारा सीटों को बढ़ाने के बाद अतिरिक्त सीटों की मांग पर विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

स्पीड पोस्ट सेवा

1896. श्री राजाराम पाल: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्पीड पोस्ट सेवा डाक की तीव्र सुपुर्दगी के लिए आरंभ की गई है;

(ख) यदि हां, तो अब तक राज्य-वार स्पीड पोस्ट सेवा से जोड़े गए जिलों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार के समक्ष कुछ नये जिलो में स्पीड पोस्ट सेवा आरंभ करने का कोई प्रस्ताव लंबित पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार एवं जिले-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या स्पीड पोस्ट सेवा आरंभ करने से सामान्य, पंजीकृत और अन्य डाक सेवाओं का कार्य बाधित हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी हां।

(ख) राज्य-वार *विवरण* संलग्न है।

(ग) जी नहीं। नए जिलों/क्षेत्रों तक स्पीड पोस्ट का विस्तार एक अनवरत प्रक्रिया है जो कि मांग, कारबार की क्षमता तथा प्रचालनात्मक मानकों के पूरा होने पर आधारित है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्पीड पोस्ट द्वारा जुड़े जिलों की संख्या
1	2	3
1.	असम	22
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	आंध्र प्रदेश	23
4.	बिहार	38
5.	छत्तीसगढ़	16
6.	दिल्ली	9
7.	गुजरात	25
8.	गोवा	2
9.	हरियाणा	19
10.	हिमाचल प्रदेश	11
11.	जम्मू व कश्मीर	10
12.	झारखण्ड	22
13.	कर्नाटक	27
14.	केरल	14
15.	महाराष्ट्र	34
16.	मध्य प्रदेश	48
17.	मणिपुर	7
18.	मेघालय	2
19.	मिजोरम	8
20.	नागालैंड	8
21.	उड़ीसा	30
22.	पंजाब	17
23.	राजस्थान	30
24.	सिक्किम	2
25.	तमिलनाडु	29
26.	त्रिपुरा	3
27.	उत्तरांचल	13
28.	उत्तर प्रदेश	70
29.	पश्चिम बंगाल	19
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (संघ शासित क्षेत्र)	2
31.	लक्षद्वीप (संघ शासित क्षेत्र)	1
32.	पांडिचेरी (संघ शासित क्षेत्र)	2
33.	चंडीगढ़ (संघ शासित क्षेत्र)	1
34.	दमन व दीव (संघ शासित क्षेत्र)	2
35.	दादर और नगर हवेली (संघ शासित क्षेत्र)	1
	कुल	568

[अनुवाद]

राजमार्ग-17 की स्थिति

1897. श्री सी.के. चन्द्रप्पन: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ है कि राष्ट्रीय राजमार्ग-17 के थेलाप्पदी और इदापल्ली के बीच का क्षेत्र अपर्याप्त चौड़ाई, क्षति और पुराने पुलों की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग के सामान्य मानकों की तुलना में घटिया स्तर का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस ओर गया है कि हाल ही में इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही में निरन्तर वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इसे चार लेनों का बनाने पर विचार करेगी और बाद में 6 अथवा 8 लेन का बनाएगी क्योंकि यह राष्ट्रीय राजमार्ग मुंबई और कोचीन को जोड़ता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां। केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग-17 के थेलाप्पदी और इदापल्ली खंड की लंबाई 421 कि.मी. है जिसमें से 27 कि.मी. में 2 से कम लेन हैं। इसके अतिरिक्त रा.रा.-17 के इस खंड पर 10 संकरे, पुराने और कमजोर पुल हैं।

(ख) चरणबद्ध रूप में रा.रा.-17 का सुधार शुरू किया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) निजी क्षेत्र की भागीदारी से इसके कार्यान्वयन की अर्थक्षमता सुनिश्चित होने और कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता के अध्ययधीन रा.रा.-17 के उक्त खंड को 4 लेन का बनाने पर विचार किया जा सकता है।

ग्रामों में दूरभाष कनेक्शन

1898. श्री कैलाश जोशी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में राज्य-वार आवेदन किये गए दूरभाष कनेक्शनों का ब्यौरा और ग्रामों के जारी किये जाने वाले कनेक्शनों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या ग्राम पंचायत अमझरा, जिला धार को बहुत पहले 1995 में आवेदित किये गए 13 दूरभाष कनेक्शन उपलब्ध नहीं करवाये गए हैं;

(ग) क्या पंचायत द्वारा अपेक्षित धन जमा करवा दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो कनेक्शन नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) ये कनेक्शन कब तक दिए जाने की सम्भावना है और दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करना और उस पर कार्यवाही कब तक की जायेगी; और

(च) राज्य में दूरभाष द्वारा नहीं जोड़े जा सके ग्रामों की संख्या कितनी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) ब्यौरे संलग्न *विवरण* में दिए गए हैं।

(ख) अमझरा में कोई ऐसा मामला/प्रतीक्षा सूची में लंबित नहीं है।

(ग) से (ङ) ऊपर (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) 14205 गांवों में अभी तक टेलीफोन सुविधा नहीं है।

विवरण

क्र.सं.	जिला	30.06.2004 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए लम्बित आवेदन
1	2	3
1.	अनूपपुर	0
2.	अशोक नगर	0
3.	बालाघाट	0
4.	बारवानी	47
5.	बेतुल	113
6.	भिण्ड	217
7.	भोपाल	9
8.	बुरहानपुर	78
9.	छत्तरपुर	9
10.	छिंदवाड़ा	0
11.	दमोह	151
12.	दतिया	28
13.	देवास	760
14.	धार	174
15.	डिंडोरी	13
16.	गूना	98
17.	ग्वालियर	70
18.	हर्दा	875
19.	होसंगाबाद	1466
20.	इन्दौर	106

1	2	3
21.	जबलपुर	462
22.	झबूआ	0
23.	कटनी	142
24.	खण्डवा	91
25.	खारगांव	9
26.	माण्डला	292
27.	मंदसौर	1970
28.	मुरैना	151
29.	नरसिंहपुर	410
30.	नीमच	591
31.	पन्ना	172
32.	रायसेन	54
33.	राजगढ़	900
34.	रतलाम	533
35.	रीवा	19
36.	सागर	228
37.	सतना	32
38.	सेहोर	0
39.	सिवनी	0
40.	शहडोल	22
41.	शाजापुर	146
42.	शिवपुर कलां	50
43.	शिवपुरी	17
44.	सीधी	631
45.	टीकमगढ़	40
46.	उज्जैन	120
47.	उमरिया	10
48.	विदिशा	289
	जोड़	11595

स्थानीय कैमिस्ट को नियुक्त करने के मानदण्ड

1899. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय के लिए स्थानीय कैमिस्ट को नियुक्त करने के मानदण्ड क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभान्वितों के सामने आ रही असुविधा को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय से एक कि.मी. के क्षेत्र में स्थानीय कैमिस्ट नियुक्त करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती प्रभावक लक्ष्मी): (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत प्राधिकृत स्थानीय केमिस्टों की नियुक्ति के लिए टेंडर में दिए गए प्रमुख मानदण्ड इस प्रकार हैं:-

(1) औषधियों/दवाइयों के खुदरा मूल्य में प्रदान की गई अधिकतम छूट की प्रतिशतता।

(2) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सामान्यतया तीन औषधालयों तक के समूह/अंचल के लिए प्राधिकृत केमिस्टों की नियुक्ति करती है और आवेदक की दुकान/व्यापारिक प्रतिष्ठान को आवेदित समूह/अंचल के क्षेत्र में होना चाहिए।

(3) आवेदक केमिस्ट का 'ए' श्रेणी के शहरों में कम से कम 20 लाख रुपए का और 'बी' और 'सी' श्रेणी के शहरों में कम से कम 10 लाख रुपए का वार्षिक कारोबार होना चाहिए।

(ख) से (घ) जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्ड धारकों के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के प्राधिकृत स्थानीय केमिस्ट को औषधालय के अधिक से अधिक निकट होने से सुविधा होगी वहीं केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लिए औषधालय के एक किलोमीटर के अंदर आवेदक केमिस्ट की दुकान/व्यापारिक प्रतिष्ठान नियुक्त करना कठिन होगा क्योंकि इससे केमिस्टों से पात्र टेंडरों की संख्या में कमी आएगी और इस कारण प्रतियोगिता भी कम होगी।

कैंसर उपचार हेतु कोबाल्ट मशीन

1900. श्री अवतार सिंह भडाना: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2002 में प्रकाशित ''नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, पोलिसीज एण्ड मेनेजिरियल गाईलाईंस'' पर अपनी रिपोर्ट और जून, 2004 में रेडियोथेरेपी एण्ड आनकोलाजी जर्नल में प्रकाशित टैली थेरेपी की कुछ प्रचालनात्मक लागतों पर बहुराष्ट्रीय मूल्यांकन में विकासशील देशों में कैंसर उपचार के लिए कोबाल्ट मशीन के उपयोग के गुणों पर टिप्पणी की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट की विशिष्टताएं क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में उत्तर-दक्षिण कारीडोर योजना

1901. श्री राकेश सिंह: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में उत्तर-दक्षिण कारीडोर योजना के अंतर्गत योजना आरंभ हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसे किस सीमा तक पूर्ण कर लिया गया है और शेष कार्य को पूर्ण करने की सरकार की क्या योजना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) मध्य प्रदेश में उत्तर-दक्षिण महामार्ग की कुल लंबाई 547 कि.मी. है। इसमें से 9 कि.मी. में चार लेन बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया है और 33 कि.मी. में यह कार्य चल रहा है। शेष 505 कि.मी. लंबाई में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। सिविल कार्यों को मार्च, 2005 तक सौंप दिए जाने और दिसंबर, 2007 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है।

थैलेसीमिया की रोकथाम

1902. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या थैलेसीमिया को रोकने के लिए सरकार द्वारा समुचित उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने महाराष्ट्र सरकार से थैलेसीमिया के रोगियों के उपचार के लिए ग्राम स्तर पर रक्त बैंक और अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के लिए सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन पर लिया गया निर्णय क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

हिन्द महासागर में संसाधनों पर अध्ययन

1903. श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्द महासागर में खनिजों, तेल, प्राकृतिक गैस आदि के भारी भण्डार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन संसाधनों का दोहन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी हां।

(ख) और (ग) जी हां, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग (खान मंत्रालय) द्वारा अपतटीय खनिजों के लिए तथा हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) द्वारा भारतीय

अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) के बंगाल की खाड़ी और अरब सागर क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन संसाधनों के लिए अध्ययन किए गए हैं। महासागर विकास विभाग ने गहरे समुद्र में बहुधात्विक पिंडिकाओं के संभावित संसाधनों का पता लगाया है।

अध्ययन के अनुसार रखे गए क्षेत्र में 380 मिलियन टन बहुधात्विक पिंडिकाओं के निर्धारित संसाधन में 4.290 मिलियन टन तांबा, 4.70 मिलियन टन निकैल और 0.0550 मिलियन टन कोबाल्ट है।

(घ) महासागर विकास विभाग पिंडिकाओं से संसाधनों का दोहन करने के लिए खनन और निष्कर्षण धातुकर्म से संबंधित विभिन्न विकासात्मक कार्यकलापों और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा दे रहा है।

[हिन्दी]

कम्पनियों के उत्पादों को बढ़ावा देना

1904. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों को विभिन्न कम्पनियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए नोटिस/परिपत्र जारी करने का अधिकार दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई शिकायत/आपत्ति प्राप्त की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इन शिकायतों पर कोई कार्यवाही की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) एक आवासीय कल्याण संघ द्वारा अपने परिपत्र में एक स्थानीय दुकान के विज्ञापन की अनुमति दिए जाने के बारे में याचिका प्राप्त हुई थी।

(ङ) उपर्युक्त मामले में सरकार की ओर से कोई कार्रवाई किए जाने का विचार नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ऐसे आवासीय कल्याण संघों को मान्यता प्रदान करता है जो निर्धारित आदर्श संविधान अपनाते हैं तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा तय किए गए उद्देश्यों एवं सामान्य मार्ग-निर्देशों का अनुपालन करते हैं। सरकार उनके रोजमर्रा के कार्यों में दखल नहीं देती।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग-7 को चार लेन का बनाना

1905. डा. आर. सेनथिल: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग-7 के सालेम और कृष्णागिरी के बीच के क्षेत्र को चार लेन का बनाने की स्थिति क्या है;

(ख) इस कार्य को कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा;

(ग) धर्मपुरी में मार्ग बनाने के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या नए बाइपास का निर्माण प्रस्तावित है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) रा.रा.-7 को सलेम से कृष्णागिरी तक चार लेन का बनाने से संबंधित ब्यौरे इस प्रकार हैं-

क्र.सं.	खंड	लंबाई (कि.मी.)	स्थिति/पूरा होने की संभावित तारीख
1.	सलेम बाइपास (207.600 से 199.200 कि.मी.)	8.4	जनवरी, 2003 में पूरा हो गया
2.	सलेम से तुम्बीपाडी (199.200 से 180.000 कि.मी.)	19.2	चालू वित्त वर्ष (2004-05) में पूरा करने का लक्ष्य है।
3.	तुम्बीपाडी से तोपूरघाट (180.00 से 163.400 कि.मी.)	16.6	दिसंबर, 2007 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
4.	तोपूरघाट खंड (163.400 से 156.000 कि.मी.)	7.4	अप्रैल, 2002 में पूरा हो गया।
5.	तोपूरघाट से कृष्णागिरी [156.00 से कृष्णागिरी- (रा.रा. 7 और रा.रा. 46 का चौराहा)]	64	दिसंबर, 2007 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) से (ङ) धर्मपुरी, तोपूरघाट से कृष्णागिरी खंड पर पड़ता है। इस खंड के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। नए बाइपास का निर्माण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर निर्भर करेगा।

दिल्ली क्षेत्र में कम्पन

1906. डा. पी.पी. कोया: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में एक माह से भी कम की अवधि में रिक्टर पैमाने पर 1.6 से 3 के बीच में बहुत सारे कम्पन आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कम्पनों की तीव्रता खतरनाक मानी जाती है;

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसी किसी सम्भावना से निपटने के लिए शहर के लिए विनाश प्रबन्धन योजना है; और

(ङ) यदि नहीं, इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी, हां। 18 मार्च, 2004 की अवधि के दौरान दिल्ली क्षेत्र में रिक्टर पैमाने पर 1.5 से लेकर 2.7 शक्ति के नौ भूकम्प के झटके महसूस किये गये। 18.3.04 से 11.6.04 की अवधि के दौरान दर्ज किये गये इन कम्पनों के हाइपो सेन्ट्रल पैरामीटर संलग्न *विवरण* में दिये गये हैं। सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ग) संशोधित मस्सेली (एम.एम.) तीव्रता पैमाने पर 2.7 (रिक्टर पैमाने पर) शक्ति के भूकम्प की अधिकतम तीव्रता-3 है। इस पैमाने के अनुसार, 3 की तीव्रता को नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने दिल्ली के उप-राज्यपाल की अध्यक्षता में दिल्ली आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन किया है जिसमें संबंधित विभागों/एजेन्सियों एवं केन्द्रीय गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हैं। भूकम्पों और अन्य आपदाओं से संबंधित आपदा प्रबन्धन योजनाएं तैयार करने का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार का उत्तरदायित्व है, जिन्होंने सूचित किया है कि वह इस बारे में समुचित कार्रवाई कर रहे हैं।

विवरण

दिल्ली क्षेत्र में 18.3.2004 से 11.6.2004 के बीच 1.5 से 2.7 तक की शक्ति के भूकम्पनों की सूची

वर्ष	एम एम डी डी	एच एच एम एम (भा.मा.स.)	अक्षांश	देशान्तर	गहनता	शक्ति
2004	318	1323	28.63	77.25	15.3	2.7
2004	328	0951	28.63	77.15	15.3	1.6
2004	41	1102	28.63	77.18	10.00एफ	1.5
2004	45	0618	28.70	77.36	20.1	1.8
2004	45	1134	28.69	77.32	20.9	1.9
2004	45	1522	28.68	77.36	18.2	1.6
2004	45	1756	28.78	77.21	9.0	2.0
2004	49	2220	28.61	77.15	10.8	1.6
2004	421	1111	28.65	77.14	6.2	1.9
2004	429	1721	28.57	77.09	13.5	1.7
2004	56	0636	28.43	77.37	19.6	1.5
2004	520	0754	28.76	77.00	2.5	1.8
2004	524	0419	28.63	77.13	15.0	2.0
2004	66	1108	28.62	77.00	15.4	2.1
2004	612	0023	28.45	77.36	15.9	1.8
	भूकम्पों की कुल संख्या :	15				

[हिन्दी]

भीसी में डाकघर खोलना

1907. प्रो. महादेवराव शिवनकर: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के नागपुर जोन के अंतर्गत चन्द्रपुर जिले में तहसील चिमूर, ग्राम भीसी में कोई भी डाकघर अथवा उप-डाकघर नहीं है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भीसी ग्राम पंचायत ने इस संबंध में माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री को बहुत सारे अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में की गई कार्यवाही/उठाये जाने वाले कदम क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) भीसी गांव में 1960 से ही ग्रामीण डाक सेवक शाखा डाकघर मौजूद है। यह जिला चंद्रपुर (महाराष्ट्र) में चंद्रपुर प्रधान डाकघर क अधीन चिमूर उप डाकघर के साथ लेखाबद्ध है।

(ग) से (ङ) शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाकर उप डाकघर करने के संबंध में भीसी ग्राम पंचायत के माध्यम से केवल एक अभ्यावेदन, केस मार्क सं. 32/97 दिनांक 23.4.97, प्राप्त हुआ था। यह प्रस्ताव शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाने संबंधी निर्धारित मानदंडों

के अनुरूप नहीं पाया गया और इस संबंध में 6.5.1997 को जवाब दे दिया गया था।

भीसी अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाकर विभागीय उप डाकघर करने के प्रस्ताव की जनवरी 2003 के दौरान जांच की गई परन्तु पुन: यह पाया गया कि कार्यभार और वित्तीय मानदंडों के आधार पर यह औचित्यपूर्ण नहीं है। अत: भीसी शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाकर उप डाकघर करने पर विचार नहीं किया गया।

दिनांक 16.6.2004 को गांव में डाक सेवाओं की मांग संबंधी एक आवेदन प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव की जांच करने के बाद इसका जवाब दिया जाएगा।

[अनुवाद]

हीरों को तराशना

1908. श्री गुरुदास कामत: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भाभा ऊर्जा अनुसंधान केन्द्र में हीरों को तराशने की प्रक्रिया के बारे में सरकार को कोई जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हीरे तराशने के कारण होने वाले संभावित दुष्प्रभावों को कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां। परमाणु ऊर्जा विभाग के एक संघटक यूनिट नामत: विकिरण तथा आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड (ब्रिट) द्वारा इलैक्ट्रानों की मदद से हीरों के किरणन का कार्य किया जाता है।

(ख) अल्पमूल्य पत्थरों का मूल्य इलैक्ट्रानों की मदद से उनको किरणित करके बढ़ाया जा सकता है। इस समय विकिरण तथा आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड (ब्रिट) उन एजेन्सियों जो हीरे का काम करती हैं, के साथ मिलकर आफ ग्रेड क्वालिटी वाले हीरे का इलैक्ट्रान की सहायता से किरणन करने का कार्य इस उत्पाद के रंग को निखारने के लिए कर रहा है। इलैक्ट्रान की सहायता से किरणन करने पर किरणित हीरे/मूल्यवान पत्थरों में कोई विकिरण-सक्रियता अभिप्रेरित नहीं होती है।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता। उल्लेखनीय है कि न्यूट्रानों की सहायता से हीरे/मूल्यवान पत्थरों का किरणन करने के फलस्वरूप बहुत निम्न मात्रा (अनुमेय सीमा के भीतर) में विकिरण-सक्रियता अभिप्रेरित होती है। यह प्रक्रिया कुछेक देशों में मौजूद है। भारत में 1990 के दशक की शुरुआत से ही न्यूट्रान के उपयोग द्वारा हीरे का किरणन करने की प्रक्रिया बन्द कर दी गई थी। अत: इस समय हीरे को केवल इलैक्ट्रानों की सहायता से किरणित किया जाता है जिससे, जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, किरणित हीरों में कोई विकिरण-सक्रियता अभिप्रेरित नहीं होती है।

[हिन्दी]

फिजियोथेरेपिस्टों की मांग

1909. श्री सुरेश चन्देल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में फिजियोथेरेपिस्टों की मांग बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) से (घ) जनसंख्या में वृद्धि के कारण सभी चिकित्सा व्यवसाइयों की सेवाओं की मांग काफी बढ़ रही है और इसी तरह फिजियोथेरेपिस्टों की मांग भी बढ़ी है जो कि रोगियों के इलाज में चिकित्सा व्यवसाइयों को सहायता करने वाले पराचिकित्सा कार्मिक हैं।

तथापि, देश में फिजियोथेरेपिस्टों की जरूरत का आकलन करने के लिए कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

संकटापन्न प्रजातियों के संबंध में अनुसंधान के लिए सैटेलाइट सुविधा

1910. श्री एस.पी.वाई. रेड्डी: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद स्थित सेन्टर फार सेल्यूलर एण्ड मालीक्यूलर बायोलोजी ने संकटापन्न प्रजातियों के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए सैटेलाइट सुविधा की स्थापना के संबंध में परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना के संबंध में और प्रयोगशाला भवन तथा अवसंरचना विकास के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) प्रयोगशाला के पूर्ण रूप से कब तक कार्य करना शुरू करने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी हां।

(ख) इस सुविधा के लिए भूमि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है और निधियां वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), केन्द्रीय प्राणिविज्ञान प्राधिकरण (सीजैडए), जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) द्वारा संयुक्त रूप से उपलब्ध कराई गई है।

(ग) सेन्टर फार सेल्यूलर एण्ड मालीक्यूलर बायोलोजी (सीसीएमबी) में वन्यजीवों की अनेक संकटापन्न प्रजातियों के लिए वीर्य प्रोफाइल सहित डीएनए और जीनबैंक की स्थापना की गई है। कृत्रिम वीर्य सेचन के लिए प्रोटोकालों को भी मानकीकृत किया गया है। आनुवंशिक प्रोफाइलिंग के लिए कुछेक आण्विक मार्करों का भी विकास किया है।

(घ) इस सुविधा के अगले वर्ष तक पूर्ण रूप से चालू हो जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

सिंथेटिक देशी घी की बिक्री

1911. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में प्रतिदिन 40 लाख किलोग्राम जहरीले सिंथेटिक देशी घी का उत्पादन हो रहा है और 110 से भी अधिक ब्रांडों पर एगमार्ग चिन्ह अंकित कर इसे खुले रूप से पुनर्वास कालोनियों और दिल्ली के यमुना-पार की कालोनियों में बेचा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे रोकने हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाक लक्ष्मी): (क) और (ख) 'सिंथेटिक' शब्द को खाद्य एवं अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में परिभाषित नहीं किया गया है। तथापि, उक्त अधिनियम में ''अपमिश्रित'' और ''मिसब्रांडिड'' उत्पादों को परिभाषित किया गया है और ऐसे खाद्य उत्पादों के लिए दंड की व्यवस्था है। यदि खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता अथवा शुद्धता निर्धारित मानकों से कम होती है अथवा इसके अवयवों की मात्रा निर्धारित सीमा के भीतर नहीं होती है तो उस खाद्य वस्तु को मिलावटी माना जाता है। यदि कोई वस्तु भ्रामक अथवा उसका अनुकल्प अथवा उनसकी नकल होती है अथवा उससे इस तरीके से मिलती-जुलती होती है जिससे उस खाद्य वस्तु को जिसके नाम के तहत उसे बेचा जाता है, में है, में धोखा हो जाता है और उसके लेबल स्पष्ट न हो जिससे उसका सही नाम इंगित न होता हो तो उसे मिसब्रांडिड माना जाता है।

दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों में घी के मिलावटी/मिसब्रांडिड नमूनों के होने की सूचना दी गई है। घी की मिलावट/मिसब्रांडिड खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अंतर्गत घी के लिए निर्धारित किए गए मानकों का अनुपालन न करने के कारण है।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी अपने प्रवर्तन स्टाफ के माध्यम से खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबंधों और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों को लागू करते हैं। वे नियमित रूप से घी समेत विभिन्न खाद्य पदार्थों के रेन्डम नमूने लेते हैं। दोषियों के विरुद्ध खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबंधों के तहत समुचित कार्रवाई की जाती है।

राज्यों/संघ क्षेत्रों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों को समय-समय पर राज्यों पर बाजारों में बिकने वाले 'घी' समेत खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच हेतु विशेष अभियान चलाने सहित उन पर कड़ी नजर रखने की सलाह दी जाती है।

[अनुवाद]

असम में पूर्वी-पश्चिमी गलियारा

1912. श्री अनवर हुसैन: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम में पूर्वी-पश्चिमी गलियारे की कुल लंबाई कितनी है;

(ख) इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार को चाय, तेल, कोयला आदि के बेहतर परिवहन के लिए इस गलियारे का विस्तार लेडो-जयरामपुर तक करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) असम में पूर्व-पश्चिम महामार्ग की कुल लंबाई 732 कि.मी. है।

(ख) इसे दिसंबर, 2007 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) जी हां।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के संरेखण, जिसमें पूर्व-पश्चिम महामार्ग का संरेखण भी शामिल है, को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस महामार्ग को लेडो-जयरामपुर तक बढ़ाना बुद्धिमानी नहीं होगी क्योंकि इससे इस प्रतिष्ठित परियोजना को निश्चित तारीख अर्थात् दिसंबर, 2007 तक पूरा करने पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

[हिन्दी]

कैपिटेशन शुल्क

1913. श्री संतोष गंगवार: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए चंदा (डोनेशन) के रूप में लिए जा रहे कैपिटेशन शुल्क की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर नियंत्रण रखने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती एन.पनबाक लक्ष्मी): (क) और (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस्लामी शिक्षा अकादमी बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य के मामले में दिनांक 14.8.2003 को दिए गए अपने निर्णय में यह आदेश दिया है कि प्रत्येक निजी संस्थान को अपने शुल्क ढांचे को निर्धारित करने की स्वतंत्रता होगी। चिकित्सा महाविद्यालयों को कैपिटेशन शुल्क लेने से रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय ने अपने उपर्युक्त निर्णय में आगे यह आदेश दिया है कि प्रत्येक राज्य सरकार सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करे। यह समिति यह देखेगी कि संस्था द्वारा प्रस्तावित शुल्क न्यायसंगत है तथा यह मुनाफाखोरी नहीं कर रहे हैं और कैपिटेशन फीस नहीं ले रहे हैं।

[अनुवाद]

पारादीप पत्तन का विकास

1914. श्री ब्रह्मानन्द पंडा: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पारादीप पत्तन के संपूर्ण विकास के लिए कोई विशेष पहल की है; और

(ख) यदि हां, तो पारादीप पत्तन के विकास के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) नौवहन-व्यापार से संबंधित मांगें पूरी करने की दृष्टि से महापत्तनों के विकास की प्रक्रिया, लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया है। इस प्रयोजन से, दसवीं पंचवर्षीय योजना में पारादीप-पत्तन के संबंध में 22.70 करोड़ रु. की धनराशि के प्रस्ताव दर्शाए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित कर दो (बी.ओ.टी.) के आधार पर क्लीन कार्गो (उर्वरकों, खाद्यान्नों, खाद्य तेलों इत्यादि) के लिए, 100.00 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से बर्थों के निर्माण और 328.30 करोड़ रु. की लागत से गहरे डुबाव वाली-अपेक्षाकृत अधिक गहराई वाली एक लौह अयस्क बर्थ के निर्माण के प्रस्ताव भी हैं।

[हिन्दी]

छत्तीसगढ़ के लंबित प्रस्ताव

1915. श्री प्रदीप गांधी: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ के लिए वर्ष-वार कितनी राशि जारी की गई;

(ख) छत्तीसगढ़ के कितने प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लंबित पड़े हैं; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) गत तीन वर्षों में छत्तीसगढ़ के लिए जारी की गई धनराशि इस प्रकार है-

स्कीम का नाम	वर्ष		
	2001-02	2002-03	2003-04
रा रा (ओ) (योजना)	32.28	61.00	45.17
गैर-योजना	24.199	25.60	15.34
केंद्रीय सड़क निधि	15.36	42.84	8.71
ईआई व आईएससी	-	3.22	4.23

(ख) और (ग) मंत्रालय में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्यों के 4 प्रस्ताव स्वीकृति के लिए लंबित हैं। इन प्रस्तावों की जांच की जा रही है और इन्हें दिसंबर, 2004 तक स्वीकृत किए जाने का लक्ष्य है जो प्रस्ताव की तकनीकी क्षमता, धनराशि की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

के.बी.के. विकास कार्यक्रम

1916. श्री तथागत सत्पथी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को के.बी.के. विकास कार्यक्रम में और अधिक जिलों को शामिल करने हेतु उड़ीसा सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का के.बी.के. क्षेत्र के विकास हेतु उड़ीसा सरकार के लिए अतिरिक्त वित्तीय पैकेज जारी करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा सरकार के लिए कितनी राशि जारी की गई?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार करना व्यवहार्य नहीं समझा गया क्योंकि कार्यक्रम के विस्तार का परिणाम बहुत कम मात्रा में उपलब्ध संसाधनों का फैलाव करना होगा जिसका के.बी.के. जिलों पर अपेक्षित प्रभाव नहीं होगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) उड़ीसा सरकार के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान के.बी.के. जिलों हेतु जारी की गई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता/विशेष केन्द्रीय सहायता निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	वर्ष के दौरान जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता/विशेष केन्द्रीय सहायता
2001-02	100.00
2002-03	200.00
2003-04	250.00*

*इसमें से 225 करोड़ रुपये 2003-04 में जारी किए गए थे और 25 करोड़ रुपये अप्रैल, 2004 में जारी किए गए थे।

[हिन्दी]

भागलपुर-कहलगांव राष्ट्रीय राजमार्ग-80

1917. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भागलपुर-कहलगांव के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-80 वर्ष 1999 में बाढ़ के कारण तीन स्थानों पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है;

(ख) क्या उक्त स्थानों पर कंक्रीट पुलों का निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो भागलपुर-कहलगांव के बीच इन सभी तीन पुलों का निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) वर्ष 2000 में बाढ़ के कारण रा.रा.-80 के भागलपुर-कहलगांव खंड पर 5 विभिन्न स्थलों पर सड़क टूट गई थी न कि 1999 में।

(ख) राज्य द्वारा निविदाओं को अंतिम रूप दिए जाने में देरी और सामग्री के परिवहन की समस्या के कारण इसमें विलंब हुआ

है। ठेकेदार के धीमे कार्य निष्पादन के कारण भी विलंब हुआ है जिसके लिए चेतावनी दी गई है।

(ग) 5 स्थानों, जहां सड़क टूटी थी, में से दो स्थानों पर मरम्मत कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष तीन स्थानों पर पुलों को अब दिसंबर, 2004 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में डब्ल्यू.एल.एल. प्रणाली की असफलता

1918. श्री अर्जुन सेठी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के टेलीफोन प्रयोक्ताओं द्वारा यह शिकायत की गई है कि नेटवर्क प्रणाली के नियमित रूप से असफल होने के कारण डब्ल्यू.एल.एल. प्रणाली लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या बालासोर जिले में इस तरह की नेटवर्क प्रणाली की खराबी रोज की बात हो गई है;

(ग) क्या उपभोक्ताओं की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उड़ीसा टेलीकाम सर्किल को पर्याप्त केबल प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) उड़ीसा के कुछ भागों में, डब्ल्यू.एल.एल. प्रणाली और सी-डाट एक्सचेंजों के बीच जंक्शन कभी-कभी अवरुद्ध हो जाते हैं तथा उनमें से बालासोर क्षेत्र भी एक है। इस समस्या के निदान हेतु सी-डाट संगठन ने एक साफ्टवेयर पैच विकसित किया है, जो परीक्षणाधीन है।

(ग) और (घ) जी, हां। सर्किल के लिए निर्धारित मानकों और लक्ष्यों के अनुसार पर्याप्त केबल प्रदान किए जाने की संभावना है। उड़ीसा सर्किल को मार्च, 2004 में 2.96 एल.सी.के.एम. केबल आबंटित किए गए हैं।

समूह 'क' और 'ख' कर्मचारियों के लिए विमान भाड़े की प्रतिपूर्ति

1919. श्रीमती ऊषा वर्मा: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उस विमान भाड़े की प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया है जिसे कश्मीर घाटी में घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहित करने के क्रम में श्रीनगर भ्रमण के लिए केन्द्र सरकार के समूह 'क' और 'ख' के कर्मचारियों द्वारा अवकाश यात्रा रियायत (एल.टी.सी.) के रूप में लिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) कश्मीर घाटी में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, समूह 'क' और 'ख' के सभी सरकारी कर्मचारियों को, दो वर्ष की अवधि के लिए, छुट्टी यात्रा रियायत पर, नई दिल्ली से श्रीनगर तक के बीच नेशनल कैरियर की एयर इकानामी (वाय) क्लास से यात्रा करने की अनुमति दी गई है और इस हवाई यात्रा के किराए की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इस संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग के दिनांक 16 जून, 2004 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 31011/2/2003-स्थापना (क) की एक प्रति संलग्न *विवरण* में दी गई है जिसमें एतद् संबंधी ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

संख्या 31011/2/2003-स्था. (क)
भारत-सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 जून, 2004

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी यात्रा रियायत नियमावली, 1988)- नई दिल्ली से श्रीनगर के बीच हवाई यात्रा से छुट्टी यात्रा रियायत में ढील।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी यात्रा रियायत) नियमावली, 1988 के नियम 12(1) में ढील देते हुए, सरकार ने, समूह 'क' और समूह 'ख' के सरकारी कर्मचारियों को, दो वर्ष की अवधि के लिए छुट्टी यात्रा रियायत लेकर नई दिल्ली से श्रीनगर तक के बीच नेशनल केरियर की इकानामी (वाय) क्लास से हवाई जहाज के किराए की प्रतिपूर्ति किए जाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। ये आदेश उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे, जो अखिल भारतीय छुट्टी यात्रा रियायत लेकर श्रीनगर जाना चाहते हैं बशर्ते कि वे अपनी यात्रा दिल्ली से शुरू करें अथवा श्रीनगर तक की यात्रा में, दिल्ली मार्ग में पड़ता हो।

2. ये आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

3. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों पर जहां तक इन आदेशों को लागू किए जाने का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श किए जाने के पश्चात् जारी किए जाते हैं।

ह./-
(वी.ए. पिल्लै)
भारत सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

प्रति:-

1. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली
3. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली
4. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली
5. सभी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन
6. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय
7. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय
8. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सभी अधिकारी और अनुभाग

ह./-
(वी.ए. पिल्लै)
भारत सरकार के अवर सचिव

[हिन्दी]

ग्राम पंचायतों में डाकघर

1920. श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम डाकघर हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य के विभिन्न जिलों विशेषकर बांदा और फतेहपुर जिलों में डाकघर सुविधा वाले ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है;

(ग) राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत में उक्त सुविधा प्रदान करने हेतु क्या समय सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से डाक वितरित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी नहीं। उत्तर प्रदेश में 89% डाक नेटवर्क ग्रामीण क्षेत्र में है।

(ख) बांदा और फतेहपुर जिलों सहित उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में डाकघर सुविधा से युक्त ग्राम पंचायतों का ब्यौरा संलग्न *विवरण* में दिया गया है।

(ग) विभाग द्वारा डाकघर निर्धारित मानदंडों के पूरा होने और वार्षिक योजना के अंतर्गत संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर खोले जाते हैं। इसलिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से डाक वितरण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) फुट बीटों को साइकिल बीटों में परिवर्तित कर दिया गया है और वितरण स्टाफ को साइकिल रखरखाव भत्ता दिया जा रहा है।

(2) डाक व्यवस्थाओं की पुनरीक्षा कर उन्हें पुनर्निर्धारित किया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में डाक वितरण तेजी से हो सके।

(3) जहां भी संभव हो डाक रूटों का यांत्रिकीकरण किया जाता है।

(4) डाक वितरण की गति की जांच के लिए डिवीजन स्तर पर टेस्ट लेटर रन किए जाते हैं और पारेषण तथा वितरण में देरी को सुधारने के कदम उठाए जाते हैं।

विवरण

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों विशेष रूप से बांदा और फतेहपुर में डाकघर सुविधा से युक्त ग्राम पंचायतों की संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	डाकघर युक्त ग्राम पंचायतों की संख्या
1	2	3
आगरा क्षेत्र		
1.	आगरा	260
2.	अलीगढ़	276
3.	हाथरस	26
4.	बुलंदशहर	252
5.	जी बी नगर	64
6.	एटा	242
7.	इटावा	147
8.	औरैया	134
9.	झांसी	167
10.	ललितपुर	138
11.	जालौन	216
12.	मथूरा	174
13.	मैनपुरी	155
14.	फिरोजाबाद	135
	कुल	2386
इलाहाबाद क्षेत्र		
1.	इलाहाबाद	428
2.	प्रतापगढ़	348
3.	वाराणसी (पूर्व)	67
4.	चंदौली	176
5.	वाराणसी (पश्चिम)	104
6.	एस आर नगर	104
7.	मिर्जापुर	170
8.	सोनभद्र	100
9.	गाजीपुर	358
10.	जौनपुर	383
	कुल	2241
बरेली क्षेत्र		
1.	बरेली	148
2.	पीलीभीत	45
3.	बिजनौर	262
4.	बदायूं	282
5.	गाजियाबाद	131
6.	जी बी नगर	41
7.	हरदोई	264
8.	खीरी	321
9.	मेरठ	209
10.	बागपत	97
11.	मुरादाबाद	172
12.	रामपुर	91
13.	जे पी नगर	88
14.	एम नगर	271
15.	सहारनपुर	179
16.	शाहजहांपुर	266
	कुल	2867
कानपुर क्षेत्र		
1.	बांदा	150
2.	चित्रकूट	122
3.	हमीरपुर	115
4.	महोबा	92

1	2	3
5.	फतेहपुर	241
6.	फर्रुखाबाद	122
7.	कन्नौज	134
8.	उन्नाव	251
9.	कानपुर ग्रामीण	290
10.	कानपुर शहर	78
	कुल	1595

गोरखपुर क्षेत्र

1.	गोरखपुर	331
2.	एम गंज	196
3.	बस्ती	363
4.	एस नगर	182
5.	बलिया	331
6.	देवरिया	266
7.	के. नगर	203
8.	आजमगढ़	333
9.	मऊ	147
10.	बहराइच	375
11.	गोंडा	339
12.	बलरामपुर	147
	कुल	3215

लखनऊ क्षेत्र

1.	लखनऊ	139
2.	फैजाबाद	219
3.	अम्बेडकर नगर	185
4.	रायबरेली	423
5.	सुलतानपुर	437
6.	सीतापुर	382
7.	बाराबंकी	341
	कुल	2126

उत्तर प्रदेश में डाकघर सुविधा से युक्त ग्राम पंचायतों की संख्या	14430

साफ्टवेयर निर्यात में वृद्धि

1921. श्री रामजीलाल सुमन:
श्री नीतीश कुमार:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2003-2004 के दौरान कितने मूल्य का साफ्टवेयर निर्यात किया गया;

(ख) इस समय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में कितने व्यक्ति कार्यरत हैं;

(ग) क्या उक्त उद्योग इस समय अधिकतम राजस्व अर्जित कर रहा है; और

(घ) आगामी वर्षों में इस उद्योग की संभावित वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) वर्ष 2003-04 के दौरान साफ्टवेयर तथा सेवाओं के निर्यात का मूल्य जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं शामिल हैं, अनुमानत: 58000 करोड़ रुपए (12.5 बिलियन अमरीकी डालर) है।

(ख) अनुमान है कि इस समय इस उद्योग में लगभग 8 लाख व्यक्ति कार्य कर रहे हैं।

(ग) साफ्टवेयर तथा सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के निर्यात से राजस्व की आय करने वाले शीर्ष क्षेत्रों में से एक है।

(घ) इस उद्योग का अगले कुछ वर्षों में 30 से 32 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से विकास होने का अनुमान है।

चिकित्सा महाविद्यालयों का आधुनिकीकरण

1922. प्रो. रासा सिंह रावत: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्य-वार कितने सरकारी और निजी चिकित्सा महाविद्यालय हैं;

(ख) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त चिकित्सा महाविद्यालयों के आधुनिकीकरण पर व्यय की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2004-05 के दौरान कितनी राशि व्यय किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) सरकार द्वारा पूरे देश में चिकित्सा शिक्षा की एकरूपता को बनाए रखने के और स्तर को सुधारने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) सूचना संलग्न *विवरण*-I में दी गई है।

(ख) और (ग) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई योजना नहीं है। तथापि, केन्द्र सरकार ने राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में नैदानिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों को धन जारी किया है। राज्यवार जारी किए गए धन का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। तथापि, इस योजना को वर्ष 2003-04 से बन्द कर दिया गया है।

(घ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने केन्द्र सरकार के अनुमोदन से विनियमों को अधिसूचित कर दिया है जिनमें प्रत्येक संस्था द्वारा अनुपालन किए जाने वाले चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानक निर्धारित किए गए हैं। यह परिषद इनकी जांच करने हेतु इन संस्थाओं का समय-समय पर निरीक्षण भी करती है।

विवरण I

19.7.2004 को देश में चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या		कुल
		सरकारी	निजी	
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	10	17	27
2.	असम	3	-	3
3.	बिहार	6	2	8
4.	चंडीगढ़	1	-	1
5.	छत्तीसगढ़	2	-	2
6.	दिल्ली	5	-	5
7.	गोवा	1	-	1
8.	गुजरात	8	4	12
9.	हरियाणा	1	2	3
10.	हिमाचल प्रदेश	2	-	2
11.	जम्मू व कश्मीर	3	1	4
12.	झारखंड	3	-	3
13.	कर्नाटक	4	26	30
14.	केरल	6	8	14
15.	मध्य प्रदेश	5	1	6
16.	महाराष्ट्र	19	19	38
17.	मणिपुर	1	-	1
18.	उड़ीसा	3	-	3
19.	पांडिचेरी	1	4	5
20.	पंजाब	3	3	6
21.	राजस्थान	6	2	8
22.	सिक्किम	1	-	1
23.	तमिलनाडु	12	7	19
24.	उत्तर प्रदेश	9	3	12
25.	उत्तरांचल	-	2	2
26.	पश्चिम बंगाल	8	-	8
	कुल	123	101	224

विवरण II

''क्षमता निर्माण के लिए सहायता'' नामक योजना के अंतर्गत सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में नैदानिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न राज्यों को प्रदान की गई निधियों को दर्शाने वाला राज्यवार ब्यौरा

असम-

1. असम चिकित्सा महाविद्यालय, डिब्रूगढ़ में नैदानिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2001-02 के दौरान 150.00 लाख रुपये।

हरियाणा-

1. वर्ष 2002-03 के दौरान पं. बी.डी. शर्मा स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में नैदानिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 148.76 लाख रुपये।

केरल-

1. वर्ष 2002-03 के दौरान चिकित्सा महाविद्यालय, तिरूअनन्तपुरम में नैदानिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 150.00 लाख रुपये।

तमिलनाडु-

1. वर्ष 2002-03 के दौरान सरकारी मोहन कुमारमंगलम चिकित्सा महाविद्यालय, सलेम में नैदानिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 150.00 लाख रुपये।

पश्चिम बंगाल-

1. वर्ष 2002-03 के दौरान उत्तरी बंगाल चिकित्सा महाविद्यालय, सुस्रातनगर, दार्जीलिंग में नैदानिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 148.85 लाख रुपये।

[अनुवाद]

उपचार के लिए गरीबों को सहायता प्रदान किया जाना

1923. श्री पी.सी. थामस: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उपचार करने के लिए गरीब लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी सहायता के लिए निर्धारित मानदंड का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत राशि का ब्यौरा क्या है और इससे राज्य-वार कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) इस मंत्रालय द्वारा दो योजनाएं अर्थात् राष्ट्रीय आरोग्य निधि (रान) तथा स्वास्थ्य मंत्री का विवेकानुदान चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का मानदंड निम्नलिखित है:-

राष्ट्रीय आरोग्य निधि- इस योजना के तहत गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले तथा खतरनाक जानलेवा बीमारियों से पीड़ित मरीजों को सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह वित्तीय सहायता 'एकमुश्त' के रूप में दी जाती है।

स्वास्थ्य मंत्री का विवेकानुदान- इस योजना में गरीब एवं जरूरतमंद मरीजों को किसी अतिविशिष्ट अस्पताल/संस्थान या अन्य सरकारी अस्पतालों में विशेष चिकित्सा हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभान्वित मरीजों की संख्या तथा स्वीकृत की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय आरोग्य निधि

दी गई राशि रुपये में

राज्य का नाम	वर्ष 2001-2002 कुल स्वीकृत राशि: 144.98 लाख रु. (लाभार्थियों की संख्या)	वर्ष 2002-2003 कुल स्वीकृत राशि: 39.05 लाख रु. (लाभार्थियों की संख्या)	वर्ष 2003-2004 कुल स्वीकृत राशि: 78.54 लाख रु. (लाभार्थियों की संख्या)
1	2	3	4
असम	01	00	00
बिहार	44	11	17
दिल्ली	02	02	15
हरियाणा	05	05	09
हिमाचल प्रदेश	00	00	01
झारखंड	05	02	00
मध्य प्रदेश	01	00	02

1	2	3	4
उड़ीसा	02	00	01
पंजाब	00	00	01
राजस्थान	01	01	01
उत्तरांचल	00	00	03
उत्तर प्रदेश	18	06	23
पश्चिम बंगाल	02	00	00

स्वास्थ्य मंत्री का विवेकानुदान

दी गई राशि रुपये में

राज्य का नाम	वर्ष 2001-2002 कुल स्वीकृत राशि: 105.00 लाख रु. (लाभार्थियों की संख्या)	वर्ष 2002-2003 कुल स्वीकृत राशि: 102.93 लाख रु. (लाभार्थियों की संख्या)	वर्ष 2003-2004 कुल स्वीकृत राशि: 52.53 लाख रु. (लाभार्थियों की संख्या)
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	03	02	00
अरुणाचल प्रदेश	00	01	00
असम	02	04	01
बिहार	208	103	63
दिल्ली	66	51	42
गुजरात	01	00	00
हरियाणा	22	20	16
हिमाचल प्रदेश	02	00	01
झारखंड	05	11	02
छत्तीसगढ़	01	00	00
जम्मू व कश्मीर	01	00	01
कर्नाटक	09	07	00
केरल	05	35	01
मध्य प्रदेश	12	14	05
मेघालय	01	00	00
महाराष्ट्र	10	21	02
मणिपुर	04	02	01
मिजोरम	00	00	00
उड़ीसा	10	05	07
पंजाब	03	03	01
राजस्थान	17	09	02
सिक्किम	01	00	00
तमिलनाडु	40	54	01
त्रिपुरा	00	02	00
उत्तर प्रदेश	123	86	103
उत्तरांचल	02	10	05
पश्चिम बंगाल	76	155	49

मुंबई-पुणे सुपर एक्सप्रेस वे

1924. श्री सुरेश कलमाडी: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने लगभग 1630 करोड़ रु. की लागत से मुंबई-पुणे सुपर एक्सप्रेस वे का कार्य पूरा करा लिया है, जो केन्द्र सरकार को स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का भाग है;

(ख) यदि हां, तो पुणे शहर के बाइपास के निर्माण की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजना लागत के 40% की प्रतिपूर्ति करने हेतु अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अनुरोध पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) पुणे शहर के आसपास राष्ट्रीय राजमार्ग 4 पर पश्चिम विपथन (बाइपास) का निर्माण किया गया है। पुणे शहर के लिए रा.रा. 9 और रा.रा. 50 पर कोई बाइपास नहीं है।

(ग) जी हां। महाराष्ट्र सरकार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से मुंबई-पुणे एक्सप्रेस मार्ग की परियोजना लागत के 40% की प्रतिपूर्ति करने का अनुरोध किया है।

(घ) केन्द्र सरकार की नीति के अनुसार राज्य सरकार द्वारा राज्यीय सड़कों पर विकसित ऐसी परियोजनाओं की लागत की प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है। तथापि, मंत्रालय ने महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के साथ एक रियायत करार पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग 4 जो सामान्यत: एक्सप्रेस मार्ग के समानांतर है पर कुछ सुधार कार्य और चौड़ा करने का कार्य पूरा करने के बाद पथकर लगाने की उन्हें अनुमति दी गई है। पथकर वसूली के लिए रियायत अवधि 30 अप्रैल, 2030 तक है और यह एक्सप्रेस मार्ग और रा.रा. 4 के साझा भाग की 704.45 करोड़ रु. की पूंजी लागत को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई है जो संपूर्ण एक्सप्रेस मार्ग की 40 प्रतिशत लागत से अधिक है।

गंगा के ऊपर पुल

1925. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार झारखंड में साहेबगंज से बिहार में मनिहारी घाट तक और राजमहल से कलियाचक तक गंगा पर पुलों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो विनिर्माण कार्य कब तक आरंभ होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) यह मंत्रालय देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। प्रश्न में उल्लिखित पुल राज्यीय सड़क पर है और इसके निर्माण के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

शीतल पेयों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति का प्रतिवेदन

1926. श्री पी.के. वासुदेवन नायर:
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शीतल पेयों में कीटनाशकों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति ने सरकार को शीतल पेयों हेतु नए कड़े मानकों को निर्धारित करने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो उसे क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार ने कीटनाशी अवशिष्टों संबंधी उप-समिति की स्थापना की है;

(घ) क्या समिति ने सिफारिश की है कि कीटनाशी अवशिष्टों का पता लगाने के लिए शीतलपेयों की राष्ट्र स्तर पर निगरानी की जानी चाहिए; और

(ङ) यदि हां, तो संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के होने के बाद नए सिरे से निगरानी करने का प्रयोजन है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) सा.का.नि. 388(ङ) दिनांक 15.7.2004 के तहत एक अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है जिसके द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों के अंतर्गत कार्बोनीकृत जल के लिए निर्धारित किए गए मानकों का संशोधन कर दिया गया है जिनमें कार्बोनीकृत जल को तैयार करने में उपयोग किए गए जल का खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अंतर्गत पैक किए गए पेय जल के निर्धारित किए गए मानकों के अनुरूप होना अपेक्षित है।

(ग) खाद्य पदार्थों में कृमिनाशक अवशिष्टों से संबंधित मामलों के बारे में खाद्य मानकों की केन्द्रीय समिति के मार्गदर्शन हेतु एक कृमिनाशक अवशिष्ट उप समिति पहले से ही एक तकनीकी समिति के रूप में विद्यमान है।

(घ) और (ङ) कृमिनाशक अवशिष्ट उपसमिति ने 24 जून, 2004 को हुई अपनी बैठक में यह संस्तुति की कि संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कार्बोनीकृत पेयों के लिए मानकों जो भारतीय दशाओं के लिए सबसे अधिक अनुकूल हैं, को जन स्वास्थ्य के समग्र परिदृश्य में नियत किए जाने की जरूरत है। ये मानक पर्याप्त रूप से कड़े भी होने चाहिए।

कृषि संबंधी किसी सामग्री पर एम.आर.एल. नियत करने के लिए कृषि संबंधी अच्छी पद्धतियों के अनुसार पर्यवेक्षित क्षेत्रीय परीक्षणों से प्राप्त हुए कृमिनाशक अवशिष्टों के आंकड़ों पर विचार कराना होगा। तथापि, कार्बोनीकृत जल के मामले में ऐसे परीक्षण संभव नहीं हैं। अत: कृमिनाशक अवशिष्टों पर उप-समिति द्वारा किए गए काफी विचार-विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि एम.आर.एल. के निर्धारण के प्रयोजन हेतु कार्बोनीकृत जल में कृमिनाशक अवशिष्टों पर राष्ट्रव्यापी मानीटरिंग आंकड़ों की आवश्यकता है।

कृषि-ग्रामीण उद्योगों का पुनरुद्धार

1927. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **लघु और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी बोर्डों तथा लघु उद्योगों द्वारा कृषि और ग्रामीण उद्योगों का विकास किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की औद्योगिक नीति के उदारीकरण के मद्देनजर राज्य वित्तीय निगमों की सहायता अब लगभग निष्क्रिय हो गयी है; और

(घ) यदि हां, तो देश में कृषि-ग्रामीण उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) के अंतर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.)/खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (के.वी.आई.बी.) के माध्यम से सरकार द्वारा कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों का संवर्धन किया जा रहा है।

(ग) और (घ) आर.ई.जी.पी. के कार्यान्वयन के लिए चूंकि निधियां सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा चयनित आधार पर सहकारी बैंकों एवं निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं, उद्यमियों को राज्य वित्तीय निगमों से सहायता लेना अपेक्षित नहीं है।

[हिन्दी]

चिकित्सा संस्थानों की फीस में कटौती

1928. श्री बची सिंह रावत 'बच्चदा': क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इससे अवगत है कि उत्तरांचल को इसके पिछड़ेपन के कारण विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा प्रदान है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार राज्य में स्थित चिकित्सा संस्थानों की फीस में कटौती के लिए कोई ठोस कदम उठायेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस्लामिक एकेडेमी आफ एजूकेशन के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने 14.8.2003 के निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि प्रत्येक संस्था को अपने फीस के ढांचे को नियत करने की स्वतंत्रता होगी। तथापि कोई भी संस्था केपीटेशन फीस नहीं लेगी अथवा मुनाफाखोरी नहीं करेगी। माननीय न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि प्रत्येक राज्य सरकार यह निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित करेगी कि क्या संस्था द्वारा प्रस्तावित फीस उचित है और वह मुनाफाखोरी तो नहीं कर रही है अथवा केपीटेशन फीस तो नहीं ले रही है। उक्त समिति संस्था द्वारा प्रस्तावित फीस के ढांचे का अनुमोदन कर सकती है अथवा किसी अन्य फीस का प्रस्ताव कर सकती है जो कि संस्था पर तीन वर्ष की अवधि के लिए बाध्यकारी होगा।

उत्तरांचल सरकार के अनुसार राज्य सरकार ने सहायता न पाने वाले प्राइवेट मेडिकल कालेजों में फीस ढांचे को मानीटर करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्देशों के अनुसार उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है।

पीलिया का प्रकोप

1929. श्री महेश कनोडीया: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली, गुजरात और देश के अन्य भागों में पीलिया का प्रकोप बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या अब तक सरकार ने इसे रोकने के लिए कोई कदम उठाये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) से (घ) पीलिया रोग आमतौर पर हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई एवं जी वायरस के संक्रमण से होने वाले वायरल हेपेटाइटिस से होता है। केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वर्ष 2001, 2002 एवं 2003 के दौरान सूचित वायरल हेपेटाइटिस रोगियों की संख्या क्रमश: 1,49,262; 1,35,859 एवं 1,50,953 है। पीलिया रोग के कुछ प्रमुख कारणों में असुरक्षित पेयजल, खराब सफाई व स्वच्छता शामिल हैं। सुरक्षिय पेयजल, सफाई, स्वच्छता बनाए रखने और पीलिया रोग के उपचार की जिम्मेदारी प्रमुख रूप से राज्य सरकारों की है। भारत सरकार विभिन्न स्कीमों अर्थात् त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम, स्वजलधारा स्कीम, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना-ग्रामीण पेय जल, त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम पूर्ण सफाई अभियान, स्कूली साफ-सफाई एवं स्वच्छता संबंधी शिक्षा एवं अल्प लागत सफाई स्कीम के जरिए राज्य सरकारों के प्रयासों को सहायता पहुंचाती है। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान दिल्ली राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है और निगरानी करने, रोग का शुरू में ही पता लगाने और पीलिया रोग सहित संचारी रोगों के प्रकोपों की रोकथाम एवं नियंत्रण करने का कार्य करता है।

[अनुवाद]

भारत, जापान और चीन के बीच त्रिपक्षीय गुट

1930. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत, जापान और चीन के बीच रणनीतिक त्रिपक्षीय गुट बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या भारत और जापान के बीच इस पर कोई चर्चा हुई है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किया गया है;

(ङ) क्या चीन ने भी इसमें शामिल होने में रुचि दिखाई है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (च) भारत, जापान और चीन को शामिल करके त्रिपक्षीय वार्ता करने के विचार पर हाल ही में कुछ हलको में चर्चा हुई है। जापानी पक्ष के साथ इस मसले पर कुछ प्रारम्भिक विचार-विमर्श हुए हैं। भारत सरकार चीन और जापान सहित, सभी प्रमुख भागीदारों के साथ, एशिया में सहयोग बढ़ाने के तरीकों का पता लगाने के लिए वचनबद्ध है।

व्यावसायिक आधार पर उपग्रह प्रक्षेपण

1931. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ''इसरो'' व्यावसायिक आधार पर दूसरे देशों के उपग्रहों को अपने प्रक्षेपण वाहनों से अन्तरिक्ष में प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अपने वाणिज्यिक विंग एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन के माध्यम से ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी.एस.एल.वी.) और भू-तुल्यकारी उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी.एस.एल.वी.) द्वारा दूसरे देशों के उपग्रहों को वाणिज्यिक आधार पर बाह्य अन्तरिक्ष में प्रमोचित करने की पेशकश की है।

(ख) अभी तक, ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी.एस.एल.वी.) का उपयोग करते हुए चार विदेशी उपग्रह प्रमोचित किये जा चुके हैं, जिनमें से दो उपग्रह जर्मनी के हैं व कोरिया गणराज्य एवं बेलजियम का एक-एक उपग्रह है। इसके अलावा, एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन ने ननयांग प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, सिंगापुर के साथ एक्स-सैट नामक एक प्रौद्योगिकी उपग्रह को 2005 के अंत तक प्रमोचित करने और कास्मास इन्टरनेशनल सैटेलाईटनस्टार्ट गेम्बएच, जर्मनी के साथ 'एजाइल' नामक एक वैज्ञानिक उपग्रह को 2005 के मध्य तक प्रमोचित करने के लिए करारों पर हस्ताक्षर किये हैं। इन दोनों उपग्रहों का प्रमोचन भारतीय ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट द्वारा किया जायेगा।

मेडिकल प्रश्न-पत्र का लीक होना

1932. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में आयोजित अखिल भारतीय स्नातकोत्तर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के दौरान कथित प्रश्न-पत्र लीक होने के संबंध में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच के आदेश दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परीक्षा की शुचिता को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) से (ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली देश के सभी सरकारी चिकित्सा/दंत चिकित्सा कालेजों में 25 प्रतिशत सीटों के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा तैयार एवं अनुमोदित की गई स्कीम के अनुसार अखिल भारतीय स्नातकोत्तर चिकित्सा डेंटल प्रवेश परीक्षा आयोजित करता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने सूचित किया है कि हाल ही में आयोजित अखिल भारतीय स्नातकोत्तर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के दौरान कोई प्रश्न-पत्र लीक नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

मेडिकल कालेजों में शुल्क

1933. श्री मोहन सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार, विभिन्न राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के अंतर्गत उन मेडिकल कालेजों की संख्या कितनी है जहां एम.बी.बी.एस. और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पढ़ाए जा रहे हैं;

(ख) इन मेडिकल कालेजों में प्रतिवर्ष कितने विद्यार्थियों का नामांकन किया जाता है और उनके नामांकन के मानदण्ड क्या हैं;

(ग) क्या इन मेडिकल कालेजों की शिक्षा के मानकों को भारतीय चिकित्सा परिषद से स्वीकृति प्राप्त है और सभी मेडिकल कालेज इन मानदण्डों को पूरा करते हैं;

(घ) इन मेडिकल कालेजों में वार्षिक शुल्क की पद्धति क्या है और इसके मानदण्ड क्या हैं;

(ङ) क्या गरीब और निम्न आय वर्ग के विद्यार्थी उक्त शुल्क भुगतान का भार उठा सकते हैं; और

(च) यदि नहीं, तो गरीब और निम्न आय वर्ग के प्रतिभा सम्पन्न विद्यार्थियों के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) इस समय देश में 224 चिकित्सा महाविद्यालय चल रहे हैं जिसमें से 7 संघ सरकार/केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा, 116 राज्य सरकारों/राज्य सरकारों द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों द्वारा तथा 101 निजी/सोसाइटियों द्वारा चलाए जा रहे हैं। सरकार के अधीन स्नातकोत्तर संस्थानों समेत 148 चिकित्सा महाविद्यालय भी हैं जो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाते हैं।

(ख) इन चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रति वर्ष लगभग 25,000 अधोस्नातक तथा 8000 स्नातकोत्तर सीटें होती हैं। इन पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के इच्छुक विद्यार्थियों को केन्द्र सरकार के अनुमोदन से भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा जारी विनियमों में निर्धारित मानदण्डों को पूरा करना होता है।

(ग) सभी चिकित्सा महाविद्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे भारतीय चिकित्सा परिषद के विनियमों में निर्धारित पाठ्यक्रमों व शिक्षा के मानकों का अनुसरण करें। परिषद इन मानकों की जांच करने हेतु महाविद्यालयों का निश्चित अवधि पर निरीक्षण करती रहती है।

(घ) से (च) इस्लामिक अकादमी आफ एजूकेशन के मामले में दिनांक 14.8.2003 को दिए गए अपने एक निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि प्रत्येक संस्थान को अपने शुल्क ढांचे को निर्धारित करने की स्वतंत्रता होगी। तथापि, कोई भी संस्थान ना तो कैपिटेशन शुल्क लेगा ना ही मुनाफाखोरी में शामिल होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आगे यह निदेश दिया कि प्रत्येक राज्य सरकार उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करेगी जो यह देखेगी कि संस्थान द्वारा प्रस्तावित शुल्क न्यायसंगत है तथा वह मुनाफाखोरी नहीं कर रहा है और कैपिटेशन शुल्क नहीं ले रहा है। यह समिति संस्था द्वारा प्रस्तावित शुल्क ढांचे को अनुमोदित कर सकती है तथा उसके लिए अन्य शुल्क का प्रस्ताव रख सकती है जिसे संस्थान को तीन वर्ष की अवधि के लिए लागू करना होगा।

साफ्टवेयर निर्यात में कम बीजक बनाना

1934. **श्री तूफानी सरोज:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ वर्षों से साफ्टवेयर के निर्यात में कम बीजक बनाने की प्रक्रिया जारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कारण सरकार को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) इस संबंध में कोई विशिष्ट सूचना नहीं प्राप्त हुई है;

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

जी-8 और जी-10 का विस्तार

1935. **श्री महबूब जाहेदी:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और चीन को शामिल करने के लिए जी-8 और जी-10 का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रस्ताव का समर्थन करने वाले देशों के नाम क्या हैं; और

(घ) इस पर केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (घ) मीडिया की कुछ खबरों के अनुसार जून, 2004 में संयुक्त राज्य अमेरिका में जी-8 शिखर सम्मेलन के संपन्न होने के पश्चात् पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर में यूनाइटेड किंगडम और इटली के प्रधानमंत्री तथा रूस के राष्ट्रपति ने भारत और चीन के साथ जी-8 देशों के बेहतर पारस्परिक संपर्क स्थापित करने की वांछनीयता के संबंध में आम टिप्पणी दी थी। चूंकि भारत और चीन को जी-8 में शामिल करने का कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं है अत: सरकार की प्रतिक्रिया का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

लद्दाख में सी-डॉट 256 एक्सचेंज

1936. **श्री छेवांग थुपस्तन:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लद्दाख में अधिस्थापित सी-डाट 256 एक्सचेंजों में से अधिकांश अप्रशिक्षित और अस्थायी कर्मचारियों द्वारा चलाए और प्रबंधित किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके कार्यकरण के बारे में क्षोभ और व्यापक शिकायतें व्याप्त हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस समस्या को सुलझाने के लिए कोई कार्रवाई शुरू की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) लद्दाख क्षेत्र (लेह एस एस ए) में 29 स्टेशनों पर सी-डाट 256 के 33 एक्सचेंज हैं। इनमें से, आवश्यकता आधार पर, 21 स्टेशनों की प्रबंध व्यवस्था विभागीय प्रशिक्षित स्टाफ तथा 8 स्टेशनों की प्रबंध-व्यवस्था विभागीय प्रशिक्षित ग्रुप एक्सचेंज स्टाफ द्वारा की जाती है। तथापि, इंजन अल्टरनेटर्स चलाने तथा अन्य अत्यावश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन आठों एक्सचेंजों में सुरक्षा गार्ड/भारतीय वायु सेना के कार्मिक उपलब्ध हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

परमाणु ऊर्जा अधिनियम की समीक्षा

1937. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार परमाणु ऊर्जा अधिनियम की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त मामले में कौन-से कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) से (ग) यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

शिपयार्डों की क्षमता का विस्तार

1938. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रत्येक शिपयार्ड की पोत निर्माण क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार शिपयार्डों की क्षमता बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो दसवीं योजना के दौरान इस संबंध में विचारित प्रस्ताव कौन-से हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के शिपयार्डों की क्षमता के बारे में शिपयार्ड-वार *विवरण* संलग्न है।

(ख) और (ग) अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन शिपयार्डों के विस्तार के बारे में सरकार के पास कोई भी प्रस्ताव नहीं है। जहां तक निजी क्षेत्र के शिपयार्डों का संबंध है, वे अपनी वाणिज्यिक व्यवहार्यता के अनुसार अपना विस्तार करने को स्वतंत्र हैं।

विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों के संबंध में, शिपयार्डों की शिपयार्ड-वार क्षमता

निर्मित किए जा सकने वाले पोतों का अधिकतम आकार

क्रमांक	पोत परिवहन मंत्रालय के अधीन शिपयार्डों के नाम	लंबाई/मीटर	चौड़ाई/मीटर	डुबाव/मीटर	डी डब्ल्यू टी (000) में
1	2	3	4	5	6
1.	कोचीन शिपयार्ड लि., कोच्चि	250	40	20	150
2.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि., विशाखापत्तनम	195	38	17	75.25
3.	हुगली डाक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि., कोलकाता	80	14	5	1.0
4.	राजाबागान डाकयार्ड, केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि., कोलकाता	90	14	4	3.0
	रक्षा मंत्रालय के अधीन				

1	2	3	4	5	6
5.	मजगांव डाक लि., मुंबई	190	26	4.2	27.0
6.	गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लि., कोलकाता	160	23	4.75	26.0
7.	गोवा शिपयार्ड लि., गोवा राज्य सरकारों के अधीन	105	13	4.5	3.0
8.	एलकाक एशडाउन एंड कं. लि., भावनगर, गुजरात	90	16	6	5.0
9.	शालीमार वर्क्स लि., कोलकाता, पश्चिम बंगाल	55	12	5.5	1.2

निजी क्षेत्र के शिपयार्डों के संबंध में, शिपयार्डों की शिपयार्ड-वार क्षमता निर्मित किए जा सकने वाले पोतों का अधिकतम आकार

क्रमांक	पोत परिवहन मंत्रालय के अधीन शिपयार्डों के नाम	लंबाई/मीटर	चौड़ाई/मीटर	डुबाव/मीटर	डी डब्ल्यू टी (000) में
1.	ए बी जी शिपयार्ड लि., मगदल्ला, गुजरात	150.00	30.00	9.00	15.00
2.	एंडरसन मेरिन प्रा.लि., गोवा	110.00	20.00	6.00	7.50
3.	भारती शिपयार्ड लि., रत्नागिरी	125.00	2.00	5.50	10.00
4.	चोगुले एंड कं. लि., गोवा	100.00	18.00	3.20	3.50
5.	कारपोरेट कंसलटेंसी एंड इंजीनियर्स प्रा. लि., कोलकाता	35.00	13.00	3.50	0.50
6.	डेम्पो इंजीनियरिंग वर्क्स लि.	75.00	16.00	3.00	3.00
7.	गुडविल इंजीनियरिंग वर्क्स लि.	55.00	20.00	3.00	0.70
8.	एन एन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लि.	80.00	14.00	2.50	3.00
9.	सेसा गोवा लि., गोवा	80.00	14.00	2.00	3.00
10.	टेबमा इंजीनियरिंग लि., चेन्नई	100.00	20.00	6.00	7.00
11.	विपुल शिपयार्ड, सूरत	75.00	30.00	3.500	0.30

नाविक भविष्य निधि घोटाला

1939. श्री अलीमाऊ चर्चील: क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को नाविक भविष्य निधि घोटाले की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितने लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार को नाविकों की निधियों की भरपाई के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने अब तक इस पर क्या कार्रवाई कई है; और

(च) सरकार का विचार नाविक भविष्य निधि में घोटाले के परिणामस्वरूप हुई हानि से किस प्रकार निपटने का है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) जी, हां। नाविक भविष्य निधि के 92.78 करोड़ रु. के दुर्विनियोजन का मई, 2002 में पता चला। इस धोखाधड़ी के पता चलने के तुरन्त बाद ही इसकी जांच की गई और इस धोखाधड़ी का पता चलने के एक सप्ताह के दौरान ही सनदी लेखाकारों की एक प्रतिष्ठित फर्म से नाविक भविष्य निधि की विशेष लेखापरीक्षा करवाई गई। इस धोखाधड़ी के बारे में 10.5.2002 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से शिकायत की गई। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नाविक भविष्य निधि संगठन के तत्कालीन आयुक्त को गिरफ्तार कर लिया। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने उपर्युक्त धोखाधड़ी की जांच पूरी कर ली है और उपर्युक्त धोखाधड़ी में संलिप्त 15 व्यक्तियों के खिलाफ 10.11.2003 को मुम्बई में अवस्थित न्यायालय में आरोप-पत्र दायर कर दिया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) उपर्युक्त दुर्विनियोजन धोखाधड़ी से हुई नाविक भविष्य निधि से संबंधित धन की हानि की प्रतिपूर्ति किए जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

परम्परागत व्यवसायों को लघु उद्योग का दर्जा दिया जाना

1940. श्री शैलेन्द्र कुमार: क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लोगों के परम्परागत व्यवसायों को लघु उद्योग का दर्जा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) वैधानिक बोर्ड या समिति या विशेष अभिकरण जैसे कि के.वी.आई.सी., सिल्क बोर्ड, हैन्डीक्राफ्ट्स बोर्ड, वस्त्र आयुक्त, हैन्डलूम बोर्ड, कयर बोर्ड, इत्यादि के क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले क्रियाकलापों को छोड़ कर लघु उद्योग (एस.एस.आई.) सामान्यत: एक या उससे अधिक मद (मदों) के विनिर्माण क्रियाकलाप को ही कवर करती है। तथापि, ऐसे लघु सेवा तथा बिजनेस उद्यम (एस.एस.एस.बी.ई.) चूंकि उद्योग सम्बद्ध हैं तथा जिनका नियत परिसम्पत्तियों में निवेश दस लाख रु. तक (भूमि और भवन को छोड़कर) का है, वे भी लघु उद्योग को मिलने वाले हितलाभों को प्राप्त करने के पात्र हैं।

[अनुवाद]

गुजरात में तटीय राजमार्ग का उन्नयन

1941. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात के पास देश के कुल समुद्र तट का 25 प्रतिशत क्षेत्र है, जिस पर कई पत्तन भी हैं, क्या इस समुद्र तट के समुद्र तटीय राजमार्ग का उन्नयन राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन्नयन कार्य के कब तक शुरू होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार को गुजरात सरकार से 13 राज्य राजमार्गों के उन्नयन का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो आज की तारीख में इस प्रस्ताव की क्या स्थिति है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) किसी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना केवल इसी तथ्य पर निर्भर नहीं करता कि वह तट पर स्थित है अपितु यातायात की आवश्यकता, अखिल भारतीय आधार पर पारस्परिक प्राथमिकता और संसाधनों की उपलब्धता सहित अनेक दूसरे तथ्यों पर भी निर्भर करता है। इसके बावजूद गुजरात में तट रेखा पर लगभग 732 कि.मी. लंबी सड़क को पहले ही राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित किया जा चुका है। इसमें फरवरी, 2004 में घोषित 370 कि.मी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग भी शामिल हैं।

(घ) फरवरी, 2004 में पिछली बार राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के पश्चात् नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल के अधिकार से वंचित करना

1942. श्री गुरुदास दासगुप्त: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए उस आदेश की जानकारी है जिसमें सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल के अधिकार से वंचित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी कर्मचारियों सहित कर्मकारों और कर्मचारियों के हड़ताल के अधिकार की रक्षा के लिए कानून बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, हां, सरकार को टी.के. रंगराजन बनाम तमिलनाडु सरकार और अन्य के मामले में (उच्चतम न्यायालय द्वारा) 6 अगस्त, 2003 को दिए गए निर्णय की जानकारी है।

(ख) से (घ) यद्यपि, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 22 और 23 के अंतर्गत लोक उपयोगी सेवाओं और अन्य स्थापनाओं, दोनों में ही हड़ताल के अधिकार पर कतिपय प्रतिबंध लगाए गए हैं लेकिन औद्योगिक कामगारों को हड़ताल के अधिकार से कतई वंचित नहीं किया गया है। संदर्भित मामले में, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत श्रमिकों को प्रदत्त अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आचरण नियमों के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा के किसी मामले के संबंध में अथवा किसी अन्य सरकारी कर्मचारी की सेवा के किसी मामले के संबंध में किसी तरह की हड़ताल अथवा अवपीड़न अथवा शारीरिक दबाव का न तो सहारा लेगा और न ही ऐसा करने के लिए उकसाएगा।

सफदरजंग अस्पताल में लापरवाही

1943. श्री अजीत कुमार सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सफदरजंग अस्पताल में लापरवाही के कारण तीन दिनों के भीतर आठ बच्चों की मृत्यु हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/ कार्यवाही किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाक लक्ष्मी): (क) से (ग) सफदरजंग अस्पताल में एक्यूट हेपेटिक फेल्योर, न्युमोनिया, तीव्र डीहाईड्रेशन एवं आघात, गम्भीर सी एन एस संक्रमण मस्तिष्क ज्वर जैसी अत्यधिक गम्भीर बीमारियों के कारण बच्चों की मृत्यु हुई। अधिकतर मौतें दाखिल होने के 48 घंटों के भीतर हुई। इससे उस बीमारी की गम्भीरता का पता चलता है जिससे ग्रस्त होकर रोगी अस्पताल में भर्ती हुआ था। सफदरजंग अस्पताल में बच्चों को चिकित्सा उपचार प्रदान करने में कोई लापरवाही नहीं बरती जाती है।

[हिन्दी]

महिला जनसंख्या में कमी

1944. श्री चन्द्र शेखर दूबे: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कन्या भ्रूण हत्या के कारण पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जनसंख्या लगातार कम हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ग) यदि हां, तो इसको रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) देश में लिंग अनुपात (प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या) में वर्ष 1901 में कमी आ रही है। वर्ष 1901 में प्रति हजार लड़कों में 972 लड़कियां थी जो वर्ष 1991 में घटकर 927 रह गयी है। तथापि, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात बढ़कर 933 हो गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) लड़कों की संख्या के अनुपात में लड़कियों की संख्या में कमी होने के प्रमुख कारण, बालिका भ्रूण हत्या को रोकने के लिए प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (विनियमन एवं दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 को दिनांक 1.1.1996 से लागू किया है। इस अधिनियम को और अधिक सख्त बनाने के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन किया गया है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की है जो यह काम इस अधिनियम के तहत राज्य, जिला और उप-जिला स्तरों पर नियुक्त उपयुक्त प्राधिकारियों के माध्यम से करते हैं। उनसे अनुरोध किया गया है कि वे इस अधिनियम और नियमों के उपबंधों का व्यापक प्रचार-प्रसार एवं उसका अक्षरश: प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

तथापि, यह पाया गया है कि सामाजिक व्यवहार और पूर्वाग्रह में गहरी जड़ें जमा चुकी इस समस्या से निपटने के लिए महज कानून बनाना काफी नहीं है। इसलिए रेडियो, दूरदर्शन और प्रिंट मीडिया यूनिटों के जरिए लिंग के प्रसव-पूर्व निर्धारण एवं बालिका भ्रूण हत्या के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न कार्यकलाप किए गए हैं। इस सामाजिक बुराई के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य/क्षेत्रीय/जिला/खण्ड स्तरों पर स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कार्यशालाएं एवं सेमिनार भी आयोजित किए जाते हैं। इसे रोकने के लिए धार्मिक नेताओं और चिकित्सकों से भी सहायता मांगी गई है।

भारत सरकार ने युवा लड़कियों की उपलब्धियों को उजागर करके बेटे को तरजीह देने संबंधी धारणा को कम करने के उद्देश्य से 'कन्या बचाओ अभियान' शुरू किया है।

[अनुवाद]

परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पृथक निधि

1945. श्री डी. थिट्टल राव: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार संसाधनों के अभाव में लंबित पड़ी, बड़ी योजनाओं को पूरा करने के लिए एक पृथक निधि की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितनी परियोजनाओं को लाभ होने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आस्कर फर्नांडिस): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दूरसंचार क्षेत्र में वृद्धि

1946. श्री किरिप चालिहा: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही के वर्षों में दूरसंचार के क्षेत्र में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरसंचार क्षेत्र में वृद्धि के बावजूद स्वदेशी विनिर्माण उद्योग को पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिला है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। टेलीफोन कनेक्शनों और टेलीघनत्व का वर्षवार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

	टेलीफोन कनेक्शन (लाख में)	वृद्धि (प्रतिशत में)	टेलीघनत्व (प्रति 100 जनसंख्या)
31.3.2001 की स्थिति के अनुसार	362.9	-	3.53
31.3.2002 की स्थिति के अनुसार	449.7	23.9	4.29
31.3.2003 की स्थिति के अनुसार	546.2	21.5	5.11
31.3.2004 की स्थिति के अनुसार	765.4	40.1	7.02

(ग) और (घ) दूरसंचार उपस्कर के स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के अनेक उपाय किए गए थे। इस उद्योग को कई प्रोत्साहन दिए गए हैं—जैसे केन्द्रीय बिक्री कर के अंतर्गत लाभ, संशोधित ईएचटीपी (इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर टैक्नोलोजी पार्क) स्कीम, सीमा शुल्क का युक्तिकरण और मोबाइल हैंडसैटों के विनिर्माण पर उत्पाद शुल्क से छूट, ताकि दूरसंचार सेवा क्षेत्र के विकास के अनुरूप ही विनिर्माण उद्योग के विकास को भी बढ़ावा दिया जा सके।

गुजरात में राजमार्गों की लंबाई में वृद्धि

1947. श्री दिनशा पटेल: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है और उसमें गुजरात का कितना हिस्सा है;

(ख) क्या सरकार को गुजरात राज्य में विद्यमान राजमार्गों की लंबाई में वृद्धि करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 65,569 कि.मी. है। इसमें 25.2.2004 को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित विभिन्न राज्यों की राज्य सड़कों के 7457 कि.मी. की कुल लंबाई शामिल है। उनमें गुजरात राज्य का हिस्सा 2871 कि.मी. है। इसमें 25.2.2004 को गुजरात में नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित राज्य सड़कों के 410 कि.मी. की कुल लंबाई शामिल है।

(ख) फरवरी, 2004 में राष्ट्रीय राजमार्गों की अंतिम घोषणा के पश्चात् गुजरात सरकार से इस मंत्रालय को नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एशियन विकास बैंक से ऋण

1948. श्री प्रकाश बापू पी. पाटिल: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली के पुनर्निर्माण के लिए एशियन विकास बैंक से बड़ी मात्रा में ऋण प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्य-योजना को अंतिम रूप दिया है; और

(घ) यदि हां, तो एशियन विकास बैंक ऋण से महाराष्ट्र में ईस्ट-वेस्ट कारिडोर और अन्य राजमार्ग परियोजनाओं को किस सीमा तक लाभ मिलने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों को मजबूत करने और चार लेन का बनाने के लिए सरकार और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एशियाई विकास बैंक के साथ पहले से ही हस्ताक्षरित अथवा हस्ताक्षर किए जाने वाले ऋण करारों में ब्यौरे संलग्न *विवरण* में दिए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) महाराष्ट्र राज्य में रा.रा.-8 के काजली-मनोर खंड (381.6 कि.मी. से 439 कि.मी.) को एशियाई विकास बैंक ऋण संख्या 1747-इंड के माध्यम से चार लेनों का बना दिया गया है।

विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	ऋण सं. और तारीख	ऋण/अनुदान की राशि (अमरीकी डालर में)	स्थिति
1	2	3	4	5
1.	ए डी बी-1 परियोजनाएं (आंध्र प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में)	918-इंड 1988	172.86 मिलियन	कार्य समाप्त हो गया है।
2.	ए डी बी-2 परियोजनाएं (कर्नाटक, केरल और राजस्थान राज्यों में)	1041-इंड 1991	250 मिलियन	कार्य समाप्त हो गया है।

1	2	3	4	5
3.	ए डी बी-3 परियोजनाएं (आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों में)	1274-इंड 1993	245 मिलियन	कार्य समाप्त हो गया है।
4.	रा.रा. 8 के 263.4 कि.मी. से 439.00 कि.मी. तक (गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में) सूरत-मनोर पथकर मार्ग परियोजना	1747-इंड 5.10.2000	180 मिलियन	कार्य चल रहा है।
5.	रा.रा. 4 के 75 कि.मी. से 340 कि.मी. तक (कर्नाटक राज्य में) पश्चिम परिवहन महामार्ग परियोजना	1839-इंड 22.6.1998	240 मिलियन	कार्य चल रहा है।
6.	रा.रा. 34 (वारासत-रायगंज) के 31.0 कि.मी. से 398.0 कि.मी. तक (पश्चिम बंगाल राज्य में) पश्चिम बंगाल महामार्ग विकास परियोजना	1870-इंड 11.12.2001	210 मिलियन	कार्य चल रहा है।
7.	पूर्व-पश्चिम महामार्ग परियोजना (गुजरात राज्य में)	1944-इंड 23.10.2002	320 मिलियन	ऋण करार पर पहले ही हस्ताक्षर कर लिए गए हैं।

रुग्ण इकाइयों की परिभाषा

1949. प्रो. एम. रामदास: क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एस.एस. कोहली समिति की सिफारिशों के अनुसार, रुग्ण इकाइयों हेतु संशोधित परिभाषा और पुनर्वास के लिए मानदंडों को बैंकों द्वारा राज्य स्तरीय पुनर्वास समितियों के संयोजन से कड़ाई के साथ और तत्कालिकता के साथ क्रियान्वित किया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) कोहली समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने रुग्ण यूनिटों की परिभाषा तथा उनके पुनर्वास के लिए मानदण्डों के संबंध में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को कार्यान्वयन हेतु 16 जनवरी, 2002 को संशोधित मार्गनिर्देश परिचालित किए हैं। संशोधित मार्ग-निर्देशों से बैंकों को रुग्णता का प्रारम्भ में ही पता लगाने तथा सम्भाव्य जीवनक्षम रुग्ण लघु उद्योग यूनिटों के पुनरुद्धार के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने में सुविधा होगी। विभिन्न राज्यों में स्थापित की गई राज्य स्तरीय अन्त: सांस्थानिक समितियां (एस एल आई आई सी) इस संबंध में कार्य की प्रगति की समीक्षा एवं रुग्ण लघु उद्योग यूनिटों के पुनर्वास के लिए समन्वय सुनिश्चित करती हैं।

[हिन्दी]

झारखंड में टेलीफोन सुविधा

1950. श्री रघुराज सिंह शाक्य: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड के कोडरमा जिले के मरकच्चो खंड के अधीन सभी गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त खंड की सभी गांव पंचायतों को टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराई गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और वहां पर टेलीफोन सुविधा कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी हां। भारत संचार निगम लि. ने झारखंड में कोडरमा जिले के मरकच्चो खंड के अंतर्गत सभी गांवों में दूरसंचार सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई है।

(ख) और (ग) मरकच्चो खंड के 144 गांवों में से 75 गांवों को दूरसंचार सुविधा प्रदान की जा चुकी है। शेष 69 गांवों में डिजिटल फोन टर्मिनल्स (डीएसपीटी) के द्वारा दूरसंचार सुविधा प्रदान करने की योजना है, बशर्ते निधियां उपलब्ध हों।

(घ) से (च) उक्त खंड में सभी 18 पंचायतों को दूरसंचार सुविधा प्रदान की जा चुकी है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय भण्डार द्वारा बाजार सर्वेक्षण

1951. श्री विजय कृष्ण: क्या **प्रधान मंत्री** 8 अप्रैल, 2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3844 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ग) इस बारे में अपेक्षित जानकारी सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राजीव गांधी कन्टेनर टर्मिनल के कार्यकरण की समीक्षा

1952. श्री परसुराम माझी: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोच्चि पत्तन स्थित राजीव गांधी कन्टेनर टर्मिनल के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त कन्टेनर टर्मिनल का कार्य-निष्पादन क्या रहा है;

(घ) क्या सरकार का विचार कन्टेनर टर्मिनल का निजीकरण करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, हां।

(ख) इन समीक्षाओं के परिणामस्वरूप, कोच्चि-पत्तन ने मौजूदा उपस्करों को नवीनीकृत करवाना और उनकी मरम्मत करवाना, नये उपस्कर लेना, कंटेनरों के स्टैक एरिया का विस्तार करना और कंटेनरों के संबंध में शुल्क-मुक्ति की अवधि घटाना तय किया। एक रीच स्टैकर लगवाने और कंटेनरों के संबंध में शुल्क-मुक्ति की अवधि 10 दिन से घटाकर 5 दिन किए जाने के प्रस्तावों के सिवाय, इन प्रस्तावों की जांच-पड़ताल करके इनके संबंध में यथोचित कार्रवाई किए जाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई, किन्तु यह प्रक्रिया, अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल स्थापित किए जाने के बारे में अन्ततः कोई निर्णय नहीं लिये जा सकने के कारण, लम्बित रखी गई।

(ग) राजीव गांधी कंटेनर टर्मिनल पर पिछले 3 वर्ष में किया गया काम-काज नीचे दर्शाया जा रहा है:-

वर्ष	प्रति घंटा प्रति क्रेन चालों की संख्या	औसत समय (टर्न राउंड टाइम) (दिनों में)	हैंडल किए गए कंटेनरों की संख्या (टी ई यूज में)
2001-02	10.11	1.62	151829
2002-03	12.08	1.55	165687
2003-04	13.41	1.52	169965

(घ) और (ङ) अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल स्थापित किए जाने पर लगभग 2118 करोड़ रु. का खर्च होना है और इसे, मुख्य रूप से, मुख्य मार्ग के जलयानों को हैंडल करने की दृष्टि से, चरणबद्ध ढंग से विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना को व्यवहार्य बनाने की दृष्टि से, उपर्युक्त पत्तन पर, कंटेनरों का न्यूनतम यातायात कायम किया जाना अपेक्षित है। राजीव गांधी कंटेनर टर्मिनल पर न्यूनतम यातायात कायम करने की दृष्टि से इस टर्मिनल को अधिकतम 8 वर्ष और 6 माह की अवधि की शर्त पर, इसके प्रचालन की आरंभिक अवधि तक, अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल स्थापित किए जाने के संबंध में सबसे ऊंची बोली लगा कर सफल रहे बोलीदाता को सौंप दिया जाना प्रस्तावित है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में दूरसंचार सेवाएं

1953. डा. सत्यनारायण जटिया: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के किन स्थानों पर "तरंग" और/अथवा "डब्ल्यूएलएल" दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध करायी गयी हैं और उन शहरों के नाम क्या हैं जहां पर इसके विस्तारण हेतु कार्य योजना

तैयार की गयी है तथा इन सेवाओं को कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है;

(ख) उन स्थानों का जिलेवार ब्यौरा क्या है जहां "तरंग" सेवा शुरू की गयी है और कब से तथा यह सेवा शेष स्थानों पर कब तक शुरू की जाएगी; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में 86 स्थानों पर तरंग/डब्ल्यूएलएल सेवाएं प्रदान की गई हैं तथा चालू वित्त वर्ष 2004-05 के दौरान इन सेवाओं को संलग्न विवरण के अनुसार अन्य 140 स्थानों पर प्रदान करने की योजना है।

विवरण

क्र.सं.	जिला	मौजूदा तरंग/ डब्ल्यूएलएल	वर्ष 2004-05 के लिए तरंग/डब्ल्यूएलएल योजना
1	2	3	4
1.	बालाघाट	बालाघाट	बैहर
		कंटगी	लामटा
		मालजखण्ड	लांधी
			वारासिओनी
2.	बेतुल	बेतुल	अथनेर
		भैसदेही	भीमपुर
		धोराडोंगरी	
		मुलताय	
3.	भोपाल	भोपाल	इच्छावर
			बेरसिया
4.	भिण्ड	भिण्ड	
		गोहद	
		लहर	
5.	छत्तरपुर	छत्तरपुर	बडामल्हारा
		बिजावर	बालदेवगढ़
		लौण्डी	बुक्सवाहा
6.	टिकमगढ़	टिकमगढ़	जदारा
			खजुरनहो
			पृथ्वीपुर
			नोगांव
7.	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	बटकारवापा
		अमरवादा	चौरी
		परसिया	हरारी
		सौसर	दमुआ
			पंधुरना
			तमिया
8.	दमोह	हट्टा	दमोह
		पथारिया	पटेरा
		तेंदुखेड़ा	
9.	देवास	देवास	कन्नौड
		सोनकच्छ	देवास
		खाटेगांव	
		बगली	
10.	धार		धार
			मानावर
			राजगढ़
			धर्मपुरी
			कुकशी
11.	गुना	गुना	बमहोरी
		अशोकनगर	चंदारी
		अरोन	इशागढ़
		छचोरा	मुंगावाली
			राधोगढ़

1	2	3	4
12.	ग्वालियर	ग्वालियर	भदेर
			भितरवार
			डाबरा
13.	दतिया		दतिया
			घाटीगांव
			इंदरगढ़
14.	डिंडोरी		डिंडोरी
15.	होशंगाबाद	बबाई	सुहागपुर
		इटारसी	पिपरिआ
		पीपरिआ	
16.	हरदा	हरदा	तिमारनी
17.	इंदौर	इंदौर	
		मोह	
		सानवेर	
		देपलपुर	
18.	जबलपुर	पाटन	कुदम
		जबलपुर	उपरियापन
			सेहोरा
19.	कटनी	कटनी	विजयराघोगढ़
20.	झबुआ	झबुआ	जोबट
			पेटलावाड
			थंडाला
			अलीराजपुर
21.	खण्डवा	खण्डवा	बाल्दी
		बुरहनपुर	खाकनेर
			खल्वा
			पंधाना
			पुनासा

1	2	3	4
22.	खरगोने	भिकनगांव	बरवाहा
			कसरावाड
			खरगोन
23.	बरवानी	बरवानी	खेतिआ
		सेंधवा	महेशवर
			राजपुर
			झिरनिआ
24.	माण्डला	माण्डला	धनवाही
			नैनपुर
			निवास
			शाहपुर
25.	मंदसौर	मंदसौर	भानपुआ
		सितामाउ	देकन
26.	नीमच	नीमच	
		श्यामगढ़	
		मनासा	
27.	सिओनी	धनसोरे	छपरा
		केओलारी	कुरारी
		लखनादोने	सिओनी
		सिओनी	
28.	मोरेना	अंभा	बिजयपुर
		मोरेना	जोरा
29.	शिवपुरकला		करहल
			महगांव
			सबलगढ़
			शिवपुरकला
30.	नरसिंहपुर	गढरवारा	नरसिंहपुर
		गोटेगांव	छिछली

1	2	3	4
		करेली	
31.	पन्ना	देवेन्द्रनगर	अजयगढ़
			गन्नौर
			शाहनगर
32.	रायसेन	बरेली	बेगमगंज
			गैरतगंज
			रायसेन
			सिल्वानी
33.	राजगढ़	राजगढ़	बैओरा
			खिलचीपुर
			राजगढ़
			सारंगपुर
			नरसिंहपुर
34.	रतलाम	रतलाम	सैलाना
		जओरा	अलोट
35.	रेवा	रेवा	हनुमाना
		मौगंज	
		सिरमोरे	
		तेओंथर	
36.	सागर	सागर	खुरई
			राहतगढ़
			रेहली
			बंदा
			बीना
			देवरी
			सागर
37.	सतना	सतना	अमरपाटन
		जैथवाड़ा	मैहर
			नागोड
			मधगावन
38.	सेहोरे	नसरूल्लागंज	सेहोर
			अशता
39.	शहडोल	अन्नुप्पुर	बेओहारी
		शहडोल	बिरसिंहपुर
			जयसिंहनगर
			जैथपुर
			खनोधी
			कोटमा
			राजेन्द्रग्राम
40.	उमरिया		मानपुर
			उमरिया
41.	शाहजापुर	अगर	बेरछा
		शाहजापुर	सुसनेर
		सुजलपुर	
42.	शिवपुरी	शिवपुरी	बादरवास
			करेरा
			कोलारस
			पोहाटी
			नरवार
			पिछोरे
43.	सिधी		सिधी
			चुरहट
			मझोली
			सिंगरोली

1	2	3	4
44.	उज्जैन	खचरोड	बारनगर
		महिदपुर शहर	जैथल
		उज्जैन	
45.	विदिशा	विदिशा	गंजबसोडा
			कुरवैई
			लतेरी
			ग्यारसपुर
			नातेरन
			सेरोज

स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता

1954. श्री रामदास बंडु आठवले: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत कुछ वर्षों के दौरान देश में स्वास्थ्य सेवाओं में हुए विस्तार के बावजूद स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता देखने को नहीं मिली है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती [illegible] लक्ष्मी): (क) से (ग) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है इसलिए राज्य सरकारें ही लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए देश में ग्रामीण आधारभूत सुविधा का एक व्यापक नेटवर्क बनाया गया है। केन्द्र सरकार भी राष्ट्रीय मलेरिया, क्षय रोग, दृष्टिहीनता, कुष्ठ रोग, एड्स, कैंसर आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों, मानसिक रोग के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के तहत राज्यों को सहायता प्रदान कर रही है। अच्छी स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत सुविधा को समुन्नत करने हेतु चुनिंदा राज्यों में विश्व बैंक की सहायता से राज्य स्वास्थ्य प्रणाली परियोजनाएं भी चलाई जा रही हैं। स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के कार्य में किए गए प्रयास से स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली की पहुंच एवं गुणवत्ता तथा लोगों को प्रदान की जा रही सेवाओं पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा है।

चलाए जा रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की कड़ी मानीटरिंग की जा रही है और आवश्यकतानुसार बीच में ही इनमें सुधार किए जा रहे हैं। प्रदान की जा रही स्वास्थ्य परिचर्या की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास भी किए जाते हैं।

[अनुवाद]

'निसकेयर' में अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार

1955. श्री पी. करूणाकरन: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त सचिव और निदेशक, 'निसकेयर' को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और तकनीकी कार्य निदेशालय का प्रमुख तथा सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया गया है यद्यपि इन पदों हेतु वर्ष 2001 में विज्ञापन निकाला जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या चयन समिति में जिसने यूनिट फार साइन्स डिसेमिनेशन के प्रमुख का चयन किया था विज्ञापित पद के स्तर से कम स्तर का विशेषज्ञ सदस्य है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी, हां। संयुक्त सचिव और निदेशक, निस्केयर को क्रमशः दिनांक 28.2.2001 और 12.9.2001 से प्रधान, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्य निदेशालय और प्रधान, सूचना प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त प्रभार दिए गए थे।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्रीय भेषज संस्थान

1956. श्री नकुल दास राई: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन क्षेत्रीय भेषज संस्थानों (आर.पी.आई.) का ब्यौरा क्या है जो सिक्किम सहित अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में कार्य कर रहे हैं;

(ख) पूर्वोत्तर राज्यों हेतु निर्धारित कोटा में से इन राज्यों में दाखिला प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ वर्षों में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु प्रत्येक राज्य से यथानुपात अंशदान लम्बित है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में फार्मेसी के निम्न तीन क्षेत्रीय संस्थान चल रहे हैं:-

(1) क्षेत्रीय फार्मेस्युटिकल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला (त्रिपुरा)

(2) डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़ (असम)

(3) क्षेत्रीय पराचिकित्सीय एवं उपचर्या संस्थान, आइजोल (मिजोरम)

(ख) कांस्टीट्यून्ट राज्यों को आबंटित सभी सीटों का नीचे दिए गए विवरण कोटे के अनुसार उपयोग कर लिया गया:-

	राज्य का नाम	क्षेत्रीय फार्मेस्युटिकल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला (त्रिपुरा)		डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़ (असम)		क्षेत्रीय पराचिकित्सीय एवं उपचर्या संस्थान, आइजोल (मिजोरम)
		फार्मेसी में डिप्लोमा	फार्मेसी में स्नातक	फार्मेसी में डिप्लोमा	फार्मेसी में स्नातक	फार्मेसी में डिप्लोमा
1.	त्रिपुरा	25	12	–	1	2
2.	मिजोरम	15	3	5	2	12
3.	मणिपुर	15	4	5	1	3
4.	नागालैंड	2	–	5	2	3
5.	अरुणाचल प्रदेश	3	4	5	1	3
6.	मेघालय	–	3	10	1	3
7.	असम	–	4	–	–	3
	कुल योग	60	30	30	8	30

(ग) कांस्टीट्यून्ट राज्यों का प्रो-टेश अंशदान इस प्रकार है:

(लाख रुपए में)

	राज्य का नाम	क्षेत्रीय फार्मेस्यूटिकल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला (त्रिपुरा)	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़ (असम)	क्षेत्रीय फार्मेस्यूटिकल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला (त्रिपुरा)
1	2	3	4	5
1.	त्रिपुरा	–	–	आर आई पी ए एन
2.	मिजोरम	4.00	31.48	आइजोल में घटक

1	2	3	4	5
3.	मणिपुर	11.75	10.79	राज्यों के लिए कोई
4.	नागालैंड	1.40	23.67	प्रो-रेटा अंशदान
5.	अरुणाचल प्रदेश	–	18.20	बकाया नहीं है क्योंकि
6.	मेघालय	6.00	–	इस संस्थान का वित्त
7.	असम	29.00	31.73	पोषण पूर्वोत्तर परिषद योजना स्कीमों के अंतर्गत किया जा रहा है।

(घ) पूर्वोत्तर परिषद ने सभी कांस्टीट्यून्ट राज्यों के साथ इस मामले को उठाया है और उन पर बकाया सभी प्रो-रेटा अंशदान को चुकता कृरने का अनुरोध किया है।

मोतीझरा के टीके

1957. श्री शिवाजी अधलराव पाटील: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1997 में हाफकाइन बायो-फार्मास्युटिकल कारपोरेशन लिमिटेड (एच बी पी सी एल) में मोतीझरा के टीकों का निर्माण रोक दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस टीके का निर्माण पुन: शुरू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) और (ख) होल सेल किल्ड टाइफाईड वैक्सीन का उत्पादन 1996 में रोक दिया गया था क्योंकि उपचार में (फील्ड प्रेक्टिस) इसे कम प्रभावकारी पाया गया था।

(ग) सरकार ने केवल रक्षा कार्मिकों के सीमित उपयोग के लिए ऐसीटोन किल्ड टाइफाइड वेक्सीन के उत्पादन के लिए वर्ष 2002 में मेसर्स हाफ्फकिन बायो-फार्मास्युटिकल कारपोरेशन लिमिटेड को अनुमति दी है।

फार्माकोपिया आयोग

1958. श्री अधीर चौधरी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास भारतीय फार्माकोपिया आयोग का गठन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस भूमिका का ब्यौरा क्या है जिसके वर्तमान फार्माकोपिया समिति की भूमिका से अलग होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस आयोग को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में गठित करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य भारतीय फार्माकोपिया और समुचित अंतराल पर योज्यों (अडेन्ड) या पूरक सारांशों (सप्लिमेंटरी कम्पेंडिया) को तैयार करना, उनमें संशोधन करना और उनको प्रकाशित करना तथा साथ ही संदर्भ मानक तैयार करना है। भारतीय फार्माकोपिया आयोग के गठित होते ही फार्माकोपिया समिति का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

केन्द्रीय भण्डार की सतर्कता इकाई

1959. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भंडार की सतर्कता इकाई प्रक्रिया की समीक्षा करके इसे चुस्त-दुरूस्त बनाने हेतु दिल्ली और उसके बाहर संवेदनशील स्थानों का नियमित और औचक निरीक्षण करती है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितनी बार औचक निरीक्षण किया गया तथा इसकी समीक्षा करने और प्रक्रिया को चुस्त-दुरूस्त बनाने और धोखाधड़ी को रोकने तथा इसका पता लगाए जाने के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) इससे क्या परिणाम निकले हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) केन्द्रीय भण्डार से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्षवार सूचना इस प्रकार है:-

क्र.सं.	वर्ष	किए गए निरीक्षणों/ अचानक किए गए दौरों की संख्या	पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या	अन्वेषण के बाद की गई कार्रवाई
1.	2001-02	39	11	अनियमितताओं संबंधी सभी मामलों में कार्रवाई की गई
2.	2002-03	48	7	अनियमितताओं संबंधी सभी मामलों में कार्रवाई की गई
3.	2003-04	33	4	अनियमितताओं संबंधी सभी मामलों में कार्रवाई की गई

निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर समय-समय पर उपयुक्त अनुदेश जारी किए गए हैं। मौजूदा पद्धतियों की समीक्षा की गई है और इसी के परिणामस्वरूप नई 'क्रय नीति, 2003' बनाई गई है। दिल्ली से बाहर के क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रापण के लिए प्रक्रिया संबंधी नियम-पुस्तिका भी तैयार की गई है।

किराए के भवनों में डाकघर

1960. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल में डाकघरों/उप-डाकघरों की संख्या का जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य में किराए के भवनों में चल रहे डाकघरों/उप-डाकघरों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ सरकारी भवनों के निर्माण हेतु कोई कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) पश्चिम बंगाल के डाकघरों का जिलेवार *विवरण* संलग्न है।

(ख) 1486 डाकघर किराए के भवनों में कार्य कर रहे हैं।

(ग) से (ङ) संसाधनों की उपलब्धता और मंजूर किए गए लक्ष्यों के आधार पर भवनों का निर्माण कार्य योजना के अधीन शुरू किया जाता है। पश्चिम बंगाल डाक सर्किल को 2004-05 के लिए तीन परियोजनाओं अर्थात् झलजालिया, झारग्राम और कालीघाट में डाकघर/उप पोस्टमास्टर क्वार्टरों को पूरा करने के लिए निधि आवंटित की गई थी। 1.1.05 से निम्नलिखित परियोजनाओं का निर्माण कार्य को शुरू करने का लक्ष्य है:-

(1) भवानीपुर डाकघर

(2) सिक्किम के गंगटोक में एक टाइप-5 स्टाफ क्वार्टर

(3) सिलिगुड़ी में एक टाइप-6 स्टाफ क्वार्टर

(4) डीई ब्लाक में 4 टाइप-5 स्टाफ क्वार्टर

विवरण

पश्चिम बंगाल में डाकघरों का जिले-वार ब्यौरा

क्र. सं.	जिले का नाम	प्रधान डाकघर	उप डाकघर	ईडी उप डाकघर	ईडी शाखा डाकघर	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	24-परगना (उत्तर)	4	191	26	506	727
2.	24-परगना (दक्षिण)	2	102	12	686	802

1	2	3	4	5	6	7
3.	कोलकाता	7	218	3	–	228
4.	पुरुलिया	1	35	10	405	451
5.	मिदिनापुर	4	177	36	1371	1588
6.	हावड़ा	2	92	7	258	359
7.	हुगली	3	111	29	361	504
8.	बांकुरा	1	53	23	407	484
9.	नादिया	4	112	36	280	432
10.	बर्दवान	5	180	37	404	626
11.	बीरभूम	2	58	16	379	455
12.	मुर्शिदाबाद	3	75	34	474	586
13.	मालदा	1	37	9	294	341
14.	दिनाजपुर	1	44	19	301	365
15.	कूच बिहार	1	48	10	287	346
16.	दार्जीलिंग	2	69	10	81	162
17.	जलपाईगुड़ी	2	57	16	221	296
	कुल	45	1659	333	6715	8752

महाराष्ट्र में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

1961. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में चन्द्रपुर और गढ़चिरौली जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में मांग के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन जिलों में प्रतीक्षा सूची की अद्यतन स्थिति क्या है; और

(घ) इन जिलों के लोगों को टेलीफोन कनेक्शन कब तक मुहैय्या कराये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) उपयुक्त समयावधि के भीतर आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के सभी संभव प्रयास किए जाते हैं। तथापि, दूरदराज के क्षेत्रों, जहां अभी बीएसएनएल का टेलीफोन नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, की कम और छिट-पुट मांग के कारण गढ़चिरौली और चन्द्रपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ प्रतीक्षा सूची लम्बित है।

(ग) 30.6.2004 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची की स्थिति निम्नानुसार है:-

जिला	प्रतीक्षा सूची		
	शहरी	ग्रामीण	जोड़
चन्द्रपुर	423	1730	2153
गढ़चिरौली	134	427	561

(घ) टेलीफोन की लंबित प्रतीक्षा सूची का निपटान करने के लिए डब्ल्यूएलएल (वायरलैस इन लोकल लूप) की योजना बनाई गई है। जून, 2005 से, इन जिलों के लोगों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने की आशा है।

स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के सुरक्षा संबंधी खतरे

1962. श्री उदय सिंह: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा शुरू की गयी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना सुरक्षा संबंधी खतरों से जूझ रही है जैसा कि 18 जून, 2004 के 'द स्टेट्समैन' में खबर छपी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस परियोजना को समय-सीमा के भीतर पूरा करने हेतु कोई ठोस कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) "अटल्स हाइवे प्रोजेक्ट फेसेज सिक्यूरिटी थ्रेट" शीर्षक से 18 जून, 2004 के "द स्टेट्समैन" में छपे समाचार की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। इस समाचार पत्र में जिन इक्की-दुक्की घटनाओं का उल्लेख किया गया है उनसे परियोजना की प्रगति में बाधा नहीं आई है। तथापि, बिहार और झारखंड में विगत में कानून और व्यवस्था की विभिन्न घटनाएं हुई हैं। बिहार उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप तथा बिहार और झारखंड सरकारों द्वारा किए गए उपायों से स्थिति में सुधार हुआ है। सुरक्षा मजबूत कर दी गई है और इसके फलस्वरूप परियोजना पर निरंतर कार्य चल रहा है।

[हिन्दी]

बांग्लादेश की जेलों में भारतीय मछुआरे

1963. प्रो. महादेवराव शिवनकर: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ वर्ष पहले कतिपय भारतीय समुद्री मछुआरे गलती से बांग्लादेश की समुद्री सीमा में घुस गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें पकड़कर बांग्लादेश की कारागारों में बंद कर दिया गया था; और

(ग) सरकार द्वारा इन मछुआरों को शीघ्र मुक्त कराने हेतु क्या कार्रवाई की गयी है अथवा की जा रही है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) ढाका स्थित भारत के उच्चायोग ने प्रत्येक मामले में उनकी रिहाई और भारत वापसी के लिए कोंसली क्रियाविधियां शुरू कर दी हैं।

पिछड़े राज्यों के विकास हेतु योजना

1964. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के पिछड़े राज्यों के विकास हेतु कोई विशिष्ट योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) वित्त मंत्री ने वर्ष 2004-05 के अपने बजट भाषण में घोषणा की है कि देश में निश्चित समय-सीमा के भीतर अत्यधिक गरीब और अति पिछड़े जिलों में सामाजिक तथा भौतिक अवसंरचना कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए पांच वर्षों की अवधि के दौरान दी जाने वाली 25,000 करोड़ रु. की संचय राशि सहित पिछड़े राज्य अनुदान निधि का गठन किया जाएगा। यह निधि वित्तीय वर्ष 2005-06 से प्रचालन में होगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आपूर्तिकर्त्ताओं के पंजीकरण की समीक्षा

1965. श्री रघुनाथ झा: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भंडार में आपूर्तिकर्त्ताओं के पंजीकरण की समीक्षा की आवश्यकता महसूस की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय भंडार के विज्ञापन के जवाब में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) क्या कुछ आवेदन अभी भी लंबित पड़े हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन आवेदनों को कब तक अंतिम रूप प्रदान किए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय भंडार ने यह आवश्यक समझा कि पंजीकरण प्रणाली के साथ-साथ फर्मों के कार्य निष्पादन तथा उनकी व्यापारिक क्षमताओं और अन्य व्यावसायिक शर्तों को ध्यान में रखते हुए आपूर्तिकर्त्ताओं के पंजीकरण की समीक्षा की जाए।

(ग) 850।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) पैनल बनाया जाना/पंजीकरण किया जाना एक सतत प्रक्रिया है। आवेदनों पर कार्यवाही, संबंधित मद/उत्पाद की मांग, प्रस्तुत किए जाने वाले ब्रांड की बाजार में स्वीकृति, केन्द्रीय भंडार में उसी प्रकार के अन्य उत्पादों की उपलब्धता आदि जैसे विपणन संबंधी अवयवों को ध्यान में रखते हुए की जाती है।

शुद्ध रक्त का चढ़ाया जाना

1966. डा. एम. जगन्नाथ: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शुद्ध रक्त की अनुपलब्धता की वजह से जरूरतमंद मरीजों की मृत्यु दर में बढ़ोत्तरी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उन मरीजों को शुद्ध रक्त मुहैय्या कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है जिनका इलाज रक्त चढ़ाए जाने पर आश्रित है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) जी, नहीं। आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जिनसे यह पता चलता हो कि सुरक्षित रक्त की अनुपलब्धता के कारण जरूरतमंद रोगियों की मृत्यु-दर में वृद्धि हुई है।

(ख) औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमों के उपबंधों के अंतर्गत रक्ताधान के लिए रक्त जारी करने से पहले एच.आई.वी. 1 व 2 एंटीबाडीज, हेपाटाइटिस-बी सरफेस एंटीजन, हेपाटाइटिस-सी एंटीबाडी, मलेरिया और सिफिलिस से मुक्त होने के सभी दाताओं से एकत्र किए गए रक्त के प्रत्येक यूनिट का परीक्षण करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, सभी रक्त बैंकों के लिए औषध नियंत्रण प्राधिकारियों से लाइसेंस प्राप्त करना भी अनिवार्य है। ये प्राधिकारी लाइसेंस जारी करने से पहले यह सुनिश्चित करते हैं कि रक्त बैंकों में सुरक्षित रक्त के लिए सभी अनिवार्य परीक्षण करने के लिए बुनियादी सुविधाएं हैं। इसके अतिरिक्त, वे औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु रक्त बैंकों की समय-समय पर जांच भी करते हैं।

[हिन्दी]

डाकघरों और बैंकों के माध्यम से टेलीफोन बिल प्राप्त करना

1967. श्री सुरेश चन्देल: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ग्रामीण टेलीफोन उपभोक्ताओं से टेलीफोन बिलों का भुगतान प्राप्त करने के लिए ग्रामीण डाकघरों और सभी बैंकों को प्राधिकृत करने हेतु गंभीरता से विचार करने के लिए संसद सदस्यों से सुझाव मिल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी हां।

(ख) 1.10.2000 से सरकार टेलीफोन सेवाएं सीधे प्रदान नहीं कर रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) अर्थात् भारत संचार निगम लि. (भा.सं.नि.लि.) तथा महानगर टेलीफोन निगम लि. (मा.टे.नि.लि.) और निजी प्रचालक ये सेवाएं प्रदान करते हैं। अब टेलीफोन बिलों की वसूली की जिम्मेदारी संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की है जिसमें भारत संचार निगम लिमिटेड तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड भी शामिल हैं। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन बिलों की वसूली के लिए प्राधिकृत डाकघरों तथा बैंक शाखाओं की संख्या क्रमश: 25209 तथा 3689 है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

प्रधान डाकघर खोलना

1968. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के प्रत्येक जिले में प्रधान डाकघर खोलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में राज्यवार कितने जिलों में कोई प्रधान डाकघर नहीं है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान देश में राज्यवार कितने जिलों में प्रधान डाकघर खोले जाने का लक्ष्य है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) निर्धारित मानदण्डों के पूरा होने के आधार पर देश के प्रत्येक जिले में एक प्रधान डाकघर खोलना सरकार की नीति है।

(ग) डाकघर रहित जिलों की राज्य-वार सूची *विवरण* के रूप में संलग्न है।

(घ) जब और जैसे निर्धारित मानदण्ड पूरे होते हैं, प्रधान डाकघर खोला जा सकता है। अत: कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। जहां किसी जिले में निर्धारित मानदण्डों के आधार पर प्रधान डाकघर खोलना औचित्य सम्मत नहीं होता है, वहां ऐसे उपयुक्त उप डाकघरों को मुख्य डाकघरों में परिवर्तित करते हैं जिनका स्तर लोवर सेलक्शन ग्रेड से कम न हो, ये स्वत: पूर्ण रूप से प्रधान डाकघर के समान सभी काउंटर सेवाएं प्रदान करते हैं।

विवरण

प्रधान डाकघर रहित जिलों की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य	प्रधान डाकघर रहित जिलों की संख्या
1	2	3
1.	असम	05
2.	आंध्र प्रदेश	00
3.	बिहार	10
4.	छत्तीसगढ़	07
5.	दिल्ली	00
6.	गुजरात	02
7.	हरियाणा	05
8.	हिमाचल प्रदेश	00
9.	जम्मू व कश्मीर	07
10.	झारखण्ड	11
11.	कर्नाटक	00
12.	केरल	02
13.	मध्य प्रदेश	07
14.	महाराष्ट्र	04
15.	गोवा	01
16.	अरुणाचल प्रदेश	13
17.	मणिपुर	08
18.	मेघालय	05
19.	मिजोरम	07
20.	नागालैंड	10
21.	त्रिपुरा	01
22.	उड़ीसा	06
23.	पंजाब	04
24.	राजस्थान	01
25.	तमिलनाडु	00
26.	उत्तर प्रदेश	01
27.	उत्तरांचल	06
28.	पश्चिम बंगाल	02
29.	सिक्किम	03
	कुल	128

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24 पर बाइपास

1969. श्री संतोष गंगवार: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24 पर दिल्ली और लखनऊ के बीच तक ऐसे कितने शहर हैं जहां बाइपास का निर्माण किया गया है और उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां निर्माण कार्य की प्रक्रिया लंबित है; और

(ख) बरेली में बाइपास कब तक बनाए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) दिल्ली और लखनऊ के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24 पर पांच शहरों अर्थात् गाजियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद, शाहजहांपुर और सीतापुर के लिए बाइपास बना दिए गए हैं। लखनऊ में रा.रा. 24 और रा.रा. 28 को जोड़ने वाले बाइपास का निर्माण कार्य चल रहा है। बरेली बाइपास के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण कार्य और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी का कार्य प्रगति पर है।

(ख) बरेली बाइपास का निर्माण कार्य पूरे होने का समय अभी बता पाना संभव नहीं है।

प्राइवेट मेडिकल कालेजों पर प्रतिबंध

1970. श्री बीर सिंह महतो:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्राइवेट मेडिकल कालेजों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) प्राइवेट मेडिकल कालेजों से उत्तीर्ण डाक्टरों की योग्यताओं के संबंध में सरकार का क्या निर्णय है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम नए चिकित्सा महाविद्यालयों के खुलने पर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं।

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाओं के माध्यम से डाक्टर की दक्षता आंकी जाती है। सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों तथा निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को यह परीक्षा पास करनी होती है।

[अनुवाद]

प्रति व्यक्ति आय

1971. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत पांच वर्षों के दौरान देश में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान तथा इस समय राज्य-वार प्रति व्यक्ति आय कितनी है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आस्कर फर्नांडिस): (क) जी, हां।

(ख) देश में प्रति व्यक्ति आय वास्तविक रूप से (1993-94 मूल्यों पर) 1998-99 में 9650 रु. से 2003-04 में 11672 रु. तक बढ़ गई है।

(ग) वर्ष 1997-98 तथा 2001-02, नवीनतम वर्ष जिसके लिए अधिकांश राज्यों के आंकड़े उपलब्ध हैं, हेतु विभिन्न राज्यों की प्रति व्यक्ति आय (प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद) के अनुमान संलग्न *विवरण* में दिए गए हैं।

विवरण

राज्यवार प्रति व्यक्ति आय 1993-94 मूल्यों पर

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1997-98	2001-02
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	8191	10590
2.	अरुणाचल प्रदेश	8634	9413
3.	असम	5796	6059
4.	बिहार	3100	3554
5.	झारखंड	7259	7498

1	2	3	4
6.	गोवा	20595	28304
7.	गुजरात	13018	13684
8.	हरियाणा	12389	14250
9.	हिमाचल प्रदेश	9625	11402
10.	जम्मू और कश्मीर	7128	उपलब्ध नहीं
11.	कर्नाटक	9416	11516
12.	केरल	9079	11046
13.	मध्य प्रदेश	7301	7699
14.	छत्तीसगढ़	6810	7647
15.	महाराष्ट्र	13925	14892
16.	मणिपुर	6295	6715
17.	मेघालय	7883	9514
18.	मिजोरम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
19.	नागालैंड	10287	उपलब्ध नहीं
20.	उड़ीसा	5382	6105
21.	पंजाब	13812	15255
22.	राजस्थान	8601	8819
23.	सिक्किम	9125	उपलब्ध नहीं
24.	तमिलनाडु	11216	13108
25.	त्रिपुरा	6828	10255
26.	उत्तर प्रदेश	5495	5885
27.	उत्तरांचल	7569	7679
28.	पश्चिम बंगाल	8408	10375
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	16350	15789
30.	चंडीगढ़	25470	28271
31.	दिल्ली	23482	26550
32.	पांडिचेरी	17402	23178
	समस्त भारत प्रति व्यक्ति एन एन पी	9244	10774

स्रोत : क्रम सं. 1-32 हेतु संबंधित राज्य सरकारों के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय और समस्त भारत हेतु-केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन।

टिप्पणी : 30 जून, 2004 तक राज्यों से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार।

अस्पतालों/औषधालयों का कार्यकरण

1972. श्री निखिल कुमार:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत पांच वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों और औषधालयों की स्थिति बिगड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं कि इन अस्पतालों और औषधालयों द्वारा हर संभव चिकित्सा सहायता प्रदान की जा सके?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) और (ख) केन्द्र सरकार के अस्पताल बहु-विषयक शिक्षण/उपचार संस्थाएं हैं जिनमें विभिन्न विशिष्टता/अति-विशिष्टता वाले विषयों में कई उपचार सुविधाएं हैं और इन उपचार सुविधाओं को प्रदान करने के लिए विशिष्ट और अद्यतन उपकरण हैं। इन अस्पतालों में रोगियों को पर्याप्त रूप से चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तथापि, इन अस्पतालों का उन्नयन आवश्यकता के अनुसार सतत चलने वाली प्रक्रिया है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले निरीक्षणों, पर्यवेक्षणों और दिशा-निर्देशन के जरिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में एक तंत्र है।

भारतीय टेलीफोन उद्योग एककों का पुनरुद्धार

1973. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय टेलीफोन उद्योग की सभी इकाइयां गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में भारतीय टेलीफोन उद्योग की इकाइयों का पुनरुद्धार करने और उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

यद्यपि आईटीआई का पलक्कड़ यूनिट कुछ लाभ कमा रहा है तथापि इसे एक अलग निकाय के रूप में नहीं लिया जा सकता क्योंकि विपणन, मानीटरिंग, वित्त-पोषण जैसे बहुत से कार्य बंगलौर स्थित कंपनी के निगमित कार्यालय द्वारा किए जाते हैं।

(ख) वर्ष 2003-04 के दौरान घाटे वाले यूनिट

	यूनिट	राशि (अनंतिम) (करोड़ रु. में)
1.	बंगलौर	194.55
2.	नैनी	139.12
3.	रायबरेली	160.02
4.	जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर	5.62
5.	मनकापुर	115.16
6.	ई सी यू, बंगलौर	15.75
लाभ कमाने वाले यूनिट		
1.	पलक्कड़	1.81

घाटे में रहने के कारण:

(1) प्रौद्योगिकीय परिवर्तन और बाजार की आवश्यकता के अनुरूप पारंपरिक फिक्सड लाइन उपस्कर से मोबाइल उपस्कर के अन्तरण तथा इन परिवर्तनों के साथ ताल-मेल बिठाने में आईटीआई की असमर्थता।

(2) इलैक्ट्रोमेकैनिकल प्रौद्योगिकी से इलैक्ट्रानिक प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के कारण भारी संख्या में फालतू कर्मचारियों/अधिकारियों का होना।

(3) विनिर्माणकारी यूनिटों की बहुलता के कारण अत्यधिक ऊपरी खर्चे।

(ग) सरकार द्वारा किए गए कुछ प्रमुख उपाय निम्नानुसार हैं:-

(1) आईटीआई द्वारा विनिर्मित उत्पादों के लिए, बीएसएनएल/एमटीएनएल द्वारा किए गए प्रापणों के लिए 30% तक का आरक्षित कोटा आदेश।

(2) उपरोक्त आरक्षित कोटा आदेशों के प्रति क्रयादेश का 75% अग्रिम भुगतान।

(3) अपने कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना (वीआरएस) का लाभ देने हेतु निधियां जुटाने के लिए कंपनी को सरकार का गारंटी।

(4) सरकार ने चालू बजट सत्र में 508 करोड़ रुपये का पुनरुद्धार (रिवाइवल) पैकेज की घोषणा की है।

सड़क नेटवर्क से प्रमुख पत्तनों को जोड़ना

1974. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश के प्रमुख पत्तनों को सड़क नेटवर्क से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) उक्त योजना के कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को यह निर्देश दिया गया है कि वह अपने विशेष प्रयोजन तंत्र के माध्यम से निर्माण-प्रचालन-हस्तांतरण (बी ओ टी) आधार पर महापत्तनों को जोड़ने का कार्य करें जिनमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की इक्विटी कुल परियोजना लागत की 30% तक सीमित है।

शेष लागत पत्तन न्यास और अन्य संगठनों से इक्विटी पर तथा बाजार ऋण से जुटाई जाएगी।

(ग) कार्यान्वयन के ब्यौरे संलग्न *विवरण* में हैं।

विवरण

क्र.सं.	पत्तन	पूरा होने की संभावित तारीख
1	2	3
1.	जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास	अप्रैल, 2007
2.	विशाखापत्तनम	दिसम्बर, 2004
3.	हल्दिया	मार्च, 2006
4.	चेन्नै इन्नोर	दिसम्बर, 2007

1	2	3
5.	कोचीन	अगस्त, 2006
6.	पारादीप	फरवरी, 2007
7.	तूतीकोरिन	अगस्त, 2006
8.	नव मंगलूर	मई, 2007
9.	मुरगांव	रा.रा. 17 पर वर्धा जंक्शन से वाराणसी जंक्शन तक 13 कि.मी. में कार्य पूरा हो गया। शेष 5 कि.मी. लंबाई के लिए भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है और शेष खंड में चार लेनों के पूरा होने की नियत तारीख बता पाना अभी संभव नहीं है।
10.	कांडला	कार्य पूरा हो गया।

टिप्पणी-कोलकाता और मुंबई पत्तन सड़क संपर्क परियोजनाएं आरंभ नहीं की गई हैं क्योंकि ये वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं हैं।

कोल्लम-कोट्टापुरम जलमार्ग

1975. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोल्लम-कोट्टापुरम जलमार्ग के कार्यान्वयन में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस परियोजना का विस्तार करने की कोई योजना आने वाली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस परियोजना के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप विस्थापित हुए व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कोई धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) कोल्लम से कोट्टापुरम तक का जलमार्ग, एक राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित है। सरकार ने कैपिटल ड्रेजिंग, रख-रखाव ड्रेजिंग, नौचालनात्मक सुविधाएं कायम किए जाने और स्थायी टर्मिनलों के निर्माण जैसे विभिन्न विकासात्मक कार्य आरंभ कर दिए हैं। दो स्थानों अर्थात् मराडु और कोल्लम पर अस्थायी टर्मिनल से संबंधित सुविधाएं भी उपलब्ध करवा दी गई हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जलमार्ग के सकरे खंड को चौड़ा किए जाने के लिए भूमि-अधिग्रहण के सिलसिले में तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के घोषित हिस्से में, विभिन्न स्थानों पर टर्मिनलों के निर्माण के लिए राज्य-सरकार द्वारा प्रार्थित धन उसे (राज्य-सरकार को) उपलब्ध करवा दिया गया है।

कम्प्यूटरों के मूल्य घटाना

1976. श्री राम कृपाल यादव:
श्री काशीराम राणा:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकांश व्यक्तियों के पास कम्प्यूटर सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा कम्प्यूटरों के मूल्य घटाने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) यह एक तथ्य है कि भारत में अधिकांश लोगों के पास कम्प्यूटर की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(ख) वैयक्तिक कम्प्यूटर के कम प्रसार का कारण मुख्यत: प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम्प्यूटरों के उच्च मूल्य का होना है।

(ग) और (घ) कम्प्यूटरों के मूल्य घटाने के लिए कम्प्यूटरों, संघटक-पुर्जों तथा उत्पाद शुल्क में क्रमिक रूप से कमी की जा रही है। वर्ष 2004-05 के बजट में कम्प्यूटरों के उत्पाद शुल्क को और अधिक कम करते हुए 8% से 0% कर दिया गया है।

शिशु लिंग अनुपात में कमी

1977. श्री एस.पी.वाई. रेड्डी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत 50 वर्षों के दौरान देश में शिशु लिंग अनुपात में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बाल शिशु के मुकाबले बालिका शिशु के अनुपात में निरंतर कमी आने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और इसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1961 में 0-6 वर्ष के आयु वर्ग में बाल लिंग अनुपात (प्रति हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या) 976 से कम होकर वर्ष 2001 में 927 रह गया है।

बालिका लिंग अनुपात में लगातार कमी के लिए उत्तरदायी बताए जाने वाले कारणों में कुछ सामान्य कारण हैं:- पुत्र को वरीयता देने, बालिका की उपेक्षा से छोटी आयु में अधिक मृत्यु-दर, कन्या शिशु-हत्या, कन्या भ्रूण-हत्या और जनगणना में पुरुष के प्रति पक्षपात।

(ग) बालिका जनसंख्या के प्रतिकूल लिंग अनुपात में गिरावट का मुख्य कारण कन्या भ्रूण हत्या की पद्धति पर नियंत्रण करने के लिए प्रसवपूर्ण निदान तकनीक (विनियमन एवं दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 को 1.1.1996 से लागू किया गया था। इसे और कड़ा बनाने के लिए अब इसका संशोधन किया जा चुका है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन का कार्य राज्यों और संघ क्षेत्रों का है जो राज्य, जिला तथा उप-जिला स्तर पर इस अधिनियम के तहत नियुक्त समुचित अधिकारियों द्वारा कराया जाता है। राज्यों/संघ क्षेत्रों से इस अधिनियम और नियमों के उपबंधों के व्यापक प्रचार को सुनिश्चित करने और उसे कारगर ढंग से पूर्णतया कार्यान्वित करने का अनुरोध किया गया है।

फिर भी, यह माना गया है कि सामाजिक आचरण और पूर्व धारणाओं में जुड़ी इस समस्या से निपटने के लिये केवल कानून ही काफी नहीं है। इसलिए रेडियो, दूरदर्शन और प्रिन्ट प्रचार एककों के माध्यम से प्रसव-पूर्व लिंग निर्धारण और कन्या भ्रूणहत्या, की प्रथा के विरुद्ध जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विभिन्न गतिविधियां चलाई गई हैं। इस सामाजिक बुराई के विरुद्ध जागरूकता उत्पन्न करने के लिए राज्य/मंडल/जिला/खंड स्तरों पर स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कार्यशालाएं/संगोष्ठियां भी आयोजित की जाती है। इस प्रथा पर रोक लगाने के लिए धार्मिक नेताओं और चिकित्सकों से भी सहयोग मांगा गया है।

हाल ही में भारत सरकार ने युवा लड़कियों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए बेटे को वरीयता देने संबंधी धारणा को कम करने की दृष्टि से "बालिका बचाओ अभियान" भी चलाया है।

कारगर औषधि विनियामक प्रणाली

1978. श्री सुकदेव पासवान: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की औषधि विनियामक प्रणाली से संबंधित कानूनों को और सख्त तथा मजबूत बनाने की योजना है ताकि जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए संबंधित प्रणाली को और कारगर बनाया जा सके;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निरीक्षण तंत्र में कमी होने के कारण औषधियों की गुणवत्ता और नकली व मिलावटी औषधियों की उचित रूप से निगरानी नहीं की जा पा रही है;

(ग) क्या यह सच है कि विश्व भर में प्रतिबंधित और बाजार से हटाई गई औषधियों को अभी भी देश में बेचने की अनुमति दी जा रही है;

(घ) क्या अनेक औषधियां संबद्ध प्राधिकारी की अनिवार्य स्वीकृति के बिना अवैध रूप से बाजार में पहुंचाई और बेची जा रही है;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि पश्चिम में दवाइयों के मूल्य में मोटे तौर पर अपनी लागत के 1/10 की कमी आई है, लेकिन भारत में दवाइयों का मूल्य बढ़ रहा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपाय किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड को और सख्त बनाने के वास्ते इस अधिनियम को संशोधित करने हेतु लोक सभा के 13वें सत्र में 22.12.2003 को

औषध एवं प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 2003 पेश किया गया। विधेयक में प्रस्तावित प्रमुख संशोधन निम्नलिखित हैं:-

1. ऐसे अपमिश्रित या नकली औषधों के दण्ड को बढ़ाना, जिनसे मृत्यु होने या भारतीय दंड संहिता की धारा 320 के अभिप्राय में गंभीर शारीरिक नुकसान होने की संभावना रहती है; दंड को बढ़ाकर मृत्यु दंड या 10 वर्ष या इससे अधिक अवधि का कैद करना। कैद की अवधि को आजीवन भी किया जा सकता है और एक लाख रुपए या जब्त की गई सामग्री के मूल्य के तीन गुना तक की राशि, जो भी अधिक हो, भी जुर्माने के रूप में देना होगा।

2. बाद में किए गए अपराधों के लिए दंड को 10 वर्ष तक बढ़ाया जाना और जुर्माना राशि एक लाख रूप से कम नहीं होगी।

3. अपमिश्रित और नकली औषधों से संबंधित अपराधों को गैर-जमानती एवं संज्ञेय अपराध मानना।

4. नकली या अपमिश्रित औषधों से संबंधित अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने का प्रावधान।

5. उक्त अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन शुरू करने का अधिकार उप निरीक्षक या इससे ऊपर के पुलिस अधिकारियों या अन्य नामित पुलिस अधिकारियों को प्रदान करना।

6. इस अधिनियम के अंतर्गत छोटे-मोटे अपराधों के प्रशमन का प्रावधान।

प्रस्तावित संशोधनों से ये कानून अपमिश्रित या नकली औषधों के निर्माण या बिक्री में लिप्त अपराधियों के लिए निरोधक का काम करेंगे। पुलिस जैसी कानून को लागू कराने वाली एजेन्सियों की सहभागिता से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तेजी से जांच-पड़ताल करने और ऐसी गतिविधियों में संलिप्त असामाजिक तत्वों को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। चूंकि इस विधेयक की मियाद पूरी हो गई है इसलिए इस प्रयोजनार्थ 14वीं लोक सभा के समक्ष एक विधेयक पेश करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई है।

(ख) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और इसके अंतर्गत बने नियमों के उपबंधों के तहत औषधों के निर्माण एवं बिक्री को विनियमित करने तथा गुणवत्ता की मानीटरिंग करने की जिम्मेदारी राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकारियों की है। राज्यों में समान रूप से पर्याप्त आधारभूत सुविधा की कमी के कारण विभिन्न राज्यों में इस कानून के लागू होने के स्तर में भिन्नता है। इस अधिनियम में उपर्युक्त संशोधनों से बाजार में आने वाली औषधों की गुणवत्ता की जांच करने और नकली एवं अपमिश्रित औषधों का पता लगाने में नियामक प्राधिकारियों के हाथ मजबूत होंगे।

(ग) औषधों को प्रतिबंधित करने के बारे में सम्पूर्ण विश्व में कोई एक समान प्रणाली स्वीकार नहीं की गई है। यह आवश्यक नहीं है कि एक देश में बाजार से हटाई गई औषधियां अन्य देशों के बाजार से भी हटाई गई हों। एक देश में किसी विशेष औषध के प्रतिबंध संबंधी रिपोर्टों और प्रतिबंध के कारणों की जांच अन्य देशों के नियामक प्राधिकारियों द्वारा की जाती है और उस औषध को प्रतिबंधित करने संबंधी कार्रवाई उस देश में उसकी अनुमोदित खुराक एवं उपयोग और उस देश में समय लाभ एवं जोखिम के अनुपात और इसकी आवश्यकता की जांच करने के बाद की जाती है। उदाहरणार्थ, सिसाप्राइड एवं फिनाइल प्रोपेनोलामाइन जैसी औषधें संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिबंधित हैं लेकिन कई यूरोपीय देशों में इनके विपणन की अनुमति है।

(घ) औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत ऐसे औषधों को छोड़कर जो प्रयोजनार्थ जारी लाइसेंस की शर्तों के अनुरूप हैं, किसी भी औषध की बिक्री या वितरण के लिए निर्माण करने या बिक्री करने या संग्रह करने या प्रदर्शित करने या बिक्री के लिए प्रस्ताव करने या वितरित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

(ङ) और (च) पश्चिमी देशों में दवाओं के मूल्य के रुझान के बारे में राष्ट्रीय भेषजीय मूल्य प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) के पास कोई प्रमाणिक सूचना नहीं है। जहां तक भारतीय बाजार का संबंध है, सामान्य रूप में दवाओं की कीमतें अकारण नहीं बढ़ी हैं। विगत 4 वर्षों के दौरान औषधों एवं दवाओं के थोक बिक्री मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.) में हुई वृद्धि अन्य सभी सामग्री की मूल्य वृद्धि की अपेक्षा कम है। इससे संबंधित सूचना नीचे दी गई है:-

पिछले वर्ष में थोक बिक्री मूल्य सूचकांक में प्रतिशत परिवर्तन
(स्रोत: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय)

वर्ष विवरण	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
औषध एवं दवाएं	5.85	3.48	0.71	2.55
सभी सामग्री	7.16	3.60	3.41	5.46

टिप्पणी: कार्यालय आर्थिक सलाहकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से प्राप्त आंकड़े के आधार पर राष्ट्रीय भेषजीय मूल्य प्राधिकरण द्वारा थोक बिक्री मूल्य सूचकांक में आंकलित प्रतिशत परिवर्तन।

ग्रामीण कृषि उद्योगों की स्थापना

1979. श्री पी.सी. थामस: क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का चालू वित्त वर्ष के दौरान देश में और अधिक ग्रामीण कृषि उद्योग स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;.और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस उद्योग के लिए वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी धनराशि नियत और खर्च की गई?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां। सरकार देश में कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों की स्थापना के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के माध्यम से ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) का कार्यान्वयन कर रही है। चालू वित्त वर्ष (2004-05) के दौरान परियोजनाओं की संख्या तथा रोजगार सृजन की शर्तानुसार आर.ई.जी.पी. के लिए लक्ष्य के संबंध में राज्य-वार ब्यौरा संलग्न *विवरण I* पर प्रस्तुत है।

(ग) आर.ई.जी.पी. के तहत विगत तीन वर्षों के दौरान स्थापित परियोजनाओं, उपयोग की गई मार्जिन मनी तथा रोजगार सृजन के संबंध में राज्य-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न *विवरण-II* और *III* पर प्रस्तुत है।

विवरण I

2004-05 के लिए लक्ष्य

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	परियोजनाएं	रोजगार (सं.)
1	2	3	4
1.	चंडीगढ़	1458	75
2.	दिल्ली	594	500
3.	हरियाणा	11411	19625
4.	हिमाचल प्रदेश	10004	12500
5.	जम्मू एवं कश्मीर	10513	10000
6.	पंजाब	21382	24550
7.	राजस्थान	35574	37900
8.	अंडमान एवं निकोबार	712	2500
9.	बिहार	20856	20975
10.	झारखंड	11378	15900
11.	उड़ीसा	15531	14550
12.	पश्चिम बंगाल	40898	37300
13.	अरुणाचल प्रदेश	1136	1700
14.	असम	23417	25100
15.	मणिपुर	1238	5000
16.	मेघालय	6529	5000
17.	मिजोरम	2001	7475
18.	नागालैंड	4019	2850
19.	त्रिपुरा	4409	3600
20.	सिक्किम	1452	1775
21.	आंध्र प्रदेश	20330	43575
22.	कर्नाटक	20873	33075
23.	केरल	19313	20925
24.	लक्षद्वीप	17	25
25.	पांडिचेरी	152	100
26.	तमिलनाडु	19024	19925
27.	दादर एवं नगर हवेली	33	250
28.	गोवा	33	5000
29.	गुजरात	7359	10075
30.	महाराष्ट्र	11157	31125
31.	छत्तीसगढ़	32912	15025
32.	मध्य प्रदेश	8511	21225
33.	उत्तरांचल	17583	10000
34.	उत्तर प्रदेश	10700	65725
	जोड़	25692	524925

विवरण II

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2001-2002			2002-2003		
		स्थापित परियोजनाएं	उपयोग की गई मार्जिन मनी (लाख रु. में)	रोजगार सृजन (सं. में)	स्थापित परियोजनाएं	उपयोग की गई मार्जिन मनी (लाख रु. में)	रोजगार सृजन (सं. में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान एवं निकोबार	50	22.90	376	196	78.24	1392
2.	बिहार	37	37.46	552	229	108.13	1965
3.	झारखंड	191	49.34	1308	298	421.01	9398
4.	उड़ीसा	619	292.98	5711	668	156.78	2816
5.	सिक्किम	–	–	–	16	6.70	120
6.	पश्चिम बंगाल	2892	822.20	16159	2459	1202.17	22531
7.	दादर एवं नगर हवेली	1	2.47	14	5	9.49	192
8.	दमन एवं दीव	–	–	–	–	–	–
9.	गोवा	482	311.95	5511	244	198.06	3556
10.	गुजरात	83	46.85	795	126	102.23	1717
11.	महाराष्ट्र	2564	1538.08	31613	2249	1541.92	27990
12.	चंडीगढ़	119	47.56	805	1	0.40	7
13.	दिल्ली	31	19.35	299	9	16.16	293
14.	हरियाणा	511	1130.47	16786	677	884.91	15964
15.	हिमाचल प्रदेश	594	953.73	14845	423	643.78	11644
16.	जम्मू एवं कश्मीर	790	436.50	8052	105	179.00	3129
17.	पंजाब	1118	1438.62	27115	1358	1744.62	31461
18.	राजस्थान	2647	2211.91	46724	3036	2189.08	43040
19.	आंध्र प्रदेश	797	1307.02	23308	1818	1775.01	34500
20.	कर्नाटक	1311	1067.94	20459	1411	1560.05	29648
21.	केरल	1437	1789.10	28325	789	1196.03	21394
22.	लक्षद्वीप	1	3.00	46	–	–	–
23.	पांडिचेरी	6	7.06	80	3	0.29	5

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	तमिलनाडु	598	567.34	11011	764	604.08	11017
25.	छत्तीसगढ़	139	297.99	4445	216	427.33	7254
26.	मध्य प्रदेश	1049	1096.50	21492	703	605.97	10947
27.	उत्तरांचल	269	318.00	5333	375	378.01	6881
28.	उत्तर प्रदेश	1863	2706.95	43002	1677	2293.52	42652
29.	अरुणाचल प्रदेश	5	11.21	157	30	45.36	806
30.	असम	199	142.51	2878	559	375.68	7003
31.	मणिपुर	11	2.98	54	79	110.53	2196
32.	मेघालय	157	110.50	1908	153	135.94	2515
33.	मिजोरम	9	16.83	214	143	224.40	3970
34.	नागालैंड	162	168.89	2931	64	50.15	981
35.	त्रिपुरा	25	40.54	702	141	106.23	2021
	कुल योग	20767	19025.13	343010	21024	19371.26	361005

विवरण III

वर्ष 2003-04 के दौरान आर.ई.जी.पी. का कार्य-निष्पादन

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्थापित परियोजनाएं	उपयोग की गई मार्जिन मनी राशि (लाख रु. में)	रोजगार सृजन (सं. में)
1	2	3	4	5
1.	अंडमान एवं निकोबार	58	28.44	504
2.	बिहार	88	186.03	3817
3.	झारखंड	323	198.08	3968
4.	उड़ीसा	1031	784.11	13431
5.	सिक्किम	113	24.66	449
6.	पश्चिम बंगाल	3348	1593.51	27350
7.	दादर एवं नगर हवेली	02	4.13	61
8.	दमन एवं दीव	0	0.00	0.00
9.	गोवा	98	82.98	1716

1	2	3	4	5
10.	गुजरात	290	130.34	2238
11.	महाराष्ट्र	857	873.25	15497
12.	चंडीगढ़	08	10.24	162
13.	दिल्ली	07	12.31	231
14.	हरियाणा	923	1938.96	33201
15.	हिमाचल प्रदेश	414	757.11	13485
16.	जम्मू एवं कश्मीर	775	363.45	6845
17.	पंजाब	882	819.03	13600
18.	राजस्थान	2496	2890.28	51337
19.	आंध्र प्रदेश	1079	1670.83	31707
20.	कर्नाटक	1422	1692.17	29959
21.	केरल	2046	2753.15	50293
22.	लक्षद्वीप	09	7.42	126
23.	पांडिचेरी	37	12.65	242
24.	तमिलनाडु	1568	1362.17	24028
25.	छत्तीसगढ़	697	1098.00	19815
26.	मध्य प्रदेश	1041	1355.07	23683
27.	उत्तरांचल	1106	979.70	16824
28.	उत्तर प्रदेश	2134	3415.18	57846
29.	अरुणाचल प्रदेश	32	52.77	864
30.	असम	1223	806.83	15548
31.	मणिपुर	92	11.06	211
32.	मेघालय	210	121.79	2170
33.	मिजोरम	33	61.10	1173
34.	नागालैंड	61	117.20	2332
35.	त्रिपुरा	244	224.02	4316
	कुल योग	24747	26438.02	469030

ग्राहक सुविधाओं में वृद्धि

1980. श्री के.एस. राव:
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड/महागर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने ग्राहक सुविधाओं में और वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने भी ग्राहकों के लिए "कास्मोस" (सीओएसएमओएस) सुविधा आरंभ की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त सुविधाओं से ग्राहकों को किस हद तक फायदा होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी हां।

(ख) भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा अपने-अपने उपभोक्ताओं के लिए हाल ही में शुरू की गई सुविधाओं का ब्यौरा क्रमश: *विवरण-I* और *विवरण-II* में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) ब्यौरा निम्नवत् है:

(1) उपभोक्ताओं के एक समूह (समूह के सदस्यों की संख्या कम से कम 5) द्वारा "कास्मास" सुविधा का चयन किया जा सकता है।

(2) समूह के प्रत्येक सदस्य पर कास्मास/सेन्ट्रेक्स सुविधा हेतु, सामान्य टेलीफोन किराया प्रभार के अतिरिक्त, प्रति कनेक्शन, 100/- रु. की दर से प्रभार लगाया जाता है।

(3) कास्मास/सेंट्रेक्स समूह के टेलीफोन कनेक्शनों को एक ही मुख्य एक्सचेंज या उसके आरएसयू/आरएलयू/आरडीएलयू इत्यादि से जुड़ा होना चाहिए।

(4) कास्मास (सेंट्रेक्स समूह) के भीतर की गई सभी कालें प्रभार रहित होती हैं। लेकिन कास्मास समूह के बाहर की गई कालों पर सामान्य कालों की तरह प्रभार देय हैं।

(ङ) ये सुविधाएं उपभोक्ताओं के लिए निम्नलिखित सीमा तक हितकर हैं:

(1) कास्मास/सेंट्रेक्स सुविधा के अंतर्गत, उपभोक्ता नाममात्र का मासिक प्रभार देकर अपने समूह के भीतर असीमित कालें कर सकते हैं और इससे, उनके स्थानीय काल प्रभारों की बचत होती है। लेकिन, कास्मास समूह से बाहर की गई कालें सामान्य कालों की भांति प्रभार्य हैं।

(2) इस सुविधा से उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर सूचना की आसान अभिगम्यता में सहायता मिलती है।

(3) प्रत्यक्ष इंटरनेट अभिगम्यता प्रणाली (डीआईएएस), वायस टेलीफोनी सेवाओं के लिए यथा प्रयुक्त एक ही कापर पेयर पर ही "सदैव चालू" (आल्वेज आन) इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध कराती है।

विवरण I

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा शुरू की गई सुविधाएं

(1) बीएसएनएल अपने उपभोक्ताओं को सेंट्रेक्स सुविधा उपलब्ध करा रही है। इस सुविधा के अंतर्गत, कोई उपभोक्ता स्थानीय काल क्षेत्र के अंतर्गत एक ऐसे बंद समूह (सीयूजी) का निर्माण कर सकता है, जिसके सदस्य एक-दूसरे को निर्धारित मासिक प्रभार पर असीमित कालें कर सकते हैं। इस समय यह सुविधा सी-डाट एक्सचेंज के अतिरिक्त, सभी नये प्रौद्योगिकी एक्सचेंजों में उपलब्ध हैं।

(2) मुख्य समाचारों, मुख्य वाणिज्यिक समाचारों, मत सर्वेक्षण, शेयर मूल्य सूचना, खगोल संबंधी जानकारी, क्रिकेट समाचार, इत्यादि हेतु मोबाइल पर एसएमएस आधारित मूल्य संवर्द्धित सेवाएं।

(3) चुनींदा शहरों में तारशुदा लाइन टेलीफोनों पर लघु संदेश सेवा (एसएमएस) की व्यवस्था।

(4) चुनींदा शहरों में डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस सिस्टम (डीआईएएस) सुविधाएं।

(5) काल केन्द्र खोले गए हैं जहां 1500 डायल करके संपर्क किया जा सकता है।

(6) "एकल खिड़की संकल्पना" के रूप में ग्राहक सेवा केन्द्र खोले गए हैं। 31.5.2004 की स्थिति के अनुसार, बीएसएनएल में कुल 3432 ग्राहक सेवा केन्द्र कार्यरत हैं।

(7) ग्राहक सेवा केन्द्र को रात्रि 8 बजे तक खुला रहने का निर्णय लिया गया है।

(8) चेक संग्रहण मशीन की संस्थापना का निर्णय लिया गया है जहां ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार टेलीफोन बिल जमा कर सकता है एवं मुद्रित प्राप्ति रसीद प्राप्त कर सकता है।

(9) जन शिकायत सेवा टेलीफोन सं. 1094 पर उपलब्ध है।

विवरण II

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा शुरू की गई सुविधाएं

(1) एकल खिड़की (सिंगल विन्डो) से सूचना एवं सेवाएं प्रदान करने हेतु टाल रहित टेलीफोन नं. 1500 की व्यवस्था की गई।

(2) दो विशेष इंटरनेट योजनाएं शुरू की गई।

(3) वायस काल के साथ-साथ एसीम्मेट्रिक डिजीटल सब्सक्राइबर लाइन (एडीएसएल) सेवा एवं इंटरनेट अभिगम सुविधा तथा ''जानकारी हासिल करना संभव'' सेवा शुरू की गई है।

(4) सेवाओं, उत्पाद प्रक्रियाओं, समाचारों, इत्यादि से संबंधित नवीनतम सूचना प्रदान करने हेतु दिल्ली में न्यूजलाइन एवं इन्फोलाइन तथा मुम्बई में ''इन्डोन्लाइन'' जैसी आन लाइन सेवाएं शुरू की गई।

(5) एक ही स्थान पर अधिकांश सेवाएं प्रदान करने हेतु फ्रंट एंड सेवाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। विनम्र तथा तत्पर सेवा के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम के जरिए ''कस्टमर इन्टरफेस प्वाइंट'' पर फ्रंट सेवा तथा स्टाफ को प्रेरित किया जा रहा है। टेलीफोन पर ही कई सेवाएं प्रदान करने के लिए एक काल सेन्टर शुरू किया गया है।

(6) एक ही लाइन पर एक साथ फोन और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है।

(7) इंटरनेट हेतु कोई काल प्रभार नहीं।

(8) हमेशा इंटरनेट संपर्कता।

(9) उच्च गति डाटा संचार (64 केबीपीएस से 6 एमबीपीएस)।

(10) विविध एडीएसएल खातों के लिए समूह बिलिंग का विकल्प।

(11) फोन पर 24 घंटे हेल्प लाइन एवं तकनीकी सहायता सेवा।

(12) गरूड़-1× उपभोक्ता वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकाल (डब्ल्यूएपी) के जरिए निम्नलिखित सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं:

(क) सार्वजनिक उपयोग सेवा नम्बर

(ख) रेलवे पूछताछ

(ग) हवाई यात्रा संबंधी पूछताछ

(घ) डायरेक्टरी संबंधी पूछताछ

(ङ) बिलिंग सेवाएं

(च) टेलीफोन संबंधी शिकायतें

(छ) रेडिफ, याहू, एसएसएन ई-मेल एकाउंटों आदि से किसी भी वैध ई-मेल एकाउंट को ई-मेल।

(ज) गूगल, इत्यादि जैसे सर्च इंजिन का प्रयोग करते हुए इंटरनेट सर्च।

(झ) बीबीसी, वर्ल्ड न्यूज, इत्यादि जैसे विभिन्न पोर्टलों के माध्यम से समाचार।

(ञ) ईएसपीएन, एटीपी-टूर इत्यादि के माध्यम से खेल समाचार।

(ट) खेल एवं चुटकुले।

(ठ) शिकायत दर्ज करना।

प्रसार संबंधी भारत-अमरीका वार्ता

1981. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारत और अमरीका के बीच प्रसार संबंधी वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो वार्ता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमरीका ने भारत को पीएसआई ज्वाइन करने के लिए आमंत्रित किया है जिसमें इस समय 14 सदस्य हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह): (क) से (घ) भारत और अमरीकी अधिकारियों ने अप्रसार कार्यसूची के विभिन्न मसलों पर भी चर्चा की। इन चर्चाओं का अंतिम दौर 31 मार्च, 2004 को वाशिंगटन में सम्पन्न हुआ। अमरीकी पक्ष के साथ प्रसार सुरक्षा पहलकदमी पर भी चर्चाएं हुई। इन चर्चाओं में सरकार प्रसार सुरक्षा पहलकदमी के अंतर्गत की जाने वाली कार्यवाहियों की तर्कसंगतता से सम्बद्ध विचारों और अंतर्राष्ट्रीय कानून में उनके आधार द्वारा निदेशित है।

के.स.स्व.यो. के मानदंडों की समीक्षा करना

1982. श्री मोहन सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) के.स.स्वा.यो. कितने शहरों में चल रही है और इस योजना से कितने लोगों को लाभ हुआ है;

(ख) उक्त योजना किन-किन शहरों में लागू किए जाने का प्रस्ताव है और इस योजना के अंतर्गत कितने लोगों को शामिल किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के महानगरों को इस योजना के अंतर्गत शामिल करने के लिए मानदंडों की समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) लाभार्थियों की संख्या सहित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाओं वाले शहरों का *विवरण* संलग्न *विवरण-I* में दिया गया है।

(ख) हालांकि, दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ नए शहरों संलग्न *विवरण-II* में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाओं के विस्तार करने का प्रस्ताव किया गया है, लेकिन संसाधनों की कमी होने के कारण फिलहाल नए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलना संभव नहीं होगा।

(ग) और (घ) इस समय, महानगरीय शहरों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाओं का विस्तार करने संबंधी मानदण्ड की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण I

दिनांक 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना शहरों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर रहे लाभार्थियों की संख्या

क्र.सं.	शहर का नाम	लाभार्थियों की संख्या
1.	अहमदाबाद	23524
2.	इलाहाबाद	73756
3.	बंगलौर	236440
4.	भोपाल	9709
5.	भुवनेश्वर	10076
6.	चंडीगढ़	34364
7.	चेन्नई	169523
8.	देहरादून	–
9.	दिल्ली	1999278
10.	गुवाहाटी	38299
11.	हैदराबाद	396826
12.	जबलपुर	89287
13.	जयपुर	112356
14.	कानपुर	141619
15.	कोलकाता	183656
16.	लखनऊ	96319
17.	मेरठ	66184
18.	मुम्बई	349166
19.	नागपुर	82031
20.	पटना	73734
21.	पुणे	249502
22.	रांची	11170
23.	शिलांग	6872
24.	त्रिवेन्द्रम	18704
	कुल	4472395

विवरण II

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कवर किए जाने वाले प्रस्तावित नए शहरों के नामों को दर्शाने वाला विवरण

1. जम्मू
2. जोधपुर
3. विशाखापत्तनम
4. वाराणसी
5. विजयवाड़ा
6. जमशेदपुर
7. औरंगाबाद
8. इंदौर
9. वड़ोदरा
10. एर्नाकुलम
11. बोकारो
12. सोनपेट
13. गुन्टूर

पत्तनों पर पोतों के प्रतीक्षा समय को कम करना

1983. श्री अनन्त नायक: क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रमुख पत्तनों पर पोतों की प्रतीक्षा अवधि को कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस समय पत्तन-वार स्थिति क्या है;

(ग) प्रतीक्षा अवधि को कम करने हेतु विभिन्न पत्तनों द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं; और

(घ) तत्संबंधी पत्तन-वार ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) जलयानों के प्रतीक्षा करने की अवधि घटाने की दृष्टि से, महापत्तनों के काम-काज के संचालन में सुधार लाना एक लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, जहाजों को बर्थिंग से पहले रोके रखने के औसत समय का पत्तन-वार ब्यौरा निम्नलिखित है:-

पत्तन का नाम	औसत प्री-बर्थिंग डिटेन्शन (पत्तन की वजह से) (घंटों में)		
	2001-02	2002-03	2003-04
कोलकाता	2.62	2.46	2.48
पारादीप	11.04	10.32	5.14
विशाखापत्तनम	5.76	3.12	1.18
इन्नौर	9.98	1.56	1.66
चेन्नई	26.00	4.30	0.91
तूतीकोरीन	10.56	7.20	1.60
कोचीन	4.20	1.67	4.02
नव मंगलूर	5.99	4.41	3.07
मुरगांव	32.16	19.92	26.71
मुम्बई	7.68	3.60	3.64
जवाहरलाल नेहरू	10.08	11.76	8.24
कांडला	21.36	16.80	11.06
योग	11.53	6.90	4.86

(ग) और (घ) इस बारे में *विवरण* संलग्न है।

विवरण

महापत्तन-न्यास, जलयानों के प्रतीक्षा करने की अवधि घटाने के विभिन्न उपाय करते आ रहे हैं। अधिकांश पत्तनों द्वारा किए गए उपायों में नई बर्थों/टर्मिनलों का निर्माण तथा उन्हें आवश्यक सुविधाओं और उपस्करों से सज्जित किया जाना, मौजूदा बर्थ पर, विद्यमान उपकरणों को, अत्याधुनिक उपकरणों से बदला जाना, और अधिक कार्यकुशलता/उत्पादन प्राप्त करने की दृष्टि से श्रमिकों को प्रशिक्षित किया जाना और प्रबंधन के तरीकों में सुधार लाया जाना, अतिरिक्त निवेश आकर्षित करने तथा बेहतर कार्यकुशलता लाने के लिए आधुनिक तकनीकों का दोहन करने के लिए पत्तन से संबंधित सुविधाओं के विकास तथा उनके प्रचालन में निजी क्षेत्र को सम्मिलित किया जाना, पत्तन के काम-काज के संचालन का कंप्यूटरीकरण और इलैक्ट्रोनिक डाटा इंटरचेंज का लागू किया जाना, जलयान-यातायात-प्रबंधन-प्रणाली का स्थापित किया जाना इत्यादि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ महापत्तनों/पत्तन न्यासों द्वारा किए गए विशिष्ट उपाय निम्नलिखित हैं:-

इन्नौर: तमिलनाडु-बिजली-बोर्ड से लगातार संपर्क कायम रख कर जलयानों के पहुंचने का समय इस प्रकार निर्धारित करना जिससे प्रतीक्षा की अवधि घटाई जा सके।

मुरगांव: लौह-अयस्क की हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाने की दृष्टि से यांत्रिक अयस्क हैंडलिंग संयंत्र कन्वेयर की प्राप्ति और शिपिंग की प्रणाली में सुधार किए गए हैं; 8 बार्ज अनलोडर्स में से, 500 टी पी एच की क्षमता वाले 4 बार्ज अनलोडर्स को 750 टी पी एच क्षमता वाले बार्ज अनलोडर्स से बदल दिया गया है और उन्हें दो चरणों में प्रचालित किया गया है; बर्थ सं. 9 (एम ओ एच पी) पर केप के आकार के जलयानों को लाने के लिए, कैपीटल ड्रेजिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है और डुबाव 14 मीटर तक बढ़ा दिया गया है; बनाओ खुद चलाओ और हस्तांतरित कर दो (बी ओ टी) के आधार पर, 5.00 मिलियन टन की वार्षिक क्षमता वाली दो बर्थों-5ए और 6ए का निर्माण, मुख्यत: कोक (कच्चे कोयले) और कोयले को हैंडल करने के लिए किया गया है और इसे 19.06.2004 से प्रचालित कर दिया गया है।

कोलकाता: इस पत्तन ने सागर एनकरेज पर एक वर्चुअल जेटी का निर्माण किया है। इसके अतिरिक्त, बनाओ खुद चलाओ और हस्तांतरित कर दो (बी ओ टी) के आधार पर एक बर्थ के निर्माण, विकास तथा रख-रखाव का लाइसेंस एक स्ट्रैटजिक प्रचालक को दे दिया गया है।

पारादीप: अक्तूबर, 2002 से चौबीसों खंडों की पायलटेज सेवा आरंभ कर दी गई है।

विशाखापत्तनम: उच्च क्षमता वाली क्रेनों को शामिल करना, अयस्क हैंडलिंग संयंत्र से रुकावटों को दूर करना, और सुस्पष्टत: निर्धारित रख-रखाव के प्रबंधन की पद्धतियों का प्रयोग किया जा रहा है।

कोचीन: जलयानों के आने-जाने के दस्तावेजों को तेजी से तैयार करना सुनिश्चित किया जाता है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए मौजूदा पटरी पर चढ़ाई गई गैंट्री क्रेनों की पहले से निर्धारित की जा सकने वाली लाजिक नियंत्रण प्रणाली तथा उन्हें चलाने के नियंत्रकों का उन्नयन किया जा रहा है। साठ टैंकर बर्थ पर और अधिक क्षमता की अनलोडिंग आर्मस् लगाई गई हैं।

कांडला: उन जलयानों को प्राथमिकता दी जाती है जिनसे अपेक्षाकृत अधिक उत्पादकता की आशा होती है। पत्तन भी उन्हीं जलयानों को प्राथमिकता देता है जो बर्थ को 24 घंटे में खाली करने की गारंटी देते हैं।

नव मंगलूर: बल्क, ब्रेक बल्क तथा कंटेनरों में बंद माल को हैंडल करने के लिए 3 पारियों की प्रचालन-पद्धति शुरू कर दी गई है।

जवाहरलाल नेहरू: 12 रबड़ के टायरों वाली गैंट्री क्रेनों का आदेश दे दिया गया है और 4 क्रेनों की पहली खेप, जून 2004 में प्रचालित कर दी गई।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुगम ड्राइविंग के लिए उठाए गए कदम

1984. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों विशेषकर दिल्ली से जयपुर तथा दिल्ली से मथुरा तक ड्राइविंग को सुगम बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जयपुर और मथुरा जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर फ्लाई ओवरों तथा बहु-जंक्शनों के निर्माण की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) फ्लाईओवरों तथा जंक्शनों का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग-8 के दिल्ली-जयपुर खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग-2 के दिल्ली-आगरा खंड के दो लेन के मार्ग को पहले ही चौड़ा करके 4 लेन कर दिया गया है। दुर्घटना-पीड़ितों को सहायता प्रदान करने और दुर्घटनाओं में क्षतिग्रस्त हुए वाहनों को हटाने के लिए आठ गश्ती वाहन (रा.रा. 8 पर 6, रा.रा. 2 पर 2), 5 एंबुलेंसों (रा.रा. 8 पर 3, रा.रा. 2 पर 2) और तीन क्रेनों (रा.रा. 8 पर 2, रा.रा. 2 पर 1) उपलब्ध कराई गई हैं। सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा के लिए समुचित स्थानों पर सड़क चिह्नांकन, संकेत और मेटल बीम क्रैस बैरियर्स लगाए गए हैं। विपरीत दिशा की चौंध को रोकने के लिए माध्यिका में पेड़-पौधे लगाए गए हैं।

(ग) और (घ) रा.रा. 8 और रा.रा. 2 पर इस समय कोई फ्लाईओवर निर्माणाधीन नहीं हैं। रा.रा. 2 पर 7.75 करोड़ रु. की लागत पर छह ग्रेड जंक्शनों का सुधार कार्य चल रहा है और इसके इस वर्ष तक पूरा हो जाने की संभावना है।

एक समान लाइसेंस नीति

1985. श्री तथागत सत्पथी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दूरसंचार क्षेत्र में एक समान लाइसेंस नीति हेतु कोई प्रारूप प्रस्ताव तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को कितना लाभ होने की संभावना है; और

(घ) इस नीति को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) टीआरएआई ने 13 मार्च, 2004 को एकीकृत लाइसेंसिंग व्यवस्था पर परामर्श-पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने निम्नलिखित जानकारियों सहित, विभिन्न स्टेक होल्डरों की टिप्पणियां आमंत्रित की थीं:

1. एकीकृत लाइसेंसिंग व्यवस्था का ढांचा
2. पंजीकरण प्रभार/प्रवेश शुल्क/अनुमोदन प्रभार
3. एकीकृत लाइसेंसिंग व्यवस्था का सेवा क्षेत्र
4. लाइसेंस शुल्क
5. बैंक गारंटियां
6. रोल आउट दायित्व
7. अंत: संयोजन
8. नम्बरिंग
9. अंत:सर्किल संयोज्यता तथा अवसंरचना हिस्सेदारी : लाइसेंसिंग पहलू
10. पुन: बिक्री
11. अन्य मामले

(ग) टीआरएआई के अनुसार, प्रस्तावित एकीकृत लाइसेंसिंग व्यवस्था से वहनीय टैरिफों पर उपभोक्ताओं को बेहतर (मौजूदा तथा नई) सेवाएं उपलब्ध होने के साथ-साथ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा और दूरसंचार की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना सुविधाजनक हो जाएगा।

(घ) चूंकि टीआरएआई ने अब तक अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत नहीं की हैं, अत: अभी इस नीति के लागू होने की संभावित समय-अवधि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

डाक सेवाओं का विस्तार

1986. श्री दुष्यंत सिंह: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान देश में डाक नेटवर्क का विस्तार करने हेतु कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार विशेषकर राजस्थान का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डाक क्षेत्र हेतु राज्य-वार कौन-कौन से विभिन्न विस्तार प्रस्ताव तैयार किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी हां। पिछली तीन वार्षिक योजनाओं अर्थात् 2001-2002, 2002-2003 और 2003-2004 के दौरान खोले गए डाकघरों का डाक सर्किलवार ब्यौरा संलग्न *विवरण* में दिया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में 53 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर (जीडीएस डाकघर), 7 विभागीय डाकघर और 202 पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोले गए हैं।

(ग) डाकघर योजना के अंतर्गत खोले जाते हैं बशर्ते कि दूरी, जनसंख्या और आय के मानदण्ड पूरे होते हों और संसाधन उपलब्ध रहें। डाकघर खोलने के लिए वार्षिक लक्ष्य योजना अवधि के लिए निर्धारित किए जाते हैं लेकिन राज्य-वार लक्ष्य केवल वार्षिक आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए मात्र पहले दो वर्षों के लिए लक्ष्यों को मंजूर किया गया है। योजना संसाधनों का उपयोग करते हुए अगले तीन वर्षों के कार्यान्वयन कार्यक्रम को सक्षम प्राधिकरणों द्वारा मंजूरी की आवश्यकता है। हालांकि, डाकघरों को जरूरतमंद इलाकों में पुन:स्थापित करके डाकघर खोले जाते रहेंगे।

विवरण

2001-02 से 2003-04 तक के वर्षों के दौरान खोले गए डाकघरों और पंचायत संचार सेवा केन्द्रों (पीएसएसके) की संख्या

क्रम सं.	सर्किल	2001-2002 खोले गए डाकघर			2002-2003 खोले गए डाकघर			2003-2004 खोले गए डाकघर		
		ईडीबीओ	डीएसओ	खोले गए पीएसएसके	ईडीबीओ	डीएसओ	खोले गए पीएसएसके	ईडीबीओ	डीएसओ	खोले गए पीएसएसके
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	3	शून्य	30	3	शून्य	30	2	1	15
2.	असम	35	2	135	15	1	95	14	1	65
3.	बिहार	38	शून्य	570	15	शून्य	253	15	1	96
4.	छत्तीसगढ़	25	1	100	20	1	100	16	1	70
5.	दिल्ली	2	2	शून्य	1	1	शून्य	1	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	18	2	50	15	शून्य	55	9	1	23
7.	हरियाणा	शून्य	1	70	शून्य	1	55	2	1	35
8.	हिमाचल प्रदेश	5	शून्य	55	2	शून्य	54	2	1	44
9.	जम्मू व कश्मीर	13	शून्य	12	5	शून्य	10	7	1	10
10.	झारखण्ड	शून्य	1	72	8	शून्य	49	6	1	48
11.	कर्नाटक	13	2	18	8	1	6	4	1	3
12.	केरल	2	1	शून्य	2	1	शून्य	6	1	शून्य
13.	मध्य प्रदेश	21	3	175	16	1	140	15	1	100
14.	महाराष्ट्र	65	10	150	30	8	150	25	2	96
15.	उत्तर पूर्व	13	2	118	9	1	56	10	1	49
16.	उड़ीसा	14	2	18	10	1	20	6	1	10
17.	पंजाब	6	8	26	5	1	30	5	शून्य	15
18.	राजस्थान	20	4	80	18	2	82	15	1	40
19.	तमिलनाडु	5	2	80	5	1	75	6	1	40
20.	उत्तर प्रदेश	38	2	240	18	1	200	20	1	118
21.	उत्तरांचल	15	1	43	4	शून्य	20	5	शून्य	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	पश्चिम बंगाल	54	5	शून्य	32	2	2	6	शून्य	1
23.	सिक्किम	–	–	–	शून्य	1	शून्य	2	1	1
	कुल	405	51	2042	241	25	1482	199	20	889

दूरसंचार प्रणाली का आधुनिकीकरण

1987. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं योजना अवधि के दौरान देश में दूरसंचार प्रणाली के आधुनिकीकरण हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) द्वारा राज्य-वार क्या योजना तैयार की गई है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार विशेषकर मध्य प्रदेश के लिए कितनी निधि निर्धारित की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां। दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, दूरसंचार प्रणाली के विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए अनेक उपायों की परिकल्पना की गई है, जो निम्नलिखित हैं:

(1) देश में सभी गांवों को दूरसंचार सुविधा प्रदान करना तथा सभी ग्रामीण एक्सचेंजों में विश्वसनीय पारेषण मीडिया की व्यवस्था करना;

(2) सभी एक्सचेंजों को विश्वसनीय मीडिया प्रदान करना;

(3) दो लाख से अधिक की जनसंख्या वाले सभी नगरों को आईएसडीएन सहित प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए हाईस्पीड डाटा और मल्टीमीडिया क्षमता प्रदान करना।

(ख) बीएसएनएल द्वारा वार्षिक आधार पर लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। बीएसएनएल के संबंध में दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान नेटवर्क के आधुनिकीकरण की राज्य-वार योजना/कार्यान्वयन संलग्न *विवरण-I* में दिया गया है।

(ग) ब्यौरे संलग्न *विवरण-II* में दिए गए हैं।

विवरण I

क्र.सं.	सर्किल	एसबीएम का आरएसयू में परिवर्तन		सी-डाट आरएएस का वी 5.2 एएन में परिवर्तन		सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन			डब्ल्यूएलएल (कवरलैस इन लोकल लूप)			वर्ष 2004-05 के दौरान फ्रेश-लैस नेटवर्क लगाने हेतु सहित स्टाइनों की संख्या
		कुल लक्ष्य	31.3.04 तक प्राप्त	कुल लक्ष्य	31.3.04 तक प्राप्त	2002-2003 के दौरान प्रदान कनेक्शन	2003-04 के दौरान प्रदान कनेक्शन	2004-05 के दौरान लक्ष्य	2002-03 के दौरान प्रदान कनेक्शन	2003-04 के दौरान प्रदान कनेक्शन	2004-05 के दौरान लक्ष्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	अंडमान और निकोबार	9	4	28	8	2083	4004	6900	501	383	2000	10 के
2.	आंध्र प्रदेश	610	305	2980	308	217106	350771	459700	8480	44819	170000	500 के

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	असम	51	13	542	57	0	26211	168600	6486	5765	25000	100 के
4.	बिहार	225	146	961	365	36516	110603	278300	38648	9957	80000	200 के
5.	छत्तीसगढ़	80	65	371	159	15493	16579	67400	15284	16261	30500	80 के
6.	गुजरात	611	549	2194	394	275691	206422	563000	1934	2787	100000	500 के
7.	हरियाणा	76	75	598	198	77347	115117	247000	590	16411	98000	200 के
8.	हिमाचल प्रदेश	204	102	784	127	22274	50351	89200	4097	-606	45000	70 के
9.	जम्मू और कश्मीर	36	2	251	11	0	40100	49100	3247	3872	43000	30 के
10.	झारखण्ड	85	17	297	66	30147	70725	11200	16718	10648	17000	100 के
11.	कर्नाटक	481	427	2218	818	200205	129991	346400	16426	31266	88000	500 के
12.	केरल	174	169	76	76	203931	169821	428000	23168	37010	290000	500 के
13.	मध्य प्रदेश	591	575	2075	925	64542	56297	202200	14012	52022	105000	300 के
14.	महाराष्ट्र	918	669	4406	352	275533	334938	719500	111008	47998	240000	500 के
15.	पूर्वोत्तर-1	39	5	117	11	0	12160	93300	3072	4621	17500	30 के
16.	पूर्वोत्तर-2	36	2	144	24	0	8104	–	1073	6806	15000	30 के
17.	उड़ीसा	89	51	965	411	70332	93212	225200	20842	12457	69000	100 के
18.	पंजाब	643	643	526	320	161706	132611	429000	1201	3283	119000	300 के
19.	राजस्थान	712	486	1516	653	85117	136270	412700	2845	43138	195000	300 के
20.	तमिलनाडु	547	384	1660	800	160089	240048	422600	9910	14515	101000	400 के
21.	उत्तरांचल	37	31	340	75	26425	59007	109900	6846	7974	20000	50 के
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	473	213	1344	119	127905	217316	456600	68170	15546	120000	350 के
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	167	114	488	117	102128	193138	311000	16042	15949	50000	350 के
24.	पश्चिम बंगाल	373	287	1154	304	72897	95238	314000	18323	7678	140000	300 के
25.	कोलकाता	–	–	–	–	10244	7242	271700	2454	18932	50000	200 के
26.	चेन्नई	–	–	–	–	0	121553	216700	7843	13381	20000	200 के
	बीएसएनएल	7267	5330	26035	6698	2238611	2997829	7000000	319220	442873	2250000	6100 के

संक्षेपण:

एसबीएम: सिंगल बेस मौड्यूल

आरएसयू: रिमोट सब्सक्राइबर यूनिट

एएनआरएएक्स: ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंजों के लिए अभिगम्यता नेटवर्क

विवरण II

दसवीं योजना (2002-03 से 2006-07 तक) के दौरान दूरसंचार के आधुनिकीकरण पर राज्य-वार/वर्ष-वार निर्धारित निधि का विवरण

(राशि करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	सर्किल का नाम	2002-03	2003-04	2004-05
1.	अंडमान और निकोबार	11.67	11.27	18.51
2.	आंध्र प्रदेश	873.7	628.68	762.24
3.	असम	135.81	172.98	224.15
4.	बिहार	404.22	432.44	526.1
5.	छत्तीसगढ़	112.81	116.25	101.96
6.	गुजरात	993.2	694.38	661.32
7.	हरियाणा	313.28	375.13	396.54
8.	हिमाचल प्रदेश	110.43	135.05	209.53
9.	जम्मू और कश्मीर	112.97	126.39	176.73
10.	झारखण्ड	242.37	153.88	168.86
11.	कर्नाटक	604.14	669.35	852.45
12.	केरल	787.22	1186.27	1041.15
13.	मध्य प्रदेश	392.79	372.73	402.59
14.	महाराष्ट्र	1192.94	993.54	1090.65
15.	पूर्वोत्तर	130.23	154.18	217.21
16.	उड़ीसा	232.14	190.85	347.7
17.	पंजाब	587.67	539.56	612.38
18.	राजस्थान	463.89	487.43	704.41
19.	तमिलनाडु	906.79	691.75	882.72
20.	उत्तरांचल	124.64	530.05	141.99
21.	उत्तर प्रदेश	907.81	457.75	1092.41
22.	पश्चिम बंगाल	637.6	666.28	975.07
	जोड़	10278.32	9786.19	11606.67

नोट: 1. परियोजन सर्किलों, अनुरक्षण सर्किलों, दूरसंचार फैक्टरियों, सीजीएम दूरसंचार भण्डारों को किए गए आबंटन अतिरिक्त हैं।

2. 2004-05 के लिए निर्धारित निधि अनन्तिम है।

3. शेष दो वर्षों के लिए प्रावधान नहीं किए गए हैं क्योंकि राज्यवार वास्तविक लक्ष्य वार्षिक रूप से तैयार किए जाते हैं और तदनुरूप उपयुक्त चरणों में आबंटन किए जाते हैं।

प्लास्टिक से पेट्रोल बनाना

1988. श्री गुरुदास दासगुप्त: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागपुर में एक स्थानीय आविष्कारकर्त्ता द्वारा प्लास्टिक से पेट्रोल का प्रदर्शन किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, जिनसे इस प्रश्न की विषय वस्तु संबंधित है, द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि जी.एच. रायसोनी कालेज आफ इंजीनियरिंग, नागपुर के एप्लाइड कैमिस्ट्री विभाग की प्रमुख श्रीमती अलका जडगांवकर द्वारा जुलाई, 2002 में यह दावा किया गया कि उन्होंने प्लास्टिक के अपशिष्ट पदार्थों को तरल ईंधन, गैस, कोक आदि पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया का आविष्कार कर लिया है। उनके दावे की जांच करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अनुसंधान तथा विकास केन्द्र के कार्यकारी निदेशक डा. आर.पी. वर्मा की अध्यक्षता में वैज्ञानिकों के एक दल को मंजूरी दी गई। इस दल द्वारा यह महसूस किया गया कि इस आविष्कार की उपयुक्तता/वाणिज्यिक संभाव्यता के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व इस पर कुछ और कार्य किये जाने की आवश्यकता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की हाइड्रोकार्बन संबंधी वैज्ञानिक सलाहकार समिति ने भी, जिसे प्रदर्शन संयंत्र की स्थापना का एक प्रस्ताव नवम्बर, 2003 में भेजा गया था, वर्तमान रूप में प्रस्ताव को निधि पोषण के लिए उचित नहीं पाया।

[हिन्दी]

यू.पी. में प्री-पेड मोबाइल कनेक्शन धारक

1989. श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में जिला-वार बीएसएनएल प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन धारक कितने हैं;

(ख) उन जिलों में जिला-वार प्रतीक्षा सूची में मोबाइल सेवा कनेक्शन प्राप्त करने के लिए कितने आवेदक सूचीबद्ध हैं;

(ग) इन आवेदकों को कनेक्शन कब तक जिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या प्री-पेड कनेक्शन रजिस्ट्रेशन क्रम के आधार पर प्रदान किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो प्री-पेड कनेक्शनों के लिए रजिस्टर्ड आवेदकों का प्रतीक्षा क्रम क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) 30.06.2004 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में बीएसएनएल के प्री-पेड मोबाइल कनेक्शन धारकों की जिला-वार संख्या संलग्न *विवरण I* में दी गई है।

(ख) और (ग) जिले-वार प्रतीक्षा सूची, जहां-कहीं भी तैयार की जाती है, में दर्ज उपभोक्ताओं की संख्या का ब्यौरा संलग्न *विवरण II* में दिया गया है और आशा है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान इनका निपटान हो जाएगा।

(घ) और (ङ) जी हां। प्रतीक्षा सूची के क्रमानुसार कनेक्शन प्रदान करने के बाद संलग्न *विवरण II* में उल्लिखित तारीख को प्रतीक्षारत आवेदकों की सूची दर्शाई गई है।

विवरण I

क्रम सं.	जिले का नाम	30.6.2004 को प्रदत्त प्री-पेड कनेक्शन
1	2	3
1.	आगरा	39365
2.	फिरोजाबाद	
3.	अलीगढ़	19086
4.	एम.एम. नगर	
5.	बरेली	20617
6.	बिजनोर	10280
7.	बदायूं	6718
8.	बुलंदशहर	8085
9.	एटा	6471
10.	गाजियाबाद	12226
11.	मेरठ	23117
12.	बागपत	
13.	मथूरा	10947
14.	मुजफ्फरनगर	12214
15.	मुरादाबाद	25784
16.	जे.पी. नगर	
17.	जी.बी. नगर (नोयडा)	5097
18.	पीलीभीत	5673
19.	रामपुर	12497
20.	सहारनपुर	12172
21.	इटावा	11560
22.	मैनपुरी	5077
23.	इलाहाबाद	20350
24.	मंजनपुर	
25.	आजमगढ़	4875
26.	बहराइच	5650
27.	भिंगा	
28.	बलिया	2050
29.	बांदा	2100
30.	कार्वी	
31.	बाराबंकी	6725
32.	बस्ती	
33.	संत कबीर नगर	5800
34.	सिद्धार्थ नगर	
35.	देवरिया	7800
36.	पडरौना	
37.	फैजाबाद	5028
38.	अम्बेडकरनगर	
39.	फर्रूखाबाद	6604
40.	कन्नौज	

1	2	3
41.	फतेहपुर	6760
42.	गाजीपुर	2751
43.	गोंडा	6750
44.	बलरामपुर	9050
45.	गोरखपुर	
46.	महराजगंज	
47.	हमीरपुर	3957
48.	महोबा	
49.	हरदोई	2055
50.	जौनपुर	2487
51.	झांसी	5955
52.	ललितपुर	
53.	कानपुर	29550
54.	कानपुर देहात	
55.	लखीमपुर	2703
56.	लखनऊ	47418
57.	मऊ	3850
58.	मिर्जापुर	7700
59.	सोनभद्र	
60.	औरई	2755
61.	प्रतापदढ़	1985
62.	रायबरेली	5500
63.	शाहजहांपुर	6050
64.	सीतापुर	7220
65.	सुल्तानपुर	10463
66.	गौरीगंज	
67.	उन्नाव	4975
68.	वाराणसी	47100
69.	भदोई	
70.	चंदोली	

विवरण II

क्रम सं.	जिले का नाम	30.6.2004 तक प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	इलाहाबाद	22500
2.	मंजरपुर	
3.	आजमगढ़	25000
4.	बहराइच	1200
5.	भिंगा	
6.	बांदा	25000
7.	कार्वी	
8.	बाराबंकी	3270
9.	बस्ती	3000
10.	संत कबीर नगर	
11.	सिद्धार्थ नगर	
12.	देवरिया	10170
13.	पडरौना	
14.	फतेहपुर	5000
15.	गाजीपुर	10000
16.	गौंडा	14700
17.	बलरामपुर	
18.	गोरखपुर	12000
19.	महराजगंज	
20.	हरदोई	12200

1	2	3
21.	जौनपुर	18500
22.	झांसी	12000
23.	ललितपुर	
24.	कानपुर	21000
25.	कानपुर देहात	
26.	लखीमपुर	10000
27.	लखनऊ	23000
28.	मऊ	13000
29.	मिर्जापुर	17000
30.	सोनभद्र	
31.	औरई	1700
32.	प्रतापगढ़	7000
33.	रायबरेली	2500
34.	शाहजहांपुर	7015
35.	सीतापुर	3500
36.	सुल्तानपुर	7000
37.	गौरीगंज	
38.	उन्नाव	7860
39.	वाराणसी	
40.	भदोई	67365
41.	चंदौली	

[अनुवाद]

सार्क संचार मंत्रियों का सम्मेलन

1990. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:**
श्री राजेश वर्मा:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने इस्लामाबाद में हुए द्वितीय सार्क संचार मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या संचार क्षेत्र में विकास की लगातार निगरानी और रिकार्ड रखने हेतु एक कार्यबल गठित करने पर कोई बल दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे कब तक गठित किए जाने की संभावना है और कार्यबल की प्रस्तावित संरचना क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) इस्लामाबाद में आयोजित सार्क संचार मंत्रियों के द्वितीय सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

(1) दूरसंचार क्षेत्र के कार्य-निष्पादन संकेतकों (इन्डीकेटरर्स) संबंधी कार्यों के लिए कार्य-बल का गठन किया जाएगा। (भारत द्वारा प्रस्तावित)

(2) एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो देश अन्य देशों की तुलना में पिछड़ता प्रतीत होता है उसमें दूरसंचार सेवाओं के विकास को गति देने के लिए एक नई दूरसंचार कार्य योजना, 2004 अपनाई गई है।

(3) सम्मेलन में "वर्ल्ड सम्मिट आन इन्फर्मेशन सोसाइटी" (चरण-2, 2005 में तुनीसिया) के दौरान प्रस्तुत करने के लिए एक सामूहिक विचारधारा भी अपनायी गयी।

(4) भारत में दूरसंचार प्रशिक्षण संस्थानों में सार्क देशों के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए वृत्तिका/छात्रवृत्ति का प्रस्ताव।

(5) 2004 के उत्तरार्द्ध में दूरसंचार/आईसीटी संबंधी कार्य दल की बैठक की मेजबानी (भारत द्वारा प्रस्तावित)।

(6) 2005 की पहली तिमाही में दिल्ली में संचार मंत्रियों के तीसरे सम्मेलन का आयोजन (भारत द्वारा प्रस्तावित)।

(7) सदस्य देशों के सुझाव के अनुसार, इस बात पर सहमति हुई थी कि सार्क संचार मंत्रियों के अगले सम्मेलन के दौरान भारत में दूरसंचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी की प्रदर्शनी एक अतिरिक्त (साइडलाइन) कार्य-कलाप के रूप की जाए।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) इस सम्मेलन के दौरान, माननीय संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने अन्य बातों के साथ-साथ सार्क के सदस्य देशों के बीच संचार क्षेत्र में विकास की निगरानी रखने तथा इस संबंध में खाका तैयार करने के लिए एक कार्य दल गठित करने का सुझाव दिया है।

टेलीफोन एक्सचेंजों को आप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ना

1991. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चालू योजना अवधि के दौरान विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों को आप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न राज्यों में अब तक कितने एक्सचेंजों को ओ एफ सी से जोड़ा गया है;

(घ) देश में सभी एक्सचेंजों को कब तक ओ एफ सी से जोड़े जाने की संभावना है;

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ निर्धारित बजट का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त अवधि के दौरान निर्धारित और प्राप्त लक्ष्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) सभी एक्सचेंजों को आप्टिकल फाइबर केबल, माइक्रोवेव तथा उपग्रह इत्यादि जैसे विश्वसनीय माध्यम से कवर किया जा चुका है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) देश के कुल 36535 एक्सचेंजों में से 33526 एक्सचेंजों को आप्टिकल फाइबर केबल माध्यम से जोड़ दिया गया है।

(घ) देश में सभी एक्सचेंजों को आप्टिकल फाइबर केबल माध्यम से जोड़ने की कोई योजना नहीं है।

(ङ) ब्यौरा संलग्न *विवरण I* में दिया गया है।

(च) ब्यौरा संलग्न *विवरण II* में दिया गया है।

विवरण I

वर्ष 2001-02 से 2003-04 तक की अवधि के लए ओएफसी हेतु निर्धारित बजट का राज्य-वार/वर्ष-वार ब्यौरा

(राशि करोड़ रु. में)

क्र.सं.	सर्किल का नाम	2001-02	2002-03	2003-04
1.	अंडमान और निकोबार	2.71	1.57	0.76
2.	आंध्र प्रदेश	117.15	75.18	39.26
3.	असम	16.25	11.07	18.80
4.	बिहार	67.71	26.84	30.17
5.	छत्तीसगढ़	63.72	18.39	4.29
6.	गुजरात	183.79	56.75	27.83
7.	हरियाणा	32.88	38.47	29.33
8.	हिमाचल प्रदेश	43.14	12.80	14.14
9.	जम्मू और कश्मीर	17.41	10.51	10.01
10.	झारखंड	27.14	24.01	4.74
11.	कर्नाटक	121.00	50.37	68.81
12.	केरल	29.51	44.62	43.19
13.	मध्य प्रदेश	153.02	41.89	31.95
14.	महाराष्ट्र	214.40	156.61	149.06
15.	पूर्वोत्तर	19.40	15.09	21.28
16.	उड़ीसा	58.48	20.58	13.50
17.	पंजाब	67.21	40.78	40.95
18.	राजस्थान	165.21	57.74	48.66
19.	तमिलनाडु	108.21	77.33	57.27
20.	उत्तरांचल	10.46	10.93	14.14
21.	उत्तर प्रदेश	190.67	75.28	68.35
22.	पश्चिम बंगाल	126.59	62.81	71.38
23.	अन्य	618.37	606.43	798.65
	जोड़	2454.43	1536.05	1606.52

टिप्पणी:-

1. "अन्य" में परियोजना सर्किल, अनुरक्षण सर्किल, कार्यबल गुवाहाटी, सीजीएम दूरसंचार भण्डारण इत्यादि के अंतर्गत प्रदान की गई निधियां शामिल हैं।
2. महानगर टेलीफोन निगम लि. के संबंध में, ओएफसी को मुख्य परियोजना जैसे टेलीफोन एक्सचेंज सीडीएमए नेटवर्कों इत्यादि के हिस्से के रूप में दिखाया जाता है। ओएफसी का कोई अलग बजट नहीं है।

विवरण II

गत तीन वर्ष के लिए राज्य-वार लक्ष्य एवं उपलब्धियां

(1) भारत संचार निगम लिमिटेड

क्र.सं.	राज्य का नाम	2001-2002		2002-2003		2003-2004	
		लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	8245.00	6884.00	4315.00	4968.00	2230.00	185.99
2.	अंडमान और निकोबार	234.00	234.65	200.00	121.20	50.00	8.60
3.	असम	700.00	879.44	700.00	786.92	750.00	973.46
4.	बिहार	8900.00	5395.00	5000.00	4526.22	2500.00	1643.64
5.	झारखंड	4000.00	996.36	2800.00	2434.38	1000.00	640.68
6.	गुजरात	10650.00	10608.00	2650.00	3450.00	1200.00	2007.51
7.	हरियाणा	2050.00	1176.22	2850.00	1347.70	1480.00	1202.83
8.	हिमाचल प्रदेश	2200.00	1905.57	1550.00	1345.00	1180.00	247.00
9.	जम्मू और कश्मीर	900.00	259.50	700.00	750.11	500.00	557.74
10.	कर्नाटक	8465.00	8664.00	2900.00	4205.00	1870.00	2460.00
11.	केरल	1960.00	1944.14	2300.00	1598.50	955.00	1255.16
12.	मध्य प्रदेश	10700.00	8880.12	6500.00	5519.30	2100.00	2316.47
13.	छत्तीसगढ़	4355.00	1675.57	2100.00	2054.57	1100.00	1321.38
14.	महाराष्ट्र	12175.00	15210.95	11650.00	11023.00	5100.00	4961.63
15.	पूर्वोत्तर-I	0.00	–	–	0.00	–	–
	मिजोरम	100.00	150.17	250.00	205.20	250.00	87.25
	मेघालय	250.00	236.10	350.00	460.41	150.00	94.10
	त्रिपुरा	125.00	198.10	200.00	193.10	150.00	96.10
16.	पूर्वोत्तर-II	0.00	–	–	0.00	–	–
	मणिपुर	79.00	120.14	200.00	240.18	200.00	145.35
	अरुणाचल प्रदेश	55.00	90.30	200.00	232.20	150.00	155.20
	नागालैंड	55.00	83.20	200.00	154.10	150.00	157.40
17.	उड़ीसा	4000.00	2447.60	2400.00	2409.00	868.00	826.61

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	पंजाब	4322.00	2125.00	2650.00	2854.60	1750.00	1758.70
19.	राजस्थान	11200.00	8204.00	5500.00	7746.40	2630.00	2695.63
20.	तमिलनाडु	4880.00	5055.00	3285.00	3735.25	1645.00	2173.43
21.	चेन्नई टीडी	750.00	300.33	500.00	425.90	500.00	500.00
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	13000.00	8379.00	5450.00	5683.19	1590.00	1767.43
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	2800.00	2416.30	1850.00	2278.61	700.00	743.18
24.	उत्तरांचल	2100.00	1104.12	1550.00	1204.30	970.00	888.62
25.	पश्चिम बंगाल	5950.00	3466.00	3800.00	3305.09	832.00	1523.60
26.	कोलकाता टीडी	300.00	531.59	400.00	554.89	450.00	327.27
	जोड़	126000.00	99620.47	75000.00	75812.32	35000.00	34392.46

(2) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

क्र.सं.	सर्किल का नाम	2001-02		2002-03		2003-04	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	दिल्ली	*	16845.672	49080**	33945.516	10,000	21463.668
2.	मुम्बई	*	10931.220		7311.232	10,000	12154.642

*वार्षिक योजना में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया

**लक्ष्य महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के लिए है, दिल्ली एवं मुम्बई के लिए अलग-से नहीं हैं।

अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेस मार्ग की प्रगति

1992. श्री दिनशा पटेल: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अहमदाबाद-वड़ोदरा एक्सप्रेस मार्ग, एन ई-1 पर कार्य शुरू करने का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या परियोजना समय से पीछे चल रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) परियोजना पर कुल कितना खर्च आया; और

(ङ) इस समय इसके परिचालन क्षेत्र द्वारा कुल कितना पथकर एकत्रित किया गया?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) अहमदाबाद-वड़ोदरा एक्सप्रेसवे का कार्य मई-जून, 1987 में आरंभ किया गया था और यह पहले ही पूरा हो चुका है।

(घ) इस परियोजना पर 30 जून, 2004 तक का कुल व्यय 718 करोड़ रु. है।

(ङ) फरवरी, 2004 से जून, 2004 तक इसके प्रचालनरत खंड अर्थात् 0 कि.मी. से 43.4 कि.मी. फेज-1 से उगाया गया कुल 1.70 करोड़ रु. है।

महाराष्ट्र में अंतर्देशीय जल परिवहन मार्ग

1993. श्री प्रकाशबापू वी. पाटील: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने निजी जैटियों हेतु नए स्थानों की पेशकश की है और दक्षिण मुम्बई से उपनगरों तक तीन अंतर्देशीय जल परिवहन मार्ग शुरू करने का भी प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने निजी जेटियों के लिए 7 स्थान तथा दक्षिण मुम्बई से उपनगरों तक अंतर्देशीय जल परिवहन के दो मार्ग विकसित करने के लिए चुने हैं।

(ख) और (ग) निजी जेटियों के लिए चुने गए 7 स्थानों में से, उपर्युक्त राज्य-सरकार ने (महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड के माध्यम से) दो स्थानों अर्थात् रेवास तथा दिघी के संबंध में निजी पार्टियों से करार कर लिए हैं। शेष 5 स्थानों के संबंध में, उपर्युक्त परियोजनाएं, परियोजना के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मिलने से पहले की अवस्था में चल रही हैं। अंतर्देशीय जल परिवहन के मार्ग विकसित किए जाने के बारे में, स्थिति नीचे दर्शाई जा रही है:-

(1) दक्षिण मुंबई से थाणे/नवी मुंबई तक मार्ग विकसित किया जाना, परियोजना के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मिलने से पहले की अवस्था में है।

(2) जहां तक दक्षिण मुंबई से रेवास, करजा इत्यादि तक मार्ग विकसित किए जाने का संबंध है, मंडवा और करंजा से संबंधित परियोजनाएं, भारत-सरकार ने केन्द्रीकृत प्रायोजित योजना (सी एस एस) के अंतर्गत मंजूर कर दी हैं।

डाक वित्त में गिरावट

1994. प्रो. एम. रामदास: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक वित्त में गिरावट के मद्देनजर सरकार का विचार डाक विभाग के परिचालन नेटवर्क का निगमीकरण करने, टैरिफ निर्धारण हेतु स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण स्थापित करने और भारतीय डाकघर अधिनियम में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान डाक वित्त में गिरावट का रूख नहीं देखा गया है जैसा कि विवरण में दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत डाक विभाग को योजना अवधि के अंत तक, अन्य बातों के साथ-साथ, वित्तीय स्वयात्तता प्राप्त करने के अलावा शुल्क निर्धारण के लिए भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 के अंतर्गत मौजूदा प्रणाली के स्थान पर स्वतंत्र विनियामक प्रणाली की स्थापना पर विचार करना और नए विकास जैसे कन्वर्जेंस के उभरते परिदृश्य, नई प्रौद्योगिकी तथा अन्य विकास को ध्यान में रखते हुए भारतीय डाकघर अधिनियम के स्थान पर दूरदर्शी कानून बनाना है। इसके अंतर्गत विभाग के निगमीकरण की योजना भी बनाई जानी अपेक्षित है।

(ख) भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक, 2002 संसद में मई 2002 में प्रस्तुत किया गया। चूंकि यह विधेयक व्यपगत हो गया, अत: संसद के समक्ष एक नया संशोधित विधेयक प्रस्तुत किया जाना है, जिसमें 10वीं योजना में उल्लिखित मुद्दे समाहित हों। डाक वस्तुओं के लिए शुल्क निर्धारण हेतु स्वतंत्र प्राधिकरण की स्थापना अधिनियम में संशोधन के परिणाम पर निर्भर करती है।

वर्तमान में डाक विभाग अपने परिचालन व्यय में कमी और राजस्व में वृद्धि कर अपने बजटीय घाटे को कम करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इन प्रयासों के प्रभाव को संलग्न *विवरण* में दिए गए आंकड़ों में देखा जा सकता है।

विवरण

पिछले पांच वर्षों के वित्तीय परिणाम

(करोड़ रुपए में)

	वास्तविक 1998-99	वास्तविक 1999-2000	वास्तविक 2000-01	वास्तविक 2001-02	वास्तविक 2002-03
1	2	3	4	5	6
पूंजी व्यय (क)	55.38	67.89	53.29	57.94	42.25
कार्यकारी व्यय (सकल) (ख)	4351.29	4778.40	4907.29	5194.60	5476.15

1	2	3	4	5	6
कुल व्यय (क+ख)	4406.67	4846.29	4960.58	5252.54	5518.40
वसूलियां (ग)	1037.75	1162.46	59.72	85.98	102.10
कार्यकारी व्यय (निवल) (घ) = (ख-ग)	3313.54	3615.94	4847.57	5108.62	5374.05
राजस्व प्राप्ति (ङ)	1722.57	2020.12	3297.81	3697.11	4009.65
घाटा = (घ-ङ)	1590.97	1595.82	1549.76	1411.51	1364.40

सभी मौसमों के लिए यात्री पोत

1995. डा. पी.पी. कोया: क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लक्षद्वीप सरकार के अधीन इस समय सेवा में कितने सभी मौसमों के लिए यात्री पोत हैं;

(ख) ऐसे पोतों की संख्या कितनी है, जिनका सामान्य कार्यकाल समाप्त हो चुका है और उन्हें बदले जाने की आवश्यकता है;

(ग) सरकार द्वारा पुराने पोतों को बदलने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा उन्हें बदले जाने की संभावित तिथि क्या है; और

(घ) हिन्दुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम में निर्माणाधीन 700 यात्रियों की क्षमता वाले पोत को कब तक सेवा में लाए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) लक्षद्वीप-प्रशासन के अधीन, इस समय, सभी मौसमों में चलने वाले दो यात्री-जहाज चल रहे हैं।

(ख) उपर्युक्त दोनों जहाजों ने अपना आर्थिक कार्यकाल पहले ही पूरा कर लिया है और उन्हें बदले जाने की आवश्यकता है। उन्हें वार्षिक मरम्मत करवाकर चलाया जा रहा है।

(ग) इन पुराने जहाजों के बदले जाने के कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं। जनवरी, 2006 तक पहले जहाज को बदल दिया जाना संभावनीय है। दूसरे जहाज को दो, 250 पेक्स जलयानों से बदल दिया जाना संभावनीय है, जिनमें से एक जलयान के मार्च, 2006 तक और दूसरे जलयान के मार्च, 2007 तक चलना आरंभ कर देने की संभावना है।

(घ) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, शिाखापट्टनम में निर्माणाधीन चल रहे 700 यात्रियों सहित, 160 मिलियन टन कार्गो की क्षमता वाले जहाज के जनवरी, 2006 तक चलना आरंभ कर देने की संभावना है।

मास रेपिड ट्रांजिट सिस्टम

1996. श्री गुरुदास कामत: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच कि महाराष्ट्र ने मुंबई में अंधेरी-घाटकोपर के साथ-साथ मास रेपिड ट्रांजिट सिस्टम लागू करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना पर कुल कितना खर्च आएगा;

(घ) क्या केंद्र सरकार ने परियोजना के लिए धनराशि उपलब्ध कराने का निर्णय किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) यह मामला शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित है। उनसे उपलब्ध सूचना के अनुसार, यह प्रस्तावित वरसोवा-अंधेरी-घाटकोपर एम.आर.टी.एस. महामार्ग परियोजना का एक हिस्सा है जो प्रस्तावित मुंबई मेट्रो प्रणाली से समुचित रूप से एकीकरण सुविधा से युक्त होगी। महाराष्ट्र सरकार ने इस महामार्ग परियोजना को निर्माण-प्रचालन-हस्तांतरण/सार्वजनिक निजी

भागीदारी आधार पर शुरू करने का प्रस्ताव किया है। राज्य सरकार ने कुल परियोजना लागत की कम से 15% तक की धनराशि इक्विटी के रूप में प्रदान करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है।

(ग) प्रस्तावित 15 कि.मी. लंबी वरसोवा-अंधेरी-घाटकोपर परियोजना की कुल अनुमानित लागत 1178 करोड़ रु. (वर्ष 2003 के मूल्यों पर) है।

(घ) से (च) इस परियोजना के लिए सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

दिहाड़ी कर्मचारियों को नियमित करना

1997. श्री बची सिंह रावत 'बचदा': क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी चयन आयोग में गत सात वर्षों से दिहाड़ी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनकी सेवाओं को नियमित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) कर्मचारी चयन आयोग में आज की तारीख को 57 दैनिक वेतनभोगी हैं (47 अस्थायी दर्जा प्राप्त और 10 बिना अस्थायी दर्जा प्राप्त) काम कर रहे हैं। कर्मचारी चयन आयोग में समूह 'घ' पदों की पर्याप्त संख्या में रिक्तियां उपलब्ध न होने के कारण उनकी सेवाएं नियमित नहीं की जा सकी।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में पुल

1998. श्री शैलेन्द्र कुमार: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पुलों का निर्माण कर उत्तर प्रदेश के बांदा, चित्रकूट और बुंदेलखंड जिलों को पूर्वांचल से जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो यमुना नदी पर पुलों के निर्माण के बाद कितने जिलों को जोड़े जाने की संभावना है;

(ग) इस संबंध में पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(घ) पुलों का निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ङ) उत्तर प्रदेश में बांदा, चित्रकूट और बुंदेलखंड जिसे पहले से ही इलाहाबाद में यमुना नदी पर विद्यमान रेल-सह-सड़क पुल के माध्यम से पूर्वांचल के जिलों से जुड़े हुए हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नैनी, इलाहाबाद के नजदीक यमुना नदी पर एक और नया पुल निर्माणाधीन है जो प्रगति के उन्नत चरण में है और इसके जुलाई, 2004 तक पूरा होने जाने की संभावना है।

सी एस आई आर परियोजनाएं

1999. श्री पी. करूणाकरन: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी एस आई आर के राष्ट्रीय संस्थानों के वैज्ञानिक आंतरिक परियोजनाओं, सहायता अनुदान परियोजनाओं तथा सलाहकार परियोजनाओं से सम्बद्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी सहायता तथा प्रयोगशाला आरक्षित निधि के शीर्षों के अंतर्गत श्रेणीवार और संस्थानवार कितनी राशि प्राप्त हुई;

(ग) प्रयोगशाला आरक्षित निधि की खर्च हुई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सलाहकार परियोजनाओं से वैज्ञानिकों तथा कर्मचारियों को वर्षवार, श्रेणीवार तथा संस्थानवार कितना मानदेय प्राप्त हुआ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

दूरभाष केन्द्रों की क्षमता का विस्तार

2000. श्री नकुल दास राई: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2003-04 के दौरान सिक्किम के दूरभाष केन्द्रों की वर्तमान क्षमता में विस्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो दूरभाष केन्द्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस पर कुल कितना खर्च हुआ?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी हां।

(ख) एक्सचेंज-वार ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	विस्तारित क्षमता (लाइनों में)
1.	बालूतर	696
2.	माम्रिंग	152

(ग) उक्त अवधि के दौरान किया गया कुल व्यय लगभग 1.0 करोड़ रुपए है।

विश्व बैंक सहायता प्राप्त क्षमता परियोजनाएं

2001. श्री अधीर चौधरी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लघु औषधि विनिर्माण इकाइयों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक सहायता प्राप्त क्षमता निर्माण परियोजनाओं की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ख) हरियाणा में ऐसे कितने कार्यक्रम हुए और लघु इकाइयों से भागीदारी जुटाने की क्या प्रक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) विश्व बैंक सहायताप्राप्त क्षमता निर्माण परियोजना के अंतर्गत, लघु उद्योगों से 2000 भागीदारों की दाखिला क्षमता सहित कुल 40 प्रशिक्षण कार्यक्रमों को 5 वर्षों की परियोजना अवधि के दौरान आयोजित किया जाएगा।

(ख) राष्ट्रीय भेषजीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, मोहाली (पंजाब) में लघु उद्योग औषध विनिर्माण उद्योगों के उत्पादन स्टाफ तथा विश्लेषण स्टाफ के लिए चार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जहां हरियाणा के लघु उद्योग के कार्मिकों को भी प्रशिक्षित किया गया। राज्य औषध नियंत्रक अपने संबंधित राज्यों में स्थित विभिन्न लघु उद्योग एककों के कार्मिकों के नामों को अग्रेषित करते हैं।

उड़ीसा में चिकित्सा कालेजों की स्थापना

2002. श्री परसुराम माझी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के के.बी.के. जिलों में चिकित्सा कालेज स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो चिकित्सा कालेज की स्थापना में हो रहे विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) इस चिकित्सा कालेज की स्थापना के लिए किस स्थान की पहचान की गई है; और

(घ) चिकित्सा कालेज के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) जी,.नहीं।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली में अवैध नर्सिंग होम

2003. श्री विजय कृष्ण: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में 2000 से अधिक नर्सिंग होम अवैध रूप से कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अवैध रूप से चल रहे नर्सिंग होम पर रोक लगाने के क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) से (ग) भारत के संविधान के अधीन स्वास्थ्य राज्य का विषय है, अत: सूचना का रख-रखाव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता है। तथापि, केन्द्र सरकार अस्पतालों, उपचर्या गृहों और नैदानिक प्रतिष्ठानों का विनियमन करने के लिए व्यापक विधान लाने की कार्रवाई कर रही है।

गुर्दों का व्यापार

2004. डा. एम. जगन्नाथ: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के बनने के बावजूद भी देश में वर्षों से गुर्दों का अवैध व्यापार बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं/करने का प्रस्ताव है; और

(ग) इसे और प्रभावी बनाने के लिए वर्तमान अधिनियम की कमियों का पता लगाने हेतु क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) से (ग) मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत संबंधित राज्य में स्वास्थ्य सेवा निदेशक उचित प्राधिकारी होता है। राज्यों से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि कुछ वर्षों से वृक्क (किडनी) का अवैध व्यापार बढ़ रहा है। संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक अधिनियम के अंतर्गत उचित प्राधिकारी हैं। चालू वर्ष के दौरान, संघ राज्य क्षेत्रों से वृक्क (किडनी) के अवैध व्यापार के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

परीक्षण रिपोर्टों पर डाक्टरों की निर्भरता

2005. श्री शिवाजी अधलराव पाटील: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रोगों का पता लगाने के लिए परीक्षण रिपोर्टों पर डाक्टरों की निर्भरता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या मामूली रोगों के लिए भी परीक्षण कराने को कहा जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) से (घ) इस संबंध में सरकार के पास कोई विशिष्ट सूचना नहीं है। तथापि, केन्द्र सरकार के अनुमोदन से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने दिनांक 6 अप्रैल, 2002 के सरकारी राजपत्र में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार तथा नीतिशास्त्र) विनियम, 2002 अधिसूचित किए हैं। इन विनियमों के अनुसार कोई भी चिकित्सक चिकित्सीय, शल्यक अथवा अन्य उपचार के लिए किसी रोगी को रेफर करने, उसकी सिफारिश करने अथवा उसे प्राप्त करने के विचार से अथवा उसके बदले में कोई उपहार, उपदान, कमीशन अथवा अधिलाभ न तो देगा, न मांगेगा और न ही प्राप्त करेगा, और न ही देने, मांगने अथवा प्राप्त करने का प्रस्ताव करेगा। कोई भी चिकित्सक चिकित्सीय, शल्यक अथवा अन्य उपचार के लिए किसी शुल्क के विभाजन, हस्तांतरण, प्रदानगी, अधीनीकरण, छूट, विखण्डन अथवा वापसी संबंधी कार्यों में न तो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेगा अथवा न ही भागीदार होगा। यह नैदानिक प्रयोजनों अथवा अन्य अध्ययन/कार्य के लिए नमूने अथवा सामग्री को किसी चिकित्सक अथवा किसी व्यक्ति द्वारा रेफर करने, सिफारिश करने अथवा प्राप्त किए जाने पर समान शक्ति के साथ लागू होगा। उक्त विनियमों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करने से चूककर्त्ता डाक्टर का नाम रजिस्टर से हटाए जाने सहित अनुशासनात्मक कार्यवाहियां शुरू की जाएंगी।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रोजगार

2006. श्री बीर सिंह महतो:
श्री दरोगा प्रसाद सरोज:
श्री किरिप चालिहा:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चालू वर्ष के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में कितने लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है;

(ख) क्या उपर्युक्त उद्योग में लगे व्यक्तियों की उत्पादकता का मूल्यांकन भी किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस वित्त वर्ष के दौरान प्रति व्यक्ति मासिक उत्पादकता कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) नैस्काम के अनुसार चालू वर्ष के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में अनुमानत: 150,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी मूल संरचना के विस्तार और कम्प्यूटर के प्रसार में वृद्धि के लिए किए गए संवर्धनात्मक उपायों से सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार में वृद्धि होने में सहायता मिली है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण जनता को सम्पर्क एवं सरकार से नागरिकों को मिलने वाली सेवाओं की एक रेंज उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के 487 ब्लाकों में तथा जम्मू और कश्मीर के 139 ब्लाकों में सामुदायिक सूचना केन्द्र स्थापित करने के लिए विशेष कदम उठाए हैं।

ग्रामीण समुदायों की विभिन्न सूचना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की गई एक प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत 4 ग्रामीण सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र (समाधान केन्द्र) आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु के गांवों में स्थापित किए गए हैं। स्थानीय गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे ये केन्द्र कृषि, स्वास्थ्य की देखभाल, शिक्षण तथा प्रशिक्षण, रोजगार सृजन के कार्यकलाप तथा महिला एवं बाल विकास पर आंकड़ा बैंकों की सुविधा प्रदान करते हैं। ये केन्द्र स्थानीय सूचना सामग्री के विकास को बढ़ावा देते हैं तथा प्रदत्त सेवाओं के लिए शुल्क लेकर स्व-पोषण के लिए संसाधनों का सृजन करते हैं।

सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र की विशिष्ट समस्याओं, जो सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार में बाधा पहुंचाती हैं, के लिए प्रौद्योगिकीय समाधानों के विकास के लिए परियोजनाएं भी प्रायोजित की हैं।

डी.जी.एस.आई. के अंतर्गत कार्य कर रहे कार्यालय

2007. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय सर्वेक्षण महानिदेशक के देहरादून के अंतर्गत सम्पूर्ण भारत में कार्य कर रहे कार्यालयों की संख्या कितनी हैं;

(ख) क्या सरकार ने इसके कुछ कार्यालयों को बन्द करने के निर्देश जारी किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) भारतीय महासर्वेक्षक, देहरादून के अंतर्गत कुल 37 कार्यालय कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। भारतीय सर्वेक्षण विभाग से पुनर्गठन हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर सभी फोटोग्राफिक एककों, फील्ड पार्टियों और ड्राइंग कार्यालयों को समाप्त करने के सरकारी आदेश जारी कर दिए गये हैं। नये ढांचे के अंतर्गत 24 भू स्थानिक आंकड़ा केन्द्रों, 7 विशेषीकृत निदेशालयों और 4 मुद्रण समूहों को स्थापित किया गया है ताकि अपने कार्य उत्तरदायित्व/राज्य के आकार के अनुसार संगठन की विद्यमान संख्या को समायोजित किया जा सके।

[हिन्दी]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का कार्यकरण

2008. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सामुदायिक स्वास्थ्य अनुसंधान फाउन्डेशन के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कार्यकरण के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उनके उप-केन्द्रों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) जी, नहीं। केन्द्र सरकार द्वारा ऐसा कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं कराया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) यद्यपि कार्यान्वयन तथा प्रबंधन की दृष्टि से स्वास्थ्य मुख्यतया राज्य का विषय है तथापि, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तकनीकी तथा वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उपकेन्द्रों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

* उपकेन्द्रों के लिए किराया, आकस्मिक व्यय और औषधों की आपूर्ति हेतु मानकों में संशोधन वर्ष 2002 में किया गया था।
* 1991 की जनसंख्या के मानकों के अनुसार 8669 नए उपकेन्द्रों को मंजूरी दी गई है।
* उपकेन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डिलीवरी किट्स और आवश्यक औषधों की आपूर्ति प्रत्येक वर्ष की जाती है।

* उपकेन्द्रों को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के माध्यम से अतिरिक्त निधियां उपलब्ध करायी गयी हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 47 पर कोल्लम बाई पास

2009. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 47 पर कोल्लम बाई पास बनाने के कार्य की प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके चरण-तीन और चार के कार्य में क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या कार्य में विलंब हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) 4.79 लंबे कोल्लम बाइपास के चरण-I और II का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इसे यातायात के लिए खोल दिया गया है। 8.35 कि.मी. लंबाई के चरण-III और IV के लिए भूमि अधिग्रहण कार्य पूरा कर लिया गया है। तथापि, बाइपास के चरण-III और IV का निर्माण कार्य धनराशि की कमी के कारण शुरू नहीं किया जा सका।

एम्स को छोड़ने वाले प्राध्यापक

2010. श्री सुकदेव पासवान: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान अनेक वरिष्ठ प्राध्यापकों ने एम्स को छोड़ दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान संस्थान छोड़ने वाले संकाय सदस्यों का ब्यौरा संलग्न *विवरण* में है।

(ग) इन संकाय सदस्यों ने व्यक्तिगत आधारों पर त्यागपत्र दिया है/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। जो वेतनमान पैकेज और सुविधाएं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा अपने संकाय सदस्यों को प्रदान की जाती हैं, वे पूर्णरूपेण आकर्षक हैं।

विवरण

जिन संकाय सदस्यों ने विगत तीन वर्षों के दौरान संस्थान की नौकरी छोड़ी, उनका ब्यौरा

क्र.सं.	संकाय सदस्यों के नाम और पदनाम	छोड़ने की तारीख	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र
1	2	3	4
	2001		
1.	डा. वी. कोठेकर अपर प्रोफेसर, जैव भौतिक विज्ञान	31.10.2001	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति
2.	डा. पी.एस. राव अपर प्रोफेसर, शरीर क्रिया विज्ञान	1.11.2001	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति
3.	डा. आभा सक्सेना अपर प्रोफेसर, संवेदनाहरण विज्ञान	9.11.2001	त्यागपत्र
	2002		
4.	डा. एस. दासार्थी सहायक प्रोफेसर, जठरान्त्र रोग विज्ञान	13.06.2002	त्यागपत्र

1	2	3	4
5.	डा. सुबिरेन्द्र कुमार एसो. प्रोफेसर, कान, नाक और गला	24.07.2002	त्यागपत्र
6.	डा. ऊषा सचदेवा प्रोफेसर, शरीर क्रिया विज्ञान	29.08.2002	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति
7.	डा. वरिन्द्र पाल सिंह अपर प्रोफेसर, तंत्रिका शल्य विज्ञान	31.07.2002	त्यागपत्र
8.	डा. शेखर सक्सेना अपर प्रोफेसर, मनोविकार चिकित्सा	8.10.2002	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति
9.	डा. राकेश कु. टंडन प्रोफेसर, जठरान्त्र रोग विज्ञान	31.12.2002	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति
	2003		
10.	डा. एचपी. झींगान अपर प्रोफेसर, मनोविकार चिकित्सा	27.5.2003	त्यागपत्र
11.	डा. सुखपाल साहनी अपर प्रोफेसर, रेडिया-डायग्नोसिस	23.6.2003	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति
12.	श्रीमती स्वप्ना नस्कर विलियमसन लेक्चरर, नर्सिंग	31.7.2003	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति
13.	डा. पी.एस.एन. मेनन प्रोफेसर, बालरोग विज्ञान	11.9.2003	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति
14.	डा. एम.एम. रेहानी अपर प्रोफेसर, चिकित्सा भौतिक विज्ञान	16.12.2003	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति
	2004		
15.	डा. एस. रमेश सहायक प्रोफेसर, मनोविकार चिकित्सा	28.05.2004	त्यागपत्र

राजस्व बकाया में वृद्धि

2011. श्री मिलिन्द देवरा: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या की गई मांगों तथा संग्रहण के अनुसार बीएसएनएल के राजस्व बकायों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण रहे हैं;

(ग) क्या बीएसएनएल को इक्विटी शेयर पूंजी पर मार्च, 2002 तक तथा प्रेफरेंस शेयर पूंजी पर मार्च, 2004 तक लाभांश के भुगतान से छूट दी गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप निवल लाभ में कितनी वृद्धि हुई?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) बीएसएनएल को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इन सेवाओं को मुहैया कराने पर होने वाले घाटे का ध्यान किए बिना उपभोक्ताओं को टेलीफोन प्रदान करने संबंधी सार्वभौमिक सेवा दायित्व पूरा करना है। अत: भारत सरकार ने प्रचालन के प्रारंभिक वर्षों के दौरान सामाजिक रूप से वांछनीय और आर्थिक रूप से अव्यवहार्य परियोजनाओं को वित्तपोषित करने हेतु बीएसएनएल को ये छूट प्रदान की हैं।

(ङ) लाभांश के भुगतान से छूट के निर्णय से कम्पनी के निवल लाभ में वृद्धि नहीं हुई है, क्योंकि लाभांश निवल लाभ का ही विनियोजन है और इससे निवल लाभ की राशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

ग्रामीण क्षेत्रों में डब्ल्यू.एल.एल.

2012. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आप्टिकल फाइबर केबल (ओ.एफ.सी.) के स्थान पर वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू.एल.एल.) प्रणाली शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त क्षेत्रों में अधिक प्रभावी और किफायती प्रणाली अपनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) बीएसएनएल नेटवर्क में दोनों ही प्रौद्योगिकियां शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रयोग की जाती हैं। वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) प्रौद्योगिकी का प्रयोग ग्राहक को एक्सचेंज से पहुंच प्रदान कराने के लिए किया जाता है जबकि आप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) का प्रयोग एक्सचेंजों अर्थात एक एक्सचेंज को दूसरे एक्सचेंज के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। वर्तमान में किसी भी दूरसंचार अभिगम नेटवर्क के लिए डब्ल्यूएलएल सबसे अधिक दक्ष और लागत प्रभावी प्रणाली है।

[हिन्दी]

केबल की चोरी

2013. श्री रामदास बंडु आठवले: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान देश में विशेषकर महाराष्ट्र में केबल चोरी की कितनी घटनाएं हुई हैं और ऐसी घटनाएं किन-किन स्थानों पर हुईं और उससे कितना नुकसान हुआ; और

(ख) सरकार द्वारा केबल चोरी की घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए और सरकार को इस मामले में किस हद तक सफलता मिली है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आपूर्तिकर्त्ताओं से धनराशि एकत्र करना

2014. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भंडार ने आपूर्तिकर्त्ताओं से प्रतिभूति जमाराशि के माध्यम से कई सौ करोड़ रुपए एकत्र किए हैं और आपूर्तिकर्त्ताओं को उनकी राशि पर कोई ब्याज दिए बिना उस राशि को अपने दिन-प्रतिदिन के व्यापारिक कार्यकलापों में लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आपूर्तिकर्त्ताओं और केन्द्रीय भंडार ने आपूर्तिकर्त्ताओं की धनराशि को बिना किसी ब्याज का भुगतान किए इसे कारोबार में लगाने के बारे में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) 31.03.2004 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय भण्डार के पास प्रतिभूति जमा के रूप में 3.38 करोड़ रुपए जमा हैं। केन्द्रीय भण्डार में प्रतिभूति जमा की राशि, तुलन पत्र में उसकी मौजूदा देयता के रूप में दर्शाया जाती है।

(ग) और (घ) आपूर्तिकर्त्ता के साथ पंजीकरण/समझौते की शर्तों के अनुसार, आपूर्तिकर्त्ता को प्रतिभूति जमा पर कोई ब्याज देय नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य देखभाल संबंधी योजनाएं

2015. श्री अनन्त नायक: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिसके लिए वर्तमान में विश्व बैंक से सहायता ली जा रही है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य और राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनके लिए कितनी धनराशि प्राप्त की गई; और

(ग) यह योजनाएं किन-किन राज्यों में लागू की गईं और उनकी क्या उपलब्धियां हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित की गई विभिन्न स्वास्थ्य परिचर्या परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न *विवरण* में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	हस्ताक्षर/समापन (क्लोजिंग) की तिथि	जमा (क्रेडिट) राशि, अमेरिकी डालर में	कार्यान्वयन का क्षेत्र	2001-02 के दौरान उपयोग (राशि हजार रुपए में) (आईएनआर)	2002-03 के दौरान उपयोग (राशि हजार रुपए में) (आईएनआर)	2003-04 के दौरान उपयोग (राशि हजार रुपए में) (आईएनआर)
1	2	3	4	5	6	7	8
केन्द्रीय क्षेत्र							
1.	क्षयरोग नियंत्रण	14.3.97 30.9.04	142.40	राष्ट्र भर में	517394.08	720949.41	845745.93
2.	मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम	30.7.97 31.3.2005	164.80	राष्ट्र भर में	682507.27	519856.15	636343.76
3.	द्वितीय एचआईवी/एड्स	14.9.99 31.7.2004	194.75	राष्ट्र भर में	1499557.23	1335332.18	1552449.20
4.	खाद्य तथा क्षमता निर्माण परियोजना	29.9.03 31.7.08	54.03	राष्ट्र भर में	-	-	2607816.38
5.	रोग प्रतिरक्षण सुदृढ़ीकरण परियोजना	19.5.00 31.12.05	227.10	राष्ट्र भर में	-	-	3908440.17
6.	द्वितीय राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन परियोजना	19.7.01 31.12.04	30.00	राष्ट्र भर में	191459.18	697736.50	440655.08
7.	प्रजनक और बाल स्वास्थ्य परियोजना	30.7.97 30.9.04	260.30	राष्ट्र भर में	3272621.29	1004229.43	1068154.57

1	2	3	4	5	6	7	8
राज्य क्षेत्र							
8.	महाराष्ट्र स्वास्थ्य पद्धति विकास परियोजना	14.1.99 31.3.05	134.00	महाराष्ट्र	458665.92	838911.90	1306432.42
9.	उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य पद्धति विकास परियोजना	19.5.2000 31.12.05	110.00	उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल	60749.49	416891.87	829190.72
10.	उड़ीसा स्वास्थ्य पद्धति विकास परियोजना	13.8.98 31.3.05	76.40	उड़ीसा	244216.15	336948.96	297591.66
11.	राजस्थान स्वास्थ्य पद्धति विकास परियोजना	3.6.04 30.9.09	89.00	राजस्थान	-	-	-

ऋणों का पुनर्वित्तपोषण

2016. श्री दुष्यंत सिंह: क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ प्रमुख पत्तन न्यासों ने केन्द्र को अपने कुछ उच्च लागत वाले ऋणों का पुनर्वित्तपोषण करना शुरू कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पत्तनवार ब्यौरा क्या है और वे कौन से सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं जिनसे उच्च लागत वाले ऋणों का पुनर्वित्तपोषण किया जा रहा है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) एक महापत्तन-न्यास, नामत: जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जे एन पी टी) ने अपना 468.00 करोड़ रुपए की धनराशि का ऋण, 11.04% की औसत ब्याज दर से, सरकार को चुका दिया। यह, दिसम्बर, 2003 के दौरान, 5.14% की औसत ब्याज दर पर 3 माह से 18 माह की अवधि के लिये बुक-बिल्डिंग आधार पर बॉंड जारी करके खुले बाजार में उधार लेने के माध्यम से किया गया। एस.बी.आई. कैपिटल मार्किट्स लि. ने उपर्युक्त बॉंड जारी करने की व्यवस्था की और भारतीय स्टेट बैंक ने कलेक्टिंग बैंकर तथा बॉंड जारी किए जाने के संबंध में न्यासियों के रूप में कार्य किया। उपर्युक्त बॉंड के संबंध में मुख्यत: नीचे सूचीबद्ध म्यूचुअल फण्ड द्वारा अंशधान किया गया:-

(1) एस बी आई म्यूचुअल फंड

(2) एच डी एफ सी ट्रस्टी कं. लि.

(3) प्रूडैन्शियल आई सी आई सी आई ट्रस्ट लिमिटेड

(4) सीक्योरिटीज ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया

(5) बिरला सनलाइफ ट्रस्टी कं. लि.

(6) रिलायन्स कैपीटल ट्रस्टी कं. लि.

(7) कोटक महिन्द्रा ट्रक्टी कं. लि.

(8) इन्डियन ओवरसीज बैंक

(9) एस बी आई कैपिटल मार्किट लि.

[हिन्दी]

बांदा-बहराइच राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

2017. श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित बांदा-बहराइच राज्य राजमार्ग देश के चार राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने उक्त राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का कोई प्रस्ताव सरकार को भेजा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव को कब तक अनुमोदित कर दिए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) बांदा-बहराइच राज्यीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश में बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, बाराबंकी और बहराइच जिलों से गुजरता है और चार राष्ट्रीय राजमार्गों अर्थात् बांदा में रा.रा. 76, फतेहपुर में रा.रा. 2 और बाराबंकी जिलों में रा.रा. 56 तथा रा.रा. 28 को जोड़ता है।

(ख) और (ग) राज्य सरकार के अनुरोध पर बांदा-बहराइच सड़क के बाराबंकी-बहराइच हिस्से को हाल ही में फरवरी, 2004 को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28सी के रूप में घोषित किया गया है। शेष हिस्से को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करने के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना

2018. श्री पी.सी. थामस: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने आयुर्वेद के विभिन्न उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) केरल सरकार ने उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में दो आयुर्वेद संस्थानों को विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु दो प्रस्तावों की सिफारिश की थी। 3.00 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता, दो में से एक अर्थात् गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कालेज, तिरूवनंतपुरम के लिए संस्वीकृत की गई है, जिसमें से संस्थानों के विकास संबंधी केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत 1.75 करोड़ रुपये पहले ही निर्मुक्त कर दिए गए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय दौरे

2019. श्री पी. करूणाकरन: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संस्थान परिषद के महानिदेशक, निदेशक और संयुक्त सचिव ने सरकारी कार्य से अनेक अंतर्राष्ट्रीय दौरे किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन दौरों पर कितनी राशि खर्च की गई और इसका स्रोत क्या था; और

(ग) इन दौरों के लिए खर्च की गई प्रयोगशाला आरक्षित निधि और मुख्यालय आरक्षित निधि का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

नई दवाओं की स्वीकृति देना

2020. श्री अधीर चौधरी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2002 से देश में विपणन हेतु स्वीकृत की गई नई दवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन उत्पादों और कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने भारत के औषध महानियंत्रक को विपणन पश्चात् निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ग) उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्हें चूककर्त्ता पाया गया और जिन्होंने विपणन पश्चात् निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) से (घ) देश में 2002 से विपणन के लिए स्वीकृत नई औषधों का ब्यौरा *विवरण* के रूप में संलग्न है। यह ब्यौरा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू. सीडीएससीओ, एनआईसी. आईएन. पर भी उपलब्ध कराया गया है। अनुमोदन के परिणामस्वरूप फर्मों को विपणन पश्चात् निगरानी रखने की सलाह दी गई है और रिपोर्टें औषध महानियंत्रक (भारत) के कार्यालय को प्रस्तुत की जा रही हैं।

विपणन पश्चात् निगरानी फार्मास्यूटिकल फर्म द्वारा इसके अनुमोदन से दो वर्ष तक की अवधि के लिए की जाती है। तथापि, विपणन पश्चात् निगरानी अध्ययन रिपोर्ट को प्रस्तुत करने का समय उस समय पर निर्भर करता है जिस तक देश में वास्तव में उत्पाद का विपणन किया गया हो।

जनवरी, 2002 से अनुमोदित उत्पादों के लिए अधिकांश फर्मों द्वारा विपणन पश्चात् निगरानी रिपोर्टें दो वर्ष पूरे होने के बाद भेजी गई हैं।

विवरण

जनवरी, 2002 से मार्च, 2004 तक अनुमोदित औषधों की सूची

क्र.सं.	औषध का नाम	खुराक का रूप	श्रेणी	तारीख	कम्पनी
1	2	3	4	5	6
1.	बिमाटोप्रोस्ट	ओफ्थ.सोलू.	एंटी ग्लूकोमा	08.01.2002	मै. एलर्जन इंडिया
2.	मेरोपेनेम	इंजेक्शन	बीटा लेक्टम एंटी-बायोटिक	08.01.2002	एस्ट्राजेनिका लिमि.
3.	फोसिनोप्रिल सोडियम	गोली	एंटी-हाइपर्टेंसिव	10.01.2002	काडिला फार्मा
4.	डिवालपरोइक्स सोडियम	गोली	एंटी-एपीलेप्टिक	17.01.2002	काडिला एच सी
5.	जालेप्लोन	कैप्सूल	सीडेटिव-हाइप्नोटिक	17.01.2002	टोरेंट फार्मा
6.	टिजानीडाइन एस.आर.	गोली	मल्टीपल स्क्लिरोसिस	06.02.2002	टोरेंट फार्मा
7.	थाइमोजेन	इंजेक्शन	कैंसर-रोधी	12.02.2002	निकोलस पीरामल
8.	मोनटेलुकास्ट सोडियम	गोली	दमा-रोधी	13.02.2002	रेनबेक्सी लेब.
9.	मिफेप्रिस्टोन	गोली	प्रोजेस्ट्रोन एंटागोनिस्ट	13.02.2002	सन फार्मा
10.	डेक्साराजोक्सेन	इंजेक्शन	कार्डियो-प्रोटेक्टिव	26.02.2002	अम्बालाल साराबाई
11.	ट्रानेक्सामिक एसिड	गोली और इंजेक्शन	एंटी-फाइबरीनोलिटिक	06.03.2002	वोकार्ड लिमि.
12.	बिकासुटामाइड	इंजेक्शन	कैंसर-रोधी	07.03.2002	सिपला लिमि.
13.	लोटेप्रेडनोलोल	ओफ्थ.सोलू.	एंटी-इनफलामेटरी	15.03.2002	सन फार्मा
14.	अपराक्लोनिडाइन	ओफ्थ.सोलू.	एड्रीनो रिसीप्टर एगोनिस्ट	15.03.2002	सिपला लिमि.
15.	मिजोलास्टाइन	गोली	एंटी-एलर्जिक	15.03.2002	डा. रेड्डीज लेब
16.	मिलटेफोसिने	गोली	काला-आजार के लिए	15.03.2002	जर्मन रेमीडीज
17.	जिप्रासिडोन	गोली	सिजोफरेनिया के लिए	18.03.2002	फिजर लिमि.
18.	अबाकावीर	गोली	एंटी-एचआईवी	22.03.2002	हेटेरो ड्रग्स
19.	नाडीफ्लोक्सीन	क्रीम	मुंहासे-रोधी	28.03.2002	वोकार्ड लिमि.
20.	मेलोक्सिकम (वेट.)	इंजेक्शन	एनएसएआईडी	02.04.2002	इंटास फार्मा

1	2	3	4	5	6
21.	मेसालाज़ाइन एस.आर.	गोली	बाउल डिजिज	04.04.2002	इंटास फार्मा
22.	टामसुलोसिन एचसीआई	कैप्सूल	बीपीएच के लिए	04.04.2002	सिपला लिमि.
23.	फाम्मसीक्लोविर	कैप्सूल	एंटी-वायरल	11.04.2002	सिपला लिमि.
24.	नाटेग्लीनाइड	गोली	एंटी-डायबटिक	01.05.2002	एलेम्बिक लिमि.
25.	लेरकानिडीपाइन	कैप्सूल	एंटी हाइपरटेंशिव	07.05.2002	सन फार्मा
26.	आइटोपिराइड	कैप्सूल	प्रोकाइनेनिक एजेंट	09.05.2002	नोल फार्मा
27.	एल्परोस्टाडिल	इंजेक्शन	इंट्राटाइल डिसफंक्शन के लिए	09.05.2002	फार्मेसिया लिमि.
28.	विनपोसेटिन	कैप्सूल	एंटी-साइकोटिक	13.05.2002	माइक्रो लैब
29.	क्वेटियापिन फ्यूमेरेट	गोली	एंटी-साइकोटिक	31.05.2002	सन फार्मा
30.	आइसोटरेटीनोयन	कैप्सूल	एक्ने वल्गरीज के लिए	21.06.2002	सिपला लिमि.
31.	नेबीवोलोल एचसीएल	गोली	एंटी हाइपरटेंशिव	12.07.2002	सर्वोत्तम केयर
32.	सिरोलिमस	कैप्सूल	इम्यूनोसप्रीसेंट	15.07.2002	वाथ लीडरले
33.	डोटरेकोजिन एल्फा	इंजेक्शन	सीवीयर सेप्सिस के लिए	23.07.2002	इली-लिली
34.	पाइजेनम अफ्रीका	कैप्सूल	बीपीएच के लिए	30.07.2002	सीरम इंस्टीट्यूट
35.	वालडेकोक्सिब	गोली	एनएसएआईडी	01.08.2002	ग्लेनमार्क फार्मा
36.	थालीडोमाइड	कैप्सूल	कुष्ठ रोग के लिए	12.08.2002	डाबर इंडिया
37.	एस-एमलोडिपाइन	गोली	एंटी हाइपरटेंशिव	16.08.2002	एमक्योर फार्मा
38.	कबरेगोलिम	इंजेक्शन	हाइपर प्रोलेक्टेमिया के लिए	05.09.2002	सन फार्मा
39.	ब्युटोरफेनोल	इंजेक्शन	ओपोइड एनलजेसिक	11.09.2002	एरिस्टो फार्मा
40.	जेमटुजुमाब	इंजेक्शन	कैंसर-रोधी	12.09.2002	वाथ लीडरले
41.	क्वीनाप्रिल	गोली	एंटी हाइपरटेंशिव	19.09.2002	सन फार्मा
42.	वेलासाइक्लोवीर	गोली	एंटी-वायरल	25.09.2002	रोके इंडिया
43.	फोस्फेनाइटोन सोडियम	गोली	एंटी-इपीलेप्टिक	01.10.2002	केडिला हैल्थकेयर
44.	सेफ्टीबोफर सोडियम और एचसीएल	इंजेक्शन	एंटी-बायोटिक (सेट.)	08.10.2002	अरविन्दो फार्मा
45.	मेटाक्लालोन	गोली	मसल रिलेक्सनट	08.10.2002	सन फार्मा
46.	मेग्लुमीन गेडोटेरिक	इंजेक्शन	कंट्रास्ट मीडिया	16.10.2002	चोकसी ब्रा.

1	2	3	4	5	6
47.	सेफेपाइम एचसीएल	इंजेक्शन	एंटी-बेक्टीरियल	30.10.2002	अरविन्दो फार्मा
48.	एकेमप्रोसेट केल्सियम	गोली	एल्कोहल पर निर्भरता (अल्कोहल डिपेंडेंसी) के लिए	30.10.2002	सन फार्मा
49.	एजट्रीओनाम	इंजेक्शन	एंटी-बेक्टीरियल	01.11.2002	अरविन्दो फार्मा
50.	टेगासेरोड मेलिएट	गोली	इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए	01.11.2002	टोरेंट फार्मा
51.	पैरेकाक्सिब	इंजेक्शन	एनएसएआईडी	01.11.2002	ग्लेनमार्क फार्मा
52.	बालासलाइजाइड	कैप्सूल	व्रणकारी वृहदान्त्रशोथ अलसरेटिव कोलाइटिस	12.11.2002	टोरेंट फार्मा
53.	सीफटेंमेट	इंजेक्शन	प्रतिजीवाणु	14.11.2002	टोरेंट फार्मा
54.	टेलमिसार्टन	गोली	अतिरक्तदाबी रोधी	25.11.2002	ग्लेनमार्ग फार्मा
55.	लेवासेटरिजाइन	गोली	एंटीहिस्टामैनिक	12.12.2002	हेटरो ड्रग्स
56.	पोराक्टैंट	इंजेक्शन	समय से पूर्व जन्में बच्चों में श्वसनी समस्या	24.12.2002	निकोलस पिरामल
57.	रेबाक्सेटाइन	गोली	अवसादक रोधी	31.12.2002	केडिला हेल्थकेयर
58.	सेफप्रोजिल	इंजेक्शन	प्रतिजीवाणु	10.01.2003	रेनबैक्सी लैब
59.	सिलोस्टेजोल	कैप्सूल	अन्तर्विरामी क्लाडिकेशन	23.01.2003	ग्लेनमार्क फार्मा
60.	एंसिटालोप्राम आक्सेलेट	गोली	अवसादक रोधी	24.01.2003	टोरेंट फार्मा
61.	एनास्ट्रोजोल	इंजेक्शन	कैंसर-रोधी	10.02.2003	एस्ट्राजेनेका
62.	रिजाट्रिपटन	गोली	माइग्रेन-रोधी	27.02.2003	सिपला लिमिटेड
63.	डाइमेग्लूमाइन आई.वी.	इंजेक्शन	कान्ट्रास्ट मीडिया	07.03.2003	इमेर्जिंग उत्पाद
64.	टैक्रोलिमस	मरहम	इम्यूनोमोड्यूलेटर	10.03.2003	ग्लेनमार्क फार्मा
65.	मेटोलैजोन	गोली	डाइरेटिक	23.04.2003	कैडिला हैल्थकेयर
66.	टियोट्रोपियम ब्रोमाइड	इन्हेलर	एंटी-एस्थमैटिक	16.04.2003	सिपला लिमिटेड
67.	गैडोवरसिटामाइड	इंजेक्शन	कंट्रास्ट मीडिया	04.06.2003	टाइको हैल्थकेयर
68.	टार्समाइड	कैप्सूल	डाइरेटिक	09.06.2003	माइक्रो लैब्स लिमिटेड
69.	साइप्रेटेरोन	गोली	कैंसर-रोधी	10.06.2003	कैडिला हैल्थ केयर
70.	एरिपिप्राजोल	कैप्सूल	साइजोफ्रेनिया रोधी	11.06.2003	सन फार्मा
71.	एजेलैइक एसिड	क्रीम	मुहांसा रोधी	08.07.2003	माइक्रोलैब

1	2	3	4	5	6
72.	बेन्ड्रोफ्लुएजाइड	गोली	डाइरेटिक	24.07.2003	यूनिकेम लैब
73.	इमिपेनेन+सिलास्टेटाइन	इंजेक्शन	प्रतिजीवाणु	25.07.2003	रेनबैक्सी लैब
74.	टाइरोफिबान एचसीएल	इंजेक्शन	बिम्बाणु (प्लेटलेट) रोधी	12.08.2003	कैडिला हैल्थकेयर
75.	टेरिपैराटाइड	गोली	आस्टियोपोरोसिस के लिए	04.09.2003	इली-लिली
76.	क्लैड्रिबाइन	इंजेक्शन	कैंसर-रोधी	09.09.2003	डाबर इंडिया
77.	टाडलाफिल	गोली	इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए	11.09.2003	इली लिली
78.	एस-एटेनोलोल	गोली	अति रक्त दाबी रोधी	11.09.2003	एंक्यूर फार्मा
79.	रूसूवास्टाटिन	गोली	लाइपिड को कम करना	12.09.2003	एस्ट्राजेनिका
80.	टाजारोटीन	क्रीम	मुहांसों के लिए	12.09.2003	ग्लेनमार्क
81.	एसिक्लोफेनाक	गोली	एन एस ए आई डी	15.09.2003	इंटास फार्मा
82.	आइबुप्रोफाइड एचसीएल	आई ड्राप्स	नेत्र	03.10.2003	कैडिला फार्मा
83.	ट्रांडोलाप्रिल	गोली	अति रक्त दाबी रोधी	03.10.2003	हेट्रो ड्रग्स
84.	डोर्जोलामाइड	आई ड्राप्स	नेत्र	03.10.2003	हेट्रो ड्रग्स
85.	फेनोवीराइन	कैप्सूल	आकर्षी रोधी	08.10.2003	माइक्रो लैब्स
86.	रेसीड्रोनेट	गोली	अस्थि सुषिरता के लिए	17.10.2003	एवेंटिस फार्मा
87.	फोण्डापेरीनाक्स सोडियम	इंजेक्शन	एल एम डब्ल्यू एच	22.10.2003	सनोफि सिंथेलेबो
88.	मेटाडोक्सिन	गोली	यकृत विकार के लिए	24.10.2003	सन फार्मा
89.	वाल्गांसीक्लोवीर	कैप्सूल	सी एम वी के लिए	20.11.2003	रोचे साइंटिफिक
90.	आइसोप्रोपाइल यूनोप्रोस्टोन	आई ड्राप्स	ग्लूकोमा के लिए	25.11.2003	नोवरटीस
91.	अमोरोलफाइन	क्रीम	कवक रोधी	25.11.2003	गैलडरमा इंडिया
92.	फ्लूवास्टाटिन सोडियम	गोली	लाइपिड को कम करना	25.11.2003	दूफर इंडिया
93.	मोडाफाइनिल	गोली	निद्रा विकास के लिए	15.12.2003	सन फार्मा
94.	सुर्फेटाइनल साइट्रेट	इंजेक्शन	संवेदनाहरण एजेण्ट	17.12.2003	कोर हेल्थकेयर
95.	एजीटाइमाइब	गोली	लाइपिड को कम करना	18.12.2003	हेट्रो ड्रग्स
96.	डयूटास्टेराइड	कैप्सूल	बीपीएच के लिए	16.02.2004	डा. रेड्डीज लैब
97.	जेफिटाइनिब	गोली	एण्टी-कैनर	17.02.2004	एस्ट्राजेनिका

1	2	3	4	5	6
98.	आइमीडेप्रिल	गोली	अति रक्त दाबी रोधी	23.02.2004	एल्डर फार्मा
99.	एडिफोवीर डाइपीवोक्सिल	गोली	हेपाटाइटिस-बी के लिए	04.03.2004	सिप्ला लि.
100.	इटोरिकोक्सिब	गोली	एन एस ए आई डी	05.03.2004	हेट्रो ड्रग्स
101.	डायसीरीन	कैप्सूल	अस्थि संधि शोथ के लिए	12.03.2004	एल्डर फार्मा
102.	नाइट्राजोक्सानाइड	गोली	अतिसार रोधी	17.30.2004	इंड-स्वीफ्ट

अन्तरदेशीय जलपरियोजनाओं पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का नियंत्रण

2021. **श्री विजय कृष्ण:**
श्री कीर्तिवर्धन सिंह:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अन्तरदेशीय जल परियोजनाओं पर राष्ट्रीय कंपनियों की तुलना में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का नियंत्रण बढता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा राष्ट्रीय कंपनियों के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए इस प्रवृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ग) जी, नहीं।

(ख), (घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

तारघर

2022. **डा. एम.जगन्नाथ:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के केवल एक-तिहाई गांवों में 2 कि.मी. के अंदर तारघर अथवा सार्वजनिक दूरभाष केन्द्र (पीसीओ) उपलब्ध है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्थिति को सुधारने हेतु क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) गांवों में कोई तारघर नहीं है सिवाय संयुक्त कार्यालयों के जो सामान्यत: शाखा डाकघर होते हैं और जहां तार बुकिंग की सुविधा उपलब्ध होती है। इसके अतिरिक्त, देश के 6.07 लाख गांवों में से 5.1 लाख गांवों में बीएसएनएल के ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन हैं जो और कुछ नहीं बल्कि सार्वजनिक काल केन्द्र है। देश के सभी शेष गांवों में उत्तरोत्तर रूप से एक वीपीटी (पीसीओ) प्रदान करने की कार्रवाई की जा रही है।

बस सेवा

2023. **श्री शिवाजी अधलराव पाटील:**
श्री दलपत सिंह परस्ते:
श्री किन्जरपु येरननायडु:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रीनगर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मुजफ्फराबाद के बीच बस सेवा आरंभ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार इस प्रस्ताव की क्या स्थिति है;

(ग) क्या भारत और नेपाल के बीच सीधी बस सेवा का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इसे कब तक आरंभ किये जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) भारत ने 22 अक्तूबर, 2003 को अन्य बातों के साथ-साथ पाकिस्तान को श्रीनगर से मुज्जफरबाद के बीच बस सेवा शुरू करने का प्रस्ताव किया था। यह मामला 27-28 जून, 2004 को नई दिल्ली में भारत तथा पाकिस्तान के विदेश सचिवों के बीच सम्पन्न बैठक में भी उठाया गया था। प्रस्तावित बस सेवा को शुरू करने के लिए तकनीकी बातचीत करना आवश्यक होगा।

(ग) और (घ) भारत और नेपाल की सरकारों ने दोनों देशों के बीच बस सहित यात्री यातायात सेवा प्रचालित करने को सुविधाजनक बना कर भारत और नेपाल के बीच लोगों से लोगों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से दोनों देशों के बीच मोटर वाहन (यात्री) यातायात को विनियमित करने संबंधी करार के पाठ को अंतिम रूप दे दिया है।

दोनों देशों द्वारा इस करार को अनुमोदित कर देने और इस पर हस्ताक्षर कर देने के बाद दोनों देशों के बीच इस करार के अंतर्गत नियमित और गैर-नियमित यात्री परिवहन वाहन चलने शुरू हो जाएंगे।

[हिन्दी]

काली सूची में डाली गयी कंपनियों द्वारा औषधियों की बिक्री

2024. श्री बीर सिंह महतो:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में काली सूची में डाली गयी कई कंपनियों द्वारा केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को औषधियों की आपूर्ति कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार ने ऐसे कितने मामलों का पता लगाया है;

(घ) इस संबंध में अब तक की गयी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) की गयी कार्रवाई के क्या परिणाम निकले?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कैंसर-रोधी औषधियों की बिक्री

2025. श्री सुकदेव पासवान: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि मुंबई स्थित सन फार्मास्यूटिकल्स डी.सी.जी.आई. (भारत के औषधमहानियंत्रक) की अनुमति के बिना महिलाओं के बांझपन का उपचार करने हेतु कैंसर-रोधी औषधियां बेच रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त औषधियां महिलाओं के बांझपन की समस्या को दूर करने के बजाए उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी/कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) से (घ) जी, हां। दिनांक 24.9.2003 के हिन्दुस्तान टाइम्स में छपे एक समाचार में यह आरोप लगाया गया था कि देश में बांझपन का उपचार करने के लिए लेट्रोजोल, जो एक मुख सेव्य कैंसर-रोधी औषध है, का विपणन किया जा रहा है। लेट्रोजोल 28 जून, 2004 को मैसर्स सन फार्मास्यूटिकल्स और कुछ अन्य फर्मों के लिए महिलाओं में अग्रिम अवस्था वाले वक्ष कैंसर की द्वितीय उपचार पद्धति के रूप में अनुमोदित की गई थी। चूंकि औपचारिक स्वीकृति एक जनन क्षमता वाली औषध के रूप में इसके इस्तेमाल हेतु जारी की गई थी, इसलिए फर्म को दिनांक 25.9.2003 को एक नोटिस जारी किया गया कि वह एक जनन क्षमता वाली औषध के रूप में लेट्रोजोल को अपने द्वारा तथाकथित रूप से बढ़ावा देने के बारे में स्थिति स्पष्ट करें।

फर्म ने स्पष्ट किया कि उन्होंने अपने उत्पाद के लेबल पर जनन क्षमता पर इसके इस्तेमाल के बारे में कोई विशिष्ट दावा नहीं किया। तथापि, जनन क्षमता में वृद्धि करने में लेट्रोजोल के लाभप्रद इस्तेमाल के बारे में इन्टरनेशनल मेडिकल जर्नलों में प्रकाशित लेखों के आधार पर देश में स्त्री रोग विज्ञानियों ने अपने रोगियों के लिए इसका इस्तेमाल किया है। तथापि, फर्म को 'चेतावनी' दी गई थी कि वह किसी भी ऐसे बढ़ावा देने वाले कार्यकलाप में न लगे जिससे जनन क्षमता को बढ़ाने के लिए कैंसर-रोधी औषध लेट्रोजोल के आफ लेबल इस्तेमाल को बढ़ावा मिलता हो। राज्यों को इस आशय की सलाह (एडवाइजरी) कि लेट्रोजोल को बांझपन के

लिए उपचार के रूप में अनुमोदित नहीं किया गया है, जारी की गई है।

लेट्रोजोल, जिसे एस्ट्रोजन सिंथेसिस के इनहिबिटर के रूप में विकसित किया गया था, का विकसित देशों में बांझपन के उपचार के लिए कुछ स्त्री रोग विज्ञानियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने की सूचना मिली है और ऐसे अध्ययन प्रकाशित किए गए हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य पर औषध के कुप्रभावों के बारे में रिपोर्टें ध्यान में नहीं आई हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुल

2026. श्री रामदास बंडु आठवले: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में विशेषकर महाराष्ट्र में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर बनाए गए पुलों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस वित्त वर्ष के दौरान कितने पुलों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है और इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर बनाए गए पुलों की संख्या के राज्यवार ब्यौरे संलग्न *विवरण I* में दिए गए हैं। गत दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में बनाए गए पुलों के ब्यौरे संलग्न *विवरण II* में दिए गए हैं।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पुलों, जिनका निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है, की राज्यवार संख्या और उनके लिए आबंटित धनराशि के ब्यौरे संलग्न *विवरण III* में दिए गए हैं।

विवरण I

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2002-03 के दौरान बनाए गए पुलों की संख्या	वर्ष 2003-04 के दौरान बनाए गए पुलों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	08	12
2.	अरुणाचल प्रदेश	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3.	असम	04	02
4.	बिहार	04	07
5.	चंडीगढ़	कुछ नहीं	कुछ नहीं
6.	छत्तीसगढ़	03	02
7.	दिल्ली	कुछ नहीं	कुछ नहीं
8.	गोवा	कुछ नहीं	कुछ नहीं
9.	गुजरात	02	01
10.	हरियाणा	कुछ नहीं	01
11.	हिमाचल प्रदेश	03	02
12.	जम्मू और कश्मीर	कुछ नहीं	कुछ नहीं
13.	झारखंड	01	कुछ नहीं
14.	कर्नाटक	07	03
15.	केरल	02	02
16.	मध्य प्रदेश	07	02
17.	महाराष्ट्र	04	11
18.	मणिपुर	कुछ नहीं	01
19.	मेघालय	02	01
20.	मिजोरम	कुछ नहीं	01
21.	नागालैंड	कुछ नहीं	कुछ नहीं
22.	उड़ीसा	01	01
23.	पांडिचेरी	कुछ नहीं	कुछ नहीं
24.	पंजाब	01	01
25.	राजस्थान	01	कुछ नहीं
26.	तमिलनाडु	05	05
27.	उत्तरांचल	कुछ नहीं	कुछ नहीं
28.	उत्तर प्रदेश	03	02
29.	पश्चिम बंगाल	02	04
30.	बी आर डी बी	07	08
31.	एन एच ए आई	109	336

विवरण II

गत दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में बनाए गए पुलों के ब्यौरे

क्रम सं.	2002-03 में निर्मित पुलों के नाम	रा.रा.सं.
1	2	3
1.	रा.रा. 6 के नागपुर-एदलाबाद खंड पर 29/300, 31/2, 41/2, 44/0 और 44/2 कि.मी. में छोटे पुल का पुनर्निर्माण	6
2.	पनवेल महद पणजी सड़क पर 51/600 कि.मी. में निदि नदी पर छोटे पुल का पुनर्निर्माण	17
3.	रा.रा. 7 के नागपुर-हैदराबाद खंड पर 124/400 कि.मी. में छोटे पुल का पुनर्निर्माण	7
4.	शोलापुर-औरंगाबाद सड़क पर 1/080 कि.मी. में छोटे पुल का पुनर्निर्माण	211
क्रम सं.	2003-04 में निर्मित पुलों के नाम	रा.रा.सं.
1.	पुणे-शोलापुर सड़क पर 291/400 कि.मी. में पहुंच मार्ग सहित बोरी नदी पर बड़े पुल का पुनर्निर्माण	9
2.	मुंबई-आगरा सड़क पर 530/800 कि.मी. में कुम्बहेरी नल्लाह नदी पर बड़े पुलों का पुनर्निर्माण	3
3.	रा.रा. 9 के 334/800, 335/000, 335/200 और 345/000 कि.मी. में विद्यमान संकीर्ण पुल का पुनर्निर्माण/चौड़ीकरण	9
4.	पुणे-शोलापुर सड़क पर 298/000 कि.मी. में छोटे पुल का पुनर्निर्माण	9
5.	रा.रा. 9 के 346/000 और 346/200 कि.मी. में छोटे पुल का पुनर्निर्माण	9
6.	नागपुर-ओबदुल्लागंज सड़क के 23/900 कि.मी. में छोटे पुल का पुनर्निर्माण	69
7.	शोलापुर-धुले सड़क पर 349/800 और 375/500 कि.मी. में छोटे पुलों का पुनर्निर्माण	211
8.	सूरत-धुले सड़क के 55/300, 573/600 कि.मी. में पुलों का पुनर्निर्माण और 566/300, 567/600, 575/100 और 575/200 कि.मी. में पुलों का चौड़ीकरण	6
9.	मुंबई-आगरा सड़क पर 505/950 कि.मी. में छोटे पुल का पुनर्निर्माण	3
10.	शोलापुर-औरंगाबाद-धुले खंड पर 390/830, 392/675 और 417/230 कि.मी. में छोटे पुल का पुनर्निर्माण	211
11.	मुंबई-आगरा सड़क पर 251/155 कि.मी. में छोटे पुल का पुनर्निर्माण	3

गत दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाए गए पुल

क्र.सं.	निर्मित पुलों के नाम	रा.रा.सं.
	2002-03	
1.	पवाना पुल	4
2.	मुला पुल	4
3.	मुथा पुल	4
4.	छोटे पुल (4)	4
	2003-04	
1.	वहल-1	4बी
2.	वहल-2	4बी
3.	कुंडेवहल	4बी
4.	भारगापदा	4बी
5.	डापोली	4बी
6.	कमजादे	4बी
7.	धकता खंदा	4बी
8.	मोटा खंदा	4बी
9.	कृष्णा पुल	4
10.	वेनू पुल	4
11.	अनोवादी पुल	4
12.	कुडाले पुल	4
13.	उदतरे पुल	4
14.	छोटे पुल (58)	4

विवरण III

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2004-05 के दौरान उन पुलों की संख्या जिनका निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है	आबंटन (लाख रु.)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	16	994.10
2.	अरुणाचल प्रदेश	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3.	असम	कुछ नहीं	कुछ नहीं
4.	बिहार	05	1461.71
5.	चंडीगढ़	कुछ नहीं	कुछ नहीं
6.	छत्तीसगढ़	06	650.00
7.	दिल्ली	कुछ नहीं	कुछ नहीं
8.	गोवा	कुछ नहीं	कुछ नहीं
9.	गुजरात	कुछ नहीं	कुछ नहीं
10.	हरियाणा	04	172.00
11.	हिमाचल प्रदेश	01	38.00
12.	जम्मू और कश्मीर	कुछ नहीं	कुछ नहीं
13.	झारखंड	01	176.13
14.	कर्नाटक	09	886.83
15.	केरल	08	1594.00
16.	मध्य प्रदेश	02	380.06
17.	महाराष्ट्र	18	920.00
18.	मणिपुर	01	6.06
19.	मेघालय	03	94.42
20.	मिजोरम	कुछ नहीं	कुछ नहीं
21.	नागालैंड	कुछ नहीं	कुछ नहीं
22.	उड़ीसा	03	455.47
23.	पांडिचेरी	03	राज्य कोष
24.	पंजाब	कुछ नहीं	कुछ नहीं
25.	राजस्थान	01	300.00
26.	तमिलनाडु	08	431.00
27.	उत्तरांचल	05	950.00
28.	उत्तर प्रदेश	04	690.00
29.	पश्चिम बंगाल	कुछ नहीं	कुछ नहीं

1	2	3	4
30.	बी आर डी बी	72	4056.00
31.	एन एच ए आई	241	*

टिप्पणी - *भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पैकेज आधार पर कार्य सौंपता है जिसमें पुलों को चार लेन का बनाने और निर्माण की लागत शामिल है। पुलों के लिए अलग से आबंटन नहीं किया जाता है।

खाड़ी देशों में अनिवासी भारतीयों की समस्याएं

2027. श्री परसुराम माझी:
श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को खाड़ी देशों में अनिवासी भारतीयों को हो रही समस्याओं की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाये गये है/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी हां। भारतीय राष्ट्रिकों के लिए अन्योन्यक्रिया हेतु रियाद दूतावास और जद्दा कौंसलावास, में सायं 2 बजे से सायं 5 बजे तक "खुला दरबार" शुरू किया गया है और यह प्रत्येक माह के दूसरे गुरुवार को जारी रहेगा।

(ख) खाड़ी देशों में अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम निम्न प्रकार है:-

1. खाड़ी देशों में अप्रवासी भारतीयों की चिंताओं को समझने और उन्हें महत्व देने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस 2003 में अप्रवासी भारतीयों पर एक विशेष सत्र आयोजित किया गया।

2. दिसम्बर, 2003 से प्रवासी भारतीय बीमा योजना के नाम से एक अनिवार्य बीमा योजना शुरू की गई।

3. शैक्षिक संस्थाओं में विभिन्न विधाओं 15% अतिरिक्त सीटों की एक तिहाई सीट आवासी भारतीयों को लागू फीस पर खाड़ी देशों के अप्रवासी भारतीयों के बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं।

4. खाड़ी देशों में अप्रवासी भारतीयों सहित भारतीय डायस्पोरा के बहुआयामी कल्याण को संवर्द्धित करने के लिए नई दिल्ली में एक स्वशासी संस्था प्रवासी भारतीय केन्द्र स्थापित किया जा रहा है।

5. नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात दूतावास, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और केरल सरकार के समन्वय से विदेश मंत्रालय द्वारा शैक्षिक प्रमाण पत्रों के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

6. खाड़ी में अप्रवासी भारतीयों की मृत्यु हो जाने पर उनके शवों को एयर इंडिया द्वारा मुफ्त लाया जाता है।

7. खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय कार्मिकों के लिए एक कल्याण कोष की स्थापना भी की जा रही है।

8. खाड़ी देशों में भारतीय मिशनों को अप्रवासी भारतीयों से संबंधित मामलों को तत्काल सुनने और उन्हें मेजबान सरकारों एवं अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ निरंतर उठाते रहने की हिदायतें दी गई हैं।

9. दुर्घटना, मृत्यु, मुआवजा समस्या, कौंसली मामलों आदि जैसी समस्याओं के लिए दूतावास के साथ अन्योन्यक्रिया हेतु रियाद दूतावास में पूरे सप्ताह 24 घंटे की एक सहायता सेवा शुरू की जा रही है।

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति

2028. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय राजमार्ग-101 की स्थिति बहुत अधिक खराब है;

(ख) यदि हां, तो बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति कब तक सुधार दी जाएगी?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध संसाधनों के अंदर यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है। तथापि, 9वीं और 10वीं योजना अवधि के दौरान रा.रा. 101 सहित लगभग 2373 लंबी राज्यीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग

घोषित किया गया था और इन सड़कों की राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषणा के समय इनमें अपर्याप्त लेन, कमजोर सड़क व पुल ढांचा तथा सुरक्षा विशेषताओं के न होने जैसे दोष पहले से ही विद्यमान थे जिसके परिणामस्वरूप उनकी स्थिति औसत से कम है। इन कमियों को चरणबद्ध रूप में दूर किया जा रहा है।

राष्ट्रीय राजमार्गों की 719 किमी. लंबाई को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत चार का बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री भारत जोड़ों परियोजना के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रीय राजमाग खंडों की 890 किमी. को भी सुधारने का प्रस्ताव है। शेष राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार के लिए वार्षिक योजना 2004-05 में 132 करोड़ रु. के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार एक सतत् प्रक्रिया है और इसे निधियों की उपलब्धता और कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध रूप में किया जाता है।

पश्चिमी बंगाल में डाक और दूरसंचार परियोजनाओं का विकास करना

2029. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल विशेषकर जनजातीय/सुदूर क्षेत्रों में डाक व दूरसंचार परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये और क्या उपलब्धियां प्राप्त की गईं;

(ग) क्या सरकार ने राज्य में डाक व दूरसंचार प्रणाली का विकास करने और सुदृढ़ करने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी हां।

(ख)(1) पिछले तीन वर्षों के दौरान, जनजातीय तथा दूरदराज के क्षेत्रों सहित डाक नेटवर्क के विस्तार के लिए लक्ष्य एवं उपलब्धियां संलग्न *विवरण I* में दी गई हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्यान्वित की गई अन्य योजना स्कीमों का विवरण एकत्र किया जाएगा और सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(2) पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल दूरसंचार सर्किल के लक्ष्य और उपलब्धियां संलग्न *विवरण II* में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) (1) मानदण्डों के पूरा होने और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर डाकघर काउंटर सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने के प्रयास जारी रहेंगे। दसवीं योजना अवधि के अंत तक सभी प्रधान डाकघरों, दो कर्मचारियों से अधिक वाले कुछ उप-डाकघरों, सभी प्रमुख प्रशासनिक कार्यालयों और निदेशक डाक लेखा के कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण एवं नेटवर्किंग कराने का भी लक्ष्य है। मेल कार्यालयों की पंजीकरण शाखाओं के कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से और कोलकाता में एक आटोमैटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करके डाक प्रोसेसिंग को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी की शुरूआत भी निवेश का एक प्रमुख उद्देश्य है।

(2) वर्ष 2004-05 के दौरान, बीएसएनएल की 3,62,500 नए टेलीफोन कनैक्शन (जिसमें फिक्स्ड, डब्ल्यूएलएल और सेल्यूलर मोबाइल शामिल हैं), 1200 रूट किलोमीटर की ओप्टिकल फाइबर केबल एवं ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंज के 30 किलो सर्क्यूट का प्रावधान करके नेटवर्क का विस्तार करने की योजनाएं हैं।

विवरण I

डाक नेटवर्क का विस्तार

वर्ष	जनजातीय		ग्रामीण	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
2001-2002				
विभागीय उप डाकघर	शून्य	शून्य	5	5
अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	17	17	38	38
2002-2003				
विभागीय उप डाकघर	1	1	2	2
अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	10	5	30	27
2003-2004				
विभागीय उप डाकघर	शून्य	शून्य	1	1
अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	-	-	8	8

विवरण II

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल दूरसंचार सर्किल में लक्ष्य एवं उपलब्धियां

क्रम सं.	प्रमुख मानदण्ड	2001-2002		2002-2003		2003-2004	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	कुल डीईएल (संख्या)	300000	258581	217000	217236	295000	124458
2.	स्विच्चिंग क्षमता (लाइनें)	374500	286068	333750	243402	216000	255495
3.	ओएफसी (आरकेएम)	5000	2526	3000	2805	832	1524
4.	माइक्रोवेव (आरकेएम)	300	287	50	25	82	58
5.	टीएएक्स (केसी)	39.5	21	50.5	53.5	34	29
6.	वीपीटी (संख्या)	13200	10357	1125	3147	0	0

(ख) *पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल दूरसंचार सर्किल में जनजातीय क्षेत्रों में लक्ष्य एवं उपलब्धियां

क्रम सं.	प्रमुख मानदण्ड	2001-2002		2002-2003		2003-2004	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	टेलीफोन एक्सचेंज	21	21	3	14	6	5
2.	डीईएल (संख्या)	28000	39459	19210	25193	21000	23124
3.	स्विच्चिंग क्षमता (लाइनें)	38000	50868	28160	36904	28000	31320
4.	ओएफसी (आरकेएम)	200	241.6	100	238	180	33.2
5.	वीपीटी (एनओएस)	500	198	500	339	250	33

*उपर्युक्त (क) में पश्चिम बंगाल दूरसंचार सर्किल के आंकड़ों में ये आंकड़े भी शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश में आप्टीकल फाइबर लाइन

2030. **श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद:**
श्री राजाराम पाल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में आप्टीकल फाइबर की कितनी लंबी लाइन बिछायी गयी है और इसके साथ कितने उप-दूरभाष केन्द्र जोड़े गये हैं;

(ख) क्या आप्टीकल फाइबर केबल के साथ जोड़े गये सभी उप-दूरभाष केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो उप-दूरभाष केन्द्रों का ब्यौरा क्या है और उनके नाम क्या है;

(घ) क्या सरकार के आप्टीकल फाइबर केबल बिछाने में की गयी अनियमितताओं से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) उत्तर प्रदेश में आप्टिकल फाइबर की 41853 कि.मी. लम्बी लाइन बिछायी गई है तथा इसके साथ 2872 दूरभाष केन्द्र जोड़े गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) आप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) पर कार्य कर रहे दूरभाष केन्द्रों की सूची *विवरण* रूप में संलग्न है।

(घ) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

सर्किल का नाम : उ.प्र. पूर्व

क्र.सं.	एक्सचेंजों के नाम	जिला
1	2	3
1.	एडी-अल्लापुर	इलाहाबाद
2.	एडी-बमरौली	इलाहाबाद
3.	एडी-सिटी	इलाहाबाद
4.	एडी-सिविल लाइन्स	इलाहाबाद
5.	एडी कर्नल गंज	इलाहाबाद
6.	एडी सीटीओ-I	इलाहाबाद
7.	एडी सीटीओ-II	इलाहाबाद
8.	एडी सीटीएक्स-I	इलाहाबाद
9.	एडी सीटीएक्स-II	इलाहाबाद
10.	एडी ई-10बी	इलाहाबाद
11.	एडी गोविन्दपुर-I	इलाहाबाद
12.	एडी गोविन्दपुर-II	इलाहाबाद
13.	एडी आईआईटी	इलाहाबाद
14.	एडी झुंसी-II	इलाहाबाद
15.	एडी झुंसी-I	इलाहाबाद
16.	एडी कालिंदीपुरम-I	इलाहाबाद
17.	एडी कालिंदीपुरम-I	इलाहाबाद
18.	एडी करेली-I	इलाहाबाद
19.	एडी-करेली-II	इलाहाबाद
20.	एडी करेली-III	इलाहाबाद
21.	एडी-कटरा-I	इलाहाबाद
22.	एडी-कटरा-II	इलाहाबाद
23.	एडी कैदगंज-I	इलाहाबाद
24.	एडी कैदगंज-II	इलाहाबाद
25.	एडी लूकरगंज	इलाहाबाद
26.	एडी मीरापुर-I	इलाहाबाद
27.	एडी मीरापुर-II	इलाहाबाद
28.	एडी एमआर जेड रोड	इलाहाबाद
29.	एडी एमआर जेड रोड-I	इलाहाबाद
30.	एडी ममफोर्डगंज	इलाहाबाद
31.	एडी ममफोर्डगंज	इलाहाबाद
32.	एडी मुथीगंज-I	इलाहाबाद
33.	एडी मुथीगंज-II	इलाहाबाद
34.	एडी नैनी-I	इलाहाबाद
35.	एडी नैनी-II	इलाहाबाद
36.	एडी रीवा रोड	इलाहाबाद
37.	एडी सूबेदारगंज-I	इलाहाबाद
38.	एडी सूबेदारगंज-II	इलाहाबाद
39.	एडी टी.पी. नगर	इलाहाबाद
40.	एडी टैगोर टाउन-I	इलाहाबाद

1	2	3
41.	एडी टैगोर टाउन-II	इलाहाबाद
42.	एडी तलियारगंज-I	इलाहाबाद
43.	एडी तलियारगंज-II	इलाहाबाद
44.	अजूहा	इलाहाबाद
45.	आराकलां	इलाहाबाद
46.	बारा	इलाहाबाद
47.	बारौत	इलाहाबाद
48.	बरेठी	इलाहाबाद
49.	बेररांव	इलाहाबाद
50.	भानेभऊ	इलाहाबाद
51.	भारतगंज	इलाहाबाद
52.	भीरपुर	इलाहाबाद
53.	बिसारा	इलाहाबाद
54.	दहियावां	इलाहाबाद
55.	देवीगंज	इलाहाबाद
56.	धोबाहन	इलाहाबाद
57.	घूरपुर	इलाहाबाद
58.	हंडिया	इलाहाबाद
59.	हनुमानगंज	इलाहाबाद
60.	हारखपुर	इलाहाबाद
61.	हाथीगहन	इलाहाबाद
62.	जलालपुर	इलाहाबाद
63.	जारी	इलाहाबाद
64.	जसरा	इलाहाबाद
65.	कनेली	इलाहाबाद
66.	करारी	इलाहाबाद
67.	कटेहरा	इलाहाबाद
68.	लाल गोपाल गंज	इलाहाबाद
69.	लालापुर	इलाहाबाद
70.	लेदियारी	इलाहाबाद
71.	लोहगारा	इलाहाबाद
72.	माहगांव	इलाहाबाद
73.	मैलहान	इलाहाबाद
74.	मनौरी	इलाहाबाद
75.	मांडा रोड	इलाहाबाद
76.	मांझनपुर	इलाहाबाद
77.	मंसूराबाद	इलाहाबाद
78.	मऊ ऐमा	इलाहाबाद
79.	मेजा	इलाहाबाद
80.	मुकुन्दपुर	इलाहाबाद
81.	मूरतगंज	इलाहाबाद
82.	नरीबारी	इलाहाबाद
83.	नवाबगंज	इलाहाबाद
84.	पश्चिम सरीरा	इलाहाबाद
85.	फाफामऊ	इलाहाबाद
86.	फूलपुर	इलाहाबाद
87.	प्रतापपुर	इलाहाबाद
88.	पुरखास	इलाहाबाद

1	2	3
89.	सहसोन	इलाहाबाद
90.	सैदाबाद	इलाहाबाद
91.	सराय अकील	इलाहाबाद
92.	सराय इनायत	इलाहाबाद
93.	सरसावां	इलाहाबाद
94.	शंकरगढ़	इलाहाबाद
95.	सिराथू	इलाहाबाद
96.	सोरांव	इलाहाबाद
97.	तेलहापुर	इलाहाबाद
98.	टेढ़ी मोड़	इलाहाबाद
99.	ऊंचडीह	इलाहाबाद
100.	अकबरपुर	अम्बेडकर नगर
101.	बांदीपुर	अम्बेडकर नगर
102.	बरियाबान	अम्बेडकर नगर
103.	बस्खारी	अम्बेडकर नगर
104.	भीती	अम्बेडकर नगर
105.	देवरिया बाजार	अम्बेडकर नगर
106.	गढ़वाल	अम्बेडकर नगर
107.	गिरैया बाजार	अम्बेडकर नगर
108.	हंसबार	अम्बेडकर नगर
109.	हजलापुर	अम्बेडकर नगर
110.	हीरापुर	अम्बेडकर नगर
111.	इल्फतगंज एट ए आई एन	अम्बेडकर नगर
112.	इन्दईपुर	अम्बेडकर नगर
113.	जफरगंज	अम्बेडकर नगर
114.	जहांगीर गंज	अम्बेडकर नगर
115.	जलालपुर	अम्बेडकर नगर
116.	कटेहरी	अम्बेडकर नगर
117.	केदारनगर	अम्बेडकर नगर
118.	महरूवा	अम्बेडकर नगर
119.	मालीपुर	अम्बेडकर नगर
120.	नेवरी	अम्बेडकर नगर
121.	नेवादा	अम्बेडकर नगर
122.	परूया आश्रम	अम्बेडकर नगर
123.	रफीगंज	अम्बेडकर नगर
124.	राजे सुल्तानपुर	अम्बेडकर नगर
125.	राम नगर	अम्बेडकर नगर
126.	रामपुर सकरवा	अम्बेडकर नगर
127.	रूकुनपुर	अम्बेडकर नगर
128.	सहजादपुर	अम्बेडकर नगर
129.	सम्मनपुर	अम्बेडकर नगर
130.	सूरापुर	अम्बेडकर नगर
131.	टांडा	अम्बेडकर नगर
132.	टांडा धर्मल	अम्बेडकर नगर
133.	अम्बाढ़ी	आजमगढ़
134.	अम्बाढ़ी	आजमगढ़
135.	अन्जान शहीद	आजमगढ़
136.	अतरौलिया	आजमगढ़

1	2	3
137.	आ.-भावरनाथ	आजमगढ़
138.	आ.-सी-डाट मेन	आजमगढ़
139.	आ.-एम/डब्ल्यू भवन	आजमगढ़
140.	आ.-ओसीबी मुख्य	आजमगढ़
141.	आ.-रेलवे स्टेशन	आजमगढ़
142.	बाबूरा	आजमगढ़
143.	बंकत	आजमगढ़
144.	बरदाह	आजमगढ़
145.	बडडीहा	आजमगढ़
146.	बिलारिया गंज	आजमगढ़
147.	बिलरामऊ (कटार)	आजमगढ़
148.	बिंदाबाल	आजमगढ़
149.	बिन्दराबाजार	आजमगढ़
150.	चेवता	आजमगढ़
151.	छपरा सुल्तानपुर	आजमगढ़
152.	छावन	आजमगढ़
153.	छित्तेपुर	आजमगढ़
154.	देबैत	आजमगढ़
155.	दीदार गंज	आजमगढ़
156.	दुर्बासा	आजमगढ़
157.	फरीदपुर	आजमगढ़
158.	गोपालगंज	आजमगढ़
159.	गोरहारा	आजमगढ़
160.	गोसाई की बाजार	आजमगढ़
161.	हररिया	आजमगढ़
162.	हेतुगंज	आजमगढ़
163.	कंचनपुर	आजमगढ़
164.	कंभारपुर	आजमगढ़
165.	कप्तान गंज	आजमगढ़
166.	कौरिया	आजमगढ़
167.	खरीहानी	आजमगढ़
168.	कोइस्सा	आजमगढ़
169.	लही डीह	आजमगढ़
170.	लहूबान	आजमगढ़
171.	लखमापुर	आजमगढ़
172.	लतघाट	आजमगढ़
173.	मादरपुर	आजमगढ़
174.	मंझरी	आजमगढ़
175.	मर्तन गंज	आजमगढ़
176.	मेहनाज पुर	आजमगढ़
177.	मित्तुपुर	आजमगढ़
178.	मुबारकपुर	आजमगढ़
179.	नमीजोर	आजमगढ़
180.	नंदवन	आजमगढ़
181.	निजामाबाद	आजमगढ़
182.	पलटना	आजमगढ़
183.	फरीहा	आजमगढ़
184.	रामगढ़	आजमगढ़

1	2	3
185.	रानी की सराय	आजमगढ़
186.	संजर पुर	आजमगढ़
187.	सरायमीर	आजमगढ़
188.	साथियावान	आजमगढ़
189.	सेनपुर	आजमगढ़
190.	सिंहपुर	आजमगढ़
191.	सिसवाडा	आजमगढ़
192.	सुम्बी बाजार	आजमगढ़
193.	तहबरपुर	आजमगढ़
194.	तरबा	आजमगढ़
195.	ढेकमा	आजमगढ़
196.	बाबागंज	बहराइच
197.	बहराइच	बहराइच
198.	बरनापुर	बहराइच
199.	बेगमपुर	बहराइच
200.	बेहरा	बहराइच
201.	भगवानपुर	बहराइच
202.	भागवरा	बहराइच
203.	बिसेश्वर गंज	बहराइच
204.	चफरिया	बहराइच
205.	छावनी बाजार	बहराइच
206.	चिलवारिया	बहराइच
207.	चितौरा	बहराइच
208.	घरशवान	बहराइच
209.	फखरपुर	बहराइच
210.	गईघाट	बहराइच
211.	गंभीरवा बाजार	बहराइच
212.	गंगापुर	बहराइच
213.	गंगवाल	बहराइच
214.	गिराजपुर	बहराइच
215.	गुदामरी बाजार	बहराइच
216.	गुराह	बहराइच
217.	गुरघाटा	बहराइच
218.	हुजूरपुर	बहराइच
219.	इमामगंज	बहराइच
220.	इटा	बहराइच
221.	जयटा बाजार	बहराइच
222.	जारवाल कस्बा	बहराइच
223.	जारवाल रोड	बहराइच
224.	केसरगंज	बहराइच
225.	काटेलिया	बहराइच
226.	खैरा बाजार	बहराइच
227.	खुतहना	बहराइच
228.	माहासी	बहराइच
229.	माराउचा	बहराइच
230.	मातेही कालान	बहराइच
231.	मातेरा	बहराइच
232.	महिनपुरवा	बहराइच

1	2	3
233.	नैनीहा	बहराइच
234.	नानपाड़ा	बहराइच
235.	नवाबगंज	बहराइच
236.	नुआलाला	बहराइच
237.	पायागपुर	बहराइच
238.	पिपरा भागारिया	बहराइच
239.	प्यारेपुर	बहराइच
240.	रामगांव	बहराइच
241.	रामपुर धेबियाबो	बहराइच
242.	रिसिया	बहराइच
243.	रूकनापुर	बहराइच
244.	रूपैदीह	बहराइच
245.	सेमगरहा	बहराइच
246.	सेमरी घाताही	बहराइच
247.	शंकरपुर चाठ	बहराइच
248.	शिवपुर	बहराइच
249.	उर्रा बाजार	बहराइच
250.	वजीरगंज	बलिया
251.	अतारसुआ	बलिया
252.	अथिलापुर	बलिया
253.	बैजलपुर	बलिया
254.	बलिया	बलिया
255.	बलिया	बलिया
256.	बंसदीह	बलिया
257.	बंसदीह रोड	बलिया
258.	बसन्तपुर	बलिया
259.	भीमपुरा	बलिया
260.	बुआरबरी	बलिया
261.	छताउना	बलिया
262.	चितबारागंज	बलिया
263.	दुभार	बलिया
264.	गरवार	बलिया
265.	हल्दी	बलिया
266.	हुसैनाबाद	बलिया
267.	इब्राहिमपट्टी	बलिया
268.	जयप्रकाश नगर	बलिया
269.	खेजुरी	बलिया
270.	खोदई	बलिया
271.	कुरेजी	बलिया
272.	लालगंज	बलिया
273.	लक्ष्मणपुर	बलिया
274.	मालदाह	बलिया
275.	मनियार	बलिया
276.	नागरा	बलिया
277.	नारही	बलिया
278.	नवरतनपुर	बलिया
279.	पकवा इनार	बलिया
280.	फेफना	बलिया
281.	पुर	बलिया

1	2	3
282.	रामगढ़	बलिया
283.	रानीगंज	बलिया
284.	रतसार	बलिया
285.	रेवती	बलिया
286.	साहतवार	बलिया
287.	सलेमपुर	बलिया
288.	शिवपुर दीआर	बलिया
289.	टिका देवरी	बलिया
290.	तोला सिवनराय	बलिया
291.	उजियार भारौली	बलिया
292.	बलरामपुर	बलरामपुर
293.	गेनदास बुर्जुग	बलरामपुर
294.	गैसारी	बलरामपुर
295.	माहदैया	बलरामपुर
296.	महुवा बाजार	बलरामपुर
297.	मथुरा बाजार	बलरामपुर
298.	पचपेरवा	बलरामपुर
299.	पेहर	बलरामपुर
300.	रेहरा बाजार	बलरामपुर
301.	सदुल्लाह नगर	बलरामपुर
302.	शिवपुरा	बलरामपुर
303.	श्रीदत्त गंज	बलरामपुर
304.	तुलसीपुर	बलरामपुर
305.	उतरौला	बलरामपुर
306.	अटारा	बान्दा
307.	बादौसा	बान्दा
308.	बान्दा	बान्दा
309.	बनियानपुरवा	बान्दा
310.	बारोखर बुर्जुग	बान्दा
311.	बेलगांव	बान्दा
312.	भाभुवा	बान्दा
313.	भादेहु	बान्दा
314.	भागेलबारी	बान्दा
315.	भारखारी	बान्दा
316.	बिलहारका	बान्दा
317.	बिसान्दा	बान्दा
318.	बुधौली	बान्दा
319.	चन्द्रपुरा	बान्दा
320.	चौसर	बान्दा
321.	चिलोलार	बान्दा
322.	चिल्ला	बान्दा
323.	फतहगंज	बान्दा
324.	गडारिया	बान्दा
325.	गाहबारा	बान्दा
326.	गाजीपुर	बान्दा
327.	गिरवान	बान्दा
328.	गोथारा मुगली	बान्दा
329.	गुरेह	बान्दा

1	2	3
330.	हरदौनी	बान्दा
331.	हथौरा	बान्दा
332.	इन्दिरानगर	बान्दा
333.	इंगुवान	बान्दा
334.	जमालपुर	बान्दा
335.	जारी	बान्दा
336.	जसपुरा	बान्दा
337.	जौहरपुर	बान्दा
338.	जौराही	बान्दा
339.	कालिनजार	बान्दा
340.	कामसिन	बान्दा
341.	करताल	बान्दा
342.	खुरहांड	बान्दा
343.	कोरांही	बान्दा
344.	कोरर्म	बान्दा
345.	लुकतारा	बान्दा
346.	माहुटा	बान्दा
347.	महुबा	बान्दा
348.	मारका	बान्दा
349.	मातौध	बान्दा
350.	मुरवाल	बान्दा
351.	नानदाना	बान्दा
352.	नारायनी	बान्दा
353.	नारौली	बान्दा
354.	नारही	बान्दा
355.	नौहई	बान्दा
356.	औरन	बान्दा
357.	पचनेही	बान्दा
358.	पैलानी	बान्दा
359.	पालारा	बान्दा
360.	पांगारा	बान्दा
361.	पापरेनडा	बान्दा
362.	पारसोली	बान्दा
363.	पौढार	बान्दा
364.	पिपराहारी	बान्दा
365.	रायसिन	बान्दा
366.	साबादा	बान्दा
367.	सारहा	बान्दा
368.	सेमारी वसीलपुर	बान्दा
369.	शंकर बाजार	बान्दा
370.	सिदनखान कलान	बान्दा
371.	सिमौनी	बान्दा
372.	संगपुर	बान्दा
373.	स्वराज कालोनी	बान्दा
374.	तारायान	बान्दा
375.	तिंडवारा	बान्दा
376.	तिंडवारी	बान्दा
377.	अलियाबाद	बाराबंकी

1	2	3
378.	असानदरा	बाराबंकी
379.	बादनपुर/गेन्स	बाराबंकी
380.	बहूपुर	बाराबंकी
381.	बंकी	बाराबंकी
382.	बाराबंकी	बाराबंकी
383.	बाराबंकी बी	बाराबंकी
384.	बाराबंकी ओल्ड बिल्डिंग	बाराबंकी
385.	बारेठी	बाराबंकी
386.	बेलाहारा	बाराबंकी
387.	भागौली	बाराबंकी
388.	भानमाठ	बाराबंकी
389.	भिलवाल	बाराबंकी
390.	बिशुनपुर	बाराबंकी
391.	दारीयाबाद	बाराबंकी
392.	देवीगंज	बाराबंकी
393.	देवाशरीफ	बाराबंकी
394.	दुल्लापुर	बाराबंकी
395.	फतहेगंज डेरी	बाराबंकी
396.	फतेहपुर	बाराबंकी
397.	हाराख	बाराबंकी
398.	इचौली	बाराबंकी
399.	जहांगीराबाद	बाराबंकी
400.	जाटाबरौली	बाराबंकी
401.	खजूरी	बाराबंकी
402.	कोला	बाराबंकी
403.	कोठी	बाराबंकी
404.	कोतवाधाम	बाराबंकी
405.	कोतवा सड़क	बाराबंकी
406.	कुरसी	बाराबंकी
407.	मासौली	बाराबंकी
408.	मौगौरपुर	बाराबंकी
409.	मावाई	बाराबंकी
410.	महमूदाबाद	बाराबंकी
411.	मिताई	बाराबंकी
412.	मोहम्मदपुर खाला	बाराबंकी
413.	नेओरा	बाराबंकी
414.	पारीवान	बाराबंकी
415.	पटरंगा	बाराबंकी
416.	पोखरा	बाराबंकी
417.	प्रतापगंज	बाराबंकी
418.	पुरेदलाई	बाराबंकी
419.	रामनगर	बाराबंकी
420.	रानी बाजार	बाराबंकी
421.	रीवान सीवान	बाराबंकी
422.	रूदौली	बाराबंकी
423.	सादातगंज	बाराबंकी
424.	सफदरगंज	बाराबंकी
425.	सइद खानपुर	बाराबंकी

1	2	3
426.	सैदनपुर	बाराबंकी
427.	सराई बराई	बाराबंकी
428.	सतरीख	बाराबंकी
429.	सिधौर	बाराबंकी
430.	सिहली	बाराबंकी
431.	सिरौली गौसपुर	बाराबंकी
432.	सुबेहा	बाराबंकी
433.	सुजागंज	बाराबंकी
434.	सूरतगंज	बाराबंकी
435.	सुरियामऊ	बाराबंकी
436.	तालगांव	बाराबंकी
437.	टेरा सहीपुर	बाराबंकी
438.	तिलोकपुर	बाराबंकी
439.	तिलवारी	बाराबंकी
440.	त्रिवेदीगंज	बाराबंकी
441.	अधौली	बाराबंकी
442.	जैदपुर	बाराबंकी
443.	जकरिया	बाराबंकी
444.	बभानन (बीबीएन)	बस्ती
445.	बहादुरपुर (बीडीआर)	बस्ती
446.	बनकटी (बीकेटी)	बस्ती
447.	बस्ती (बीएसटी)	बस्ती
448.	मानपुर (बीएनआर)	बस्ती
449.	कप्तानगंज (सीपीजी)	बस्ती
450.	छावनी (सीएचएच)	बस्ती
451.	गौर	बस्ती
452.	हैदराबाद	बस्ती
453.	जमदशही	बस्ती
454.	कलवारी	बस्ती
455.	कचेहरी (केटीवाई)	बस्ती
456.	कुदराहा	बस्ती
457.	लालगंज	बस्ती
458.	महसौन	बस्ती
459.	मुंडेरवा	बस्ती
460.	नगर बाजार	बस्ती
461.	पांडे बाजार (पीबीआर)	बस्ती
462.	परसुरामपुर	बस्ती
463.	रामपुर	बस्ती
464.	रूधौली	बस्ती
465.	सलतवाड़ा	बस्ती
466.	तिनिक	बस्ती
467.	विक्रमजोत	बस्ती
468.	बाल्टरगंज	बस्ती
469.	बाबुरी	चन्दौली
470.	बरहानी	चन्दौली
471.	बड़ौली	चन्दौली
472.	भोपौली	चन्दौली
473.	चहनिया	चन्दौली

1	2	3
474.	चकिया	चन्दौली
475.	चन्दौली	चन्दौली
476.	धानापुर	चन्दौली
477.	धरौली	चन्दौली
478.	इस्लिया	चन्दौली
479.	कमालपुर	चन्दौली
480.	मरूफपुर	चन्दौली
481.	मेधन	चन्दौली
482.	मुगलसराय	चन्दौली
483.	नई बाजार	चन्दौली
484.	नौगढ़	चन्दौली
485.	रामगढ़	चन्दौली
486.	सदलपुरा	चन्दौली
487.	साहबगंज	चन्दौली
488.	सैदराजा	चन्दौली
489.	सैदूपुर	चन्दौली
490.	सकलडीहा	चन्दौली
491.	सीकरगंज	चन्दौली
492.	सिकन्दरपुर	चन्दौली
493.	उतरौत	चन्दौली
494.	विशुनपुरा	चन्दौली
495.	ऐंचवारा	चित्रकूट
496.	बछारन	चित्रकूट
497.	बर्दवारा	चित्रकूट
498.	बरगढ़	चित्रकूट
499.	भरतकूप	चित्रकूट
500.	भौनरी	चित्रकूट
501.	छिब्बू	चित्रकूट
502.	चित्रकूट	चित्रकूट
503.	देहरूच	चित्रकूट
504.	दियोन्था	चित्रकूट
505.	गढ़चपा	चित्रकूट
506.	गुरीतौपुर	चित्रकूट
507.	जफरपुर	चित्रकूट
508.	कलछीहा	चित्रकूट
509.	करवी	चित्रकूट
510.	ललिता रोड	चित्रकूट
511.	मणिकपुर	चित्रकूट
512.	मरकुंडी	चित्रकूट
513.	मऊ छिब्बू	चित्रकूट
514.	नदीकुइयां	चित्रकूट
515.	नन्दी	चित्रकूट
516.	पहाड़ी	चित्रकूट
517.	परसौंजा	चित्रकूट
518.	पूरबपताई	चित्रकूट
519.	रायपुरा	चित्रकूट
520.	राजापुर	चित्रकूट
521.	सरधुवा	चित्रकूट

1	2	3
522.	शिवरामपुर	चित्रकूट
523.	बैकुंठपुर	देवरिया
524.	बेतालपुर	देवरिया
525.	बखरा	देवरिया
526.	बाल्टीकारा	देवरिया
527.	भागलपुर	देवरिया
528.	भटनी	देवरिया
529.	भटनी दादन	देवरिया
530.	भातपुर रानी	देवरिया
531.	भिंगरी बाजार	देवरिया
532.	देवरिया-सी डाट	देवरिया
533.	देवरिया ओ सी बी	देवरिया
534.	गौरी बाजार	देवरिया
535.	हातिमपुर	देवरिया
536.	खोरा राम	देवरिया
537.	खुखुन्दू	देवरिया
538.	लार	देवरिया
539.	लार रोड	देवरिया
540.	मदनपुर	देवरिया
541.	प्रतापपुर	देवरिया
542.	राम लखन	देवरिया
543.	रामपुर कारखाना	देवरिया
544.	रूद्रपुर	देवरिया
545.	सहजपुर	देवरिया
546.	सतरखा	देवरिया
547.	सोनाहुला रामनगर	देवरिया
548.	अचलदा	इटावा
549.	ऐरवा कटरा	इटावा
550.	अजीतमल	इटावा
551.	औरैया	इटावा
552.	अयाना	इटावा
553.	बल्लापुर	इटावा
554.	बरलोकपुर	इटावा
555.	बसरेहर	इटावा
556.	बेला	इटावा
557.	बिधूना	इटावा
558.	चितभावन	इटावा
559.	दिबियापुर	इटावा
560.	इकदिल	इटावा
561.	इटावा	इटावा
562.	फ्रेंड्स कालोनी	इटावा
563.	हरचनपुर	इटावा
564.	जसवन्तनगर	इटावा
565.	जैतपुर	इटावा
566.	ककौड़	इटावा
567.	खरगपुर सराय	इटावा
568.	खुदौली	इटावा
569.	कुदरकोट	इटावा

1	2	3
570.	लखना	इटावा
571.	मुरादगंज	इटावा
572.	नगलाधाना	इटावा
573.	पहनहर	इटावा
574.	परास्ना	इटावा
575.	फफूंद	इटावा
576.	पुखा सुजान	इटावा
577.	रूरूगन	इटावा
578.	सहर	इटावा
579.	सैफई	इटावा
580.	सांफर	इटावा
581.	ताखा	इटावा
582.	उड़ी	इटावा
583.	उमरैन	इटावा
584.	उमरैन	इटावा
585.	उसराहर	इटावा
586.	याकूबपुर	इटावा
587.	अमनीगंज	फैजाबाद
588.	अमरगंज	फैजाबाद
589.	आनन्दनगर	फैजाबाद
590.	अरवट	फैजाबाद
591.	अश्वनीपुरम	फैजाबाद
592.	अयोध्या	फैजाबाद
593.	बेरूगंज	फैजाबाद
594.	भदरसा	फैजाबाद
595.	बीकापुर	फैजाबाद
596.	चौरी बाजार	फैजाबाद
597.	दर्शननगर	फैजाबाद
598.	देवगांव	फैजाबाद
599.	देवड़ीबाजार	फैजाबाद
600.	धारा रोड	फैजाबाद
601.	दिलासी गंज	फैजाबाद
602.	फैजाबाद	फैजाबाद
603.	गोसाईगंज बी	फैजाबाद
604.	हैदरगंज	फैजाबाद
605.	हरिटिंगंज	फैजाबाद
606.	खजूराहत	फैजाबाद
607.	खंडासा	फैजाबाद
608.	कुचेरा	फैजाबाद
609.	कुमरगंज	फैजाबाद
610.	कुरवां	फैजाबाद
611.	माया	फैजाबाद
612.	महबूबगंज	फैजाबाद
613.	मिलकीपुरम अतइनाया	फैजाबाद
614.	मोती नगर	फैजाबाद
615.	मोती गंज	फैजाबाद
616.	मुबारकगंज	फैजाबाद
617.	मुस्तफाबाद	फैजाबाद

1	2	3
618.	निराला नगर	फैजाबाद
619.	पुरा	फैजाबाद
620.	रामपुर भागन	फैजाबाद
621.	रानी बाजार	फैजाबाद
622.	सहादतगंज	फैजाबाद
623.	शाहगंज	फैजाबाद
624.	सोहावल	फैजाबाद
625.	तारून	फैजाबाद
626.	वैदेही नगर	फैजाबाद
627.	अचरा	फर्रुखाबाद
628.	अमृतपुर	फर्रुखाबाद
629.	बजरिया	फर्रुखाबाद
630.	बारखा	फर्रुखाबाद
631.	घमघेरा	फर्रुखाबाद
632.	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद
633.	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद
634.	फतेहगढ़	फर्रुखाबाद
635.	जहवगंज	फर्रुखाबाद
636.	जरारी	फर्रुखाबाद
637.	कमलगंज	फर्रुखाबाद
638.	काम्पिल	फर्रुखाबाद
639.	खिमसेपुर	फर्रुखाबाद
640.	खुदागंज	फर्रुखाबाद
641.	मंझना	फर्रुखाबाद

1	2	3
642.	मोहमदाबाद	फर्रुखाबाद
643.	नवाबगंज	फर्रुखाबाद
644.	निसाई	फर्रुखाबाद
645.	राजेपुर	फर्रुखाबाद
646.	रूदाइन	फर्रुखाबाद
647.	संकीशा	फर्रुखाबाद
648.	रामसाबाद	फर्रुखाबाद
649.	सिरौली	फर्रुखाबाद
650.	सिवाड़ा	फर्रुखाबाद
651.	याकूतगंज	फर्रुखाबाद
652.	एरायांव	फतेहपुर
653.	असीपुर	फतेहपुर
654.	अमाओं	फतेहपुर
655.	अमौली	फतेहपुर
656.	अरहैय्या	फतेहपुर
657.	असनि	फतेहपुर
658.	बहुवा	फतेहपुर
659.	बाकेबार	फतेहपुर
660.	बनथड़ा	फतेहपुर
661.	भादवा	फतेहपुर
662.	भिटौरा	फतेहपुर
663.	बिंडकी	फतेहपुर
664.	चौडागढा	फतेहपुर
665.	रिओमाई	फतेहपुर

1	2	3
666.	फतेहपुर	फतेहपुर
667.	गाजीपुर	फतेहपुर
668.	हसुवा	फतेहपुर
669.	हथगांव	फतेहपुर
670.	हुसैनगंज	फतेहपुर
671.	जफरगंज	फतेहपुर
672.	जिगनी	फतेहपुर
673.	जुनिहान	फतेहपुर
674.	केशियापुर	फतेहपुर
675.	खागा	फतेहपुर
676.	खजूहा	फतेहपुर
677.	किशनपुर	फतेहपुर
678.	कोडाजहांनाबाद	फतेहपुर
679.	कौराई	फतेहपुर
680.	लालौली	फतेहपुर
681.	मालवान	फतेहपुर
682.	मवाई	फतेहपुर
683.	मौहम्मदपुरी	फतेहपुर
684.	पापरेडा	फतेहपुर
685.	रेवाड़ी	फतेहपुर
686.	सतीगांव	फतेहपुर
687.	शाह	फतेहपुर
688.	थरियावां	फतेहपुर
689.	विजयपुर	फतेहपुर

1	2	3
690.	बारा	गाजीपुर
691.	बराचावाड़	गाजीपुर
692.	भादौरा	गाजीपुर
693.	भावरकौल	गाजीपुर
694.	भीमापाड़	गाजीपुर
695.	दिओकली	गाजीपुर
696.	दिलदारनगर	गाजीपुर
697.	दुबिहां	गाजीपुर
698.	दुल्लाहपुर	गाजीपुर
699.	गाहमाड़	गाजीपुर
700.	गंगौली	गाजीपुर
701.	गाजीपुर	गाजीपुर
702.	गौंडोर	गाजीपुर
703.	हंसराजपुर	गाजीपुर
704.	जखानिया	गाजीपुर
705.	जांगीपुर	गाजीपुर
706.	करीमद्दीनपुर	गाजीपुर
707.	कशीमाबाद	गाजीपुर
708.	खानपुर	गाजीपुर
709.	कुदेसर	गाजीपुर
710.	मैनपुर	गाजीपुर
711.	मारूसा	गाजीपुर
712.	मार्द्धा	गाजीपुर
713.	मौहम्मदाबाद	गाजीपुर

1	2	3
714.	नंदगंज	गाजीपुर
715.	नौनाहारा	गाजीपुर
716.	रायपुर	गाजीपुर
717.	रौजा	गाजीपुर
718.	रियोतीपुर	गाजीपुर
719.	सारत	गाजीपुर
720.	शौबपुर	गाजीपुर
721.	सिहौना	गाजीपुर
722.	सोहावल	गाजीपुर
723.	सुजानीपुर	गाजीपुर
724.	जमानिया	गाजीपुर
725.	अलावल देवरिया	गौंडा
726.	अमदाही	गौंडा
727.	आर्यानगर	गौंडा
728.	बाबागंज	गौंडा
729.	बालपुर	गौंडा
730.	बंकाटवा	गौंडा
731.	बेलसर	गौंडा
732.	चांदीपुर	गौंडा
733.	छपिया	गौंडा
734.	कर्नलगंज	गौंडा
735.	धानेपुर	गौंडा
736.	हुमरियाडीह	गौंडा
738.	गौराचौकी	गौंडा

1	2	:
739.	गोंडा	गौंडा
740.	हलधर मऊ	गौंडा
741.	हथियागढ़	गौंडा
742.	इरियाठोक	गौंडा
743.	जयनगरा	गौंडा
744.	जयप्रा ग्राम	गौंडा
745.	जमूनिया बाग	गौंडा
746.	जिलाही	गौंडा
747.	खड़गूपुर	गौंडा
748.	कुरासान	गौंडा
749.	मछलीगांव	गौंडा
750.	माधवपुर (टिकरी)	गौंडा
751.	मंगूरा बाजार	गौंडा
752.	मंकापुर आई टी आई	गौंडा
753.	मनकापुर-टाऊन	गौंडा
754.	मस्कानवां	गौंडा
755.	मोतीगंज	गौंडा
756.	मुंडेरवा माफी	गौंडा
757.	नवाबगंज	गौंडा
758.	पारसपुर	गौंडा
759.	रामनगर	गौंडा
760.	सैदबापुर	गौंडा
761.	सालपुर	गौंडा
762.	शिवदयालगंज	गौंडा

1	2	3
763.	सुभागपुर	गौंडा
764.	तरबगंज	गौंडा
765.	वीरेपुर	गौंडा
766.	वजीरगंज	गौंडा
767.	बंसगांव	गोरखपुर
768.	बरहालगंज	गोरखपुर
769.	बसतपुर	गोरखपुर
770.	बेलीपाड़	गोरखपुर
771.	बेनीगंज	गोरखपुर
772.	भाटपार	गोरखपुर
773.	बुकसीपुर	गोरखपुर
774.	चौरीचौरा	गोरखपुर
775.	कोम्पीरगंज	गोरखपुर
776.	धानी	गोरखपुर
777.	डीहघाट	गोरखपुर
778.	दोहारिया	गोरखपुर
779.	गगाहा	गोरखपुर
780.	गाजपुर	गोरखपुर
781.	धाकसारा	गोरखपुर
782.	गिडा	गोरखपुर
783.	गीता वाटिका	गोरखपुर
784.	गीता वाटिका	गोरखपुर
785.	गोला	गोरखपुर
786.	गोरखनाथ	गोरखपुर
787.	गोरखपुर	गोरखपुर
788.	गोरखपुर	गोरखपुर
789.	हाटा बाजार	गोरखपुर
790.	जैतपुर	गोरखपुर
791.	जानीपुर	गोरखपुर
792.	झंगाहा	गोरखपुर
793.	आरखंडी	गोरखपुर
794.	जंगले कौड़िया	गोरखपुर
795.	कटसेहरा	गोरखपुर
796.	कौड़ीराम	गोरखपुर
797.	खजानी	गोरखपुर
798.	कुसुमी	गोरखपुर
799.	मदरिया	गोरखपुर
800.	महाबिर्धापड़ा	गोरखपुर
801.	महादेवा	गोरखपुर
802.	महुआ डाबर	गोरखपुर
803.	मल्हानपुर	गोरखपुर
804.	मंगलपुर	गोरखपुर
805.	मोतीरामददा	गोरखपुर
806.	नाई बाजार	गोरखपुर
807.	नटावा जगेल	गोरखपुर
808.	पकाड़ी	गोरखपुर
809.	पाली	गोरखपुर
810.	पीपीगंज	गोरखपुर

1	2	3
811.	पीपराइच	गोरखपुर
812.	सप्ति नगर	गोरखपुर
813.	रूस्तमपुर	गोरखपुर
814.	शाहजवां	गोरखपुर
815.	सरदार नगर	गोरखपुर
816.	शिकारीगंज	गोरखपुर
817.	शाहगौड़ा	गोरखपुर
818.	सोनबर्सा	गोरखपुर
819.	उनवाल	गोरखपुर
820.	विकास नगर	गोरखपुर
821.	अकोना	हमीरपुर
822.	बसेला	हमीरपुर
823.	बेरी	हमीरपुर
824.	भरूवा सुमेरपुर	हमीरपुर
825.	बिहारिका	हमीरपुर
826.	बिवर	हमीरपुर
827.	चंदौट	हमीरपुर
828.	गोहंड	हमीरपुर
829.	ग्योडि	हमीरपुर
830.	हमीरपुर	हमीरपुर
831.	इमालिया	हमीरपुर
832.	इंगोहटा	हमीरपुर
833.	जलालपुर	हमीरपुर
834.	कमहारिया	हमीरपुर
835.	खन्ना	हमीरपुर
836.	कुराडा	हमीरपुर
837.	मिसीपुर	हमीरपुर
838.	मुस्कारा	हमीरपुर
839.	पाटनपुर	हमीरपुर
840.	पाठनौदी	हमीरपुर
841.	पौठिया	हमीरपुर
842.	पुरैनी	हमीरपुर
843.	राधौल (मौडाहा)	हमीरपुर
844.	राठ	हमीरपुर
845.	रेहुटा	हमीरपुर
846.	सरीला	हमीरपुर
847.	उमारिया	हमीरपुर
848.	अत्वा कुर्षाठ	हरदोई
849.	बाधौली	हरदोई
850.	बाम्हना खेड़ा	हरदोई
851.	बवां	हरदोई
852.	बेहटा गोकुल	हरदोई
853.	बेनीगंज	हरदोई
854.	भरवां	हरदोई
855.	भरखानी	हरदोई
856.	बिलग्राम	हरदोई
857.	सिविल लाइन्स	हरदोई
858.	दलेलनगर	हरदोई

1	2	3
859.	भिकुन्नी	हरदोई
860.	गौसगंज	हरदोई
861.	गोंडवा	हरदोई
862.	हरियानवां	हरदोई
863.	हरपालपुर	हरदोई
864.	एचडीआई-लखनऊ रोड	हरदोई
865.	कछौना	हरदोई
866.	काशिमपुर	हरदोई
867.	कोठवान	हरदोई
868.	लोनार	हरदोई
869.	माधोगंज	हरदोई
870.	मल्लावान	हरदोई
871.	पाली	हरदोई
872.	पारेली	हरदोई
873.	पिहानी	हरदोई
874.	प्रताप नगर	हरदोई
875.	राघोपुर	हरदोई
876.	संडी	हरदोई
877.	संडिला	हरदोई
878.	शाहाबाद	हरदोई
879.	सुभान खेड़ा	हरदोई
880.	टोडरपुर	हरदोई
881.	उभारनपुर	हरदोई
882.	एआईआर	जालौन
883.	एआईटी	जालौन
884.	एटीए	जालौन
885.	बबाई	जालौन
886.	बांगरा	जालौन
887.	भेंड	जालौन
888.	एटौन	जालौन
889.	एटौरा	जालौन
890.	गिरथान	जालौन
891.	गोपालपुरा	जालौन
892.	गुलौली	जालौन
893.	हदरूख	जालौन
894.	जालौन	जालौन
895.	जुगराजपुरा	जालौन
896.	कलपी	जालौन
897.	कानसी	जालौन
898.	कारमेर	जालौन
899.	खाक्सीस	जालौन
900.	खारा	जालौन
901.	कोंच	जालौन
902.	कोटरा	जालौन
903.	कुकारगांव	जालौन
904.	माधोगढ़	जालौन
905.	माहेवा	जालौन
906.	नदीगांव	जालौन
907.	नियामतपुर	जालौन

1	2	3
908.	ओरई	जालौन
909.	पनियारा	जालौन
910.	पिंडारी	जालौन
911.	पिरौना	जालौन
912.	रामपुरा	जालौन
913.	रेघंर	जालौन
914.	साहाओ	जालौन
915.	सामी	जालौन
916.	उमारी	जालौन
917.	उपसीडो	जालौन
918.	उसारगांव	जालौन
919.	वीरपुरा	जालौन
920.	आलमगंज	जौनपुर
921.	अरसिया	जौनपुर
922.	बदेरी	जौनपुर
923.	बधवाबाजार	जौनपुर
924.	बदलापुर	जौनपुर
925.	बजरंग नगर	जौनपुर
926.	बराईपर	जौनपुर
927.	बरेठी	जौनपुर
928.	बेलवार बाजार	जौनपुर
929.	भदेथी	जौनपुर
930.	बीबीगंज	जौनपुर
931.	चंदावाक (दोभी)	जौनपुर
932.	धर्मपुर	जौनपुर
933.	धेमा	जौनपुर
934.	फतेहगंज	जौनपुर
935.	गाभिरन	जौनपुर
936.	गारियौन	जौनपुर
937.	गौरा बादशाहपुर	जौनपुर
938.	घनश्यामपुर	जौनपुर
939.	हैदरपुर	जौनपुर
940.	हरिहरपुर	जौनपुर
941.	जगतगंज	जौनपुर
942.	जलालपुर	जौनपुर
943.	जपतापुर	जौनपुर
944.	जौनपुर-कटचे	जौनपुर
945.	जौनपुर	जौनपुर
946.	कजगांव	जौनपुर
947.	केराकट	जौनपुर
948.	खेतसराय	जौनपुर
949.	खुतहन	जौनपुर
950.	लेडुका	जौनपुर
951.	मछलीशहर	जौनपुर
952.	महाराज गंज	जौनपुर
953.	मलहनी	जौनपुर
954.	मनिकाला	जौनपुर
955.	मरिहौना	जौनपुर

1	2	3
956.	मीरगंज	जौनपुर
957.	मुफ्तीगंज	जौनपुर
958.	मुगरा बादशाहपुर	जौनपुर
959.	नौपेरवा	जौनपुर
960.	निगोह	जौनपुर
961.	पाली	जौनपुर
962.	परौगंज	जौनपुर
963.	पताराही	जौनपुर
964.	पाती नरेन्द्रपुर	जौनपुर
965.	पूर्वांचल यूनीव	जौनपुर
966.	राजाबाजार	जौनपुर
967.	रामपुर	जौनपुर
968.	रातासी	जौनपुर
969.	रत्नुपुर	जौनपुर
970.	सथारिया	जौनपुर
971.	शाहगंज	जौनपुर
972.	शंभुगंज	जौनपुर
973.	शेखुपुर	जौनपुर
974.	शियो नगर	जौनपुर
975.	शुखलालगंज	जौनपुर
976.	सिगरामाऊ	जौनपुर
977.	सिकरारा	जौनपुर
978.	सितम सराय	जौनपुर
979.	सून्था कालन	जौनपुर
980.	सुजानगंज	जौनपुर
981.	तारती	जौनपुर
982.	थानागद्दी	जौनपुर
983.	त्रिलोचन महादे	जौनपुर
984.	उरमारपुर	जौनपुर
985.	जफराबाद	जौनपुर
986.	अमरा	झांसी
987.	सरिच	झांसी
988.	बाबिना	झांसी
989.	बमौर	झांसी
990.	बंगरा	झांसी
991.	बड़ागांव	झांसी
992.	बारूसागर	झांसी
993.	भरारी	झांसी
994.	भेल	झांसी
995.	बिजौली	झांसी
996.	चिरगांव	झांसी
997.	गरौथा	झांसी
998.	ग्रासलैंड	झांसी
999.	गुरसराय	झांसी
1000.	हाटी	झांसी
1001.	जी-कैंट	झांसी
1002.	जेआई-कैंट	झांसी
1003.	जेआई-ई-10बी	झांसी

1	2	3
1004.	जेआई-ओसीबी	झांसी
1005.	कारगुवन	झांसी
1006.	कारगुवन खुर	झांसी
1007.	कटेरा	झांसी
1008.	मडोरा	झांसी
1009.	मानिक चौक	झांसी
1010.	मौरानीपुर	झांसी
1011.	मोठ	झांसी
1012.	नगारा	झांसी
1013.	नंदनपुरा	झांसी
1014.	नुनार	झांसी
1015.	पलार	झांसी
1016.	परीछा	झांसी
1017.	पिचोर	झांसी
1018.	पूंच	झांसी
1019.	राजापुर	झांसी
1020.	रक्षा	झांसी
1021.	रानीपुर	झांसी
1022.	रेवन	झांसी
1023.	साकिन	झांसी
1024.	सकरार	झांसी
1025.	समथार	झांसी
1026.	शाहजहांपुर	झांसी
1027.	सिंगर्रा	झांसी
1028.	सिपरी बाजार	झांसी
1029.	तेहरौली	झांसी
1030.	तोड़ीफतेहपुर	झांसी
1031.	उलडान	झांसी
1032.	अलीपुर जलेसर	कन्नौज
1033.	बारीगावां	कन्नौज
1034.	छिबरामऊ	कन्नौज
1035.	गुरसहायगंज	कन्नौज
1036.	हरायपुर	कन्नौज
1037.	हसेरन	कन्नौज
1038.	इंदरगढ़	कन्नौज
1039.	जलालाबाद	कन्नौज
1040.	जसपुरापुर	कन्नौज
1041.	कन्नौज	कन्नौज
1042.	कसावा	कन्नौज
1043.	खारनी	कन्नौज
1044.	कुसुमखोर	कन्नौज
1045.	मनीमऊ	कन्नौज
1046.	मटौली	कन्नौज
1047.	नदेमऊ	कन्नौज
1048.	प्रेमपुर	कन्नौज
1049.	सकरावा	कन्नौज
1050.	सरायप्रयाग	कन्नौज
1051.	सीरिख	कन्नौज

1	2	3
1052.	सिकंदरपुर	कन्नौज
1053.	ताहापुर	कन्नौज
1054.	तालग्राम	कन्नौज
1055.	थटिया	कन्नौज
1056.	तिरवा	कन्नौज
1057.	उमरादा	कन्नौज
1058.	विशुनगढ़	कन्नौज
1059.	अरौल	कानपुर
1060.	बारी पाल	कानपुर
1061.	भितर गांव	कानपुर
1062.	बिधनू	कानपुर
1063.	बिल्हौर	कानपुर
1064.	बिथूर	कानपुर
1065.	चकेरी	कानपुर
1066.	चौबेपुर	कानपुर
1067.	घाटमपुर	कानपुर
1068.	ककवां	कानपुर
1069.	कटाहरा	कानपुर
1070.	कोरिया	कानपुर
1071.	केपी आवास विकास	कानपुर
1072.	केपी बांसमंडी	कानपुर
1073.	केपी बेनाझाबर	कानपुर
1074.	केपी बेनाझाबर	कानपुर
1075.	केपी बेनाझाबर	कानपुर
1076.	केपी भौती प्रता	कानपुर
1077.	केपी कैंट	कानपुर
1078.	केपी गोविंद नगर	कानपुर
1079.	केपी हंसपुरम	कानपुर
1080.	केपी आई.आई.टी.	कानपुर
1081.	केपी जाजमऊ	कानपुर
1082.	केपी केपी जरीब चौकी	कानपुर
1083.	केपी काकादेव	कानपुर
1084.	केपी कल्याणपुर	कानपुर
1085.	केपी किदवई नगर	कानपुर
1086.	केपी कृष्णा नगर	कानपुर
1087.	केपी लाजपत नगर	कानपुर
1088.	केपी लाजपत नगर	कानपुर
1089.	केपी लखनपुर	कानपुर
1090.	केपी मालरोड	कानपुर
1091.	केपी मालरोड	कानपुर
1092.	केपी मालरोड	कानपुर
1093.	केपी नरामऊ	कानपुर
1094.	केपी पनकी इंड.	कानपुर
1095.	केपी पनकी पावर	कानपुर
1096.	केपी रेल बाजार	कानपुर
1097.	केपी रतन लाल नगर	कानपुर
1098.	केपी रतन लाल नगर	कानपुर
1099.	केपी श्याम नगर	कानपुर

1	2	3
1100.	केपी विष्णपुरी	कानपुर
1101.	केपी विश्व बैंक सी	कानपुर
1102.	केपी यशोदा नगर	कानपुर
1103.	कौन खेडा	कानपुर
1104.	कुदनी	कानपुर
1105.	कुरिया	कानपुर
1106.	महराजपुर	कानपुर
1107.	मझवान	कानपुर
1108.	मकानपुर	कानपुर
1109.	मंधाना	कानपुर
1110.	नारबाल	कानपुर
1111.	नौरंगा	कानपुर
1112.	पाली	कानपुर
1113.	पटारा	कानपुर
1114.	प्रेमपुर (नगर)	कानपुर
1115.	पुरबामीर	कानपुर
1116.	रेउना	कानपुर
1117.	रूमा	कानपुर
1118.	सचेंदी	कानपुर
1119.	सजेती	कानपुर
1120.	सखरेज	कानपुर
1121.	सरसौल	कानपुर
1122.	शिवधारी	कानपुर
1123.	शिवराजपुर	कानपुर

1	2	3
1124.	तिस्ती	कानपुर
1125.	उमरी	कानपुर
1126.	उत्तरीपुरा	कानपुर
1127.	अकबरपुर	कानपुर देहात
1128.	असलतगंज	कानपुर देहात
1129.	बाबपुर	कानपुर देहात
1130.	बान गांव	कानपुर देहात
1131.	बरौर	कानपुर देहात
1132.	डेरापुर	कानपुर देहात
1133.	गजनेर	कानपुर देहात
1134.	गलुआपुर	कानपुर देहात
1135.	हसेमऊ	कानपुर देहात
1136.	जैनपुर	कानपुर देहात
1137.	झिंझक	कानपुर देहात
1138.	कहींजरी	कानपुर देहात
1139.	काशीपुर	कानपुर देहात
1140.	मैठा ब्लाक	कानपुर देहात
1141.	मैठा रेलवे स्टेशन	कानपुर देहात
1142.	मालसा	कानपुर देहात
1143.	मंगलपुर	कानपुर देहात
1144.	मवार	कानपुर देहात
1145.	मिंडाकौन	कानपुर देहात
1146.	मुसा नगर	कानपुर देहात
1147.	मुंगीशापुर	कानपुर देहात

1	2	3
1148.	नडीहा बुजुर	कानपुर देहात
1149.	नोनारी	कानपुर देहात
1150.	प्रेमपुर देहात	कानपुर देहात
1151.	पुखरायां (देहात)	कानपुर देहात
1152.	राजपुर	कानपुर देहात
1153.	रसधन	कानपुर देहात
1154.	रसूलाबाद	कानपुर देहात
1155.	रूरा	कानपुर देहात
1156.	सरबन खेडा	कानपुर देहात
1157.	शाहजहां पुर	कानपुर देहात
1158.	शेवली	कानपुर देहात
1159.	सिंकदरा	कानपुर देहात
1160.	अहिरौली बाजार	कुशी नगर
1161.	बरहारा गंज	कुशी नगर
1162.	बोदरबाड	कुशी नगर
1163.	कैप्टन गंज	कुशी नगर
1164.	छितौनी	कुशी नगर
1165.	दुधाई	कुशी नगर
1166.	फाजिल नगर	कुशी नगर
1167.	हाता	कुशी नगर
1168.	जतारा बाजार	कुशी नगर
1169.	जौरा बाजार	कुशी नगर
1170.	कसिया	कुशी नगर
1171.	कठ कुईयां	कुशी नगर
1172.	खडडा	कुशी नगर
1173.	कुबेर अस्थान	कुशी नगर
1174.	लक्ष्मी गंज	कुशी नगर
1175.	मानसा छपरा	कुशी नगर
1176.	मंसूर गंज	कुशी नगर
1177.	मठौली	कुशी नगर
1178.	मोतीचक	कुशी नगर
1179.	निबुआ नौरंगी	कुशी नगर
1180.	पदरौना	कुशी नगर
1181.	पिपरा बाजार	कुशी नगर
1182.	रामकोला	कुशी नगर
1183.	रविन्द्र नगर	कुशी नगर
1184.	सखोपार	कुशी नगर
1185.	सलेम गढ़	कुशी नगर
1186.	समौर	कुशी नगर
1187.	सेखवानिया	कुशी नगर
1188.	सेवरौही	कुशी नगर
1189.	सुकरौली	कुशी नगर
1190.	तमकुही राज	कुशी नगर
1191.	तरया सुजान	कुशी नगर
1192.	तेकुआतर	कुशी नगर
1193.	अभयपुर	लखीमपुर
1194.	अइरा	लखीमपुर
1195.	अजान	लखीमपुर

1	2	3
1196.	अजबापुर	लखीमपुर
1197.	अमीर नगर	लखीमपुर
1198.	अमृत पुर	लखीमपुर
1199.	अंदेस नगर	लखीमपुर
1200.	औरंगाबाद	लखीमपुर
1201.	बहमानपुर	लखीमपुर
1202.	बांकीगंज	लखीमपुर
1203.	बारागांव	लखीमपुर
1204.	बरबार	लखीमपुर
1205.	बेहती अफगान	लखीमपुर
1206.	बेलापएरसुबा	लखीमपुर
1207.	बेलरायां	लखीमपुर
1208.	भानपुर	लखीमपुर
1209.	भीरा	लखीमपुर
1210.	बीजुबा	लखीमपुर
1211.	चाहमल्पुर	लखीमपुर
1212.	दौदपुर	लखीमपुर
1213.	धकेरवा	लखीमपुर
1214.	धौराहरा	लखीमपुर
1215.	गाजियापुर	लखीमपुर
1216.	गोला-1	लखीमपुर
1217.	गोला-2	लखीमपुर
1218.	इसानगर	लखीमपुर
1219.	जलालपुर	लखीमपुर
1220.	जस नगर	लखीमपुर
1221.	झंडी राव	लखीमपुर
1222.	जंगबहादुर जी	लखीमपुर
1223.	काडिया	लखीमपुर
1224.	काला आम	लखीमपुर
1225.	कासता	लखीमपुर
1226.	काटौली	लखीमपुर
1227.	खजूरिया	लखीमपुर
1228.	कुकरा	लखीमपुर
1229.	एल.एम.पी. सी-डाट	लखीमपुर
1230.	एलएमपी-एलआरपी क्रौसी	लखीमपुर
1231.	एलएमपी मेला ग्रोठ	लखीमपुर
1232.	मदनापुर	लखीमपुर
1233.	माहेंगापुर	लखीमपुर
1234.	मैगालगंज	लखीमपुर
1235.	मैलानी	लखीमपुर
1236.	माझगेन	लखीमपुर
1237.	मामरी	लखीमपुर
1238.	मितौली	लखीमपुर
1239.	मोहम्मदी	लखीमपुर
1240.	मुदासावाराम	लखीमपुर
1241.	नारवा	लखीमपुर
1242.	निघासन	लखीमपुर
1243.	ओएल	लखीमपुर

1	2	3
1244.	पदारिया तुला	लखीमपुर
1245.	पालिया कलान	लखीमपुर
1246.	पासगावान	लखीमपुर
1247.	फारधान	लखीमपुर
1248.	फाट्टेपुर	लखीमपुर
1249.	फूल बेहार	लखीमपुर
1250.	पिपारियाधानी	लखीमपुर
1251.	राजागंज	लखीमपुर
1252.	राखेटी	लखीमपुर
1253.	रामिया बेहार	लखीमपुर
1254.	सलीमाबाद	लखीमपुर
1255.	सामपुरना नागा	लखीमपुर
1256.	संसारपुर	लखीमपुर
1257.	शंकरपुर रा	लखीमपुर
1258.	शरदानगर	लखीमपुर
1259.	सिकन्दराबाद	लखीमपुर
1260.	सिंधाउना	लखीमपुर
1261.	सिंघई	लखीमपुर
1262.	सिसैया	लखीमपुर
1263.	सुन्दरवाल	लखीमपुर
1264.	टिकोनिया	लखीमपुर
1265.	उचौलिया	लखीमपुर
1266.	विष्णुपुरी	लखीमपुर
1267.	वासलीपुर	लखीमपुर
1268.	बानपुर	ललितपुर
1269.	बानसी	ललितपुर
1270.	बार	ललितपुर
1271.	बिरधा	ललितपुर
1272.	दैलवाड़ा	ललितपुर
1273.	धौरा	ललितपुर
1274.	गुरहा	ललितपुर
1275.	जाखौरा	ललितपुर
1276.	जाखलौन	ललितपुर
1277.	कल्याणपुरा	ललितपुर
1278.	कुम्हेरी	ललितपुर
1279.	ललितपुर	ललितपुर
1280.	मादाबारा	ललितपुर
1281.	मेहरौनी	ललितपुर
1282.	नारहाट	ललितपुर
1283.	पाली	ललितपुर
1284.	पाथा	ललितपुर
1285.	पुरा बिरधा	ललितपुर
1286.	राजघाट	ललितपुर
1287.	सैदपुर	ललितपुर
1288.	सरबस कालान	ललितपुर
1289.	तालबेहत	ललितपुर
1290.	तालबेहत आर्मी	ललितपुर
1291.	विजयपुरा	ललितपुर

1	2	3
1292.	ए.पी. सेन रोड	लखनऊ
1293.	आलमबाग	लखनऊ
1294.	अमेठी	लखनऊ
1295.	अर्जुनगंज	लखनऊ
1296.	बक्शी का तालाब	लखनऊ
1297.	बानथरा	लखनऊ
1298.	भादेवान	लखनऊ
1299.	भोदेवान मेन	लखनऊ
1300.	बिजनोर	लखनऊ
1301.	बोरामाठ	लखनऊ
1302.	चिनहाट	लखनऊ
1303.	चौक डीटीओ	लखनऊ
1304.	दालीगंज	लखनऊ
1305.	दासौली	लखनऊ
1306.	देवा रोड	लखनऊ
1307.	दिलकुशा	लखनऊ
1308.	फतहगंज	लखनऊ
1309.	गनेशगंज	लखनऊ
1310.	गंगा सिचाइपू	लखनऊ
1311.	गंगागंज	लखनऊ
1312.	गोमती नगर	लखनऊ
1313.	गोमती नगर एमए	लखनऊ
1314.	गौसेनगंज	लखनऊ
1315.	हरौनी	लखनऊ
1316.	हरदोई रोड	लखनऊ
1317.	इन्दिरानगर एमए	लखनऊ
1318.	इन्दिरा नगर आरएस	लखनऊ
1319.	इटाउंजा	लखनऊ
1320.	जानकीपुरम	लखनऊ
1321.	जापलिंग रोड	लखनऊ
1322.	जवाहर भावा	लखनऊ
1323.	काहला	लखनऊ
1324.	कैसरबाग माई	लखनऊ
1325.	कैसरबाग आरएलयू	लखनऊ
1326.	कैसरबाग आरएलयू	लखनऊ
1327.	काकोरी	लखनऊ
1328.	कल्याणपुर	लखनऊ
1329.	कारोरा	लखनऊ
1330.	कासमंडी कालान	लखनऊ
1331.	काटी बागिया	लखनऊ
1332.	खादरा	लखनऊ
1333.	कृष्णानगर	लखनऊ
1334.	केएसबी एनटी मेन II	लखनऊ
1335.	कुम्हरावान	लखनऊ
1336.	कुरदई	लखनऊ
1337.	लोनहा	लखनऊ
1338.	महानगर माई	लखनऊ
1339.	मलीहाबाद	लखनऊ

1	2	3
1340.	माल	लखनऊ
1341.	मेमाओरा	लखनऊ
1342.	मोहनलालगंज	लखनऊ
1343.	मोहराकलान	लखनऊ
1344.	मुंशी पुलिया	लखनऊ
1345.	नबी पनाह	लखनऊ
1346.	न्यु हैदराबा	लखनऊ
1347.	निगोहान	लखनऊ
1348.	निराला नगर	लखनऊ
1349.	पीजी आई	लखनऊ
1350.	रहीमाबाद	लखनऊ
1351.	राजाजीपुरम	लखनऊ
1352.	राजेन्द्रनगर नागा	लखनऊ
1353.	रामनरवेड़ा	लखनऊ
1354.	सहादतगंज	लखनऊ
1355.	सहारा एस्टेट	लखनऊ
1356.	सामेसी	लखनऊ
1357.	सेक्रेट्रिएट	लखनऊ
1358.	सैक्टर-10 इन्दिरा	लखनऊ
1359.	सैक्टर-19 इन्दिरा	लखनऊ
1360.	सैक्टर-8 इन्दिरा	लखनऊ
1361.	सैक्टर-जी कानपुर	लखनऊ
1362.	सेक्टर के अलीगा	लखनऊ
1363.	शारदानगर	लखनऊ
1364.	सिसेन्दी	लखनऊ
1365.	टीपी नगर	लखनऊ
1366.	तालकटोरा	लखनऊ
1367.	त्रिवेनी नगर	लखनऊ
1368.	विभूतिखंड	लखनऊ
1369.	विकास नगर	लखनऊ
1370.	विक्रम खंड	लखनऊ
1371.	विश्वास खंड	लखनऊ
1372.	अद्दाबाजार	महाराजगंज
1373.	आनंद नगर ए	महाराजगंज
1374.	बधया	महाराजगंज
1375.	बहादुरी बाजार	महाराजगंज
1376.	भीतोली	महाराजगंज
1377.	बृजमानगंज	महाराजगंज
1378.	चौक	महाराजगंज
1379.	गंगई बाजार	महाराजगंज
1380.	धुधाली	महाराजगंज
1381.	खुंताहा	महाराजगंज
1382.	कोल्हुई	महाराजगंज
1383.	लक्ष्मीपुर	महाराजगंज
1384.	मछलीगांव	महाराजगंज
1385.	महाराजगंज-ए	महाराजगंज
1386.	मिधोरा	महाराजगंज
1387.	मुजूरी	महाराजगंज

1	2	3
1388.	नौतानावा	महाराजगंज
1389.	निचलौल	महाराजगंज
1390.	पानीयारा	महाराजगंज
1391.	परसामलिक	महाराजगंज
1392.	परतावल	महाराजगंज
1393.	पुरंदरपुर	महाराजगंज
1394.	सिसवा	महाराजगंज
1395.	सोनौली	महाराजगंज
1396.	तूथीबारी	महाराजगंज
1397.	अजनार	माहोबा
1398.	चारखारी	माहोबा
1399.	गांधीनगर	माहोबा
1400.	जैतपुर	माहोबा
1401.	कबराई	माहोबा
1402.	खरेला	माहोबा
1403.	कुलपहार	माहोबा
1404.	माहोबा	माहोबा
1405.	पहरा	माहोबा
1406.	पनबड़ी	माहोबा
1407.	रेवई	माहोबा
1408.	श्रीनगर	माहोबा
1409.	आर्यपुर खेड़ा	मैनपुरी
1410.	असरगढ़ी	मैनपुरी
1411.	औरंघ	मैनपुरी
1412.	बरनाहल	मैनपुरी
1413.	बेवर	मैनपुरी
1414.	भरौल	मैनपुरी
1415.	भोगांव	मैनपुरी
1416.	भुजा का फूल	मैनपुरी
1417.	देहुली	मैनपुरी
1418.	एका	मैनपुरी
1419.	धिरोर	मैनपुरी
1420.	जागीर	मैनपुरी
1421.	जसराना	मैनपुरी
1422.	ज्योति	मैनपुरी
1423.	कल्याणपुर	मैनपुरी
1424.	करहल	मैनपुरी
1425.	केशरी	मैनपुरी
1426.	किशनी	मैनपुरी
1427.	कुचेला	मैनपुरी
1428.	कुरावली	मैनपुरी
1429.	कुसमारा	मैनपुरी
1430.	लम्बुआ	मैनपुरी
1431.	मदनपुर	मैनपुरी
1432.	मैनपुरी-I	मैनपुरी
1433.	मैनपुरी-II	मैनपुरी
1434.	मखनपुर	मैनपुरी
1435.	नगला गुलाल	मैनपुरी

1	2	3
1436.	नगला मझ	मैनपुरी
1437.	नौनेर	मैनपुरी
1438.	नवीगंज	मैनपुरी
1439.	परहम	मैनपुरी
1440.	पेगू	मैनपुरी
1441.	सम्मन	मैनपुरी
1442.	शिकोहाबाद	मैनपुरी
1443.	सिरसागंज	मैनपुरी
1444.	सिरसागंज	मैनपुरी
1445.	सुल्तानगंज	मैनपुरी
1446.	सुन्नामई	मैनपुरी
1447.	ऊंचा इस्लामाबा	मैनपुरी
1448.	अदरी	मऊ
1449.	ऐलक	मऊ
1450.	अमिला	मऊ
1451.	अतरसावन	मऊ
1452.	बारागांव	मऊ
1453.	भोझी	मऊ
1454.	चकरा	मऊ
1455.	चिरयाकोट	मऊ
1456.	दोहरीघाट	मऊ
1457.	दुबरी	मऊ
1458.	हल्दरपुर	मऊ
1459.	हथिन्नी	मऊ
1460.	कल्यानपुर	मऊ
1461.	करहा	मऊ
1462.	करीसठ	मऊ
1463.	कटिहारी	मऊ
1464.	खुराहट	मऊ
1465.	कोपगंज	मऊ
1466.	कोरौली	मऊ
1467.	कुर्ती जफरपुर	मऊ
1468.	कुसमौर	मऊ
1469.	मधुबन	मऊ
1470.	मर्यादपुर	मऊ
1471.	मऊ	मऊ
1472.	मऊ सिविल लाइन्स	मऊ
1473.	मऊ इंडस्ट्रीयल	मऊ
1474.	मऊ पश्चिम	मऊ
1475.	मौरबोझ	मऊ
1476.	मऊ आर एस यू	मऊ
1477.	मोहम्मदाबाद	मऊ
1478.	नदवा सराय	मऊ
1479.	परसुपुर	मऊ
1480.	पिपरासत	मऊ
1481.	रानीपुर	मऊ
1482.	रतनपुरा	मऊ
1483.	सरसेना	मऊ

1	2	3
1484.	सिपाह	मऊ
1485.	सुग्गीचौरी	मऊ
1486.	सुल्तानपुर	मऊ
1487.	सूरजपुर	मऊ
1488.	अदालहत	मिर्जापुर
1489.	अदलपुरा	मिर्जापुर
1490.	आघवार	मिर्जापुर
1491.	अहरौरा	मिर्जापुर
1492.	बहुटी	मिर्जापुर
1493.	बघुआ	मिर्जापुर
1494.	चेतगंज	मिर्जापुर
1495.	चुनार	मिर्जापुर
1496.	दूबरकला	मिर्जापुर
1497.	हाल्लिया	मिर्जापुर
1498.	हरगढ़	मिर्जापुर
1499.	जमुवा बाजार	मिर्जापुर
1500.	जमुई	मिर्जापुर
1501.	झरना	मिर्जापुर
1502.	जिगना	मिर्जापुर
1503.	ज्यूती (गुरसंडी)	मिर्जापुर
1504.	कैलहट	मिर्जापुर
1505.	कलवारी	मिर्जापुर
1506.	कुबरी पतेहर	मिर्जापुर
1507.	लालगंज	मिर्जापुर
1508.	मगराहा	मिर्जापुर
1509.	महूगढ़	मिर्जापुर
1510.	मरीहन	मिर्जापुर
1511.	मिर्जापुर-I	मिर्जापुर
1512.	मिर्जापुर-II	मिर्जापुर
1513.	नारायणपुर	मिर्जापुर
1514.	पडरी	मिर्जापुर
1515.	पाहो	मिर्जापुर
1516.	पेड़ापुर	मिर्जापुर
1517.	पुर्जागीर	मिर्जापुर
1518.	राजगढ़	मिर्जापुर
1519.	रामगढ़	मिर्जापुर
1520.	रामपुर	मिर्जापुर
1521.	शक्तेशगढ़	मिर्जापुर
1522.	विंध्याचल	मिर्जापुर
1523.	आसपुर देवसर	प्रतापगढ़
1524.	अंतू	प्रतापगढ़
1525.	अठेहा	प्रतापगढ़
1526.	बाबूगंज	प्रतापगढ़
1527.	बधराम	प्रतापगढ़
1528.	बानी	प्रतापगढ़
1529.	बरीकला	प्रतापगढ़
1530.	भगवतगंज	प्रतापगढ़
1531.	बिहार	प्रतापगढ़

1	2	3
1532.	दारापुर	प्रतापगढ़
1533.	दीवानगंज	प्रतापगढ़
1534.	देल्हूपुर	प्रतापगढ़
1535.	डेरवा	प्रतापगढ़
1536.	धकवा	प्रतापगढ़
1537.	धीग्रावास	प्रतापगढ़
1538.	फटनपुर	प्रतापगढ़
1539.	गांधी बाजार	प्रतापगढ़
1540.	गढ़ी मणिकपुर	प्रतापगढ़
1541.	गढ़वारा	प्रतापगढ़
1542.	गौराडांड	प्रतापगढ़
1543.	गोटनी	प्रतापगढ़
1544.	हथगांव	प्रतापगढ़
1545.	हीरागंज	प्रतापगढ़
1546.	जगेशरगंज	प्रतापगढ़
1547.	जलेसरगंज	प्रतापगढ़
1548.	जामतली	प्रतापगढ़
1549.	के. हनुमानगंज	प्रतापगढ़
1550.	कलाकंकर	प्रतापगढ़
1551.	कटरा मेड़नीगन	प्रतापगढ़
1552.	कटरा गुलाब सिंह	प्रतापगढ़
1553.	किठौर बाजार	प्रतापगढ़
1554.	कोहदौर	प्रतापगढ़
1555.	कुंदा	प्रतापगढ़
1556.	लालगंज	प्रतापगढ़
1557.	लक्ष्मीगंज	प्रतापगढ़
1558.	मान्धाता	प्रतापगढ़
1559.	मंगरौरा	प्रतापगढ़
1560.	मोहनगंज	प्रतापगढ़
1561.	नारंगपुर	प्रतापगढ़
1562.	नवाबगंज	प्रतापगढ़
1563.	पट्टी	प्रतापगढ़
1564.	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़
1565.	प्रतापगढ़ चि.	प्रतापगढ़
1566.	पृथ्वीगंज बाजार	प्रतापगढ़
1567.	पृथ्वीगंज-ए	प्रतापगढ़
1568.	पुरेधनऊ	प्रतापगढ़
1569.	राजापुर	प्रतापगढ़
1570.	रामगंज	प्रतापगढ़
1571.	रामपुर खास	प्रतापगढ़
1572.	रानीगंज	प्रतापगढ़
1573.	रानीगंज कांठ	प्रतापगढ़
1574.	रसूलाहा	प्रतापगढ़
1575.	सधाहा	प्रतापगढ़
1576.	साहबगंज	प्रतापगढ़
1577.	सैफाबाद	प्रतापगढ़
1578.	समशेरगंज	प्रतापगढ़
1579.	सांगीपुर	प्रतापगढ़

1	2	3
1580.	संग्रामगढ़	प्रतापगढ़
1581.	तेजगढ़	प्रतापगढ़
1582.	विशुनाथगांव	प्रतापगढ़
1583.	ऐहर	रायबरेली
1584.	अमावन	रायबरेली
1585.	अतौरा बुजुर्ग	रायबरेली
1586.	बाबूगंज	रायबरेली
1587.	बछरवां	रायबरेली
1588.	बेहटा कलां	रायबरेली
1589.	बेनीमाधोगंज	रायबरेली
1590.	भादोखर	रायबरेली
1591.	भोजपुर	रायबरेली
1592.	बिन्नावन	रायबरेली
1593.	छतोह	रायबरेली
1594.	चौक	रायबरेली
1595.	दालमऊ	रायबरेली
1596.	देअदौर	रायबरेली
1597.	दीह	रायबरेली
1598.	फुर्सतगंज	रायबरेली
1599.	गंगागंज	रायबरेली
1600.	गुरूबक्सगंज	रायबरेली
1601.	हल्लोर	रायबरेली
1602.	हरचंदपुरा	रायबरेली
1603.	हरदोई	रायबरेली
1604.	इनहौना	रायबरेली
1605.	जगतपुर	रायबरेली
1606.	जैस	रायबरेली
1607.	के.पी. संदावा	रायबरेली
1608.	खजूरगांव	रायबरेली
1609.	खैरया बाजार	रायबरेली
1610.	खिरौन	रायबरेली
1611.	कुन्दनगंज	रायबरेली
1612.	कुरीसुदैली	रायबरेली
1613.	लालगंज	रायबरेली
1614.	लोडवमऊ	रायबरेली
1615.	मोजोरगंज	रायबरेली
1616.	मतिगंज	रायबरेली
1617.	मौगर्वी	रायबरेली
1618.	नसीराबाद	रायबरेली
1619.	परीपहाड़गढ़	रायबरेली
1620.	परसादपुर	रायबरेली
1621.	पुरे शुक्ल	रायबरेली
1622.	रायबरेली-सी डाट	रायबरेली
1623.	रायबरेली-ओसीबी	रायबरेली
1624.	राजा फतेहपुर	रायबरेली
1625.	राजा मऊ	रायबरेली
1626.	रामगंज	रायबरेली
1627.	रामपुर कलां	रायबरेली

1	2	3
1628.	रातापुर	रायबरेली
1629.	सालोन	रायबरेली
1630.	सरेनी	रायबरेली
1631.	सेगहांव	रायबरेली
1632.	सेमारी	रायबरेली
1633.	सेमरौटा	रायबरेली
1634.	शाहमऊ	रायबरेली
1635.	शंकरगंज	रायबरेली
1636.	शिवगढ़	रायबरेली
1637.	तिलोई	रायबरेली
1638.	उमरान	रायबरेली
1639.	ऊंचाहार	रायबरेली
1640.	बगौली	रायबरेली
1641.	बागनगर	रायबरेली
1642.	बखीरा	रायबरेली
1643.	बेलवा सेंगर	संत कबीर नगर
1644.	चुरेब	संत कबीर नगर
1645.	धनघाटा	संत कबीर नगर
1646.	हैसर बाजार	संत कबीर नगर
1647.	हरिहरपुर	संत कबीर नगर
1648.	कालिजगदीशपुर	संत कबीर नगर
1649.	खलिलाबाद	संत कबीर नगर
1650.	लौहरौली	संत कबीर नगर
1651.	मधाहार	संत कबीर नगर
1652.	महूली	संत कबीर नगर
1653.	महदावाल	संत कबीर नगर
1654.	नाथनगर	संत कबीर नगर
1655.	पांच पोखरी	संत कबीर नगर
1656.	पौली	संत कबीर नगर
1657.	सांठा	संत कबीर नगर
1658.	सेमरियावां	संत कबीर नगर
1659.	अभिया	संत रविदासनगर
1660.	असताव	संत रविदासनगर
1661.	बाबूसराय	संत रविदासनगर
1662.	बार्की	संत रविदासनगर
1663.	बसवापुर	संत रविदासनगर
1664.	भदौली	संत रविदासनगर
1665.	दशरथपुर	संत रविदासनगर
1666.	धनतुलसी	संत रविदासनगर
1667.	दुर्गागंज	संत रविदासनगर
1668.	गोपीगंज	संत रविदासनगर
1669.	गोसाई बाजार	संत रविदासनगर
1670.	ज्ञानपुर	संत रविदासनगर
1671.	जंगीगंज	संत रविदासनगर
1672.	काटरा	संत रविदासनगर
1673.	खमारिया	संत रविदासनगर
1674.	कोरौना	संत रविदासनगर
1675.	महाराजगंज	संत रविदासनगर

1	2	3
1676.	मामहर	संत रविदासनगर
1677.	नाई बाजार (बीडीआई)	संत रविदासनगर
1678.	पार्सीपुर	संत रविदासनगर
1679.	पियारोपुर	संत रविदासनगर
1680.	सेमाई	संत रविदासनगर
1681.	सुभाषनगर	संत रविदासनगर
1682.	सुरियावां	संत रविदासनगर
1683.	घटारा	संत रविदासनगर
1684.	ठगापुर	संत रविदासनगर
1685.	अल्लाहगंज	शाहजहांपुर
1686.	अतिबाड़ा	शाहजहांपुर
1687.	बांदा	शाहजहांपुर
1688.	बन्धाड़ा	शाहजहांपुर
1689.	बारेली मोड़	शाहजहांपुर
1690.	बरतारा	शाहजहांपुर
1691.	बसंतपुर	शाहजहांपुर
1692.	बिलातापुर	शाहजहांपुर
1693.	चुरासियां	शाहजहांपुर
1694.	गुरैया	शाहजहांपुर
1695.	जैतीपुर	शाहजहांपुर
1696.	जलालबाद	शाहजहांपुर
1697.	जमूनियां	शाहजहांपुर
1698.	कांठ	शाहजहांपुर
1699.	खंडार	शाहजहांपुर
1700.	खेड़ा भजेड़ा	शाहजहांपुर
1701.	खुदागंज	शाहजहांपुर
1702.	कुरिया कलां	शाहजहांपुर
1703.	करिया खुर्द	शाहजहांपुर
1704.	मदनापुर	शाहजहांपुर
1705.	मिरानपुर कटरा	शाहजहांपुर
1706.	मिर्जापुर	शाहजहांपुर
1707.	मोहनपुर	शाहजहांपुर
1708.	मुकरामपुर	शाहजहांपुर
1709.	नाडिल	शाहजहांपुर
1710.	पारौड़	शाहजहांपुर
1711.	पोवावां	शाहजहांपुर
1712.	रोसा	शाहजहांपुर
1713.	शाहजहांपुर	शाहजहांपुर
1714.	सिधोली	शाहजहांपुर
1715.	सुजानपुर	शाहजहांपुर
1716.	थिंगाड़ी	शाहजहांपुर
1717.	तिलहाड़	शाहजहांपुर
1718.	औरातल	सिद्धार्थ नगर
1719.	बधाया	सिद्धार्थ नगर
1720.	बांसी	सिद्धार्थ नगर
1721.	बरहनी	सिद्धार्थ नगर
1722.	बेवा	सिद्धार्थ नगर
1723.	भवानीगंज	सिद्धार्थ नगर

1	2	3
1724.	बिर्दपुर	सिद्धार्थ नगर
1725.	बिसकोहर	सिद्धार्थ नगर
1726.	चेतिया	सिद्धार्थ नगर
1727.	दलदला	सिद्धार्थ नगर
1728.	देदाई	सिद्धार्थ नगर
1729.	धरमसिंगा	सिद्धार्थ नगर
1730.	इमारियागंज	सिद्धार्थ नगर
1731.	गोलाहुड़ा	सिद्धार्थ नगर
1732.	इटवा	सिद्धार्थ नगर
1733.	ककराहवा	सिद्धार्थ नगर
1734.	कठेला	सिद्धार्थ नगर
1735.	खुनियावां	सिद्धार्थ नगर
1736.	लोटन	सिद्धार्थ नगर
1737.	पारसा	सिद्धार्थ नगर
1738.	पथाराबाजर	सिद्धार्थ नगर
1739.	पेंडारी	सिद्धार्थ नगर
1740.	सिद्धार्थनगर	सिद्धार्थ नगर
1741.	सोरठागढ़	सिद्धार्थ नगर
1742.	तिलौली	सिद्धार्थ नगर
1743.	उसता बाजार	सिद्धार्थ नगर
1744.	अख्तियारपुर	सीतापुर
1745.	आनंद नगर	सीतापुर
1746.	अटारिया	सीतापुर
1747.	बड़ागांव	सीतापुर
1748.	बहादुरगंज	सीतापुर
1749.	बहेरवा	सीतापुर
1750.	बानसुर	सीतापुर
1751.	बड़गावां	सीतापुर
1752.	बेहमा	सीतापुर
1753.	मंडिया	सीतापुर
1754.	भिटौरा	सीतापुर
1755.	बिसवां	सीतापुर
1756.	चांदपुर	सीतापुर
1757.	गोडला मऊ	सीतापुर
1758.	गोपालपुर	सीतापुर
1759.	गोराइच चौड़	सीतापुर
1760.	हरगांव	सीतापुर
1761.	इंदरौली	सीतापुर
1762.	जहांगीराबाद	सीतापुर
1763.	जलालपुर	सीतापुर
1764.	झरेखापुर	सीतापुर
1765.	कमलापुर	सीतापुर
1766.	कसरैला	सीतापुर
1767.	कटेसर	सीतापुर
1768.	काजी कमालपुर	सीतापुर
1769.	खैराबाद	सीतापुर
1770.	लहरपुर	सीतापुर
1771.	लालपुर	सीतापुर

1	2	3
1772.	मच्छरेहरा	सीतापुर
1773.	महाराजनगर	सीतापुर
1774.	महमूदाबाद	सीतापुर
1775.	महौली	सीतापुर
1776.	मानपुर	सीतापुर
1777.	मिसरिख	सीतापुर
1778.	मुंशीगंज	सीतापुर
1779.	नीमसर	सीतापुर
1780.	नेड़ी	सीतापुर
1781.	नियामूपुर	सीतापुर
1782.	पदराखा	सीतापुर
1783.	पतेपुर	सीतापुर
1784.	पर्वादा	सीतापुर
1785.	पिसवां	सीतापुर
1786.	रामगढ़	सीतापुर
1787.	रामकोट	सीतापुर
1788.	रामपुर माथुर	सीतापुर
1789.	रियोसा	सीतापुर
1790.	सकारन	सीतापुर
1791.	सांडा	सीतापुर
1792.	सांझा कौरांव	सीतापुर
1793.	सरायां	सीतापुर
1794.	सियोरा	सीतापुर
1795.	शाहपुर	सीतापुर
1796.	सिटोली	सीतापुर
1797.	सीतापुर	सीतापुर
1798.	तालगांव	सीतापुर
1799.	तामचैड़	सीतापुर
1800.	थानगांव	सीतापुर
1801.	अनपाड़ा	सोनभद्र
1802.	बभानी	सोनभद्र
1803.	बकिड़ा हवां	सोनभद्र
1804.	बीना	सोनभद्र
1805.	चौपन	सोनभद्र
1806.	चुर्क	सोनभद्र
1807.	दूबेपुर	सोनभद्र
1808.	इधी	सोनभद्र
1809.	धोरावल	सोनभद्र
1810.	इमलीपुर	सोनभद्र
1811.	कचनारवां	सोनभद्र
1812.	ककराही	सोनभद्र
1813.	किर्बिल	सोनभद्र
1814.	कोटा	सोनभद्र
1815.	माधूपुर	सोनभद्र
1816.	महूली	सोनभद्र
1817.	मारकुंडी	सोनभद्र
1818.	मूरपुर	सोनभद्र
1819.	नाई बाजार	सोनभद्र

1	2	3
1820.	औबरा	सोनभद्र
1821.	पीपरी	सोनभद्र
1822.	पोठी पाथर	सोनभद्र
1823.	रामगढ़	सोनभद्र
1824.	रेणूसागर	सोनभद्र
1825.	रिहांदनगर	सोनभद्र
1826.	राबर्टसगंज	सोनभद्र
1827.	शाहगंज	सोनभद्र
1828.	शक्तिनगर	सोनभद्र
1829.	वरदिया	सोनभद्र
1830.	विमगंज	सोनभद्र
1831.	बदला चूराह	श्रावस्ती
1832.	भैंगाहा	श्रावस्ती
1833.	भिंगा	श्रावस्ती
1834.	गिलौला	श्रावस्ती
1835.	इकौना	श्रावस्ती
1836.	जमूनाहा	श्रावस्ती
1837.	लक्ष्मणपुर	श्रावस्ती
1838.	माल्हीपुर	श्रावस्ती
1839.	सिरसिया	श्रावस्ती
1840.	श्रावस्ती	श्रावस्ती
1841.	आनापुर	सुल्तानपुर
1842.	अखंडनगर	सुल्तानपुर
1843.	अलीगंज	सुल्तानपुर
1844.	अलीपुर सारवां	सुल्तानपुर
1845.	अमेठी	सुल्तानपुर
1846.	अमहार	सुल्तानपुर
1847.	बाबूगंज	सुल्तानपुर
1848.	बाघूपुर	सुल्तानपुर
1849.	बघूवा कलां	सुल्तानपुर
1850.	भगौना	सुल्तानपुर
1851.	बगियागांव	सुल्तानपुर
1852.	बरौसा	सुल्तानपुर
1853.	बेलहारी	सुल्तानपुर
1854.	बेलवाय	सुल्तानपुर
1855.	भदैया	सुल्तानपुर
1856.	भडार	सुल्तानपुर
1857.	भेटूवा	सुल्तानपुर
1858.	चंदा	सुल्तानपुर
1859.	छिटेपट्टी	सुल्तानपुर
1860.	डीह धागुपू	सुल्तानपुर
1861	दिल्ली बाजार	सुल्तानपुर
1862.	धम्मौर	सुल्तानपुर
1863.	धनपतगंज	सुल्तानपुर
1864.	दोस्तपुर	सुल्तानपुर
1865.	फुलौना	सुल्तानपुर
1866.	गौरीगंज	सुल्तानपुर
1867.	गोसाईगंज	सुल्तानपुर

1	2	3
1868.	हनुमान गंज	सुल्तानपुर
1869.	हरिहरपुर	सुल्तानपुर
1870.	जगदीशपुर	सुल्तानपुर
1871.	जगदीशपुर (आई.ए.)	सुल्तानपुर
1872.	कादीपुर	सुल्तानपुर
1873.	करौंदी कालन	सुल्तानपुर
1874.	कोयरीपुर	सुल्तानपुर
1875.	कोर्वा	सुल्तानपुर
1876.	कुरेभार	सुल्तानपुर
1877.	कुरवार	सुल्तानपुर
1878.	लंभुआ	सुल्तानपुर
1879.	मादेरिका	सुल्तानपुर
1880.	महोना	सुल्तानपुर
1881.	मोतीगरपुर	सुल्तानपुर
1882.	मुरिलाडीह	सुल्तानपुर
1883.	मुसाफिरखाना	सुल्तानपुर
1884.	राजापुर	सुल्तानपुर
1885.	संग्रामपुर	सुल्तानपुर
1886.	सेमरी	सुल्तानपुर
1887.	शंभुगंज	सुल्तानपुर
1888.	शंकरगढ़	सुल्तानपुर
1889.	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर
1890.	तिकारी	सुल्तानपुर
1891.	वालीपुर	सुल्तानपुर
1892.	वारिसगंज	सुल्तानपुर
1893.	आचलगंज	उन्नाव
1894.	अजगेन	उन्नाव
1895.	अशोहा	उन्नाव
1896.	अवास विकास	उन्नाव
1897.	बदारका	उन्नाव
1898.	बंगरमाऊ	उन्नाव
1899.	बारा	उन्नाव
1900.	बारादेव टोंडा	उन्नाव
1901.	बेहता भवानी	उन्नाव
1902.	भगवंत नागा	उन्नाव
1903.	भवानीगंज	उन्नाव
1904.	बिछिया	उन्नाव
1905.	बिघापुर	उन्नाव
1906.	सिविल लाइन्स	उन्नाव
1907.	देवगांव	उन्नाव
1908.	धानी खेरा	उन्नाव
1909.	फतेहपुर चाऊ	उन्नाव
1910.	गंज मोरादाबा	उन्नाव
1911.	हसनगंज	उन्नाव
1912.	जैतीपुर	उन्नाव
1913.	कालूखेड़ा	उन्नाव
1914.	कंथा	उन्नाव
1915.	केदार खेरा	उन्नाव

1	2	3
1916.	कुरसाथ	उन्नाव
1917.	नगरवाड़ा	उन्नाव
1918.	मगरयार	उन्नाव
1919.	मौरावन	उन्नाव
1920.	मिरी कालान	उन्नाव
1921.	मियानगंज	उन्नाव
1922.	मोहन	उन्नाव
1923.	मुसंदी	उन्नाव
1924.	मुस्तफाबाद	उन्नाव
1925.	नई सरायं	उन्नाव
1926.	नरायणपुर	उन्नाव
1927.	नवाबगंज	उन्नाव
1928.	पी.डी. नगर	उन्नाव
1929.	पादरी कलां	उन्नाव
1930.	पहाड़पुर	उन्नाव
1931.	रलूसाबाद	उन्नाव
1932.	साफीपुर	उन्नाव
1933.	शंकरपुर एसए	उन्नाव
1934.	शट्टीहीन खेर	उन्नाव
1935.	शुक्लागंज	उन्नाव
1936.	सिकंदरपुर एसए	वाराणसी
1937.	सिकंदरपुर केएआर	वाराणसी
1938.	सोहारमाऊ	वाराणसी
1939.	अयार	वाराणसी
1940.	बबातपुर	वाराणसी
1941.	भागाती	वाराणसी
1942.	चौबेपुर	वाराणसी
1943.	चोलापुर	वाराणसी
1944.	दानगंज	वाराणसी
1945.	गोराई बाजार	वाराणसी
1946.	हारहुआ	वाराणसी
1947.	हाथी बाजार	वाराणसी
1948.	जगतपुर	वाराणसी
1949.	जखीनी	वाराणसी
1950.	जालहुपुर	वाराणसी
1951.	जांसा	वाराणसी
1952.	कैथी	वाराणसी
1953.	कटौना	वाराणसी
1954.	कोटवा	वाराणसी
1955.	मिरजामुराद	वाराणसी
1956.	फूलपुर	वाराणसी
1957.	राम नगर सिटी	वाराणसी
1958.	रामनगर-आईए	वाराणसी
1959.	सेवापुरी	वाराणसी
1960.	सिंधोरा	वाराणसी
1961.	टिकरी	वाराणसी
1962.	उमराहा	वाराणसी
1963.	विरान कोट	वाराणसी

1	2	3
1964.	वीएस-बेनिया ओसीबी	वाराणसी
1965.	वीएस-बेनिया आरएलयू	वाराणसी
1966.	वीएस-बिशेशारगा	वाराणसी
1967.	वीएस-ब्रीज एंकलेव	वाराणसी
1968.	वीएस-कैंट	वाराणसी
1969.	वीएस-चंद्रा	वाराणसी
1970.	वीएस-डी.एल.डब्ल्यू.	वाराणसी
1971.	वीएस-दूर्गाकुंड	वाराणसी
1972.	वीएस-गोडोवलिया	वाराणसी
1973.	वीएस-गोलगड्डा	वाराणसी
1974.	वीएस-हस्तीरथ	वाराणसी
1975.	वीसए-लालपुर	वाराणसी
1976.	वीएस-लोहटा	वाराणसी
1977.	वीएस-मछोदरी	वाराणसी
1978.	वीएस-महामनापु	वाराणसी
1979.	वीएस-महमुरगा	वाराणसी
1980.	वीएस-मंदुआदीह	वाराणसी
1981.	वीएस-पहड़िया	वाराणसी
1982.	वीएस-पाराओ	वाराणसी
1983.	वीएस-सामनेघाट	वाराणसी
1984.	वीएस-संजयनागा	वाराणसी
1985.	वीएस-सारनाथ	वाराणसी
1986.	वीएस-शिवपुर	वाराणसी
1987.	वीएस-शिवपुरवा	वाराणसी
1988.	वीएस-तेलियाबाघ	वाराणसी
1989.	वीएस-विजय नगर	वाराणसी

सर्किल का नाम : उत्तर प्रदेश (पश्चिम)

क्र.सं.	एसएसए का नाम	एक्सचेंज का नाम
1	2	3
1.	आगरा	एजी-अर्जुन नगर
2.	आगरा	एजी-अर्जुन नगर
3.	आगरा	एजी-बालेनगंज
4.	आगरा	एजी-बल्केश्वर
5.	आगरा	एजी-बोडला
6.	आगरा	एजी-सीटीओ
7.	आगरा	एजी-दयालबाग
8.	आगरा	एजी-दयालबाग
9.	आगरा	एजी-फाऊंड्री नगर
10.	आगरा	एजी-फाऊंड्री नगर
11.	आगरा	एजी-ईदगाह
12.	आगरा	एजी-जयपुर हाऊस
13.	आगरा	एजी-जयपुर हाऊस
14.	आगरा	एजी-लायर्स कालोनी
15.	आगरा	एजी-मधु नगर
16.	आगरा	एजी-नुनीहाई
17.	आगरा	एजी-एस प्लेस
18.	आगरा	एजी-एस प्लेस
19.	आगरा	एजी-शालीमार
20.	आगरा	एजी-शालीमार
21.	आगरा	एजी-शाहीद नगर

1	2	3
22.	आगरा	एजी-शाहगंज
23.	आगरा	एजी-सीमन्स
24.	आगरा	एजी-सिकन्दरा
25.	आगरा	एजी-टीपी नगर
26.	आगरा	एजी-ताज नगरी
27.	आगरा	एजी-ताज नगरी
28.	आगरा	एजी-टैक्स
29.	आगरा	एजी-टैक्स
30.	आगरा	एजी-एस प्लेस
31.	आगरा	अच्छनेरा
32.	आगरा	अकोला
33.	आगरा	अंवल खेड़ा
34.	आगरा	बछगांव
35.	आगरा	बाह
36.	आगरा	बरौली अहीर
37.	आगरा	बरहान
38.	आगरा	बटेश्वर
39.	आगरा	भद्रौली
40.	आगरा	बिछपड़ी
41.	आगरा	बृथला
42.	आगरा	डबराई
43.	आगरा	डौकी
44.	आगरा	धिमसरी
45.	आगरा	डिगनेर

1	2	3
46.	आगरा	एतमादपुर
47.	आगरा	फरीहा
48.	आगरा	फतेहाबाद
49.	आगरा	फतेहपुर सीकरी
50.	आगरा	फिरोजाबाद मेन
51.	आगरा	फिरोजाबाद ईडब्ल्यूएसडी
52.	आगरा	हजरतपुर
53.	आगरा	इरादत नगर
54.	आगरा	इतौड़ा
55.	आगरा	जगनेर
56.	आगरा	जैनगारा
57.	आगरा	जैतपुर कलां
58.	आगरा	कगरोल
59.	आगरा	कलाल खेड़िया
60.	आगरा	खेडोली
61.	आगरा	खेरागढ़
62.	आगरा	कीरावाली
63.	आगरा	कोटला
64.	आगरा	कुबेरपुर
65.	आगरा	कुंडोल
66.	आगरा	कुंडोल
67.	आगरा	लाडुखेड़ा
68.	आगरा	मालपुरा
69.	आगरा	मतसेना

1	2	3
70.	आगरा	भिडकपुर
71.	आगरा	नड़ाऊ
72.	आगरा	नागलाबीच
73.	आगरा	नागला मिर्जा
74.	आगरा	नारखी
75.	आगरा	पठौली
76.	आगरा	पीनाहाट
77.	आगरा	राजा का टाल
78.	आगरा	रणकाटा
79.	आगरा	सैयां
80.	आगरा	सरेधी
81.	आगरा	शम्साबाद
82.	आगरा	श्रीनगर
83.	आगरा	सुहाग नगर
84.	आगरा	तांतपुर
85.	आगरा	टेहरा
86.	आगरा	टेहरा
87.	आगरा	टुंडला
88.	आगरा	टुंडला
89.	अलीगढ़	एएलजी ई-10बीडी-1
90.	अलीगढ़	एएलजीएनईसी डी-2
91.	अलीगढ़	एएलजी सी-डाट
92.	अलीगढ़	एएलजी दिल्ली गेट
93.	अलीगढ़	एएलजी दिल्ली गेट
94.	अलीगढ़	एएलजी धानीपुर मंडी
95.	अलीगढ़	एएलजी कृष्णापुरम
96.	अलीगढ़	एएलजी सास्नी गेट
97.	अलीगढ़	एएलजी ताला नगरी
98.	अलीगढ़	एएलजी एमसीसी
99.	अलीगढ़	अकराबाद
100.	अलीगढ़	अंदाला
101.	अलीगढ़	अतरौली
102.	अलीगढ़	बमनोली
103.	अलीगढ़	बसई बबास
104.	अलीगढ़	बेसवान
105.	अलीगढ़	बिजोली
106.	अलीगढ़	बुंधांसी
107.	अलीगढ़	चांदोसा
108.	अलीगढ़	चान्दापा
109.	अलीगढ़	छारा
110.	अलीगढ़	दादों
111.	अलीगढ़	एहन
112.	अलीगढ़	गभाना
113.	अलीगढ़	गनगिरी
114.	अलीगढ़	गोमट
115.	अलीगढ़	गोंडा
116.	अलीगढ़	गोराई
117.	अलीगढ़	हसाई

1	2	3
118.	अलीगढ़	हाथरस जंक्शन
119.	अलीगढ़	हाथरस ई 10बी
120.	अलीगढ़	हाथरस सी-डाट
121.	अलीगढ़	हाथरस मथुर
122.	अलीगढ़	हाथरस एएलजी आरओए
123.	अलीगढ़	इग्लास
124.	अलीगढ़	जलाली
125.	अलीगढ़	जरोठ
126.	अलीगढ़	जत्तारी
127.	अलीगढ़	कछोरा
128.	अलीगढ़	कासीमपुर सी डाट-ए
129.	अलीगढ़	खैर ऐक्स-ए
130.	अलीगढ़	खुर्रमपुर
131.	अलीगढ़	कोड़ियागंज
132.	अलीगढ़	कोटा
133.	अलीगढ़	लाडपुर
134.	अलीगढ़	लोधा
135.	अलीगढ़	मद्राक
136.	अलीगढ़	मालव
137.	अलीगढ़	मन माहो
138.	अलीगढ़	मुस्सान
139.	अलीगढ़	नागलाबीरसहाय
140.	अलीगढ़	नागला विरखु
141.	अलीगढ़	पोरा
142.	अलीगढ़	रायपुर दलपटपु
143.	अलीगढ़	रसेरी
144.	अलीगढ़	सलेमपुर
145.	अलीगढ़	सासनी आरएलयू
146.	अलीगढ़	सिकन्दरा राव
147.	अलीगढ़	टप्पल
148.	अलीगढ़	विजयगढ़
149.	अलीगढ़	वाजिदपुर
150.	बदाऊं	अल्लापुर
151.	बदाऊं	आसफपुर
152.	बदाऊं	बबराला
153.	बदाऊं	बिल्सी
154.	बदाऊं	बिनावर
155.	बदाऊं	बिसौली
156.	बदाऊं	बुडौन
157.	बदाऊं	सिविल लाइन आरएसयू
158.	बदाऊं	दातागंज
159.	बदाऊं	देहगावन
160.	बदाऊं	दायतोरी
161.	बदाऊं	गावन
162.	बदाऊं	गुलारिया
163.	बदाऊं	गन्नौर
164.	बदाऊं	हजरपुर
165.	बदाऊं	हसनपुर

1	2	3
166.	बदाऊं	इस्लाम नगर
167.	बदाऊं	इस्लाम नगर आरएसयू
168.	बदाऊं	जुनावई
169.	बदाऊं	झुकसा
170.	बदाऊं	काछला
171.	बदाऊं	कादर चौक
172.	बदाऊं	ककराला
173.	बदाऊं	करनपुर
174.	बदाऊं	मिआऊं
175.	बदाऊं	मुडिया धेकी
176.	बदाऊं	रिसौली
177.	बदाऊं	राजपुरा
178.	बदाऊं	सैजन
179.	बदाऊं	सोलंकीनगर
180.	बदाऊं	सहसवान
181.	बदाऊं	सैदपुर
182.	बदाऊं	सखानु
183.	बदाऊं	टीसीएल बबराला
184.	बदाऊं	उझानी
185.	बदाऊं	उसवान
186.	बदाऊं	उसैट
187.	बदाऊं	वजीरगंज
188.	बरेली	अगरास
189.	बरेली	अलीगंज
190.	बरेली	अमौर
191.	बरेली	आवोन्ला
192.	बरेली	आवोन्ला II
193.	बरेली	बहेड़ी I
194.	बरेली	बहेड़ी
195.	बरेली	बलिया
196.	बरेली	भीतोरा
197.	बरेली	भोजीपुरा
198.	बरेली	बहादुरपुर
199.	बरेली	भूरियान
200.	बरेली	भूटा
201.	बरेली	बिलपुर आरएसयू
202.	बरेली	बिशारतगंज
203.	बरेली	बीआर-बनखाना
204.	बरेली	बीआर-सीबी गंज
205.	बरेली	बीआर-सीबी गंज
206.	बरेली	बीआर-कैंट
207.	बरेली	बीआर-कैंट
208.	बरेली	बीआर-चोपला
209.	बरेली	बीआर-चोपला
210.	बरेली	बीआर-दुर्गानगर
211.	बरेली	बीआर-हस्तमन
212.	बरेली	बीआर-आईएएफ गेट
213.	बरेली	बीआर-आईएएफ गेट

1	2	3
214.	बरेली	बीआर-मड़ीनाथ
215.	बरेली	बीआर-मड़ीनाथ
216.	बरेली	बीआर-प्रेमनगर
217.	बरेली	बीआर-किला
218.	बरेली	बीआर-राजेन्द्र नगर
219.	बरेली	बीआर-राजेन्द्र नगर
220.	बरेली	बीआर-राजेन्द्र नगर
221.	बरेली	बीआर-राजेन्द्र नगर
222.	बरेली	बीआर-नार्थ सिटी
223.	बरेली	बीआर-संजय कॉम
224.	बरेली	बीआर-सूफी टोला
225.	बरेली	बीआर-सुभाष नगर
226.	बरेली	बीआर-टीपी नगर
227.	बरेली	बीआर-विश्वविद्यालय
228.	बरेली	बीआर-लालफाटक
229.	बरेली	चमरौला
230.	बरेली	चांदपुर
231.	बरेली	देवचारा
232.	बरेली	देवरानिआ
233.	बरेली	ढकंज
234.	बरेली	धनेता
235.	बरेली	धौरातंडा
236.	बरेली	दुनका
237.	बरेली	हरहरपुर एमएटीके
238.	बरेली	गुपराला
239.	बरेली	इफ्फको आओन्ला
240.	बरेली	जादवपुर
241.	बरेली	जोखानपुर
242.	बरेली	कन्मान
243.	बरेली	कताई मिल
244.	बरेली	कुआं डांडा
245.	बरेली	कन्मान
246.	बरेली	लौंगपुर
247.	बरेली	मेनपुर
248.	बरेली	मीरगंज
249.	बरेली	मुडिया नवीबक्स
250.	बरेली	नवाबगंज
251.	बरेली	पनवारिया
252.	बरेली	पीताम्बरपुर
253.	बरेली	पीताम्बरपुर आरएसयू
254.	बरेली	रामनगर
255.	बरेली	रिच्वा
256.	बरेली	राजपुरकला
257.	बरेली	स्थौरा
258.	बरेली	सेन्थल
259.	बरेली	सिरौली
260.	बरेली	संतोष गोंटिया
261.	बरेली	साही

1	2	3
262.	बरेली	शीशगढ़
263.	बरेली	शेरगढ़
264.	बरेली	व्योधन खुर्द
265.	बिजनौर	अफजल गढ़
266.	बिजनौर	बाघरपुर
267.	बिजनौर	बाढ़पुर
268.	बिजनौर	बारूकी
269.	बिजनौर	बसंतपुर
270.	बिजनौर	बस्ता
271.	बिजनौर	बेनीपुरकोपा
272.	बिजनौर	भागुवाला
273.	बिजनौर	भोगपुर
274.	बिजनौर	बिजनौर एमबीएम
275.	बिजनौर	बिजनौर आरएसयू I
276.	बिजनौर	बिजनौर आरएसयू II
277.	बिजनौर	चकराजमल
278.	बिजनौर	चंदोक
279.	बिजनौर	चांदपुर
280.	बिजनौर	धमपुर एमबीएम
281.	बिजनौर	धमपुर आरएसयू
282.	बिजनौर	धुंदली
283.	बिजनौर	धूंधली
284.	बिजनौर	गजरौला शिव
285.	बिजनौर	गंज
286.	बिजनौर	गोहावर
287.	बिजनौर	हल्दौर
288.	बिजनौर	हरेवली
289.	बिजनौर	हीमपुर
290.	बिजनौर	जलीलपुर
291.	बिजनौर	झालू
292.	बिजनौर	कदराबाद
293.	बिजनौर	कालागढ़
294.	बिजनौर	कालूवाला
295.	बिजनौर	काजमपुर
296.	बिजनौर	खजूरी
297.	बिजनौर	खंडसाल
298.	बिजनौर	खसपुरा
299.	बिजनौर	कीरतपुर
300.	बिजनौर	कोतवाली
301.	बिजनौर	मुहआ
302.	बिजनौर	मंडावली
303.	बिजनौर	मंडावर
304.	बिजनौर	मोहदपुर एमडीएल
305.	बिजनौर	मोहदपुर राजोरी
306.	बिजनौर	नागल सोती
307.	बिजनौर	नगीना
308.	बिजनौर	नजीबाबाद एमबीएम
309.	बिजनौर	नजीबाबाद आरएसयू

1	2	3
310.	बिजनौर	नारायण खेड़ी
311.	बिजनौर	नारायणपुर
312.	बिजनौर	नीन्दू
313.	बिजनौर	नहतौर
314.	बिजनौर	नूरपुर
315.	बिजनौर	पदारथपुर
316.	बिजनौर	पाडली
317.	बिजनौर	पुरैनी
318.	बिजनौर	पुरेनी
319.	बिजनौर	रायपुर सादत
320.	बिजनौर	रायपुरी
321.	बिजनौर	राजा का ताजपुर
322.	बिजनौर	रामपुर
323.	बिजनौर	साहसपुर
324.	बिजनौर	सिवहर
325.	बिजनौर	शेरकोट
326.	बिजनौर	सिसोना
327.	बिजनौर	सुआवला
328.	बिजनौर	सुंदरपुर
329.	बिजनौर	तंडा मंदास
330.	बिजनौर	तड़कोला
331.	बिजनौर	थटजाट
332.	बिजनौर	वीरूवाला
333.	बुलंदशहर	आगोटा
334.	बुलंदशहर	अरनिया
335.	बुलंदशहर	अहमदगढ़
336.	बुलंदशहर	अनूपशहर
337.	बुलंदशहर	औरंगाबाद
338.	बुलंदशहर	बराल
339.	बुलंदशहर	बी बी नगर
340.	बुलंदशहर	बेलोन
341.	बुलंदशहर	बिरोली
342.	बुलंदशहर	बिबयाना
343.	बुलंदशहर	बुगरासी
344.	बुलंदशहर	बुलंदशहर-एएसआर रोड
345.	बुलंदशहर	बुलंदशहर आवास विकास
346.	बुलंदशहर	भूर बीएसआर
347.	बुलंदशहर	भूर बीएसआर
348.	बुलंदशहर	मोती बाग बीएसआर
349.	बुलंदशहर	मोती बाग बीएसआर
350.	बुलंदशहर	चितसौन
351.	बुलंदशहर	छतारी
352.	बुलंदशहर	चोल चोकी
353.	बुलंदशहर	दानपर
354.	बुलंदशहर	डीएवी बीएसआर
355.	बुलंदशहर	देबई
356.	बुलंदशहर	गंगथाला
357.	बुलंदशहर	गुलाओठी

1	2	3
358.	बुलंदशहर	जडोल
359.	बुलंदशहर	जहांगीरबाद
360.	बुलंदशहर	जरागवन
361.	बुलंदशहर	खुर्जा
362.	बुलंदशहर	खुर्जा
363.	बुलंदशहर	खुर्जा सिटी
364.	बुलंदशहर	खुर्जा जंक्शन
365.	बुलंदशहर	करोरा
366.	बुलंदशहर	कारनवास
367.	बुलंदशहर	खानपुर
368.	बुलंदशहर	खड़गवारी
369.	बुलंदशहर	मखैना
370.	बुलंदशहर	नरोरा
371.	बुलंदशहर	पहासू
372.	बुलंदशहर	परतापुर
373.	बुलंदशहर	पोटा बादशाहपुर
374.	बुलंदशहर	सियाना
375.	बुलंदशहर	सियाना
376.	बुलंदशहर	शिकारपुर
377.	बुलंदशहर	सहकारी नगर
378.	बुलंदशहर	सिकन्दराबाद
379.	बुलंदशहर	सिकन्दराबाद सिटी
380.	बुलंदशहर	सिकन्दराबाद सतेली
381.	बुलंदशहर	ऊंचगांव

1	2	3
382.	एटा	अचलपुर
383.	एटा	अलीगंज
384.	एटा	अमनपुर
385.	एटा	अवागढ़
386.	एटा	बहानपुर
387.	एटा	बसुंधरा
388.	एटा	भारगेन
389.	एटा	बिल्सांद
390.	एटा	धोलाना
391.	एटा	धुमरी
392.	एटा	एटा
393.	एटा	गंजदुंदवारा
394.	एटा	गढ़ी
395.	एटा	जयथारा
396.	एटा	जलेसर
397.	एटा	करतारला
398.	एटा	कासगंज
399.	एटा	मलावन
400.	एटा	मरेहारा
401.	एटा	मिरेचा
402.	एटा	मोहनपुर
403.	एटा	मोहनपुरा
404.	एटा	मुईदीनपुर
405.	एटा	नेवली

1	2	3
406.	एटा	निधोली कला
407.	एटा	पटिआली
408.	एटा	पिलुआ
409.	एटा	पोन्डारी
410.	एटा	राजा का रामपुर
411.	एटा	सहावर
412.	एटा	सिधपुरा
413.	एटा	सिरसा टिप्पू
414.	एटा	सोरोन
415.	एटा	थाना दरीवगंज
416.	एटा	ऊंचगांव
417.	एटा	पपलाड्डा
418.	गाजियाबाद	अक्कापुर
419.	गाजियाबाद	बहादुरगढ़
420.	गाजियाबाद	बहादुरपुर
421.	गाजियाबाद	बृजघाट
422.	गाजियाबाद	सीईएल
423.	गाजियाबाद	पिरोडी
424.	गाजियाबाद	सीटीकेएसबी अयालोसकार्य
425.	गाजियाबाद	सीटीकेएसबी सुपर टीईसी
426.	गाजियाबाद	सीटीकेएसबी अंसल
427.	गाजियाबाद	सीटी एसएचई मेन
428.	गाजियाबाद	हेहराकुटी
429.	गाजियाबाद	धौलाना
430.	गाजियाबाद	दोसा बजारपुर
431.	गाजियाबाद	दुहाई
432.	गाजियाबाद	फरीद नगर
433.	गाजियाबाद	गढ़ मुक्तेश्वर
434.	गाजियाबाद	गढ़ मुक्तेश्वर डब्ल्यू
435.	गाजियाबाद	गढ़रोड हापुड़
436.	गाजियाबाद	गोविंदपुरम
437.	गाजियाबाद	हीरो नगर
438.	गाजियाबाद	हापुड़
439.	गाजियाबाद	हापुड़ डब्ल्यूएलएल
440.	गाजियाबाद	हरसिंहपुर
441.	गाजियाबाद	इंदरापुरम
442.	गाजियाबाद	झरीना
443.	गाजियाबाद	कोशाम्बी
444.	गाजियाबाद	कुछेश्वर रोड
445.	गाजियाबाद	लोनी
446.	गाजियाबाद	मसूरी
447.	गाजियाबाद	मंडोला
448.	गाजियाबाद	मोदीनगर
449.	गाजियाबाद	मोदीनगर डब्ल्यूएलएल
450.	गाजियाबाद	माडल टाउन
451.	गाजियाबाद	मोहन नगर
452.	गाजियाबाद	मुरादनगर

1	2	3
453.	गाजियाबाद	मुदफरा
454.	गाजियाबाद	मुरादनिजारसंर
455.	गाजियाबाद	नान
456.	गाजियाबाद	नानपुर
457.	गाजियाबाद	नंदग्राम
458.	गाजियाबाद	नेहरूनगर
459.	गाजियाबाद	नूरपुर
460.	गाजियाबाद	परपा
461.	गाजियाबाद	पटेलमार्ग
462.	गाजियाबाद	पाटला
463.	गाजियाबाद	पिलकुवां
464.	गाजियाबाद	प्रताप विहार
465.	गाजियाबाद	राजनगर डी-1
466.	गाजियाबाद	राजनगर डी-2
467.	गाजियाबाद	राजनगर डी-3
468.	गाजियाबाद	राजनगर डब्ल्यूएलएल
469.	गाजियाबाद	राजनगर डब्ल्यूएलएल सीडीएमए
470.	गाजियाबाद	राबली
471.	गाजियाबाद	राजेन्द्र नगर
472.	गाजियाबाद	राय बीएसआर रोड
473.	गाजियाबाद	संजय नगर
474.	गाजियाबाद	सपनावत
475.	गाजियाबाद	एसएचई लेवल 62
476.	गाजियाबाद	शिप्रा सनसिटी
477.	गाजियाबाद	सिम्भोली
478.	गाजियाबाद	सलोनी
479.	गाजियाबाद	समाना
480.	गाजियाबाद	तलहेरा
481.	गाजियाबाद	तिलामुर
482.	गाजियाबाद	त्रिनिका सिटी
483.	गाजियाबाद	विद्युत नगर
484.	गाजियाबाद	वसुंधरा
485.	मथुरा	एंडीग
486.	मथुरा	अकोश
487.	मथुरा	अनोरा
488.	मथुरा	बाजना
489.	मथुरा	बलदेव
490.	मथुरा	बलदेव पुरी मथुरा
491.	मथुरा	बरसाना
492.	मथुरा	भराना कलां
493.	मथुरा	भूरेका
494.	मथुरा	बिसावर
495.	मथुरा	चैतन्या विहार
496.	मथुरा	चौमुहान
497.	मथुरा	छाता
498.	मथुरा	छतीकारा
499.	मथुरा	दीवाना

1	2	3
500.	मथुरा	फराह
501.	मथुरा	फराह
502.	मथुरा	गोकुल
503.	मथुरा	गोवर्धन
504.	मथुरा	हरनोल
505.	मथुरा	हसनपुर
506.	मथुरा	खैरा
507.	मथुरा	कोसीकला
508.	मथुरा	कोटबान
509.	मथुरा	कृष्ण नगर
510.	मथुरा	लोहाई
511.	मथुरा	माई
512.	मथुरा	माठ
513.	मथुरा	मथुरा ई 10 बी
514.	मथुरा	मथुरा 5 ईएसएस
515.	मथुरा	मथुरा सी-डाट
516.	मथुरा	मथुरा रिफाइनरी
517.	मथुरा	मुगर्रा
518.	मथुरा	नंदगांव
519.	मथुरा	नौगांव
520.	मथुरा	नौझील
521.	मथुरा	नीम गांव
522.	मथुरा	ओल
523.	मथुरा	पंचवार
524.	मथुरा	पाई गांव
525.	मथुरा	पालसन
526.	मथुरा	पटलौनी
527.	मथुरा	राधापुरम
528.	मथुरा	राल
529.	मथुरा	राया
530.	मथुरा	सादाबाद
531.	मथुरा	सहपऊ
532.	मथुरा	शाहपुर जटान
533.	मथुरा	शेरगढ़
534.	मथुरा	सोनाई
535.	मथुरा	सौंख
536.	मथुरा	सुरीर
537.	मथुरा	तरोली
538.	मथुरा	टाउनशिप
539.	मथुरा	यमुनापार
540.	मथुरा	उमरी
541.	मथुरा	ऊंचागांव
542.	मथुरा	वृंदावन
543.	मेरठ	अग्रवाल मंडी
544.	मेरठ	अगवान पुर
545.	मेरठ	अमी नगर सराय
546.	मेरठ	बागपत
547.	मेरठ	बलेनी

1	2	3
548.	मेरठ	बामनौली
549.	मेरठ	बड़ौत
550.	मेरठ	बड़ौत
551.	मेरठ	बेहसुमा
552.	मेरठ	बिनौली
553.	मेरठ	छपरौली
554.	मेरठ	दाबाटुबा
555.	मेरठ	दाहा
556.	मेरठ	दौराला
557.	मेरठ	धनोरा
558.	मेरठ	छिकोली
559.	मेरठ	दोगहाट
560.	मेरठ	हस्तिनापुर
561.	मेरठ	हजूराबाद
562.	मेरठ	इचोली
563.	मेरठ	जानी
564.	मेरठ	कल्याणपुर
565.	मेरठ	खरखोडा
566.	मेरठ	खेखरा
567.	मेरठ	ख्वाजा मंगला
568.	मेरठ	किरथाल
569.	मेरठ	किशनपुर बराल
570.	मेरठ	किठौर
571.	मेरठ	कोटना
572.	मेरठ	लबार
573.	मेरठ	मछरा
574.	मेरठ	मबाना
575.	मेरठ	मबाना
576.	मेरठ	मे. ब्रह्मपुरी
577.	मेरठ	मे. घंटाघर
578.	मेरठ	म. मीइत
579.	मेरठ	मे. नगला बट्टू
580.	मेरठ	मे. प्रतापुर
581.	मेरठ	मे. रोहतारोड
582.	मेरठ	मे. एस नगर (आरएसयू)
583.	मेरठ	मे. श्रद्धापुरी
584.	मेरठ	मे. बदायूं रोड
585.	मेरठ	मे. ब्रह्मपुरी
586.	मेरठ	मे. डीएलसी बीएचपी
587.	मेरठ	मे. गंगानगर
588.	मेरठ	मे. नौ चंदी
589.	मेरठ	मे. पल्लव पुरम
590.	मेरठ	मे. पल्लव पुरम
591.	मेरठ	मे. शास्त्री नगर
592.	मेरठ	मे. श्रद्धापुरी
593.	मेरठ	मे. सोफीपुर
594.	मेरठ	पचपेरा
595.	मेरठ	परीक्षित गढ़

1	2	3
596.	मेरठ	फलवाडा
597.	मेरठ	राहवती
598.	मेरठ	रसूलपुर धोलर
599.	मेरठ	रतौल
600.	मेरठ	रोहता
601.	मेरठ	सकौती
602.	मेरठ	सरधना
603.	मेरठ	सरूरपुरकलां
604.	मेरठ	सकरपुर खुर्द
605.	मेरठ	सिसोली
606.	मुरादाबाद	अगवानपुर
607.	मुरादाबाद	अकरौली
608.	मुरादाबाद	अमरोहा सी-डाट
609.	मुरादाबाद	अमरोहा आरएसयू-सी-डाट
610.	मुरादाबाद	अमरोहा बिजनौर रोड
611.	मुरादाबाद	अमरोहा कांठ रोड
612.	मुरादाबाद	अमरोहा रायपुर
613.	मुरादाबाद	अमरोहा आरएसयू (ओसीबी)
614.	मुरादाबाद	असमोली
615.	मुरादाबाद	बेहजोई
616.	मुरादाबाद	भगतपुर टांडा
617.	मुरादाबाद	भैसाली अमालपुर
618.	मुरादाबाद	भोजपुर
619.	मुरादाबाद	बिलाकुदान
620.	मुरादाबाद	बिलारी
621.	मुरादाबाद	बिलारी
622.	मुरादाबाद	चंदौसी
623.	मुरादाबाद	चंदौसी (सीता रोड)
624.	मुरादाबाद	चौधरपुर
625.	मुरादाबाद	छाजलेट
626.	मुरादाबाद	दलपत पुर
627.	मुरादाबाद	दीनगर पुर
628.	मुरादाबाद	डाबरसी
629.	मुरादाबाद	डाकटौरा
630.	मुरादाबाद	धनौरा
631.	मुरादाबाद	दिलारी
632.	मुरादाबाद	एकता विहार
633.	मुरादाबाद	गजरौला
634.	मुरादाबाद	गजरौला आरएसयू
635.	मुरादाबाद	गणेश्वरी
636.	मुरादाबाद	हकीमपुर
637.	मुरादाबाद	हसनपुर
638.	मुरादाबाद	जाटपुरा
639.	मुरादाबाद	जोया
640.	मुरादाबाद	कैल्सा
641.	मुरादाबाद	कामेलपुर
642.	मुरादाबाद	कंठ

1	2	3
643.	मुरादाबाद	कर्णपुर
644.	मुरादाबाद	खाद गुजर
645.	मुरादाबाद	कुंदेरकी
646.	मुरादाबाद	मोलकपुर सेमली
647.	मुरादाबाद	मनोता
648.	मुरादाबाद	मो. पुर टांडा
649.	मुरादाबाद	मूंदा पांडे
650.	मुरादाबाद	मु. ई 10 बी
651.	मुरादाबाद	मु. ओसीबी
652.	मुरादाबाद	मु. (सी. नगर)
653.	मुरादाबाद	मु. (मझोला)
654.	मुरादाबाद	मु. (मझोला)
655.	मुरादाबाद	मु. (सोनक पुर)
656.	मुरादाबाद	मु. (एसबीएच रोड)
657.	मुरादाबाद	मु. एस.के. चौराना
658.	मुरादाबाद	मु. (लाजपत नगर)
659.	मुरादाबाद	मु. (पीटीसी)
660.	मुरादाबाद	मु. (पीतल नगर)
661.	मुरादाबाद	मु. (पीएकेबी)
662.	मुरादाबाद	मुडा खेडा
663.	मुरादाबाद	नरौली
664.	मुरादाबाद	नौगबान सादत
665.	मुरादाबाद	पैगम्बर पुर
666.	मुरादाबाद	पनबासा
667.	मुरादाबाद	पाठकपुर
668.	मुरादाबाद	राजबपुर
669.	मुरादाबाद	रतनपुरा कलां
670.	मुरादाबाद	रतनपुर खुर्द
671.	मुरादाबाद	सैद नगली
672.	मुरादाबाद	संभल-मेन
673.	मुरादाबाद	संभल-सरायता
674.	मुरादाबाद	सिंधपुर-सैनी
675.	मुरादाबाद	सेंवदरा
676.	मुरादाबाद	शरीफ नगर
677.	मुरादाबाद	सिंघपुर सैनी
678.	मुरादाबाद	सिरसी
679.	मुरादाबाद	सुरजन नगर
680.	मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा
681.	मुरादाबाद	उझारी
682.	मुरादाबाद	उमरी कलान
683.	मुजफ्फर नगर	आलम
684.	मुजफ्फर नगर	बाबरी
685.	मुजफ्फर नगर	बघरा
686.	मुजफ्फर नगर	बाड़ौदा
687.	मुजफ्फर नगर	बसेरा
688.	मुजफ्फर नगर	बनाट
689.	मुजफ्फर नगर	बगराजपुर
690.	मुजफ्फर नगर	भोपा

1	2	3
691.	मुजफ्फर नगर	बुढ़ाणा
692.	मुजफ्फर नगर	चर्थवाल
693.	मुजफ्फर नगर	चौंतरा
694.	मुजफ्फर नगर	चौसाना
695.	मुजफ्फर नगर	छापर
696.	मुजफ्फर नगर	डुंगर
697.	मुजफ्फर नगर	दथेरा
698.	मुजफ्फर नगर	गरही अब्दुल्ला
699.	मुजफ्फर नगर	गरही पुख्ता
700.	मुजफ्फर नगर	गोयला
701.	मुजफ्फर नगर	गुरना
702.	मुजफ्फर नगर	एच. क्रोअंडा
703.	मुजफ्फर नगर	एच पी लोहड़ी
704.	मुजफ्फर नगर	जनसथ
705.	मुजफ्फर नगर	जसाला
706.	मुजफ्फर नगर	जसोई
707.	मुजफ्फर नगर	जाट मुझेरा
708.	मुजफ्फर नगर	झिंझाना
709.	मुजफ्फर नगर	कैराना
710.	मुजफ्फर नगर	ककरोली
711.	मुजफ्फर नगर	कांडला
712.	मुजफ्फर नगर	खरद
713.	मुजफ्फर नगर	खतौली
714.	मुजफ्फर नगर	कुटेशरा
715.	मुजफ्फर नगर	लंक
716.	मुजफ्फर नगर	लिसाड
717.	मुजफ्फर नगर	एपीआर सिंह
718.	मुजफ्फर नगर	मेदपुर
719.	मुजफ्फर नगर	मिरान पुर
720.	मुजफ्फर नगर	मोरनास मिल
721.	मुजफ्फर नगर	मुजफ्फर नगर ई 10 बी
722.	मुजफ्फर नगर	मुजफ्फर नगर ओसीबी
723.	मुजफ्फर नगर	मुजफ्फर नगर ओ सेंटर
724.	मुजफ्फर नगर	मुजफ्फर नगर जी कालोनी
725.	मुजफ्फर नगर	मुजफ्फर नगर प्रेमपुरी
726.	मुजफ्फर नगर	मुजफ्फर नगर एस गेट
727.	मुजफ्फर नगर	मुजफ्फर नगर महावीर चौक
728.	मुजफ्फर नगर	मुजफ्फर नगर अलमसपुर
729.	मुजफ्फर नगर	नावला
730.	मुजफ्फर नगर	निरमाना
731.	मुजफ्फर नगर	पुरकाजी
732.	मुजफ्फर नगर	रामराज
733.	मुजफ्फर नगर	रोहना
734.	मुजफ्फर नगर	शाहपुर
735.	मुजफ्फर नगर	सिकरी
736.	मुजफ्फर नगर	शामली
737.	मुजफ्फर नगर	सिखेड़ा

1	2	3
738.	मुजफ्फर नगर	सिसौली
739.	मुजफ्फर नगर	शुक्रताल
740.	मुजफ्फर नगर	सोत्ता
741.	मुजफ्फर नगर	शेरपुर
742.	मुजफ्फर नगर	ताजपुर
743.	मुजफ्फर नगर	टीएनबी
744.	मुजफ्फर नगर	तावली
745.	मुजफ्फर नगर	यूएनएन
746.	नोएडा	बिसरख
747.	नोएडा	छोलास
748.	नोएडा	दादरी
749.	नोएडा	दनकौर
750.	नोएडा	ग्रेट नोएडा डेल्टा
751.	नोएडा	जहांगीरपुर
752.	नोएडा	जेवर
753.	नोएडा	काकोरे
754.	नोएडा	कासना
755.	नोएडा	खोड़ा
756.	नोएडा	तुहारली
757.	नोएडा	एमएस नगर
758.	नोएडा	नीमका
759.	नोएडा	नेपज
760.	नोएडा	राबूपुरा
761.	नोएडा	रिठोरी
762.	नोएडा	नोएडा सेक्टर-05
763.	नोएडा	नोएडा सेक्टर-19
764.	नोएडा	नोएडा सेक्टर-19
765.	नोएडा	नोएडा सेक्टर-19
766.	नोएडा	सेक्टर 24 एनटीपीसी
767.	नोएडा	नोएडा सेक्टर 24
768.	नोएडा	नोएडा सेक्टर 29
769.	नोएडा	नोएडा सेक्टर 33
770.	नोएडा	नोएडा सेक्टर 37
771.	नोएडा	नोएडा सेक्टर 39
772.	नोएडा	नोएडा सेक्टर 51
773.	नोएडा	नोएडा सेक्टर 58
774.	नोएडा	नोएडा सेक्टर 62
775.	नोएडा	तिलपट्टा
776.	नोएडा	उद्योग केंद्र
777.	नोएडा	वेदपुरा
778.	नोएडा	डेल्टा ग्रेटर नोएडा
779.	नोएडा	डेल्टा सेक्टरी 19
780.	नोएडा	नोएडा सेक्टरी 58
781.	नोएडा	खुपुरा
782.	पिलीभीत	अमरिया
783.	पिलीभीत	बरखेड़ा
784.	पिलीभीत	भिखारीपुर
785.	पिलीभीत	बिलसंदा

1	2	3
786.	पिलीभीत	बिसलपुर
787.	पिलीभीत	गजरौला
788.	पिलीभीत	धुन्धाई
789.	पिलीभीत	ईटगांव
790.	पिलीभीत	जहानाबाद
791.	पिलीभीत	जारा
792.	पिलीभीत	कबीरगंज
793.	पिलीभीत	काघर चौराहा
794.	पिलीभीत	लालौरी खेड़ा
795.	पिलीभीत	माधोटांडा
796.	पिलीभीत	मझौला
797.	पिलीभीत	मतिनाजा पट्टी
798.	पिलीभीत	मुदलिया
799.	पिलीभीत	मुजफ्फर नगर
800.	पिलीभीत	नेवरिया
801.	पिलीभीत	पोटा
802.	पिलीभीत	पीलीभीत
803.	पिलीभीत	पीलीभीत
804.	पिलीभीत	पुरनपुर
805.	पिलीभीत	रूद्रपुर
806.	पिलीभीत	शाहघर
807.	पिलीभीत	सिमरिया
808.	पिलीभीत	टिकरी
809.	पिलीभीत	उदय कर्णपुर
810.	रामपुर	अकबराबाद
811.	रामपुर	बेगमाबाद
812.	रामपुर	बिलासपुर
813.	रामपुर	बोसेना
814.	रामपुर	बिबरा फार्म
815.	रामपुर	भोट
816.	रामपुर	चमरउआ
817.	रामपुर	चंदुपुरा
818.	रामपुर	धमोरा
819.	रामपुर	धकिया
820.	रामपुर	गोधी
821.	रामपुर	ज्वालानगर
822.	रामपुर	केमरी
823.	रामपुर	के-खेड़ा
824.	रामपुर	खोडा
825.	रामपुर	खुफिया नगला
826.	रामपुर	मसवासी
827.	रामपुर	मिलाक
828.	रामपुर	मोदीपुर
829.	रामपुर	नवाब नगर
830.	रामपुर	पटवाई
831.	रामपुर	रास डांडिया
832.	रामपुर	आर बीसी मिल
833.	रामपुर	रामपुर सिटी

1	2	3
834.	रामपुर	रामपुर सी/एल
835.	रामपुर	सैफनी
836.	रामपुर	सैदनगर
837.	रामपुर	स्वार
838.	रामपुर	टांडा
839.	सहारनपुर	अंबेहटा
840.	सहारनपुर	अंबेहटा चांद
841.	सहारनपुर	बाबैल
842.	सहारनपुर	बहेरा संदल सिंह
843.	सहारनपुर	बड़गांव
844.	सहारनपुर	बेहट
845.	सहारनपुर	भलसवां
846.	सहारनपुर	भनेड़ा
847.	सहारनपुर	बिहारी गढ़
848.	सहारनपुर	छुतमाल पुर
849.	सहारनपुर	चिलकाना
850.	सहारनपुर	देवबंद
851.	सहारनपुर	फंद पुरी
852.	सहारनपुर	गगलहेरी
853.	सहारनपुर	गनगोह
854.	सहारनपुर	गोपाली
855.	सहारनपुर	ईसलाम नगर
856.	सहारनपुर	जड़ोदा पांडा
857.	सहारनपुर	झंदेरा
858.	सहारनपुर	खेड़ा मुगल
859.	सहारनपुर	महेश्वरी
860.	सहारनपुर	मिरागपुर
861.	सहारनपुर	मिर्जापुर
862.	सहारनपुर	मुजफ्फराबाद
863.	सहारनपुर	नागल
864.	सहारनपुर	नाकुर
865.	सहारनपुर	ननौटा
866.	सहारनपुर	पाथेड़
867.	सहारनपुर	पुनवर्मा
868.	सहारनपुर	रामपुर मनिहारन
869.	सहारनपुर	रणखंडी
870.	सहारनपुर	सरसवां
871.	सहारनपुर	सहारनपुर-बेहत-रोड
872.	सहारनपुर	सहारनपुर-चिलकाना-रोड
873.	सहारनपुर	सहारनपुर-देहरादून-रोड
874.	सहारनपुर	सहारनपुर-दिल्ली-रोड
875.	सहारनपुर	सहारनपुर-गुरुद्वारा-रोड
876.	सहारनपुर	सहारनपुर-मिशन-कंपाउंट
877.	सहारनपुर	सहारनपुर-नुमाईस-कैंप
878.	सहारनपुर	सहारनपुर-पीएएक्स-एमपी
879.	सहारनपुर	सहारनपुर-शारदा नगर
880.	सहारनपुर	सहारनपुर-ताहरपुर
881.	सहारनपुर	तलहेरी बुजुर्ग
882.	सहारनपुर	तितरों
883.	सहारनपुर	टोडरपुर

केरल में चिकित्सा विश्वविद्यालय

2031. **श्री पी.सी. थामस:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल से केरल में चिकित्सा विश्वविद्यालय का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया/लिया जा रहा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) से (ग) केरल सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें राज्य में चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता मांगी गयी है। तथापि, इस मंत्रालय में ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अंतर्गत इस प्रयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके।

वैज्ञानिक विभागों की पहचान करना

2032. **श्री कीर्ति वर्धन सिंह:**
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्र के वैज्ञानिक विभागों की पहचान करने हेतु समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे स्थापित करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ङ) यदि हां, तो इस समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन सिफारिशों को कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (च) सरकार के विभिन्न संबंधित विभागों से अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

नए दूरभाष केन्द्र खोलना

2033. **श्री रूपचन्द मुर्मू:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव 2004-05 के दौरान पश्चिम बंगाल में नए दूरभाष केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी जिला-वार क्षमता कितनी है; और

(ग) इन केन्द्रों को कब तक खोले जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) 2004-2005 के दौरान पश्चिम बंगाल दूरसंचार सर्किल में नए दूरभाष केंद्र खोलने की कोई योजना नहीं है। तथापि, 2004-205 के दौरान कोलकाता टेलीफोन जिले में 20 नए दूरभाष केंद्र (डिजिटल लूप कैरियर) खोलने का प्रस्ताव किया गया है जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 480 लाइनों की होगी। इन दूरभाष केन्द्रों के स्थान संबंधी प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) नए दूरभाष केन्द्रों को 31.03.2005 तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है।

ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क सेवा में सुधार करना

2034. **श्री शिवाजी अधलराव पाटील:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सम्पूर्ण देश में, विशेषकर पुणे में ग्रामीण लैंडलाइन/मोबाइल टेलीफोन नेटवर्क संतोषजनक रूप से कार्य नहीं कर रहा है;

(ख) क्या दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर पुणे में बीएसएनएल द्वारा प्रदत्त मोबाइल सुविधाएं विफल हो गई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या लगातार शिकायतों के बावजूद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क में सुधार लाने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) ग्रामीण लैंडलाइन/मोबाइल टेलीफोन नेटवर्क सामान्यत: संतोषजनक रूप से कार्य कर रहा है। तथापि, पुणे में उत्तर स्थित 2के आरएसयू एक्सचेंज में, पुल और कुछ अन्य स्थानों

पर भूमिगत केबल अक्सर क्षतिग्रस्त हो जाया करती थी। इसकी वजह से लगभग 200 कनेक्शन प्रभावित होते थे। लेकिन समय-समय पर इन खराबियों को दूर कर दिया जाता था और अब कुछ कनेक्शनों को छोड़कर सभी कनेक्शन ठीक से कार्य कर रहे हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) में यथा उल्लिखित उत्तर स्थित एक एक्सचेंज को छोड़कर लागू नहीं होता।

(घ) ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क में सुधार करने हेतु सतत प्रयास किए जा रहे हैं। सभी एक्सचेंजों को विश्वसनीय माध्यम से जोड़ना, भूमिगत तारों की जरूरत को खत्म करने के उद्देश्य से वायरलेस इन लोकल लूप की शुरूआत, एसबीएम (सिंगल बेस माड्यूल) एक्सचेंजों को रिमोट स्विचन यूनिट (आरएसयू) में परिवर्तित करना तथा अनुरक्षण रहित बैटरियों की व्यवस्था करना इन उपायों में शामिल हैं।

केन्द्रीय भण्डार का अधिकृत एजेंसी के रूप में नामांकन

2035. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तत्कालीन सरकार केन्द्रीय भंडार चलाने में अच्छा शासन प्रदान करने में विफल हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने केन्द्रीय भंडार को 1981 में स्टेशनरी तथा अन्य वस्तुओं की आपूर्ति करने हेतु एकमात्र अधिकृत एजेंसी के रूप में नामित किया था;

(ग) यदि हां, तो सरकार का कुप्रबंधन, उचित शासन की कमी तथा घोर भ्रष्टाचार इत्यादि, जो कि केन्द्रीय भंडार में व्याप्त है, के कारण पैदा हुई स्थिति से किस प्रकार निपटने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या केन्द्रीय भंडार को सरकारी विभागों की स्टेशनरी तथा अन्य वस्तुओं की आपूर्ति करने और प्रति वर्ष सैकड़ों करोड़ रुपए की स्टेशनरी तथा अन्य वस्तुओं की आपूर्ति हेतु अलग विभाग बनाने के लिए अधिकृत करने वाले सरकारी आदेश को रद्द करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, नहीं।

(ख) दिनांक 14.07.1981 के कार्यालय ज्ञापन सभी सरकारी विभागों, कार्यालयों आदि के लिए केन्द्रीय भंडार से ही लेखन सामग्री तथा अन्य मदों की खरीद की जानी आवश्यक कर दी गई थी। बाद में इन आदेशों का दायरा बढ़ाकर एन.सी.सी.एफ. तथा सुपर बाजार को भी इसके अंतर्गत ले आया गया।

(ग) जब-जब और जैसे-जैसे शिकायतें मिलती हैं, उनकी जांच तथा सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(घ) और (ङ) 14.07.1981 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन की इस समय समीक्षा की जा रही है।

उपयोगकर्त्ताओं पर मोबाइल फोन का प्रभाव

2036. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बेल्ट में या पतलून की जेब में सेलफोन रखने से गर्भधारण की संभावनाएं कम होती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में विदेशी विशेषज्ञों के विचार मांगें हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) इस प्रकार के विशिष्ट अध्ययन मनुष्यों पर निर्णायक रूप से नहीं किए गए हैं।

(ख) मनुष्यों पर मोबाइल फोनों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए स्त्री एवं प्रसूति रोग विज्ञान विभाग, सेजेड यूनिवर्सिटी, हंगरी के डा. इमरे फेजेस तथा उनके सहकर्मियों ने एक अध्ययन किया।

(ग) हंगरी के वैज्ञानिकों ने 13 महीनों तक 221 पुरुषों का अध्ययन किया और उन पुरुषों, जो अपने फोनों का अत्यधिक उपयोग करने थे, के शुक्राणु की तुलना उन पुरुषों के शुक्राणु से की जो फोन का उपयोग नहीं करते थे। उन्होंने पाया कि सेलफोनों के दीर्घकालिक उपयोग से शुक्राणु जनन (शुक्राणु निर्माण) तथा पुरुष की जननक्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, डा. फेजेस का यह मानना है कि निष्कर्षों की पुष्टि करने के लिए और अधिक कार्य की आवश्यकता है।

(घ) जी, नहीं। तथापि, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) के अनुसार, ''हाल की किसी भी समीक्षा से यह निष्कर्ष नहीं निकला कि मोबाइल फोनों अथवा उनके बेस स्टेशनों से निकलने वाली विकिरण आवृत्ति तरंगों के प्रभावन (एक्सपोजर) से स्वास्थ्य को हानि होती है बल्कि यह निष्कर्ष निकला कि और अधिक अध्ययन की आवश्यकता है''।

(ङ) सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन के विचार से सहमत है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में मोबाइल और डब्ल्यूएलएल सेवा

2037. **डा. अरुण कुमार शर्मा:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में बीएसएनएल की मोबाइल और डब्ल्यूएलएल सेवाओं को शुरू करने की क्रियान्वयन स्थिति, स्थान-वार इनकी क्षमता और चरणवार निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) असम में बीएसएनएल और निजी मोबाइल सेवाओं दोनों की निम्न गुणवत्ता और खराब कार्यनिष्पादन के क्या कारण हैं;

(ग) इन सेवाओं को कब तक सुधार किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार दसवीं योजना के दौरान असम इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने असम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में 73 जिलों में सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदान करने की योजना बनायी थी। इन 73 जिलों में से बीएसएनएल ने अब तक 58 जिलों में सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदान की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और असम में प्रस्तावित विस्तार सहित सेल्यूलर सेवा की राज्यवार कार्यान्वयन स्थिति संलग्न *विवरण I* में दी गयी है। इसी प्रकार पूर्वोत्तर क्षेत्र और असम में प्रस्तावित विस्तार सहित डब्ल्यूएलएल सेवा की राज्यवार कार्यान्वयन स्थिति संलग्न *विवरण II* में दी गयी है।

(ख) और (ग) केवल दो सेवा प्रदाताओं नामत: मेसर्स रिलायंस टेलीकाम प्राइवेट लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने असम में मोबाइल सेवा शुरू की है। मेसर्स रिलायंस टेलीकाम प्राइवेट लिमिटेड, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों के भीतर असम में संतोषजनक सेवा प्रदान कर रहा है। बीएसएनएल ने फरवरी, 2004 में सेवा शुरू की है और सामान्यत: सेवा की गुणवत्ता संतोषजनक देखी गयी है। तथापि, कुछ क्षेत्रों में कालों की भारी संख्या के कारण हो रहे संकुलन को मौजूदा वित्तीय वर्ष अर्थात् 2004-05 के दौरान प्रस्तावित विस्तार योजनाओं के माध्यम से दूर किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) मौजूदा वित्तीय वर्ष अर्थात् 2004-05 के दौरान बीएसएनएल ने असम में 37 नये इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज संस्थापित करने की योजना बनायी है। ब्यौरा संलग्न *विवरण III* में दिया गया है। तथापि, 10वीं योजना के शेष वर्षों के लिए नेटवर्क का आगे विस्तार मांग, वाणिज्यिक व्यवहार्यता और निधियों की उपलब्धता पर आधारित होगा। इसलिए इस चरण पर ब्यौरा प्रदान नहीं किया जा सकता।

विवरण I

पूर्वोत्तर क्षेत्र और असम में सेल्युलर मोबाइल सेवा के लिए कार्यान्वयन स्थिति का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	उपलब्ध सेल्युलर क्षमता	जिलों की संख्या	कवर किए गए जिलों की संख्या	प्रस्तावित विस्तार
1.	असम	42550	23	22	100000
2.	अरुणाचल प्रदेश	14300	14	7	8250
3.	मणिपुर	8300	9	8	6950
4.	मिजोरम	8300	8	7	8000
5.	मेघालय	7300	7	6	9300
6.	नागालैंड	8300	8	5	9450
7.	त्रिपुरा	6300	4	3	8400
	कुल	95350	73	58	150350

विवरण II

पूर्वोत्तर क्षेत्र और असम में डब्ल्यूएलएल सेवा के लिए कार्यान्वयन स्थिति का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	उपलब्ध डब्ल्यूएलएल क्षमता	2004-05 के लिए योजना
1.	असम	56250	40000
2.	अरुणाचल प्रदेश	6000	17500
3.	मणिपुर	4000	12750
4.	मिजोरम	3500	11000
5.	मेघालय	9000	12000
6.	नागालैंड	5000	9750
7.	त्रिपुरा	6000	12000
	कुल	89750	115000

विवरण III

2004-05 के दौरान असम के ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजित नये टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा

क्र.सं.	एस एस ए	चालू किए जाने वाले नये टेलीफोन एक्सचेंज
1	2	3
1.	बोंगाई गांव	श्रृजंगरम
2.		रंगसई बेड़ा
3.		रूनीखेत
4.		सोथरवीटा
5.		बिशखोवा
6.		गोबराडाल
7.		गोलपाड़ा (एनएलबी)
8.		हेलेना
9.		जरागुरी
10.		काजलगांव
11.		बरनाडी
12.		निजनामाटी
13.		निकाशी
14.		नगरीजुली
15.		निमुआ
16.		गहिया
17.		बालीगुरी
18.		बगनपाड़ा
19.		बालागांव
20.	डिबरूगढ़	तिलोई
21.		खरजान
22.	जोरहट	तेगांपुखरी
23.		धिताईपुखिरी
24.		बामनपुखिरी
25.		बालीगांव
26.		रामोहनीजन
27.		सामनपुखिरी
28.	कामरूप	पानीतेमा
29.		नावोकाटा
30.		लेंगा
31.		दोराकोहरा
32.		सिंगरापाड़ा
33.	सिल्चर	कप्तानपुर
34.		सिबपुर
35.		कालीबाड़ी बाजार
36.		महानपुर
37.		कुआरपार

[हिन्दी]

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति

2038. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग उचित रखरखाव के अभाव में गत कई वर्षों से बदतर स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति सुधारने के लिए कोई योजना तैयार करने का है;

(ग) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और राष्ट्रीय राजमार्ग के किस भाग पर निर्माण कार्य शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस भाग के आसपास स्थित शहरों के नाम क्या हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध संसाधनों के अंदर यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है। तथापि, 9वीं और 10वीं योजना अवधि के दौरान लगभग 2373 कि.मी. लंबी राज्यीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया था और इन सड़कों की राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषणा के समय इनमें अपर्याप्त लेन, कमजोर सड़क व पुल ढांचा तथा सुरक्षा विशेषताओं के न होने जैसे दोष पहले से ही विद्यमान थे जिसके परिणामस्वरूप उनकी स्थिति औसत से कम है। इन कमियों को चरणबद्ध रूप में दूर किया जा रहा है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों की 719 किमी. लंबाई को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत चार का बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों की 890 किमी. लंबाई को भी सुधारने का प्रस्ताव है। शेष राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार के लिए वार्षिक योजना 2004-05 में 132 करोड़ रु. के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

(घ) उन खंडों के सुधार की योजना बना ली गई है जिन पर बिहार के महत्वपूर्ण शहर अर्थात् पटना, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, गोपालगंज, छपरा, मोतीहारी, पूर्णिया, बेगूसराय, बख्तियारपुर, मुंगेर, आरा, बक्सर, सासाराम, औरंगाबाद आदि स्थित हैं।

[अनुवाद]

परिवार कल्याण कार्यक्रमों में स्वैच्छिक संगठन

2039. डा. रामकृष्ण कुसमरिया: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मध्य प्रदेश और राजस्थान में परिवार कल्याण कार्यक्रमों में लगे स्वैच्छिक संगठनों को धनराशि उपलब्ध कराती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2002 और 2003 के दौरान उक्त राज्यों में प्रत्येक संगठन को कितनी धनराशि आबंटित की गयी है;

(घ) क्या सरकार ने इन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा धनराशि में उचित उपयोग की निगरानी के लिए किसी एजेंसी को नियुक्त किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) परिवार कल्याण कार्यक्रम की विभिन्न स्कीमों के संबंध में 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) को राज्य-वार वितरित निधियों का ब्यौरा संलग्न *विवरण I* में दिया गया है।

(घ) और (ङ) पहला वर्ष और तीसरा वर्ष पूरा करने वाले मदर एन जी ओ का मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन एजेंसी का एक पैनल गठित किया गया है। मूल्यांकन एजेंसियों की सूची संलग्न *विवरण II* पर दी गई है। उनके लेखा-परीक्षित लेखों और उपयोगिता प्रमाण पत्र की सन्तुष्टि के बाद स्कीम का सहायता अनुदान जारी किया जाता है। हिन्दुस्तान लेटेक्स फेमिली प्लानिंग प्रोमोशन ट्रस्ट द्वारा कार्यान्वित किए गए सामाजिक विपणन गर्भनिरोधक कार्यक्रम का मूल्यांकन वर्ष 2000 में इंटरनेशनल इंस्टीच्यूट फार पोपुलेशन साईसिंज, मुम्बई द्वारा किया गया है। मूल्यांकन से पता चला है कि इस कार्यक्रम ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभाव दिखाया है।

विवरण I

1. विश्व बैंक सहायता प्राप्त मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मदर एन जी ओ स्कीम

क्रमांक	मदर एन जी ओ का नाम	राज्य	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6
1.	महिला उत्कर्ष संस्थान, इंदौर	मध्य प्रदेश	-	12,00,000.00	-
2.	तरूण संस्कार, जबलपुर	मध्य प्रदेश	-	12,00,000.00	-
3.	संभव, ग्वालियर	मध्य प्रदेश	-	33,78,818.00	36,00,000.00
4.	सार्वजनिक परिवार कल्याण एवं सेवा समिति, ग्वालियर	मध्य प्रदेश	30,00,000.00	30,00,000.00	30,00,000.00
5.	संस्कार शिक्षा समिति	मध्य प्रदेश	12,00,000.00	15,33,773.00	17,61,990.00
6.	मध्य प्रदेश वी.एच.ए., इंदौर	मध्य प्रदेश	19,00,000.00	-	6,92,888.00
7.	एफपीएआई, मुम्बई (मध्य प्रदेश में एम एन जी ओ)	मध्य प्रदेश	25,00,000.00	-	32,88,868.00
8.	मेडिकल काउंसिल सेन्टर, भोपाल	मध्य प्रदेश	12,00,000.00	-	17,62,450.00
9.	श्री पार्श्वनाथ बाल मन्दिर समिति, इंदौर	मध्य प्रदेश	12,00,000.00	9,60,000.00	11,83,876.00
10.	उत्थान-सेन्टर फार सस्टेनेबल डिवलपमेंट एंड पावरटी एलीवेशन, इलाहाबाद	मध्य प्रदेश	-	-	12,00,000.00
11.	भोरूका चैरिटेबल ट्रस्ट, जयपुर	राजस्थान	17,00,000.00	-	-
12.	बोधग्राम सोसायटी फार एजूकेशन कन्सिएंटीसेशन एवेयरनैस एंड ट्रैनिंग (ई सी ए टी)	राजस्थान	-	12,00,000.00	-
13.	उरमूल, रूरल हैल्थ रिसर्च, बीकानेर	राजस्थान	10,00,000.00	30,00,000.00	-
14.	चेतना, राजस्थान	राजस्थान	10,00,000.00	-	-

II. लिंग मुद्दों संबंधी यू एन एफ पी ए द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाएं

क्रम सं.	क्रियान्वयन करने वाले गैर-सरकारी संगठन का नाम	राज्य	2001-02	2002-03
1.	स्व-सहयोग संस्था, चाकसू	राजस्थान	3,25,474.00	1,69,050.00
2.	भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर	राजस्थान	1,48,471.00	-
3.	लूपिन ह्यूमन वेल्फेयर एंड रिसर्च फाउण्डेशन	राजस्थान	-	7,73,928.00
4.	कंसरन्ड सिटीजन	राजस्थान	-	9,10,967.00

III. नव परिवर्तनकारी (इन्नोवेटिव) परियोजनाओं के अंतर्गत जारी किया गया सहायता अनुदान

क्रम सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	राज्य	2001-02	2002-03	2003-04
1.	वी एच ए आई, न्यू	मध्य प्रदेश	8,74,073.00	-	7,00,000.00

IV. मैसर्स हिन्दुस्तान लेटेक्स फेमिली प्लानिंग प्रोमोशन ट्रस्ट (एच एल एफ पी पी टी) द्वारा मध्य प्रदेश में क्रियान्वित किया गया गर्भनिरोधक सामाजिक विपणन कार्यक्रम

मैसर्स हिन्दुस्तान लेटेक्स फेमिली प्लानिंग प्रोमोशन ट्रस्ट (एच एल एफ पी पी टी)	(1) अक्टू. 2001-सित. 02	124.18 लाख रुपए
	(2) अक्टू. 2002-सित. 03	117.72 लाख रुपए

V. आर सी एच कार्यक्रमों के अंतर्गत कटनी जिला, मध्य प्रदेश हेतु स्वास्थ्य कुटीर की संकल्पना के माध्यम से आई एस एम उपचारों की जागरूकता और उपलब्धता का उन्नयन

संगठन का नाम	2002-03	2003-04
सोसाइटी फार डेवलपमेन्ट आफ ह्यूमेनिटी, जबलपुर, मध्य प्रदेश	11,44,384.00 रुपए	5,44,384.00 रुपए

विवरण II

मूल्यांकन करने वाली एजेन्सियों के नाम

1. निदेशक, भारतीय स्वास्थ्य प्रबंधन अनुसंधान संस्थान, 1, प्रभु दयाल मार्ग, सांगानेर एयरपोर्ट, जयपुर, राजस्थान।
2. निदेशक, नाबाकृष्ण चौधरी, सेन्टर फार डेवलपमेंट स्टडिज, भुवनेश्वर, 751013।
3. निदेशक, एफ पी ए आई, बजाज भवन, नरीमन प्वाइंट, मुंबई।
4. निदेशक, रा. स्वा. और प.क. संस्थान, मुनिरका, नई दिल्ली।
5. मुख्य कार्यकारी, वी एच ए आई, टोंग स्वास्थ्य भवन, 40 इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली।
6. निदेशक, सी आई एन आई, गांव-दौलतपुर, पी.ओ.-पैलान, वाया-जोका, 24 परगना, पश्चिम बंगाल-743512।
7. निदेशक, गांधीग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण ट्रस्ट संस्थान, अम्बातुरई आर.एस., जिला डिण्डीगुल, तमिलनाडु-624302।
8. निदेशक, ओम कैलाश टावर, 190 ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

घुसपैठियों के विरुद्ध संयुक्त कार्यवाही

2040. श्री जी. वेंकटस्वामी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बांग्लादेश सरकार ने भारत सरकार के विद्रोही शिविरों का पता लगाने और भारत के पूर्वोत्तर में हिंसा फैलाने में उस देश को अपने आधार के रूप में प्रयोग करने वाले घुसपैठियों को मार गिराने हेतु संयुक्त कार्यवाही करने के भारत के अनुरोध को ठुकरा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश को विशेष आर्थिक पैकेज

2041. श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार हिमाचल प्रदेश को विशेष आर्थिक पैकेज दे रही है;

(ख) यदि हां, तो गत दो पंचवर्षीय योजनाओं में प्रत्येक के दौरान दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार हिमाचल प्रदेश से सटे पंजाब के सीमावर्ती जिलों को भी विशेष आर्थिक पैकेज दे रही है;

(घ) यदि हां, तो उपरोलिखित अवधि के दौरान दी गई ऐसी सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन जिलों को हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर सहायता न देने के क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पेचिश के लिए नए ओ.आर.एस. का विनिर्माण

2042. श्री पंकज चौधरी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत देश में पेचिश के कारण प्रतिवर्ष होने वाली मौतों की संख्या को कम करने को ध्यान में रखते हुए एक नया और बेहतर घोल (ओ.आर.एस.) का विनिर्माण करने वाला पहला देश बन गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पुराने घोल की तुलना में नए घोल की कीमत क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) यद्यपि भारत नए ओ.आर.एस. का विनिर्माण करने वाला पहला देश नहीं है तथापि हाल ही में औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डी.टी.ए.बी.) ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में नई दिल्ली में दिनांक 10.04.2003 और 11.03.2004 को हुई इसकी 52वीं और 53वीं बैठक में विचार-विमर्श के पश्चात् इस बात पर सहमति व्यक्त की कि सोडियम 75 एम.एम.ओ. 1/1 और ग्लूकोज 75 एम.एम.ओ. 1/1 वाले विश्व स्वास्थ्य संगठन संस्तुत ओ.आर.एस. के फार्मुले और औस्मोलेरिटी 245 एम.एम.ओ. 1/1 को भारत में उपयोग के लिए स्वीकार किया जा सकता है और अनुमोदित संघटन (कम्पोजिशन) को भारतीय भेषज संहिता में शामिल किया जा सकता है।

(ग) इस समय, पुराने ओ.आर.एस. घोल की लागत 1.83 रुपए प्रति पैकेट और नए ओ.आर.एस. घोल की लागत 1.62 रुपए प्रति पैकेट है।

मध्य प्रदेश में दूरसंचार प्रणाली का कार्यकरण

2043. श्री गणेश सिंह: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश के सतना जिले की ग्रामीण सभा में दूरसंचार प्रणाली उचित ढंग से कार्य नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि गांव में स्थापित किए गए टावर भी कार्य नहीं कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा नई विधियों का प्रयोग करके दूरभाष सेवा उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) मध्य प्रदेश के सतना जिले की ग्रामीण सभा की दूरसंचार प्रणाली संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है। तथापि, कुछ स्थानों पर जहां टेलीफोन एमएआरआर (मल्टी एक्सेस रिले रेडियो) प्रणाली पर कार्य कर रहे हैं, वहां समस्याएं आ रही हैं।

(ग) दोषपूर्ण एमएआरआर (मल्टी एक्सेस रिले रेडियो) प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से नई प्रौद्योगिकी की वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) प्रणाली से बदलने की प्रक्रिया चल रही है।

[अनुवाद]

राजमार्ग परियोजनाएं

2044. **श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:**
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में राजमार्ग परियोजनाओं पर राजसहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार विशेषकर बिहार और महाराष्ट्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं के अंतर्गत बिल्ड-आपरेट-ट्रांसफर परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) बिल्ड-आपरेट-ट्रांसफर आधार पर गैर-राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं के लिए कौन-कौन से उद्यमियों को सूची में डाला गया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। सरकार की नीति ऐसी राजमार्ग परियोजनाओं की पूंजी लागत के 40% तक सब्सिडी देने की है जो अर्थक्षमता में वृद्धि के लिए मामला दर मामला आधार पर निर्माण-प्रचालन और हस्तांतरण के आधार पर निजी क्षेत्र की भागीदारी से शुरू की जाती हैं। ऐसी परियोजनाओं के ब्यौरा संलग्न *विवरण I* में दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत शुरू की गई बी ओ टी परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न *विवरण II* में दिया गया है।

(घ) गैर-राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना अर्थात् प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास पैनलबद्ध उद्यमियों के नाम संलग्न *विवरण III* में दिए गए हैं।

विवरण I

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथकर आधारित परियोजनाएं जिनमें सरकार द्वारा सब्सिडी दी गई है

क्रम सं.	संविदा का नाम और राज्य	राष्ट्रीय राजमार्ग	परियोजना की कुल लागत (करोड़ रु.)	सब्सिडी (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5
1.	विवेकानन्द सेतु और पहुंच मार्ग, पश्चिम बंगाल	2	641	120
2.	महापुरा (जयपुर के निकट)-किशनगढ़ (6 लेन), 273.5 कि.मी.-367.885 कि.मी., राजस्थान	8	644	211
3.	नेल्लोर-टाडा, 163.6 कि.मी.-52.8 कि.मी., आंध्र प्रदेश	5	621.35	127.3

1	2	3	4	5
4.	सतारा-कागल, 725 कि.मी.-592.24 कि.मी., महाराष्ट्र	4	600	240
5.	तुमकुर-नीलमंगला, 62 कि.मी.-29.5 कि.मी., कर्नाटक	4	155	24.83
6.	नन्दीगाम-विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश	9	138.65	40.2

विवरण II

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत बी ओ टी और वार्षिकी आधारित परियोजनाओं के ब्यौरे

क्रम सं.	संविदा का नाम और राज्य	राष्ट्रीय राजमार्ग	परियोजना की कुल लागत (करोड़ रु.)
1.	पानागढ़-पालम्मित, 517 कि.मी.-581 कि.मी., पश्चिम बंगाल	2	350
2.	पालसित-दनकुनि, 581 कि.मी.-646 कि.मी., पश्चिम बंगाल	2	432.4
3.	अंकापल्ली-तुनी, 359.2 कि.मी.-300 कि.मी., आंध्र प्रदेश	5	283.2
4.	तुनी-धरमावरम, 300 कि.मी.-253 कि.मी., आंध्र प्रदेश	5	231.9
5.	धरमावरम-राजामुंद्री, 253 कि.मी., - 200 कि.मी., आंध्र प्रदेश	5	206
6.	नेल्लोर बाईपास, 178.2 कि.मी.-161 कि.मी., आंध्र प्रदेश	5	143.2
7.	महाराष्ट्र सीमा-बेलगाम, 592 कि.मी.-515 कि.मी., कर्नाटक	4	332
8.	विवेकानन्द सेतु और पहुंच, पश्चिम बंगाल	2	641
9.	महापुरा (निकट जयपुर)-किशनगढ़ (6 लेन), 273.5 कि.मी.-367.885 कि.मी., राजस्थान	8	644
10.	नेल्लोर-टाडा, 163.6 कि.मी.-52.8 कि.मी., आंध्र प्रदेश	5	621.35
11.	सतारा-कागल, 725 कि.मी., 592.24 कि.मी., महाराष्ट्र	4	600
12.	तुमकुर-नीलमंगला, 62 कि.मी.-29.5 कि.मी., कर्नाटक	4	155
13.	नन्दीगाम-विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश	9	138.65

विवरण III

बी ओ टी आधार पर 10,000 कि.मी. के राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन का बनाने के लिए पैनलबद्ध उद्यमियों की सूची

क्र.सं.	फर्म/कंसौर्टियम का नाम और पता	कंसौर्टियम सदस्य का ब्यौरा
1	2	3
1.	श्री के. राम चन्द मुख्य कार्यपालक (इंफ्रास्ट्रक्चर), इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लि., सी-22, जी-ब्लाक, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लैक्स, बांद्रा (पूर्व), मुम्बई-400051	1. आईएलएफएस 2. एनसीसी 3. मयतास
2.	श्री के. राम चन्द मुख्य कार्यपालक (इंफ्रास्ट्रक्चर), इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लि., सी-22, जी-ब्लाक, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लैक्स, बांद्रा (पूर्व), मुम्बई-400051	1. आईएलएफएस 2. मैकनल्ली
3.	श्री के. राम चन्द मुख्य कार्यपालक (इंफ्रास्ट्रक्चर), इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लि., सी-22, जी-ब्लाक, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लैक्स, बांद्रा (पूर्व), मुम्बई-400051	1. आईएलएफएस 2. बीजी-एससीटीपीएल
4.	श्री के. राम चन्द मुख्य कार्यपालक (इंफ्रास्ट्रक्चर), इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लि., सी-22, जी-ब्लाक, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लैक्स, बांद्रा (पूर्व), मुम्बई-400051	1. आईएलएफएस 2. एनईसी
5.	श्री के. राम चन्द मुख्य कार्यपालक (इंफ्रास्ट्रक्चर), इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लि., सी-22, जी-ब्लाक, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लैक्स, बांद्रा (पूर्व), मुम्बई-400051	1. आईएलएफएस 2. टेक्नी भारती
6.	श्री के. राम चन्द मुख्य कार्यपालक (इंफ्रास्ट्रक्चर), इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लि., सी-22, जी-ब्लाक, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लैक्स, बांद्रा (पूर्व), मुम्बई-400051	1. एच.सी.सी. 2. आईएलएफएस

1	2	3
7.	श्री के. राम चन्द मुख्य कार्यपालक (इंफ्रास्ट्रक्चर), इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लि., सी-22, जी-ब्लाक, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लैक्स, बांद्रा (पूर्व), मुम्बई-400051	1. आईएलएफएस
8.	श्री के. राम चन्द मुख्य कार्यपालक (इंफ्रास्ट्रक्चर), इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लि., सी-22, जी-ब्लाक, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लैक्स, बांद्रा (पूर्व), मुम्बई-400051	1. आईएलएफएस 2. बीईएल
9.	श्री के. राम चन्द मुख्य कार्यपालक (इंफ्रास्ट्रक्चर), इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लि., सी-22, जी-ब्लाक, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लैक्स, बांद्रा (पूर्व), मुम्बई-400051	1. आईएलएफएस 2. यूआईएल
10.	श्री के. राम चन्द मुख्य कार्यपालक (इंफ्रास्ट्रक्चर), इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लि., सी-22, जी-ब्लाक, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लैक्स, बांद्रा (पूर्व), मुम्बई-400051	1. पीएलएल 2. आईएलएफएस
11.	श्री के. राम चन्द मुख्य कार्यपालक (इंफ्रास्ट्रक्चर), इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लि., सी-22, जी-ब्लाक, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लैक्स, बांद्रा (पूर्व), मुम्बई-400051	1. आईएलएफएस 2. एबीएल
12.	श्री के. राम चन्द मुख्य कार्यपालक (इंफ्रास्ट्रक्चर), इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लि., सी-22, जी-ब्लाक, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लैक्स, बांद्रा (पूर्व), मुम्बई-400051	1. आईएलएफएस 2. एमपीएल
13.	श्री के. राम चन्द मुख्य कार्यपालक (इंफ्रास्ट्रक्चर), इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लि., सी-22, जी-ब्लाक, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लैक्स, बांद्रा (पूर्व), मुम्बई-400051	1. जेएनएल 2. आईएलएफएस

1	2	3
14.	श्री के. राम चन्द मुख्य कार्यपालक (इंफ्रास्ट्रक्चर), इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लि., सी-22, जी-ब्लाक, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लैक्स, बांद्रा (पूर्व), मुम्बई-400051	1. आईएलएफएस 2. एआईपीएल
15.	श्री के. राम चन्द मुख्य कार्यपालक (इंफ्रास्ट्रक्चर), इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लि., सी-22, जी-ब्लाक, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लैक्स, बांद्रा (पूर्व), मुम्बई-400051	1. जीपीएल 2. आईएलएफएस
16.	श्री ए. सौंदरराजन, वरिष्ठ संविदा प्रबन्धक (विकास परियोजनाएं) लारसन एण्ड टुब्रो लि. ईसीसी डिवीजन, माउन्ट पूनामल्ली रोड, पो. बा. नं. 979, पानापक्कम, चेन्नई-600089	एल एण्ड टी
17.	श्री ए.जी. वाधवा, वीपी (व्यवसाय विकास) हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कं. लि., हिनकान हाउस, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, विखरोली, (पश्चिम), मुम्बई-400083	1. एच.सी.सी. 2. एल एण्ड टी
18.	श्री बी. सीनय्या, प्रबंध निदेशक, बी. सीनय्या एण्ड कं. (परियोजना) लि., 6-2-913/914, पांचवा तल, प्रोग्रेसिव टावर्स, खैरताबाद, हैदराबाद-500004	1. बीएससीपीएल 2. एल एण्ड टी 3. जीवीके
19.	श्री बी. सीनय्या, प्रबंध निदेशक, बी. सीनय्या एण्ड कं. (परियोजना) लि., 6-2-913/914, पांचवा तल, प्रोग्रेसिव टावर्स, खैरताबाद, हैदराबाद-500004	1. बीएससीपीएल 2. एल एण्ड टी 3. आईडीएफसी
20.	श्री ए. सौंदरराजन, वरिष्ठ संविदा प्रबन्धक (विकास परियोजनाएं) लारसन एण्ड टुब्रो लि. ईसीसी डिवीजन, माउन्ट पूनामल्ली रोड, पो. बा. नं. 979, पानापक्कम, चेन्नई-600089	1. एल एण्ड टी 2. आईडीएफसी

1	2	3
21.	श्री एम. गौतम रेड्डी, निदेशक, केएमसी कंस्ट्रक्शन लि., एमसीएच नं. 555, अरोरा कालोनी रोड नं. 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500034 (आ.प्र.)	1. केएमसी 2. एसआरईआई
22.	श्री आर.ए. बारोट, प्रबन्ध निदेशक, अटलान्टा इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., 101 श्री अम्बाशांती चैम्बर्स, होटल लीला के सामने, अंधेरी कुरला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400 059	1. अटलान्टा 2. एसआरईआई
23.	श्री आर.ए. बारोट, प्रबन्ध निदेशक, अटलान्टा इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., 101 श्री अम्बाशांती चैम्बर्स, होटल लीला के सामने, अंधेरी कुरला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400 059	1. अटलान्टा 2. एसआरईआई 3. जेएमसी
24.	श्री ए.एल. भाटिया, उपाध्यक्ष (विपणन), गेमन इंडिया लि., गेमन हाउस, वीर सावरकर मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई	1. जीआईएल 2. एसआरईआई
25.	श्री एम.के. पांडे, कार्यपालक निदेशक, एसआरईआई इंटरनेशनल फाइनेंस लि., 86 सी, तोपसिया रोड (दक्षिण), कोलकाता-700046	1. एमपीएल 2. एसआरईआई
26.	श्री एस.वी. वैद्य, अध्यक्ष सह निदेशक, एसआरईआई-गायत्री-वाईएस, गायत्री प्रोजेक्ट्स, लि., 6-3-1090, टीएसआर टावर्स, आरबी रोड, सोमाजीगुड़ा, हैदराबाद-50008	1. जीपीएल 2. एसआरईआई 3. वाईएस
27.	श्री एस.वी. वैद्य, अध्यक्ष सह निदेशक, एसआरईआई-गायत्री-वाईएस, गायत्री प्रोजेक्ट्स, लि., 6-3-1090, टीएसआर टावर्स, आरबी रोड, सोमाजीगुड़ा, हैदराबाद-50008	1. जीपीएल 2. एसआरईआई
28.	श्री रमेश शाह, निदेशक (एशिया), एसएनसी लवलीन इंटरनेशनल इंक, 455, रेने, लेवेसक्यू बिल्डिंग, वेस्ट, मॉंट्रियाल, क्यूबेक, कनाडा एच2 जैड1 जैड3	एसएनसी
29.	श्री रमेश शाह, निदेशक (एशिया), एसएनसी लवलीन इंटरनेशनल इंक, 455, रेने, लेवेसक्यू बिल्डिंग, वेस्ट, मॉंट्रियाल, क्यूबेक, कनाडा एच2 जैड1 जैड3	1. एसएनसी 2. मयतास

1	2	3	
30.	श्री रमेश शाह, निदेशक (एशिया), एसएनसी लवलीन इंटरनेशनल इंक, 455, रेने, लेवेसक्यू बिल्डिंग, वेस्ट, मॉंट्रियाल, क्यूबेक, कनाडा एच2 जैड1 जैड3	1. 2.	एसएनसी बीएससीपीएल
31.	श्री रमेश शाह, निदेशक (एशिया), एसएनसी लवलीन इंटरनेशनल इंक, 455, रेने, लेवेसक्यू बिल्डिंग, वेस्ट, मॉंट्रियाल, क्यूबेक, कनाडा एच2 जैड1 जैड3	1. 2. 3.	एसएनसी सोमा एनईसी
32.	श्री ए.एल. भाटिया, उपाध्यक्ष (विपणन), गेमन इंडिया लि., गेमन हाउस, वीर सावरकर मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई		जीआईएल
33.	श्री ए.एल. भाटिया, उपाध्यक्ष (विपणन), गेमन इंडिया लि., गेमन हाउस, वीर सावरकर मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई	1. 2. 3.	जीआईएल सदभाव बिल्लिमोरिया
34.	श्री ए.एल. भाटिया, उपाध्यक्ष (विपणन), गेमन इंडिया लि., गेमन हाउस, वीर सावरकर मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई	1. 2. 3.	जीआईएल सदभाव आईवीआरसीएल
35.	श्री ए.एल. भाटिया, उपाध्यक्ष (विपणन), गेमन इंडिया लि., गेमन हाउस, वीर सावरकर मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई	1. 2.	जीआईएल एसपीएमएल
36.	श्री अनिल जैन, सहा. महाप्रबन्धक (विपणन), इरकान इंटरनेशनल लि., पालिका भवन, सैक्टर 12, आर.के. पुरम, नई दिल्ली		इरकान लि.
37.	श्री अनिल जैन, सहा. महाप्रबन्धक (विपणन), इरकान इंटरनेशनल लि., पालिका भवन, सैक्टर 12, आर.के. पुरम, नई दिल्ली	1. 2.	इरकान लि. सोमा
38.	श्री अनिल जैन, सहा. महाप्रबन्धक (विपणन), इरकान इंटरनेशनल लि., पालिका भवन, सैक्टर 12, आर.के. पुरम, नई दिल्ली	1. 2.	इरकान लि. एच.सी.सी.
39.	श्री आर. राम मोहन, उपाध्यक्ष, तनीर बावी पावर कंपनी प्रा. लि., स्किप हाउस, 25/1 म्यूजियम रोड, बंगलौर	1. 2.	तनीर बावी जीएमआर इंफ्रा.

1	2	3
40.	श्री भास्कर ए. राव, उ.म.प्र. (एफ एण्ड एओ), जीएआर पावर कारपोरेशन प्रा.लि., स्किम हाउस, 25/1 म्यूजियम रोड, बंगलौर	1. तनीर बावी 2. जीएमआर पावर 3. जीएमआर इंफ्रा.
41.	श्री आर. राम मोहन, उपाध्यक्ष, तनीर बावी पावर कंपनी प्रा. लि., स्किप हाउस, 25/1 म्यूजियम रोड, बंगलौर	1. तनीर बावी 2. जीएमआर इंफ्रा. 3. एमबीएल
42.	श्री भास्कर ए. राव, उ.म.प्र. (एफ एण्ड एओ), जीएआर पावर कारपोरेशन प्रा.लि., स्किम हाउस, 25/1 म्यूजियम रोड, बंगलौर	जीएमआर पावर
43.	श्री भास्कर ए. राव, उ.म.प्र. (एफ एण्ड एओ), जीएआर पावर कारपोरेशन प्रा.लि., स्किम हाउस, 25/1 म्यूजियम रोड, बंगलौर	1. जीएमआर पावर 2. जीएमआर इंफ्रा. 3. एमवीआर
44.	श्री आर. राम मोहन, उपाध्यक्ष, तनीर बावी पावर कंपनी प्रा. लि., स्किप हाउस, 25/1 म्यूजियम रोड, बंगलौर	तनीर बावी
45.	श्री एस.सी. बसु, महाप्रबन्धक, डीएनआई बिल्डिंग, शेख जायद रोड, पो.बा. नं. 8034, दुबई	डोडसल पीटीई लि.
46.	श्री एस.सी. बसु, महाप्रबन्धक, डीएनआई बिल्डिंग, शेख जायद रोड, पो.बा. नं. 8034, दुबई	1. डोडसल पीवीटी 2. डोडसल पीटीई
47.	श्री समीर मानकद (म.प्र.), अदानी एक्सपोर्ट लि., अदानी हाउस मिठाखाली, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009 भारत	1. अदानी पोर्ट लि., 2. आदानी एक्सपोर्ट लि.
48.	श्री एस. नागराजन, प्रबन्ध निदेशक, अशोक लीलैंड फाइनेंस लि., सुदर्शन बिल्डिंग, 86, चामलर्स रोड, चेन्नई-600018	1. बीईएल 2. अशोक लीलैंड 3 महालक्ष्मी
49.	श्री ए.जी. वाधवा उपाध्यक्ष (व्यवसाय विकास), हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कं. लि., हिनकान हाउस, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, विखरोली (पश्चिम), मुम्बई-400083	एच.सी.सी.
50.	श्री ए.जी. वाधवा उपाध्यक्ष (व्यवसाय विकास), हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कं. लि., हिनकान हाउस, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, विखरोली (पश्चिम), मुम्बई-400083	1. एच.सी.सी. 2. अपोलो 3. डीएससी

1	2	3
51.	श्री आर.के. जैन संयुक्त अध्यक्ष जयप्रकाश इंडस्ट्रीज लि., जेए हाउस, 63 बसन्त लोक, वसन्त विहार, नई दिल्ली-57	जयप्रकाश
52.	श्री एम. गौतम रेड्डी, निदेशक, केएमसी कंस्ट्रक्शन लि., एमसीएच, नं. 555, अरोरा कालोनी रोड नं. 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500034 (आ.प्रा.)	1. केएमसी 2 पीपीएन
53.	श्री एम. गौतम रेड्डी, निदेशक, केएमसी कंस्ट्रक्शन लि., एमसीएच, नं. 555, अरोरा कालोनी रोड नं. 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500034 (आ.प्रा.)	1. केएमसी 2 जीपीएल
54.	श्री अपूर्वा चांकी, महाप्रबन्धक, स्कांसका सीमेंटेशन इंडिया लि., छठा तल, एपीज हाउस, धींश्वा वाचा रोड, मुम्बई-400 001	स्कांसका
55.	श्री बी. सीनय्या, प्रबंध निदेशक, बी. सीनय्या एंड कं. (परियोजना) लि., 6-2-913/914, पांचवा तल, प्रोग्रेसिव टावर्स, खैरताबाद, हैदराबाद-500004	1. बीएससीपीएल 2. एमवीआर
56.	श्री रामा मूर्ति यादवल्ली, महाप्रबन्धक (वित्त), जीवीके इंडस्ट्रीज लि., पायगा हाउस, 56-159, सरदार पटेल रोड, सिकंदराबाद-500003	1. जीवीकेआईएल 2. जीआईएचपीएल
57.	श्री बी. सीनय्या, प्रबंध निदेशक, बी. सीनय्या एंड कं. (परियोजना) लि., 6-2-913/914, पांचवा तल, प्रोग्रेसिव टावर्स, खैरताबाद, हैदराबाद-500004	1. बीएससीपीएल 2. जीवीकेआईएल 3. जीआईपीएचएल
58.	श्री मोहम्मद खलील बी. दान, वरिष्ठ प्रबन्धक, एचसीएम इंजीनियरिंग एसडीएन, बीएचडी, 93-2, जलान कांपुंग पांडन, 55100, क्वालालमपुर	1. एचसीएम 2. दिल्ली ब्रास 3. ओएसई

1	2	3
59.	श्री कानुभाई एम. पटेल, अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, मोंटीकार्लो कंस्ट्रक्शन प्रा.लि., 602, छठा तल, शिप बिल्डिंग, मुनिसिपल मार्किट के पास, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380 009	1. सदभाव 2. जेएमसी 3. पीबीए 4. मोंटीकारलो
60.	श्री एस.सी. सचदेवा, महाप्रबन्धक, पुंज लायड लि., पुंड लायड हाउस, 17-18, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019	पीएलएल
61.	श्री एस.पी. वैद्य अध्यक्ष सह निदेशक, गायत्री प्रोजेक्ट्स, लि., 6-3-1090 टावर्स, आर.बी. रोड, सोमाजीगुड़ा, हैदराबाद-500082	1. सीपीएल 2. बीईएल 3. रानहिदी
62.	श्री एन.जी. चिन मेंग, राष्ट्रीय निदेशक, आईजेएम कारपोरेशन बरहाद, प्लाट नं. 646ए, रोड नं. जुबली हिल्स, हैदराबाद-500034	आईजेएम
63.	श्री प्रनेश एस. कुलकर्णी, वरिष्ठ योजना अभियन्ता, आर.एन. शेट्टी एण्ड कंपनी, मुरूदेश्वर भवन, 604/बी, गोकुल रोड, हुबली-580030	1. आर.एन. शेट्टी 2. मुंदेश्वर 3. नवीन
64.	नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी लि. 41, नागार्जुन हिल्स, हैदराबाद-500082	एनसीसी
65.	नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी लि. 41, नागार्जुन हिल्स, हैदराबाद-500082	1. एनसीसी 2. मयतास
66.	श्री सी.एस. राजू, महाप्रबन्धक, मयतास इंफ्रा. प्रा.लि., अमोघ प्लाजा, 6-3-1186/5/ए, तीसरा तल बेगमपेट, हैदराबाद-500016	1. पीईएल 2. मयतास 3. एनसीसी
67.	श्री बी. सीनय्या, प्रबंध निदेशक, बी. सीनय्या एंड कं. (परियोजना) लि., 6-2-913/914, पांचवा तल, प्रोग्रेसिव टावर्स, खैरताबाद, हैदराबाद-500004	1. बीएससीपीएल 2. मयतास 3. एनसीसी

1	2	3
68.	श्री सुलय्या मैमुनी, निदेशक, इंजीनियरिंग डेवलपमैंट यूनाइटेड इंजीनियर्स (मलेशिया) लोट्स 1901 एण्ड 1902, 19वां तल, मेनारा 1, फबोर टावर्स, जलान दिसा बहागिया, तुमन दिसा, 58100 क्वालालाम्पुर, मलेशिया	यूनाइटेड इंजीनियर्स
69.	श्री एन.जी. चेंग तुआन, ए.जी.एम., हो हुप कंस्ट्रक्शन कं. बेरहाद (14034-डब्ल्यू), नं. 2, मेदान इम्बी, 55100 क्वालालम्पुर, मलेशिया	होहुप कंस्ट्र.
70.	श्री एस. मोतायेद, महाप्रबन्धक एस्सार कंस्ट्रक्शन लि., एस्सार हाउस, 11 के.के. मार्ग, महालक्ष्मी मुम्बई-400034	1. एस्सार कंस्ट्रक्शन 2. एस्सार पवार
71.	श्री आनन्द टंडन (प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ) सी किंग इंफ्रास्ट्रक्चर लि., पिपावव हाउस, 209, बैंक स्ट्रीट, क्रास लेन, फोर्ट, मुम्बई-400009	1. एसकेआईएल 2. कोटेक्स
72.	श्री ए.के. सरकार परियोजना निदेशक, सीई कंस्ट्रक्शन लि., अपार्टमेंट 6ए, 28, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली-1	1. जीपीएल 2. सीईसीओएन 3. एसईडब्ल्यूए
73.	श्री एस.पी. वैद्य अध्यक्ष सह निदेशक, गायत्री प्रोजेक्ट्स, लि., 6-3-1090, टीएसआर टावर्स, आर.बी. रोड, सोमाजीगुड़ा, हैदराबाद-500082	1. जीपीएल
74.	श्री वेणुगोपाल नांदियाल धूत, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, विडियोकान इंटरनेशनल लि., सी-विंग, 17वां तल, मित्तल कोर्ट, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई	1. विडियोकान 2. जीपीएल

1	2	3
75.	श्री अभय एच. सांच, शक्तिकुमार एम. संचेती लि., 267, गणेश पंडामिओश भवन, त्रिलोक पार्क के पास, धर्मपेट, नागपुर-440010	1. एसएमएसएल 2. एसआईएल 3. एसपीबीएल
76.	श्री योंग यी लूंग, महाप्रबन्धक म्यदाजय कारपोरेशन बेरहाद, नं. 17, जलान सेमनगात, 46100 पेटालिंग जया, सेलांगोर दारूल एहसान, मलेशिया	1. आईआरबी 2. मुदाजया
77.	श्री सी.एस. राजू, महाप्रबन्धक, मयतास इंफ्रा. प्रा.लि., अमोघ प्लाजा, 6-3-1186/5/ए, तीसरा तल बेगमपेट, हैदराबाद-500016	मयतास
78.	श्री एस. रामचन्द्रन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष (व्यवसाय, विकास एवं कार्पो. स्ट्रैटजी), आईवीटीसीएल इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड प्रोजेक्ट्स लि., एम-22/3/आरटी, विजयनगर कालोनी, हैदराबाद-57	आईवीआरसीएल
79.	श्री बी.एस. रेड्डी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पटेल इंजीनियरिंग लि., 6-3-635, चौथा तल, आकाशगंगा, खैरताबाद, हैदराबाद-04	1. पीईएल 2. केएनआर
80.	श्री बी.एस. रेड्डी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पटेल इंजीनियरिंग लि., 6-3-635, चौथा तल, आकाशगंगा, खैरताबाद, हैदराबाद-04	1. पीईएल 2. एएलएफ 3. बीएलए
81.	श्री अशोक झा कंपनी सचिव, दिल्ली ब्रास, एफ-88, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-110020	1. ओएसई 2. दिल्ली ब्रास
82.	सोम दत्त बिल्डर्स प्रा.लि., 56-58, सामुदायिक केन्द्र, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली-110065	सोम दत्त बिल्डर

1	2	3	
83.	श्री डोरी लाल, (महाप्रबन्धक-संविदा), वलेचा इंजीनियरिंग लि., वलेचा चैम्बर्स, चौथा तल, प्लाट नं. बी-6, अंधेरी न्यू लिंक रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-400053	1. 2. 3.	वीईएल बीजीएससीटीपीएल एमवीआर
84.	श्री डोरी लाल, (महाप्रबन्धक-संविदा), वलेचा इंजीनियरिंग लि., वलेचा चैम्बर्स, चौथा तल, प्लाट नं. बी-6, अंधेरी न्यू लिंक रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-400053	1. 2.	वीईएल बीजीएससीटीपीएल
85.	श्री जे. सुब्रमण्य, मुख्तारनामा धारक, एशियानिया डेवलपमेंट एसडीएन, बीएचडी लाट 9 एवं 10, जलान मामंदा 5, अमपांग प्वाइंट, 68000 अमपांग, सेलानगोर, मलेशिया	1. 2. 3. 4.	एडी जीबीईसी रोहन राजदीप
86.	श्री एच.एस. कोहली, निदेशक अपोलो एंटरप्राइजेज लि., पी.ओ. नं. 118, सासबरी हाउस, आइसल आफ मैन, आईएम 99 आईक्यूजैड (यूके)	1. 2. 3. 4.	जेएलटी अपोलो डीएससी एलओआर
87.	श्री मनोज जायसवाल, अभिजीत इंफ्रा. प्रा.लि., एफ-8, एमआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया हिंगना, नागपुर-440016	1. 2.	अभिजीत मोन्नेट
88.	श्री आर.बी. झालनी (महाप्रबन्धक) यूनिटेक लि., यूनिटेक हाउस, "एल" ब्लाक, साउथ सिटी-1, गुड़गांव (हरियाणा)	1. 2.	यूनिटेल लि. भारत इंफ्रास्ट्रक्चर
89.	श्री आर.बी. झालनी (महाप्रबन्धक) यूनिटेक लि., यूनिटेक हाउस, "एल" ब्लाक, साउथ सिटी-1, गुड़गांव (हरियाणा)		यूनिटेल लि.
90.	श्री ए.पी. ओरी, (निदेशक-आपरेशन), पी.टी. सुम्बर मित्रा जया, 148, एलदाम्स रोड, टेनमपेट, चेन्नई-600018	1. 2.	पी.टी. एसएमजे केसीएल

1	2	3
91.	श्री ए.पी. ओरी, (निदेशक-ऑपरेशन), पी.टी. सुम्बर मित्रा जया, 148, एलदाम्स रोड, टेनमपेट, चेन्नई-600018	1. पी.टी. एसएमजे 2. केसीएल 3. श्याम टेलिकॉम
92.	श्री आर.एल. श्रीवास्तव, प्रबन्ध पार्टनर विजय इंजीनियरिंग एंटरप्राइजर, श्रीकान हाउस 25, प्रगति लेआउट, वर्धा रोड, राजीव नगर, नागपुर-440 025	1. शीस्टम अनीता 2. विजय इंजी. 3. श्रीकान 4. श्रीवास्तव हित्यू
93.	श्री एन्ड्रयू खुग, निदेशक तिओंग सेंग कांट्रेक्टर्स प्रा.लि., 510, थामसन रोड, एसएलएफ बिल्डिंग #19-00, सिंगापुर-298135	1. तिओंग सेंग सीपीएल 2. सृष्टी 3. एशियन टेक. लि. 4. मेनशारत
94.	श्री गैन इंग लिओंग (सहायक महाप्रबन्धक) गामुदा बेरहाद (निविदा एवं बजट प्रभाग), नं. 55-61, जलान 22/236, दामनसरा जया, 47400 पेटालिंग जया, सेलांगोर दारूल्ला एहसान, मलेशिया	गामुदा बेरहाद
95.	श्री पूक पांग फी/कान ची लिओंग, कार्यपालक निदेशक राष्ट्रीय प्रबन्धक (इंडिया) रोड, बिल्डर्स (एम) एसडीएन बीएचडी, श्रेणी 16, मेनेरा जान हनकाक, नं. 6, जलान जेलेनगेंग, दामनसरा हाइट्स 504909, क्वालालाम्पुर, मलेशिया	1. आरबी (एम) एसबी 1. आरबी (एम) एसबी
96.	श्री मुखर्जी, निदेशक सिमप्लैक्स कंक्रीट पाइल्स (इंडिया) लि. वैकुंठ, द्वितीय तल, 82-83, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली	1. सिम्पलैक्स 2. कानक्लूड
97.	श्री बी.एस. रेड्डी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पटेल इंजीनियरिंग लि., 6-3-635, चौथा तल, आकाश गंगा, खैरताबाद, हैदराबाद-04	पीईएल

[हिन्दी]

राजस्थान में प्रतीक्षा सूची

2045. प्रो. रासा सिंह रावत: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के सभी जिलों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दूरभाष सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी हैं;

(ख) यदि नहीं, तो जिलावार कितने गांवों में दूरभाष सुविधा उपलब्ध नहीं करायी गयी है;

(ग) राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतीक्षा सूची का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के लक्ष्य पाने में सरकार के विफल रहने के क्या कारण हैं;

(ङ) राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरभाष कनैक्शन की प्रतीक्षा सूची को कब तक पूरा कर दिये जाने की संभावना है;

(च) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है और इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(छ) क्या सरकार का विचार इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित करने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जहां तक राजस्थान के शहरी क्षेत्रों का संबंध है इसके सभी जिलों में टेलीफोन सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में 41515 राजस्व गांवों (1991 की जनगणना के अनुसार) में से 23880 गांवों में टेलीफोन सुविधाएं बीएसएनएल द्वारा प्रदान की गई हैं और 3010 गांवों में टेलीफोन सुविधाएं श्याम टेलीलिंक्स लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई हैं जो राजस्थान में बुनियादी सेवा प्रदान करने वाला एक निजी प्रचालक है।

(ख) राजस्थान में टेलीफोन सुविधा से वंचित गांवों की जिलावार संख्या संलग्न *विवरण I* में दी गई है।

(ग) राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में 15.07.2004 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची में कुल 119007 आवेदकों के नाम दर्ज थे। जिलावार ब्यौरा संलग्न *विवरण II* में संलग्न है।

(घ) अधिकांश ग्रामीण कनेक्शन सेवा प्रदाताओं के लिए घाटे का काम है जिससे सेवा प्रदाता अधिकाधिक ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करने में रुचि नहीं लेते।

(ङ) प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, अधिकांशत: डब्ल्यूएलएल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

वर्ष 2004-05 के दौरान राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में सीधी एक्सचेंज लाइनें प्रदान करने के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं:

लैंड लाइन	30,000
डब्ल्यूएलएल	1,50,000

(च) राजस्थान सर्किल के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु बीएसएनएल द्वारा 2004-05 के दौरान 60.21 करोड़ रु. की निधि आवंटित की गई है।

(छ) हालांकि सरकार सभी गांवों को सामुदायिक अभिगम प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

(ज) उपर्युक्त (छ) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

राजस्थान में टेलीफोन सुविधा से वंचित गांवों की जिलावार संख्या

क्र.सं.	जिला का नाम	सुविधा रहित गांवों की संख्या
1	2	3
1.	अजमेर	29
2.	अलवर	861
3.	बांसवाड़ा	838
4.	डुंगरपुर	312
5.	बाड़मेर	1005
6.	भरतपुर	483
7.	धौलपुर	451
8.	भीलवाड़ा	500
9.	बीकानेर	202
10.	बुंदी	314
11.	चित्तौड़गढ़	1391
12.	चुरू	236
13.	जयपुर	1143
14.	दौसा	527
15.	जैसलमेर	239
16.	झालावार	885

1	2	3
17.	झुनझुनूं	9
18.	जोधपुर	256
19.	कोटा	147
20.	बारन	357
21.	नागौर	428
22.	पाली	147
23.	सवाई माधोपुर	197
24.	करौली	382
25.	सीकर	181
26.	सीरोही	104
27.	जालोर	144
28.	श्रीगंगानगर	1886
29.	हनुमानगढ़	748
30.	टोंक	374
31.	उदयपुर	1250
32.	राजसमंद	195
	कुल	16221

विवरण II

राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतीक्षा सूची की स्थिति

क्र.सं.	राजस्व जिले का नाम	प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	अजमेर	3480
2.	अलवर	10356
3.	बांसवाड़ा	869
4.	बारन	975
5.	बाड़मेर	5778
6.	भरतपुर	3441
7.	भीलवाड़ा	2595
8.	बीकानेर	1099
9.	बुंदी	464
10.	चित्तौड़गढ़	3362
11.	चुरू	5072
12.	दौसा	3211
13.	धौलपुर	1083
14.	डुंगरपुर	1733
15.	हनुमानगढ़	2154
16.	जयपुर	9165
17.	जैसलमेर	441
18.	जालोर	3266
19.	झालावार	923
20.	झुनझुनूं	9062
21.	जोधपुर	6335
22.	करौली	1481
23.	कोटा	1150
24.	नागौर	10165
25.	पाली	4686
26.	राजसमंद	1983
27.	सवाई माधोपुर	1772
28.	सीकर	12253
29.	सीरोही	1696
30.	श्रीगंगानगर	2214
31.	टोंक	1063
32.	उदयपुर	5700
	सर्किल कुल	119007

परिवार नियोजन कार्यक्रम में गैर-सरकारी संगठन

2046. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक अनिवासी भारतीय ने विवाह योग्य उम्र की युवा लड़कियों को गैर-सरकारी संगठन के माध्यम से छोटा परिवार मानदंड अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने का एक प्रयोग आरंभ किया है जिसके अंतर्गत वे 18 से 33 वर्ष की उम्र की विवाहित महिलाओं को 5 अमरीकी डालर (250 रु.) प्रतिमाह देंगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयास का कोई परिणाम निकला है;

(घ) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) एक एन.आर.आई. (अनिवासी भारतीय) ने महिलाओं को प्रति माह 250/- रुपए देकर गर्भधारण न करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मध्य प्रदेश में छिन्दवाड़ा के आदिवासी गांवों में एक योजना शुरू की है। उन्हें एक वर्ष तक गर्भधारण में देरी करने के लिए बेहतर पद्धतियों का अनुपालन करने हेतु वेतनवृद्धियां भी मिलती हैं।

(ग) ज्ञात नहीं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

[अनुवाद]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में परियोजनाओं की प्रगति

2047. श्री पी.के. वासुदेवन नायर:
श्री अजय चक्रवर्ती:
श्री सुरेश कुरूप:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश की प्रमुख चिकित्सा संस्था अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में आरंभ की गयी अधिकांश परियोजनाएं सही ढंग से प्रगति नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन्हें शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) से (ग) दो परियोजनाएं अर्थात् अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की राजनगर स्थित भूमि पर जय प्रकाश अभिघात (ट्रामा) केन्द्र और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में डा. बी.आर. अम्बेडकर भारतीय रोटरी कैंसर अस्पताल पूरा होने की प्रक्रिया में हैं। इन दो परियोजनाओं के भवनों का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है और इनमें अपेक्षित आधारभूत ढांचा संबंधी सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं। इन परियोजनाओं में कुछ समय और लग सकता है और लागत में वृद्धि हो सकती है जिसके लिए आवश्यक स्वीकृतियां ली जा रही हैं।

सरकारी अस्पतालों में अनियमितताएं

2048. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न सरकारी अस्पतालों में मशीनों और उपभोग्य औषधियों और अन्य आयातित उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं प्रकाश में आई हैं, जिससे राजकोष में राजस्व की भारी हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन अनियमितताओं में संलिप्त अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/करने का प्रस्ताव है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप कुल कितनी हानि होने का अनुमान है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) से (घ) पिछले एक वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में मशीनों और उपभोज्यों, औषधों और अन्य आयातित उपकरणों की खरीद के मामले में कोई अनियमितता होने की सूचना नहीं मिली है।

झारखंड की लम्बित परियोजनाएं

2049. श्री चन्द्रशेखर दूबे: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार के पास झारखंड राज्य की कितनी परियोजनाएं अनुमोदनार्थ लंबित हैं;

(ख) इनकी स्वीकृति में हो रहे विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) इन परियोजनाओं को तब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार को झारखंड राज्य से इन परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) योजना आयोग के पास झारखंड की कोई परियोजना अनुमोदन हेतु लंबित नहीं है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

असम के गांवों में टेलीफोन कनेक्शन

2050. श्री किरिप चालिहा: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम के कितने गांवों में टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार को बड़ी संख्या में असम के गांवों में टेलीफोन कनेक्शनों के कार्य न करने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जिन गांवों में टेलीफोन सुविधा पहले से ही उपलब्ध है, वहां व्यवहार्य मामलों की प्रतीक्षा सूची को निपटाने के अतिरिक्त कवर नहीं किए गए 5021 अन्य गांवों में 2004-05 के दौरान टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई गई है।

(ख) प्राप्त हुई अधिकांश शिकायतें एमएआरआर प्रणाली पर कार्यरत ग्रामीण टेलीफोनों के कार्य नहीं करने से संबंधित हैं।

(ग) 31.3.2003 तथा 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार गांवों में खराब एमएआरआर टेलीफोनों की कुल संख्या क्रमश: 6523 तथा 8072 है।

(घ) 31.3.2005 तक एमएआरआर प्रणाली पर कार्यरत 5435 ग्रामीण टेलीफोन को डब्ल्यूएलएल आधारित प्रणाली से बदलने की योजना बनाई गई है।

विस्थापितों का पुनर्वास

2051. डा. आर. सेनथिल: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार स्वर्ण चतुर्भुज और गोल्डन क्रास योजनाओं के कारण विस्थापित लोगों के पुनर्वास का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) संभवत: माननीय सदस्य का स्वर्णिम चतुर्भुज और गोल्डन क्रासिंग के आशय राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम महामार्ग परियोजनाओं से है। कानून के अनुसार पुनर्वास हेतु ग्राह्य क्षतिपूर्ति उन लोगों को दी जाती है जिनकी भूमि/संपत्ति का इन परियोजनाओं के लिए अधिग्रहण किया जाता है ताकि पुनर्वास हो सके।

सेलवन सेवा

2052. श्री मिलिन्द देवरा: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड ने अक्टूबर, 2000 से पश्चिम बंगाल दूरसंचार केन्द्र में "सेलवन" के ब्रान्ड नाम के अंतर्गत पोस्ट पेड मोबाइल टेलीफोनी सेवा शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो टेलीफोन राजस्व की कितनी धनराशि बकाया हो गई है और जिसे अगस्त, 2003 तक वसूला नहीं जा सका है;

(ग) इसके क्या कारण हैं और इस धनराशि की वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) "सेलवन" के ब्रान्ड नाम के अंतर्गत पोस्ट पेड टेलीफोनी सेवा अक्तूबर, 2002 में शुरू की गई।

(ख) अगस्त, 2003 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि 4.07 करोड़ रु. थी। अब जून, 2004 तक उपर्युक्त 4.07 करोड़ रु. में से 1.01 करोड़ रु. की राशि वसूली जा चुकी है। जून, 2004 की स्थिति के अनुसार अगस्त, 2003 तक जारी बिलों में से 3.06 करोड़ रु. की राशि बकाया है।

(ग) टेलीफोन राजस्व के बकाया हो जाने का कारण कुछ चूककर्त्ताओं द्वारा भुगतान न करना है। बकाया राशि की वसूली के लिए सभी कदम उठाए गए हैं जिनमें कानूनी नोटिस जारी करना तथा इस सुविधा का दुरुपयोग करने वाले बेईमान तत्वों के विरुद्ध जांच के लिए मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपना शामिल है।

(घ) मामले की जांच की जा रही है।

उत्तर प्रदेश में अवसंरचनात्मक विकास हेतु व्यापक योजना

2053. श्री कीर्ति वर्धन सिंह: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में राज्य में अवसंरचनात्मक विकास हेतु एक व्यापक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो योजनान्तर्गत किन परियोजनाओं को क्रियान्वयन हेतु लिया जाएगा और ऐसी प्रत्येक परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कितनी वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (ग) उत्तर प्रदेश में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए, वार्षिक योजना एवं पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की जाती हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना का आकार वर्ष 2001-02 के मूल्यों पर 59708 करोड़ रुपये था। तत्पश्चात् वार्षिक योजना वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 के लिए क्रमश: 7250 करोड़ एवं 7733.75 करोड़ रुपये अनुमोदित किए गए थे। वार्षिक योजना 2004-05 का आकार अभी अनुमोदित किया जाना है। वित्तीय सहायता की मात्रा का निर्धारण वार्षिक योजना को अंतिम रूप देते समय किया जाता है।

[हिन्दी]

डाक्टरों की उपलब्धता

2054. श्री सुरेश चन्देल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट आफ मेडिल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, चण्डीगढ़ के उन विभागाध्यक्षों, विशेषज्ञों और डाक्टरों की संख्या कितनी है जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष देश में और विदेशों में सेमिनार और अन्य समारोहों में भाग लेने हेतु विशेष अवकाश लिया;

(ख) क्या उक्त डाक्टरों और विशेषज्ञों की सेवाएं संस्थान में चिकित्सीय राय, आपरेशन और बहिरंग रोगी विभाग में सेवा देने हेतु दैनिक आधार पर आवश्यक है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा मरीजों की चिकित्सा हेतु उक्त डाक्टरों की दैनिक उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्रवाई की गयी है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ में 268 संकाय सदस्य कार्यरत हैं। स्नातकोत्तर संस्थान में संकाय सदस्य देश और विदेश में आयोजित सेमिनारों, संगोष्ठियों, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश हेतु पात्र हैं। प्रति वर्ष विशेष आकस्मिक अवकाश की श्रेणीवार पात्रता इस प्रकार है:-

प्रोफेसर	-	30
अपर प्रोफेसर	-	21
एसोसिएट प्रोफेसर	-	14
सहायक प्रोफेसर	-	14

जिन संकाय सदस्यों को विगत तीन वर्षों के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति दी गई थी, उनकी संख्या नीचे दी गई है:-

2001-2002	-	27
2002-2003	-	40
2003-2004	-	42

(ख) और (ग) जो संकाय सदस्य राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेते हैं उनकी अनुपस्थिति में उनके कर्त्तव्यों का निर्वाह उनके विभागों के अन्य संकाय सदस्यों द्वारा किया जाता है। स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ में प्रदान की जाने वाली रोगी परिचर्या सेवाओं में कोई कमी नहीं है।

[अनुवाद]

यू एस कोआर्डिनेटर फार काउंटर-टेररिज्म का दौरा

2055. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यू एस एस्टेट डिपार्टमेंट को-आर्डिनेटर फार काउंटर टेररिज्म ने मार्च के दौरान भारत का दौरा किया था और शीर्ष सरकारी अधिकारियों के साथ आतंकवाद पर बैठकें की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या अफगानिस्तान की परिस्थिति पर भी चर्चा हुई थी;

(ग) क्या इस शिष्टमंडल ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कानून लागू कराने वाली एजेंसियों के अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की थी;

(घ) यदि हां, तो क्या भारत ने पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों की मदद नहीं करने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद जम्मू-कश्मीर में जारी आतंकवादी हिंसा पर अपनी चिंताएं/राय जाहिर की है; और

(ङ) यदि हां, तो अमरीकी प्रतिनिधियों को राज्य में विद्यमान स्थिति से किस हद तक अवगत कराया गया?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) से (ङ) यू.एस. स्टेट डिपार्टमेंट को-आर्डनेटर फार काउंटर टेररिज्म राजदूत कोफर ब्लैक 1-2 मार्च, 2004 को भारत की यात्रा पर आए और उन्होंने आतंकवाद के संबंध में भारतीय अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया। इन चर्चाओं में अफगानिस्तान सहित इस क्षेत्र की स्थिति पर भी बातचीत हुई। भारतीय पक्ष ने जम्मू तथा कश्मीर में सीमा पार से लगातार चल रहे आतंकवाद की प्रत्यक्ष घटनाओं की ओर भी ध्यान दिलाया और आतंकवादी अवसंरचना को ध्वस्त करने के लिए पाकिस्तान द्वारा प्रभावी कार्यवाही करने की आवश्यकता पर बल दिया।

[हिन्दी]

मरीजों को सरकारी अस्पतालों से निजी अस्पतालों को रेफर करना

2056. श्री राम कृपाल यादव:
श्री दरोगा प्रसाद सरोज:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निजी अस्पतालों द्वारा 30 प्रतिशत गरीब मरीजों का इलाज करने की शर्तों को पूरा करने हेतु मरीजों को सरकारी अस्पतालों से निजी अस्पतालों में रेफर करवाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गरीब व्यक्तियों के इलाज हेतु एक निजी अस्पताल की स्थापना करने के लिए शर्त क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) से (घ) स्वास्थ्य, राज्य का विषय है अत: यह सम्बद्ध राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे गरीब रोगियों के उपचार के संबंध में निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए शर्तों/मानकों को तैयार करें और यह सुनिश्चित करें कि निजी अस्पतालों द्वारा इन शर्तों/मानकों का पालन होता है।

[अनुवाद]

भूकम्प संभाव्यता संबंधी मानचित्रों को तैयार करना

2057. श्री एस.पी.वाई. रेड्डी: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार के मौसम विभाग ने राजधानी में भूकम्प-रोधी क्षमता वाले भवनों के निर्माण के लिए भूकम्प संभाव्यता संबंधी मानचित्रों के नए सैट तैयार करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मानचित्रों को कब तक तैयार कर लिए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार ने 1997 में भवन सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद द्वारा प्रकाशित मौजूदा "बर्नरेबिलिटी एटलस आफ इंडिया" को पुनर्संकलित व अद्यतन करने के लिए एक सह-समूह (पीयर ग्रुप) गठित किया है। यह पीयर ग्रुप मौजूदा बर्नरेबिलिटी एटलस आफ इंडिया को पुनर्संकलित व अद्यतन करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को भी शामिल करेगा। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विभिन्न तीव्रता वाले कंपनों का सामना करने के लिए भवन निर्माण की संहिताएं निर्धारित की गई हैं। नया एटलस मौजूदा भवनों की संभावित कमजोरी के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है जिसके आधार पर भविष्य से सुधारात्मक कदम उठाये जा सकते हैं।

जनजातीय बच्चों की मृत्यु

2058. श्री गुरुदास कामत: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में कुपोषण के कारण जनजातीय बच्चों की मृत्यु हुई है जैसा कि इस आशय का समाचार दिनांक 6 जुलाई, 2004 को "द टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले से तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या युनीसेफ के आंकड़ों के अनुसार, हमारे देश में पांच वर्ष से कम आयु के लगभग 2.3 मिलियन बच्चों की हर वर्ष मृत्यु हो जाती है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, अप्रैल और मई, 2004 महीनों के दौरान जन्म के समय कम वजन, अपरिपक्वता, निमोनिया, जन्म के समयश्वासावरोध, ज्वरजन्य आक्षेपों (फेब्राइल कन्वल्सन्स) आदि जैसे विभिन्न कारणों से 1041 बच्चों की मौत हुई। उपर्युक्त मौतों में से, केवल 59 बच्चे कुपोषित थे।

(ग) "द स्टेट आफ द वर्ल्डस चिल्ड्रन 2004" नामक यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर वर्ष पांच वर्ष से नीचे की आयु के 2.3 मिलियन बच्चे मर जाते हैं।

(घ) सरकार ने कुपोषण की समस्या पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र राज्य सहित देश में बच्चों सहित अतिसंवेदनशील जनसंख्या की पौषणिक स्थिति में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किए हैं जो इस प्रकार हैं:-

- कृषि उत्पादन में वृद्धि करना।
- आय सृजन करने वाली स्कीमों के जरिए लोगों की क्रय शक्ति में सुधार करना।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सहायता प्राप्त लागत पर आवश्यक खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता।
- जागरूकता में वृद्धि करने के लिए पोषण संबंधी शिक्षा और स्तनपान को बढ़ावा देने सहित आहार पद्धतियों में वांछित बदलाव लाना।
- पूरक आहार कार्यक्रम जैसे:-
  - (1) एकीकृत बाल विकास सेवा योजना।
  - (2) विशेष पोषण कार्यक्रम।
  - (3) बालबाड़ी पोषक कार्यक्रम।
  - (4) गेहूं आधारित पूरक पोषण कार्यक्रम।
  - (5) प्रधान मंत्री ग्रामीण योजना।
  - (6) मध्याह्न भोजन कार्यक्रम।
- विशिष्टपोषक अल्पता विकारों के निवारण के लिए कार्यक्रम जैसे कि:-

  राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम।

  प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के भाग के रूप में विटामिन "ए" की कमी से होने वाली दृष्टिहीनता और लौह की कमी से होने वाली पौषणिक रक्ताल्पता की रोकथाम करने हेतु कार्यक्रम।
- सूक्ष्मपोषक कुपोषण के नियंत्रण के लिए प्रायोगिक परियोजना।

सतर्कता मामलों को अंतिम रूप देना

2059. श्री रघुनाथ झा: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने सितम्बर, 1981 में अनुदेश जारी किए थे कि सतर्कता मामलों को एक वर्ष की समय सीमा के भीतर अंतिम रूप दे दिया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) ने शिकायत पंजिका, जांच संबंधी पंजिका तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी पंजिका के लिए प्रपत्र निर्धारित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्रीय भंडार में इन पंजिकाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा केन्द्रीय भंडार द्वारा दर्ज शिकायतों की संख्या कितनी है; और

(ज) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, हां।

(ख) इस बारे में *विवरण* संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(घ) इस बारे में *विवरण* संलग्न है।

(ङ) और (च) केन्द्रीय भंडार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, केन्द्रीय भंडार का सतर्कता एकक, इसे भेजी गई शिकायतों के संबंध में शिकायत रजिस्टर रखता है। जहां तक अनुशासनिक कार्रवाई संबंधी रजिस्टर/अन्वेषण संबंधी रजिस्टर का संबंध है तो इन सबका विवरण उन संबंधित व्यक्तियों की फाइलों में उपलब्ध होता है जिनके विरुद्ध जांच-पड़ताल की जाती है।

(छ) और (ज) केन्द्रीय भंडार ने सूचित किया है कि पिछले एक वर्ष से अधिक समय के दौरान सतर्कता एकक द्वारा 34 (चौंतीस) शिकायतें दर्ज की गईं जबकि केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने केवल एक शिकायत भेजी है जिस पर पहले ही कार्रवाई की गई है। सतर्कता एकक में दर्ज की गई शिकायतों के संबंध में जांच-पड़ताल की जाती है और जहां अपेक्षित होता है वहां कार्रवाई की जाती है।

विवरण

(ख) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा दिनांक 28.09.1981 के अर्द्ध शा. पत्र संख्या 129/20/81-ए.वी.डी.-1 के अंतर्गत जारी किए गए परिपत्र के अनुसार:

(1) ऐसे अनुशासनिक मामले जो अदालतों में लंबित न हों तथा जिनमें विभागीय रूप से कार्रवाई की जाती है, सामान्यतया, मामला शुरू होने के लगभग छः माह के भीतर अंतिम रूप से निबटा दिए जाएं।

(2) ऐसे मामलों में भी जिनमें कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग/संघ लोक सेवा आयोग की सलाह लेना भी आवश्यक है, यह सुनिश्चित करना कठिन नहीं होगा कि अनुशासनिक मामलों को एक वर्ष की अवधि के भीतर अंतिम रूप से निबटा दिए जाए।

(3) विभाग, अनुशासनिक मामलों की बारीकी से देख-रेख/अनुवीक्षण करें ताकि विलंब से बचने के लिए समय रहते सुधारात्मक उपाय किए जा सकें तथा ऐसी समीक्षाओं के परिणामों के बारे में कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग को भी छमाही विवरणी के माध्यम से अवगत रखा जाए।

(घ) शिकायत रजिस्टर निर्धारित प्रारूप में रखा जाना चाहिए और जिसमें शिकायत का स्रोत अर्थात्, कहां से प्राप्त हुई, जिस अधिकारी के विरुद्ध शिकायत की गई है उसका नाम तथा पदनाम, फाइल/संदर्भ संख्या, की गई कार्रवाई और कार्रवाई किए जाने की तारीख संबंधी जानकारी दी गई हो। अनुशासनिक कार्यवाही संबंधी रजिस्टर में कार्रवाई शुरू किए जाने की तारीख, कार्यवाही का स्वरूप, संलिप्त अधिकारियों के नाम तथा पदनाम, जांच अधिकारी की नियुक्ति की तारीख और जांच अधिकारी के पास दस्तावेज भेजे जाने की तारीख, जांच-रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख, केन्द्रीय सतर्कता आयोग को मामला भेजने की तारीख, केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह प्राप्त होने की तारीख, अंतिम निर्णय की तारीख और कार्यवाही का निष्कर्ष संबंधी जानकारी दर्शाई जानी चाहिए। जांच-पड़ताल की रिपोर्ट संबंधी रजिस्टर में मामला प्राप्त होने की तारीख, जांच-पड़ताल शुरू होने की तारीख, जांच-पड़ताल में लगने वाला समय, जांच-पड़ताल करने वाले अभिकरण/एजेंसी का नाम, संलिप्त अधिकारियों के नाम और पदनाम, संस्तुत कार्रवाई, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पास टिप्पणियां भेजे जाने की तारीख, केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह प्राप्त होने की तारीख, की गई कार्रवाई और कार्रवाई की तारीख संबंधी जानकारी दी जानी चाहिए।

केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों का आधुनिकीकरण

2060. श्री चन्द्र शेखर दूबे: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में विशेषकर झारखण्ड में चल रहे केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में सुविधाओं का आधुनिकीकरण और उन्नयन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य पर कितना खर्च होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) से (ग) संसाधनों की आवश्यकता और उपलब्धता के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों का उन्नयन और आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है।

परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता

2061. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विभिन्न परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए विभिन्न राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो प्रदान की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों से अनुरोध पत्र प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान कितनी सहायता प्रदान की गई; और

(ङ) उक्त कार्यक्रमों से राज्यवार कितने व्यक्तियों को लाभ हुआ है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) और (ख) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत चालू वर्ष 2004-2005 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आबंटित राज्यवार राशि का ब्यौरा संलग्न *विवरण I* में दिया गया है।

(ग) और (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान जारी किए गए राज्यवार और वर्षवार सहायता-अनुदान का ब्यौरा संलग्न *विवरण II* में दिया गया है।

(ङ) राज्यों में कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना के माध्यम से परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान की जाती है। विभाग की योजनाओं जैसे कि अवसंरचना रखरखाव, क्षेत्र विकास कार्यक्रम, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रतिरक्षण कार्यक्रम, मातृ लाभ योजना, गर्भनिरोधकों की आपूर्ति तथा अधिकारसम्पन्न कार्य समूह इत्यादि से सम्पूर्ण जनसंख्या विशेषकर पात्र दंपत्ति, गर्भवती महिलाएं, नवजात शिशु तथा बच्चे लाभान्वित होते हैं।

वर्ष 2003-2004 के दौरान परिवार नियोजन के तरीकों को ग्रहण करने वालों तथा प्रतिरक्षण के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं तथा बच्चों की कवरेज का ब्यौरा संलग्न *विवरण III* में दिया गया है।

विवरण I

2004-05 के दौरान सहायता अनुदान का राज्यवार आवंटन (वस्तुगत आपूर्तिओं को छोड़कर)

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	अवसंरचना रखरखाव	प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम	अन्य कार्यक्रम	महायोग
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	16097.84	809.77	5761.56	22669.17
2.	अरुणाचल प्रदेश	421.68	251.77	364.85	1038.30
3.	असम	6679.20	639.98	2817.37	10136.55
4.	बिहार	11434.64	628.43	9236.20	21299.27
5.	छत्तीसगढ़	4841.80	667.10	2878.88	8387.78

1	2	3	4	5	6
6.	गोवा	258.08	19.49	81.48	359.05
7.	गुजरात	10084.68	333.89	4452.48	14871.05
8.	हरियाणा	3625.76	516.79	2107.87	6250.42
9.	हिमाचल प्रदेश	2803.84	209.73	1008.73	4022.30
10.	जम्मू और कश्मीर	2509.68	240.32	1027.38	3777.38
11.	झारखंड	5247.48	275.30	3561.97	9084.75
12.	कर्नाटक	11566.72	482.99	2605.56	14655.27
13.	केरल	6111.48	366.31	2090.31	8568.10
14.	मध्य प्रदेश	11931.20	1057.71	7485.38	20474.29
15.	महाराष्ट्र	15580.96	880.42	5452.46	21913.84
16.	मणिपुर	986.08	162.40	576.26	1724.74
17.	मेघालय	647.68	52.52	571.75	1271.95
18.	मिजोरम	578.20	184.73	374.23	1137.16
19.	नागालैंड	568.40	139.90	230.32	938.62
20.	उड़ीसा	6744.68	579.45	4381.03	11705.16
21.	पंजाब	3983.92	283.72	997.87	5265.51
22.	राजस्थान	13060.52	723.29	7288.18	21071.99
23.	सिक्किम	284.80	74.69	290.41	649.90
24.	तमिलनाडु	11960.92	611.09	2663.07	15235.08
25.	त्रिपुरा	829.96	75.88	343.93	1249.77
26.	उत्तर प्रदेश	23821.28	3394.73	22129.50	49345.51
27.	उत्तरांचल	1909.52	384.03	1745.64	4039.19
28.	पश्चिम बंगाल	10412.00	366.14	5093.81	15871.95
	कुल-सभी राज्य	184983.00	14412.57	97618.48	297014.05

1	2	3	4	5	6
	विधान मण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्र				
1.	दिल्ली	1328.00	233.52	719.54	2281.06
2.	पांडिचेरी	626.00	17.46	74.82	718.28
	कुल-विधान मण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्र	1954.00	250.98	794.36	2999.34
	बिना विधान मण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्र				
1.	अंड. और नि. द्वीप समूह	292.98	16.64	64.82	374.44
2.	चंडीगढ़	187.80	29.41	52.66	269.87
3.	दादरा और नागर हवेली	147.50	14.49	38.15	200.14
4.	दमन और दीव	101.17	16.13	32.90	150.20
5.	लक्षद्वीप	33.16	14.95	34.16	82.27
	कुल-बिना विधान मण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्र	762.61	91.62	222.69	1076.92
	कुल-संघ राज्य क्षेत्र	2716.61	342.60	1017.05	4076.26
	महायोग	187699.61	14755.17	98635.53	301090.31

आंकड़े अनंतिम हैं।

विवरण II

वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान सभी योजनाओं पर राज्यवार और वर्षवार निर्मुक्तियां (वस्तुगत आपूर्तियों तथा बकाया को छोड़कर)

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	2001-02	2002-03	2003-04	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	26291.10	26689.65	32540.17	85520.92
2.	अरुणाचल प्रदेश	728.83	887.75	444.21	2060.79
3.	असम	14285.54	14908.26	10894.23	40088.03
4.	बिहार	16446.85	28795.02	24618.92	69860.79
5.	छत्तीसगढ़	6287.78	7103.73	8724.34	22115.85

1	2	3	4	5	6
6.	गोवा	398.69	184.46	337.24	920.39
7.	गुजरात	19402.60	20441.41	19028.71	58872.72
8.	हरियाणा	5637.09	6130.30	8065.68	19833.07
9.	हिमाचल प्रदेश	3095.19	4709.91	4608.65	12413.75
10.	जम्मू और कश्मीर	3287.08	3437.27	3138.65	9863.00
11.	झारखंड	7867.65	8412.91	9555.72	25836.28
12.	कर्नाटक	18747.65	22553.71	16605.43	57906.79
13.	केरल	24607.20	11482.14	10134.79	46224.13
14.	मध्य प्रदेश	16028.18	19577.31	21788.89	57394.38
15.	महाराष्ट्र	28687.20	28639.14	30324.66	87651.00
16.	मणिपुर	2556.62	1735.60	1172.37	5464.59
17.	मेघालय	1420.82	1389.28	797.13	3607.23
18.	मिजोरम	1684.95	1689.35	908.77	4283.07
19.	नागालैंड	1053.79	1239.35	835.65	3128.79
20.	उड़ीसा	12702.81	16492.01	10913.87	40108.69
21.	पंजाब	5463.04	2857.36	5808.09	14128.49
22.	राजस्थान	22833.92	22790.45	25618.03	71242.40
23.	सिक्किम	973.94	662.30	693.26	2329.50
24.	तमिलनाडु	16567.41	19935.31	22338.21	58840.93
25.	त्रिपुरा	2238.87	3203.78	2025.01	7467.66
26.	उत्तर प्रदेश	43725.78	65374.13	60457.61	169557.52
27.	उत्तरांचल	4408.13	3378.77	3933.24	11720.14
28.	पश्चिम बंगाल	22909.78	15949.00	34714.44	73573.22
	कुल-सभी राज्य	330338.49	360649.66	371025.97	1062014.12

1	2	3	4	5	6
	विधान मण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्र				
1.	दिल्ली	3426.90	1874.48	4042.23	9343.61
2.	पांडिचेरी	529.51	495.02	832.16	1856.69
	बिना विधान मण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्र				
1.	अंड. और नि. द्वीप समूह	402.96	438.24	380.85	1222.05
2.	चंडीगढ़	282.74	400.48	224.82	908.04
3.	दादरा और नगर हवेली	98.77	101.27	120.13	320.17
4.	दमन और दीव	115.04	167.56	115.30	397.90
5.	लक्षद्वीप	76.05	75.59	81.85	233.49
	कुल-संघ राज्य क्षेत्र	4931.97	3552.64	5797.34	14281.95
	महायोग	335270.46	364202.30	376823.31	1076296.07

आंकड़े अनंतिम हैं।

विवरण III

वर्ष 2003-04 के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत लाभान्वित व्यक्तियों की राज्यवार संख्या

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	परिवार नियोजन के तरीके	प्रतिरक्षण				
			बी सी जी	पोलियो	गर्भवती महिलाओं के लिए टीटी	डी पी टी	मीजल्स
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2,185,096	1,689,238	1,617,046	1,824,112	1,618,126	1,548,649
2.	अरुणाचल प्रदेश	4,364	11,693	8,548	9,375	7,001	6,867
3.	असम	150,967	534,406	461,724	388,469	450,646	436,303
4.	बिहार	307,273	1,748,645	1,197,750	963,904	1,125,116	787,725
5.	छत्तीसगढ़	761,824	602,408	570,575	619344	570,635	548,483
6.	गोवा	12,087	27,744	24,499	20,444	24,745	21,099
7.	गुजरात	2,030,434	1,261,831	1,222,835	1,287,315	1,190,505	1,185,094

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	हरियाणा	660,035	591,708	539,441	553,459	534,327	502,888
9.	हिमाचल प्रदेश	168,570	141,459	136,367	142,906	136,347	130,742
10.	जम्मू और कश्मीर	74,174	280,928	267,492	225,241	267,063	249,254
11.	झारखंड	186,314	531,374	431,067	301,018	433,104	360,632
12.	कर्नाटक	1,117,980	1,073,442	1,036,235	971,156	1,034,988	925,651
13.	केरल	412,280	559,275	554,194	562,802	556,649	514,429
14.	मध्य प्रदेश	2,794,833	1,950,000	1,884,000	1,919,000	1,886,000	1,907,000
15.	महाराष्ट्र	1,950,534	2,173,000	1,975,000	2,144,000	2,110,000	1,958,000
16.	मणिपुर	12,852	45,577	34,524	28,562	32,595	31,446
17.	मेघालय	13,131	54,281	36,509	30,394	35,394	28,858
18.	मिजोरम	10,803	22,210	20,769	16,931	19,072	13,478
19.	नागालैंड	6,203	17,603	17,432	23,487	17,374	11,483
20.	उड़ीसा	653,572	873,015	825,406	782,113	824,667	762,299
21.	पंजाब	888,920	532,445	497,124	503,630	498,639	472,065
22.	राजस्थान	2,700,370	1,767,037	1,713,241	1,805,324	1,715,173	1,581,170
23.	सिक्किम	8,880	11,816	10,249	9,703	10,393	10,529
24.	तमिलनाडु	1,262,078	1,212,151	1,203,862	1,280,713	1,200,946	1,179,045
25.	त्रिपुरा	44,334	64,883	60,720	49,166	60,671	49,269
26.	उत्तर प्रदेश	5,182,965	5,588,057	5,317,251	5,015,076	4,967,997	5,024,749
27.	उत्तरांचल	287,102	220,817	229,128	229,892	229,128	197,622
28.	पश्चिम बंगाल	1,094,262	1,705,489	1,504,989	1,465,505	1,507,210	1,236,528
	कुल-सभी राज्य	24,982,237	25,292,532	23,397,977	23,172,041	23,064,511	21,681,357
	विधान मण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्र						
1.	दिल्ली	299,501	272,195	204,920	295,271	198,051	177,439
2.	पांडिचेरी	28,559	30,412	17,031	19,410	17,031	16,555
	कुल-विधान मण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्र	328,060	302,607	221,951	314,681	215,082	193,994

1	2	3	4	5	6	7	8
	बिना विधान मण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्र						
1.	अंड. और नि. द्वीप समूह	6,983	6,496	12,257	7,263	12,234	5,200
2.	चंडीगढ़	19,542	20,658	17,018	19,014	17,087	16,552
3.	दादरा और नगर हवेली	1,443	7,904	7,640	7,682	7,582	6,754
4.	दमन और दीव	2,740	3,482	6,536	2,825	5,905	3,117
5.	लक्षद्वीप	332	1,002	1,113	1,115	1,124	1,084
	कुल-बिना विधान मण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्र	31,040	39,542	44,564	37,899	43,932	32,707
	कुल-संघ राज्य क्षेत्र	359,100	342,149	266,515	352,580	259,014	226,701
	अन्य एजेंसिया						
1.	रक्षा मंत्रालय	35,763	29,925	17,394	15,378	17,019	18,992
2.	रेल मंत्रालय	49,891	23,632	26,354	16,712	26,109	18,932
	कुल-अन्य एजेंसी	85,654	53,557	43,748	32,090	43,128	37,924
	कुल	25,426,991	25,688,238	23,708,240	23,556,711	23,366,653	21,945,982

आंकड़े अनंतिम हैं।

[हिन्दी]

दूरभाष केन्द्रों का रख-रखाव

2062. श्री बची सिंह रावत 'बचदा': क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तरांचल में अधिकांश दूरभाष केन्द्र ठेकेदारों द्वारा रखे गए चौकीदारों (सुरक्षा कर्मी) द्वारा चलाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार उक्त दूरभाष केन्द्रों में तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं। उत्तरांचल के अधिकांश एक्सचेंज विभागीय कर्मचारियों द्वारा चलाए जा रहे हैं। तथापि, कुछ टेलीफोन एक्सचेंजों का रख-रखाव आवश्यकता के आधार पर, एक्सचेंज कर्मचारियों के समूह द्वारा किया जा रहा है। अन्य तात्कालिक आवश्यकताओं तथा दूरसंचार संस्थापनाओं की सुरक्षा के लिए चौकीदार रखे गए हैं।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए बजटीय प्रावधान

2063. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास/सुधार हेतु वार्षिक योजना 2002-03 और 2003-04 में सरकार द्वारा कितना बजटीय प्रावधान किया गया है;

(ख) क्या इन वर्षों में वार्षिक योजना में स्वीकृत धनराशि राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास/सुधार से संबंधित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त प्रयोजनार्थ राज्य के लिए वर्ष 2004-05 के बजटीय प्रावधान में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) वार्षिक योजना 2002-03 और 2003-04 के दौरान राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास/सुधार के लिए क्रमश: 93.79 करोड़ रु. और 48.00 करोड़ रु. की धनराशि आबंटित की गई थी।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

महिलाओं के लिए इंजेक्टेबल कांट्रासेप्टिव

2064. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम में महिलाओं के लिए इंजेक्टेबल कांट्रासेप्टिव (गर्भनिरोधी टीके) को शामिल नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम में उक्त गर्भनिरोधी उपाय को शामिल न करने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) इंजेक्शन द्वारा दिए जाने वाले गर्भनिरोधकों को परिवार कल्याण कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि महिलाओं के स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव संबंधी मूल्यांकन अध्ययन पूरे नहीं हुए हैं।

(ग) जी, हां। एक मूल्यांकन अध्ययन चल रहा है।

(घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली और राष्ट्रीय प्रजनक स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, मुम्बई द्वारा क्रमश: साइक्लोफेम महीने में इंजेक्शन द्वारा दिए जाने वाले गर्भनिरोधक, और इंजेक्शन द्वारा दिए जाने वाले एन.ई.टी.-ई.एन. (द्विमासिक) पर अध्ययन किए जा रहे हैं। अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होने की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ङ) चल रहे मूल्यांकन अध्ययनों के पूरा न होने के कारण, इंजेक्शन द्वारा दिए जाने वाले गर्भनिरोधक को राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है।

मुम्बई में पोलियो के मामले

2065. श्री गुरुदास कामत: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई में हाल ही में पोलियो के मामले सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। 26.5.2004 को लकवा प्रारम्भ होने की तारीख से ग्रेटर मुंबई में पी. वार्ड नार्थ में पोलिये के एक मामले की पहचान की गई थी। बच्चे का नाम रोहन वी. सोनार है, और उसकी उम्र 3 महीने हैं।

(ग) पोलियो संचरण को रोकने के उद्देश्य से पूरे देश में जनवरी, फरवरी और अप्रैल, 2004 के महीने में राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवसों के तीन दौर पहले ही कार्यान्वित किए जा चुके हैं। मामले की पहचान के बाद, 4 जुलाई, 2004 को पूरे मुम्बई म्यूनिसिपिल क्षेत्र और थाणे जिले के भाग को कवर करते हुए मोप-अप का एक दौर पहले ही किया जा चुका है। पूरे मेट्रोपोलिटन क्षेत्र को कवर करते हुए दूसरा मोप-अप दौर 22 अगस्त, 2004 को किया जाना प्रस्तावित है। इसके बाद अक्तूबर और नवम्बर, 2004 में दो राष्ट्र-व्यापी दौर आयोजित किए जाएंगे।

एक्सेस डिफिसिएन्सी प्रभार

2066. **श्री विजय कृष्ण:**
श्री सुरेश कुरूप:
श्री निखिल कुमार:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने ग्रामीण क्षेत्रों में लैण्ड लाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड को होने वाले नुकसान हेतु अन्य वैश्विक सेवा प्रदाताओं द्वारा एक्सेस डेफिसिएन्सी प्रभार (ए.डी.सी.) को समाप्त करने हेतु परामर्श पत्र जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो भारत संचार निगम लिमिटेड को कितना नुकसान होगा;

(ग) भारत संचार निगम लिमिटेड को क्षतिपूर्ति देने के लिए किन उपायों पर विचार किया गया है; और

(घ) ऐसे एक्सेस डेफिसिएन्सी प्रभार से उपभोक्ताओं को कितना लाभ होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अभिगम घाटा प्रभार (एडीसी) की समीक्षा करने के लिए परामर्श पत्र जारी किया है।

(ख) बीएसएनएल ने सूचित किया है कि परामर्श पत्र में वर्णित प्रस्तावों के आधार पर उसे राजस्व प्राप्ति में लगभग 3000 करोड़ रु. से 3500 करोड़ रु. तक गिरावट होने की आशंका है। तथापि, ट्राई ने परामर्श पत्र में वर्णित प्रस्तावों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में टेलीफोन सुविधाएं

2067. **श्री परसुराम माझी:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के सभी गांवों में टेलीफोन सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं;

(ख) यदि नहीं, तो राज्य में सामान्य तौर पर और के.बी.के. जिलों में विशेष रूप से कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) राज्य के सभी गांवों में टेलीफोन सुविधाएं कब तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) उड़ीसा के 46,989 गांवों में से 40,753 गांवों में टेलीफोन सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं जबकि के.बी.के. जिलों के मामले में 30.06.2004 तक 11,387 गांवों, में से 9,070 गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध हो गई है।

(ग) राज्य में टेलीफोन सुविधारहित 6,236 गांवों में से 1,337 गांवों में टेलीफोन सुविधाएं प्रदान नहीं की जा सकती क्योंकि इन गांवों में आबादी रहित गांव, 100 से कम आबादी वाले गांव, संरक्षक रहित गांव और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के तथा सघन वन के तहत आने वाले गांव शामिल हैं। शेष 4,899 गांव सामान्य स्थलीय माध्यम पर व्यवहार्य नहीं है और उनमें उपग्रह टेलीफोन प्रदान करने की योजना बनायी गयी है।

[हिन्दी]

उत्तरांचल में डब्ल्यू.एल.एल. का कार्य निष्पादन

2068. **श्री बची सिंह रावत 'बचदा':** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इससे अवगत है कि उत्तरांचल में अधिकतर डब्ल्यू.एल.एल. सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार डब्ल्यू.एल.एल. द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं को सुधारने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं। उत्तरांचल में डब्ल्यू.एल.एल. प्रणाली का कार्य निष्पादन संतोषजनक है। तथापि, पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण डब्ल्यू.एल.एल. की कवरेज सीमित है।

(ख) और (ग) डब्ल्यू.एल.एल. प्रणाली की कवरेज में सुधार के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 98 अतिरिक्त डब्ल्यू.एल.एल. बेस ट्रान्सरिसीवर स्टेशनों (बीटीएस) की योजना बनाई गई है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) और (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अभियोजन हेतु केन्द्रीय सतर्कता आयोग की अनुमति

2069. श्री रामदास बंडु आठवले: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक वर्ष-वार उन अधिकारियों के नाम जिनके विरुद्ध केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने अभियोजन हेतु अनुमति प्रदान कर दी है और उनकी नियुक्ति के स्थान सहित उन पर लगाई गई शास्तियां क्या हैं; और

(ख) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कार्यवाही और प्रस्तावित कार्यवाही क्या है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने यह सूचना दी है कि यह आयोग, संदिग्ध सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोजन चलाए जाने अथवा शास्ति लगाए जाने के संबंध में अनुमति प्रदान नहीं करता। यह आयोग, संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारियों को संदिग्ध सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोजन चलाने की सलाह मात्र देता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् वर्ष 2001 से 7 जुलाई 2004 तक आयोग ने 768 अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाए जाने की सलाह दी है और उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अभियोजन चलाए जाने की मंजूरी प्रदान करने में सक्षम विभिन्न अनुशासनिक अधिकारियों द्वारा 292 मामलों में अभियोजन चलाए जाने की मंजूरी प्रदान की गई है।

(ख) संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अभियोजन चलाए जाने की मंजूरी प्रदान करने से संबंधित मामलों का तीन माह के भीतर निपटान करना अपेक्षित होता है। यदि मामले में विधि मंत्रालय की राय ली जाती है तो निर्णय चार माह की अवधि के भीतर लिया जाना होता है। संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा दोषी सरकारी अधिकारी के विरुद्ध अभियोजन चलाए जाने की मंजूरी दे दिए जाने के बाद, मामले का निर्णय, न्यायालय द्वारा किया जाता है। नियमित विभागीय कार्रवाई के मामले में, अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त हो जाने के बाद कर्मचारी पर शास्ति लगाए जाने अथवा अन्यथा संबंधी निर्णय, संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी का होता है।

[अनुवाद]

अस्पतालों में अभिघात केन्द्र

2070. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में एक अभिघात केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्यों द्वारा संचालित अस्पतालों और विभिन्न सरकारी अस्पतालों में ऐसे ही अभिघात केन्द्र स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, और देश के अन्य अस्पतालों में ऐसे अभिघात केन्द्र कब तक कार्यशील हो जायेंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। जयप्रकाश अभिघात (ट्रामा) केन्द्र, रिंग रोड, नई दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल के निकट अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के राजनगर भूखण्ड पर स्थापित किया जा रहा है। परियोजना का भवन लगभग पूरा हो चुका है और अपेक्षित अवसंरचनात्मक सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। परियोजना में समय वृद्धि तथा लागत वृद्धि हो चुकी है जिसके लिए आवश्यक स्वीकृति ली जा रही है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों के सर्वाधिक दुर्घटना-संभावित क्षेत्रों में पड़ने वाले चुनिंदा सरकारी अस्पतालों में दुर्घटना तथा आपातिक सेवाओं का संवर्धन एवं उन्नयन करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अधिकतम 1.50 करोड़ रुपये तक अथवा अस्पताल की वास्तविक अपेक्षा के लिए, जो भी कम हो, वित्तीय सहायता स्वीकार्य है। यह सहायता आपातिक सुविधाओं के उन्नयन तथा सुदृढ़ीकरण के लिए है। योजना के आरम्भ से लेकर वर्ष 2003-2004 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदत्त वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न *विवरण* में दिया गया है।

नई दिल्ली में डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पांच मंजिले मल्टी-स्पेशियलिटी अभिघात केन्द्र का निर्माण दूसरे तल तक पूरा हो चुका है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा दी गई संशोधित अनुसूची के अनुसार अभिघात केन्द्र का निर्माण कार्य 31 मार्च, 2005 तक पूरा किया जाना नियत है। अनुमान है कि समय वृद्धि तथा लागत वृद्धि संबंधी अपेक्षित स्वीकृति के पश्चात् अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का अभिघात केन्द्र 10 महीनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।

विवरण

'क्षमता निर्माण के लिए सहायता' योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवस्थित अस्पतालों में आपातकालीन सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य-वार जारी की गई निधियों का ब्यौरा

असम

1. वर्ष 2002-2003 के दौरान नलबाड़ी जिला अस्पताल, नलबाड़ी में आपातकालीन और अभिघात सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 150.00 लाख रुपए।

अरुणाचल प्रदेश

1. वर्ष 2000-2001 के दौरान पासीघाट जनरल अस्पताल, अरुणाचल प्रदेश में दुर्घटना और आपातकालीन परिचर्या सेवा की स्थापना के लिए 59.00 लाख रुपए।

2. वर्ष 2001-2002 के दौरान जनरल अस्पताल, नहरलागुन में आपातकालीन सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 116.97 लाख रुपए।

आंध्र प्रदेश

1. वर्ष 2003-2004 के दौरान सरकारी अस्पताल, नेल्लौर में आपातकालीन सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 150.00 लाख रुपए।

2. वर्ष 2003-2004 के दौरान सरकारी अस्पताल, कुरनूल में अभिघात परिचर्या केन्द्र के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 150.00 लाख रुपए।

बिहार

1. वर्ष 1999-2000 के दौरान पटना मेडिकल कालेज अस्पताल, पटना में इंदिरा गांधी केन्द्रीय आपात एकक के आधुनिकीकरण और उसे अद्यतन बनाने के लिए 53.00 लाख रुपए।

2. वर्ष 2001-2002 के दौरान इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना को अभिघात केन्द्र की स्थापना के लिए 150.00 लाख रुपए।

3. वर्ष 2001-2002 के दौरान पटना के राजमार्ग अभिघात केन्द्र सहित माडेल बिक्रम रेफरल केन्द्र में आपातकालीन सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 150.00 लाख रुपए।

4. वर्ष 2001-2002 के दौरान आन्सी, जिला मधुबनी में अभिघात केन्द्र के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 62.71 लाख रुपए।

5. वर्ष 2003-2004 के दौरान सदर अस्पताल, छपरा, सारन में आपातकालीन सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 150.00 लाख रुपए।

छत्तीसगढ़

1. वर्ष 2002-2003 के दौरान पं.जे.एन.एम. मेडिकल कालेज, रायपुर में अभिघात एकक के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 109.00 लाख रुपए।

गुजरात

1. वर्ष 2001-2002 के दौरान जेनरल अस्पताल, नाडियाड, जिला खेड़ा में आपातकालीन सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 150.00 लाख रुपए।

2. वर्ष 2002-2003 के दौरान सिविल अस्पताल, अहमदाबाद में दुर्घटना और आपातकालीन सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 150.00 लाख रुपए।

3. वर्ष 2003-2004 के दौरान पंडित दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, राजकोट में आपातकालीन सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 146.00 लाख रुपए।

गोवा

1. वर्ष 2002-2003 के दौरान हॉसपिसियो अस्पताल, मारगाओ में अभिघात और दुर्घटना एकक के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 142.00 लाख रुपए।

हरियाणा

1. वर्ष 1999-2000 के दौरान जनरल अस्पताल, करनाल को अभिघात केन्द्र की स्थापना के लिए 150.00 लाख रुपए।

2. वर्ष 2003-2004 के दौरान सरकारी अस्पताल, सिरसा में आपातकालीन सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 150.00 लाख रुपए।

हिमाचल प्रदेश

1. वर्ष 2002-2003 के दौरान इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज और अस्पताल, शिमला तथा जोनल अस्पताल, बिलासपुर में आपातकालीन सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 147.00 लाख रुपए।

जम्मू और कश्मीर

1. वर्ष 2001-2002 के दौरान मरगुन्द, कंगन में श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन/अभिघात सेवाओं के विकास के लिए 150.00 लाख रुपए।

केरल

1. वर्ष 2001-2002 के दौरान जनरल अस्पताल, एरणाकुलम में आपातकालीन सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 150.00 लाख रुपए।
2. वर्ष 2002-2003 के दौरान मेडिकल कालेज, कोजीकोड में आपातकालीन सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 142.00 लाख रुपए।

कर्नाटक

1. वर्ष 2002-2003 के दौरान संजय गांधी एक्सीडेंट हास्पीटल एण्ड रिसर्च सेंटर, बंगलौर में आपातकालीन सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 136.50 लाख रुपए।

मध्य प्रदेश

1. वर्ष 1999-2000 के दौरान महाराजा यशवंत राव अस्पताल, इंदौर में अभिघात केन्द्र के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 97.00 लाख रुपए।
2. वर्ष 2003-2004 के दौरान जिला अस्पताल, शिवपुरी में आपात सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 150.00 लाख रुपए।

मिजोरम

1. वर्ष 2001-2002 के दौरान सिविल अस्पताल, लुंगलेई में आपात सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 58.30 लाख रुपए।
2. वर्ष 2001-2002 के दौरान सिविल अस्पताल, ऐजवाल में दुर्घटना और आपात सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 74.30 लाख रुपए।

मणिपुर

1. वर्ष 2002-2003 के दौरान जे.एन. अस्पताल, इम्फाल की आपात सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 149.92 लाख रुपए।

नागालैण्ड

1. वर्ष 2002-2003 के दौरान सरकारी अस्पताल, मेडजीफेमा में आपात सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 144.00 लाख रुपए।

उड़ीसा

1. वर्ष 2003-2004 के दौरान एस.सी.बी. मेडिकल कालेज अस्पताल, कटक में कैजुअल्टी और आपात सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 150.00 लाख रुपए।

पांडिचेरी

1. वर्ष 2000-2001 के दौरान जनरल अस्पताल, माहे में आपात सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 78.00 लाख रुपए।

राजस्थान

1. वर्ष 2003-2004 के दौरान शाहपुरा, किशनगढ़, भीम और सोजात शहर में सरकारी अस्पतालों में आपात सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 116.80 लाख रुपए।

सिक्किम

1. वर्ष 2000-2001 के दौरान एस.टी.एन.एम., अस्पताल, गंगटोक में आपात परिचर्या एकक के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 70.00 लाख रुपये।

त्रिपुरा

1. वर्ष 2000-2001 के दौरान त्रिपुरा सुन्दरी अस्पताल (दक्षिण जिला), उदयपुर में आपात सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 70.00 लाख रुपये।

तमिलनाडु

1. वर्ष 2001-2002 के दौरान जिला मुख्यालय अस्पताल, पेरम्बलूर में दुर्घटना एवं आपात सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 105.00 लाख रुपये।
2. वर्ष 2003-2004 के दौरान जिला मुख्यालय अस्पताल, ओमालूर में दुर्घटना और आपात सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 150.00 लाख रुपये।
3. वर्ष 2003-2004 के दौरान सरकारी मुख्यालय अस्पताल, विल्लुपुरम में दुर्घटना और आपात सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 143.00 लाख रुपये।
4. वर्ष 2003-2004 के दौरान चेंगलपेट्टू, मेडिकल कालेज अस्पताल, चेंगलपेट्टू के दुर्घटना अभिघात केन्द्र के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 150.00 लाख रुपये।

उत्तर प्रदेश:

1. वर्ष 2000-2001 के दौरान किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ में अभिघात केन्द्र की स्थापना करने के लिए 150.00 लाख रुपये।

उत्तरांचल:

1. वर्ष 2002-2003 के दौरान दून अस्पताल, देहरादून की आपात सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 150.00 लाख रुपये।

2. वर्ष 2002-2003 के दौरान, गोवर्धन तिवारी बेस अस्पताल, अल्मोड़ा की आपात सुविधाओं का उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 150.00 लाख रुपये।

3. वर्ष 2003-2004 के दौरान जिला अस्पताल, गोपेश्वर, चमोली जिला में आपात सुविधाओं का उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 150.00 लाख रुपये।

मध्याह्न 12.00 बजे

प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य

महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (डा. मनमोहन सिंह): अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति के संबंध में माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दे के संदर्भ में मैंने यह आश्वासन दिया था कि मैं मामले का अध्ययन करने के बाद एक वक्तव्य दूंगा।

जहां तक महाराष्ट्र का संबंध है, वर्ष 2003-04 में महाराष्ट्र सरकार ने 11 जिलों के 71 तालुकों जो राज्य का 28 प्रतिशत क्षेत्र है, को सूखा प्रभावित घोषित किया था। स्थापित पद्धति के अनुसार, सहायता देने पर विचार किया गया और यह पाया गया कि राज्य 119.92 करोड़ रुपये के लिए पात्र है बशर्ते कि बकाया राशि का राज्य के आपदा राहत कोष में समायोजन किया जाए। नोडल गृह मंत्रालय द्वारा ऐसा समायोजन करने के बाद, महाराष्ट्र को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष से 77.46 करोड़ रुपए रिलीज किए गए और 400 करोड़ रुपए मूल्य का 4 लाख टन खाद्यान्न भी आवंटित किया गया।

राज्य सरकार द्वारा और सहायता की मांग का मूल्यांकन करने के लिए 2 से 5 अप्रैल, 2004 के दौरान एक केन्द्रीय दल ने महाराष्ट्र का दौरा किया। इस दल की रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया कि राज्य सरकार 201.16 करोड़ रुपए पाने की पात्र है बशर्ते कि बकाया राशि का आपदा राहत कोष में समायोजन किया जाए। आपदा राहत कोष में समायोजन करने के बाद दिनांक 3 जून, 2004 को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष से राज्य को 165.33 करोड़ रुपए रिलीज किए गए। इसके अलावा, राज्य को दिनांक 22 जून, 2004 को लगभग 300 करोड़ रुपए मूल्य का 3 लाख टन खाद्यान्न भी रिलीज किया गया। इस राशि को मंजूर करने का निर्णय दिनांक 28.5.2004 को महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के नेतृत्व में राज्य के मंत्रियों के एक शिष्टमण्डल के साथ हुई मेरी बैठक के दौरान लिया गया। वर्ष 2003-04 के सूखे के लिए राज्य को जो कुल सहायता दी गई उसमें आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश के रूप में 208.14 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष से 242.79 करोड़ रुपए तथा 700 करोड़ रुपये मूल्य का 7 लाख टन खाद्यान्न रिलीज किया गया।

उसके बाद, राज्य सरकार ने एक और ज्ञापन दिया जिसमें मानदण्डों में छूट देते हुए 914.97 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता की मांग की गई। इस ज्ञापन पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष से मंजूरी हेतु दिनांक 14.7.2004 को एक उच्च स्तरीय समिति ने विचार किया। यह निर्णय लिया गया है कि आपदाओं के लम्बे समय तक बने रहने की स्थिति में सहायता के मानदण्डों में संशोधन करने पर सामान्य तौर पर विचार किया जाए। इस प्रयोजन के लिए संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधियों तथा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के राहत आयुक्तों की एक समिति गठित की गई है जिसके अध्यक्ष कृषि सचिव हैं। समिति जल्दी ही उच्च स्तरीय समिति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। यदि समिति अधिक आवंटन की सिफारिश करती है तो इस पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा।

जहां तक चालू वर्ष में मानसून की स्थिति का संबंध है, 1 जून से 14 जुलाई, 2004 के बीच कुल 264 मि.मी. वर्षा हुई जबकि सामान्य वर्षा 291.8 मि.मी. होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि वर्षा सामान्य से 10 प्रतिशत कम रही। कुल 36 मौसम उप-केन्द्रों में से 20 में सामान्य/अधिक वर्षा रिकार्ड की गई है जबकि 16 मौसम उप-केन्द्रों में कुल वर्षा कम/अल्प दर्ज की गई है।

आंध्र प्रदेश के तेलंगाना और रायलसीमा क्षेत्रों, महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और झारखंड में अब तक सामान्य वर्षा की तुलना में कम वर्षा हुई है जो 25 प्रतिशत से 51 प्रतिशत के बीच है।

कृषि मंत्रालय स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए है। कृषि मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारियों, जो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के प्रभारी हैं, को निर्देश दिया गया था कि वे इन राज्यों का दौरा करके जमीनी हालात का जायजा लें तथा आकस्मिक फसल योजना और इसके ब्यौरे तैयार करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ चर्चा करें अधिकारियों ने इन राज्यों में सूखा राहत प्रबंध आयोजना की भी समीक्षा की है।

महोदय, इन सभी राज्यों में फसल बुआई का मौसम वर्षा के देरी से आने के कारण जुलाई के अन्त तक बढ़ गया है। कितने क्षेत्र में बुआई नहीं हो पाई है, इसका सही-सही आकलन जुलाई के बाद ही किया जा सकेगा। इसलिए, सूखा राहत उपायों के अंतर्गत रोजगार सृजन के आकलन पर जुलाई के बाद ही विचार किया जाएगा। सभी राज्य सरकारों ने अपनी-अपनी योजनाएं तैयार की हैं ताकि पानी की कमी की स्थिति में कम/अल्प वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

मैंने स्वयं भी संबंधित मंत्रियों और सचिवों के साथ दिनांक 9 जुलाई, 2004 को स्थिति की समीक्षा की है जिसके बाद मैंने मंत्रिमंडल सचिव को कहा कि वे हर सप्ताह स्थिति की समीक्षा करे। मंत्रिमंडल सचिव ने 13 जुलाई को पहली निगरानी बैठक बुलाई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों में खाद्यान्न की मात्रा बढ़ाई जाए। मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देता हूं कि सरकार सूखे की स्थिति में लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): अध्यक्ष जी, लगातार सूखे के कारण *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने एक विस्तृत वक्तव्य दे दिया है।

[हिन्दी]

श्री अनंत मंगाराम गीते: सर, हम प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। मैं सिर्फ एक मिनट बोलना चाहता हूं। जो बयान प्रधान मंत्री जी ने सदन में दिया है, हम उसके लिए प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन लगातार सूखे के कारण पिछले वर्ष महाराष्ट्र में जिन 235 किसानों द्वारा आत्महत्या की गई है, उसके बारे में एक भी सेन्टेन्स प्रधान मंत्री जी के पूरे बयान में नहीं बताया है। हम मांग करते हैं कि आंध्र प्रदेश में किसानों द्वारा आत्महत्या करने पर, जैसे प्रधान मंत्री जी आंध्र प्रदेश गये थे, वैसे ही प्रधान मंत्री जी महाराष्ट्र के किसानों द्वारा आत्महत्या करने के मामले में महाराष्ट्र का दौरा करें। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। मैं किसी और को अनुमति नहीं दूंगा।

अपराह्न 12.08 बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा पटल पर पत्र रखे जायें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी यहां बैठे हैं, प्रधान मंत्री जी सदन को बतायें *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): महोदय, मैं श्री पी. चिदम्बरम की ओर से वित्त मंत्रालय की वर्ष 2004-05 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 331/04]

अध्यक्ष महोदय: श्री महावीर प्रसाद।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(1) (एक) कॉयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 17 की उपधारा (4) के अंतर्गत कॉयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कॉयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2002-2003 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 332/04]

[अनुवाद]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2004-05 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 333/04]

(2) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सा.का.नि. 87(अ) जो 30 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) संशोधन विनियम, 2004 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा.का.नि. 99(अ) जो 4 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मद्रास पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) संशोधन विनियम, 2004 का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा.का.नि. 173(अ) जो 4 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा

मुर्मूगांव पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2004 का अनुमोदन किया गया है।

(चार) सा.का.नि. 188(अ) जो 11 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मद्रास पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, पदोन्नति, आदि) संशोधन विनियम, 2004 का अनुमोदन किया गया है।

(पांच) सा.का.नि. 221(अ) जो 26 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन न्यास कर्मचारी (छुट्टी) संशोधन विनियम, 2004 का अनुमोदन किया गया है।

(छह) सा.का.नि. 222(अ) जो 26 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुंबई पत्तन न्यास कर्मचारी (आवास का आवंटन और अधिभोग) संशोधन विनियम, 2004 का अनुमोदन किया गया है।

(सात) सा.का.नि. 223(अ) जो 26 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) संशोधन विनियम, 2004 का अनुमोदन किया गया है।

(आठ) सा.का.नि. 224(अ) जो 26 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मद्रास पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, पदोन्नति, आदि) संशोधन विनियम, 2004 का अनुमोदन किया गया है।

(नौ) सा.का.नि. 237(अ) जो 31 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुर्मूगांव पत्तन कर्मचारी (अनुपूरक छुट्टी) संशोधन विनियम, 2004 का अनुमोदन किया गया है।

(दस) सा.का.नि. 255(अ) जो 6 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुर्मूगांव पत्तन न्यास कर्मचारी (छुट्टी) संशोधन विनियम, 2004 का अनुमोदन किया गया है।

(ग्यारह) सा.का.नि. 256 (अ) जो 6 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कांडला पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) संशोधन विनियम, 2004 का अनुमोदन किया गया है।

(बारह) सा.का.नि. 275 (अ) जो 20 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुर्मूगांव पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) संशोधन विनियम, 2004 का अनुमोदन किया गया है।

(तेरह) सा.का.नि. 280 (अ) जो 23 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तूतीकोरिन पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) संशोधन विनियम, 2004 का अनुमोदन किया गया है।

(चौदह) सा.का.नि. 281 (अ) जो 23 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तूतीकोरिन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2004 का अनुमोदन किया गया है।

(पन्द्रह) सा.का.नि. 282 (अ) जो 23 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति, आदि) संशोधन विनियम, 2004 का अनुमोदन किया गया है।

(सोलह) सा.का.नि. 341 (अ) जो 21 मई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुम्बई पत्तन न्यास (पेंशन निधि) विनियम, 2004 का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 334/04]

(3) (एक) कांडला डॉक लेबर बोर्ड, कांडला के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कांडला डॉक लेबर बोर्ड, कांडला के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 335/04]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) डाक विभाग की वर्ष 2004-2005 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(2) दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वर्ष 2004-2005 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 336/04]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) महासागर विकास विभाग की वर्ष 2004-2005 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) टेक्नॉलोजी डेवलपमेंट बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नॉलाजी डेवलपमेंट बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 337/04]

(4) (एक) श्री चित्रा तिरुनल इंस्टिट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एण्ड टेक्नॉलाजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री चित्रा तिरुनल इंस्टिट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एण्ड टेक्नॉलाजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2002-

2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 338/04]

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय और संघ लोक सेवा आयोग की वर्ष 2004-2005 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 339/04]

(2) संविधान के अनुच्छेद 320(5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) तीसरा संशोधन विनियम, 2003 जो 22 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 405 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2004 जो 6 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 67 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 340/04]

(3) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) संशोधन नियम, 2004, जो 29 मई, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 176 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 341/04]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाक लक्ष्मी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) (एक) सेन्ट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन आयुर्वेद एण्ड सिद्ध, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन आयुर्वेद एण्ड सिद्ध, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन आयुर्वेद एण्ड सिद्ध, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 342/04]

(3) (एक) नेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेद, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेद, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 343/04]

(5) (एक) आचार्य हरिहर रिजनल कैंसर सेंटर, कटक के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आचार्य हरिहर रिजनल कैंसर सेंटर, कटक के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 344/04]

(7) (एक) गुजरात कैंसर एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट अहमदाबाद के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गुजरात कैंसर एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट अहमदाबाद के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 345/04]

(9) (एक) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) पोस्टग्रेजुएट इंस्टिट्यूट आफ मेडिकल एज्युकेशन एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 346/04]

(11) (एक) नेशनल एकेडमी आफ मेडिकल साइंस, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एकेडमी आफ मेडिकल साइंस, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 347/04]

(13) (एक) किदवई मेमोरियल इंस्टिट्यूट आफ आनकोलोजी, बंगलोर के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) किदवई मेमोरियल इंस्टिट्यूट आफ आनकोलोजी, बंगलोर के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) किदवई मेमोरियल इंस्टिट्यूट आफ आनकोलोजी, बंगलोर के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 348/04]

(15) (एक) एमएनजे इंस्टिट्यूट आफ आनकोलोजो एण्ड रिजनल कैंसर सेन्टर, हैदराबाद के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे

(दो) एमएनजे इंस्टिट्यट आफ आनकोलोजी एण्ड रिजनल कैंसर सेन्टर, हैदराबाद के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 349/04]

(17) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड तथा परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 350/04]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): विदेश मंत्रालय की वर्ष 2004-2005 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 351/04]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) का.आ. 681(अ) जो 11 जून, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 नवम्बर, 2000 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1009(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ. 553(अ) जो 6 मई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के करूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-67 पर रेलवे उपरिपुल के निर्माण, रखरखाव, प्रबंधन एवं परिचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का.आ. 678 (अ) जो 10 जून, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 (चेन्नई-रानीपेट खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का.आ. 682(अ) जो 14 जून, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ख (तिरूचिरापल्ली-विरालीमालीयमदुरै खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पांच) का.आ. 683(अ) जो 14 जून, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-45 (तिन्डीवनम-विलुपुरम-त्रिची खंड) के निर्माण, रखरखाव, प्रबंधन एवं परिचालन हेतु भूमि का अर्जन के बारे में है।

(छह) का.आ. 684(अ) जो 14 जून, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-45 (तिन्डीवनम-विलुपुरम-त्रिची खंड) के निर्माण, रखरखाव, प्रबंधन एवं परिचालन हेतु भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(सात) का.आ. 685(अ) जो 14 जून, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-45 (तिन्डीवनम-विलुपुरम-त्रिची खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(आठ) का.आ. 686(अ) जो 14 जून, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्वी गोदावरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 (विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम खंड) के निर्माण, रखरखाव, प्रबंधन एवं परिचालन हेतु भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(नौ) का.आ. 687(अ) जो 14 जून, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 8 जनवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 29(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दस) का.आ. 688(अ) जो 14 जून, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या का.आ. 141(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(ग्यारह) का.आ. 689(अ) तथा का.आ. 690(अ) जो 14 जून, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में कांचीपुरम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-45 (चेंगलपट्टू-तिन्डीवनम खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(बारह) का.आ. 69(अ) जो 17 जून, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु

राज्य के कांचीपुरम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-45 (चेंगलपट्टू-तिन्डीवनम खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 701(अ) जो 18 जून, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-45 (टिंडिदनम-विल्लुपुरम-त्रिचि खंड) के निर्माण, उसका रख-रखाव, प्रबंधन और परिचालन के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 703(अ) जो 18 जून, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-45 (चेंगलपट्टु-टिंडिवनम खंड) और (त्रिचि-विरालीमलई-मदुरई खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(पन्द्रह) का.आ. 729(अ) जो 24 जून, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 (रतनपुर-हिमतनगर खंड) के चार लेन वाले मार्ग को प्रयोक्ताओं से संग्रहित किए जाने वाले शुल्क की दर के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 442(अ) जो 1 अप्रैल, 200 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य के राजकोट जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8क (पोरबंदर जिला सीमा) और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8ख पर (राजकोट बाईपास) (बामनबोर जंक्शन) को चार लेन वाला जनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 563(अ) जो 11 मई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-47 (मन्नुथी-अलुवा खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने हेतु जिला राजस्व अधिकारी, कलेक्टर तथा जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय, कलेक्ट्रट जिला थिरूसूर, केरल को प्राधिकृत करने के बारे में है।

(अठारह) का.आ. 595(अ) और 596(अ) जो 18 मई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य के वलसाड जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 (सूरत-मनोर टॉलवे परियोजना) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 599(अ) जो 20 मई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-31 के निर्माण (चौड़ा करने) के लिए भूमि का अर्जन करने हेतु अधिसूचना में उल्लिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करने के बारे में है।

(बीस) का.आ. 600(अ) जो 20 मई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-37 को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने हेतु भूमि अर्जन अधिकारी, कामरूप (मेट्रो) को प्राधिकृत करने के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 601(अ) जो 20 मई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-36 और 54 को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने हेतु उप मंडल अधिकारी (सदर) नौगांव जिला को प्राधिकृत करने के बारे में है।

(बाईस) का.आ. 602(अ) जो 20 मई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-37 को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने हेतु अपर उपायुक्त, मोरीगांव, जिला असम को प्राधिकृत करने के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 603(अ) जो 20 मई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मेघालय राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-37 को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने हेतु अतिरिक्त सहायक आयुक्त (राजस्व) दी-भोई जिला, डाकघर नौंगपोह, मेघालय को प्राधिकृत करने के बारे में है।

(चौबीस) का.आ. 688(अ) जो 26 मई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2 सितम्बर, 2003 की अधिसूचना सं. का.आ. 1012 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पच्चीस) का.आ. 629(अ) और का.आ. 630(अ) जो 26 मई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-28 (लखनऊ-उ.प्र./बिहार बार्डर) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(छब्बीस) का.आ. 634(अ) जो 27 मई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-45 (टिंडिवनम-विल्लुपुरम-त्रिचि खंड) के निर्माण, उसका रख-रखाव, प्रबंधन और परिचालन करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(सत्ताईस) का.आ. 645(अ) जो 1 जून, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 के निर्माण (चौड़ा करने) के लिए भूमि का अर्जन करने हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 352/04]

(2) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, अधिनियम 1988 की धारा 37 के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (चिकित्सा परिचर्या और उपचार) संशोधन विनियम, 2004 जो 19 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एनएचएआर-12011/11/95-एडमिन. में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) मद (1) के (सोलह से सत्ताईस तक) और (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 353/04]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): मैं योजना मंत्रालय की वर्ष 2004-2005 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 354/04]

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): मैं परमाणु ऊर्जा विवभाग की वर्ष 2004-05 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 355/04]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): मैं संसदीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2004-05 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 356/04]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर आते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रिविलेज मोशन दिया था, उसका क्या हुआ? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह मेरे विचाराधीन है। मुझे यह प्राप्त नहीं हुआ है। मैं आपको अवसर दूंगा।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, मेरे विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना का क्या हुआ? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं स्थिति का पता कर आपको बताऊंगा। अब, हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे—श्री बसुदेव आचार्य।

अपराह्न 12.10 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल में अनेक चाय बागानों के कथित रूप से बंद होने के कारण हजारों कर्मकारों के बेरोजगार होने से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये गए कदम

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैं वाणिज्य और उद्योग मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न मामले की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस

मामले पर वक्तव्य दें:-

"पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल में कई चाय बागानों के बंद होने के कारण हजारों कर्मकारों के बेरोजगार होने से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये गये कदम" ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवस्था बनाये रखें। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मैंने इस पर ध्यानाकर्षण की अनुमति दी है।

अब, मंत्री महोदय बोलेंगे।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमलनाथ): अध्यक्ष महोदय, भारतीय चाय उद्योग लम्बे समय से कम कीमतों के दौर से गुजर रहा है। चाय की घरेलू कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के समान रहती हैं। कीमतों में नवम्बर, 1999 से और उसके बाद गिरावट आनी शुरू हुई थी। चाय के लिए अखिल भारतीय औसत नीलामी कीमतें जो वर्ष 1998 में लगभग 76 रुपए प्रति कि.ग्रा. थीं, वर्ष 2003 के दौरान घटकर लगभग 56 रुपए प्रति कि.ग्रा. रह गई। वर्ष 2004 के पूर्वार्द्ध के दौरान चाय की नीलामी कीमतों में विशेषत: उत्तरी भारत में कुछ वृद्धि का रुख दिखायी दिया।

उत्पादन की अधिक लागतों और घरेलू मांग में वृद्धि की मंदी दर पर चाय के पौधे पुराने हो जाने के साथ-साथ चाय की कीमतों में निरंतर गिरावट से विशेष तौर पर मध्यम आकार के तथा वित्तीय रूप से कमजोर चाय बागानों की कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिसके फलस्वरूप कुछ चाय बागान बंद हो गए है/उनका परित्याग कर दिया गया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवस्था बनाये रखें। श्री चन्द्रकांत खैरे, आप वरिष्ठ और जिम्मेदार सदस्य हैं। आपने हमेशा मेरे साथ सहयोग किया है।

श्री कमलनाथ: इस समय बंद चाय बागानों की कुल संख्या 54 है जिनमें से 20 पश्चिम बंगाल में, 17 केरल में, 11 असम में और 6 त्रिपुरा में हैं। इन चाय बागानों के बंद होने के कारण प्रभावित होने वाले श्रमिकों की संख्या लगभग 28,000 है। उपलब्ध सूचना के अनुसार इनमें से कुछ बागानों में श्रमिक अपनी समितियां बनाकर चाय की हरी पत्ती तोड़ रहे हैं।

देश में बंद चाय बागानों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए सरकार ने बंद चाय बागानों का गहन अध्ययन करने के लिए वर्ष 2003 में तीन विशेषज्ञ समितियां नियुक्त की थीं। इन विशेषज्ञ समितियों ने वर्ष 2002 में बंद पड़े 36 बागानों जिनमें 19 पश्चिम बंगाल में, 11 केरल में और 3-3 असम और त्रिपुरा में हैं, का अध्ययन किया था। जैसाकि समितियों द्वारा पता लगाया गया था रुग्ण होने/बंद होने के मुख्य कारणों में बागान और कारखाने की कमजोर स्थिति के कारण कम फसलों की वजह से बागानों की वंशानुगत कमजोरी, बागानों का कमजोर प्रबंधन और प्रबंधनों के नगण्य इक्विटी रखने के साथ ऋणों पर अत्यधिक विश्वास शामिल हैं। इन समितियों के अनुसार इन सभी बागानों को मात्रा, गुणवत्ता और अपनी चायों की कीमत वसूली में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए बागानों के साथ-साथ कारखानों में निवेश करने की आवश्यकता है। विशेषज्ञ समितियों ने कुछ बागानों को कार्यक्षम पाया था।

इन परिणामों के आधार पर केन्द्र सरकार और टी बोर्ड ने बंद चाय बागानों के प्रबंधकों और उनके बैंकरों के साथ विचार-विमर्श को सुकर बनाया है। इन विचार-विमर्शों के बाद अध्ययन किये गये 36 बागानों में से 12 बागान जिनमें से 11 पश्चिम बंगाल में और एक असम में हैं, दोबारा खोल दिए गए थे।

रुग्ण बागानों का पुनरुद्धार करने के सरकारी प्रयास और पुनरुद्धार पैकेज जिसमें संवर्द्धनकर्ता का अंशदान होना चाहिए, के एक भाग के रूप में तथा संबंधित बैंकों से और ऋण प्राप्त करने और लेखों की पुनर्संरचना करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान करने की एक स्कीम तैयार की जा रही है। इसके अतिरिक्त पुन: पौधारोपण के लिए अतिरिक्त पूंजी सब्सिडी प्रदान किये जाने का भी प्रस्ताव है। इस पैकेज में असम और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों द्वारा निजीकरण के लिए प्रस्तावित चाय बागान भी शामिल होंगे। इस स्कीम का वित्तपोषण वसूल किये जाने वाले अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में से सृजित विशेष निधि से किया जाएगा।

चाय बोर्ड की सामान्य योजना स्कीमों के अंतर्गत, विभिन्न बागान विकास कार्यक्रमों, जैसे पुनरोंपण, पुनरुद्धार, सिंचाई सुविधाओं के सृजन आदि के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। देश में उत्पादित चाय की गुणवत्ता में सुधार करने, जिससे चाय के निर्यातों को बढ़ाने तथा अधिक कीमतें प्राप्त करने में मदद मिलेगी, इस दृष्टि से चार्य बोर्ड एक गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है। अपनी योजना स्कीमों के माध्यम से चाय बोर्ड चाय बागान श्रमिकों और उनके आश्रितों के लाभार्थ शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी कुछ कल्याण कार्यक्रमों और कार्यकलापों में भी सहायता प्रदान करता है।

केन्द्र सरकार की पहल पर बैंकों ने चाय क्षेत्र के लिए एक विशेष चाय सावधि ऋण योजना (एसटीटीएल) तैयार की है। इससे चाय क्षेत्र की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। इसमें 5 से 7 वर्ष तक वापसी भुगतान वाले चाय क्षेत्र के बकाया सावधि/कार्यशील पूंजी ऋणों के अनियमित भाग की पुनर्संरचना/पुनर्निर्धारण और

[श्री कमलनाथ]

एक वर्ष के ऋण स्थगन की परिकल्पना की गई जो बड़े उपजकर्ताओं के लिए मामले-दर-मामले के आधार पर होगा। एसटीटीएल में लघु उपजकर्त्ताओं के लिए 9 प्रतिशत तक की दर पर 2 लाख रुपए तक की कार्यशील पूंजी के लिए भी व्यवस्था है।

बागान श्रमिक अधिनियम, 1951 में बागान श्रमिकों के कल्याण की व्यवस्था है और इसके द्वारा चाय सहित बागानों में कार्य की स्थितियों को विनियमित किया जाता है। राज्य सरकारें इस अधिनियम को प्रशासित करने वाले उचित प्राधिकरण हैं और इस संबंध में नियम बनाने के लिए उन्हें शक्तियां प्राप्त हैं। भारत सरकार ने हस्तक्षेप करने और आवश्यक राहत प्रदान करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ चाय बागानों के श्रमिकों द्वारा झेली जा रही समस्याओं से संबंधित मामले को उठाया था। राज्य सरकारों ने बागानों के प्रभावित श्रमिकों और उनके परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

श्रम मंत्रालय द्वारा गठित एक अंतर मंत्रालयी समिति ने बागान क्षेत्र से संबंधित मुद्दों और सामाजिक लागतों, बागान श्रमिकों की भविष्य निधि देयताओं तथा कराधान ढांचों का अध्ययन किया है। इस रिपोर्ट को सभी संबंधित व्यक्तियों को उनके विचारों के लिए परिचालित किया गया है।

महोदय, जैसाकि मैंने पहले कहा है कि यह नोट करना उत्साहजनक है कि पिछले कुछेक महीनों के दौरान चाय की नीलामी कीमतों में कुछ सुधार हुआ है। यदि यह प्रवृत्ति जारी रहती है तो इससे भारतीय चाय उद्योग को पर्याप्त राहत मिलेगी और इसके फलस्वरूप इससे चाय बागान श्रमिकों के कष्टों का निवारण करने में पर्याप्त सहायता प्राप्त होगी। उसी दौरान समग्र उत्पादकता में सुधार करने, लागत में कमी करने, गुणवत्तायुक्त चाय का उत्पादन करने और बेहतर प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने के लिए विवेकपूर्ण प्रयास करने की आवश्यकता है। भारत सरकार इस दिशा में भारतीय चाय उद्योग की सहायता करना जारी रखेगी।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, हमारे देश का चाय उद्योग बहुत संकट में है। महोदय, 5.50 लाख लोगों की आजीविका चाय उद्योग पर निर्भर करती है। वर्ष 1999 से चाय के निर्यात में कमी हुई है, बोली मूल्य में भी कमी होती रही है, जबकि वर्ष प्रतिवर्ष चाय का आयात बढ़ता चला जा रहा है। वर्ष 2000-2001 तक हमारे देश का निर्यात 203.55 मिलियन किलोग्राम था जबकि हमाररे देश में आयात 15.23 मिलियन किलोग्राम हुआ।

वर्ष 2001-2002 में हमारे देश से निर्यात की गयी चाय 190 मिलियन किलो थी परन्तु आयात बढ़कर 16.02 मिलियन किलोग्राम हो गया। वर्ष 2002-2003 में निर्यात कम होकर 184.40 किलोग्राम हो गया जबकि आयात बढ़कर 19.67 मिलियन किलोग्राम हो गया। वर्ष 1998-99 में विश्व बाजार में चाय निर्यात में हमारी हिस्सेदारी 45 प्रतिशत थी परन्तु आज यह 18 प्रतिशत है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मात्रात्मक प्रतिबंध हटा दिया गया जो कि वर्ष 1999 में हुआ और इससे हमारे चाय उद्योग को नुकसान हुआ।

आज हम सबसे बड़े चाय उत्पादक हैं। हम लगभग 1000 मिलियन किलोग्राम चाय का उत्पादन करते हैं इसके बावजूद हम श्रीलंका, इंडोनेशिया और अन्य देशों से चाय का आयात कर रहे हैं। निम्न गुणवत्ता वाली चाय का आयात किया जाता है और हमारी घरेलू चाय के साथ मिलाकर इसका निर्यात किया जाता है। जिससे हमारे निर्यात बाजार पर कुछ अन्य देश कब्जा कर रहे हैं।

माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने अपने वक्तव्य में चाय उद्योग के सामने आ रही वास्तविक समस्याओं को उजागर नहीं किया। भारत सरकार के प्रयासों के बावजूद, 54 चाय बागान अभी भी बन्द हैं जिससे चाय बागान क्षेत्र के लगभग 30,000 मजदूर प्रभावित हुए हैं।

पश्चिम बंगाल, असम और केरल तीन राज्यों में चाय बागानों की समस्या के अध्ययन हेतु विशेषज्ञ समितित गठित की गयी थी। उस विशेषज्ञ समिति ने बहुत समय पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। उस समिति ने कुछ उपायों का प्रस्ताव किया था। जहां तक माननीय मंत्री जी के बयान को मैं समझ सका, विशेषज्ञ समिति का गठन बन्द पड़े चाय बागानों को फिर से पुनर्जीवित करने हेतु उपाय करने हेतु किया गया था। विशेषज्ञ समिति ने चाय उद्योग के समक्ष आ रहे संकट के कारणों का अध्ययन नहीं किया, जो कि बहुत आवश्यक था।

पश्चिम बंगाल सरकार ने उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने अपना प्रतिवेदन छः महीने पहले ही पश्चिम बंगाल सरकार को भेज दिया था, जिसमें भारत सरकार द्वारा उठाये जाने वाले कदमों का उल्लेख किया गया था। उस समिति की रिपोर्ट के अनुसार मुख्य समस्या यह है कि चायपत्ती का बोली मूल्य तो कम है परन्तु मार्किट में उसकी कीमत कम नहीं की गयी। माननीय मंत्री ने कहा है कि 1999 में बोली मूल्य 76 रुपये प्रति किलो था। 2003 में यह 56 रुपये प्रति किलो हो गया परन्तु खुदरा मार्किट के मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

मुख्य कारण यह है कि व्यापारी का लाभ बढ़ रहा है। चाय उद्योग के सामने संकट की स्थिति का समाधान करने हेतु पश्चिम बंगाल सरकार ने एक रिपोर्ट तैयार की। उन्होंने एक समिति नियुक्त

की और उस समिति ने कुछ सिफारिशें कीं। उसकी एक सिफारिश जिसे राज्य सरकार द्वारा आज चाय बाजार में पारदर्शिता लाने के उपाय के रूप में लाया जाना है, वह यह है कि केवल 45 प्रतिशत उत्पादन की बोली हो और बाकी 55 प्रतिशत उत्पादन खुले बाजार में बेचा जाये।

वर्ष 2003 के चाय विपणन नियंत्रण आदेश के खंड 17 के अनुसार उत्पादन का कम से कम 75 प्रतिशत बोली द्वारा बेचा जाये जबकि आज केवल 45 प्रतिशत उत्पादन ही बोली द्वारा बेचा जाता है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित समिति ने एक प्रस्ताव किया था कि चाय बाजार में पारदर्शिता लाने हेतु चायपत्ती कारखानों से उत्पादित चाय सहित शत-प्रतिशत चाय बोली द्वारा बेची जानी चाहिए। चायपत्ती खरीद कर निर्यात के साथ-साथ घटिया चाय का उत्पादन करने वाली फैक्टरियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। पाकेट चाय अनिवार्य रूप से देश के अन्दर बोली द्वारा बेची जानी चाहिए। माननीय मंत्री महोदय ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह के सारे चाय उत्पादन को बोली द्वारा बेचा जाना चाहिए। चाय विपणन आदेश 2003 के खण्ड 17 को पूरी तरह लागू किया जाना चाहिए। बोली प्रणाली को और अधिक सक्षम बनाया जाना चाहिए ताकि छद्म बोली प्रणाली को नियंत्रित किया जा सके।

पंजीकृत क्रेताओं को बोली में भाग लेने के लिए नीलामी केन्द्र में स्वयं उपस्थित होना चाहिए। चाय बोर्ड को पंजीकृत खरीदारों को न्यूनतम खरीद और न्यूनतम नीलामी प्रतिशतता को देखते हुए मानदण्डों की समीक्षा और निर्धारण करना चाहिए। जब तक यह नहीं किया जाता ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: कुछ बंद चाय बागानों को पुन: चालू करके आज इस चाय उद्योग के सामने जो संकट है उसे खत्म नहीं किया जा सकता है जब तक नीलामी की प्रणाली के दोषों में सुधार नहीं किया जाता है। चाय उद्योग पिछले सात अथवा आठ वर्षों से जिन संकटों का सामना कर रहा है उससे उबरने में जब तक केन्द्र सरकार द्वारा कुछ ठोस उपाय नहीं किये जाते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया दूसरे मुद्दे मत उठाइए। अपना प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: कोलकाता और सिलीगुड़ी में नीलामी केन्द्रों में उपलब्ध सुविधाएं नीलामी के माध्यम से 100 प्रतिशत चाय का प्रबंध करने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए, चाय की 100 प्रतिशत नीलामी के लिए जलपाईगुड़ी में एक नया नीलामी केन्द्र खोला जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: मैं अपने सुझावों सहित प्रश्न पूछ रहा हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप एक प्रश्न के रूप में अपने सुझाव बतायें। कृपया संक्षेप में कहें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह अत्यंत गंभीर मामला है। इस उद्योग में छ: करोड़ व्यक्ति कार्यरत हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। नहीं, यह तरीका नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: चाय बोर्ड को मजबूत किया जाना चाहिए। आज क्या हो रहा है? चाय बोर्ड के कर्मचारियों की संख्या में कमी की गई है ...*(व्यवधान)*

श्री नारायण चन्द्र बरकटकी (मंगलदोई): महोदय, मैं भी बोलना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अपने विचार रखने के लिए अनेक तरीके हैं। आप इस बारे में जानते होंगे। कृपया अपनी जगह पर बैठिए। यदि आप व्यवधान नहीं डालें तो मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: चाय बोर्ड अनुसंधान और विकास के लिए है ...*(व्यवधान)* परन्तु यदि संगठन कमजोर हो तो चाय बोर्ड जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, के गठन का मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

चाय बोर्ड को मजबूत किया जाना चाहिए और सिलीगुड़ी में चाय बोर्ड का शाखा कार्यालय होना चाहिए। कर्मचारियों की संख्या

में कमी की गई है। वहां पर कई रिक्तियां हैं। उन रिक्तियों को भरा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। चाय बोर्ड के माध्यम से सरकार द्वारा किये गये संवर्धनात्मक कार्य क्या है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें छः करोड़ व्यक्ति शामिल है।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: संवर्धनात्मक कार्यों के लिए विशेषज्ञ समिति ने पुनर्नवीकरण और पुनःरोपण हेतु सुझाव दिए हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इन नियमों को अच्छी तरह से जानते हैं।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: नौवीं और दसवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गैर-अधिसूचित क्षेत्रों में चाय के बागान लगाना *...(व्यवधान)*

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा): महोदय, आप अपने पार्टी के सदस्य के प्रति काफी विनम्र हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: किसने यह बात कही है? क्या आपमें यही बात दुबारा कहने का साहस है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि आप अध्यक्षपीठ की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रहे हैं तो आप सदन की प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचा रहे हैं।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: नहीं, महोदय, मैं अध्यक्षपीठ की प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रत्येक बात की एक सीमा होनी चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री से जानना चाहूंगा कि सरकार द्वारा विद्यमान बागानों के पुनरुद्धार और पुनःरोपण हेतु कौन से ठोस कदम उठाये जाएंगे। मैं माननीय मंत्री से एक बात जानना चाहता हूं। वर्ष 1999 में मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने से चाय उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है।

अध्यक्ष महोदय: आपने अपनी बात कह दी है। आप प्रश्न पूछिए।

श्री बसुदेव आचार्य: चाय उद्योग के मामले में विश्व व्यापार संगठन की शर्तों के अनुरूप उत्पाद शुल्क में 100 प्रतिशत से 150 प्रतिशत तक वृद्धि की जानी चाहिए क्योंकि देश के चाय उद्योग को बचाने के लिए इसमें 150 प्रतिशत तक वृद्धि की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय: मैंने इस मामले के महत्व को देखते हुए आपको पंद्रह मिनट से ज्यादा समय की अनुमति दी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री फ्रांसिस जार्ज, कृपया बैठ जाइए।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार, आयात शुल्क में 150 प्रतिशत तक वृद्धि करने पर विचार करेगी। इसके अतिरिक्त, ...

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना अंतिम प्रश्न पूछिए।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, आज एक प्रतिशत उत्पाद शुल्क है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस एक प्रतिशत शुल्क को वापिस ले लिया जाएगा। जैसाकि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सुझाव दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री जार्ज, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चाय उद्योग के लिए एक विशेष पैकेज की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार चाय उद्योग और चाय के बागानों में काम कर रहे लाखों श्रमिकों के कल्याण के लिए एक विशेष वित्तीय पैकेज पर विचार करेगी। धन्यवाद। *...(व्यवधान)*

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इडुक्की): महोदय, ...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री जार्ज, कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। आप नियमों को अच्छी तरह जानते हैं। कृपया मुझे सदन चलाने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री नारायण चन्द्र वरकटकी: महोदय, कृपया मुझे एक मिनट का समय दीजिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा। आप सभा का समय खराब कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: महोदय, मैं सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको कार्यवाही करनी चाहिए थी। कृपया बैठ जाइए। यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। इसके बारे में विशेष, नियम हैं। हमें नियमों के अनुसार चलना चाहिए। समय पर कोई अन्य नाम नहीं दिए गए हैं। इस मामले की अत्यावश्यकता को देखते हुए मैं तीन और माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति प्रदान करूंगा। नियमानुसार चार सदस्यों को बोलने की अनुमति है। अब श्री जोवाकिम बखला बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आप व्यवधान पैदा करेंगे, तो कोई भी नहीं सुन सकेगा। आपको केवल इसे बार-बार कहने से ही बोलने का अवसर प्राप्त होगा।

[हिन्दी]

श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरद्वार): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बसुदेव आचार्य जी, जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर आये हैं, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं क्योंकि एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर उन्होंने मंत्री और सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। चाय उद्योग के 168 साल के इतिहास में पहली बार ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री बखला, आप नियमों से परिचित हैं। आप सटीक प्रश्न पूछिए ताकि माननीय मंत्री उसका उत्तर दे सकें। इस विषय की गंभीरता की जानकारी सबको है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जोवाकिम बखला : मैं प्रश्न ही करूंगा लेकिन उनको अपना लॉजिक देना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)* चाय बागानों के 168 साल के इतिहास में आज एक गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। चाय बागानों के मजदूरों की स्थिति विशेषकर तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय बागान बंद होने से बहुत ही दयनीय है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। कृपया आप स्पष्टीकरण पूछिए।

[हिन्दी]

श्री जोवाकिम बखला: प्रांतीय सरकार, राज्य सरकार उन्हें रिलीफ मेजर्स देने की कोशिश कर रही है। मंत्री महोदय ने यहाँ जो स्टेटमैंट दिया है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इस गंभीर परिस्थिति में टी बोर्ड को और मजबूती देना चाहते हैं? क्या चाय बागानों के मजदूरों की वेल्फेयर के लिए स्पेशल पैकेज देने की आपकी कोई सोच है? चाय बागानों में जो चाय ऑक्शन होती है, उसमें पारदर्शिता नहीं है इसलिए हमें असलियत मालूम नहीं होती हमें मिसगाइड किया जाता है कि चाय का दाम नहीं मिल रहा है। चाय उत्पादन और उसके क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने बोलने का जो अवसर प्रदान किया है आप उसका इस्तेमाल कीजिए।

[हिन्दी]]

श्री जोवाकिम बखला: मैं मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि जलपाईगुड़ी में एक ऑक्शनन सैंटर खोला जाए एवं टी बोर्ड का एक और ब्रांच ऑफिस सिलीगुड़ी में खोला जाए। मैं चाय बागानों को पुनर्जीवित करने के लिए स्पेशल पैकेज की मांग करता हूं। समय कम है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं केवल उन्हीं माननीय सदस्यों को अनुमति प्रदान कर रहा हूं जिन्होंने नोटिस देने का कष्ट किया है और उन्हें नहीं जिन्होंने नोटिस नहीं दिए हैं। माननीय सदस्यगण, आपको ज्ञात है कि चार से अधिक सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अत: आप सहयोग कीजिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन, कृपया केवल प्रश्न कीजिए। अन्यथा, सब कुछ हटा दिया जाएगा।

श्री वरकला राधाकृष्णन: (चिरायिंकिल): महोदय, केरल में चाय के लगभग 17 बागान हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। आपने नोटिस भी नहीं दिया है और आप सदन की कार्यवाही में व्यवधान पैदा कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया नियमों की जानकारी प्राप्त करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): यह बहुत गंभीर मामला है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बहुत गंभीर मामला है।

[अनुवाद]

किन्तु आपने कभी भी कोई कार्यवाही नहीं की।

...*(व्यवधान)*

श्री विक्रम केशरी देव: कृपया चार सदस्यों को अनुमति दें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी, अंग्रेजों द्वारा स्थापित एक बहुत प्राचीन, बोनाक्काड एस्टेट नामक एक चाय बागान है।

अध्यक्ष महोदय: किसी विशेष मामले का संदर्भ न दें, प्रश्न पूछिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मेरा प्रश्न यह है। अब, यह संकट बहुत लंबे समय से चल रहा है। केन्द्र सरकार की नीति को बदलना होगा। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आयात प्रतिबंधों और निर्यात रियायतों को राज्य में चाय बागानों के सुधार हेतु बदलना होगा। अत: मैं समूचे राज्य में चाय बागानों की सहायता के लिए कोई निश्चित नीति बनाने के लिए माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं। अन्यथा स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, समय भी इसके अनुकूल है क्योंकि आज कल चाय बहुत सस्ती नहीं है। चाय के मूल्यों में वृद्धि हुई है। अत: यदि सरकार अवसर के अनुरूप कार्यवाही करती है और इस मामले में कोई पारदर्शी व्यवहार करती है, तो मेरा विचार है कि स्थिति में सुधार हो सकता है। मैं मंत्री महोदय से अवसर के अनुरूप कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदास दासगुप्त, कृपया केवल स्पष्टीकरण पूछिए। हमने इसके लिए पर्याप्त समय दिया है।

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, माननीय मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के विषय में मुझे एक वाक्य कहने की अनुमति दी जाए। ऐसा प्रतीत होता है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन से लौटने के पश्चात वह केवल नीलामी बाजार के मूल्य से ही प्रेरित हैं। उन्होंने समस्या पर ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने केवल पूर्व सरकार द्वारा किए गए मूल्यांकन को ही दोहराया है। उन्होंने चाय उद्योग के सामने आ रही समस्याओं को रत्ती भर भी नहीं छुआ है।

अब, मैं अपना सटीक प्रश्न पूछता हूं। क्या मंत्री महोदय को जानकारी है कि सोवियत यूनियन के विघटन के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाय के बाजार की कमी हो गई है? दूसरा, क्या मंत्री महोदय को जानकारी है कि भारत में 'ड्रिंक टी' (चाय पीजिए) जैसे कार्यक्रम आरंभ करके भारत में चाय बाजार के विस्तार की पर्याप्त संभावनाएं हैं?

इसके बाद वह कहते हैं कि यहाँ पर एक चाय बोर्ड मौजूद है। मुझे आश्चर्य है कि उन्हें चाय बोर्ड के विषय में जानकारी है, परन्तु आर्थिक पहलू से हम चाय बोर्ड का नाम भूल गए हैं क्योंकि यह बिल्कुल कार्य नहीं कर रहा है।

तीसरे, क्या मंत्री महोदय यह वायदा करेंगे कि भारतीय बाजार और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चाय की मांग में वृद्धि करने के लिए

चाय बोर्ड का पुनरुद्धार किया जाएगा? चाय की मांग के संबंध में मैं माननीय मंत्री से इसकी जानकारी लेना चाहूंगा।

चौथे, क्या माननीय मंत्री को इस बात की जानकारी है कि चाय उद्योग द्वारा अनुभव किए जा रहे संकट से उबरने के लिए वित्तपोषण किए जाने और सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध किए जाने की आवश्यकता है। माननीय मंत्री ने यह सुझाव देकर कि चाय बागान को दिए जाने वाले सस्ते ऋण की सीमा 2 लाख रुपये है, अपने आपको हँसी का पात्र बनाया है। यह पूर्व सरकार की नीति की पुनरावृत्ति मात्र है।

अध्यक्ष महोदय: श्री दासगुप्त, यह वर्णन यहाँ आवश्यक नहीं है।

श्री गुरुदास दासगुप्त: क्या माननीय मंत्री चाय उद्योग को दिए जाने वाले सस्ते ऋण की सीमा को बढ़ाने पर पुनर्विचार करेंगे? महोदय, मुझे माननीय मंत्री से दो बहुत छोटे प्रश्न और पूछने हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री दासगुप्त, कृपया अध्यक्ष के साथ सहयोग करें।

श्री गुरुदास दासगुप्त: क्या माननीय मंत्री चाय की नीलामी में की जाने वाली हेराफेरी को रोकने पर विचार करेंगे? चाय के कुछ बड़े व्यापारियों ने चाय उद्योग पर अधिपत्य स्थापित कर लिया है। क्या आप देश के चाय व्यापार में चाय की नीलामी में की जाने वाली हेराफेरी को रोकने के लिए कार्यवाही करेंगे? आप हर जगह हेराफेरी का बात करते हैं लेकिन कृपया आप अपने क्षेत्र में ही की जाने वाली हेराफेरी पर ध्यान दीजिए।

अंत में, क्या मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करेंगे कि चाय बागान के श्रमिकों को इस संकट के लिए जो कि सारे देश में फैल रहा है और जिसके लिए चाय श्रमिकों को बिल्कुल भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, प्रताड़ित नहीं किया जाएगा? इस मामले में पूर्व सरकार द्वारा कही गई बातों को केवल दोहराने की बजाए उन्हें इस संबंध में व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा।

अध्यक्ष महोदय: जी हां, माननीय मंत्री महोदय, उत्तर दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: महोदय, माननीय मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य में एक तथ्यात्मक गलती है। माननीय मंत्री ने बताया है कि केरल में बंद पड़ी चाय सम्पदाओं की संख्या 11 है, किन्तु वास्तव में केरल में बंद पड़ी चाय संपदाओं की संख्या 17 है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया मेरी बात सुनिए और बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपको अध्यक्षपीठ का सम्मान करना सीखना चाहिए। श्री पवन कुमार बंसल कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

डा. रामकृष्ण कुसमरिया (खजुराहो): अध्यक्ष महोदय, ये बड़े प्रेम से आपसे निवेदन कर रहे हैं *...(व्यवधान)* इन्हें बोलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: आपके प्रेम और हमारे प्रेम में थोड़ा फर्क है न।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। इसके संबंध में विशेष नियम हैं। निर्धारित समय सीमा के अन्दर केवल एक माननीय सदस्य का नाम आया और इसके आधार पर कार्यमंत्रणा समिति में यह सहमति हुई कि मामले के महत्व को देखते हुए इस पर विचार किया जाएगा। तीन और माननीय सदस्यों ने अपने नोटिस भेजे और किसी माननीय सदस्य ने नोटिस नहीं भेजा। अन्यथा भी, नियमानुसार, मैं चार से अधिक माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति देने की स्थिति में नहीं होता। जहां तक इस विषय का संबंध है, इन सभी राज्यों में समस्या बहुत गंभीर है। मैंने श्री जोवाकिम बखला को बोलने के लिए आमंत्रित किया क्योंकि उन्होंने इसके लिए नोटिस दिया था। जलपाईगुड़ी जिला गंभीर रूप से प्रभावित है। सदन के नेता सहित सभी इस बात को जानते हैं।

जहाँ तक केरल का संबंध है, सभी ने इस बात को स्वीकार किया है कि जहाँ तक इस विषय का संबंध है केरल में भी यह समस्या है।

...(व्यवधान)

श्री सर्बानन्द सोनोवाल (डिब्रूगढ़): महोदय, असम के विषय में क्या होगा?

अध्यक्ष महोदय: जहां तक असम का संबंध है आपने कोई नोटिस नहीं दिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हां, माननीय मंत्री महोदय बोलिए। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: हाँ, माननीय मंत्री महोदय बोलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सभी माननीय सदस्यों को कुछ और जागरूक तथा सक्रिय होना पड़ेगा। आपको सावधान, सक्रिय और अपने दायित्वों के प्रति जागरूक होना चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं नियमों के उल्लंघन की अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री बिक्रम केशरी देव, मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। आपने कोई नोटिस नहीं दिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं किसी को नियमों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री कमलनाथ: महोदय, मैं माननीय सदस्यों की इस विषय में बोलने की उत्सुकता को समझता हूं क्योंकि चाय छोटे या बड़े रूप में किसी एक राज्य से नहीं बल्कि विभिन्न राज्यों से संबंधित है। माननीय सदस्य ने यह ठीक कहा कि शायद वस्त्र क्षेत्र के पश्चात चाय क्षेत्र देश में एक सबसे बड़ा नियोक्ता है। इस क्षेत्र से देश के 6 करोड़ लोग संबंधित हैं *...(व्यवधान)*

श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन में अपनी बात तक कहने की अनुमति नहीं दी गई। अत:, मैं सदन से बहिर्गमन कर रहा हूं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.43 बजे

(इस समय श्री राजेन गोहेन और श्री नारायण चन्द्र बरकटकी सभा भवन से बाहर चले गए)

श्री कमलनाथ: यह प्रश्न चाय बागानों के बंद होने से संबंधित है। मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूं कि इस समस्या का समाधान केवल चाय बागानों को फिर से खोलने में निहित नहीं है, बल्कि इसका समाधान समस्या पर सम्पूर्ण रूप से ध्यान देने में निहित है। यह इसलिए है क्योंकि कुछ चाय बागान बंद हो चुके हैं किंतु ऐसे बहुत से अन्य चाय बागान हैं जो कि बंद होने के कगार पर हैं। यदि अन्य चाय बागानों के विषय में अधिक प्रभावी कदम नहीं उठाए जाते हैं तो वह भी आने वाले दो वर्षों में बंद होने के कगार पर होंगे *...(व्यवधान)* यह सही है कुछ बागानों को छोड़ भी दिया गया है। इसका यह अर्थ है कि उन्हें योजनागत तरीके से बंद नहीं किया गया है बल्कि वे अपने आप बंद हो गए हैं।

ऐसे बहुत से चाय बागान हैं जो कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के हैं। चाय व्यापार निगम का इस समय परिसमापन की स्थिति है।

मेरे मित्र, श्री दासगुप्त ने कहा कि यह एक नेमी तौर का उत्तर है और मैंने केवल इसके विपणन पहलू पर गौर किया है। मैं चाहूंगा कि वह पूरे वक्तव्य को पढ़ें न केवल वक्तव्य के पहले पैराग्राफ को क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बताया है। मैं चाहता हूं कि वह बजाय ऐसी टिप्पणी करने के कि यह उत्तर केवल विपणन पहलू से संबंधित है, इस वक्तव्य को दोबारा पढ़ें।

यह केवल विपणन पहलू से संबंधित नहीं है। वक्तव्य हम सबके समक्ष है। मैंने यथासंभव सभी पहलुओं पर संक्षिप्त रूप से ध्यान देने का प्रयास किया है। एक पहलू विपणन से संबंधित है, किन्तु मैं चाय उद्योग की एक प्रमुख समस्या के बारे में कहना चाहता हूं कि चाय बागानों में लगभग 50 प्रतिशत पौधों को पुन: रोपण की आवश्यकता है। यह हमारा एक पारंपरिक उद्योग है। यह सत्य है, कि रोजगार और सतत रोजगार के मद्देनजर भारत सरकार इस विषय पर बहुत चिंतित है। यह केवल रोजगार के सृजन का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह सतत रोजगार का प्रश्न है, जो कि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अत: केवल मांग पक्ष की तरफ देखने से समस्या का समाधान नहीं होगा।

50 प्रतिशत पौधे नष्ट हो चुके हैं। उनके नवीकरण और पुन: रोपण की आवश्यकता है। यदि हम पिछले कुछ वर्षों की तरफ देखें, कुल चाय उत्पादन का 20 प्रतिशत भाग अब छोटे उत्पादकों

द्वारा पैदा किया जा रहा है। पहले, बड़े चाय बागानों और बड़े चाय उत्पादकों का अपना एक स्थान था। अब पिछले कुछ सालों से 20 प्रतिशत चाय छोटे उत्पादकों द्वारा पैदा की जा रही है।

इस महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो चाय पैदा की जाती है उसे तुलनात्मक मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। यह तुलनात्मक मूल्य उत्पादन से संचालित होता है। 1997 में प्रति हैक्टेयर 1,865 कि.ग्रा. का उत्पादन हुआ जबकि आजकल हमारा उत्पादन मौटे तौर पर 1,614 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर है। हमारे उत्पादन में कमी आई है। आज हमारी चाय उत्पादन की लागत विश्व में सबसे अधिक है। यदि हम श्रम लागत को देखते हैं मैं केवल श्रम लागत पर ध्यान देने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, किन्तु हमें लागत के संपूर्ण पक्षों को देखना होगा जो श्रीलंका की तुलना में हमारी श्रम लागत 36.45 प्रतिशत है, जहां पर यह बहुत कम है, जो 20 से 30 प्रतिशत के बीच है। अत: यहाँ श्रम लागत अधिक है। हमारे चाय पौधों के लगभग 50 प्रतिशत को पुन:रोपित किए जाने की आवश्यकता है। नीलामी के मूल्यों में कमी आई है। यह सब एक साथ हुए हैं। हम न केवल इसके विपणन पक्ष का सामना कर रहे हैं, बल्कि हम बहुत मूलभूत मुद्दे का सामना कर रहे हैं वह यह है कि हमारे चाय के पौधों के लगभग 50 प्रतिशत को पुन:रोपित किए जाने की आवश्यकता है। कोई बैंक ऋण प्रदान कर सकता है, नीलामी के मूल्यों में वृद्धि हो सकती है किन्तु केवल बैंक से कोई पैकेज मिल जाने से हमारे चाय के पौधों का नवीकरण नहीं हो सकता।

एक सदस्य ने कहा कि चाय बोर्ड को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। दूसरी ओर मेरे मित्र, श्री गुरुदास दासगुप्त का कहना है कि चाय बोर्ड कुछ नहीं कर रहा है। यह तय करना उन दोनों की जिम्मेदारी है कि वे क्या कहना चाहते हैं। मेरा विचार है कि हमें जो करना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त: 'सुदृढ़ीकरण' का अर्थ है खामियों को दूर करना। हम दोनों के बीच कोई विरोधाभास नहीं है।

श्री कमलनाथ: जब उन्होंने कहा, ''इसको सुदृढ़ किया जाना चाहिए'', मैंने सोचा कि जो अच्छा कार्य कर रहा है आप केवल उसे सुदृढ़ करने की बात कर रहे हैं, किंतु उनका कहना है कि ''खामियों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए''। मेरा विचार है कि हमें मूल मुद्दे से हटकर मुद्दे की गंभीरता से ध्यान नहीं हटना चाहिए। मुद्दा यह है। जलपाईगुड़ी में नीलामी करके हमने इसे स्वीकृत किया है, और लाइसेंस दिया गया है। यह सदस्यों की सूचनार्थ है। इससे समस्या का समाधान नहीं होता है। समस्या का समाधान इसके सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक पैकेज तैयार करने में है जिसमें न केवल ऋण, बल्कि वे ऋण जिन्हें लौटाने में चूक की गई है और हमारे बाजार का भी विस्तार आदि जैसा कि मेरे मित्र ने कहा, को शामिल किया जाए।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): केरल के विषय में क्या होगा?

श्री कमलनाथ: घरेलू मांग को बढ़ाया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया मंत्री जी के भाषण के बीच व्यवधान पैदा न कीजिए।

श्री कमलनाथ: यदि वे मुझे गंभीरता से सुनना चाहते हैं तो मैं बोलूंगा। अन्यथा, वे शांत होकर बैठ जाएं और मैं भी बैठ जाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय: मैं उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा हूं।

श्री कमलनाथ: एक विचार यह है कि शत प्रतिशत चाय उत्पाद की नीलामी होनी चाहिए। एक अन्य विचार यह भी है कि चाय की शत प्रतिशत नीलामी नहीं होनी चाहिए। अब प्रश्न यह है कि उद्योग के लिए ठीक क्या है। इस समय मैं यह कहने की स्थिति में नहीं हूं कि इस संबंध में अनुकूल विचार कौन सा है। तथापि, वर्तमान में 56 प्रतिशत के लगभग चाय नीलामी के माध्यम से बेची जाती है। हम देखेंगे कि इस संबंध में सर्वोत्तम विचार क्या है। सदस्य ने एक सुझाव दिया है। जैसाकि मैंने कहा कि इस विषय पर परस्पर विरोधी दृष्टिकोण हैं। हमें देखना है कि चाय की बड़ी मात्रा में नीलामी कराने की दिशा में यह परस्पर विरोधी दृष्टिकोण कितना प्रभाव डाल सकता है।

सोवियत संघ के विषय में भी यह प्रश्न उठा था। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात लोगों ने वहाँ पर चाय पीनी कम नहीं की है। यदि वे पूर्व सोवियत संघ में चाय पी रहे थे, तो अभी भी वे चाय पी रहे हैं वह चाय रूस हो या ताजिकिस्तान। वास्तविक प्रश्न यह है कि रूस वासियों ने सीटीसी चाय के स्थान पर पारंपरिक चाय पीना आरंभ कर दिया है। जैसाकि माननीय सदस्य को विदित है कि हमारी पारंपरिक चाय का 90 प्रतिशत भाग निर्यात किया जाता है। हम जो चाय निर्यात करते हैं उसमें से 90 प्रतिशत पारंपरिक चाय होती है। उन्होंने चाय की परम्परागत किस्मों की तरफ रुख किया है और दुर्भाग्यवश हमने इसमें अपना रुतबा खो दिया है। हमने इस चाय बाजार में अपना वह स्थान खो दिया है जो हमें पूर्व सोवियत संघ के देशों में प्राप्त था। वे देश अब श्रीलंका और वियतनाम से भारी मात्रा में चाय का आयात कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, श्रीलंका और वियतनाम बाजार हमारे

[श्री कमलनाथ]

लिए बाधा बन गए हैं। वे बाजार में चाय की कीमतों के कारण और यहां तक कि चाय के स्वाद के कारण ख्यात हैं। इसलिए, यह समस्या बन गई है।

जहां तक माननीय सांसदों के द्वारा उठाये गये अन्य प्रश्नों का संबंध है, हमें एक बात पर तो सहमत होना चाहिए कि चाय के छोटे-छोटे उत्पादक जो पिछले दो-एक सालों से बाजार में पहुंचे हैं, वे (क) नीलामी के तरीके का पालन नहीं करते, और (ख) पौधारोपण श्रमिक अधिनियम का पालन भी नहीं कर रहे हैं। पौधारोपण श्रमिक अधिनियम को लागू करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार पर छोड़ दी गई है। केन्द्रीय सरकार इन कानूनों के लागू करने में राज्य सरकारों पर सख्ती बरतने के लिए कोई भी सहायता दे सकती है ...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: चाय पर उत्पाद शुल्क के बारे में जानकारी भी दें।

श्री कमलनाथ: मैं इसी मुद्दे पर आ रहा हूं। एक आशंका व्यक्त की जा रही है कि चाय का आयात किया जा रहा है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपके प्रश्न का उत्तर देने से मना करने का साहस कोई नहीं कर सकता है।

श्री कमलनाथ: जो चाय आयात की जा रही है, वह आयात करने वाली इकाइयों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विशेष इकाइयों द्वारा की गई है। परंतु, इसका 995 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक निर्यात किया जाता है। अत: इस प्रक्रिया से रोजगार सृजित होता है। वास्तव में, यदि हम रोजगार सृजित करना चाहते हैं, तो हमें इनमें से अधिकतर का अनुसरण करना चाहिए क्योंकि सभी जानते हैं कि रोजगार सृजन हमारी सरकार की भी प्राथमिकता है। इसलिए, जब तक चाय का यह कारोबार हमारी घरेलू बाजार में नहीं फैलता, यह भारत में चाय उद्योग पर प्रभावी नहीं हो सकता है। वास्तव में, यह रोजगार सृजित करने में सहायक है। जैसा मैं कह चुका हूं कि 95 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक निर्यात के लिए है।

श्री पी.के. वासुदेवन नायर (तिरुअनन्तपुरम): खेद है कि यह तर्क हमारे हितों के लिए आत्मघाती हो सकता है।

श्री कमलनाथ: आज की चर्चा के अंत में हमें वास्तविकता को पहचानना चाहिए जैसे कि (क) हमारे चाय के पुराने पौधों को पुन: रोपित करने की आवश्यकता है, तथा (ख) यह लागत का प्रश्न है। मुझे इस बात का खेद है कि कभी लोग यह कहा करते थे कि हम भारतीय चाय किसी भी कीमत पर खरीद लेंगे। यह जिन्दगी की सच्चाई है। इसलिए, जब तक हम नीलामी मूल्यों की प्रतिस्पर्द्धा के लायक नहीं होंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट): एफटीए देश में चाय का आयात कर रहा है जबकि चाय यहां पहले से फालतू है। क्या यह आयात घरेलू चाय उद्योग को प्रभावित नहीं करेगा?

श्री कमलनाथ: मैं ऐसा नहीं कर रहा। एफटीए के अंदर भी 95 से 99 प्रतिशत चाय का निर्यात होता है। प्रश्न लागत का है। मजदूरी भी लागत है क्योंकि वह पौधारोपण अधिनियम के तहत तय होता है। इसके अनुसार दूरदराज के इलाकों में होने वाली बागवानी में सुविधाएं होनी चाहिए। क्या पता इस बात को सदस्यगण नहीं मानें।

श्री गुरुदास दासगुप्त: क्या श्रम लागत के चलते ऐसा हो रहा है?

श्री कमलनाथ: मैं वैसा कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि पुराने पौधों की पुन: रोपाई की आवश्यकता है। लेकिन, यह अन्य कारणों में से एक कारण है और सभी समितियों ने इस ओर इशारा भी किया है। मेरे पास आंकड़े हैं जिनसे श्रम लागत की जानकारी मिल सकती है, श्रम लागत में इस सेक्टर की भारत में श्रम कल्याण लागत भी शामिल है ...*(व्यवधान)* यह समान ही होती है।

अध्यक्ष महोदय: श्री दासगुप्ता, यदि आप इसी तरह बार-बार टीका-टिप्पणी करते रहेंगे, तो कुछ भी नहीं होगा। कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दें। हमारे पास और भी बहुत से वक्ता हैं जो बोलना चाहते हैं।

श्री कमलनाथ: माननीय सांसद को आंकड़ों पर ध्यान देना चाहिए। यह वैसा ही होना चाहिए जैसे आंकड़े हैं। सरकार बदल जाती है आंकड़े तो नहीं बदलते हैं। यदि श्रम लागत में कोई राशि खर्च होती है तो वह लागत में शामिल होगी। आप चाहे इस तरफ हों या उस तरफ, आंकड़े वही रहेंगे। यदि संसद भवन को यहां होना है तो यह यहीं होगा ...*(व्यवधान)* मैं माननीय सांसद को आश्वास्त करना चाहूंगा कि सरकार एक चाय पैकेज के बारे में विचार कर रही है जो कि विशेष चाय पैकेज होगा। यह मामला सरकार से जुड़ा है, इसलिए हम इस बारे में जागरूक हैं। हम यह जानने के लिए प्राथमिकता दे रहे हैं कि चाय उद्योग के पुनरुद्धार और कायाकल्प के लिए क्या कदम उठाते हैं। हम एक विशेष चाय पैकेज बनाने पर विचार कर रहे हैं। एक बार हम इसे तैयार कर लें, फिर मैं माननीय संसद सदस्यों को और अधिक जानकारी दूंगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री महोदय, क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं। सदन के सभी सदस्य, विशेषकर जो चाय उत्पादन करने वाले राज्यों से हैं, इस मुद्दे पर बहुत ही गंभीर हैं। आप

उनकी एक बैठक बुलाकर समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास क्यों नहीं करते?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपके लिए एक बेहतर प्रबंध कर रहा हूं और आप व्यवधान पैदा कर रहे हैं। श्री शर्मा आप कृपया बैठ जाइए।

श्री कमलनाथ: महोदय, दो सप्ताह पहले यह जाने बिना कि इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होगा, मैंने एक बैठक बुलाई है। यह दो सप्ताह पहले नियत की गई थी और परसों सम्पन्न हुई थी। चाय उद्योग के सभी पक्षों के प्रतिनिधि, आयात करने वाला पक्ष, उत्पादन करने वाला पक्ष, आदि *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप माननीय सांसदों को बोर्ड में भी शामिल कर सकते हैं। वे सभी आपके मित्र हैं।

श्री कमलनाथ: ठीक है, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद।

श्री बसुदेव आचार्य: एक रुपया उत्पाद शुल्क।

अध्यक्ष महोदय: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव समाप्त हुआ। अब मैं विशेष उल्लेख वाले प्रस्ताव ले रहा हूं।

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर): मंत्री महोदय को स्वयं ही इस सत्र के दौरान चाय की पैदावार करने वाले क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे सांसदों की एक बैठक का आयोजन करना चाहिए। वह और आसान होगा।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल: बैठक इसी सत्र में होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: आप उनसे बात करें। मैं आपके लिए विशेष व्यवस्था कर रहा हूं और आप केवल सभा का समय व्यर्थ कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के सामने एक गम्भीर मामले की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दिल्ली के आइकोन प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तक "माई बुक आफ जी.के.*" में जो महाराष्ट्र के कान्वैंट एवं पब्लिक स्कूलों में चौथी कक्षा के छात्र-छात्राओं को पढ़ाई जा रही है। इस पुस्तक के चैप्टर-29 (पेज संख्या 42) में भारत के महापुरुषों के निक-नेम्स अर्थात् उपनाम बताए गए हैं। जैसे-

[अनुवाद]

बापू	महात्मा गांधी
द लाइट आफ एशिया	गौतम बुद्ध
नाइटींगेल आफ इंडिया	सरोजिनी नायडू
नेताजी	सुभाष चन्द्र बोस
द लेडी विद द लैम्प	फ्लौरेंस नाइटींगेल
माउन्टेन रैट	शिवाजी

[हिन्दी]

मैं कहना चाहता हूं कि वीर शिवाजी महाराज, जिन्हें हम 'छत्रपति' के नाम से जानते हैं, उनके नाम के आगे माऊंटेन रेट लिखा गया है। यह एक गम्भीर मामला है। मैं माननीय मानव संसाधन मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस मामले की तुरन्त जांच की जाए। पुस्तक की लेखिका श्रीमती एन.के. कल्सी एवं प्रकाशक आइकोन प्रकाशन, दिल्ली पर तुरन्त कार्रवाई कर उन्हें सजा दी जाए। इसके साथ ही जितनी भी पुस्तकें महाराष्ट्र राज्य एवं देश के अन्य भागों में पढ़ायी जा रही हैं, उन्हें जब्त किया जाए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने उन्हें इसका उल्लेख करने की अनुमति दी है और आप फिर खड़े हो गए हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: गीते जी, आप ऐसा चाहते थे और मैंने उन्हें अनुमति दी है। कृपया सहयोग करें।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे: महोदय, यह किताब बैन होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इन पर ऐक्शन होना चाहिए *...(व्यवधान)*

---

*भाषण समाप्त करने के बाद माननीय सदस्य ने पुस्तक को सभा पटल पर रखा। बाद में अध्यक्ष महोदय ने आवश्यक अनुमति प्रदान नहीं की, अतः पुस्तक को सभा पटल पर रखा गया नहीं माना गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए मैंने इसकी अनुमति दी है। कृपया इसका अनुचित लाभ न उठाएं। यह मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। आज हम जल्दी कार्य समाप्त करेंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इंदौर): अध्यक्ष महोदय, यह मामूली मामला नहीं है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मामूली नहीं है, इसीलिए उठाने की अनुमति दी है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री योगी आदित्यनाथ के भाषण के सिवाए कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): महोदय, हाल ही में आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक राष्ट्रविरोधी निर्णय लिया है *..(व्यवधान)*

अपराह्न 1.00 बजे

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको बोलने का मौका दिया। अब क्या बात है। योगी जी एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसका कोई समर्थन नहीं कर रहा है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? किसी ने भी इसका समर्थन नहीं किया। मैंने इसको महत्वपूर्ण मान कर इसे उठाने की अनुमति दी। इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकता हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जिस राष्ट्र पुरुष का स्टैच्यू पार्लियामैंट के प्रीमाइसिज में सम्मान के साथ लगाया गया हो, उसके नाम पर यदि ऐसा अपमान हो तो सरकार को बयान देना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम सब उनका आदर करते हैं। हम सब ने समारोह में हिस्सा लिया। हम उनका आदर करते हैं। हम उनका बहुत आदर करते हैं। उनका आदर करने वाले आप अकेले ही नहीं हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री योगी आदित्यनाथ, यदि आपके मित्र आपको अनुमति नहीं देते हैं तो मैं सभा स्थगित कर दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण सभा में ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, आपके मामले पर आज दोपहर बाद चर्चा की जाएगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आज आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा होनी है और मैं आपको इसमें भाग लेने की इजाजत दूंगा।

[हिन्दी]

आप उसमें हिस्सा लीजिए। मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपकी बात हो गई। अब आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ: अध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मजहब के नाम पर एक वर्ग विशेष को पांच प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। मैं उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। *...(व्यवधान)* देश में कांग्रेस की राज्य सरकार द्वारा एक बार पुन: मजहब के आधार पर बांट करके देश की एकता और अखंडता के सामने बहुत बड़ी चुनौती पैदा की है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

यह एक साजिश है। पंजाब में इन्होंने जिस प्रकार से जल विवाद की स्थिति पैदा की है ...*(व्यवधान)* उन्होंने आंध्र प्रदेश में मजहब के आधार पर जिस प्रकार से आरक्षण देने की बात कही है, वह सरासर संविधान विरोधी तथा राष्ट्र विरोधी है, देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने वाला देश के पंथ निरपेक्ष चरित्र के विपरीत है। आंध्र प्रदेश सरकार के इस फैसले की निन्दा की जानी चाहिए और संविधान विरोधी तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त ऐसी सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। सरकार ने संविधान विरोधी कार्य किया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.01 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.01 बजे पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, आज की कार्यसूची में शामिल नियम 377 के अधीन मामलों को कृपया सभा पटल पर रखा गया माना जाए।

[हिन्दी]

(एक) हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में रेणुका बांध के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य (शिमला): अध्यक्ष महोदय, शिमला संसदीय क्षेत्र के सिरमौर जिले में रेणुका एक धार्मिक, पौराणिक एवं पावन पर्यटन स्थल है। पर्वत मालाओं से घिरे इस आकर्षक क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से प्रस्तावित रेणुका-बांध का निर्माण-कार्य हिमाचल प्रदेश, दिल्ली सरकार, उच्चतम न्यायालय एवं केन्द्र सरकार के बीच कुछ औपचारिकताओं को लेकर लम्बित पड़ा है।

मान्यवर, रेणुका बांध के निर्माण से उत्पन्न होने वाली 40 मेगावाट बिजली से हिमाचल विद्युत बोर्ड को लगभग 25 करोड़ से अधिक की वार्षिक आय प्राप्त होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त 23 क्युबिक मीटर पानी प्रति सैकिंड राजधानी दिल्ली को मिलेगा। इस बांध के निर्माण की लागत का 15 प्रतिशत पैसा राज्य विद्युत बोर्ड तथा 85 प्रतिशत राशि दिल्ली सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इस बांध से बनी झील की लम्बाई लगभग 21 कि.मी. होगी, जिससे इस क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और प्रवासी पक्षी भी यहां पहुंचेंगे। बांध के निर्माण से रोजगार-सृजन होगा, जिससे हजारों बेरोजगारों को काम उपलब्ध होगा।

अध्यक्ष महोदय, मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि रेणुका बांध के निर्माण कार्य में आ रही अड़चनों को शीघ्र दूर करने का प्रयास किया जाये ताकि बांध निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर आरंभ हो, ताकि राजधानीवासियों को जल मिले और हिमाचल के सिरमौर वालों को रोजगार व प्रगति मिल सके।

(दो) सिरमौर, शिमला और कुल्लू जिलों की कुछ तहसीलों को जनजातीय क्षेत्र घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती प्रतिभा सिंह (मंडी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के ध्यान में लाना चाहती हूं कि हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर की दो तहसीलों राजगढ़ एवं शिलाई का सम्पूर्ण क्षेत्र एवं तहसील रेणुका तथा पावटा के कुछ भाग, जिन्हें गिरिपार क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, उनमें 392 गांवों में 1 लाख 89 हजार 968 लोग रहते हैं, जिनमें से 65,317 लोग अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंध रखने वाले हैं। इस संपूर्ण क्षेत्र में रहने वाले लोग सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं भाषाई दृष्टि से आज भी पिछड़े हुए हैं। इसलिए इस क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाये।

महोदय, इसके अतिरिक्त तहसील एवं जिला कुल्लू तथा शिमला के 15/20 क्षेत्र तहसील रामपुर के 6/20 छब्बीस, दरकाली, मुनिश व काशापाट तहसील रोहड़ू के चोआरा तथा डोडरा क्वार को भी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाये क्योंकि यह अति दुर्गम तथा सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा भाषाई दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है।

*सभा-पटल पर रखे गये।

[अनुवाद]

(तीन) तमिलनाडु के पेरियाकुलम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जंगली हाथियों के उत्पात को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री जे.एम. आरून रशीद (पेरियाकुलम): कमबम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, पुडुपट्टी और पहाड़ी इलाकों के अन्य निकटवर्ती क्षेत्रों में किसान समीप के जंगल से आने वाले हाथियों द्वारा उत्पात मचाए जाने तथा आतंक फैलाए जाने के कारण विषम परिस्थितियों में रह रहे हैं। अब तक हाथियों द्वारा कुचले जाने के कारण तीन व्यक्तियों की मौत हो गई है और अनेक घायल हो गए हैं। हाथियों ने केले के पौधों के अलावा गन्ना/मक्का/धान मूंगफली की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। नारियल के पौधों के बीच के भाग के उन कोमल पत्तों (कुरुथु) को, जहां से पौधा बढ़ता है। जंगली हाथी नुकसान करते हैं और इसको खा जाते हैं। मैं केन्द्रीय सरकार/कृषि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे राज्य सरकार को पहाड़ी के नीचे बाड़ लगाने की सलाह दें जिससे कि निर्दोष व्यक्तियों की जान बचाई जा सके तथा किसानों की आजीविका सुरक्षित की जा सके। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि वह कमबम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, जो पेरियाकुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, तमिलनाडु के अंतर्गत है, के लोगों को जान-माल के हुए नुकसान के लिए मुआवजा दे।

(चार) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में समुद्री रेत के संग्रहण पर लगाए गए प्रतिबंध की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): मैं सभा और भारत सरकार का ध्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में समुद्री रेत के संग्रहण पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध के कारण उत्पन्न गंभीर स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह आश्चर्यजनक है कि पर्यावरण संरक्षण के नाम पर समुद्री रेत के संग्रहण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है जिसके कारण अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में सरकारी और निजी उपयोग हेतु किए जाने वाले निर्माण कार्य, सड़क निर्माण कार्यों और अन्य भवन निर्माण कार्य प्रभावित हुए हैं। यह मामला विभिन्न प्राधिकारियों के समक्ष अनेक बार उठाया जा चुका है जिसकी कोई परिणाम नहीं निकला। पर्यावरण और वन मंत्री को इसकी पूरी जानकारी है। द्वीप समूह में निर्माण उद्योग में बेरोजगारी बढ़ गई है और समुद्री रेत के संग्रहण से जुड़े श्रमिकों को वैकल्पिक रोजगार भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। मेरा सरकार से पुरजोर आग्रह है कि समुद्री रेत के संग्रहण की तत्काल अनुमति दी जाए जिससे कि विकास कार्य चलते रहें और यदि समुद्री रेत के संग्रहण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता है तो सरकार को मुख्य भूमि से रेत लाये जाने हेतु परिवहन राजसहायता दे। सैकड़ों वर्षों से निर्माण कार्यों हेतु समुद्री रेत का संग्रहण बिना किसी पर्यावरणीय समस्या के किया जा रहा था। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि द्वीप समूह के निवासियों के हितों की रक्षा हेतु सामने आए।

[हिन्दी]

(पांच) गुजरात तथा देश के अन्य भागों में स्वदेशी सोडा एश उद्योग को बचाने के लिए इस पर लगने वाले आयात शुल्क में और कमी किए जाने को रोके जाने की आवश्यकता

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): अध्यक्ष महोदय, गुजरात में सोडा एश की प्रचुर मात्रा है, देश के कुल उत्पादन का 94 प्रतिशत उत्पादन तो गुजरात के उद्योगों द्वारा ही उत्पादित होता है। राज्य में सोडा एश उत्पादन की कुल पांच इकाइयां हैं, जिसका कुल पूंजी निवेश 3300 करोड़ रुपया है व 8000 व्यक्तियों को इससे प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होता है। इन इकाइयों की वार्षिक उत्पादन क्षमता 21 लाख टन के लगभग है। सोडा एश उत्पादन हेतु आवश्यक कच्चे माल लाइमस्टोन एवं नमक के विपुल भंडार भी प्रकृति की कृपा से राज्य में विद्यमान है।

हालांकि यह उद्योग चिर विकसित है, लेकिन 1997-98 से सोडा एशश के आयात के कारण इस उद्योग को अनेक कठिनाइयों से जूझना पड़ रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा आयात ड्यूटी 35 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर देने से बाहरी देशों से माल की आवक में वृद्धि हुई है, जिससे देशी उत्पादकों को अपना माल खपाने में पसीने छूट रहे हैं। ऐसे में आयात ड्यूटी में फिर से कमी करने की सोच मात्र से उत्पादकों के हौसले पस्त होते हैं।

मेरी सरकार से मांग है कि सोडा एश के देशी उद्योगों को विकसित शृंखला को जारी रखने के लिए इसके आयात शुल्क में किसी भी प्रकार की कमी नहीं करें। आयात शुल्क में कमी इस उद्योग के लिए घातक सिद्ध हो सकती है।

[अनुवाद]

(छह) कर्नाटक में फसल बीमा के लंबित दावों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए साधारण बीमा कंपनी को अनुदेश जारी किये जाने की आवश्यकता

श्री मंजुनाथ कुन्नुर (धारवाड़ दक्षिण): आपको इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक में चार वर्ष से लगातार भयंकर सूखा पड़

रहा है, जिससे किसानों की वित्तीय स्थिति जर्जर हो गई है। इसके बावजूद, यह नोट करके आश्चर्य होता है कि कर्नाटक के हावेरी, शिमोगा और हासन जिलों के किसानों को वर्ष 2002-2003 के लिए फसल बीमा की आय वितरित नहीं की गई है हालांकि, उन्होंने प्रीमियम का तत्काल भुगतान कर दिया था। वे साधारण बीमा कंपनी और कर्नाटक सरकार से बीमा राशि प्राप्त करने के हकदार हैं जबकि जानबूझकर अज्ञात कारणों से उन्हें भुगतान नहीं किया जा रहा है।

कर्नाटक के हावेरी जिले में जोई साराहल्ली के करीब 700 किसानों ने वर्ष 2002-2003 के लिए प्रीमियम का भुगतान किया था लेकिन जीआईसी के अधिकारी तकनीकी आधार पर फसल बीमे का भुगतान करने से इन्कार कर रहे हैं। समूचे कर्नाटक के किसानों की फसल बीमा की 36 लाख रुपये के बकाये दावों को तुरन्त जारी किया जाये।

हमारे राज्य में जहां करीब 400 किसानों ने फसल नष्ट होने के कारण आत्महत्या कर ली है, किसानों की दशा अच्छी नहीं है। चूंकि, किसानों के सामने गंभीर वित्तीय संकट है, उनके लिए अगली फसल हेतु बीज और उर्वरक खरीदना मुश्किल हो रहा है। जानकारी मिली है कि कर्नाटक सरकार बीमा दावों के शीघ्र निपटान के लिए केन्द्र सरकार से पहले ही अनुरोध कर चुकी है।

अत: मैं सरकार से उपरोक्त तथ्यों पर ध्यान देने और दावों के शीघ्र निपटान के लिए आदेश जारी करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

(सात) मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच और रतलाम जिलों में हाल ही में स्थापित टेलीफोन एक्सचेंजों का प्रचालन शुरू किये जाने की आवश्यकता

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र मंदसौर, नीमच तथा रतलाम जिलों के कई स्थानों पर दूरसंचार के नये भवन बनकर तैयार हैं। लेकिन कुछ सामान्य से उपकरणों के अभाव में उन नये भवनों में एक्सचेंज प्रारंभ नहीं किये जा रहे हैं। जब इन नये भवनों के एक्सचेंजों के दायरे में आने वाले आसपास के ग्रामवासियों द्वारा दो-दो, तीन-तीन वर्ष पूर्व ही टेलीफोन कनेक्शन हेतु नियमानुसार आवश्यक धनराशि जमा करवा रखी है, किंतु उनको टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त नहीं हुए हैं। इसी प्रकार से सामान्य उपकरणों के अभाव में जावरा, भानपुरा, जावद, रामपुरा आदि नगरों में मोबाइल सेवा प्रारंभ नहीं की जा सकी है। जबकि इन सेवाओं के प्रारंभ किये जाने के बारे में औपचारिक रूप से कई बार घोषणा की जा चुकी है। दूरसंचार सेवाओं को इस प्रकार से विलंबित किये जाने और पैसा जमा कराये जाने के बावजूद कनैक्शन प्राप्त नहीं होने के कारण जनसाधारण को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। क्योंकि इन क्षेत्रों में कई स्थान ऐसे भी हैं जो अपराध प्रवृत्ति के कुछ व्यक्तियों से प्रभावित हैं। इस बारे में अधिकारियों का ध्यान बार-बार आकर्षित किया गया, किंतु कार्य में लापरवाही करते हुए विलंब किया जा रहा है। अत: मेरा संचार मंत्री महोदय से अनुरोध है कि नये भवनों में एक्सचेंज तुरंत चालू की जाएं। उनमें जो थोड़े बहुत उपकरणों का अभाव है, उनकी पूर्ति की जाये।

(आठ) छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के गुरू घासीदास विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

श्री पुन्नूलाल मोहले (बिलासपुर): अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर जिले के गुरू घासीदास विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने की आवश्यकता है क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में यह एकमात्र विश्वविद्यालय है। यह अनुसूचित जाति, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है और इनके सामाजिक व राजनैतिक विकास हेतु केन्द्रीय विश्वविद्यालय में मेडिकल कॉलेज, टैक्नालॉजी कम्प्यूटर शिक्षा प्रणाली लागू होना आवश्यक है।

अत: केन्द्र से अनुरोध है कि बिलासपुर में गुरू घासीदास विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्वीकृति दी जाये।

[अनुवाद]

(नौ) त्रिपुरा राज्य में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए धनराशि स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता

श्री खगेन दास (त्रिपुरा-पश्चिम): मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में चिकित्सा संबंधी बुनियादी सुविधाओं के आंकलन हेतु उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। समिति ने पाया कि त्रिपुरा में 442 चिकित्सा अधिकारियों, 477 विशेषज्ञ डॉक्टरों और अर्द्ध चिकित्सा कर्मचारियों की भारी कमी है। देश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में राज्य हेतु चिकित्सा सीटों का छोटा सा कोटा आरक्षित है, जो अपर्याप्त है। हर वर्ष सैंकड़ों रोगी इलाज के लिए त्रिपुरा के बाहर जाते हैं। अत: उच्चस्तीय समिति ने त्रिपुरा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की सिफारिश की। तत्पश्चात त्रिपुरा सरकार ने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्थापना हेतु परियोजना रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट एनएलसीपीआर के अंतर्गत वित्तपोषण के द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए मंत्रालय को भेज दी गई है।

मेरी पुरजोर मांग है कि 'एनएलसीपीआर' के अंतर्गत 'डोनर' द्वारा परियोजना के वित्तपोषण की मंजूरी में तेजी लाई जाये ताकि इस वित्त वर्ष के दौरान मेडिकल कॉलेज कार्य करना शुरू कर दे।

[हिन्दी]

(दस) उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में गोमती नदी पर नए पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री पारसनाथ यादव (जौनपुर): अध्यक्ष महोदय, गोमती नदी उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर नगर के मध्य से गुजरती है। यहां पर एक पुल का निर्माण आजादी से पूर्व हुआ था। यह पुल साही पुल के नाम से भी जाना जाता है। आज इस पुल की हालत बिल्कुल जर्जर हो चुकी है और आने वाले निकट समय में इस पुल के टूटने का खतरा अत्यधिक बना हुआ है, जिससे इस क्षेत्र में किसी भी समय एक बड़ा हादसा हो सकता है।

केन्द्रीय गृह मंत्री और उ.प्र. के मुख्य मंत्री जी ने इस पुल के समानान्तर एक नये पुल के निर्माण की घोषणा की थी, लेकिन आज तक इस पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। मेरी केन्द्र सरकार से यह मांग है कि इस पुल का निर्माण कार्य अतिशीघ्र किया जाये।

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश में उन्नाव को कानपुर से जोड़ने के लिए नए पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव): अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के कानपुर महानगर को लखनऊ तथा देश के बड़े क्षेत्र को कानपुर से जोड़ने के लिए मात्र एक ही पुल है जो यातायात के लिए नाकाफी है।

उन्नाव जिले के शुक्लागंज-कानपुर के बीच में गंगा पर पुराने रेलवे पुल को सड़क पुल में परिवर्तित किया गया, परन्तु वह इतना संकरा है कि यातायात के लिए नाकाफी है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उन्वनाव को कानपुर महानगर से जोड़ने के लिए एक और पुल का निर्माण कराया जाये तथा इसके लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव मंगवा कर एक और पुल बनवाने की कृपा की जाये।

[अनुवाद]

(बारह) गैर-कोयला मुख्य खनिजों पर रायल्टी बढ़ाए जाने की आवश्यकता

भर्तृहरि महताब (कटक): गैर-कोयला मुख्य खनिजों पर रायल्टी दरें अब तक नहीं बढ़ाई गई हैं, जबकि तीन वर्ष की समाप्ति पर रायल्टी दरों में संशोधन की संबंधी सांविधिक अनिवार्यता सितम्बर, 2003 में ही पूरी कर ली गई थी। जानकारी मिली है कि प्रमुख खजिनों पर रायल्टी दरों में संशोधन संबंधी अध्ययन दल ने विचार-विमर्श पूरा कर लिया है और उसने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। लेकिन रायल्टी दरों में संशोधन हेतु दूसरी अनुसूची में संशोधन करने के लिए अपेक्षित अधिसूचना अभी तक सरकार द्वारा जारी नहीं की गई है। इस बीच कुछ खनिजों विशेषकर लौह अयस्क के मूल्यों में कई गुना वृद्धि हो चुकी है। एक ओर जहां ऐसी मूल्यवृद्धि तेजी से हो रही है वहीं रॉयल्टी ढांचा यथा मूल्य आधार पर निर्धारित नहीं किया जाता। वर्तमान में उड़ीसा में संसाधनों की गंभीर कमी का सामना करना पड़ रहा है और वर्तमान स्थिति को बेहतर बनाने के लिए राजकोष में इजाफे हेतु अतिरिक्त राजस्व की तात्कालिक आवश्यकता है। अत: मैं सरकार से यथाशीघ्र गैर-कोयला प्रमुख खनिजों पर रॉयल्टी बढ़ाने के लिए तुरन्त कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

(तेरह) कृषि संबंधी कार्यकलापों और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिले के डान्टन में सरसनका डिघी टैंक से गाद निकाले जाने की आवश्यकता

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): पश्चिम बंगाल के पश्चिम-मिदनापुर जिले के अंतर्गत डान्टन में सरसनका डिघी टैंक नाम का एक बड़ा टैंक है। यह मौजासरसनका और एकमालीपुर जे.एल. संख्या 120 और 123 पर स्थित है। इस टैंक का कुल क्षेत्रफल करीब 150 एकड़ है। यह टैंक पांच सौ वर्षों से भी अधिक पुराना है और इसे राज्य का सबसे बड़ा डिघी माना जाता है। निर्माण के बाद से कभी भी इसकी खुदाई नहीं की गई। वर्तमान में इसमें काफी गाद भरा हुआ है। इस विशाल टैंक का उपयोग इलाके के 1000 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल भूमि में सिंचाई के लिए किया जा सकता है। यह बागवानी विकास, मत्स्य पालन और अन्य कृषि संबधी प्रयोजनों में भी लाभकारी हो सकता है। यह टैंक तीर्थयात्रियों के लिए पवित्र स्थल माना जाता है, जहां वे पौष संक्रांति को आते हैं और स्नान करते हैं। तीन लाख से अधिक लोग इस पावन अवसर पर एकत्र होकर धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करते हैं। इसे आदर्श पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। इस विशाल टैंक से गाद निकाले जाने की तात्कालिक आवश्यकता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे और किसानों के साथ-साथ हजारों युवक भी लाभान्वित होंगे। अत: मैं केन्द्र सरकार से राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में की गई घोषणा के अनुरूप इस वर्ष प्रायोगिक कार्यक्रम के अंतर्गत इस परियोजना को शुरू करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

(चौदह) महाराष्ट्र में नासिक में रेल लाइन पर उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री देवीदास पिंगले (नासिक): अध्यक्ष महोदय, मुम्बई से मनमाड, दिल्ली, कलकत्ता जाने वाली रेलवे लाइन पर महाराष्ट्र का नासिक शहर बसा है। वहां एकलहरा औष्णीक विद्युत केन्द्र तथा किलौस्कर पम्पिंग को जोड़ने वाले रास्ते पर रेल लाइन है। यहां से दिन में करीब 40 जोड़ी रेलगाड़ियों के चलने से बार-बार फाटक बंद हो जाता है, जिससे दोनों तरफ मोटरगाड़ियों का तांता लगा रहता है। इससे यातायत में आम लोगों, कर्मचारियों तथा अधिकारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

अत: मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि उक्त स्थान पर एक ओवरब्रिज का तुरंत निर्माण करें।

[अनुवाद]

(पन्द्रह) मिट्टी और जल में ऐन्डोसल्फान कीटनाशक की उपस्थिति के कारण केरल के कासरगौड जिले के पडरे गांव के लोगों के सम्मुख आ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट): केरल के कसरगौड़ जिले के पडरे गांव के लोग जन्मजात रोगों, जनन संबंधी बीमारियों, तन्त्र विज्ञान संबंधी अस्वस्थताओं सहित कई भयंकर बीमारियों से पीड़ित हैं। वर्ष 2001 में नेशनल इंस्टीट्यूट आफ आकुपेशनल हैल्थ, जो कि आईसीएमआर का प्रमुख संस्थान है, ने गांव में इन बीमारियों के फैलने के कारणों के संबंध में एक वैज्ञानिक अध्ययन किया था। वर्ष 2002 में प्रस्तुत इसकी रिपोर्ट में यह दर्ज है कि मिट्टी पानी और उस क्षेत्र से इकट्ठे किये गये मानवीय खून के नमूनों में एन्डोसल्फान नामक कीटनाशक (पेस्टीसाइड) पाया गया है। इस रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि पाडरे गांव से इकट्ठे किये गये रक्त के नमूनों में एंडोसल्फान की मात्रा मीजा पंचायत के नमूनों की तुलना में बहुत अधिक है। उनके सुविचारित मत में एंडोस सल्फान गांव के लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं का मूल कारण थी।

परन्तु वर्ष 2003 में केन्द्र सरकार ने एक विशेषज्ञ ग्रुप नियुक्त किया। इसके अध्यक्ष श्री ओ पी दूब थे। उन्होंने यह निष्कर्ष दिया कि वर्तमान सवास्थ्य संबंधी समस्याओं और एंडोसल्फान में कोई संबंध नहीं है।

अब यह मेरे ध्यान में आया है कि अगले विशेषज्ञ दल के प्रमुख सदस्य इस समिति के प्रतिवेदन को नहीं मानते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी सूचना भी प्राप्त हुई है कि निजी प्रयोगशाला के द्वारा दिये गये निष्कर्ष, जिनके आधार पर विशेषज्ञ दल ने अपने निष्कर्षों को प्रमाणित किया है, गलत और झूठे थे।

इसका संबंध लोगों से है जिन्हें असाधारण स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनके बच्चों और परिवार के सदस्यों की बीमारियां घेर लेती हैं। इस समस्या का समाधान दयापूर्वक और पूरी सावधानी के साथ किया जाना चाहिए ताकि उनके हितों को शक्तिशाली औद्योगिक ग्रुपों के हितों पर प्राथमिकता देकर सुरक्षा दी जाये।

सरकार को प्रभावित लोगों के प्रति संवेदनशील होकर इन समस्याओं का निदान अवश्य और शीघ्र करना चाहिए।

अपराह्न 2.02 बजे

सामान्य बजट, 2004-05—*सामान्य चर्चा*

लेखानुदानों की मांगें—(सामान्य), 2004-05 और अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2001-2002—*जारी*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, बजट पर सामान्य चर्चा आरम्भ होती है।

***श्रीमती मनोरमा माधवराज** (उदुपी): महोदय, सामान्य बजट 2004 से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का आर्थिक एजेंडा परिलक्षित करने की आशा की गयी थी परन्तु जब केवल सात महीने का समय बाकी बचा तो वित्त मंत्री जी ने इसे एक लेखानुदान प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत करना उचित समझा।

नई सरकार ने पहले अपने पैर जमाने और फिर फरवरी 2005 में एक पूर्ण सामान्य बजट प्रस्तुत करने का मन बना लिया था। नई सरकार ने शायद पाया कि एनडीए द्वारा निर्धारित आर्थिक नीतियों में कोई मुख्य दोष नहीं है जिन पर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता हो यह एक निर्विवाद वास्तविकता है कि एनडीए सरकार ने एक अच्छी आर्थिक व्यवस्था स्थापित की है और बहुत सी बड़ी-बड़ी परियोजनायें अब पूरी होने को हैं जोकि सामान्य लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होने वाली है।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्रीमती मनोरमा माधवराज]

नई सरकार में भी एनडीए की उदारवादी आर्थिक नीतियों के कई प्रशंसक हैं क्योंकि इनमें राष्ट्र को सुदृढ़ करने, संवारने की अद्भुत क्षमता हैं। परन्तु इसके बावजूद क्योंकि संयुक्त सरकार की और भी कई मजबूरियां होती हैं वे विनिवेश के विषय पर और एफडीआई की अधिकतम सीमा के मामलों पर अपने समर्थकों के दबाव में आ गये हैं। इस प्रकार नई यूपीए सरकार का लक्ष्य, जैसाकि बजट 2004 से परिलक्षित हो जाता है, कुछ धुंधला गया है। इसके अतिरिक्त आर्थिक 2004-2005 के आंकड़े अच्छे मानसून की आशा पर आधारित थे, परन्तु अब स्थिति यह है कि लगभग एक कृषि योग्य भूमि की सूखे की चपेट में आने की संभावना है। मैं आशा करता हूं कि मौसम में बदलाव आए और ऐसे प्रभावित क्षेत्रों जहां वर्षा न के बराबर अथवा औसत से भी बहुत कम हुई है, उनमें वर्षा हो। भाग्यवश इस संकट की स्थिति का सामना करने हेतु हमारे पास अनाज के भंडार हैं और यह केवल खाद्य उत्पादन और परिरक्षण के मामले में एनडीए की प्रबंध तकनीक के कारण संभव हो सका है। परन्तु सभी कल्पनीय लाभ होने के बावजूद यूपीए पिछले कुछ वर्षों से प्राप्त लाभों को और आगे बढ़ाने के अवसर का लाभ उठाने में सफल नहीं रही है। यूपीए को एनडीए द्वारा स्थापित रास्ते को छोड़कर नया रास्ता अपनाना ठीक लगा क्योंकि उसे डर था कि वरना वाजपेयी सरकार की उपलब्धियों को स्वीकार करना पड़ेगा।

सामान्य लोगों की मुसीबतों को कम करने के बजाए वित्त मंत्री जी ने बिहार को जहां आगे चुनाव होने वाले हैं, 3225 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज को स्वीकृति दी है। वस्त्र क्षेत्र में हुये अधिक उत्पादन से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को महाराष्ट्र और तमिलनाडु में समर्थन मिलने की आशा है जहां जल्दी ही चुनाव होने वाले हैं।

मुझे आश्चर्य है कि बिहार जैसे अतिव्ययी और अधिक खर्चीले राज्य को सरकार ने विशेष पैकेज की संस्वीकृति दी है जबकि वित्तीय संकट से गुजरने वाले कई अन्य राज्यों को भगवान के भरोसे छोड़ा गया है। बिहार को मिले विशेष पैकेज से यह स्पष्ट है कि सरकार उन राज्यों के प्रति उदार रवैया अपनायेगी जिन्होंने अधिक खर्च करने के बाद धन की लूट करना आरंभ किया है।

प्रस्तावित शिक्षा उपकर का प्रस्ताव संभ्रामित है। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है परन्तु कर राजस्व की सम्पूर्ण प्रणाली का उद्देश्य क्या है?

अगर यही स्थिति रही तो क्या हम रक्षा हेतु उपकर का प्रावधान कर सकते हैं क्योंकि रक्षा भी महत्वपूर्ण है अथवा क्या हम पुलिस उपकर लगा सकते हैं क्योंकि पुलिस भी कानून और व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। विशेष व्ययों हेतु नये करों का लगाया जाना एक गलत प्रथा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को यह उपकर हस्तांतरित करने में काफी समय लग जायेगा। अत: कुछ समय बीत जाने पर ही इसका प्रभाव नजर आयेगा। शिक्षा उपकर हेतु किसी अलग एकाउंट के न होने पर इस धनराशि के व्यपगत होने की आशंका है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को उसे उसी वर्ष खर्च कर देना पड़ेगा। यदि मानवव संसाधन विकास मंत्रालय तथा राज्यों के व्यय क्रम को देखा जाये तो उपकर से प्राप्त अतिरिक्त निधियों का उपयोग करना बड़ा कठिन है।

जल्दी-जल्दी तैयार किये गये बजट से बहुत अपेक्षाएं करना ठीक नहीं है और आम आदमी की फरवरी 2005 तक पूरे बजट की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जिसमें प्रत्येक क्षेत्र को कुछ मिलेगा परन्तु तब तक उनके पास एनडीए शासन द्वारा छोड़े गये धन शेष हैं।

[हिन्दी]

***श्री सुरेश चन्देल** (हमीरपुर-हि.प्र.): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा दिनांक 8 जुलाई, 2004 को लोक सभा में इस वर्ष का सामान्य बजट प्रस्तुत किया गया। मैं उस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

महोदय, देश की जनता में बजट को लेकर बहुत उम्मीदें जगाई गई, लेकिन यह बजट जनता की उम्मीदों के विपरीत है। पहले तो यह प्रचारित किया गया कि जिस सरकार के पास मनमोहन सिंह, चिदम्बरम और मांटेक सिंह अहलूवालिया जैसे आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हों, उनका प्रदर्शन लाजवाब होगा। न्यूनतम साझा कार्यक्रम, राष्ट्रपति अभिभाषण और प्रधान मंत्री का देश को संबोधन, हर मंच से जनता में देश की भावी अर्थव्यवस्था के बारे में कई रंगीन उम्मीदें जगाई गईं, लेकिन वास्तविकता यह है कि इस बजट में सरकार जनता के साथ किए गए अपने अधिकांश वादे निभाने में पूरी तरह नाकामयाब रही है। उसने अपना कोई आश्वासन पूरा नहीं किया।

महोदय, बजट से पूर्व यह प्रचार किया गया था कि ग्रामीण सैक्टर, कृषि, स्वास्थ्य, नियोजन आदि में सरकार कुछ अभूतपूर्व परिवर्तन करने वाली है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरकार ने यदि एक हाथ से दिया है, तो दूसरे हाथ से ले लिया है। इन क्षेत्रों में यदि थोड़ा आबंटन बढ़ाया है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के बजट में 3 हजार करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई है।

महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बजट में रोजगार की गारंटी देने वाले कार्यक्रमों का कोई उल्लेख नहीं है। शहरी बेरोजगारी जैसी बड़ी समस्या पर यह बजट मौन है। सिर्फ यह संकेत दिया गया है कि बाद में श्रम मंत्री इस संबंध में कानून

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

का प्रारूप पेश करेंगे। इससे बेरोजगार नवयुवकों में भारी बेचैनी है।

महोदय, इस सरकार ने एक प्रकार एन.डी.ए. सरकार द्वारा चालू किए गए कार्यक्रमों को जारी रखने की घोषणा करके उनके महत्व और उपयुक्तता को स्वीकारा है और उसी पर मोहर लगाई है। जहां बदलाव है भी तो वह बहुत मामूली सा ही है। आर्थिक सर्वे रिपोर्ट में भी हमारे कार्यक्रम के सकारात्मक प्रभाव को रेखांकित किया जा सकता है। इस बजट में घोषित ऐसी कई योजनाएं हैं जो वास्तव में हमारी सरकार ने तैयार की थीं, लेकिन अब यू.पी.ए. सरकार द्वारा उन्हें अपने झंडे के रूप में फहराया जा रहा है।

महोदय, कोच्चि में कंटेनर पोर्ट की स्थापना के लिए हमारी सरकार निविदाएं आमंत्रित कर चुकी थी। इस सरकार ने क्या नया काम किया, क्या सेतु समुद्रम प्रोजैक्ट कोई नया है, नहीं। परन्तु बजट में जानबूझकर ऐसे संकेत दिए गए हैं जिनसे यह लगे कि इस सरकार ने बहुत कुछ किया है। वास्तव में यह जनविरोधी बजट है। शहरी मध्यम वर्ग पर करारी चोट करने वाला यह बजट है। सिंचाई साधनों को मुहैया कराने की योजनाएं हों या फूड स्टांप की योजनाएं हों, ये बहुत सीमित क्षेत्रों के लिए ही लागू की जा रही हैं। बजट में किसी भी क्षेत्र में कोई भी बोल्ड स्टैप नहीं उठाए गए हैं और न ही कोई बोल्ड निर्णय लिए गए हैं जिनसे मैं इस बजट की प्रशंसा कर सकूं।

महोदय, यू.पी.ए. सरकार के वित्त मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि एन.डी.ए. सरकार ने उन्हें एक स्वस्थ एवं मजबूत अर्थव्यवस्था सौंपी थी। इस बजट में कई घोषणाओं को लेकर जनता में भ्रम पैदा किया गया है। एक लाख से कम की आमदनी पर आयकर की पूरी छूट भी एक छलावा ही है। सीनियर सिटीजन्स के लिए पहले से ही बहुत लाभ उपलब्ध थे, केवल भाषा बदल दी गई है और शब्दों की जादूगरी से सीनियर सिटीजन्स के लाभों को महिमामंडित किया गया है। कुल मिलाकर सरकार इनकम टैक्स पर जितनी छूट दे रही है, वह सभी टैक्सों पर लिए जाने वाला दो फीसदी का अधिभार बराबर कर देता है। किसी भी सरकार के वित्त मंत्री के लिए ऐसा अधिभार लगाना समस्याओं से निपटने का आसान रास्ता है। इसे एक पारदर्शी टैक्स पालिसी नहीं कहा जा सकता।

महोदय, वित्त मंत्री को बजट प्रस्तुत करते समय केलकर समिति की सिफारिशें याद नहीं आई। एक ओर जहां लांग टर्म कैपीटल गेन पर टैक्स समाप्त कर दिया गया वहीं ट्रांजैक्शन टैक्स भी समाप्त कर दिया गया है। ट्रैक्टर और कृषि संबंधी उपकरणों पर छूट दी गई है, लेकिन कई चीजें ऐसी भी हैं जिन पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। ई.पी.एफ. की दर के मामले में भी बजट मौन साधे है। वास्तव में समस्याओं को भविष्य के लिए छोड़ दिया गया है। मेरी दृष्टि में यह बजट महंगाई बढ़ाने वाला बजट है, मुद्रास्फीति बढ़ाने वाला बजट है। यह हमें विकास के उस रास्ते पर नहीं ले जाने वाला है जिसका हर मंच से जोर-शोर से प्रचार किया गया।

महोदय, वित्त मंत्री जी ने सर्विस टैक्स के दायरे में आने वाली सेवाओं की संख्या तो बढ़ाई ही है, साथ ही सर्विस टैक्स की दर भी बढ़ा दी है। उन्होंने सर्विस टैक्स की दर 8 से 10 फीसदी बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। सभी सर्विस टैक्स पर अब 2 प्रतिशत की दर से एजूकेशन सेस भी लगाने की बात कही गई है। इसके अलावा 58 सेवाओं को पहले ही सर्विस टैक्स के दायरे में रखा जा चुका है।

महोदय, रुपए में 23 पैसे ब्याज अदायगी पर खर्च रही यू.पी.ए. सरकार ने अपने पहले आम बजट में सीनियर सिटीजन का विशेष ख्याल रखते हुए उनके लिए 9 प्रतिशत की ब्याज दर वाली 'वरिष्ठ नागरिक बचत योजना' की घोषणा की है, जबकि लघु बचतों की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके चलते पी.पी.एफ., जी.पी.एफ. और विशेष बचत योजना पर 8 प्रतिशत दर से ही ब्याज मिलता रहेगा। छोटी बचत योजनाओं की चालू ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं करते हुए वित्त मंत्री ने सरकारी बचत बांड की 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर को भी जारी रखने का प्रस्ताव किया है। इनसे आम जनता को जो ब्याज दर बढ़ने की आशा थी, उनकी आशाओं पर पानी फिर गया है।

महोदय, अब मैं अपने हिमाचल प्रदेश के बारे में बजट की अपेक्षाओं की चर्चा करना चाहता हूं। मैं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से आता हूं। हिमाचल प्रदेश उत्तुंग श्रृंखलाओं में बसा पहाड़ी, पिछड़ा, दूरदराज का सीमावर्ती क्षेत्र है जिसके जिला किन्नौर की सीमाएं चीन के साथ तथा जिला चम्बा की पांगी भरमौर की सीमाएं पाकिस्तान के साथ लगती हैं। हिमाचल प्रदेश में प्रकृति ने आपार सौंदर्य भरा है, लेकिन प्रदेश सरकार अपने सीमित साधनों के कारण पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पर्यटक केन्द्रों का अपेक्षित विकास नहीं कर पा रही है। इसलिए बजट में हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रावधान किया जाना चाहिए, लेकिन कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

महोदय, रेलों के मामले में हमारी आजादी के बाद से बराबर अपेक्षा होती रही है और रेलों के विकास और विस्तार के नाम पर अब तक की प्रगति शून्य कही जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में दूसरा सबसे बड़ा पर्यटन उद्योग है, लेकिन उसे बढ़ावा देने के लिए बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। हिमाचल

[श्री सुरेश चन्देल]

प्रदेश में उद्योग नहीं के बराबर हैं। वहां खेती मैदानी भागों जैसी नहीं होती है क्योंकि बहुत ऊंचे-ऊंचे पहाड़ नदियां, नाले एवं ऊंचे-ऊंचे दर्रे हैं। हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसके निचले भागों में जहां आदमी गर्मी और लू से पसीने-पसीने हो जाता है वहीं उसी सीजन में ऊंचे भागों में सर्दी और बर्फ के कारण हड्डियां कांपने लगती हैं।

महोदय, हिमाचल प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों एवं न्यून आय के साधनों को दृष्टिगत रखते हुए हि.प्र. के विकास हेतु बजट में विशेष प्रावधान किया जाना आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश का जब के 'सी' कैटेगरी का दर्जा कम किया गया है तब से विकास का कार्य बहुत धीमा पड़ गया है। कहां तो हिमाचल प्रदेश को 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण, सहायता के रूप में मिलता था वहीं अब सी कैटेगरी स्टेट का दर्जा समाप्त होने से 80 प्रतिशत ऋण एवं 20 प्रतिशत अनुदान के रूप में सहायता मिल रही है जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है।

हिमाचल प्रदेश की कठिन भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए तथा सरकारी कर्मचारियों के कार्य की कठिनता तथा प्रतिकूल जलवायु के कारण वहां देश के अन्य प्रदेशों के मुकाबले कर्मचारियों का घनत्व अधिक है। इसलिए वेतन एवं भत्तों के रूप में प्रदेश सरकार को बहुत अधिक व्यय करना पड़ता है जिससे विकास के कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं।

ऐसी विषम परिस्थिति में मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि हिमाचल प्रदेशश को विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा सदन में की जाए ताकि हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी, पिछड़े तथा दूरदराज एवं उत्तुंग हिमाचल की श्रृंखलाओं में बसे लोगों को यह अहसास हो सके कि यू.पी.ए. सरकार उनकी अपनी है तथा उसने उनकी अपेक्षा नहीं की है।

महोदय, जैसाकि आप जानते ही हैं हिमाचल प्रदेश से देश की रक्षा सेनाओं में सबसे अधिक भर्ती होती है। आज भी देश की रक्षा पंक्ति में हिमाचल प्रदेश को सबसे अधिक लोग लगे हुए हैं। यही कारण है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में सेवारत एवं भू.पू. सैनिकों की अत्यधिक संख्या है।

अब सेवानिवृत्त हो रहे एवं पहले सेवानिवृत्त हुए सैनिकों की पेंशनों में भारी अन्तर है जिसके कारण उनमें बहुत क्षोभ है। इसे दूर करने के लिए एन.डी.ए. सरकार ने "वन रैंक वन पेंशन" के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए एक समिति का गठन किया था जिसके आधार पर निर्णय लिया जाना था, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। बाद में एन.डी.ए. सरकार ने कुछ ऐसे निर्णय लिए जिनसे सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारियों की पेंशनों में तो ज्यादा विसंगति नहीं रही, लेकिन सेवानिवृत्त हो रहे छोटे सेनाकर्मियों की पेंशनों में अभी भी बहुत अन्तर है। एक अनुमान के अनुसार इस विसंगति को दूर करने पर लगभग 400 करोड़ रुपये व्यय होने की संभावना है। मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि वे 'वन रैंक वन पेंशन' के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए शीघ्र लागू करने की घोषणा करें तथा इस हेतु बजट में धन का प्रावधान करें।

महोदय, जैसा मैंने पहले बताया हिमाचल प्रदेश की विशेष एवं कठिन भौगोलिक परिस्थिति है। हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पीति जिले के काजा और केलांग मुख्यालय सर्दियों में लगभग छः महीने देश के शेष भागों से कटे रहते हैं। वहां सेवारत कर्मचारियों के वेतन, भोजन एवं खाना पकाने हेतु कोयले, मिट्टी के तेल एवं गैस की व्यवस्था एडवांस में एकमुश्त छः महीने के लिए की जाती है। वहां सेवारत कर्मचारियों को छः महीने का वेतन भी एडवांस में दिया जाता है क्योंकि भारी हिमपात के कारण वहां के सभी रास्ते बन्द हो जाते हैं और गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए ही सिर्फ हैलीकॉप्टर सेवा हिमाचल प्रदेश सरकार चलाती है। ऐसी विकट स्थिति में लाहौल के मुख्यालय केलांग को देश के मुख्य भाग से बारहों मास जोड़े रखने की दृष्टि से कुल्लू जिले के मनाली तहसील में स्थित रोहतांग दर्रे के नीचे एक सुरंग (टनल) बनाने की योजना विगत अनेक वर्षों से चल रही थी। उसका उद्घाटन हमारी एन.डी.ए. सरकार के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 2001 में रखी और प्रारम्भिक कार्य जैसे एप्रोच रोड इत्यादि का कार्य हुआ, लेकिन इस सरकार के आते ही वह कार्य ठप्प पड़ गया प्रतीत होता है। मेरा माननीय वित्त मंत्री एवं रक्षा मंत्री जी से आग्रह है कि इस ओर विशेष ध्यान दें और इस टनल निर्माण के कार्य को युद्धस्तर पर कराएं तथा एक निश्चित समय-सीमा के भीतर इसे पूरा कराएं ताकि हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के जो भाग छः महीने देश से कटे रहते हैं। वे सदैव जुड़े रह सकें। देश के इंजीनियरों का यह कमाल प्रकृति पर आंशिक विजय प्राप्त करने में सदैव इतिहास में अमर रहेगा।

महोदय, जैसा मैंने बताया हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर, जिला लाहौल-स्पीति और चम्बा जिले की पांगी तथा भरमौर तहसीलें अत्यन्त पिछड़ी हैं और वहां लोग बहुत कठिन एवं विषम परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वे क्षेत्र किसी भी प्रकार से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से कम कठिन नहीं हैं। भारत सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को आयकर से छूट दे रखी है। मेरा निवेदन है कि हिमाचल प्रदेश के उपर्युक्त जिलों के लोगों को भी आयकर से छूट प्रदान की जाए। इस संबंध में मैं पिछली 12वीं एवं 13वीं लोक सभा के सांसद के रूप में भी निवेदन करता रहा हूं और अब 14वीं लोक सभा के सदस्य के रूप में भी निवेदन कर रहा हूं। यह बहुत न्यायोचित मांग है जिस पर

वित्त मंत्री जी गम्भीरता से विचार करें और बजट पर हुई बहस का उत्तर देते समय इस बात की घोषणा सदन में करें। ऐसा करने से भारत सरकार के कोष पर कोई विशेष बोझ नहीं पड़ेगा।

महोदय, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने से पहले भारत सरकार, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान सरकारों की अनेक संयुक्त बिजली परियोजनाएं हिमाचल की धरती पर हिमाचल के पानी से निर्मित की गईं, किन्तु हिमाचल का हिस्सा उनमें नगण्य रहा। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के बाद तथा हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा यह विषय केन्द्र के ध्यान में लाया गया और केन्द्र सरकार ने हि.प्र. में अब बनने वाली परियोजनाओं में हि.प्र. का 12 प्रतिशत का हिस्सा स्वीकार किया तथा भाजपा के समय में जितनी भी बिजली परियोजनाओं के करार हि.प्र. के साथ हुए उनमें 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली के सिद्धांत के अनुसार ही हि.प्र. का हिस्सा मुकर्रर किया गया है, किन्तु पहले की जो परियोजनों चल रही हैं, उनमें हिमाचल प्रदेश के साथ जो ज्यादती की गई, उसकी भरपाई अभी तक नहीं हो सकी है। इस संबंध में हि.प्र. सरकार की ओर से एक वाद न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें कई सौ करोड की न्यायोचित सहायता की प्रार्थना हिमाचल प्रदेश की ओर की गई है। ऐसी स्थिति में मेरा सरकार से आग्रह है कि वह एकमुश्त कम से कम 100 करोड़ रुपए हि.प्र. को देने की घोषणा करे ताकि हिमाचल प्रदेश में विकास के रुके हुए पहियों को गतिशील किया जा सके।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के जिला ऊना में स्वां नदी है, जो लोगों के लिए अभिशाप बनी हुई है। वर्षा के समय इतनी अधिक बाढ़ आती है कि आसपास के क्षेत्रों में जान-माल का भारी नुकसान होता है। स्वां नदी की 74 ट्रिब्यूटरीज हैं। यदि इनका चैनेलाइजेशन हो जाए, तो मैं समझता हूं कि न केवल ऊना जिला बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश को केवल इसी क्षेत्र से अन्न की आपूर्ति की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय और मेरे 12वीं एवं 13वीं लोक सभा के कार्यकाल में इस प्रकरण को मैंने व्यक्तिगत रूप से अनेक स्तरों पर उठाया और योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष श्री के.सी. पन्त जी ने इस योजना को स्वीकृति प्रदान की तथा नाबार्ड से 29 करोड़ रुपए का लोन लेकर इसके निर्माण की प्रारम्भिक दिशा में कार्य किया गया। इस योजना का कार्य प्रगति पर है, लेकिन महोदय, यह बहुत विशाल परियोजना है और लगभग 604 करोड़ रुपए का प्रारम्भिक आकलन है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि कम से कम इस योजना हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार को 500 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की जाए। इसके लिए अधिक धन के प्रावधान के साथ-साथ इसके कार्य के पूर्ण होने की पांच वर्ष की समय-सीमा निर्धारित कर इसका कार्य त्वरित गति से कराया जो ताकि हिमाचल प्रदेश के लोगों को लगे कि यू.पी.ए. सरकार ने हिमाचल के लोगों की अवहेलना नहीं की है।

महोदय, वित्त मंत्री जी ने हिमाचल के बिगड़ते हुए प्रदूषण पर चिन्ता व्यक्त की है। यह बिल्कुल ठीक है। आज देश में इतना प्रदूषण बढ़ गया है कि हिमालय भी इससे अछूता नहीं रहा है। लोग नीचे से हिमालय में घूमने जाते हैं और वहां कूड़ा-कचरा, थर्मोकोल के कप और थैलियां फेंक आते हैं जिससे हिमालय में प्रदूषण को गम्भीर खतरा पैदा होता जा रहा है। हिमाचल भारत का रक्षक है। यह चीन की ओर से आने वाली तेज हवाओं से भारत की रक्षा करता है, वहीं देश के पर्यावरण को बचाता है तथा देश इकौलौजीकल बैलेंस को बनाए रखता है। महोदय, हिन्दुस्तान में पानी हिमालय से ही मिलता है। यदि हिमालय में प्रदूषण होगा और पानी नहीं मिलेगा, दो देश पेयजल एवं सिंचाई के लिए तरस जाएगा और फिर जलविद्युत परियोजनाएं पानी के अभाव में बेकार हो जाएंगी। इसलिए हिमालय के पर्यावरण को बनाए रखने एवं बचाने के लिए विशेष प्रयास करने आवश्यक हैं। इस हेतु मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि हिमालय को सुरक्षित रखने, उसके विकास एवं उसमें बसे क्षेत्रों के विस्तार जैसे हिमाचल प्रदेश की सुरक्षा हेतु एक बोर्ड का गठन किया जाए जिसमें विशेषज्ञों के साथ-साथ स्थानीय राजनीतिज्ञों, विधायकों एवं सांसदों को भी सम्मिलित किया जाए ताकि हिमालय की सुरक्षा के सम्यक प्रयास किये जा सकें।

महोदय, जैसाकि आपको विदित ही है हिमाचल प्रदेश में उद्योग एवं खेती के माध्यम से रोजगार के अवसर बहुत कम उपलब्ध हैं। इसलिए वहां औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से नए-नए रोजगार सृजन हेतु प्रशिक्षण दिया जाना नितान्त आवश्यक है। वित्त मंत्री जी ने बजट में घोषणा की है कि 500 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को उन्नत किया जाएगा। मेरा आपके माध्यम से उनसे आग्रह है कि वे हिमाचल प्रदेश के मेरे संसदीय क्षेत्र में स्थित जिला बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना एवं कांगड़ा स्थित देहरा की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के उन्नयन हेतु विशेष रूप से घोषणा करें।

महोदय, देश में आज काले धन और सामान्तर अर्थव्यवस्था का बोलबाला है जिससे गरीब लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। टैक्सों की चोरी कर जो धन बचाया जाता है उस काले धन को निकालने एवं टैक्स-चोरों के खिलाफ किसी भी प्रकार के कठोर कदम उठाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए हैं।

महोदय, अन्त में मैं माननीय वित्त मंत्री जी का कुछ अच्छे कार्यों के लिए बजट प्रस्तुत करने हेतु धन्यवाद करता हूं, वहीं

[श्री सुरेश चंदेल]

बजट का घोर विरोध करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं और महोदय, आपको मुझे बोलने का समय देने के लिए धन्यवाद करता हूं।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों, विशेषकर माननीय प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, जिन्होने विपक्ष की ओर से चर्चा आरम्भ की थी का बजट प्रस्तावों पर रात्रि देर तक चलने वाली विस्तारपूर्वक चर्चा हेतु आभारी हूं।

विगत वर्षों में बजट भाषण लेखाकार की रिपोर्ट से परे चला गया है। कोई भी वित्त मंत्री लेखाकार नहीं है। विशेषकर, नई सरकार के प्रथम वर्ष में बजट को प्रस्तुत कर रहे वित्त मंत्री केवल लेखाकार नहीं होते। मैं ऐस विश्वास करता हूं कि न केवल इस सभा के माननीय सदस्यों के लिए अपितु जन-साधारण के लिए भी जिन्होंने वोट दिया है, यथायोग्यता जनादेश की व्याख्या करना और इस सभा और लोगों को आश्वस्त करना कि हम जनादेश के प्रति सच्चे हैं, मेरा कर्त्तव्य है।

जनादेश क्या है? यह एक जटिल जनादेश है। यह एक ऐसा जनादेश है जो वर्ष 1991 में प्राप्त हुये जनादेश से बिल्कुल भिन्न है। यह जनादेश वर्ष 1998 और पुन: वर्ष 1999 में भारतीय जनता पार्टी और इसके सहयोगियों द्वारा प्राप्त जनादेश से भिन्न है। वर्ष 2004 का जनादेश एक जटिल जनादेश है जिसने इस संसद में कई राजननीतिक दल भेज दिये हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल की अपनी प्राथमिकतायें हैं और इसलिए मुझे इन हितों पर ध्यान देने का प्रयास करना है।

मेरा विश्वास है कि यह जनादेश सुधार प्रक्रिया को एक नये रूप देना है तथा अपने आप से यह प्रश्न पूछना है कि क्या लोगों का कोई वर्ग यह महसूस करता है कि उन्हें पीछे छोड़ दिया गया है। यदि सरकार परिवर्तन का इंजन है तो उस इंजन को न केवल शहरी भारत को प्रन्तु ग्रामीण भारत के लोग को भी अपने साथ लेना चाहिए।

मैं मानता हूं कि निर्वाचन संबंधी जनादेश, जो कि कुछ महीने पहले ही हमें मिला है, के अंतर्गत मुझे सुधार प्रक्रिया की कुछ वरीयताओं को फिर से देखना होगा और उन वरीयताओं को दुबारा क्रमबद्ध करना होगा। प्राप्त जनादेश के अनुसार मुझे सरकारी क्षेत्र के इस भाग को, जिसने भारत को समृद्ध किया है और भारत को मजबूत बनाया है, को प्रोत्साहन और संरक्षण देने के साथ-साथ निजी क्षेत्र को भी अवसर प्रदान करने होंगे। इस जनादेश के तहत आर्थिक अथवा राष्ट्रीय विकास की किसी प्रक्रिया में लोगों को एक मुख्य संसाधन मानना भी है।

मेरे अधिकतर कार्य को एन.सी.एम.पी. द्वारा पहले से ही निर्देशित किया जा चुका है। एन.सी.एम.पी. चुनाव-पूर्व एक घोषणापत्र नहीं था। यह एक सुविचारित दस्तावेज है जिसे सरकार के भीतर और बाहर से समर्थन करने वाले राजनीतिक दलों द्वारा एक साथ रखा गया। इसलिए एन.सी.एम.पी. को अत्यधिक सोच विचार के बाद बनाया गया है। एन.सी.एम.पी. को समर्थन करना मेरा कार्य नहीं है; मेरा कार्य एन.सी.एम.पी. के प्रति वफादार रहना है। परन्तु एन.सी.एम.पी. पांच वर्षों के लिए एक रोड-मैप है। वस्तुत: हम सभी अधीर है; हम सभी चाहते हैं कि सभी कार्य जल्दी से जल्दी हो जाये। मैं फिर कहना चाहता हूं कि यह रोड-मैप पांच वर्षों के लिए है और मुझे विश्वास है कि यह सरकार पांच वर्षों तक सत्ता पर आसीन रहेगी और अपने वायदों को निभायेगी। यदि इस सभा का कोई वर्ग, इस जनादेश को नहीं समझा है और अपनी पराजय स्वीकार नहीं की है, महोदय, मुझे आशंका है कि वो विपक्ष में बैठे मेरे मित्र हैं।

शायद उन्होंने यह सोचा था कि वे दुबारा में सत्ता आयेंगे, शायद इस तरफ बैठे कई मित्रों ने भी सत्ता में आने की आशा नहीं की थी। हमने यह मान लिया है कि हम सत्ता में हैं परन्तु उन्होंने यह नहीं माना है कि वे विपक्ष में है ...*(व्यवधान)* उनकी पार्टी के विभिन्न पदाधिकारियों में व्याप्त घबराहट तथा विरोधी के विभिन्न चैनलों के उठाए मुख्य मुद्दे को जानबूझकर अनदेखी करने तथा उनके हावभाव से इम बात का पता चलता है। जब तक वे मनाली से अहमदाबाद की यात्रा करते हैं, स्थिति बदल जाती है और जब तक वे अहमदाबाद से दिल्ली यात्रा करते हैं एक और बड़ा बदलाव होता है।

बहरहाल, जैसा भी हो, मैं इस समय बजट उद्देश्यों और सिद्धान्तों का उल्लेख करना चाहता हूं। सर्वप्रथम बात यह है कि लोग सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है और इसलिए यह बजट शिक्षा, स्वास्थ्य, पौष्टिक दोपहर का भोजन संबंधी योजना, पेयजल संबंधी कार्यक्रम, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के प्रति लक्षित सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना स्व सहायता ग्रुपों हेतु एक नई बीमा योजना, 500 आई.टी.आई. का उन्नयन, शिक्षा ऋण आदि पर जोर देता है। ये सभी भारत के लोगों को एक संसाधन के रूप में देखते हैं।

दूसरा, निवेश अत्यन्त महत्वपूर्ण है। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में निवेश से ही बढ़ोत्तरी होगी। निवेश से ही रोजगार में वृद्धि होगी। आय के सृजन हेतु भी निवेश आवश्यक है और लोगों के अधिकतम कल्याण के लिए भी निवेश महत्व रखता है।

तीसरी मूलभूत बात यह है कि वितरण प्रणाली अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम ज्यादा नुकसान नहीं उठा सकते हैं न ही उत्साहित होकर यह भ्रम पाल सकते हैं कि खर्च करना निवेश नहीं है।

चौथा हम इस पर चर्चा कर सकते हैं और मैं आश्वस्त हूं कि हम कई अवसरों पर इस पर चर्चा करेंगे-यद्यपि हम राजकोषीय मूलतत्ववादी नहीं होना चाहते हैं और हमें अवश्य ही राजकोषीय दूरदर्शिता का अनुसरण करना चाहिए। आर्थिक कानून कठोर कानून है। भारत इन कानूनों की अनदेखी नहीं कर सकता है। यदि इन कानूनों से विश्व में सौ से अधिक देशों में अच्छा कार्य हआ है तो हमें यह क्यों मानना चाहिए कि ये कानून भारत में नहीं चलेंगे?

इस पृष्ठभूमि में, महोदय मैं सभा से यू.पी.ए. सरकार की ओर से मेरे द्वारा प्रस्तुत बजट की ओर ध्यान देने का अनुरोध करूंगा। मैं कुछ मिनटों में प्रत्येक क्षेत्र के संबंध जल्दी-जल्दी बोलना चाहता हूं। एक छोटी (कम पृष्ठों वाली) पुस्तिका को बजट के भाग के रूप में वितरित किया गया है। इसे ''वर्ष 2004-05 बजट की मुख्य विशेषतायें'' कहा गया है और जो कुछ भी मैं कह रहा हूं उसका अधिकतर भाग इस पुस्तिका में पहले से ही है। हमने जो कुछ भी प्रत्येक क्षेत्र में किया है उसे एक साथ इस पुस्तिका में सुविधाजनक शीर्षों के अंतर्गत लाया गया है। चलिए हम कृषि का उदाहरण लेते हैं जैसाकि मैं सोचता हूं कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की प्रकृति को समझने के लिए मूलभूत बात है।

वृद्धि दरों को ही लें। वर्ष 1991 से तीन वर्षों में जब फसल अच्छी नहीं हुई थी, तो वृद्धि दर में कमी आई। जिन वर्षों में फसल अच्छी हुई थी तब वृद्धि दर में बढ़ोत्तरी हुई। यदि आप कृषि संबंधी जी.डी.पी. वृद्धि दर को देखते हैं तो आप यह पायंगे कि वृद्धि दर की प्रवृत्ति अमूमन एक समान है। यह कृषि ही है जिसमें अत्यधिक वृद्धि दर होती है अथवा सामान्य वृद्धि दर से नीचे वृद्धि दर होती है। दूसरे, भारत के अधिकांश लोग अभी भी कृषि और संबंधित क्रियाकलापों पर निर्भर है। आप कैसे इस कटु सत्य की अनदेखी कर सकते हैं? इसलिए कृषि का इस बजट और निधियों के आवंटन में महत्वपूर्ण स्थान है। यह संभव है कि कई माननीय सदस्यों के पास इन बजट के खण्डों को देखने का समय नहीं है। सभा हेतु ऐसा करना मेरा काम है और मैं इसे अपनी योग्यतानुसार करूंगा।

कृषि में हमने ऋण संबंधी मुख्य प्रश्न के समाधान हेतु साहसिक शुरुआत की है। यहां पर कुछ पहलू है जिन पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। मैंने बार-बार अपील की है कि हमें इसके लिए तीन अथवा चार महीने का समय देना चाहिए और हम इस मामले को दुबारा देखेंगे। ऋण मुख्य मुद्दा था और हमने 18 जून को इस पर विचार किया था। यदि हम इस वर्ष लगभग 80,000 करोड़ रुपये से 1,05,000 करोड़ रुपये तक उधार बढ़ा सकते हैं तो हम अगले वर्ष कृषि उत्पादन में अन्तर देख सकेंगे।

अक्सेलरेटिड इरिगेशन बैनिफिट प्रोग्राम (ए.आई.बी.पी.) पुनः एक निवेश-उन्मुख उपाय है। एक लाख पनधारा ढांचों के सृजन हेतु नाबार्ड के माध्यम से माइक्रो इरिगेशन एंड वाटरशैड प्रोग्राम एक निवेश-उन्मुख उपाय है। कृपया वे शब्द याद रखें, ''व्यय निवेश नहीं है'' जो मैंने कहे थे। निवेश में व्यय की आवश्यकता होती है परन्तु प्रत्येक व्यय निवेश नहीं होता। ऐसे क्षेत्रों की ओर देखिए जहाँ हम व्यय कर रहे हैं। ए.आई.बी.पी. निवेश-उन्मुख और पनधारा प्रोग्राम, निवेश-उन्मुख भी है। 8,000 करोड़ रुपये की आर.आई.डी.एफ. पुनः निवेश-उन्मुख है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): योजना आबंटन के बारे में क्या स्थिति है? क्या आपने योजना आवंटन को कम किया है अथवा नहीं? हम केवल बैंकों हेतु पूछ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने की अनुमति दें। मैं आपको अंत में स्पष्टीकरणों हेतु अवसर दूंगा। परन्तु बीच में अवसर नहीं दूंगा। आप तैयार रहिये।

श्री पी. चिदम्बरम: क्या मैंने अपना भाषण समाप्त कर दिया है। मैं समझता हूं कि आपको अपने नेता, जो धैर्यपूर्वक सुन रहे हैं, से सबक सीखना चाहिए।

सभी प्रयास जो हमने कृषि क्षेत्र में किये हैं निवेश-उन्मुख हैं। अब लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैंने कौन से नये प्रयास किये हैं। नये प्रयास किये हैं। नये प्रयास कृषि संबंधी व्यापार के क्षेत्र में है। खण्ड 80 1बी के कई उप-खण्ड थे परन्तु किसी ने भी खण्ड 80 1 बी. के अंतर्गत व्यापार हेतु छूट देने के बारे में नहीं सोचा था। पहली बार हमने कृषि संबंधी व्यापार हेतु कर छूट दी है। यह दिशा परिवर्तन है। आप शहरी भारत की ओर देख रहे थे और अब हम ग्रामीण भारत की ओर देखते हैं। आप गैर-कृषि संबंधी व्यापार की ओर देख रहे थे और हम कृषि संबंधी व्यापार की ओर भी देखते हैं। हमने एक राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत की है। किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा था कि प्रौद्योगिकी बागवानी मिशन और राष्ट्रीय बागवानी मिशन में क्या अन्तर है? प्रौद्योगिकी बागवानी मिशन चार नये और छोटे राज्यों तक सीमित है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन में पूरा देश शामिल है। केवल इन चार राज्यों में नहीं अपितु पूरे भारत में किसान है।

हमने जल निकायों की बहाली हेतु एक बड़े कार्यक्रम की घोषणा की है। एक आलोचना की गई है कि हमने केवल पांच जिलों का चयन किया है। तथ्यात्मक रूप से यह गलत है जैसाकि मैंने कहा था ''कम से कम पांच जिले''। परन्तु मुझे इसे पांच ही लेने दे। जैसा कि मैंने कहा था मैं एक अत्यधिक बड़े आधारहीन गर्त के सृजन और उसमें धन की बरबादी में विश्वास नहीं करता

[श्री पी. चिदम्बरम]

हूं। जापानियों के बारे में यह कहा जाता है कि वे डिजाइन करने में दो वर्ष का समय और इसे लागू करने में एक वर्ष का समय लेते हैं। हम डिजाइन करने में एक माह, दो वर्ष में इसे कार्यान्वित करने का वायदा और कार्यान्वित करने में 20 वर्ष का समय लेते हैं। धन लगाने से पहले वैज्ञानिकों और वैज्ञानिक रुझान वाले पुरुषों और महिलाओं द्वारा हर चीज का डिजाइन, परीक्षण और प्रमाणीकरण होना चाहिए। यहां वितरण प्रणाली महत्वपूर्ण है। मुझे इस बात का अवश्य पता होना चाहिए कि किस प्रकार से मैं इस वायदे को पूरा करने जा रहा हूं कि एक जिले में जल निकायों का पूरी तरह से नवीकरण किया जायेगा। हमें अवश्य ही इसका देश के पांच भागों में परीक्षण करना चाहिए। हम इस वर्ष इसका दस जिलों में परीक्षण करेंगे। हम परिणामों को रिकार्ड करेंगे और इसकी पुष्टि करेंगे और तब इसे पूरे देश में शुरू करेंगे। मेरा विश्वास है कि किसी योजना पर धन लगाने से पहले विचार करने, योजना, डिजाइन और परीक्षण पर समय लगाना अच्छा है अन्यथा दस वर्ष पश्चात् आप यह पायेंगे कि योजना ने वो परिणाम नहीं दिये है जिन परिणामों की आपने आशा की थी।

हमने ट्रैक्टरों, डेयरी मशीनरी और कृषि संबंधी हैंड टूल्स हेतु छूट दी है। क्यों? ये सभी निवेश से संबंधित है। यदि और अधिक ट्रैक्टरों का उपयोग किया जाता है और यदि और अधिक डेयरी मशीनरी का आयात किया जाता है अथवा खरीदी जाती है और स्थापित की जाती है और यदि और अधिक कृषि संबंधी हैंड टूल्स का उपयोग किया जाता है तो इससे उत्पादकता में सुधार होता है। हमने जोखिम को कम करने की घोषणा की है। मैंने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि मैं नहीं जानता हूं कि इन तीनों योजनाओं में से कौन सी योजना सफल होगी। बिना किसी विचार के पूर्व सरकार ने केवल एक तरह की योजना बनायी जो कि पूरी तरह से नहीं चली थी। इसलिए पिछले वर्ष एक और योजना बनाई गई और इस वर्ष तीसरी योजना के बारे में प्रयास किया जा रहा है।

आशा है कि इन योजनाओं में से एक योजना सफल रहेगी। यह फिर से डिजाइन का परीक्षण और प्रमाणित न करने की गलती है और एक योजना पर बिना सोचे-समझे कार्य करने की गलती है। परन्तु नि:सन्देह इन योजनाओं में से एक योजना परिवर्तनों सहित सफल होगी और जैसाकि मैंने वायदा किया है हमारे पास एक उपयुक्त फार्म बीमा योजना होगी। कृषि अनुसंधान हेतु हमने आवंटन को 775 करोड़ रुपये से 1000 करोड़ रुपये तक बढ़ाया है।

महोदय, मैं इस सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस पूरे वर्ष और अगले वर्ष और उससे अगले वर्ष कृषि मुख्य तौर पर इस सरकार का केन्द्र बिन्दु रहेगी। वर्ष दर वर्ष आप यह देखेंगे कि, हम इन कार्यक्रमों का विस्तार करेंगे और इन्हें मजबूत बनायेंगे।

महोदय, यहां पर कुछ बाधाएं हैं जिन्हें माननीय सदस्यों को अवश्य ही नोट करना चाहिए। ग्रामीण और शहरी भारत के मध्य अन्तर बढ़ रहा है। यदि आप प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय को देखे तो ग्रामीण भारत में यह प्रति व्यक्ति प्रति माह 486 रुपये से प्रति व्यक्ति प्रति माह 531 रुपये बढ़ा है। शहरी भारत में यह 854 रुपये से 1,011 रुपये बढ़ा है। वह दर जो इस अन्तर को दर्शाती है 1.76 से बढ़कर 1.90 हुई। यदि आप बच्चों के नामांकन की ओर देखते हैं तो 6 वर्ष से 11 वर्ष के बीच आयु वर्ग के बच्चों के लिए ग्रामीण भारत और शहरी भारत के मध्य अन्तर 22 प्रतिशत है; और 11 वर्ष से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए यह अन्तर 21 प्रतिशत है। यदि आप ह्यूमन डैवलपमेन्ट इंडैक्स की ओर देखे-तो वर्ष 1991 हेतु अंतिम आंकड़ा उपलब्ध है और हम यह मानकर चलते हैं कि परिस्थितियों में सुधार हुआ है-ग्रामीण भारत में इंडैक्स 0.34 है और शहरी भारत में यह 0.51 है। कृषि में सकल पूंजी, जब एन.डी.ए. सरकार के दौरान जी.डी.पी. के लगभग 1.3 प्रतिशत पर आकर स्थिर हो गई थी। मैं एन.डी.ए. सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उनकी वजह से गिरावट आई। परन्तु इसमें स्थिरता आ गई है। कृषि में कोई अतिरिक्त निवेश नहीं हुआ था। यह जी.डी.पी. के लगभग 1.3 प्रतिशत पर स्थिर हो गई थी। इसलिए मैंने कहा था कि तीन वर्षों 1997-98, 2000-2001 और 2002-2003 जिनमें फसल बहुत खराब हुई थी में जी.डी.पी. वृद्धि दर केवल क्रमश: 4.8 प्रतिशत 4.4 प्रतिशत और 4 प्रतिशत थी। ऐसे वर्षों जिनमें फसल अच्छी हुई थी, में जी.डी.पी. वृद्धि दर में काफी वृद्धि हुई।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा): क्या आप इसको मानसून के उतार-चढ़ाव से जोड़ सकते हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: बिल्कुल, हमें इसे मानसून से जोड़ना होगा। लेकिन जहाँ तक हो सके कृषि को मानसून पर निर्भर न रहने देने के लिए हमें सिंचाई पर ध्यान देना पड़ेगा, हमें अपने झील, तालाबों, जैसे जल भण्डारों पर ध्यान देना होगा। इसलिए मेरी योजनानुसार कृषि में किसी भी निवेश में मुख्य पहलू ए.आई.डी.पी. कार्यक्रम एवं जल भण्डारों का संरक्षण होगा।

महोदय, उद्योगों के संदर्भ में, मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी देश की भांति विकास हेतु वास्तविक प्रेरक उद्योग ही प्रदान करता है क्योंकि यह प्रौद्योगिकी आधारित है और मानव संसाधन आधारित भी है, हमारे पास उच्चतम कोटि का मानव संसाधन उपलब्ध है। यह विज्ञान आधारित भी है और साथ ही यह बाजार की मांग पर भी आधारित है। इसलिए, हमें उद्योगों पर ध्यान देना होगा। जैसा

कि सभी जानते हैं, यहां बचत एवं निवेश में अंतर है। निवेश एवं बचत में इस अंतर को एक अंतर के रूप में ही रहने दिया गया तो किसी भी प्रकार का निवेश नहीं हो पाएगा। संपूर्ण विश्व में यही विचार प्रबल रूप ले रहा है कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश ही बचत और निवेश के बीच के अन्तर को पूरा करता है।

मेरी राय में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के बारे में कोई विवाद नहीं है। विवाद इस बारे में कि किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होना चाहिए तथा किन शर्तों के अधीन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। कुछ मित्र समझते हैं कि मैं वामपंथी दलों के मित्रों के दबाव में हूं। सच तो यह है कि वामपंथी दलों के मित्रों के साथ काम करने में मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। मुझे उनके साथ कार्य करने में कोई परेशानी नहीं है। ...*(व्यवधान)*। मुझे मेरे प्रिय मार्गदर्शक थिरूवल्लुर द्वारा 2000 वर्ष पूर्व कही गई बात याद आ रही है। मैं इसे पहले तमिल में उद्धृत करूंगा फिर इसका रूपांतरण करूंगा।

''इनापोरुल्ला ववागच्च चेलाच्चोल्लिथ तनपिराखाय ननपोरुल कांबा घारिवू''

अर्थात् ''जो आप कहना चाहें उसे मधुरता से तथा इस प्रकार कहें, जिससे आपके मित्र भी कायल हो जाएं ...*(व्यवधान)* जो आपके मित्र कहें, उसे अत्यन्त ध्यानपूर्वक सुनें, दोनों को ध्यान में रखें, फिर ऐसा निर्णय लें जो राजा का निर्णय हो।'' मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करना चाहता हूं। मैं मधुरता से अपनी बात रखूंगा, जिससे मैं अपने मित्रों की आश्वस्त कर सकूं। मैं अपने मित्रों की बात सुनूंगा लेकिन, अन्ततः सरकार को देश के सर्वोपरि हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना पड़ेगा। ...*(व्यवधान)*

हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम विकास के मूलतंत्र के रूप में निवेश कर रहे हैं। इसलिए हम निवेश आयोग का गठन कर रहे हैं। पिछले काफी समय से, देश विनिवेश आयोग के संबंध में विवाद और तर्क-वितर्क में फंसा हुआ है। आइए हम निवेश आयोग का सकारात्मक रूप से अवलोकन करें। निवेश के अनेक प्रकार हैं यथा, घरेलू निवेश, विदेशी निवेश, सरकारी निवेश तथा गैर सरकारी निवेश। सभी प्रकार के निवेशों पर विचार करना पड़ेगा तथा प्रत्येक अवसर पर भी ध्यान देना पड़ेगा। हम चाहे जैसे भी नीति बनाएं, उस नीति के अंतर्गत इस देश में सभी प्रकार के निवेशों का स्वागत किया जाना चाहिए।

न केवल हमारे उद्योगों को अपितु विश्व में प्रत्येक निवेशक को यही संकेत मिलना चाहिए कि भारत निवेश के लिए खुला चाहे निवेश को आकर्षित करने हेतु जो भी नीति निर्धारित की जाए। यह चीन सहित सभी देशों के विकास का मूल मंत्र है। मेरे विचार से हम इस दौड़ में पीछे नहीं रह सकते हैं। वस्तुतः, चीन ने अस्सी के दशक की शुरुआत में यह प्रक्रिया आरम्भ की थी। अतः यह हमसे 10-21 वर्ष आगे है। मुझे विश्वास है कि इस समय चीन हमसे 6-7 वर्ष आगे है। आज यदि हम चीन एवं अन्य देशों से कोई सबक नहीं लेते हैं तो चीन और भारत जैसे देश में जो अन्तर है वह कम होने की बजाए और बढ़ जाएगा।

हम सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पुनर्निर्माण हेतु एक बोर्ड का गठन करने जा रहे हैं। मैंने पुनर्निर्माण शब्द क्यों चुना है? यह गैर-तलब है। वस्तुतः सरकारी क्षेत्र तीन चरणों से गुजरा है। पहला चरण इनके निर्माण का चरण था जिसे जवाहर लाल नेहरू एवं श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। दूसरा चरण ध्वंसकारी चरण था जिसके लिए मेरे मित्र उत्तरदायी हैं। अतः अब पुनर्निर्माण चरण है। हमें सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों का पुनर्निर्माण करना होगा इसलिए मैंने 'पुनर्संरचना' शब्द नहीं चुना है अपितु पुनर्निर्माण शब्द चुना है।

सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों के प्रबंधकों एवं कर्मचारियों को यह संदेश जाना चाहिए कि संसद तथा जनता द्वारा उन्हें दिए जा रहे धन के लिए हम उन्हें ही उत्तरदायी ठहराया जाएगा। वे सम्पत्ति को नष्ट नहीं कर सकते हैं। उन्हें सम्पत्ति का सृजन करना होगा तथा आम जनता को उसमें सहभागी बनाना होगा। जैसा कि एन.सी.एम.पी. ने कहा है, उनकी सहायता की कोशिश के पश्चात् भी यदि वे रुग्ण बने रहते हैं, तो जैसा कि मुख्य मंत्री, श्री बसुदेव भट्टाचार्य ने कुछ दिन पूर्व मुझसे पूछा था, तब हमें क्या करना चाहिए? जो उद्योग एक लम्बे अरसे से रुग्ण हैं उनके बारे में एनसीएमपी ने मुझे कुछ दिशा-निर्देश दिए हैं, मैं एन.सी.एम.पी. द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करूंगा।

हम राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक परिषद् का गठन करेंगे ...*(व्यवधान)* श्री मल्होत्रा जी कृपया मेरी बात सुनिए। मुझे यकीन है कि आप मेरी बात सुन रहे होंगे।

कृपया यह ध्यान में रखें कि हम विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। हम अब केवल देश में ही प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं। प्रतिस्पर्धा विभिन्न चरों का कार्य है। हमारे उद्योग प्रतिस्पर्धी बन गए हैं। यदि हम दौड़ेंगे नहीं और शेष विश्व के साथ कदम से कदम मिला कर नहीं चलेंगे, तो हम पीछे रह जाएंगे। हम एन.एम.सी.सी. का गठन करने जा रहे हैं जो बिल्कुल अभिनव विचार है। हमने पाया है-मैं 'पाया' शब्द दोहराना चाहूंगा क्योंकि अब यह मात्र एक कपोल कल्पना नहीं रह गई है। अंतर-संस्थागत समूह के अधीन हमारे पास 40,000 करोड़ रुपये उपलब्ध है।

[श्री पी. चिदम्बरम]

माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे ऐसे उद्यमियों का पता लगाएं जो उनके निर्वाचन क्षेत्र एवं राज्य में नए उद्योग लगाने के लिए इस धनराशि का उपयोग कर सकें।

अब यह मात्र एक कपोल कल्पित कार्यक्रम नहीं रह गया है। इसके लिए धनराशि उपलब्ध है तथा इस धनराशि का इस वर्ष नए उद्योग लगाने के लिए निवेश किया जाएगा।

विद्युत क्षेत्र के बारे में कुछ टिप्पणियां की गई हैं कि विद्युत क्षेत्र के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है। मैंने इसके बारे में बाहर दिए गए सभा से एक भाषण का उल्लेख किया था इसलिए मैंने यहां उसका उल्लेख करना आवश्यक नहीं समझा। मैं आपको बता दूं कि दस विद्युत परियोजनाओं ने वित्तीय समापन प्राप्त कर लिया है तथा इनकी कुल क्षमता 3472 मेगावाट है। जिनका उल्लेख मैंने भाषण में किया था। 8067 मेगावाट क्षमता की सात अन्य परियोजनाओं का वित्तीय समापन तीन माह के भीतर प्राप्त होने की संभावना है। आई.आई.जी. प्रणाली ने ठीक प्रकार कार्य किय। है और यह ठीक प्रकार से कार्य कर रही है। मैं आई.आई.जी. प्रणाली का अन्य क्षेत्रों में, विशेषरूप से विमानपत्तनों, सामुद्रिक पत्तनों और परिवहन क्षेत्रों में विस्तार कर रहा हूं।

हमने प्रारम्भिक मूल्यह्रास छूट की अनुमति दी। यही एक मात्र मांग उद्योग जगत ने रखी थी। मुझे प्रसन्नता है कि उद्योग जगत के पास अब कोई मांग नहीं है। उद्योग जगत मात्र अनुकूल वातावरण चाहता है जिसमें वह प्रतिस्पर्धा कर सके साथ ही उसमें सरकार का कम से कम हस्तक्षेप हो। उद्योग जगत की एक मांग थी कि 15 प्रतिशत प्रारम्भिक मूल्य ह्रास छूट को 25 प्रतिशत अतिरिक्त क्षमता के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए और इसे निम्न अतिरिक्त क्षमता के साथ जोड़ा जाना चाहिए। हमने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया है और उनकी यह मांग पूरी कर दी है। इस कदम के परिणामस्वरूप आप देखेंगे कि इस वर्ष अधिकाधिक पूंजी निवेश होगा।

मुझे आश्चर्य हुआ कि वस्त्र उद्योग में सुधारवादी व्यवस्था लाए जाने के बारे में विपक्ष की ओर से किसी ने भी इसका उल्लेख नहीं किया, यद्यपि सत्तापक्ष के मेरे कुछ मित्रों ने इसका उल्लेख किया है। यह कैसे हुआ? जैसाकि मैंने कहा यह विवेकहीनता के कारण हुआ। अचानक एक दिन आपने पौराणिक सैनवैट श्रृंखला का आविष्कार किया जिसमें चालीस छेद थे, अर्थात, जिसमें फाइबर से यार्न तक, रायन से कपड़े तक, कपड़े से परिधान तक चालीस अधिसूचनाएं थी, और फिर इसे बेचारे हथकरघा और विद्युतकरघा क्षेत्र पर लागू किया गया और कहा गया "अब आप पर उत्पाद शुल्क व्यवस्था लागू होगी।" मैं समझता था कि पिछली सरकार इंस्पेक्टर राज व्यवस्था के विरुद्ध थी। परन्तु आपने हथकरघा तथा विद्युतीकरघा बुनकरों के साथ क्या किया? आपने उन पर इंस्पेक्टर राज लागू किया। कारोबार लागत इतनी अधिक बढ़ गयी कि लोगों को अपने हथकरघे बंद करने पड़े हैं। तमिलनाडु के हर जिले में जिसके बारे में मैं निजी रूप से जानकारी रखता हूं और यहां बैठे माननीय सदस्य जानते हैं, चुनावों में मतदाताओं ने उम्मीदवारों से केवल एक ही मांग की "क्या आप दिल्ली जायेंगे और सैनवैट को समाप्त करेंगे।" जिस उम्मीदवार ने कहा "मैं सैनवैट समाप्त करवाऊंगा वह ढाई लाख मतों के अन्तर से जीता। ऐसा राशिपुरम, गोविचेट्टिपालयम्, तिरूचेन्गोडे, पलानी, कोयम्बटूर और इरोड में हुआ। मेरा मानना है कि पूर्व उप प्रधान मंत्री ने कुंभकोणम् का दौरा अवश्य किया होगा। कुंभकोणम् में भी बुनकर हैं। मैं नहीं जानता कि उस क्षेत्र का कोई व्यक्ति उनसे मिला और उन्हें धन्यवाद दिया हो। यदि उन्होंने सहयोग करने और सैनवेट समाप्त करने के लिए धन्यवाद दिया है उनके द्वारा व्यक्त किये गये आभार के अर्थ को स्वीकार कीजिए। यदि उन्होंने उन्हें धन्यवाद दिया है इसका अर्थ है उन्होंने मुझे और पूरी सभा को धन्यवाद दिया है। सैनवैट की समाप्ति अब समान अवसर प्रदान करेगी। अब आप देखेंगे कि हैंडलूम, पावरलूम और मीलें इंस्पेक्टर राज के नियंत्रण के बिना उन्नति कर रही हैं।

महोदय, जहां तक रोजगार का प्रश्न है। बेरोजगारी की तात्कालिक समस्या से निपटने के लिए काम के बदले अनाज योजना इसका समाधान है। यह इसका स्थायी समाधान नहीं है। उद्योग कृषि या सेवा क्षेत्रों में नियमित रोजगार के अवसर सृजन करने ही इसका स्थायी समाधान किया जा सकता है। परन्तु रोजगारों के अवसरों का सृजन एक रात में ही नहीं किया जा सकता। उच्च वृद्धि दर में निवेश द्वारा ही रोजगारों के अवसरों का सृजन किया जाता है। परन्तु फिलहाल वहां भुखमरी की समस्या है, वहां गरीबी की समस्या है। जिसका समाधान किया जाना चाहिए। इसलिए एन.सी.एम.पी. में काम के बदले अनाज कार्यक्रम के बारे में कहा गया है। सदस्यों ने मुझसे पूछा कि इसके लिए धनराशि आवंटित की गयी है। पिछले वर्ष काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए नकद घटक 3,712 करोड़ रुपये का था। इस वर्ष यदि आप 10,000 करोड़ की अतिरिक्त जी.बी.एस. को छोड़ दें तो योजना आयोग काम के बदले अनाज के लिए अतिरिक्त धनराशि आबंटित करेगा। मैं 'करेगा' शब्द पर बल दे रहा हूं। पिछले वर्ष के 3712 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष हम पहले ही 4050 करोड़ रु. का आवंटन कर चुके हैं। इस राशि को योजना आयोग द्वारा अगले दो सप्ताह में दिये जाने वाली राशि में जोड़ दें। ऐसा नहीं है कि योजना आयोग छः महीने तक इस मुद्दे को दबाए रखेगा। अगले दो सप्ताह में योजना आयोग काम के बदले अनाज योजना के लिए और धनराशि आबंटित कर देगा।

माननीय सदस्यों ने कुछ आंकड़ों को देखकर कहा पिछले वर्ष हमारे पास 4488 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि थी। परन्तु बजट अनुमानों के चरण में 4,888 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि थी। परन्तु बजट अनुमानों के चरण में 4,888 करोड़ रुपए की इस राशि का नकद आवंटन नहीं किया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्नों के रूप में विशेष घटक एक का प्रयोग किया गया। उस खाद्यान्न का मूल्य 4888 करोड़ रुपए था। निश्चित रूप से ऐसा नहीं चाहते कि इस वर्ष भी सूखा पड़े। आपकी इच्छा ऐसी नहीं हो सकती। आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें कि इस वर्ष भरपूर वर्षा हो। परन्तु यदि इस वर्ष पिछले वर्ष की भांति सूखा पड़ता है जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है तो हम खाद्यान्न आवंटित करेंगे और जब खाद्यान्न आवंटित किये जायेंगे तो यह संशोधित अनुमान में प्रदर्शित किया जायेगा और खाद्यान्नों का मूल्य भी ध्यान में रखा जायेगा। परन्तु नकद घटक के संदर्भ में हमने पिछले वर्ष के 3.712 करोड़ रुपए की तुलना में 4,050 करोड़ रुपए पहले ही आबंटित कर दिये हैं। आज से दो सप्ताह के भीतर काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए और धन आबंटित किया जायेगा।

जैसा कि मैंने कहा कृषि और उद्योगों में अतिरिक्त निवेश किया जा रहा है, निजी निवेश, लोक निवेश, सरकारी क्षेत्र में इक्विटी और ऋण निवेश के आंकड़े मैंने पहले ही दे दिये हैं। इन सभी कदमों से रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। यदि हम सात से आठ प्रतिशत की वृद्धि दर कायम रखते हैं तो इससे नये रोजगार के अवसर सृजित होंगे। परन्तु इसमें समय लगेगा। जब तक रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं होता और जब तक इन लोगों को रोजगार नहीं मिलता, हमें काम के बदले अनाज कार्यक्रम जारी रखना होगा। आप देखेंगे कि मैं राज्यों की आवश्यकता और अवशोषी क्षमता के अनुसार प्रति वर्ष अधिक से अधिक धनराशि आबंटित करूंगा।

महोदय, कुछ बड़े प्रश्नों की ओर जाने से पूर्व मैं कुछ अन्य विषयों के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। हम से पूछा गया है कि हमने ग्रामीण विकास के लिए वास्तव में कितनी धनराशि आवंटित की है। हम वर्ष 2003-04 के बजट अनुमानों की तुलना वर्ष 2004-05 के बजट अनुमानों से करें जो कि एक उचित तुलना है। कोई भी जिसे लोक वित्त का कुछ ज्ञान और उससे परिचित है वह बजट अनुमानों की तुलना। यदि आवश्यक हुआ तो मैं संशोधित अनुमानों की तुलना भी करूंगा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास कई मुख्य शीर्ष हैं। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण आवास निर्माण, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सड़क तथा पुल, उत्तर-पूर्वी राज्य, बंजर भूमि विकास, भूमि सुधार, ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता इस मंत्रालय के प्रमुख शीर्ष हैं। ये कुछ बड़े शीर्ष हैं और कुछ छोटे शीर्ष भी हैं पिछले वर्ष बजट अनुमान स्तर पर कुल आवंटन राशि 14,070 करोड़ रुपए थी। इस वर्ष बजट अनुमान स्तर पर आवंटन 15,998 करोड़ रुपए है जो 13.7 प्रतिशत की वृद्धि को प्रदर्शित करता है। सकल घरेलू उत्पाद में हम 12 प्रतिशत की मामूली वृद्धि का अनुमान कर रहे हैं लेकिन पिछले वर्ष के बजट अनुमानों की तुलना में इस वर्ष ग्रामीण विकास के आवंटन में 13.7 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है *...(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: आपको संशोधित बजट अनुमान या अंतरिम बजट लाना चाहिए था। दोनों की तुलना कीजिए। यह बहुत कम है *...(व्यवधान)* महोदय, वे केवल वर्तमान अनुमान को देख रहे हैं। कृपया संशोधित बजट पर नजर डालिए। वे ऐसा नहीं कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वे अपनी ही बात रख रहे हैं। वे जो कुछ रहे हैं उन सभी बातों को मानने के लिए आप बाध्य नहीं है। लेकिन उनकी गलती को ठीक मत कीजिए। अच्छा हो अगर बाद में आप उस पर ध्यान दिलाएं। लेकिन उनकी गलती को ठीक मत कीजिए। अच्छा हो अगर बाद में आप उस पर ध्यान दिलाएं। उन्हें भाषण देने का अधिकार है। यह सब क्या है?

...(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम: यह एक पूर्णत: अवांछित आरोप है। मैंने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो मैं संशोधित अनुमान की भी तुलना करूंगा *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सभा में क्या हो रहा है?

श्री पी. चिदम्बरम: मैंने कह दिया कि मैं संशोधित अनुमान की भी तुलना करूंगा। या तो वे मुझे सुन नहीं रहे हैं या जानबूझकर अनसुना कर रहे हैं। मैंने कहा कि मैं संशोधित आकलन और बजट आकलन की तुलना करूंगा और यदि आवश्यक हुआ तो मैं बजट अनुमान औरर संशोधित अनुमान की भी तुलना करूंगा। यदि आप दोनों कृपया मेरी बात सुनते हैं तो मैं उनकी तुलना करूंगा *...(व्यवधान)*

अब आप संशोधित अनुमान को देखें। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था 4,888 करोड़ रुपये का कोई नकद आवंटन नहीं था। यह आवंटन अनाज के रूप में था क्योंकि सूखा की स्थिति थी। यह हमारा सामूहिक और अंतर्मन से भगवान से प्रार्थना है कि सूखे की ऐसी स्थिति इस वर्ष न बने।

[श्री पी. चिदम्बरम]

इसलिए, यदि आप 4888 करोड़ रुपये के मूल्यांकन को नकद बनाम नकद, आवंटन बनाम आवंटन के रूप में ले लेते हैं, यदि आप इस प्रकार तुलना करते हैं तो संशोधित अनुमान की तुलना में बजट अनुमान में वृद्धि 9.8 प्रतिशत की है। पिछले वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में इस वर्ष के बजट अनुमान में 13.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में इस वर्ष के बजट अनुमान में 9.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भगवान न करे यदि सूखा पड़ जाता है और यदि अनाज आवंटित करने की जरूरत आ पड़ती है तो हम आवंटित करेंगे और यदि आप इसे भी उसमें जोड़ लेते हैं तो यह वृद्धि 98 प्रतिशत से अधिक होगी। महोदय, इसलिए ऐसे आरोप लगाने से पहले उन्हें चाहिए कि वे अपना गृह-कार्य पहले कर लें *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वित्त मंत्री स्वयं अपना काम देख सकते हैं। कृपया आप बैठ जाएं।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, अन्य मंत्रालयों में भी ग्रामीण विकास के लिए परिव्यय होता है। हम केवल ग्रामीण विकास मंत्रालय को ही देख रहे हैं। अन्य मंत्रालय भी हैं जो ग्रामीण विकास पर व्यय करते हैं। अब हम उन पर नजर डालें। कृषि मंत्रालय के अधीन पशुपालन, डेयरी, कृषि अनुसंधान और शिक्षा आदि जैसे शीर्ष हैं, ए.आई.डी.पी. है जो जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण परिवार सेवाएं, कृषि ग्रामीण उद्योग और पंचायती राज जैसे शीर्ष है जो अन्य मंत्रालयों के अंतर्गत आते हैं। यदि आप कुछ कार्यक्रमों, जिनका जोर या प्रमुख ग्रामीण विकास पर है, के योजना परिव्यय के संदर्भ में इन मंत्रालयों के बजट अनुमानों को देखते हैं तो इन मंत्रालयों में विगत वर्ष के लिए बजट अनुमान 11,661 करोड़ रुपये का था। महोदय, अब मैं जिस आंकड़े का उल्लेख करने जा रहा हूं उसे वे लोग पसंद नहीं करेंगे। संशोधित अनुमान घटकर 10,391 करोड़ रुपये हो गया है। पिछले वर्ष के 11661 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष बजट आवंटन 12,923 करोड़ रुपए है अर्थात 10.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है न कि केवल 8 प्रतिशत की। मैं जानता हूं कि वे लोग गणित में बहुत तेज है लेकिन वे भी गलती कर सकते हैं। यदि आप बजट अनुमान की तुलना संशोधित अनुमान से करते हैं तो यह वृद्धि 10.8 प्रतिशत से ज्यादा की होगी।

महोदय, इस संबंध में कुछ आलोचना हुई थी कि मैंने पेयजल मिशन को राजीव गांधी पेयजल मिशन नाम क्यों दिया। मैं मिशन का नाम राजीव गांधी के नाम पर करने नहीं जा रहा हूं। वर्ष 1991 में ही इसका नामकरण राजीव गांधी के नाम पर हुआ था। मैं केवल इस मिशन के पुराने पड़ी धूल हटा रहा हूं। *...(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। इस मिशन का नाम डा. दीन दयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया था। वे उनके नाम को धूल की संज्ञा दे रहे हैं। यह बहुत ही आपत्तिजनक है। श्री चिदम्बरम से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वे ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं? *...(व्यवधान)* वे ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? यह बहुत ही खेदजनक हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने किसी असंसदीय शब्द का प्रयोग नहीं किया है।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैंने क्या कहा है? क्या इसमें कोई असंसदीय शब्द है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने केवल 'मिशन' का उल्लेख किया है।

...(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैंने किसी असंसदीय शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इसलिए, मैं किसी के समक्ष झुकूंगा नहीं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: विपक्ष के नेता कुछ कहना चाहते हैं। यदि आप माने तो मैं उन्हें अनुमति दूं।

...(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए *...(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: अध्यक्ष महोदय, यह कोई तरीका नहीं है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने किसी दूसरे का नाम नहीं लिया है। कृपया आप बैठ जाए।

...(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैंने वह बात पूरी नहीं की है जो मैं कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने केवल एक मिशन का नाम लिया है। उन्होंने किसी असंसदीय शब्द का प्रयोग नहीं किया है। आपको आपत्ति हो सकती है। मैंने देख रहा हूं कि विपक्ष के नेता कुछ कहना चाह रहे हैं और यह इस बात पर निर्भर है कि मंत्री महोदया इसके लिए तैयार होते हैं अथवा नहीं। इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि मंत्री महोदय मानेंगे या नहीं।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय मैं इस भाग को समाप्त करना चाहूंगा और फिर माननीय नेता, विपक्ष को बोलने का अवसर दूंगा *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: इन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, राजीव गांधी मिशन बोला है।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अगर ये हमें बोलने नहीं देंगे तो हम भी किसी को बोलने नहीं देंगे *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: मैं श्री मल्होत्रा को बोलने का मौका देने के लिए तैयार नहीं हूं *...(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मैं उनसे बोलने के लिए समय नहीं मांग रहा हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अगर हमारे नेता के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, वे लोग मुझे इसे पूरा करने नहीं दे रहे हैं *...(व्यवधान)* यह भारत की संसद है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इस भाग को खत्म करने के बाद वे माननीय नेता, विपक्ष को बोलने का अवसर देंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: उन्हें इस भाग को समाप्त करने दें।

...(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं चर्चा के इस भाग को समाप्त करूंगा और तत्पश्चात्, यदि विपक्ष के माननीय नेता कुछ कहना चाहेंगे तो मैं उन्हें अवसर दूंगा।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मैंने अपने भाषण में क्या कहा है और अब क्या कह रहा हूं? मिशन का नामकरण 1991 में किया गया था *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैंने इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दी है। आप परेशान क्यों है?

...(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम: मैं श्री मल्होत्रा को बोलने के लिए मौका देने के लिए तैयार नहीं हूं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह क्या बात है। हम उन्हें बोलने देंगे।

[अनुवाद]

सभा में यह परंपरा रही है। उन्होंने कहा है कि इस भाग की समाप्ति के बाद वे माननीय नेता, विपक्ष को बोलने का मौका देंगे।

...(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम: इस अंश की समाप्ति के बाद में विपक्ष के नेता को अवसर दे दूंगा।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: प्रश्न यह नहीं है *...(व्यवधान)* वे ऐसा नहीं कह सकते *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सभी कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा। मैंने उनसे माननीय विपक्ष के नेता, को अवसर देने का अनुरोध किया है। श्री लालकृष्ण आडवाणी कृपया आप बोलिए।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): अध्यक्षजी, वित्त मंत्री जी जब बोल रहे थे, मेरे कुछ साथी सवाल पूछ रहे थे, लेकिन मैंने कहीं भी *...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़): सवाल नहीं पूछ रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा में वरिष्ठ सदस्यों की बात सुनने के लिए आपको धैर्य जरूर रखना चाहिए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: विपक्ष के नेता की टिप्पणियों के सिवाए कुछ भी कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैंने अगर चिदम्बरम जी से कुछ कहना चाहा है तो केवल इसलिए कि वे कभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से मिले नहीं होंगे, उन्हें जानते नहीं होंगे। मैं कह सकता हूं कि जो भी लोग उन्हें जानते थे वे उनके बारे में *...(व्यवधान)*

श्री कृष्ण तीरथ (करोल बाग): बजट में दीनदयाल जी की बात कहां से आ गयी। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): महोदय, यह सब क्या हो रहा है? इसका इससे कोई संबंध नहीं हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: जब पंडित दीनदयाल जी की हत्या हुई थी, उसके बाद जो सार्वजनिक सभा रामलीला मैदान में हुई थी, उसमें सबसे अधिक प्रशंसा करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि हीरेन मुखर्जी ने दी थी। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय सदस्यगण, सभी विषयों पर हम सब एक दूसरे से सहमत होंगे, यह जरूरी नहीं है। वस्तुत:, कुछ ऐसे राजनीतिक दल है जिनके विचार भिन्न हैं, जिनकी विचारधारा भिन्न है, और यदि किसी सदस्य को वही कहना पड़े जो सबको अच्छा लगे तो फिर इस सभा की कोई जरूरत ही नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री लालकृष्ण आडवाणी: महोदय, हो सकता है उनके विचार मेरे विचार से अलग हो *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: 'बोलने का अधिकार' की छूट दी जाती है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: लेकिन उन्हें दीनदयाल उपाध्याय के संबंध में बोलने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने ऐसा नहीं कहा था।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया वित्त मंत्री को बोलने दीजिए। उनको भाषण समाप्त करने दीजिए। मैं आपको अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आडवाणी जी, उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री अपना भाषण जारी रखेंगे।

...(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम: उन्होंने इसे सर्वथा गलत समझा है। मैं 'दीन दयाल उपाध्याय' जैसे शब्द बोला ही नहीं। *...(व्यवधान)* कृपया कार्यवाही-वृत्तांत देख लीजिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप लोग उनको सुनें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह बहत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने उनका नाम नहीं लिया है। उन्हें समाप्त करने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा, आपने पुरानी बात को पुन: जीवित कर दिया है।

...(व्यवधान)

श्री लालकृष्ण आडवाणी: महोदय, यह एक तकनीकी कमी थी। उन्होंने 'दीनदयाल उपाध्याय' शब्द इस्तेमाल नहीं किए। मैं इससे सहमत हूं। लेकिन उन्होंने कहा कि वे इस पुरानी चर्चा को पुन: जीवित कर रहे हैं। यह बहुत असामान्य है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अंत तक उन्हें सुनें। मुझे मालूम नहीं उसमें क्या लिखा है। क्या इस देश के वित्त मंत्री उत्तर नहीं दे सकते? क्या हमारा काम करने का यही तरीका है?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: इन लोगों को गाली देने का कोई अधिकार नहीं है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: गाली नहीं दिया। गाली दिया होगा, तो रिमूव हो जाएगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कृपया बैठ जाइए। वित्त मंत्री महोदय आप बोलना जारी रखें।

जब तक मैं किसी अन्य को बोलने की अनुमति नहीं देता केवल वित्त मंत्री का वक्तव्य ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री लालकृष्ण आडवाणी: यह एक तकनीकी गड़बड़ थी। उन्होंने कहा है कि राजीव गांधी मिशन की शुरुआत 1991 में हुई ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: मैंने नाम लिया था ...*(व्यवधान)*

श्री लालकृष्ण आडवाणी: उन्होंने कहा, ''मैंने केवल इतना किया कि जो कार्य फाइलों में दबा पड़ा था उसे शुरू कर दिया है। इसका मतलब क्या है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आडवाणी जी, उन्हें अपना वाक्य पूरा करने दीजिए। यदि कोई असंसदीय शब्द का प्रयोग होगा तो मैं उसे कार्यवाही से निकाल दूंगा।

श्री लालकृष्ण आडवाणी: यह असंसदीय शब्द का मामला नहीं है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी बात समझता हूं। उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दीजिए। तत्पश्चात्, यदि आपको कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं किसी के सामने झुकने वाला नहीं हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय नेता, विपक्ष आपके हितों का ध्यान रखेंगे। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: गोयला महोदय, आप अनावश्यक रूप में सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपके विद्वान विपक्ष के नेता यहां पर आपके हितों का ख्याल रख रहे हैं। कृपया इसे उन पर ही छोड़ दें।

माननीय वित्त मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे अपना भाषण जारी रखें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया मुझे आधे संकेंड का समय दीजिए। इस अंश के बाद, यदि आपको लगता है कि देश के किसी नेता के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो देखूंगा कि इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं?

...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: मैं नहीं समझता कि इसमें असंसदीय क्या है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्हें इसकी व्याख्या करने दीजिए। मैं उनसे इसकी व्याख्या करने के लिए कह रहा हूं। चिदम्बरम जी, आप कृपया यह स्पष्ट करे।। आपको जो कुछ कहना है, कह दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय:: आप लोग बैठिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप अध्यक्ष नहीं है। भाग्यवश, आप अध्यक्ष नहीं है। दुर्भाग्यवश मैं अध्यक्ष हूं।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री पी. चिदम्बरम]

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैंने अपने बजट भाषण में कहा था:

"राजीव गांधी पेयजल मिशन को "मिशन मोड" के रूप में कार्यान्वित करने का इरादा था। परन्तु हाल के वर्षों में नये कार्यक्रम उभर कर आये हैं और मूल मिटान को भुला दिया गया है। 75,000 से अधिक निवासों को अभी भी पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराया जाना है। सरकार का इरादा सभी पेयजल स्कीमों को राजीव गांधी पेयजल मिशन के संरक्षण में लाना है।

अध्यक्ष महोदय: क्या समस्या है?

...(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम: अध्यक्ष महोदय, मैंने समाप्त नहीं किया है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने भाषण समाप्त नहीं किया है।

...(व्यवधान)

श्री लालकृष्ण आडवाणी: जब उन्होंने भाषण दिया तो किसी ने विरोध नहीं किया। केवल आज ही जब वे अपनी बात पर स्पष्टीकरण देना चाहते हे तो हम विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वे केवल इस पर जमी धूल साफ कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने नाम नहीं लिया, बल्कि केवल मिशन का नाम लिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने अगले मुद्दे पर आइये।

...(व्यवधान)

श्री लालकृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी *...(व्यवधान)* हम खेद है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने अपनी बात कह ली।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.58 बजे

इस समय, श्री लालकृष्ण आडवाणी और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: एक क्षण रुकिए। कृपया बैठिए। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप क्यों परेशान हैं? आप मुझसे क्या चाहते हैं? क्या मैं उन्हें बाहर निकाल दूं?

[हिन्दी]

आप फाइनेंसस मिनिस्टर की बात सुनिए। मेहरबानी करके आप अपने फाइनेंस मिनिस्टर की बात सुनिए। आप लोग बैठ जायें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हरिन पाठक जी, यदि आप बाहर जा रहे हैं तो, कार्यवाही में हस्तक्षेप न करें। आप बहिष्कार कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 3.00 बजे

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपना स्थान ग्रहण करे तथा माननीय वित्त मंत्री का भाषण सुनें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अपने उत्साह को अन्य अवसरों के लिए बचाए रखें।

...(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मेरी इच्छा है कि माननीय सदस्य युनाईटिड किंगडम के प्रधानमंत्री एवं वहां के विपक्ष के नेता के बीच बहस सुनने के लिए बी.बी.सी. सुने। कुछ भी अशिष्ट नहीं कहा गया मैंने केवल यही कहा था राजीव गांधी मिशन अर्थहीन हो गया है। जो भी मैंने किया वह केवल सभी जल मिशनों को राजीव गांधी कार्यक्रम के तहत लाने हेतु किया। मैंने यह कहा था तथा अब भी यह दोहराता हूं। मैंने हल्के अंदाज में यह कहा था कि मैं राजीव गांधधी मिशन के नाम पर पड़ी धूल को हटाने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें क्या अशिष्टता है? *...(व्यवधान)*

केवल रिकार्ड हेतु मैं यह कहना चाहता हूं सरकार में, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना चल रही है। किसी ने भी उसे हटाने की कोशिश नहीं की। वे इस मामले में ही इतने भावुक क्यों हो रहे हैं? मैंने कभी भी किसी अन्य नेता का नाम नहीं लिया। मेरा ऐसा

मानना है कि वे सदन का बहिष्कार करने के लिए एक बहाना ढूढ़ रहे हैं ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री रघुनाथ झा, मुझे विश्वास है कि भविष्य के लिए प्रधान मंत्री द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के निष्पादन पर नजर रखी जा रही है।

...(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम: मैं कुछ और टिप्पणियां करना चाहता हूं। प्रथमत: राजकोष को समेकित करने के संबंध में। कृपया यह याद रखें कि मैं इस सदन का एक सेवक हूं। इस सदन ने एफ.आर.बी.एम. अधिनियम पारित किया। यह अधिनियम अगस्त 2003 में प्राप्त किया गया था किंतु सरकार ने इसे अधिसूचित नहीं किया। जब तक सरकार इसे अधिसूचित नहीं करती है वह जो चाहे कर सकती है। इसलिए, अधिनियम बना हुआ है परन्तु लागू नहीं है। यह सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह अवगत है। इसलिए अधिनियम को 5 जुलाई को अधिसूचित कर दिया तथा बजट 8 जुलाई को पेश किया। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार परिचालित एवं अत्यन्त महत्वपूर्ण दस्तावेज 'मध्यावधि-राजकोषीय नीति विवरण' का अवलोकन करे, जो एक खाका प्रस्तुत करता है कि अगले तीन से पांच वर्षों में वित्तीय घाटा एवं राजस्व घाटे से किस प्रकार निपटा जाएगा। यह व्यय नियंत्रण एवं योजनाओं का पुनर्गठन करने का भी मार्ग दिखाता है। योजना आयोग द्वारा योजनाओं के पुनर्गठन के कार्य को दृढ़तापूर्वक देखा जा रहा है। कई योजनाओं का पुनर्गठन किया जाएगा।

एनसीएमपी के कारण केन्द्र द्वारा प्रायोजित सभी योजनाओं को राज्यों को सौंपना पड़ेगा। यह सब नए संघीय दर्शन का ही भाग है। राष्ट्रीय महत्व की योजना जैसे परिवार-नियोजन के अलावा सभी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के हस्तांतरण के लिए एक केन्द्रीय सैक्टर एवं एक राज्य सैक्टर होना चाहिए। इन सभी पर ध्यान दिया जाएगा और जब हम इन सब चीजों पर ध्यान देंगे तथा व्यय नियंत्रित करेंगे, हम राजकोषीय एकत्रीकरण की ओर गतिमान होंगे।

दो महत्वपूर्ण प्रायोगिक परियोजनाओं की घोषणा की गई है। जल निकाय पर एक परियोजना के बारे में मैंने पहले ही चर्चा की है। दूसरी, खाद्य स्टाम्प पर आधारित परियोजना है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समाप्त नहीं किया जाएगा। हम यह सब इसलिए कर रहे हैं चूंकि कुछ विशिष्ट व्यक्तियों ने सिफारिश की थी कि हमें यह प्रयोग करके देखना चाहिए कि क्या खाद्य स्टाम्प इस उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होंगे। हमने केवल एक राज्य एवं निकटवर्ती तीन जिलों का चुनाव किया। हम केवल खाद्य स्टाम्प पर प्रयोग करना चाहते हैं। अगर प्रयोग सफल रहेगा, हम इस प्रयोग का दायरा बढ़ा सकते हैं जिससे हमें नई जानकारी प्राप्त होगी। आखिरकार हमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी विकसित करना है। हमें प्रयोगों से डरना नहीं चाहिए। हमें प्रयोग करने के लिए इच्छुक होना चाहिए तथा देखना चाहिए कि किन नये उपायों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक विश्वसनीय एवं सुदृढ़ बनाया जा सकता है ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके।

अंतत: मुझे राजसहायताओं पर दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश हुआ है। मैंने राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नीति संस्थान से दस्तावेज तैयार करने को कहा है। मैं दस्तावेज सदन पटल पर रखूंगा। दस्तावेज प्राप्त होने तथा माननीय सदस्यों द्वारा मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण के अवलोकन पश्चात्, मैं उम्मीद करता की राजकोषीय एकत्रीकरण एवं राजकोषीय सुधारों पर एक विस्तृत चर्चा का मौका मिलेगा।

महोदय, मैं राज्यों के वित्त पर बात करने के लिए कुछ समय लूंगा। इस बजट में हमने राज्यों के लिए बहुत कुछ किया है। इस दिशा में एक बड़ा कदम राज्यों को दिए गए ऋणों पर ब्याज 10.5 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत करना शामिल है। जो केन्द्रीय सरकार द्वारा लिए जाने वाले कम लागत के उधार को दर्शाता है जिसे अंतत: राज्यों को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। यदि हमारे द्वारा लिए गए उधार की लागत कम हो जाए तो हम भविष्य में भी इस लाभ को राज्यों को हस्तांतरित करेंगे।

हमारा 40,000 करोड़ रुपये का ऋण विनिमय का लक्ष्य भी है। ऋण विनिमय प्रत्येक व्यक्ति के लिए हर्ष का विषय है। यह केन्द्र एवं राज्यों के लिए एक लाभ का विषय है। लक्ष्य 40,000 करोड़ रुपये का है। लेकिन मेरे कार्यालय के अनुसार इस वर्ष हमारा निष्पादन 40,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य से बेहतर रहेगा। जैसा मैंने अपने बजट भाषण में कहा, मैं राज्यों से परामर्श लेने का प्रस्ताव करता हूं और उन्हें अधिक उधार लेने के लिए अनुमति देता हूं ताकि वे केन्द्रीय ऋणों पर कम निर्भर रहें। मध्यस्थता पर व्यय कम हो जाएगा। यदि वे बाजार से प्रत्यक्ष रूप से अधिक उधार लेते हैं और केन्द्रीय ऋणों पर उतना अधिक निर्भर नहीं रहते हैं तो उनका लागत ब्याज कम हो जाएगा। राज्यों के वित्त मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों की यह एक बहुत पुरानी मांग है। हम इसकी जांच-पड़ताल कर रहे हैं और इसे इस वर्ष लागू करने का प्रयास कर रहे हैं।

अब मैं राष्ट्रीय सम विकास योजना के विषय में कुछ कहना चाहूंगा। मैं सोचता हूं कि बजट भाषण से यह स्पष्ट हो गया है।

[श्री पी. चिदम्बरम]

मैंने राष्ट्रीय सम विकास योजना को लागू करने का दावा नहीं किया, किन्तु प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय सम विकास योजना को लागू करने के पश्चात बिहार में गत वर्ष क्या परिणाम प्राप्त हुआ? राष्ट्रीय सम विकास योजना में बिहार के लिए एक घटक और उड़ीसा के तीन जिले-कालाहांडी, बोलांगीर और कोरापुट के लिए एक घटक है, यह योजना पिछड़े जिलों के लिए एक पहल है। किसी ने भी इस योजना में कोई परिवर्तन नहीं किया है। किन्तु तथ्य क्या है? पिछले वर्ष के दौरान राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत केवल 1073 करोड़ रुपये जारी किये गए, जिसमें से बिहार को केवल 445 करोड़ रुपये मिले। इस वर्ष हमने 3,225 करोड़ रुपये के बजट आवंटन का प्रावधान किया है जो कि पिछले वर्ष की तुलना में तीन गुना है। मेरी इच्छा है कि मैं भारत के इन निर्धन जिलों के लिए कुछ अधिक कर सकूं, किंतु हमने पिछले वर्ष की तुलना में तीन गुना से अधिक का आबंटन किया है। हमने योजना आयोग से बिहार राज्य सरकार से कार्यक्रम प्राप्त होने के पश्चात आबंटन करने के लिए कहा है। मुझे विश्वास है कि बिहार को इस वर्ष बहुत अच्छा और पर्याप्त पैकेज दिया जाएगा, निश्चित रूप से पिछले वर्ष की 445 करोड़ रुपये की अल्प धनराशि जो उनकी प्राप्त हुई कि तुलना में कई गुना अधिक। जैसा कि मैंने अपने बजट भाषण में कहा कि 3225 करोड़ रुपये प्रारंभिक आवंटन है और यदि और धन की आवश्यकता होती है तो हम राष्ट्रीय सम विकास योजना के लिए और आवंटन करेंगे। कोरापुट, कालाहांडी और बोलांगीर जिलों को भी और धन दिया जाएगा और पिछड़े जिलों और कुछ अन्य जिलों को भी और धन दिया जाएगा। यह सब राज्यों द्वारा योजना आयोग को अर्थक्षम और वित्त पोषण योग्य योजनाओं को प्रस्तुत करने पर निर्भर करता है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): अध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेदन करना था कि मंत्रीजी आपने बिहार के लिए जो पैसा आबंटित किया है, वह स्पेशल पैकेज है या राष्ट्रीय श्रम विकास योजना के अंतर्गत दे रहे हैं। यह क्लियर नहीं हो पाया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया उन्हें आपके प्रश्न का उत्तर तो देने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम: माननीय सदस्यों को यह भी नोट करना चाहिए कि हम यह सब वर्ष के मध्य में कर रहे हैं। किन्तु एनसीएमपी आधारित बजट में घोषित की गई एक अन्य महत्वपूर्ण पहल है जिसमें राष्ट्रीय जनता दल सहित अन्य पार्टियां भी पार्टियां हैं अर्थात, हम पिछड़े राज्य अनुदान आयोग और एक पिछड़े राज्य अनुदान निधि की स्थापना कर रहे हैं। हम आने वाले पांच वर्षों के दौरान 25,000 करोड़ रुपये आबंटित करने जा रहे हैं। वह कौन से राज्य हैं जो इस धन को प्राप्त करेंगे? *...(व्यवधान)*

मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं। क्या तमिलनाडु को यह धन मिलेगा? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): मैं आपसे एक क्लेरीफिकेशन चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: नहीं, मैंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की है। वह अभी सब राज्यों के संबंध में उत्तर नहीं दे सकते। यदि माननीय मंत्री अपनी बात पूरी नहीं करते हैं तो किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी और किसी की भी बात कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

...(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम: वह कौन से राज्य हैं जो धन प्राप्त करेंगे? पिछड़े राज्यों को यह धन दिया जाएगा *...(व्यवधान)*

महोदय, पिछड़े राज्य और पिछड़े जिलों वाले अन्य राज्यों को यह धन दिया जाएगा। निश्चित रूप से, यह दक्षिणी राज्यों और पश्चिमी राज्यों को नहीं दिया जाएगा *...(व्यवधान)*

श्री पी.के. वासुदेवन नायर (तिरुअनन्तपुरम): क्यों?

श्री पी. चिदम्बरम: यह इसलिए क्योंकि उन्हें पिछड़े राज्यों में वर्गीकृत नहीं किया गया है। कुछ जिलों को वर्गीकृत किया गया होगा।

श्री पी.के. वासुदेवन नायर: माननीय मंत्री, वर्गीकरण सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए।

श्री पी. चिदम्बरम: आयोग यह कार्य करेगा *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस कार्य के लिए आयोग नियुक्त किया जाता है।

श्री पी. चिदम्बरम: आयोग इसकी जांच करेगा। मुद्दा यह है कि धनराशि का बड़ा भाग इन राज्यों को जाएगा जो कि निर्धन और पिछड़े राज्य है और जहां अधिकांशत: भारत के निर्धन व्यक्ति रहते हैं। हम स्पष्ट करते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सब कुछ जुलाई, 2004 में पूरा नहीं होगा।

श्री पी. चिदम्बरम: भाइयों और बहिनों कृपया मेरी बात समझने की कृपा करें। भारत की अधिकांश निर्धन जनता बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ भागों में रहती है। यह वह क्षेत्र है जहां अधिकांश निर्धन रहते हैं और उन्हें धन दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: भारत की 'लुक ईस्ट' नीति थी।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: पहले हमें अलग से मेमोरेण्डम देने की बात की गई थी, लेकिन अलग से फाइनेंशियल मेमोरेण्डम नहीं दिया गया। जब झारखण्ड से बिहार अलग राज्य हुआ था तो बिहार की आर्थिक स्थिति के लिए, वहां के लोगों में संतोष बनाए रखने के लिए पिछली सरकार के दौरान फाइनेंशियल मेमोरेण्डम नहीं दिया गया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि 25 हजार करोड़ रुपया जो पिछड़े राज्यों के लिए है, उसमें बिहार के पिछड़ेपन को देखने का क्या क्राइटीरिया होगा? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अभी डिटेल कैसे देंगे।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: यह 100 जिलों की योजना है। इन 100 जिलों में आतंकवाद के नाम पर भी लोग मर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* यह तो हमारे हक का सवाल है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने यह कहा है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको यह देखने के लिए बहुत सक्षम मंत्रालय मिला है।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, आधारभूत ढांचे के विषय में मैंने पहले ही अंतर-संस्थान समूह का उल्लेख किया है और मैं विशेषरूप से 'सेतुसमुद्रम' और 'वल्लारपुरम' का उल्लेख करना चाहता हूं। मैंने तूतीकोरीन का दौरा किया। डीपीआर की रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदार तूतीकोरीन पत्तन न्यास को दी गई है। पत्तन न्यास के अध्यक्ष ने मुझे बताया है कि वह नवम्बर के अंत तक 'डीपीआर' तैयार करा देंगे। यदि नवम्बर के अंत तक 'डीपीआर' तैयार हो जाती है, तो हमारे पास इस वर्ष की समाप्ति से पूर्व भी 'सेतुसमुद्रम' के विषय में महत्वपूर्ण घोषणा करने का अवसर है। ...*(व्यवधान)*

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): वल्लारपद्म के विषय में क्या होगा??

श्री पी. चिदम्बरम: कृपया ठहरिए। यह क्या है? वल्लारपुरम के विषय में भी वही बात है। परियोजना रिपोर्ट आने के पश्चात, डीपीआर तैयार होने के पश्चात वल्लारपद्म के संबंध में इस वर्ष घोषणा की जाएगी। ...*(व्यवधान)* 'स्वर्णिम चतुर्भुज' के विषय में चर्चा की जा रही है कि मैंने इसका उल्लेख नहीं किया है। हां, मैं स्वर्णिम चतुर्भुज का समर्थन करता हूं। हम इस बात से अत्यन्त प्रसन्न हैं कि चार बड़े महानगरों को आपस में जोड़ा जा रहा है। हम पूर्व-पश्चिम कोरीडोर और उत्तर दक्षिण कोरीडोर के विषय में प्रसन्न है। किन्तु मैं आपको कार्यक्रम के संबंध में कुछ तथ्य देना चाहता हूं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की 5,846 किलोमीटर के लिए अनुमोदित किया गया था और मूल लक्ष्य तिथि 31 मार्च 2004 थी जो कि अभी निर्धारित समय से पीछे है। लक्ष्य तिथि को दिसम्बर, 2004 तक बढ़ाया गया था, जिसमें पांच माह बाकी हैं। अब तक, 30 जून तक केवल 46 प्रतिशत कार्य अर्थात 2692 किलोमीटर पूरा हुआ है।

हमने क्या किया है? हमने स्वर्णिम चतुर्भुज को भुलाया नहीं है। पिछले वर्ष आवंटित किए गए 3,442 करोड़ रुपये की तुलना में हमने स्वर्णिम चतुर्भुज के लिए 5058 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं। हम इस कार्यक्रम को पक्षपातपूर्ण तरीके से नहीं देख रह हैं। हम सोचते हैं कि यह महत्वपूर्ण है। हमारे राजमार्गों को विश्व स्तर का बनाया जाना चाहिए। महानगरों को जोड़ने का प्रयास भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से बहुत पहले आरंभ किया गया था। वास्तव में संयुक्त मोर्चा सरकार ने इस निधि का सृजन किया और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को धन दिया गया। संयुक्त मोर्चा सरकार ने इस कार्यक्रम को आरंभ किया। दूसरी सरकार ने इसे स्वर्णिम चतुर्भुज नाम दिया। यह बहुत अच्छी बात है। हम बहुत प्रसन्न है। इस कार्यक्रम को स्वर्णिम, ज्वलन्त और जो भी यह हो सकता है होना चाहिए ...*(व्यवधान)* किन्तु प्रश्न यह है कि हमने 3,442 करोड़ रुपये की तुलना में 5058 करोड़ रुपये आबंटित किये हैं। ...*(व्यवधान)*

मैं रक्षा पूंजी व्यय के विषय में दो शब्द कहना चाहता हूं। यह एक बहुत गंभीर विषय है। यदि आप पिछले दो वर्ष के आंकड़ों की तरफ देखें तो पाएंगे कि रक्षा पूंजी व्यय स्थिर हो गया

[श्री पी. चिदम्बरम]

है जिससे बिल इकट्ठे हो गए हैं। माननीय रक्षा मंत्री यहां उपस्थित हैं। मैं सभा को जहां तक संभव है विश्वास में लेना चाहता हूं। निश्चित ही आगामी स्पष्टीकरण हेतु नेतागण माननीय रक्षा मंत्री से मिल सकते हैं। हमने रक्षा पूंजीगत खर्च हेतु 11,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की है। क्यों?

हम अपने दायित्वों के प्रति 1 अप्रैल 2004 की तारीख में सरकार के बनने से बहुत पहले वचनबद्ध हो चुके थे। अपने प्रतिज्ञाबद्ध दायित्वों में से, 8,493 करोड़ रुपये तीन मुख्य ठेकों के लिए चाहिए थे इन ठेकों को फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट के बाद जल्द ही अथवा तत्काल ही अनुमोदित कर दिया गया था, लेकिन निधियों का प्रावधान नहीं किया गया था। हमें इन बिलों का भुगतान करना है। हमें सांविधिक बाध्यताओं का पालन करना पड़ेगा। वास्तव में बिना निधियों को मुहय्या कराए हुए, अप्रैल माह में 4,396 करोड़ रुपये वास्तव में खर्च कर दिए गए थे। इसलिए जब मई, 2001 के अत: में मैंने पदभार ग्रहण किया तथा रक्षा मंत्री ने इसे चर्चा के लिए रखा, एक राष्ट्र के रूप में हमें सांविधिक बाध्यताओं का पालन करना पड़ेगा तथा इसके बिलों का भुगतान करना पड़ेगा तथा 11,000 करोड़ रुपये प्रदान करने पड़ेंगे। यह वास्तव में ...*(व्यवधान)* मैं किसी के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। यह एक घटिया बजट प्रबंधन है। या इस प्रकार कहिए, किंचित् यह एक घटिया बजट प्रबंधन है। जिसमें हमें बिलों की देनदारी बपौती के रूप में मिली है। ...*(व्यवधान)*

डा. सुजान चक्रवर्ती (जादवपुर): 4,396 करोड़ रुपये की राशि का ब्यौरा, इस सदन को मालूम होना चाहिए। इसका प्रबंध किया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: इसलिए, रक्षा मंत्री मुझे लगातार इस बात की याद दिलाते रहे हैं कि मेरे द्वारा प्रदत्त 11,000 करोड़ रुपये की राशि काफी नहीं है। लेकिन मैं 11,000 करोड़ रुपये का ही प्रावधान कर पाया हूं। सेना का आधुनिकीकरण करना अत्यंत आवश्यक है ताकि इसे पूर्ण रूप से युद्ध के लिए तैयार स्थिति में रखा जा सके तथा इसके साथ-साथ हमें संप्रभुत्व सरकार के रूप में सांविधिक दायित्वों का भी सम्मान करना पड़ेगा ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामदास बंडु आठवले (पंढरपुर): क्या आप एमपीलैड का पैसा बढ़ायेंगे? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम एमपीलैड्स समिति का गठन कर रहे हैं। आप अपनी टिप्पणियां वहां रखियेगा।

...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, अंतत: मैं कहना चाहूंगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं। कोई तो होना चाहिए जिस पर आप निशाना साध सकें। वे यहां नहीं हैं। इसलिए, आप वित्त मंत्री को अपना लक्ष्य बना रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले, आपने अपनी बात कह ली, और सुबह से अपनी उपस्थिति भी दर्ज करा दी।

श्री पी. चिदम्बरम: अंतत:, मैं हमारे द्वारा प्रस्तावित कर प्रस्तावों एवं राजस्व अनुमानों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैंने सोचा यह आपका अंतिम मुद्दा है।

श्री पी. चिदम्बरम: जी हां, यह मेरा अंतिम मुद्दा है।

महोदय, हमने खर्च को कम करके नहीं आंका है। वर्ष 2003-04 के लिए योजना व्यय 1,20,974 करोड़ रुपये तथा वर्तमान वर्ष के लिए बजट आकलन 1,45,590 करोड़ रुपये है। योजना व्यय में 25,000 करोड़ का उछाल आया है। इसी प्रकार, गैर-योजना व्यय 3,17,821 करोड़ रुपये था तथा अब हमारे अनुमान के मुताबिक यह 3,32,239 करोड़ रुपये है। अब पूंजीगत व्यय 27 प्रतिशत अधिक है तथा योजना व्यय 20 प्रतिशत अधिक है।

हम 'कर लगाओ खर्च करो' वाली सरकार नहीं है। किसी ने भी हमें इस प्रकार का सुझाव नहीं दिया है कि कर लगाओ और खर्च करो। हमने व्यय हेतु प्रावधान किया है। यह मेरा प्रयत्न रहेगा कि व्यय को प्रावधानों तक ही सीमित रखा जाए। पर्याप्त निधियाँ प्रदान की गई है। हमने व्यय का कम आकलन नहीं है।

इसी प्रकार, हमने व्यय का अधिक आकलन भी नहीं किया है। मैं केवल फरवरी में लगाए गए अनुमानों को ही लेकर चला हूं, जब कि वे प्राय: पिछली वृद्धि दर एवं उछाल के साथ साथ कारोबार कर राजस्व के पिछले बकाया एवं उपकर के संदर्भ में भी किए जाते हैं। मैं कर राजस्व के बकायों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। कर राजस्व के ये बकाये केवल बकाये ही रह गए तथा वे किस कारण से ही बकाये बन कर रह गए, यह सबके लिए एक रहस्य है। उनका संग्रहण क्यों नहीं किया गया? अब हमने आंकड़े इकट्ठे कर लिए हैं। आंकड़े दर्शाते हैं कि अविवादित वसूली योग्य बकाये काफी अधिक है। मैं इन आंकड़ों का खुलासा नहीं कर रहा हूं, चूंकि यदि मैं ऐसा करता हूं तब मेरे लक्ष्य का सबको पता लग जाएगा। थोड़ी सी वसूली हो सकती है तथा मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम इस वसूली के लिए

हर तरीका इस्तेमाल करेंगे। हम इन बकायों की वसूली करेंगे क्योंकि यह कोषागार की सम्पत्ति है।

व्यक्ति विशेष एवं कारपोरेट जगत से इन बकायों के संबंध में मेरा यही अनुरोध है कि पिछला वर्ष कारपोरेट जगत के लिए अच्छा था, पिछला वर्ष कर निर्धारितियों के लिए भी अच्छा था तथा उनकी भुगतान करने की क्षमता है। मैं यह बकाया का संग्रहण इस प्रकार करने की चेष्टा करूंगा, जिस प्रकार एक शहद की मक्खी फूलों से शहद निकालती है। लेकिन इससे पूर्व की मक्खी डंक मारे, मैं चाहता हूं कि फूल मक्खी के लिए स्वयं ही शहद देने को तैयार हो जाए।

अध्यक्ष महोदय: आपने अच्छी बात कही और निष्कर्ष भी अच्छा है।

श्री पी. चिदम्बरम: अन्त में, कर प्रावधानों के संबंध में, मुझे सुरक्षा कारोबार कर एसटीटी के संबंध में एक घोषणा करनी है। सुरक्षा कारोबार कर एक साफ-सुथरा, कार्यकुशल है अच्छा प्रबंध योग्य कर है। सबसे अच्छी बात है कि इससे कर अपवंचन को निरुत्साहित किया जा सकेगा। लोगों को कर के दायरे में आना ही पड़ेगा तथा वे अपने पीछे कर संबंधी परम्परा छोड़ जाएंगे।

पूंजी बाजार में दो प्रकार की कर मध्यस्थाएं हैं। प्रथमत: वह श्रेणी है जो पूंजीगत लाभ पर लगेगी। तथा दूसरी केवल कारोबार लाभ पर आयकर होगा। बाजार में प्रत्येक मध्यस्थ की बात सुनने एवं सेबी से परामर्श के पश्चात्, मैं आश्वस्त हूं कि एसटीटी लागू रहना चाहिए, तदापि हमें इन दो वर्गों के साथ अलग-अलग व्यवहार करना चाहिए इसलिए अब मेरे पुनर्राश्रित प्रस्ताव इस प्रकार है।

* वे लोक, जो इक्विटी में सुपुदर्गी आधारित व्यापार पर पूंजी आय कर चुका रहे हैं, इस दर को क्रय मूल्य पर 15 प्वाइंट आधार पर बनाए रखा जाएगा, लेकिन इसके कर भार को मैं क्रेता एवं विक्रेता के बीच बराबर बांट दूंगा।

* यूनिट धारकों के लिए जिन्होंने इक्विटी आधारित म्युचुअल फंड में यूनिट ले रखे हैं, मेरा प्रस्ताव है कि इन यूनिटों को प्रतिभूति माना जाए तथा नई पूंजी आय कर योजना का लाभ इन यूनिट धारकों को दिया जाए। तदापि, उन्हें शेयर बाजार में अन्य इक्विटी कारोबार की भांति ही अब इन यूनिटों के क्रय पर 15 प्वाइंट आधार पर एसटीटी भुगतान करना पड़ेगा।

* दूसरी श्रेणी जो अब दैनिक व्यापारियों एवं मध्यस्थों की भांति ही आयकर का भुगतान कर रहे हैं, इन श्रेणियों के लिए दर क्रय मूल्य पर 1.5 प्वाइंट आधारित होगी। उन्हें अब लाभ पर कारोबार कर के मुकाबले एसटीटी ऋण लेने की भी छूट होगी।

* डेरीवेटिव, 'फ्यूचर एंड आप्शन' कारोबारियों की इन श्रेणियों के लिए जैसाकि वित्त विधेयक में परिभाषित किया गया है कारोबार के मूल्य पर 10 प्वाइंट आधारित होगी। वे लाभ पर कारोबार कर के मुकाबले एसटीटी के लिए ऋण भी ले सकेंगे। कारोबारी आयकर के समक्ष एसटीटी के लिए ऋण लेने की भी छूट दी जाएगी जहां प्रत्येक सुपुर्दगी आधारित कारोबार पर लाभ घोषित किया जाएगा।

* सरकारी बॉण्ड सहित बॉण्ड या ऋण प्रतिभूतियां के खरीदने, बेचने को एसटीटी से छूट मिलेगी। हम बाजार सुदृढ़ करना चाहते हैं।

* इसी तरह से इक्विटी निधि के अलावा यूनिटें म्युचुअल फंड एसटीटी युक्त होंगे जहां एसटीटी लागू होगा, वहां दीर्घकालीन पूंजी एसटीटी लागू होगा, वहां दीर्घकालीन पूंजी आप शून्य होगी; अल्पकालीन आप 10 प्रतिशत होगी।

* जहां एसटीटी लागू भी नहीं होगा या इससे छूट नहीं मिलेगी। वहां सामान्य पूंजी आयकर प्रणाली लागू होगी।

जबकि हम एसटीटी को निवेदन करों पर बनाये रखते हैं मुझे यकीन है कि यह परिशोधित पैकेज बाजार में प्रत्येक मध्यस्थ को संतुष्टि प्रदान करेगा।

इन शब्दों के साथ, मैं इस बजट को सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता हूं। मैं माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अब मैं केवल दो अथवा तीन सदस्यों को स्पष्टीकरण मांगने के लिए अनुमति दूंगा। पहले, श्री मोहन सिंह को एक प्रश्न पूछने का मौका दिया जायेगा। तत्पश्चात्, त्रिपुरा, जो कि एक पिछड़ा हुआ राज्य है, से एक माननीय सदस्य को मौका दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): अध्यक्ष महोदय, आज एक महत्वपूर्ण मुद्दा वैल्यू ऐडेड टैक्स का है। वैल्यू ऐडेड टैक्स की मशीनरी इस देश के व्यापारी हैं और सभी व्यापारी संघों ने इस व्यवस्था को मानने से इंकार कर दिया है। क्या भारत सरकार, जो टैक्स वसूलने की एजेंसी है, उनको इग्नोर करके कोई एक नया

[श्री मोहन सिंह]

सिस्टम लाकर वैट को सफलतापूर्वक चला सकेगी? मैंने इस सवाल को अपने भाषण में उठाया था। इसके बारे में वित्त मंत्री जी को कोई सफाई देनी चाहिए।

सरकार की ओर से इंडस्ट्रीज को जो कुछ भी इंसेन्टिव दिया जाता है, वह कंज्यूमर पाइंट पर ट्रांसफर नहीं होता। मेरे कहने का आश्रय यह है कि ट्रैक्टर और एग्रीकल्चरल इम्प्लीमैंट्स के बारे में सरकार ने जो छूट दी है, वह कृषक के पाइंट पर उनको ट्रांसफर होगा और ट्रांसफर नहीं होगा तो उसके लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है, वित्त मंत्री जी को इसे बताना चाहिए।

मैंने स्वर्ण चतुर्भुज सड़कों के बारे में बात कही थी कि आज उसके सभी कंट्रैक्टर्स भाग रहे हैं। उसकी पर किलोमीटर कीमत 8 करोड़ 50 लाख रुपये आती है। मैंने आग्रह किया था कि उससे कम कीमत पर रेलवे का विकास करके, उसकी स्वर्ण चतुर्भुज रेल लाइन बनाकर हम इस काम को कर सकते हैं।

इस फंड को रेलवे की तरफ ट्रांसफर करने का मैंने आग्रह किया था। वित्त मंत्रालय इस संबंध में क्या कर रहा है?

[अनुवाद]

श्री खगेन दास (त्रिपुरा-पश्चिम): क्या माननीय मंत्री जी को क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के लिए कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? वह पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में जानते हैं। जब वह संयुक्त मोर्चा सरकार में वित्त मंत्री थे, तब उन्हें पूर्वोत्तर-पूर्वी राज्यों की स्थिति के बारे में जानकारी हो गई होगी। सभी पूर्वोत्तर राज्य सिर से पैर तक ऋण में डूबे हैं। फिर भी पूर्वोत्तर राज्यों के विशेष ऋण राहत पैकेज के लिए कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है। मैं इस पर विचार करने के लिए माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं।

श्री एन.एन. कृष्णदास: महोदय, मुझे एक बात कहनी है।

अध्यक्ष महोदय: मैं इस तरह टीका टिप्पणी करने की इजाजत नहीं दे सकता।

श्री एन.एन. कृष्णदास: महोदय, मुझे अनिवासी भारतीयों की जमाराशियों पर नए कर लगाए जाने के संबंध में केवल एक ही बात कहनी है। इससे केरल राज्य के लोग बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने तीन संसद सदस्यों को मौका दिया है। अब कृपया और अनुरोध न करें। बहुत हो चुका, आपने अपनी बात कह चुके हैं।

डा. रामचन्द्र डोम: महोदय, मैं पश्चिम बंगाल में भूजल में आर्सेनिक और फ्लोराइड विद्यमान होने की समस्या के संदर्भ में कुछ कहना चाहूंगा। यह देश में एक बड़ी समस्या है *...(व्यवधान)* इस समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त राशि आवंटित नहीं की गई है जबकि पानी के खारेपन को दूर करने संबंधी एक बड़ी परियोजना चेन्नई के लिए स्वीकृत की गई है। इस विषय पर ध्यान दिया जाना चाहिए *..:(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: और अधिक सांसदों को इजाजत नहीं दी जाएगी।

...(व्यवधान)

श्री रूपचंद पाल (हुगली): महोदय, यह लघु उद्योग से जुड़ा प्रश्न है। मैं इस्पात की कीमत आदि के बारे में प्रश्न नहीं पूछना चाह रहा हूं। ये सब बातें वित्त विधेयक पर बहस के दौरान हो सकती हैं। लघु उद्योग क्षेत्र से 85 मदों को आरक्षण सूची से हटाना हमारे देशवासियों के लिए गम्भीर चिंता का विषय है।

अध्यक्ष महोदय: और कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता। मैंने अभी तक उदारता बरती है। मैंने श्री मोहन सिंह को इसलिए इजाजत दे दी है क्योंकि इसके लिए उन्होने अनुमति मांगी थी। श्री खगेन दास को इसलिए इजाजत दी गई क्योंकि वह एक पिछड़े राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि आप इस तरह अनुग्रह का दुरुपयोग करेंगे, तो मैं क्या कर सकता हूं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। यहां बहुत अधिक अनुशासनहीनता हो रही है। अब माननीय वित्त मंत्री को बोलने दीजिए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। वित्त मंत्री जी, आपने यह सुना भी नहीं है।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, वैट के मामले में मैं माननीय सांसदों को आश्वस्त कर दूं कि हमारे मंत्रालय में एक अधिकार प्राप्त समिति है। उस अधिकार प्राप्त समिति में सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को शामिल करने के लिए उसका विस्तार किया गया है तथा इसकी अध्यक्षता पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री करेंगे। अधिकार प्राप्त समिति की सहायता के लिए मैंने डा. गोविंद राव की अध्यक्षता में तीन दिन पहले ही एक तकननीकी विशेषज्ञ

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

समिति की नियुक्ति की है। तकनीकी विशेषज्ञ समिति और अधिकार प्राप्त समिति जिसमें सभी वित्त मंत्री शामिल हैं, वैट के लिए एक खाका तैयार कर रही हैं।

आज जो हरियाणा से सूचना प्राप्त हुई है, उस पर ध्यान दीजिए। हरियाणा ने सूचना दी है कि विगत वर्ष की प्रथम तिमाही के मुकाबले इस वर्ष की प्रथम तिमाही में वैट की उगाही में 32 प्रतिशत वृद्धि हुई है। तथापि, कुछ राज्यों विशेषकर, उत्तर प्रदेश की आशंकाओं को दूर करने के उद्देश्य से मैंने व्यक्तिगत रूप से उत्तर प्रदेश जाकर मुख्य मंत्री से बात करने का निर्णय लिया है। मैंने कहा है कि सभी राज्यों के वित्त मंत्री हरियाणा का दौरा करें। हम किसी पर कोई बात जबरदस्ती थोपना नहीं चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि यदि हम सब सहयोग करें तो वैट को पहली अप्रैल से लागू कर सकते हैं। यदि एक-दो राज्य वैट को तीन चार महीने बाद लागू करना चाहते हैं, तो उन्हें तीन-चार महीने बाद भी लागू करने दिया जा सकता है। हमें व्यापारियों की आशंकाओं से भी निपटना होगा, इसलिए हम प्रत्येक को इस बात के लिए संतुष्ट करेंगे कि वैट एक आधुनिक और उत्तम कर है।

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इस वर्ष 5823 करोड़ रुपये धनराशि आवंटित की गई है। यह सबसे अधिक है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया साथ-साथ टीका-टिप्पणी मत कीजिए।

श्री खगेन दास: मैंने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक विशेष ऋण पैकेज की गुहार की है।

श्री पी. चिदम्बरम: पूर्वोत्तर राज्यों के प्रत्येक मुख्यमंत्री, जो भी मुझसे या माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलता है, मेरी तरफ से ज्यादा बढ़िया उत्तर नहीं मिलता हो, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से बेहतर जवाब मिलता है जिसे पाकर वह मुख्यमंत्री मेरे पास एक आदेश लेकर आता है तथा खुश होकर चला जाता है।

अब आप स्थिति को क्यों और जटिल बना रहे हो? कोई मुख्य मंत्री खाली हाथ नहीं लौटता है। इस बात को यहीं छोड़ देना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप उन्हें आमंत्रित कीजिए। उन्होंने जिस एक जगह का नाम नहीं लिया, वह पश्चिम बंगाल है।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, अनिवासी भारतीयों द्वारा जमा की गई निधियों के संबंध में कर की दर संबंधी विकृति पैदा हो गई थी। उसे दूर करने के लिए जो कुछ हमने किया, कृपया तत्संबंधी तथ्यों की जानकारी लें, अब हमने इसे कर को रोके रखने की शर्त को अध्यधीन कर दिया। आज, अनिवासी भारतीय यहां कर अदा नहीं करते, लेकिन डीटीएए के अंतर्गत मेजबान देश में वे कर अदा करते हैं। कोई व्यक्ति जो यहां डीटीएए के अंतर्गत कर अदा करता है, उसे समान राशि की साख प्रदान की जाती है। इसलिए, वह अधिक कर अदा नहीं कर रहा है। इससे भी अधिक मजेदार बात यह है कि यदि वह विचारण कर अदा करता है तो आज के दिन वह आधारभूत छूट के अंतर्गत वर्तमान कर कानून के अंतर्गत 62200 रुपए प्रति वर्ष तक की छूट तथा धारा 80ठ के अंतर्गत 5000 रु. प्रति माह की छूट का अधिकारी होगा तथा इन खातों से अर्जित ब्याज आयकर से मुक्त होगा। मेरे विचार से जब मैं इन उपबंधों को स्पष्ट करते हुए केरल के मुख्य मंत्री को जवाबी चिट्ठी लिखूंगा, तो इससे अधिकाधिक शंकाएं दूर हो जाएंगी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट नजर आता है।

अब मैं वर्ष 2004-05 के लिए लेखा अनुदानों की मांगें (सामान्य) को सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 34, 36, 37, 39 से 63, 65 से 73, 75, 76, 78 से 105 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में, कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से, लेखे पर, राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा वर्ष 2004-2005 के लिए स्वीकृत लेखानुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग सं.	मांग का नाम	सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांगों की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	4
कृषि मंत्रालय			
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	1489,86,00,000	43,48,00,000
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	876,66,00,000	-

1	2	3	4
3.	पशुपालन और डेरी कार्य विभाग	412,91,00,000	6,96,00,000
	कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय		
4.	कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय	380,01,00,000	81,00,000
	परमाणु ऊर्जा विभाग		
5.	परमाणु ऊर्जा	905,70,00,000	751,66,00,000
6.	न्यूक्लीयर विद्युत योजनाएं	656,51,00,000	1128,81,00,000
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय		
7.	रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	42,68,00,000	24,17,00,000
8.	उर्वरक विभाग	9655,92,00,000	65,99,00,000
	नागर विमानन मंत्रालय		
9.	नागर विमानन मंत्रालय	187,72,00,000	22,53,00,000
	कोयला और खान मंत्रालय		
10.	कोयला विभाग	159,91,00,000	64,25,00,000
11.	खान विभाग	270,82,00,000	72,14,00,000
	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		
12.	वाणिज्य विभाग	906,46,00,000	263,00,00,000
13.	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	291,88,00,000	9,55,00,000
	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		
14.	डाक विभाग	3115,05,00,000	124,30,00,000
15.	दूरसंचार विभाग	1165,62,00,000	50,00,000
16.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	368,00,00,000	24,75,00,000
	कम्पनी कार्य मंत्रालय		
17.	कम्पनी कार्य मंत्रालय	27,25,00,000	1,50,00,000
	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		
18.	उपभोक्ता मामले विभाग	20,67,00,000	4,96,00,000
19.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	13307,75,00,000	236,11,00,000
	संस्कृति मंत्रालय		
20.	संस्कृति मंत्रालय	333,17,00,000	22,75,00,000
	रक्षा मंत्रालय		
21.	रक्षा मंत्रालय	3981,86,00,000	217,91,00,000
22.	रक्षा पेंशन	5624,87,00,000	-
23.	रक्षा सेवा-थल सेना	14314,54,00,000	-
24.	रक्षा सेवा-नौसेना	2687,60,00,000	-
25.	रक्षा सेवाएं-वायु सेना	4322,79,00,000	-
26.	रक्षा आयुध फैक्ट्रियां	943,54,00,000	-
27.	रक्षा सेवाएं-अनुसंधान एवं विकास	1176,47,00,000	-
28.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	-	16736,50,00,000
	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय		
29.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विवकास मंत्रालय	519,28,00,000	28,96,00,000
	पर्यावरण और वन मंत्रालय		
30.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	642,23,00,000	8,38,00,000
	विदेश मंत्रालय		
31.	विदेश मंत्रालय	1823,54,00,000	261,32,00,000
	वित्त मंत्रालय		
32.	आर्थिक कार्य विभाग	1280,58,00,000	771,38,00,000
33.	करेंसी, सिक्का निर्माण और स्टाम्प	466,91,00,000	245,75,00,000
34.	वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	1757,71,00,000	4604,57,00,000
36.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	13404,78,00,000	-
37.	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	-	300,00,00,000
39.	व्यय विभाग	13,31,00,000	-
40.	पेंशन	2348,98,00,000	-
41.	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	552,27,00,000	5,50,00,000

1	2	3	4
42.	राजस्व विभाग	270,80,00,000	2,53,00,000
43.	प्रत्यक्ष कर	572,98,00,000	51,00,00,000
44.	अप्रत्यक्ष कर	630,80,00,000	99,42,00,000
45.	विनिवेश विभाग	55,00,00,000	-
	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		
46.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	57,84,00,000	-
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		
47.	स्वास्थ्य विभाग	1535,64,00,000	177,85,00,000
48.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)	112,61,00,000	26,00,000
49.	परिवार कल्याण विभाग	3348,19,00,000	-
	भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय		
50.	भारी उद्योग विभाग	79,94,00,000	235,57,00,000
51.	सरकारी उद्यम विभाग	16,33,00,000	-
	गृह मंत्रालय		
52.	गृह मंत्रालय	353,61,00,000	14,03,00,000
53.	मंत्रिमंडल	81,52,00,000	50,00,000
54.	पुलिस	5454,20,00,000	750,98,00,000
55.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	378,19,00,000	-
56.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	303,52,00,000	204,49,00,000
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
57.	बुनियादी शिक्षा और साक्षरता विभाग	5237,30,00,000	-
58.	माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग	2528,69,00,000	1,00,000
59.	महिला और बाल विकास विभाग	1480,64,00,000	-
	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय		
60.	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	631,68,00,000	125,43,00,000
	श्रम और रोजगार मंत्रालय		
61.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	522,86,00,000	3,00,000
	विधि और न्याय मंत्रालय		
62.	निर्वाचन आयोग	5,75,00,000	-
63.	विधि और न्याय	1255,85,00,000	51,00,000
	गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय		
65.	गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	254,62,00,000	48,02,00,000
	अनिवासी भारतीय कार्य मंत्रालय		
66.	अनिवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	3,00,00,000	50,00,000
	पंचायती राज मंत्रालय		
67.	पंचायती राज मंत्रालय	15,52,00,000	-
	महासागर विकास विभाग		
68.	महासागर विकास विभाग	114,54,00,000	50,00,000
	संसदीय कार्य मंत्रालय		
69.	संसदीय कार्य मंत्रालय	2,95,00,000	-
	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय		
70.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	125,86,00,000	358,00,000
	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		
71.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	1786,71,00,000	-
	योजना मंत्रालय		
72.	योजना मंत्रालय	3223,44,00,000	911,50,00,000
	विद्युत मंत्रालय		
73.	विद्युत मंत्रालय	1051,94,00,000	1318,80,00,000
	राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय		
75.	लोक सभा	101,40,00,000	-
76.	राज्य सभा	44,96,00,000	-

1	2	3	4
78.	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	1,56,00,000	-
	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		
79.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	2687,88,00,000	3616,48,00,000
	ग्रामीण विकास मंत्रालय		
80.	ग्रामीण विकास विभाग	7549,48,00,000	2,50,00,000
81.	भूमि संसाधन विभाग	632,24,00,000	-
82.	पेय जलापूर्ति विभाग	1650,70,00,000	-
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		
83.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	609,76,00,000	35,35,00,000
84.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	647,95,00,000	2,05,00,000
85.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	161,73,00,000	-
	नौवहन मंत्रालय		
86.	नौवहन मंत्रालय	273,04,00,000	153,82,00,000
	लघु उद्योग मंत्रालय		
87.	लघु उद्योग मंत्रालय	199,70,00,000	7,50,00,000
	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय		
88.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	685,71,00,000	89,88,00,000
	अंतरिक्ष विभाग		
89.	अंतरिक्ष विभाग	1055,97,00,000	274,67,00,000
	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय		
90.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	882,69,00,000	10,42,00,000
	इस्पात मंत्रालय		
91.	इस्पात मंत्रालय	74,16,00,000	44,45,00,00
	कपड़ा मंत्रालय		
92.	कपड़ा मंत्रालय	662,97,00,000	227,34,00,000
	पर्यटन मंत्रालय		
93.	पर्यटन मंत्रालय	113,62,00,000	147,25,00,000
	जनजाति कार्य मंत्रालय		
94.	जनजाति कार्य मंत्रालय	68,91,00,000	21,63,00,000
	विधान-मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र		
95.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	453,49,00,000	104,16,00,000
96.	चंडीगढ़	451,22,00,000	76,18,00,000
97.	दादरा और नगर हवेली	226,91,00,000	17,75,00,000
98.	दमन और दीव	123,75,00,000	14,90,00,000
99.	लक्षद्वीप	109,33,00,000	19,02,00,000
	शहरी विकास मंत्रालय		
100.	शहरी विकास विभाग	477,18,00,000	657,96,00,000
101.	लोकनिर्माण कार्य	344,20,00,000	120,25,00,000
102.	लेखन-सामग्री और मुद्रण	73,53,00,000	10,00,000
	शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय		
103.	शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	225,57,00,000	155,78,00,000
	जल संसाधन मंत्रालय		
104.	जल संसाधन मंत्रालय	396,69,00,000	28,74,00,000
	युवा मामले और खेल मंत्रालय		
105.	युवा मामले और खेल मंत्रालय	225,88,00,000	7,12,00,000
	जोड़ राजस्व/पूंजी	143140,51,00,000	35829,30,00,000

अध्यक्ष महोदय: अब मैं वर्ष 2001-2002 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखायी गयी राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये:

मांग संख्या 12, 25 और 80"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा 2001-2002 के लिए स्वीकृत अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग सं.	मांग का नाम	सभा द्वारा अतिरिक्त अनुमानों की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
12	दूरसंचार विभाग	-	114,36,47,956
25	वित्तीय संस्थाओं को भुगतान	-	731,35,86,493
80	शहरी विकास विभाग	-	4,49,75,952
	जोड़		850,22,10,401

अपराह्न 3.34 बजे

विनियोग (लेखानुदान) संख्यांक 2 विधेयक, 2004*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विनियोग विधेयक पर चर्चा करेगी।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2004-05 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियां निकालने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2004-2005 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियां निकालने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अब मंत्री महोदय विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं प्रस्तुत करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2004-2005 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियां निकालने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 2, दिनांक 21.7.04 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य श्री तरित बरण तोपदार ने कुछ विषयों को उठाने के लिए सूचना दी है। वे संक्षेप में अपने तथ्यों को रख सकते हैं। ऐसी अनुमति सामान्यत: नहीं दी जाती परन्तु उन्होंने पहले ही अनुमति मांगी है इसलिए मैं उन्हें अनुमति दे रहा हूं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि वित्तीय वर्ष 2004-05 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियां निकालने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर): महोदय, मैं अपनी बात संक्षेप में रखूंगा। यदि सरकार देश के निवासियों के साथ गुनाह करने के बाद प्रायश्चित न करने का निर्णय लेती है, तो यह प्रायश्चित अगली पदस्थ सरकार द्वारा किया जाना चाहिए और उसे पिछली सरकार द्वारा लोगों के लिए पैदा की गई मुसीबतों को दूर करने के लिए कदम उठाने चाहिए। मैं यहां पाता हूं कि सी.पी.एस.यू. कर्मचारियों के सांविधिक बकायों के भुगतान के प्रावधानों को पिछली सरकार द्वारा पूरी तरह अस्वीकृत कर दिया गया है। मैं वित्त मंत्री और सरकार से अनुरोध करता हूं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सी.पी.एस.यू. कर्मचारियों के बकायों का समय के अंदर भुगतान हो।

मैं इस तथ्य की ओर भी आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कम ब्याज दर के इस वक्त में मलाईदार तबके से संबधित कर्जदारों को फायदा पहुंचा है न कि किसानों को या अन्य लघु उद्योग इकाइयों को।

अपराह्न 3.36 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

मैं यह बताना चाहूंगा कि ऋण और जमा ब्याज दर में एक विसंगति है। चाय, पटसन, वस्त्र, इंजीनियरिंग और अन्य सम्बद्ध उद्योगों आदि में चल रही रुग्णता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि ये उद्योग प्रभावित हैं। यह प्रस्ताव है कि इस्पात के आयात पर सीमा शुल्क घटा दिया जाए जबकि उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया जाए। जहां तक वस्त्र उद्योग का संबंध है, हम एक अत्यंत गंभीर स्थिति का सामना कर रहे हैं। अगर हम इन सभी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं ...*(व्यवधान)* ये प्रासंगिक तथ्य हैं। मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। इससे भारत के पूर्वी भाग में पटसन उद्योग दुष्प्रभावित हो रहा है। समस्याओं का उचित तरीके से समाधान नहीं किया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात संक्षेप में रखें।

श्री तरित बरण तोपदार: मैं सरकार से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि रक्षा व्यय सामाजिक व्यय की तुलना में बहुत अधिक न हो। यह संभवत: आर्थिक व्यष्टिभाव सिद्धांत (माइकक्रो इकोनॉमिक थ्योरी) का दृष्टिकोण है जिसे एक आम आदमी भी जानता है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री तरित बरण तोपदार: सामाजिक सुरक्षा निधियां किसी निश्चित अवधि के लिए जमा की गई राशि नहीं होती है। सरकार के लिए वे ऐसी निधियां हैं जिन्हें खत्म नहीं किया जाता है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह कोई बहस नहीं है। कृपया अपनी बात पर आएं।

श्री तरित बरण तोपदार: अत:, विषय के इस पहलू को ध्यान में रखते हुए भविष्य निधि और अन्य लाभों के लिए हिसाब किया जाना चाहिए। यहां, भविष्य निधि पर आठ प्रतिशत ब्याज दर देने के मामले में संभवत: इस पहलू को ध्यान में नहीं रखा गया है। मुझे इतना ही कहना है।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैंने माननीय सदस्य के सुझावों को नोट कर लिया है। हम उचित तरीके से उन पर अमल करेंगे। सी.पी.एस.यू. मुद्दे के संबंध में, मेरे सहयोगी भारी उद्योग मंत्री ने मुझे अभी बताया है कि उन्होंने पहले से ही कार्रवाई की है तथा वह उसके लिए निधियां प्राप्त करने हेतु कोशिश कर रहे हैं तथा बकायों का भुगतान क्रमिक तरीके से कर दिया जाएगा। मैं उनके साथ सहयोग करूंगा तथा जहां तक संभव होगा उनकी सहायता करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2004-2005 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और से कतिपय राशियां निकालने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 4 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.40 बजे

विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2004*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक, जितनी उक्त वर्ष के लिए उन सेवाओं पर व्यय की गई थी, की पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि में से धनराशियों का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक, जितनी उक्त वर्ष के लिए उन सेवाओं पर व्यय की गई थी, की पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि में से धनराशियों का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 2, दिनांक 21.7.04 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मंत्री महोदय विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक, जितनी उक्त वर्ष के लिए उन सेवाओं पर व्यय की गई थी, की पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि में से धनराशियों का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक, जितनी उक्त वर्ष के लिए उन सेवाओं पर व्यय की गई थी, की पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि में से धनराशियों का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.44 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा के बारे में

देश में आन्तरिक सुरक्षा से संबंधित मामले

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा मद संख्या 25 लेगी।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा

वह उपस्थित नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। देश की आन्तरिक सुरक्षा से संबंधित है। इस महत्वपूर्ण विषय पर अध्यक्षजी ने सदन में चर्चा करने की अनुमति दी है। पूरा सदन इसमें रुचि रखता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस विषय पर सदन में चर्चा होने दीजिए। *...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को आप गंभीरता से लीजिए। *...(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर चर्चा के लिए पूरा सदन तैयार है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): महोदय, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि नियम 193 के अधीन प्रस्ताव विपक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दलों के नेताओं की बैठक में आप भी वहां उपस्थित थे, हमने निर्णय लिया था कि इस महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा कराई जाएगी। यदि कुछ माननीय सदस्यों ने सभा से बाहर रहने का निर्णय लिया है तो मेरा विनम्र अनुरोध होगा कि अन्य सदस्यों को इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाए। इस विषय पर चर्चा कराई जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रक्रिया इसकी अनुमति नहीं देती है। प्रक्रिया में कहा गया है कि चर्चा उस सदस्य द्वारा आरम्भ की जानी है। जिसका नाम कार्यसूची में मद के सम्मुख लिखा गया है। यदि वह सदस्य अनुपस्थित है तो दूसरे सदस्य, यदि वह उपस्थित है द्वारा चर्चा शुरू की जाएगी यदि दोनों सदस्य अनुपस्थित है तो अगला

[उपाध्यक्ष महोदय]

सदस्य जिसकी सूचना इस विषय पर स्वीकार की गई है, को चर्चा आरम्भ करने की अनुमति दी जाए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया मेरी बात सुनिए। यहां और किसी सदस्य का नाम नहीं है। दुर्भाग्यवश, एक ही नाम है अर्थात् प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): उपाध्यक्ष महोदय, रूल एडमिट नहीं करता लेकिन सदन की भावना को देखते हुए आप निर्णय ले सकते हैं। इससे पहले भी ऐसे प्रीसीडेंट रहे हैं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: नियम मुझे इसकी अनुमति नहीं देता है और मैं इस सभा के नियमों और प्रक्रिया से बाहर नहीं जा सकता है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा, कल 22 जुलाई 2004 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 3.45 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 22 जुलाई, 2004/31 आषाढ़, 1926 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री विजय कृष्ण श्री कीर्ति वर्धन सिंह	222
2.	डा. एम. जगन्नाथ श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर	223
3.	श्री शिवाजी अधलराव पाटील	224
4.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	225
5.	श्री बीर सिंह महतो श्री राम कृपाल यादव	226
6.	डा. सत्यनारायण जटिया श्री थावरचन्द गेहलोत	227
7.	श्री भर्तृहरि महताब श्रीमती किरण माहेश्वरी	228
8.	श्री निखिल कुमार श्री अधीर चौधरी	229
9.	श्री एन.एन. कृष्णदास श्री इलियास आजमी	230
10.	श्री बची सिंह रावत 'बचदा' श्री उदय सिंह	231
11.	श्री शिवराज सिंह चौहान श्री सुकदेव पासवान	232
12.	श्री अब्दुल रशीद शाहीन	233
13.	श्री पी. राजेन्द्रन	234
14.	श्री बी. विनोद कुमार श्री रामदास बंडु आठवले	235
15.	श्री लक्ष्मण सेठ श्री लोनाप्पन नम्बाडन	236
16.	श्री सुरेश कुरूप	237
17.	श्री रूपचन्द मुर्मू	238
18.	श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता श्री राजेश वर्मा	239
19.	श्री बृज किशोर त्रिपाठी	240
20.	प्रो. एम. रामदास	241

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2
अहीर, श्री हंसराज जी.	1902, 1961
आठवले, श्री रामदास बंडु	1954, 2013, 2026, 2069
'बचदा', श्री बची सिंह रावत	1928, 1997, 2062, 2068

1	2
भड़ाना, श्री अवतार सिंह	1900
बुधौलिया, श्री राजनारायन	1890
चक्रवर्ती, श्री अजय	1931, 2047
चालिहा, श्री किरिप	1946, 2006, 2050
चंद, श्री निहाल	1888
चंदेल, श्री सुरेश	1909, 1967, 2054
चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	1897
चव्हाण, श्री हरिश्चन्द्र	1883
चौहान, श्री शिवराज सिंह	1974, 2008
चौधरी, श्री पंकज	2042
चौधरी, श्री अधीर	1958, 1972, 2001, 2020
चर्चील, श्री अलीमाऊ	1939
दासगुप्त, श्री गुरुदास	1942, 1988
देवरा, श्री मिलिन्द	1892, 2011, 2052
दूबे, श्री चन्द्र शेखर	1944, 2049, 2060
गढ़वी, श्री पी.एस.	1941, 2048
गांधी, श्री प्रदीप	1915
गंगवार, श्री संतोष	1913, 1969
हुसैन, श्री अनवर	1912
जगन्नाथ, डा. एम.	1966, 2004, 2022
जटिया, डा. सत्यनारायण	1953
झा, श्री रघुनाथ	1891, 1965, 2059
जोशी, श्री कैलाश	1898
कलमाडी, श्री सुरेश	1924
कामत, श्री गुरुदास	1908, 1996, 2058, 2065
कनोडीया, श्री महेश	1929
करुणाकरन, श्री पी.	1894, 1955, 1999, 2019

1	2
खैरे, श्री चन्द्रकांत	1899
कोया, डा. पी.पी.	1906, 1995
कृष्ण, श्री विजय	1951, 2003, 2021, 2066
कृष्णदास, श्री एन.एन.	1973, 2007
कुरूप, श्री सुरेश	2047, 2066
कुसमरिया, डा. रामकृष्ण	2039
महाजन, श्रीमती सुमित्रा	1911
महतो, श्री बीर सिंह	1970, 2006, 2024
महताब, श्री भर्तृहरि	1971
माझी, श्री परसुराम	1881, 1952, 2002, 2027, 2067
मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा	1903, 2021, 2044, 1904
माने, श्रीमती निवेदिता	2032, 2044, 2066
मेघवाल, श्री कैलाश	1980, 1984
मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	1990
मोदी, श्री सुशील कुमार	1917
मोहले, श्री पुन्नू लाल	1964
मुर्मू, श्री हेमलाल	1925
मुर्मू, श्री रूपचन्द	1960, 2012, 2029, 2033
नायर, श्री पी.के. वासुदेवन	1926, 2047
नायक, श्री अनन्त	1893, 1983, 2015
निखिल कुमार, श्री	1972, 2066
नीतीश कुमार, श्री	1921
निषाद, श्री महेन्द्र प्रसाद	1920, 1989, 2017, 2030
पाल, श्री राजाराम	1896, 2030
पंडा, श्री ब्रह्मानन्द	1914
पाण्डा, श्री प्रबोध	1932
परस्ते, श्री दलपत सिंह	2023, 2036, 2046
पासवान, श्री सुकदेव	1978, 2010, 2025

1	2
पटेल, श्री दिनशा	1947, 1992
पाटील, श्री प्रकाश वी.	1948, 1993
पाटील, श्री शिवाजी उधलराव	1957, 2005, 2023, 2034
पाटील, श्री श्रीनिवास	1887
प्रसाद, श्री हरिकेवल	1970
पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	1884
राई, श्री नकुल दास	1895, 1956, 2000
राजेन्द्रन, श्री पी.	1975, 2009
रामदास, प्रो. एम.	1949, 1994
राणा, श्री काशीराम	1976
राव, श्री के.एस.	1980
राव, श्री रायापति सांबासिवा	1926, 1930, 1981, 2055
राव, श्री डी. विट्ठल	1945
रावत, प्रो. रासा सिंह	1888, 1922, 2045
रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	1927
रेड्डी, श्री एस.पी.वाई.	1910, 1977, 2057
शैलेन्द्र कुमार, श्री	1940, 1998
शर्मा, डा. अरुण कुमार	2037
सरोज, श्री दरोगा प्रसाद	2006, 2056
सरोज, श्री तूफानी	1934
सत्पथी, श्री तथागत	1916, 1985
सेनथिल, डा. आर.	1905, 2051
सेठी, श्री अर्जुन	1918
शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	2024
शाक्य, श्री रघुराज सिंह	1950
शिवनकर, प्रो. महादेवराव	1907, 1963

1	2
सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	2041
सिंह, श्री अजीत कुमार	1943
सिंह, श्री दुष्यन्त	1938, 1986, 2016, 2027, 2063
सिंह, श्री गणेश	2043
सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	2021, 2032, 2053
सिंह, श्री मोहन	1933, 1982
सिंह, श्री प्रभुनाथ	1889, 1959, 2014, 2028, 2035
सिंह, श्री राजीव रंजन 'ललन'	2038
सिंह, श्री राकेश	1901
सिंह, श्री सीताराम	1885, 1886
सिंह, श्री उदय	1962
सुमन, श्री रामजीलाल	1921
स्वामी, श्री जी. वेंकट	2040
ठक्कर, श्रीमती जया बहन बी.	2047
थामस, श्री पी.सी.	1923, 1979, 2018, 2031
थुपस्तन, श्री छेवांग	1936
त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	1991, 2061, 2064, 2070
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	1882, 1968
वर्मा, श्री राजेश	1990
वर्मा, श्रीमती उषा	1919
वीरेन्द्र कुमार, श्री	1937, 1987
यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	1903, 2044
यादव, श्री राम कृपाल	1976, 2056
येरेननायडू, श्री किन्जरपु	2023
जाहेदी, श्री महबूब	1935

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	
कृषि एवं ग्रामीण उद्योग	:	
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	237, 241
विदेश	:	230, 232, 239
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	223, 225, 228, 231, 234, 235
अप्रवासी भारतीय कार्य	:	
महासागर विकास	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेशन	:	
योजना	:	224, 233
सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	226, 227, 229
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	
पोत परिवहन	:	236, 238
लघु उद्योग	:	222
अंतरिक्ष	:	
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	240

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	1884, 1908, 1937
कृषि और ग्रामीण उद्योग	:	1927, 1979
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	1885, 1896, 1898, 1907, 1918, 1920, 1921, 1934, 1936, 1946, 1950, 1953, 1960, 1961, 1967, 1968, 1973, 1976, 1980, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 1994, 2000, 2006, 2011, 2012, 2013, 2022, 2029, 2030, 2033, 2034, 2037, 2043, 2045, 2050, 2052, 2062, 2066, 2067, 2068
विदेश	:	1930, 1935, 1963, 1981, 2023, 2027, 2040, 2055
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	1886, 1888, 1895, 1899, 1900, 1902, 1909, 1911, 1913, 1922, 1923, 1926, 1928, 1929, 1932, 1933, 1943, 1944, 1954, 1956, 1957, 1958, 1966, 1970, 1972, 1977, 1978, 1982, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2010, 2015, 2018, 2020, 2024, 2025, 2031, 2036, 2039, 2042, 2046, 2047, 2048, 2054, 2056, 2058, 2060, 2061, 2064, 2065, 2070

अप्रवासी भारतीय कार्य	:	
महासागर विकास	:	1903
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	1889, 1891, 1904, 1919, 1942, 1951, 1959, 1965, 1997, 2014, 2032, 2035, 2059, 2069
योजना	:	1916, 1964, 2041, 2049, 2053
सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	1883, 1887, 1890, 1892, 1893, 1897, 1901, 1905, 1912, 1915, 1917, 1924, 1925, 1941, 1947, 1948, 1962, 1969, 1974, 1984, 1992, 1996, 1998, 2009, 2017, 2026, 2028, 2038, 2044, 2051, 2063
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	1882, 1894, 1906, 1910, 1955, 1988, 1999, 2007, 2019, 2057
पोत परिवहन	:	1881, 1914, 1938, 1939, 1952, 1975, 1983, 1993, 1995, 2016, 2021
लघु उद्योग	:	1940, 1949
अन्तरिक्ष	:	1931
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	1945, 1971

पी.एल.एस.–48.3.13/2004 (एन०)
280

© 2004 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।